ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए

हिन्दी भाषा बोध और व्याकरण

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर

© पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड

संशोधित संस्करण : 2010.....20,000 प्रतियाँ

All rights including those of translation, reproduction, annotation etc. are reserved by the Punjab Govt.

सम्पादिका : शशि प्रभा जैन
विषय विशेषज्ञ (हिन्दी)

संशोधक : प्रो॰ सुरेश वात्स्यायन
पूर्व प्रिंसीपल, राजकीय महाविद्यालय, ढुढीके, लुधियाना

चेतावनी

1. कोई भी एजेंसी-होल्डर अधिक पैसे लेने के उद्देश्य से पाठ्य-पुस्तकों पर जिल्दबन्दी नहीं कर सकता। (एजेंसी-होल्डरों के साथ हुए समझोते की धारा नं. 7 के अनुसार)
2. पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकों का जाली प्रकाशन, स्टॉक करना, जमाखोरी या बिक्री आदि करना भारतीय दंड प्रणाली के अन्तर्गत गैरकानूनी है।
(पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की पाठ्य-पुस्तकें बोर्ड के 'वाटर मारक' वाले कागज़ पर ही मुद्रित की जाती हैं।)

मूल्य : 54-00 रुपये

सचिव, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, विद्या भवन फेज़-8 साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर 160062 द्वारा प्रकाशित निधि पब्लिकेशन होम, मथुरा द्वारा मुद्रित।

दो शब्द

स्कूल स्तर की विभिन्न श्रेणियों के लिए पाठ्यक्रमों को संशोधित करना और उन संशोधित पाठ्य-क्रमों पर आधारित पाठ्य-पुस्तकें तैयार करना पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य है। 1992 में बोर्ड द्वारा लिए गए एक निर्णय के अन्तर्गत सम्पूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने में सक्षम राष्ट्र भाषा हिन्दी के पाठ्य-क्रम को राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक शिक्षा-नीति की अनुपालना हेतु विशेष रूप से संशोधित किया गया। इस संशोधित पाठ्य-क्रम के अनुसार पहली से बारहवीं श्रेणी तक पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण की क्रमिक योजना बनाई गई। प्रस्तुत पुस्तक इसी शृंखला की अंतिम कड़ी है।

पुस्तक को तैयार करते समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार राज भाषा हिन्दी लागू करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित न्यूनतम अधिगम स्तर को आधार बनाया गया है। पुस्तक को सम्पादित करते समय पंजाब राज्य के ग्यारहवीं और बारहवीं श्रेणी के विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर का विशेष ध्यान रखा गया है। व्याकरण एवं हिन्दी भाषा के पारिभाषिक एवं व्यावहारिक ज्ञान के अतिरिक्त इस पुस्तक में सम्प्रेषण कौशल को भी शामिल किया गया है, ताकि स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्राप्त ज्ञान विद्यार्थियों के लिए रोज़ी-रोटी की कमाई का आधार बन सके।

हमें पूर्ण आशा है कि यह पुस्तक भाषा-बोध एवं व्याकरण के मापदंडों पर खरी उतरेगी और विद्यार्थियों के लिए हिन्दी भाषा का शुद्ध एवं व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। फिर भी, पुस्तक को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए अध्यापकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों द्वारा भेजे गए सुझाव बोर्ड द्वारा साभार स्वीकार किए जाएंगे।

प्रधान

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड

पुस्तक के बारे में

मनुष्य के लिए अपने विचारों की अभिव्यक्ति तथा उनके आदान-प्रदान के लिए भाषा का शुद्ध ज्ञान होना अत्यावश्यक है और भाषा का सम्यक् रूपेण ज्ञान व्याकरण के ज्ञान के बिना प्राप्तव्य नहीं है। यह पुस्तक ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गयी है। प्रस्तुत पुस्तक 'हिन्दी भाषा बोध और व्याकरण' को तीन खण्डों- पारिभाषिक एवं व्यावहारिक व्याकरण, रचनात्मक लेखन, सम्प्रेषण कौशल - में विभाजित किया गया है।

खण्ड 'क' में व्याकरण के मूल सिद्धांतों को अत्यन्त सरल एवं सहज रूप से समझाने की चेष्टा की गयी है। व्याकरण ही भाषा को बोधगम्य, सुसंगठित एवं प्रभावशाली बनाने का एक सशक्त माध्यम है। अत: इस खण्ड का ज्ञान विद्यार्थियों के लिए परमावश्यक है। इस खण्ड में भाषा, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य तथा उनके भेदों-उपभेदों को इतने सरल व रोचक ढंग से संप्रेषित किया गया है ताकि विद्यार्थियों के मन में हिन्दी भाषा एवं व्याकरण संबंधी जो शंकाएं हैं, उनका निवारण हो सके। इसके साथ ही विराम चिह्नों के महत्त्व एवं उनके प्रयोग पर भी समुचित रूप से प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त रस, छंद व अलंकार संबंधित सामान्य ज्ञान भी इस खंड में दिया गया है।

खंड 'ख' रचनात्मक लेखन से संबंधित है। इस खंड में सम्मिलित पाठ विद्यार्थियों की रचनात्मक वृत्ति एवं भाषायी कौशल में वृद्धि करेंगे।

खण्ड 'ग' सम्प्रेषण कौशल से संबंधित है। इस खण्ड में सम्मिलित पाठ विद्यार्थियों की सम्प्रेषण क्षमता को विकसित करने में सहायक होंगे।

व्यावहारिक रूप से यह पुस्तक पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ग्यारहवीं और बारहवीं श्रेणियों में हिन्दी विषय के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम को आधार बनाकर लिखी गई है। किन्तु ऐसी कोई निश्चित सीमा रेखा खींचना भाषायी ज्ञान की निरन्तरता में अवरोध उत्पन्न करना होगा, इसलिए पाठ्यक्रम में निहित विषयों के लिए वाँछित सामग्री का चयन स्वयं किया जा सकता है।

इस पुस्तक को परीक्षा की दृष्टि से निर्धारित मान लेना हिन्दी भाषा शिक्षण की दृष्टि से अव्यवहार्य होगा। इस पुस्तक में सम्मिलित विषय सामग्री को आधार बनाकर अध्यापक विद्यार्थियों को हिन्दी भाषा का ज्ञान देने में समर्थ हो सकते हैं। यह पुस्तक हिन्दी भाषा से संबंधित किसी भी सामान्य एवं विशिष्ट परीक्षा में सफलता के लिए वाँछित ज्ञान देने में समर्थ है। अध्यापक परीक्षा विशेष के लिए प्रश्न बैंक बना कर विद्यार्थियों का अभ्यास करवा सकते हैं।

आशा है कि यह पुस्तक हिन्दी भाषा के छात्रों के लिए एक अमूल्य निधि साबित होगी और जीवनपर्यन्त उनकी भाषायी शंकाओं को दूर करने में समाधान जुटाती रहेगी। फिर भी प्रत्येक शैक्षणिक प्रयास में संशोधन का प्रावधान सदा रहता है। अत: पुस्तक को और ज्ञानोपयोगी बनाने के लिए प्राप्त सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

-सम्पादिका

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

खण्ड-1. पारिभाषिक एवं व्यावहारिक व्याकरण

लेखक : डॉ॰ सुनील बहल

1.	भाषा और व्याकरण	1
2.	विकारी शब्द	58
3.	अविकारी शब्द	151
4.	संधि	160
5.	शब्द रचना एवं शब्द विवेक	174
6.	पद परिचय एवं वाक्य-विचार	243
7.	विराम चिह्न	271
8.	रस, छंद एवं अलंकार- एक परिचय	283

खण्ड-2. रचनात्मक लेखन

1.	पत्र-लेखन	डॉ॰ नीरू कौड़ा	303
2.	अनुच्छेद लेखन	आशा शर्मा	318
3.	निबन्ध लेखन	डॉ॰ नीरू कौड़ा	325

खण्ड-3. सम्प्रेषण कौशल

1.	अनुवाद (पंजाबी से हिन्दी)	आशा शर्मा	370
2.	पारिभाषिक शब्दावली	डॉ॰ सुनील बहल	381
3.	संक्षेपीकरण	डॉ॰ नीरू कौड़ा	391
4.	विज्ञापन एवं सूचना	डॉ॰ सुनील बहल	406

अध्याय – 1

भाषा और व्याकरण

मनुष्य को अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए प्रतिदिन कई तरीके प्रयोग में लाने पड़ते हैं। जैसे दूध बेचने वाला हार्न बजा – बजाकर अपने आने का संकेत देता है ताकि लोग जान जाएं कि दूध वाला आ गया है और दूध ले लें। प्लेट फार्म पर गार्ड हरी झंडी दिखाकर तथा सीटी बजाकर रेलगाड़ी को चलने का संकेत देता है। बस का कंडक्टर भी बस को रोकने या चलाने के लिए अलग – अलग तरह से सीटी बजाता है। सड़क के किनारे भी वाहन चालकों के लिए भिन्न – भिन्न प्रकार के संकेत दिए गए होते हैं। जैसे – 'सड़क के बाईं ओर या दाईं ओर होने का संकेत', 'आगे स्कूल है का संकेत', 'तंग पुल होने का संकेत' आदि।

इसी प्रकार बच्चा हँसकर या रोकर अपनी बात प्रकट करता है। गूँगा व्यक्ति अपनी अस्पष्ट ध्वनियों या संकेतों के माध्यम से अपनी बात कहने की चेष्टा करता है। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य ही इस प्रकार संकेतों को दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं, पशु – पक्षी भी अनेक प्रकार की ध्वनियों से अपनी भूख – प्यास तथा डर आदि का संकेत देते हैं। ये सभी संकेत संप्रेषण का अंग माने जाते हैं। किन्तु इनको भाषा के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता ।

भाषा

वस्तुत: **'भाषा'** शब्द का मूल अर्थ मानव कंठ से निकलने वाली व्यक्त ध्वनियों के लिए होता है। वैसे तो मानव कंठ से 'खूँ – खूँ', 'हूँ – हूँ', 'तिक – तिक' आदि कई तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं, किन्तु इन ध्वनियों का या तो अर्थ नहीं होता और यदि होता भी है तो बहुत ही सीमित। अत: इसको भाषा नहीं कहते। किन्तु जब मानव कंठ से निकली ध्वनियाँ अर्थपूर्ण शब्दों की रचना करती हैं और उन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं, वही भाषा के अन्तर्गत आता है। भाषा सम्पूर्ण सांसारिक कार्य व्यापार चलाने का मूल आधार है।

अत: जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। इसी आधार पर भाषा के दो रूप हो जाते हैं – मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा।

(1) **मौखिक भाषा** – जब मनुष्य मुँह से बोलकर अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग मुख्यत: तभी किया जाता है, जब सुनने वाला बोलने वाले के सामने हो।

मौखिक भाषा की विशेषताएँ – मौखिक भाषा की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं –

(i) अस्थायी – मौखिक भाषा को भाषा का अस्थायी अथवा क्षणिक रूप कहा जाता है क्योंकि हम किसी से जब बात करते हैं तो उसका कोई सबूत नहीं रहता। वह उसी पल खत्म हो जाती है। यह सच है कि टेप – रिकार्डर की मदद से बात को रिकार्ड करके स्थायी बनाया जा सकता है किन्तु ऐसा विशेष परिस्थितियों में ही होता है।

(ii) अप्रामाणिक – मौखिक बात को प्रामाणिक नहीं माना जाता। कार्यालयों, कोर्ट – कचहरियों में तथा अन्य विभिन्न स्थानों में जब तक किसी बात का लिखित प्रमाण न हो, वह अप्रामाणिक ही मानी जाती है।

(iii) अनपढ़ और पढ़े – लिखे दोनों के लिए प्रयोग में आने वाली – मौखिक भाषा को अनपढ़ तथा पढ़े लिखे दोनों प्रकार के लोग प्रयोग में लाते हैं।

(iv) मौखिक भाषा में व्याकरण के नियम ज़रूरी नहीं – मौखिक भाषा में व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखकर बातचीत नहीं की जाती। मौखिक भाषा का प्रयोग अनौपचारिक रूप में किया जाता है।

(2) लिखित भाषा – जब मनुष्य अपने विचारों को दूसरों को लिख कर प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं।

लिखित भाषा की विशेषताएँ – लिखित भाषा की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं –

(i) स्थायी – लिखित भाषा की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह स्थायी होती है। लिखी हुई बात को यदि सुरक्षित रखा जाए तो यह चिरकाल तक रह सकती है।

(ii) प्रामाणिक – लिखित भाषा प्रामाणिक होती है। सभी औपचारिक कार्यों में लिखित भाषा ही प्रामाणिक मानी जाती है।

(iii) लिखित भाषा में व्याकरण के नियमों का पालन होता है – लिखित भाषा में व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता है। यदि लिखते समय अशुद्ध लिखा जाए तो उसका प्रमाण रह जाता है कि अमुक व्यक्ति ने अशुद्ध लिखा है।

(iv) अधिक प्रतिष्ठित – लिखित भाषा अधिक प्रतिष्ठित होती है, क्योंकि वह स्थायी, प्रामाणिक व शुद्ध रूप में होती है।

भाषा – परिवार

भाषा – परिवार से अभिप्राय अनेक भाषाओं की कुछ न कुछ आपसी समानता के आधार पर एक ही परिवार के रूप में गणना करने से है। संसार में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं किन्तु उनमें कहीं न कहीं आपस में समानता देखने को मिलती है। जिस प्रकार एक परिवार में कई सदस्य होते हैं, सभी की शक्लें, आदतें आदि अलग – अलग होती हैं। उसी प्रकार उच्चारण,वर्ण, मात्रा, शब्द आदि के भिन्न – भिन्न होते हुए भी ध्वनि आदि सगानता के आधार पर उन भाषाओं को एक ही परिवार के रूप में गिना जाता है।

सम्पूर्ण विश्व में कितनी भाषाएँ बोली जाती हैं, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। सभी भाषाओं का अभी तक अध्ययन नहीं किया जा सका है। जिन भाषाओं का अध्ययन हो चुका है, उनके कितने मुख्य परिवार माने जाएं, ऐसा भी अभी निश्चित नहीं। फिर भी, अधिकांश विद्वानों ने निम्नलिखित बारह भाषा – परिवार माने हैं –

(1) भारोपीय (2) द्रविड़ (3) चीनी (4) सेमेटिक (5) हेमेटिक (6) आग्नेय (7) यूराल अलताई (8) बाँटू (9) काकेशियन (10) सूडानी (11) बुशमैन (12) अमेरिकी परिवार

भारोपीय परिवार – विश्व के सभी भाषा परिवारों में भारोपीय भाषा परिवार सबसे महत्त्वपूर्ण है। यह माना जाता है कि भारत और यूरोप के आस – पास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली कोई एक मूल भाषा थी और उसी भाषा से इस भौगोलिक क्षेत्र के आस – पास फैले देशों में अपनी – अपनी भाषाओं का विकास हुआ। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन भाषाएं तथा अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी, हिन्दी, मराठी, बंगला, पंजाबी, गुजराती आदि प्रमुख आधुनिक भाषाएँ इसी भाषा परिवार की हैं।

भारत में एक दूसरा भाषा परिवार है – द्रविड़ परिवार। इसमें दक्षिण भारत की मुख्य भाषाएँ – तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम हैं। किन्तु सच तो यह है कि इन भाषाओं में भी संस्कृत के शब्दों का मुक्त रूप से प्रयोग होता है। फलस्वरूप ये भी भारत की अन्य भाषाओं से दूर नहीं हैं।

हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषाएँ – जैसा कि ऊपर कहा गया है कि भारोपीय भाषा – परिवार विश्व का सबसे महत्त्वपूर्ण भाषा परिवार है। इस परिवार की भारतीय शाखा को 'भारतीय आर्य भाषा शाखा' के नाम से अभिहित किया जाता है। हिन्दी के अतिरिक्त पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला, असमिया, कश्मीरी आदि भारतीय भाषाएँ भी भारोपीय परिवार की ही हैं। इनका प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत

है। इसी से हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। वैदिक संस्कृत से हिन्दी तक के सफर में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण पड़ाव आते हैं -

(1) **वैदिक संस्कृत** – इसमें चार वेदों की रचना की गई। जिनके नाम हैं - ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा यजुर्वेद।

(2) **लौकिक संस्कृत** – जिसमें रामायण, महाभारत आदि महाकाव्य लिखे गए।

(3) **पाली – प्राकृत** – इसे लौकिक संस्कृत का ही परिवर्तित रूप कहा जाता है। इसमें बौद्ध साहित्य लिखा गया।

(4) **अपभ्रंश** – यह प्राकृत का ही परिवर्तित रूप था। अपभ्रंश के शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री आदि कई रूप थे।

(5) **हिन्दी तथा अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ।**

हिन्दी भाषा तथा उसका विकास

आज हिन्दी का जिस रूप में प्रयोग होता है वैसा उसके प्रारंभिक काल में नहीं था। हिन्दी का आरंभ 1,000 ईस्वी से माना जाता है। इसके विकास को हम तीन कालों में बाँट सकते हैं -

(1) आदिकाल - 1000 - 1500 ई०

(2) मध्यकाल - 1500 - 1800 ई०

(3) आधुनिक काल - 1800 ई० से आज तक

(1) आदिकाल – आदिकाल को हिन्दी का प्रारंभ काल भी कहा जाता है। इस काल की हिन्दी अपभ्रंश के निकट थी। वह अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाई थी। यह काल राजनैतिक दृष्टि से अशांति का काल था। इसमें किसी नई भाषा के विकास के लिए बहुत कम अवसर थे, फिर भी हिन्दी का विकास होता रहा।

अपभ्रंश भाषा के व्याकरण के रूप बाद में सरल होते गए। 'ए', 'औ' संयुक्त स्वर जो कि अपभ्रंश में नहीं थे, विकसित हो गए। इसी काल में मुसलमानों का भी आगमन हुआ। मुसलमान आक्रमणकारियों ने हिन्दी को बढ़ावा नहीं दिया। किन्तु अमीर खुसरो ने मनोरंजन के लिए तथा मुसलमानों में हिन्दी के प्रचार के लिए कुछ रचनाएँ लिखीं। अमीर खुसरो की भाषा में साहित्यिक हिन्दी के दर्शन होते हैं। 14 वीं शताब्दी में भक्ति आन्दोलन के कारण हिन्दी में तत्सम शब्दावली का प्रयोग होने लगा। साहित्यिक दृष्टि से चंदबरदाई की 'पृथ्वीराज रासो', नरपति नाल्ह की 'बीसल देव रासो', तथा अन्य नाथों, सिद्धों की रचनाएँ इस काल में आती हैं।

(2) मध्यकाल – मध्यकाल में राजनैतिक स्थिरता तथा शाँति के वातावरण के कारण हिन्दी व अन्य भाषाओं को फलने-फूलने का पर्याप्त अवसर मिला। हिन्दी भाषा आदिकालीन भाषा की तुलना में अधिक वियोगात्मक हो गई। हिन्दी भाषा पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। इस काल में ध्वनि, व्याकरण तथा शब्द भण्डार में अतीव परिवर्तन हुए। विभक्ति चिह्नों और सहायक क्रियाओं का प्रयोग पहले से अधिक बढ़ गया। हिन्दी भाषा में अरबी, पश्तो, तुर्की आदि विदेशी शब्दों का प्रयोग होने लगा । फारसी के प्रभाव के कारण क़, ख़, ग़, ज़ तथा फ़ पाँच नए व्यंजन हिन्दी में प्रयुक्त होने लगे। यूरोप के संपर्क के कारण हिन्दी में अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। इस काल में भक्ति आन्दोलन ने ज़ोर पकड़ा और अवधी में अधिकतर 'राम साहित्य' तथा ब्रज में 'कृष्ण साहित्य' लिखा जाने लगा। इस काल के प्रमुख साहित्यकार - जायसी, तुलसी, सूरदास, मीराबाई, केशव, बिहारी, भूषण, देव आदि हैं।

(3) आधुनिक काल – इस काल में ब्रजभाषा को साहित्य के सिंहासन से उतारने वाली खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली के बीच काफी देर तक मुकाबला चलता रहा, किन्तु खड़ी बोली के सामने ब्रज भाषा ठहर न सकी। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रताप नारायण मिश्र, अम्बिकादत्त व्यास आदि की काव्य भाषा ब्रज थी, किन्तु इन्होंने भी खड़ी बोली के प्रभाव को देखते हुए खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने यह सिद्ध कर दिया कि खड़ी बोली में गद्य की रचना ही नहीं अपितु सफल काव्य रचना भी हो सकती है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा उनके समकालीन कवियों ने विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन व सम्पादन करके खड़ी बोली को विकसित किया। तत्पश्चात् द्विवेदी युग में खड़ी बोली को और अधिक गति मिली। उसके बाद मैथिलीशरण गुप्त, प्रसाद, निराला आदि कवियों ने भी खड़ी बोली में अमर साहित्य की रचना की। आधुनिक काल में अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रचार के कारण अंग्रेज़ी हिन्दी अधिक निकट आई। हिन्दी भाषा की वाक्य रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियों आदि क्षेत्र में हिन्दी अंग्रेज़ी से बहुत प्रभावित हुई। अंग्रेज़ी विराम-चिह्नों के माध्यम से भी इसने हिन्दी वाक्य रचना को प्रभावित किया। पारिभाषिक शब्दों के लिए अनेक अंग्रेज़ी तथा संस्कृत शब्दों से नए शब्द बनाए गए। हिन्दी शब्द भण्डार अनेक प्रभावों को ग्रहण करते हुए तथा नए शब्दों से समृद्ध होते हुए दिनोंदिन व्यापक होता जा रहा है।

आज खड़ी बोली नामक हिन्दी का रूप ही भारतीय राष्ट्रभाषा के पद पर आरूढ़ है। इसी हिन्दी भाषा में साहित्य की विभिन्न विधाओं कविता, कहानी,

एकांकी, नाटक, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा साहित्य, रेखाचित्र, रिपोर्ताज आदि की रचना होती है। इस प्रकार हिन्दी का उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है।

हिन्दी की उपभाषाएँ और बोलियाँ – हिन्दी की उपभाषाओं और बोलियों के बारे में जानने से पूर्व यह जानना नितान्त आवश्यक है कि बोली और उपभाषा क्या है?

बोली – किसी छोटे से क्षेत्र में किसी भाषा का बोला जाने वाला रूप स्थानीय होता है, इसी रूप को 'बोली' कहते हैं। बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है। खड़ी बोली पहले बोली थी। फिर साहित्यिक क्षेत्र में विकसित होकर यह राष्ट्र भाषा बन गई।

उपभाषा – प्रत्येक पाँच दस किलोमीटर पर बोली थोड़ी बहुत परिवर्तित हो जाती है किन्तु उसके सामान्य रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी सामान्य रूप को 'उपभाषा' कहते हैं।

हिन्दी की उपभाषाएँ – हिन्दी की प्रमुख पाँच उपभाषाएँ हैं जिनकी भिन्न-भिन्न बोलियाँ हैं। इनका विवरण नीचे सारणी में दिया गया है –

हिन्दी भाषा की उपभाषाएँ, बोलियाँ और बोली – क्षेत्र

भाषा	उपभाषा	बोली	बोली – क्षेत्र
हिन्दी	(1) पश्चिमी हिन्दी	खड़ी बोली या कौरवी	दिल्ली, मेरठ, देहरादून सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर।
		ब्रजभाषा	मथुरा, आगरा, अलीगढ़।
		बुन्देली	उत्तर प्रदेश में जालौन, झाँसी तथा मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर।
		कन्नौजी	कन्नौज (उत्तर प्रदेश)
		हरियाणवी (बाँगरू)	रोहतक, करनाल, नाभा, पटियाला के पूर्वी भाग, हिसार जिले के पूर्वी भाग, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र।

भाषा	उपभाषा	बोली	बोली – क्षेत्र
	(2) पूर्वी हिन्दी	अवधी	उत्तर प्रदेश में लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, जौनपुर।
		बघेली	छतीसगढ़ में रीवा, दमोह, मण्डला, जबलपुर तथा बालाघाट।
		छत्तीसगढ़ी	मध्य प्रदेश में रायपुर, रामपुर, बिलासपुर।
	(3) राजस्थानी हिन्दी	जयपुरी	जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ (राजस्थान)।
		मालवी	इन्दौर, उज्जैन, भोपाल।
		मारवाड़ी	जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, मेवाड़।
		भीली	राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश का सीमावर्ती प्रदेश।
	(4) पहाड़ी हिन्दी	पश्चिमी पहाड़ी	शिमला, मण्डी, चम्बा और सीमावर्ती प्रदेश।
		मध्यवर्ती पहाड़ी	गढ़वाल, कुमाऊँ।
	(5) बिहारी हिन्दी	भोजपुरी	गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर।
		मगही	पटना, गया।
		मैथिली	दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुँगेर आदि।

प्रयोग की दृष्टि से हिन्दी भाषा के विभिन्न रूप

भारत में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनमें हिन्दी बोलने और समझने वाले सबसे अधिक हैं। प्रयोग की दृष्टि से इसके विभिन्न रूप इस प्रकार हैं –

(1) संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी – यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि हिन्दी ही सम्पूर्ण भारत की संपर्क भाषा है। यह केवल हिन्दी भाषी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, अपितु अपने क्षेत्रों के बाहर भी प्रयोग में लायी जाती है। देश की लगभग 80% जनता किसी न किसी रूप में हिन्दी से जुड़ी हुई है। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए हिन्दी बोलने, समझने वाले निस्संदेह प्रत्येक जगह मिल ही जाएंगे। पूरे भारत में हिन्दी के माध्यम से ही जनसंपर्क का कार्य होता है। विभिन्न समारोहों, चुनावों आदि में हिन्दी ही संपर्क का माध्यम बनती है। आकाशवाणी व दूरदर्शन कार्यक्रमों की संपर्क भाषा हिन्दी ही है। भारत में हर रोज़ हिन्दी में अंग्रेज़ी की अपेक्षा अधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। भारतीय फिल्म जगत हिन्दी के माध्यम से जनता को परस्पर जोड़ता है। विश्व में हिन्दी फिल्म जगत का स्थान बहुत आगे है। हिन्दी का इतना प्रभाव है कि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम आदि अहिन्दी भाषायी प्रांतों में सामान्य संपर्क के लिए इसका प्रयोग होता है। यही नहीं तमिलनाडु, केरल, आदि प्राँतो में भी कुछ हद तक हिन्दी संपर्क व संप्रेषण का कार्य करती है। अत: संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी गाँव – गाँव, शहर – शहर में व्याप्त हुई है। भविष्य में भी संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी का संपूर्ण विकास अवश्यमेव होगा। भारत की महान विभूतियों ने भी यही माना था कि हिन्दी ही संपर्क भाषा के रूप में कार्य कर सकती है। जैसे –

स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुसार, "हिन्दी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। मेरी आँखें उस दिन को देखने के लिए तरस रही हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय एक ही भाषा को समझने बोलने लगें।"

गाँधी जी ने लिखा है, "यदि स्वराज्य अंग्रेज़ी पढ़े भारतवासियों का है और केवल उनके लिए है तो संपर्क भाषा अवश्य अंग्रेज़ी होगी। यदि वह करोड़ों भूखे लोगों, करोड़ों निरक्षर लोगों, निरक्षर स्त्रियों, सताए हुए अछूतों के लिए है, तो संपर्क भाषा केवल हिन्दी हो सकती है।"

हिन्दी केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, अपितु भारत के बाहर भी बहुत से देशों में हिन्दी संपर्क भाषा का काम करती है। भारतीय मूल के लोगों की विदेशों में संपर्क भाषा हिन्दी ही बनी हुई है। वे उसे अपनी संस्कृति का अंग मानते हैं। यही नहीं विदेशी मूल के बहुत से लोग भारतीयों के साथ हिन्दी बोलते हैं। विदेशों

के लगभग 144 देशों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था है। जर्मनी के 17 विश्वविद्यालयों में हिन्दी के स्वतन्त्र विभाग हैं। कहीं भारतीय संस्कृति जानने-समझने के लिए हिन्दी का अध्ययन हो रहा है तो कहीं हिन्दी भाषा का परिचय पाने के लिए काम हो रहा है। देश में हिन्दी के प्रसार के लिए हिन्दी सम्मेलनों का आयोजन होता है जिसके फलस्वरूप वर्धा में 'महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी 'विश्वविद्यालय' की स्थापना की गई। आशा की जाती है कि इस विश्वविद्यालय से हिन्दी के प्रचार व प्रसार कार्य को अद्भुत सफलता मिलेगी और इससे संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी को नए-नए आयाम मिलेंगे।

(2) **राजभाषा के रूप में हिन्दी**– 'राजभाषा' भाषा के उस रूप को कहते हैं जो कि राज-काज में प्रयोग लायी जाती है। भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद एक 'राजभाषा आयोग' का गठन किया गया। इस आयोग ने अपना फैसला दिया कि हिन्दी को भारत की 'राजभाषा' का स्थान दिया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिन्दी को राजभाषा की पदवी देते हुए घोषणा की गई कि **"संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी"**। संविधान में हिन्दी भाषा के विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि," **संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात् करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।"**

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार तथा प्रादेशिक प्रशासन में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा बिहार राजभाषा हिन्दी का प्रयोग कर रहे हैं। आज राजभाषा के रूप में जो हिन्दी चल पड़ी है वह सहज रूप से विकसित हिन्दी न होकर जबरदस्ती लादी गई और अंग्रेज़ी का फूहड़ अनुवाद बन कर रह गई है, जिसको समझने में हिन्दी के विद्वानों को भी मुश्किल आती है। राजभाषा हिन्दी में प्रपत्रों, ज्ञापनों, अधिसूचनाओं आदि में जो जटिल शब्दों का प्रयोग होता है, वे उसी तक ही सीमित रह जाते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि राजभाषा हिन्दी सरल व सहज रूप से प्रयुक्त की जाए।

यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि हिन्दी को संघ की राजभाषा कहने का यह अर्थ नहीं है कि अन्य भारतीय भाषाएँ इससे कम महत्त्वपूर्ण हैं। भारत की सभी प्रादेशिक भाषाएँ समान महत्त्व रखती हैं। यदि अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी राजभाषा है तो अन्य प्रादेशिक भाषाएँ अपने-अपने राज्यों में राजभाषा के रूप में कार्य कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर पंजाब राज्य में 'पंजाबी' राजभाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है।

(3) राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी – राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में –

है भव्य भारत ही
हमारी मातृभूमि हरी-भरी।
हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा
और लिपि है नागरी।

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के अनुसार, "यदि आप राष्ट्र में एकता लाना चाहते हैं तो इसके लिए एक सामान्य भाषा के व्यवहार से अधिक शक्तिशाली और कोई वस्तु नहीं है, कोई मानक लिपि और भाषा मानक समय से भी अधिक आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है।...हम भारतवासियों के लिए एकता एवं एकात्मकता लाने में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी ही 'राष्ट्रभाषा' बनकर सहायता पहुँचा सकती है।"

'राष्ट्रभाषा' से अभिप्राय: किसी देश की उस प्रमुख भाषा से है जो किसी बड़े भाषायी समुदाय द्वारा बोली जाती है। इस दृष्टि से हिन्दी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे बोलने और समझने वाले भारत में सबसे अधिक लोग हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आन्दोलन की सफलता का श्रेय भी मुख्य रूप से हिन्दी भाषा को ही है। अत: हिन्दी को 'राष्ट्रभाषा' की संज्ञा से अभिहित किया जा सकता है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं का उल्लेख है वे सभी राष्ट्रीय भाषाएँ हैं उनमें से हिन्दी भी एक है। राष्ट्रभाषा में और भी गुण होते हैं। उसका संबंध अपनी संस्कृति, परम्परा, अतीत व वर्तमान से होता है। वह राष्ट्रीय एकता को स्थापित करती है तथा इसे बोलने वाला समाज के साथ अपना भावात्मक संबंध जोड़ता है और उससे अपनी पहचान बनाता है। हिन्दी में उपर्युक्त सभी गुण हैं। हिन्दी भारतीय संस्कृति की संरक्षक व एकता की परिचायक है। अत: हिन्दी ही भारत की राष्ट्र भाषा के पद पर सुशोभित हो सकती है। वैसे हिन्दी को अभी तक संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा का ही दर्जा प्राप्त है।

भाषा प्रयोगशाला

भाषा प्रयोगशाला शिक्षा प्रदान करने का एक प्रभावशाली तकनीकी माध्यम है यह विशेषरूप से भाषा के शुद्ध उच्चारण को सीखने तथा समझने में सहायक

सिद्ध होती है। भाषा प्रयोगशाला में एक ही समय में किसी भी संख्या में विद्यार्थियों को श्रवण सामग्री प्रसारित की जा सकती है। सामग्री का प्रसारण एक साधन इकाई द्वारा किया जाता है।

भाषा प्रयोगशाला की श्रेणियाँ –

भाषा प्रयोगशालाओं को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है –

(1) **प्रथम स्तर की प्रयोगशालाओं** में विद्यार्थी किसी एक साधन इकाई से प्रसारित होने वाली श्रवण सामग्री को हैड-सैट (**Head set**) की सहायता से सुनते हैं। इसमें प्रसारित की जाने वाली सामग्री को विद्यार्थी पुनः भी सुन सकते हैं। किन्तु वे हैड-सैट से फीड-बैक (**Feed back**) के जरिए अपनी क्षमता की जाँच नहीं कर सकते अर्थात विद्यार्थियों को अपनी मॉनीटरिंग करने का अवसर नहीं मिलता।

(2) **दूसरे स्तर की प्रयोगशालाओं** में प्रत्येक हैड-सैट के साथ माइक्रोफोन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। इससे विद्यार्थियों को अपनी मॉनीटरिंग करने का अवसर मिल जाता है।

उपरोक्त दोनों स्तरों की प्रयोगशालाओं में यह सीमा रहती है कि विद्यार्थियों को सुपुर्द किए गए काम को समान गति से करना पड़ता है।

(3) **तीसरे स्तर की प्रयोगशालाओं** में समान गति से काम करने का प्रतिबंध नहीं होता। इस प्रतिबंध को दूर करने के लिए विद्यार्थियों को टेप-रिकॉर्डर, वीडियो मॉनीटर अथवा कम्प्यूटर उपलब्ध करवाया जाता है।

इसमें अध्यापक की स्वेच्छा से विद्यार्थियों को प्ले-बैक (जिससे रिकार्ड की गई सामग्री को बार-बार सुना जा सकता है) रिकार्डिंग एवं समीक्षा आदि की छूट होती हैं। कुछ उच्च स्तरीय भाषा प्रयोगशालाओं में स्वतः अनुवाद करने की क्षमता होती है। ऐसी प्रयोगशाला में कम्प्यूटरों की सहायता से एक भाषा से दूसरी भाषा में स्वतः भाषा अनुवाद होता है। आप अंग्रेज़ी में दिए गए भाषण का हिन्दी में सीधा अनुवाद सुन सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (**National Institute of technology**) कालीकट में ऐसी ही भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इस प्रयोगशाला मे किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी भाषा के किसी शब्द को सही ढंग से बोलने की शैली, उच्चारण एवं किसी शब्द की ध्वनि परिवर्तन आदि के विभिन्न पहलुओं के विषय में जानकारी ले सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी अपनी क्षमता व इच्छानुसार सीखने की गति निर्धारित कर सकता है।

इस प्रयोगशाला में विद्यार्थियों को व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से अध्यापक की

सहायता भी प्रदान की जाती है। इसमें प्रत्येक विद्यार्थी को बोलने एवं सुनने की एकांतता प्रदान की जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी उच्चारण के ढंग को सुन कर, उसकी पुनरावृति कर उसे रिकार्ड कर सकता है। इस प्रयोगशाला को एक ही समय में 40 अभ्यर्थी प्रयोग में ला सकते हैं। इस प्रयोगशाला में प्रूफ-रीडिंग विशेषज्ञ भी हैं।

इसके अतिरिक्त कुछ प्रयोगशलाओं में भाषा का ज्ञान प्रदान करने के लिए श्रव्य कैसेट एवं कम्प्यूटरों की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। विद्यार्थी के अनुरोध पर कैसेट की अनुलिपि प्रदान करने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसके लिए कुछ फीस भी ली जाती है। जो कि कैसेटों की संख्या एवं लम्बाई के अनुसार निर्धारित की जाती है। प्रयोगशालाओं में रखे गए कम्प्यूटरों पर भाषा सिखाने हेतु विशेष प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं।

कुछ प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों को निश्चित फीस पर लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है एवं कार्यशालाएँ भी आयोजित की जाती हैं। इन कार्यशालाओं में विद्यार्थी अपनी भाषा सम्बन्धी कठिनाइयों को सरलता से दूर कर सकते हैं।

इस प्रकार भाषा प्रयोगशालाएँ भाषा के प्रसार एवं विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

लिपि

मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई 'ध्वनि' है। हम वार्तालाप करते समय शब्दों की सहायता लेते हैं और शब्दों का कोई आकार नहीं होता, वे तो केवल ध्वनि को ही प्रकट करते हैं जो कानों को सुनाई देती है। प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिह्न या वर्ण बनाए जाते हैं, जिन्हें लिपि कहते हैं। वस्तुतः 'लिपि' किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को लिखने का एक सुव्यवस्थित तरीका है।

अतः मौखिक ध्वनियों को लिख कर प्रकट करने के लिए जो चिह्न प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें 'लिपि' कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। इन भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियाँ हैं। संसार की कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार हैं-

भाषा का नाम	लिपि का नाम	उदाहरण
हिन्दी	देवनागरी	मैं घर जा रहा हूँ।
संस्कृत	देवनागरी	अहम् गृहं गच्छामि।
अंग्रेज़ी	रोमन	I am going to home.
पंजाबी	गुरुमुखी	ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

अन्य कुछ भाषाएँ और उनकी लिपियाँ

भाषा का नाम	लिपि का नाम
फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश	रोमन
बंगला, मराठी, नेपाली	देवनागरी
अरबी	अरबी
उर्दू	फ़ारसी
फ़ारसी	फ़ारसी

विशेष – अरबी, उर्दू तथा फ़ारसी लिपियाँ दायीं ओर से बायीं ओर को लिखी जाती हैं। शेष उपर्युक्त सभी लिपियाँ (देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी) बायीं ओर से दायीं ओर को लिखी जाती हैं।

वैसे तो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, परन्तु कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे -

(i) हिन्दी (देवनागरी) को अंग्रेज़ी (रोमन) में लिखना –
कल रविवार था - **Kal Ravivaar tha.**

(ii) अंग्रेज़ी (रोमन) को हिन्दी (देवनागरी) में लिखना –
You can go - यू कैन गो।

(iii) पंजाबी (गुरुमुखी) को हिन्दी (देवनागरी) में लिखना
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿਓ - बच्चे नूं चुप करा देयो।

(iv) हिन्दी (देवनागरी) को पंजाबी (गुरुमुखी) में लिखना –
बच्चे बाग में खेल रहे हैं - ਬੱਚੇ ਬਾਗ਼ ਮੇਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੈਂ।

व्याकरण

संसार के सभी कार्य किसी न किसी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। इस व्यवस्था का निर्माण नियमों पर आधारित होता है। उन नियमों का पालन करना नितान्त आवश्यक होता है। यदि नियमों का पालन न किया जाए तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। ठीक यही स्थिति भाषा की है। व्यक्ति और स्थान भेद के कारण भाषा में अंतर आ जाता है जिससे भाषा के रूप में निश्चितता, समानता व स्थिरता नहीं रहती। ऐसी स्थिति में भाषा की एकरूपता और शुद्धता बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। जिस शास्त्र में इन नियमों की जानकारी दी गई होती है, उसे व्याकरण कहते हैं।

व्याकरण शब्द 'वि' + 'आ' उपसर्ग में 'कृ' धातु के साथ ल्युट प्रत्यय लगाने से बना है। इसका सामान्य अर्थ है – शब्दों का विश्लेषण । पारिभाषिक शब्दों में कहा जा सकता है कि –

व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा शब्दों के शुद्ध प्रयोग और उनके विश्लेषण का ज्ञान हो।

नीचे लिखे वाक्यों की ओर ध्यान दें –

(i) रमेश आम खाती है।

(ii) कृपया यहाँ बैठने की कृपा करें।

उपर्युक्त दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। पहला वाक्य इसलिए अशुद्ध है कि इसमें रमेश 'पुल्लिंग' के साथ क्रिया 'खाती है' प्रयोग हुआ है, जबकि रमेश 'पुल्लिंग' के साथ क्रिया 'खाता है' का प्रयोग होना चाहिए। अत: वाक्य का शुद्ध रूप होगा –

रमेश आम खाता है।

इसी प्रकार दूसरे वाक्य में एक ही भाव को दो बार कहने (कृपया भी और कृपा भी) से वाक्य अशुद्ध हो गया। शुद्ध रूप होगा –

कृपया यहाँ बैठें या यहाँ बैठने की कृपा करें।

अत: ये नियम व्याकरण से ही ज्ञात होते हैं।

व्याकरण के अंग

यदि व्यावहारिक दृष्टि से विचार करें तो 'वाक्य' भाषा की लघुतम इकाई है। परन्तु संरचना को जानने के लिए मुख्यत: निम्नलिखित तीन अंगों का अध्ययन उपयोगी रहता है –

(1) **वर्ण – विचार** – इसमें वर्णों के आकार, उनके भेद, उच्चारण, वर्ण – संयोग आदि पर विचार किया जाता है।

(2) **शब्द – विचार** – इसमें शब्द, उसके भेद, उत्पत्ति – व्युत्पति, रचना तथा रूपान्तर आदि पर विचार किया जाता है।

(3) **वाक्य – विचार** – इसमें वाक्य के भेद, विश्लेषण, संश्लेषण, वाक्य – परिवर्तन आदि पर विचार किया जाता है।

उपर्युक्त तीनों विभागों में से वर्ण – विचार और शब्द – विचार पर यहाँ

विचार किया जा रहा है जबकि वाक्य-विचार का विवेचन अलग से पुस्तक के 'क' भाग के अंतिम अध्याय में किया जाएगा-

वर्ण-विचार -

नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ो-

(1) सुशील ईमानदार बालक है।

(2) विजय तथा नीरज मेरठ गये।

प्रत्येक वाक्य में कई शब्द हैं। प्रत्येक शब्द को ध्यान से देखिए। सभी शब्दों में कई ध्वनियाँ हैं। जैसे-

	शब्द		ध्वनियाँ
(1)	सुशील	=	स्+उ+श्+ई+ल्+अ।
(2)	ईमानदार	=	ई+म्+आ+न्+अ+द्+आ+र्+अ।
(3)	बालक	=	ब्+आ+ल्+अ+क्+अ।
(4)	है	=	ह्+ऐ।
(5)	विजय	=	व्+इ+ज्+अ+य्+अ।
(6)	तथा	=	त्+अ+थ्+आ।
(7)	नीरज	=	न्+ई+र्+अ+ज्+अ।
(8)	मेरठ	=	म्+ए+र्+अ+ठ्+अ।
(9)	गये	=	ग्+अ+य्+ऐ।

उपर्युक्त ध्वनियों के और ऐसे खण्ड (टुकड़े) नहीं हो सकते, जिन पर विचार किया जा सके। अतः भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे-अ, इ, उ, ऋ, क्, ख् आदि।

वर्णमाला- प्रत्येक भाषा के वर्णों या ध्वनि चिह्नों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिन्दी-वर्णमाला इस प्रकार है-

भाषा की ध्वनियों के उच्चारण में मुख के भिन्न-भिन्न अवयवों का प्रयोग होता है। अतः उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं- **स्वर, अयोगवाह तथा व्यंजन।**

(1) स्वर - अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ।

(2) अयोगवाह - अं अः।

(3) व्यंजन					
	क	ख	ग	घ	ङ
	च	छ	ज	झ	ञ
	ट	ठ	ड	ढ	ण
	त	थ	द	ध	न
	प	फ	ब	भ	म
	य	र	ल	व	
	श	ष	स	ह	

इस प्रकार हिन्दी वर्णमाला में 11 स्वर + 2 अयोगवाह +33 व्यंजन मिलाकर कुल 46 वर्ण हैं।

(1) स्वर

जिन वर्णों के उच्चारण के समय फेफड़ों की वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकल जाए, उन्हें स्वर कहते हैं। यूं भी कह सकते हैं कि जो वर्ण अन्य वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। वर्णमाला में अ आ इ ई आदि स्वर ऊपर बताए गए हैं।

स्वर भेद – उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वर तीन प्रकार के होते हैं – ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर

(i) ह्रस्व स्वर – जिन स्वरों के उच्चारण में कम-से-कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिन्दी में चार ह्रस्व स्वर हैं – अ, इ, उ तथा ऋ। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं।

(ii) दीर्घ स्वर – जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में सात हैं – आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये ह्रस्व स्वरों के मेल से बनते हैं, अतः इन्हें 'संधि-स्वर' या 'सन्ध्यक्षर' भी कहते हैं। जैसे –

अ + अ = आ	अ + ए = ऐ
इ + इ = ई	अ + उ = ओ
उ + उ = ऊ	अ + ओ = औ
अ + इ = ए	

विशेष कथन – यहाँ यह बात बताने योग्य है कि दीर्घ स्वरों को ह्रस्व स्वरों का दीर्घ रूप नहीं समझना चाहिए। यहाँ 'दीर्घ' शब्द का अर्थ उच्चारण में लगने वाले समय को आधार मानकर किया गया है।

यहाँ 'ए' तथा 'ओ' को ह्रस्व नहीं माना गया, क्योंकि 'ए' वर्ण अ+इ से तथा 'ओ' वर्ण अ+उ से मिलकर बने हैं। अत: ये दो वर्णों के मेल से बने हैं, स्वतन्त्र नहीं हैं। इसलिए उच्चारण के आधार पर ये दीर्घ स्वर हैं।

(iii) प्लुत स्वर – ह्रस्व या दीर्घ कोई भी स्वर प्लुत हो सकता है। जब ह्रस्व और दीर्घ स्वर किसी को पुकारते समय या कोई विशेष भाव प्रकट करते समय अपने सामान्य उच्चारण-समय से अधिक समय लेते हैं, तो वे 'प्लुत स्वर' कहलाते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व से तीन गुना समय लगता है, अत: इसकी पहचान के लिए प्लुत स्वर के आगे देवनागरी लिपि का '३' का अंक लगा देते हैं। जैसे- ओ३म्, रा३म् आदि।

विशेष – इनका प्रयोग अधिकतर संस्कृत भाषा में ही होता है। हिन्दी में इनका विशेष प्रचलन नहीं है। हिन्दी में केवल 'ओ३म्' शब्द का ही प्रचलन दिखाई देता है।

(2) व्यंजन

जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से उठी वायु मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के स्पष्ट उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन के तीन भेद हैं-स्पर्श, अन्त:स्थ तथा ऊष्म।

(i) स्पर्श – जिन वर्णों के उच्चारण के समय श्वास वायु उच्चारण स्थान विशेष (होंठ, दाँत या जिह्वा) को स्पर्श करती हुई मुख से बाहर निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके पाँच वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में पाँच-पाँच व्यंजन हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम वर्ग के पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है। जैसे-

क	ख	ग	घ	ङ	– **कवर्ग**
च	छ	ज	झ	ञ	– **चवर्ग**
ट	ठ	ड	ढ	ण	– **टवर्ग**
त	थ	द	ध	न	– **तवर्ग**
प	फ	ब	भ	म	– **पवर्ग**

विशेष – कुछ विद्वानों के अनुसार ड़ और ढ़ ध्वनियाँ भी स्पर्श व्यंजन में आती हैं। जो कि क्रमश: ड और ढ से ही विकसित हुई हैं। (इनका आगे विवेचन किया जाएगा)

(ii) अन्त:स्थ – 'अन्त:' का अर्थ है बीच में तथा 'स्थ' का अर्थ है स्थित होना।

जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों का मध्यवर्ती सा प्रतीत होता है, उन्हें अन्तःस्थ कहते हैं। ये चार हैं - य, र, ल, व।

(iii) ऊष्म – जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से ऊष्मा (गरम वायु) बाहर निकले और हल्की सीटी जैसी आवाज़ आए, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या चार है - श, ष, स, ह।

(3) अयोगवाह

डॉ० हरदेव बाहरी ने 'शिक्षार्थी हिन्दी शब्दकोश' में अयोगवाह का अर्थ लिखा है - 'स्वर व्यंजन से अलग वर्ण। हिन्दी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त दो अन्य वर्ण और भी हैं - 'अं' और 'अः'। 'अं' को अनुस्वार तथा 'अः' को विसर्ग कहा जाता है। इन दोनों का प्रयोग स्वरों के बाद किया जाता है। स्वतंत्र गति न होने के कारण इन्हें स्वर नहीं कहा जा सकता और स्वरों के साथ प्रयोग में आने के कारण ये व्यंजन भी नहीं कहे जा सकते। इनका योग न तो स्वरों से है और न ही व्यंजनों से। इस पर भी सच तो यह है कि ये ध्वनि वहन करते हैं। अर्थात इनकी ध्वनि तो है ही। अतः इन्हें 'अयोगवाह' कहा जाता है।

अनुस्वार – (ं) यह एक नासिक्य ध्वनि है। अनुस्वार का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। यह अपने से पूर्व आने वाले वर्ण के ऊपर बिन्दु (ं) के रूप में लगता है। जैसे - अंक, अंग, अंत, पंकज, कंस आदि। इसका अपना कोई स्वतन्त्र रूप नहीं होता । यह जिस व्यंजन के पूर्व आता है, उसी व्यंजन के वर्ग के पाँचवें वर्ण के रूप में इसका उच्चारण होता है। अर्थात यह हिन्दी वर्णमाला के पाँच वर्गों कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग के क्रमशः पाँचवे अक्षर ङ, ञ, ण, न तथा म की जगह पर प्रयुक्त होता है। जैसे -

	शब्द	उच्चरित रूप	वर्ग विशेष से पूर्व
(क)	संकल्प	सङ्कल्प	कवर्ग से पूर्व 'ङ्' रूप में
	गंगा	गङ्गा	में उच्चरित।
	किंकर	किङ्कर	
(ख)	संचय	सञ्चय	चवर्ग से पूर्व 'ञ्' रूप में
	संजय	सञ्जय	उच्चरित
	चंचल	चञ्चल	
(ग)	दंड	दण्ड	टवर्ग से पूर्व 'ण्' रूप में
	ठंडा	ठण्डा	उच्चरित
	डंडा	डण्डा	

(घ)	संतोष	सन्तोष	तवर्ग से पूर्व 'न्' रूप में
	संध्या	सन्ध्या	उच्चरित
	संताप	सन्ताप	
(ङ)	संपूर्ण	सम्पूर्ण	पवर्ग से पूर्व 'म्' के रूप में
	संबंध	सम्बंध	उच्चरित
	संभव	सम्भव	

विशेष – संस्कृत में अनुस्वार को बिन्दु (.) तथा उसी वर्ग के पाँचवें व्यंजन दोनों में ही विकल्प से प्रयोग किया जाता है।

'विकल्प से' का अर्थ है – ऐच्छिक रूप में अर्थात करो या न करो। जैसे 'संकल्प' तथा 'सङ्कल्प' दोनों ही रूप प्रयोग कर सकते हैं किन्तु हिन्दी में सरलता व एकरूपता लाने के लिए अनुस्वार को वर्ण के ऊपर बिन्दु लगाकर प्रयुक्त किया जाता है। (अधिक जानकारी हेतु 'व्यंजन संधि' देखिए)

अनुनासिक – (ँ) इसके उच्चारण के समय हवा नाक और मुँह दोनों से ही निकलती है। यह अपने से पूर्व आने वाले वर्ण के ऊपर चन्द्रबिन्दु (ँ) के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे – आँख, गाँव, अँगुलि, चाँद, बाँस आदि।

विशेष – (क) जिन स्वरों या उनकी मात्राओं का कोई भी अंश शिरोरेखा (-) के ऊपर नहीं जाता तो उनके साथ अनुनासिक चिह्न (ँ) लगता है। जैसे – आँकड़ा, धाँधली, उँगली, सूँड, बूँद आदि। इनमें आ, उ, ऊ स्वर तथा उनकी मात्राएँ शिरोरेखा के ऊपर नहीं लगीं। अत: इनके साथ अनुनासिक चिह्न (ँ) लगा है।

(ख) किन्तु जब स्वरों या उनकी मात्राओं का कोई भी अंश शिरोरेखा के ऊपर चला जाता है तो वहाँ अनुनासिकता (ँ) को भी अनुस्वार (.) में ही लिखा जाता है। जैसे – किंतु, नींद, मेंहदी, बैंगन, गेंद, चौंक आदि। इनमें इ, ई, ए, ऐ, ओ तथा औ की मात्राएँ शिरोरेखा के ऊपर चली जाती हैं। अत: उनके साथ 'अनुस्वार' (.) ही प्रयुक्त हुआ है।

अनुस्वार (.) तथा अनुनासिक (ँ) के प्रयोग में बड़ी समस्या होती है। आजकल तो अनुनासिक ध्वनि (ँ) का भी अनुस्वार (.) की भाँति ही प्रयोग होने लगा है। कुछ विद्वान अनुनासिक चिह्न (ँ) को अत्यावश्यक मानते हैं। उनका मानना है कि जब हंस (पक्षी) और हँस (क्रिया) के भेद को समझाना है तो इनका अलग – अलग रूप से प्रयोग करना चाहिए। किन्तु अनुस्वार (.) के पक्षधर यह मानते हैं कि अनुस्वार के प्रयोग से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे – 'बालक हंस को देखकर हंसने लगा'। इस वाक्य को पढ़ने पर हंस के दोनों अर्थ क्रमश: 'पक्षी' और' क्रिया'

स्वत: ही स्पष्ट हो जाते हैं तो फिर अनुनासिक चिह्न(ँ) लगाने की क्या आवश्यकता? इसके अतिरिक्त प्रेस तथा कम्प्यूटर आदि में अनुनासिकता के स्थान पर प्राय: अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। समाचार पत्रों, मैगज़ीनों और यहाँ तक कि पाठ्य पुस्तकों में भी अब अनुस्वार का ही अधिक प्रचलन हो गया है और ऐसा लगता है कि अनुनासिकता के स्थान पर अनुस्वार के अधिक प्रचलन के कारण अनुस्वार ही मानक हो जाएगा ।

विसर्ग (:) इसका उच्चारण 'ह' व्यंजन के समान है। इसका प्रयोग संस्कृत में या संस्कृत भाषा के उन शब्दों में किया जाता है जो हिन्दी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। जैसे- प्रात:, अत:, पुन:, दु:ख।

हलन्त(्) – जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर के बिना किया जाता है, तब उसके नीचे एक तिरछी-सी रेखा लगा दी जाती है, जिसे 'हल्' कहते हैं और हल्-युक्त व्यंजन या शब्द 'हलन्त' कहलाता है। जैसे यदि 'ज' बोला जाता है तो इसमें 'अ' स्वर निहित है। किन्तु यदि 'ज' को बिना स्वर के दिखाना हो तो इस 'ज' वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा (्) लगा दी जाती है। जिस का अभिप्राय यह है कि यह चिह्न जिस भी वर्ण के नीचे लगा है वह आधा वर्ण है। जैसे-

प्यार	-	प्यार	पत्ता	-	पत्ता
उज्ज्वल	-	उज्ज्वल	गन्ना	-	गन्ना
क्या	-	क्या	तथ्य	-	तथ्य

संस्कृत भाषा से आए तत्सम शब्दों में महान्, भगवान्, विद्वान् आदि में हल् चिह्न प्रयुक्त होता है किन्तु आज हिन्दी में इन शब्दों में हल् चिह्न लुप्त हो गया है और ये महान, भगवान तथा विद्वान रूपों में ही प्रयुक्त हो रहे हैं।

कुछ अन्य ध्वनियाँ

(1) **विकसित ध्वनियाँ**- हिन्दी में 'ड़' और 'ढ़' नामक दो ध्वनियाँ ऐसी हैं जो टवर्ग के अन्तर्गत आती हैं। ये क्रमश: 'ड' और 'ढ' से ही विकसित हुई हैं। संस्कृत में ये दोनों (ड़ और ढ़) ध्वनियाँ प्रयुक्त नहीं होती थीं। हिन्दी में 'ड' और 'ड़' तथा 'ढ' और 'ढ़' अलग-अलग ध्वनियाँ हैं। जैसे- अड़चन, लड़का, कड़ी, जड़ तथा तड़प आदि की 'ड़' ध्वनि डमरू, डकैत, डाक, डकार, डरावा आदि की 'ड' ध्वनि से सर्वथा भिन्न है। इसी प्रकार पढ़ना, बढ़ई, चढ़ाई, बढ़िया, मढ़ैया की 'ढ़' ध्वनि ढंग, ढलान,ढम-ढम, ढोलक, ढाँचा आदि की 'ढ' ध्वनि से भिन्न है।

विशेष- 'ड़' और 'ढ़' ध्वनियाँ शब्द के आरम्भ में प्रयुक्त नहीं होतीं। शब्द के बीच

तथा शब्दान्त में इनका प्रयोग होता है। जैसे -

(i) दो स्वरों के बीच में – कड़वा, लड़का, चढ़ना, पढ़ना।

(ii) अनुनासिकता के बाद – मूँड़न (मुंडन) साँड़, सूँड़ी, साँढ़, ढूँढ़ना।

(iii) शब्द के अंत में – जड़, कड़-कड़, आड़, बाढ़, रीढ़, पढ़

(2) आगत स्वर – हिन्दी में अंग्रेज़ी के विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनके शुद्ध उच्चारण तथा लेखन के लिए 'ऑ' ध्वनि को शामिल किया गया है। यह हिन्दी की 'ओ' ध्वनि से अलग है। डॉक्टर, ऑफिस, जॉब, कॉफी, ऑयल, कॉलेज आदि में 'ऑ' ध्वनि का प्रयोग किया जाता है।

(3) आगत व्यंजन – : अरबी, फारसी शब्दों के हिन्दी में प्रयोग के कारण क़, ख़, ग़, ज़ तथा फ़ ध्वनियाँ भी हिन्दी में प्रयुक्त होती हैं। अन्य भाषाओं से आई इन ध्वनियों को आगत व्यंजन कहते है। जैसे - क़लम, क़िला, क़िस्म, ख़ाना, ख़ामी, ख़ामोश, ग़ज़, ग़ज़ल, ग़ज़ब, सज़ा, ज़ख़्मी, मज़ा, फ़ारसी, फ़रमाइश, फ़रमान आदि। किन्तु कई बार हमारे समक्ष ऐसे दो शब्द आ जाते हैं जिनमें इन दोनों ध्वनियों के उच्चारण से अर्थ का अंतर स्पष्ट हो जाता है, तब इन ध्वनियों क़, ख़, ग़, ज़, तथा फ़ की महत्ता और भी बढ़ जाती है। जैसे -

संस्कृत / हिन्दी के शब्द	अर्थ	अरबी / फारसी के शब्द	अर्थ
कत (संस्कृत)	रीठा	क़त (अरबी)	तिरछा काटना, नोक लगाना
किरात (संस्कृत)	हिमालय की जंगली जाति	क़िरात (अरबी)	एक बहुत पुराना, छोटा सिक्का, जवाहरात तोलने का एक वजन
खान (हिन्दी)	खदान (नमक की खान, लोहे की खान आदि)	ख़ान (फ़ारसी)	सरदार, स्वामी
खाना (हिन्दी)	भोजन	ख़ाना (फ़ारसी)	घर, मकान, अलमारी आदि का ख़ाना।

गौर (संस्कृत) बाग (हिन्दी)	गोर, उज्ज्वल लगाम, रस्सी (घोड़े की)	गौर (अरबी) बाग (फ़ारसी)	सोच विचार, चिंतन उपवन, बगीचा
सजा (हिन्दी)	सजाना	सज़ा (फ़ारसी)	दंड
गरज (हिन्दी)	ध्वनि, जैसे बादल गरजना	ग़रज़	स्वार्थजन्य इच्छा, आवश्यकता
फलक (संस्कृत)	तख़्ता, पटल (ब्लैक-बोर्ड)	फ़लक	आकाश
फन (हिन्दी) फण (संस्कृत)	साँप का सिर	फ़न (अरबी)	हुनर, कला, गुण

वर्णों के उच्चारण – स्थान

मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है –

क्रमांक	वर्ण	उच्चारण – स्थान	वर्णों के नाम
(1)	अ आ ऑ क् ख् ग् घ् ङ् क़ ख़ ग़	कंठ (गला) (कोमल तालु)	कंठ्य
(2)	इ ई च् छ् ज् झ् ञ् य् श्	तालु	तालव्य
(3)	ऋ ट् ठ् ड् ढ् ण् र् ष् ड़ ढ़	मूर्धा (तालु के ऊपर का भाग)	मूर्धन्य
(4)	त् थ् द् ध्	दंत	दंत्य
(5)	न् ल् स् ज़ ज़	वर्त्स (दाँत और मसूड़े के मिलने की जगह)	वर्त्सर्य
(6)	उ ऊ प् फ् ब् भ् म्	ओष्ठ (दोनों होंठ)	ओष्ठ्य
(7)	अं अँ ङ् ञ् ण् न् म्	नासिका (नाक अधिक मुँह कम)	नासिक्य
(8)	ए ऐ	कंठ और तालु	कंठतालव्य

(9)	ओ औ	कंठ और ओष्ठ	कंठौष्ठ्य
(10)	व फ फ़	दंत और ओष्ठ	दंतौष्ठ्य
(11)	ह	स्वरयंत्र	स्वरयंत्रीय

हिन्दी वर्णों के प्रयत्न

वर्णों का उच्चारण करते समय जो प्रयत्न करना होता है, उसे प्रयत्न कहते हैं। इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि उच्चारण अवयव किस स्थिति या गति में है। प्रयत्न के आधार पर हिन्दी वर्णों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया गया है -

(1) स्वर

(क) जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का विभाजन

(i) **अग्र** – जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, वे अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे - इ, ई, ए, ऐ।

(ii) **मध्य** – जिस स्वर का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे - अ, आ।

(iii) **पश्च** – जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है, वे पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे - अ, ऑ, उ, ऊ, ओ, औ ।

(ख) ओष्ठों (होंठों) की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन

(i) **वृतमुखी** - जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होंठ वृतमुखी (गोलाकार) हो जाते हैं, वे वृतमुखी स्वर हैं। जैसे - ऑ, उ, ऊ, ओ, औ।

(ii) **अवृतमुखी** - जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों की स्थिति गोलाकार नहीं होती, उन्हें अवृतमुखी स्वर कहते हैं। जैसे - अ, आ, इ, ई, ए, ऐ।

(2) व्यंजन

हिन्दी व्यंजनों को प्रयत्न की दृष्टि से निम्नलिखित आठ भागों में विभाजित किया जाता है -

(i) **स्पर्शी** – जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए फेफड़ों से आई हुई वायु किसी अवयव (अंग) को स्पर्श करती हुई बाहर निकले, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे - क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ तथा क़।

(ii) संघर्षी – जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए दो अवयव स्पर्श न करें अपितु इतने समीप आ जाएँ कि वायु मुख से घर्षणपूर्वक बाहर निकल जाए, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते है। जैसे – श ष स ह ख़ ग़ ज़ फ़।

(iii) स्पर्श – संघर्षी – जिन व्यंजनों का उच्चारण शुरू में तो स्पर्शी – सा हो और अंत में संघर्षी – सा हो जाए, उन्हें स्पर्श – संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे – च छ ज झ।

(iv) नासिक्य – जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख्यत: नाक से निकले, उन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं। जैसे – ङ, ञ, ण, न, म।

(v) पार्श्विक – जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ का अग्र भाग मसूड़े को छुए और वायु पार्श्व (बगल) से निकल जाए, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे – ल।

(vi) उत्क्षिप्त – जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके एक झटके से नीचे गिरती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे – ड़, ढ़।

(vii) प्रकंपित – जिस व्यंजन के उच्चारण के समय वायु जीभ को दो तीन बार प्रकंपित करती (कँपाती) हुई निकले, उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जैसे – र।

(viii) संघर्ष हीन या अर्द्ध स्वर – जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु बिना रगड़ खाए बाहर निकलती है उन्हें संघर्ष हीन व्यंजन कहते हैं। इन्हें अर्द्धस्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में थोड़ी सी वायु स्वरों की भाँति बिना संघर्ष के निकलती है। इनकी संख्या दो है – य, व।

(3) श्वास – वायु (प्राण – वायु) के आधार पर वर्णों का विभाजन – इस आधार पर वर्णों को दो भागों में बाँटा जाता है –

(i) अल्पप्राण – जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास – वायु अल्प (कम) मात्रा में बाहर निकले, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। जैसे – सभी वर्गों के पहले, तीसरे और पाँचवें वर्ण –

वर्ग	पहला वर्ण	तीसरा वर्ण	पाँचवाँ वर्ण
कवर्ग	क	ग	ङ
चवर्ग	च	ज	ञ
टवर्ग	ट	ड	ण
तवर्ग	त	द	न

पवर्ग	प	व	म
तथा	य	र	ल और व

(ii) **महाप्राण** – जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास-वायु अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में बाहर निकले, उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे- सभी वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण-

वर्ण	दूसरा वर्ण	चौथा वर्ण
कवर्ग	ख	घ
चवर्ग	छ	झ
टवर्ग	ठ	ढ
तवर्ग	थ	ध
पवर्ग	फ	भ
तथा	श	ष, स और ह

(4) स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों का विभाजन – सभी के गले (कण्ठ) में एक 'स्वर यंत्र' होता है जिसमें माँसपेशियों से निर्मित दो झिल्लियाँ होती हैं, जिन्हें 'स्वरतंत्रियाँ' कहते हैं। स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के दो भाग हैं-

(i) **घोष या सघोष** – जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों से हवा टकरा कर बाहर निकलती है, उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। जैसे- सभी वर्णों के अंतिम तीन-तीन व्यंजन अर्थात् तीसरा, चौथा और पाँचवाँ वर्ण-

वर्ग	तीसरा वर्ण	चौथा वर्ण	पाँचवाँ वर्ण
कवर्ग	ग	घ	ङ
चवर्ग	ज	झ	ञ
टवर्ग	ड	ढ	ण
तवर्ग	द	ध	न
पवर्ग	ब	भ	म

इनके अतिरिक्त य र ल व ह ड़ ढ़ ज़ ग़ भी सघोष वर्ण हैं।

(ii) **अघोष** – जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में श्वास वायु के कारण कंपन नहीं होता तथा जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियाँ दूर-दूर रहती हैं, उन्हें अघोष कहते हैं। जैसे- सभी वर्गों के पहले दो वर्ण अर्थात् पहला और दूसरा वर्ण।

वर्ग	पहला वर्ण	दूसरा वर्ण
कवर्ग	क	ख
चवर्ग	च	छ
टवर्ग	ट	ठ
तवर्ग	त	थ
पवर्ग	प	फ

इनके अतिरिक्त श ष स क़ तथा फ़ भी अघोष वर्ण हैं।

उच्चारण सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण बातें

हिन्दी में कुछ ध्वनियों का उच्चारण भिन्न-भिन्न तरीके से किया जाता है जिसके कारण बोलने में एकरूपता नहीं रहती। यहाँ हिन्दी में सभी स्तरों पर जो रूप मान्य हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है-

(1) हिन्दी में 'ऐ' का उच्चारण विभिन्न तरह से किया जाता है। जैसे-

(i) ऐ को ए के रूप में - केसा, वेसा, पेसा।
(ii) ऐ को अए के रूप में - कएसा, वएसा, पएसा।
(iii) ऐ को अइ के रूप में - कइसा, वइसा, पइसा।

जबकि इसका मानक रूप है - ऐ (पैसा, कैसा, वैसा)

इसी तरह 'औ' का उच्चारण भी विभिन्न तरह से होता है। जैसे-

(i) औ को ओ के रूप में - ओरत, ओषधि, ओर।
(ii) औ को ॲओ के रूप में - ॲओरत, ॲओषधि, ॲओर।
(iii) औ को अउ के रूप में - अउरत, अउषधि, अउर

जबकि इसका मानक रूप है - औ (औरत, औषधि तथा और)

विशेष – किन्तु यदि 'ऐ' के बाद 'य' आ जाए तो 'ऐ' के स्थान पर 'अइ' तथा यदि 'औ' के बाद 'व' आ जाए तो 'औ' के स्थान पर 'अउ' ध्वनि को उच्चरित रूप में मानक माना गया है। जैसे-

लिखित रूप	उच्चरित रूप
गैया	गइया
नैया	नइया
तैयार	तइयार
भैया	भइया
कौवा	कउआ
हौवा	हउआ

(2) हिन्दी उच्चारण की मुख्य विशेषता यह है कि शब्दांत में 'अ' का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे –

लिखित रूप	उच्चरित रूप
गोपाल	गोपाल् (ग्+ओ+प्+आ+ल्)
राम	राम् (र्+आ+म्)
सूरज	सूरज् (स्+ऊ+र्+अ+ज्)

(3) तीन अक्षरों वाले शब्द में जब अंतिम अक्षर दीर्घ स्वर आ जाता है तो बीच का अक्षर आधे व्यंजन के रूप (हलन्त रूप) में उच्चरित होता है जो कि गानक है। जैसे –

लिखित रूप	उच्चरित रूप
कामना	काम्ना/काम्ना (क्+आ+म्+न्+आ)
साधना	साध्ना/साध्ना (स्+आ+ध्+न्+ आ)
जनता	जन्ता/जन्ता (ज्+अ+न्+त्+आ)
पालतू	पाल्तू/पाल्तू (प्+आ+ल्+त्+ऊ)

(4) क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव के कारण 'य' का उच्चारण कई लोग 'ज' करते हैं। जैसे –

शुद्ध रूप	अशुद्ध रूप
यहाँ	जहाँ
यमुना	जमुना
यू एस ऐ	जू एस ऐ
यू के	जू के
ये	जे
यह	जह

(5) 'ष' का उच्चारण स्थल 'मूर्धा' है। हालाँकि यह एक कष्टदायक प्रयास होता है किन्तु अपनी सरलता के लिए शुद्ध उच्चारण की हत्या करते हुए कई लोग मूर्धा 'ष' के स्थान पर तालव्य 'श' का उच्चारण करते है। जैसे –

शुद्ध रूप	अशुद्ध रूप
कृषि	कृशि
विशेष	विशेश

वर्षा	वर्शा
भविष्य	भविश्य
विष	विश
षट्कोण	शट्कोण

(6) 'ज्ञ' संस्कृत की संयुक्त ध्वनि है। 'ज्ञ' वर्ण वाले संस्कृत के शब्दों को हिन्दी में तत्सम रूप में स्वीकार किया जाता है। 'ज्ञ' ज् + ञ् ध्वनियों से मिलकर बना है किन्तु इसके निम्नलिखित रूप बोले जाते हैं। जैसे –

(i) ज् + ञ हलन्त = ज्ञ (ii) ग् + य = ग्य

(iii) ग् + यँ = ग्यँ (vi) ज् + य = ज्य

इनमें पहले और दूसरे स्थान के उच्चारणों अर्थात 'ज्ञ' और 'ग्य' को स्वीकार किया गया है। जैसे –

लिखित रूप	उच्चरित रूप
ज्ञान	ग्यान, ज्ञान
ज्ञापन	ग्यापन, ज्ञापन
ज्ञानार्जन	ग्यानार्जन, ज्ञानार्जन
विज्ञान	विग्यान, विज्ञान

यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से 'ज्ञ' का उच्चारण 'ज्ञ' अधिक ठीक लगता है, पर प्रयोग की दृष्टि से 'ग्य' उच्चारण अधिक रूढ़ होता जा रहा है।

(7) जिन शब्दों में 'अह' का क्रम होता है उनमें 'अह' का 'ऐह' उच्चारण मानक माना गया है। जैसे –

लिखित रूप	उच्चरित रूप
यह	यैह
शहर	शैहर
कहता	कैहता
रहना	रैहना
नहर	नैहर
बहन	बैहन
नहलाना	नैहलाना
सहन	सैहन

(8) 'क्ष' के स्थान पर सरलता अथवा अज्ञानतावश लोग 'च्छ' या 'छ' का उच्चारण करते हैं जो कि सर्वथा गलत है।

शुद्ध रूप	अशुद्ध रूप
क्षत्रिय	छत्रिय
विपक्ष	विपच्छ
कक्षा	कच्छा
रक्षक	रच्छक

(9) कुछ लोग महाप्राण की ध्वनियों को भी सरलता या अज्ञानतावश अल्पप्राण की ध्वनियों के रूप में उच्चारण करते हैं। जैसे- घ, झ, ढ, ध, भ महाप्राण ध्वनियों की जगह क्रमशः ग, ज, ड, द, ब अल्पप्राण ध्वनियाँ उच्चरित करते हैं, जो कि सर्वथा गलत है।

शुद्ध रूप	अशुद्ध रूप
घर	गर
घरेलू	गरेलू
झंडा	जंडा
झरना	जरना
ढक्कन	डक्कन
ढोलक	डोलक
धन	दन
धर्म	दर्म
धाँधली	दाँदली
भालू	बालू
भविष्य	बविष्य
भवन	बवन

विशेष – इनका केवल उच्चारण ही गलत नहीं होता अपितु अनेक बार इनको गलत लिख भी दिया जाता है।

(10) जिन शब्दों के शुरू में 'स्' संयुक्त रूप में आए तो उनके पहले न तो 'इ' या 'अ' बोलना चाहिए और न ही लिखना चाहिए- स्त्रियाँ, स्कूल, स्टेशन तथा स्थिरता शब्द शुद्ध हैं जबकि इस्त्रियाँ, इस्कूल अस्टेशन, इस्थिरता शब्द उच्चारण दृष्टि से ही नहीं अपितु लेखन दृष्टि से भी अशुद्ध हैं।

(11) 'स्' को 'स' रूप में उच्चरित नहीं करना चाहिए जैसे- स्कूल, स्टेशन, स्तुति, स्नान शब्दों को सकूल, सटेशन, सतुति, सनान रूप में उच्चरित करना अशुद्ध है।

अक्षर बोध

आमतौर पर 'अक्षर' शब्द का प्रयोग स्वरों तथा व्यंजनों के लिपि-चिह्नों के लिए किया जाता है। जैसे-'आपके अक्षरों की बनावट बहुत ही खूबसूरत है।' परन्तु व्याकरण में ध्वनि की उस छोटी सी इकाई को अक्षर कहा जाता है जिसका उच्चारण एक ही झटके से किया जाता है। स्वतन्त्र रूप से उच्चरित हो सकने के कारण सभी स्वर अक्षर होते हैं परन्तु स्वतन्त्र रूप से उच्चरित न होने के कारण व्यंजनों को 'अक्षर' नहीं कह सकते। उन्हें तभी अक्षर कहा जाएगा जब उनमें स्वर निहित होगा। एक अक्षर में एक ही स्वर होता है जबकि व्यंजन एक से अधिक हो सकते हैं। अत: हिन्दी में एकाक्षरी व अनेकाक्षरी शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे-

एक अक्षरी शब्द - आ, खा, जा, जो, सो, तो, क्या
दो अक्षरी शब्द - आओ, कवि, लेख, पीला, नोक
तीन अक्षरी शब्द - औरत, भागना, कविता, लेखक, कमाल, मिठाई
चार अक्षरी शब्द - मनोहर, समझाना, नमकीन, जादूगर, बनावट
पाँच अक्षरी शब्द - घबराहट, चमकदार, प्रतिभाशाली, चिंताजनक
छः अक्षरी शब्द - परमोपयोगी, मनोवैज्ञानिक, बहुलीकरण, मानकीकरण

हिन्दी में छः और इस से अधिक अक्षरों वाले शब्द बहुत कम प्रयुक्त होते हैं।

हिन्दी वर्तनी

लेखन व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न ध्वनियों के लिपि चिह्नों तथा उनको आपस में मिलाकर कैसे लिखा जाए-इस पर विचार किया जाता है। इसी लेखन व्यवस्था को ही 'वर्तनी' कहते हैं। शुद्ध भाषा-ज्ञान में वर्तनी को ठीक बनाने के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा-

(1) **हिन्दी देवनागरी की वर्ण रचना का समुचित ज्ञान**- सर्वप्रथम वर्णमाला में प्रयुक्त सभी वर्णों का समुचित ज्ञान होना चाहिए। हिन्दी की देवनागरी लिपि में कुछ वर्णों के दो -दो रूप लेखन में प्रचलित हैं। इसके कारण हिन्दी तथा हिंदीतर भाषा भाषियों को भ्रम तथा परेशानी का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार ने हिंदी भाषा के लिए देवनागरी वर्णों, उनके संयुक्त रूपों तथा संख्यावाची शब्दों के मानक रूप निश्चित किए हैं। अत: लेखन में निम्नलिखित मानक वर्णों का ही प्रयोग करना चाहिए तभी वर्तनी में एकरूपता व सरलता आएगी।

(i) स्वरों का मानक रूप

मानक वर्ण	मात्रा	मानकेतर रूप	मानक वर्ण	मात्रा	मानकेतर रूप
अ	कोई मात्रा नहीं	अ	ए	े	अे, ए
आ	ा	आ	ऐ	ै	अै, ऐ
इ	ि	अ, अि	ओ	ो	ओ
ई	ी	अी, ई	औ	ौ	औ
उ	ु	अु, उ	अं	ं	अं
ऊ	ू	अू, ऊ	अः	ः	अः
ऋ	ृ	अृ			

(ii) व्यंजनों का मानक रूप

मानक वर्ण	मानकेतर वर्ण	मानक वर्ण	मानकेतर वर्ण
क	-	ध	ध
ख	ख	न	-
ग	-	प	-
घ	-	फ	-
ङ	-	ब	-
च	-		
छ	-		भ
ज	-	म	-
झ	झ	य	-
ञ	-	र	-
ट	-	ल	ल
ठ	-	व	-
ड		श	श
ढ	-	ष	-
ण	रण	स	-
त	-	ह	
थ	-	क्ष	ढ
द	-	त्र	
		ज्ञ	
		श्र	

(2) स्वरों को लिखने की विधि – स्वरों को दो तरीके से प्रयुक्त किया जाता है – स्वतन्त्र रूप में और मात्रा – रूप में।

(i) स्वतन्त्र रूप में – जब स्वर का उच्चारण व्यंजन से पहले होता है या व्यंजन के साथ शब्द के बीच में या अंत में आकर भी उसके (व्यंजन के) उच्चारण में कोई सहायता नहीं करता, वह उसका (स्वर का) स्वतन्त्र रूप कहलाता है। जैसे –

(क) शब्द के शुरू में स्वर का स्वतंत्र रूप में प्रयोग – असली, आठ, इस, ईख, उल्लू, ऊपर, ऋण, एक, ऐनक, ओज, औरत।

(ख) शब्द के मध्य में स्वर का स्वतंत्र रूप में प्रयोग – बाइस, माइक, पाइप, पाउडर, साउथ, हाइड्रोजन, बेईमान, फ़ाइल।

(ग) शब्द के अंत में स्वर का स्वतंत्र रूप में प्रयोग – भाई, कई, हुई, सूई, साँई।

(ii) व्यंजन के साथ मिलने पर मात्रा रूप में – जब स्वर का उच्चारण व्यंजन के बाद उच्चारण में उसकी (व्यंजन की) सहायता करता है, तो वहाँ वह (स्वर) मात्रा के रूप में प्रयुक्त होता है। स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं तो उनकी मात्राएँ ही लगती हैं।

विशेष (क) 'अ' की अलग से कोई मात्रा नहीं होती। अत: 'अ' से रहित व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं –

क्, ख्, ग्, घ्, ङ् आदि।

(ख) 'अ' के साथ मिलाकर व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं।

क, ख, ग, घ, ङ आदि।

स्वरों के मात्रा – रूप निम्नलिखित हैं –

स्वर	मात्रा – चिह्न	प्रयोग (मात्रा का संयुक्त रूप)
अ	कोई मात्रा नहीं	क्+अ = क
आ	ा	क्+आ = का
ऑ	ॉ	क्+ऑ = कॉ
इ	ि	क्+इ = कि
ई	ी	क्+ई = की
उ	ु	क्+उ = कु
ऊ	ू	क्+ऊ = कू

ऋ	ृ	क्+ऋ = कृ
ए	े	क्+ए = के
ऐ	ै	क्+ऐ = कै
ओ	ो	क्+ओ = को
औ	ौ	क्+औ = कौ

इसी तरह अं तथा अः 'अयोगवाह' वर्णों का भी मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। जैसे–

अं	ं	क्+अं = कं
अः	ः	क्+अः = कः

इसी तरह अनुनासिक की मात्रा 'ँ' (चन्द्रबिन्दु) है, इसका मात्रा के रूप में प्रयोग देखिए–

अँ	ँ	क्+अँ = कँ

विशेष–'र्' व्यंजन में 'उ' तथा 'ऊ' की मात्राएँ थोड़ी भिन्न रूप से लगती हैं। 'र्' में 'उ' तथा 'ऊ' मात्राएँ उसके सामने लगती हैं, नीचे नहीं। जैसे–

(i) 'र' में 'उ' की मात्रा का प्रयोग–

वर्ण	मात्रा	प्रयोग
र	ु	रु

जैसे– रुपया, गुरु, कुरु, विरुद्ध तथा मारुति आदि में 'र्' में उ की मात्रा (ु) का प्रयोग किया गया है।

(ii) 'र' में 'ऊ' की मात्रा का प्रयोग

वर्ण	मात्रा	प्रयोग
र्	ू	रू

जैसे– रूप, सरूप, बारूद, सरूर, शुरू तथा शुरूआत आदि में 'र्' में 'ऊ' की मात्रा (ू) का प्रयोग किया गया है।

(3) संयुक्त व्यंजनों के लेखन की विधि–वर्णमाला में व्यंजनों के रूप दर्शाए गए हैं किन्तु व्यंजनों का स्वरों से रहित भिन्न प्रकार से प्रयोग होता है। स्वर से रहित व्यंजन या तो हलन्त (हल्) कर दिए जाते हैं या अगले व्यंजन के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं, जिसे 'वर्णों' को संयुक्त' करना कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन से संयोग निम्नलिखित ढंग से किया जाता है–

(i) खड़ी पाई (।) पर समाप्त होने वाले व्यंजन– देवनागरी हिन्दी में अधिकतर व्यंजनों के अंत में एक खड़ी रेखा मिलती है, जिसे पाई (।) कहते हैं। वे व्यंजन इस प्रकार हैं– ख ग घ च ज ञ झ ण त थ ध न प ब भ म य ल व स श तथा ष।

जब ये खड़ी पाई वाले व्यंजन किसी आगे आने वाले व्यंजन से मिलते हैं तो इनकी खड़ी पाई हटा दी जाती है और शेष बचे हुए व्यंजन ख(ख), ग(ग), घ(घ), च(च), ज(ज), ञ (ञ) ण(ण), त(त), थ(थ), ध(ध), न(न), प(प), ब(ब), भ(भ), म(म), य(य), ल(ल), व(व), स(स), श(श), ष(ष) को आगे आने वाले व्यंजन के साथ मिलाकर लिख दिया जाता है। जैसे–

ख्+य = ख्य (ख्याति), ग्+ल = ग्ल(ग्लानि), च्+य = च्य (वाच्य), प्+त = प्त (सप्त), भ्+य = भ्य(सभ्य), म्+य = म्य (रम्य), य्+य= य्य(शय्या), शय्या का अर्थ = (बिछौना) ल्+ल = ल्ल (पल्लव), व्+य = व्य (सेव्य), श्+त = श्त (किश्त), ष्+ट =(पुष्ट), ष्+ठ= ष्ठ (निष्ठुर), स्+त= स्त (अस्त) इसी तरह ख्याल, ग्यारह, ज्योति, पत्नी, कथ्य, सब्जी, प्यारा, काम्य शब्दों में भी इन व्यंजनों के संयुक्त रूपों का प्रयोग हुआ है।

(ii) वे व्यंजन जिनके मध्य में खड़ी पाई प्रयुक्त होती है– 'क' और 'फ' ऐसे व्यंजन हैं, जिनके मध्य में खड़ी पाई प्रयुक्त होती है। इन वर्णों को जब अगले वर्ण से मिलाकर लिखते हैं तो खड़ी पाई के बाद के भाग से केवल नीचे का हिस्सा हटा देने से शेष व्यंजन (क, फ) को अगले वर्ण से मिलाकर लिख दिया जाता है। जैसे क्+ल= क्ल (क्लेश) फ्+य = फ्य (फ्यूज) अन्य उदाहरण– क्लब, क्लांत, क्लिष्ट, क्लीव, क्लेम, क्लोरीन, फ्लैश, फ्लांइग, फ्लास्क, फ्लू।

विशेष – खड़ी पाई वाले कुछ व्यंजनों (चाहे पाई अंत में हो या मध्य में) के दो–दो रूप मिलते हैं। इसीलिए यहाँ मानक और मानकेतर दोनों रूपों को नीचे दिया जा रहा है–

संयुक्त रूप	मानक रूप	मानकेतर रूप
त्+त	त्त (पत्ता, गत्ता)	त्त (पत्ता गत्ता)
न्+न	न्न (गन्ना, पन्ना)	न्न (गन्ना, पन्ना)
श्+च	श्च (निश्चित,पश्चिम)	श्च (निश्चित, पश्चिम)
श्+व	श्व (ईश्वर, महेश्वर)	श्व (ईश्वर , महेश्वर)
श्+न	श्न (प्रश्न, प्रश्नोत्तर)	श्न (प्रश्न, प्रश्नोत्तर)
क्+ त	क्त (वक्ता, सशक्त)	क्त (वक्ता, सशक्त)

(iii) खड़ी पाई रहित व्यंजन – (र् को छोड़कर) छ ट ठ ड ढ द ह - ये बिना पाई वाले व्यंजन है। बिना पाई वाले इन व्यंजनों को जब अगले व्यंजन से मिलाकर लिखा जाता है तो इनके नीचे हलन्त (्) लगा दिया जाता है और अगले व्यंजन से मिलाकर लिख दिया जाता है इसके भी दो - दो रूप प्रचलित हैं इसलिए यहाँ मानक और मानकेतर दोनों रूपों को नीचे दिया जा रहा है -

संयुक्त रूप	मानक रूप	मानकेतर रूप
ट् + ट = ट्ट	मिट्टी	मिट्टी
ट् + ठ = ट्ठ	चिट्ठी	चिट्ठी
ड् + ड = ड्ड	लड्डू	लड्डू
ड् + ढ = ड्ढ	गड्ढा	गड्ढा
ड् + ग = ड्ग	खड्ग	खड्ग
द् + ध = द्ध	शुद्ध	शुद्ध
द् + भ = द्भ	अद्भुत	अद्भुत
द् + व = द्व	द्वारा	द्वारा
द् + य = द्य	विद्या	विद्या
ह् + न = ह्न	आह्वान	आह्वान
ह् + म = ह्म	ब्राह्मण	ब्राह्मण
ह् + य = ह्य	बाह्य	बाह्य
ह् + ल = ह्ल	आह्लाद	आह्लाद
ह् + न = ह्न	चिह्न	चिह्न

इन मानक रूपों का निर्धारण टंकण, मुद्रण तथा लेखन में एकरूपता व सुविधा की दृष्टि से किया गया है।

(iv) 'र' व्यंजन के संयुक्त रूप –

(क) हलन्त 'र्' अर्थात् स्वर रहित 'र्' अपने से अगले व्यंजन पर 'रेफ' (◌ॅ) के रूप में प्रयुक्त होता है - र्+म = र्म (कर्म) इसी तरह धर्म, मर्म, चर्म, कार्य, वर्ष, कर्क तथा शर्त आदि में हलन्त 'र्' अपने से अगले वर्ण के ऊपर लग जाता है।

रेफ का अर्थ= शब्द के बीच में आने वाला 'र्' का ठीक बाद वाले स्वरांत व्यंजन के ऊपर लगा रूप 'रेफ' (◌ॅ) कहलाता है।

(ख) जब 'र' से पहले हलन्त व्यंजन (आधा वर्ण) हो तो यह उसके नीचे लिखा जाता है और उसका हलन्त हट जाता है।

प्+र = प्र (प्रणाम) व्+ र = व्र (व्रत) आदि।

(ग) टवर्ग व्यंजनों में 'ट्' और 'ड्' के साथ र (्) रूप में प्रयुक्त होता है इस में अंग्रेज़ी से हिन्दी भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द ही आते हैं। जैसे - ट्+र=ट्र (ट्रेन) ड् + र = ड्र (ड्रम)।

अन्य उदाहरण – ट्रक, ट्रस्ट, ट्रॉफी, ट्रायल, ट्रे, ट्रेजडी, ट्रैक्टर, ड्राइंग, ड्राइवर, ड्राफ्ट, ड्रामा, ड्रिल, ड्रेस आदि।

(घ) यदि 'र' से पहले हलन्त 'त्' हो तो उसका रूप 'त्र' बनता है। किन्तु त्+र = 'त्र' रूप काफी प्रचलित है। जैसे - त्+र= त्र या त्र (स्त्री, स्त्री) त्+र = त्र या त्र (शस्त्र, शस्त्र)।

अन्य उदाहरण – मित्र/मित्र, शास्त्र/शास्त्र, पत्र/ पत्र, चरित्र/ चरित्र आदि

(ङ) यदि 'र' से पहले 'श्' हलन्त हो तो श्+ र को 'श्र' रूप में लिखते हैं। जैसे -श्+ र = श्र (श्रमिक)।

अन्य उदाहरण – श्रद्धा, परिश्रम, श्रवण, श्रीमान, श्रेष्ठ आदि।

(च) स्+ त्र को संयुक्त करने पर 'स्त्र' रूप बनता है। जैसे - स्+ त्र =स्त्र (शस्त्र)।

विशेष (i) स् +र = 'स्र' रूप बनता है। जैसे - सहस्र किन्तु स् +र = 'स्र तथा स्+त्र = 'स्त्र' को लोग एक सा ही समझ लेते हैं और उनका उच्चारण भी गलत करते हैं जैसे - : स् + र = 'स्र' से बने शब्द 'सहस्र' (हज़ार) को लोग भ्रम के कारण 'स्त्र' से बना अर्थात सहस्त्र (सहस्त्र) लिखते और पढ़ते हैं। सत्य तो यह है कि 'सहस्र' में 'त्' वर्ण ही नहीं है। इसी प्रकार स्रोत (साधन, आधार, जलप्रवाह, धारा) शब्द को भी लोग 'स्त्रोत' रूप में बोलते हैं व लिखते हैं जबकि स्रोत(स्रोत) शब्द है स्त्रोत (स्त्रोत) नहीं है।

(ii) 'र' के साथ 'ऋ' की मात्रा (ृ) का प्रयोग नहीं होता।

(छ) संस्कृत के कुछ व्यंजन संयुक्त रूप में अपना पूरा रूप बदल लेते हैं । उनका हिन्दी में भी तत्सम रूप में प्रयोग किया जाता है।

(v) पूरा रूप बदलने वाले व्यंजन –

क् + ष = क्ष (क्षत्रिय, क्षेत्र, पक्ष, सुरक्षा, दक्ष, चक्षु आदि। 'क्ष' का एक और रूप ' क्ष ' भी प्रचलित है जिसे मानक नहीं माना गया है।

त् +र = त्र (इसका विवेचन ऊपर किया गया है)

ज् +ञ = ज्ञ (ज्ञानी, ज्ञापन, ज्ञाता, ज्ञानेंद्रिय, ज्ञप्ति, ज्ञेय आदि)

श् +र = श्र (इसका विवेचन ऊपर किया गया है)

(vi) 'ज्ञ' के सम्बन्ध में विशेष टिप्पणी

चूंकि ज्+ञ ='ज्ञ' संस्कृत की संयुक्त ध्वनि है इसलिए संस्कृतनिष्ठ भाषा बोलने वाले इसे 'ज्ञ' रूप में उच्चरित करते हैं किन्तु हिन्दी-भाषी लोग इसको 'ग्य' रूप में उच्चरित करते हैं । दोनों ही रूप मानक माने गए हैं।

(vii) 'ऋ' एक स्वर है। जब 'ऋ' से पूर्व हलन्त 'श्' आता है तो इनका संयुक्त रूप भी पूरी तरह बदल जाता है। जैसे-

श् + ऋ = शृ (शृंगाल, शृंग, शृंगार, शृंगारिक, शृंखला आदि) ये सभी संस्कृत भाषा के शब्द हैं, इन्हें हिन्दी में तत्सम रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

(viii) द्वित्व वर्ण – जब एक व्यंजन दो बार आ जाए तो उसे द्वित्व रूप में लिखेंगे। द्वित्व व्यंजनों में पहला व्यंजन स्वर रहित (आधा) तथा दूसरा स्वर युक्त होता है। जैसे-

क्+ क = क्क (पक्का, चक्का, मक्का, चक्की, हक्का, पक्की)

च्+ च = च्च (कच्चा, बच्चा, सच्चा, सच्ची, लुच्चा)

ट् +ट = ट्ट (मिट्टी, खट्टी, लट्टू)

ड् +ड = ड्ड (लड्डू, खड्डा, हड्डी)

त् +त = त्त (पत्ता, रत्ती)

द् + द = द्द (गद्दी, रद्दी)

अपवाद – 'उज्ज्वल' में दोनों 'ज' बिना स्वर के अर्थात ज् (ज) रूप में आते हैं।

विशेष – किसी भी वर्ग के दूसरे तथा चौथे वर्णों का द्वित्व नहीं होता परन्तु जहाँ इनके द्वित्व होने का आभास मिलता है वहाँ वर्ग के पहले-दूसरे तथा तीसरे-चौथे वर्णों का संयोग ही समझना चाहिए। जैसे-

पहले-दूसरे वर्णों का संयोग – मच्छर, पत्थर, इनमें 'मच्छर' में 'छ' तथा 'पत्थर' में 'थ' वर्ण के द्वित्व होने का आभास होता है। चूंकि किसी भी वर्ग के दूसरे वर्ण को द्वित्व नहीं होता है इसलिए 'छ' के साथ उसी वर्ग का पहला वर्ण 'च्' तथा 'थ' के साथ उसी वर्ग का पहला वर्ण 'त्' जोड़ दिया गया है।

दूसरे चौथे वर्णों का संयोग – बग्घी, शुद्ध – इनमें 'बग्घी' में 'घ' तथा 'शुद्ध' में 'ध' के द्वित्व का आभास हो रहा है। चूंकि किसी भी वर्ग के चौथे वर्ण का द्वित्व नहीं होता इसलिए 'घ' के साथ उसी वर्ग का तीसरा वर्ण 'ग्' जोड़ दिया गया है और 'ध' के साथ उसी वर्ग का तीसरा वर्ण 'द्' जोड़ दिया गया है।

(4) हल् चिह्न का प्रयोग –

संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यतःसंस्कृत रूप ही रखा जाए, परंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिन्दी में हल् चिह्न लुप्त हो चुका है, उनमें उसको फिर से लगाने का यत्न न किया जाए, जैसे – 'महान्' 'विद्वान' आदि के 'न' में।

(5) हाइफन (योजक) का प्रयोग –

हाइफन (योजक) (-) का विधान स्पष्टता के लिए किया गया है।

(क) द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए। जैसे – राम – लक्ष्मण, सुख – दुःख, सर्दी – गर्मी, खाना – पीना, लक्ष्मण – परशुराम – संवाद।

(ख) सा, जैसा आदि से पूर्व हाइफन रखा जाए, जैसे – तुम – सा, गरीब – सा, फूल – जैसा कोमल।

(ग) सामान्यतः तत्पुरुष समास में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे – रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आदि।

(6) हिन्दी के संख्यावाचक शब्दों की एकरूपता –

संख्यावाचक शब्दों के उच्चारण और लेखन में प्रायः एकरूपता का अभाव दिखाई देता है। संख्यावाचक शब्दों का स्वीकृत मानक रूप इस प्रकार है –

एक से सौ तक संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप

एक	दो	तीन	चार	पाँच	छह	सात
आठ	नौ	दस	ग्यारह	बारह	तेरह	चौदह
पंद्रह	सोलह	सत्रह	अठारह	उन्नीस	बीस	इक्कीस
बाईस	तेईस	चौबीस	पच्चीस	छब्बीस	सताईस	अट्ठाईस
उनतीस	तीस	इकतीस	बत्तीस	तैंतीस	चौंतीस	पैंतीस
छत्तीस	सैंतीस	अड़तीस	उनतालीस	चालीस	इकतालीस	बयालीस
तैंतालीस	चवालीस	पैंतालीस	छियालीस	सैंतालीस	अड़तालीस	उनचास
पचास	इक्यावन	बावन	तिरपन	चौवन	पचपन	छप्पन
सत्तावन	अठावन	उनसठ	साठ	इकसठ	बासठ	तिरसठ
चौंसठ	पैंसठ	छियासठ	सड़सठ	अड़सठ	उनहत्तर	सत्तर

इकहत्तर	बहत्तर	तिहत्तर	चौहत्तर	पचहत्तर	छिहत्तर	सतहत्तर
अठहत्तर	उनासी	अस्सी	इक्यासी	बयासी	तिरासी	चौरासी
पचासी	छियासी	सतासी	अठासी	नवासी	नब्बे	इक्यानवे
बानवे	तिरानवे	चौरानवे	पचानवे	छियानवे	सतानवे	अठानवे
निन्यानवे	सौ					

हिन्दी मानक अंक : १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०

भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

विशेष : संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप प्रयुक्त होगा, किन्तु राष्ट्रपति, संघ के किसी भी राजकीय प्रयोजनों के लिए साथ ही देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकते हैं।

व्याकरणिक नियमों की जानकारी

व्याकरणिक नियमों की जानकारी के अभाव के कारण भी वर्तनी दोष उत्पन्न होता है। ये दोष मुख्यत: ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के ही होते हैं। उपसर्ग - प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक, संधि आदि कारणों से शब्दों के रूपों में परिवर्तन आता है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत शब्द की किसी ध्वनि में भी स्वत: ही विकार आता है। अत: रूप परिवर्तन के नियमों की जानकारी के अभाव के कारण वर्तनी में अशुद्धियों की संभावना बनी रहती है।

विभिन्न व्याकरणिक नियमों की जानकारी अगले अध्यायों में दी जाएगी। यहाँ संक्षेप में उन व्याकरणिक नियमों के बारे में बतलाया जा रहा है जिनका ज्ञान न होने के कारण वर्तनी में अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे -

(1) **उपसर्ग** – उपसर्गों में मुख्यत: ह्रस्व 'इ' और 'उ' का प्रयोग होता है। जैसे -

(क) 'इ' उपसर्ग वाले शब्द

अति - अतिरिक्त, अतिसार
अधि - अधिकार, अधिपति, अधिनायक
अभि - अभिप्राय, अभिमान, अभिलाषा
परि - परिवार, परिणाम, परिधि

(ख) 'उ' उपसर्ग वाले शब्द

उप - उपदेश, उपस्थिति, उपसंहार
उत् - उत्थान, उद्देश्य, उत्कर्ष
सु - सुपुत्र, सुधार, सुशील

अनु - अनुरोध, अनुसार, अनुचर

(2) प्रत्यय

(i) 'आई', 'ई' तथा 'नी' प्रत्ययों से संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है, जिनमें दीर्घ 'ई' प्रयुक्त होती है। जैसे -

धातु + आई	=	पढ़ाई, लिखाई
विशेषण + ई	=	भलाई, ऊँचाई
धातु + ई	=	हँसी, बोली
विशेषण + ई	=	अमीरी, गरीबी, आज़ादी
धातु + नी	=	चलनी, फूँकनी, ओढ़नी

(ii) 'ऊ' 'आऊ' 'आकू' तथा 'आऊ' - ये विशेषण बनाने वाले प्रत्यय हैं जिनमें सदैव दीर्घ 'ऊ' प्रयुक्त होता है। जैसे -

धातु + ऊ	=	खाऊ, मारू
संज्ञा + ऊ	=	चालू, बाज़ारू
धातु + आऊ	=	टिकाऊ, बिकाऊ
धातु + आकू	=	पढ़ाकू, लड़ाकू
धातु + आलू	=	झगड़ालू

अपवाद - संस्कृत के संज्ञा शब्दों में 'आलु' प्रत्यय लगने से ह्रस्व 'उ' प्रयुक्त होता है। जैसे -

संज्ञा + आलु = दयालु, श्रद्धालु, कृपालु, शंकालु

(iii) 'पा', 'आस', 'आर', 'आरी', 'आड़ी' प्रत्ययों के लगने से शब्द का रूप परिवर्तित हो जाता है तथा शब्द का आदि स्वर ह्रस्व हो जाता है। जैसे -

शब्द + प्रत्यय		परिवर्तित रूप	विशेष कथन
बूढ़ा + पा	=	बुढ़ापा	दीर्घ 'ऊ' को ह्रस्व 'उ'
मीठा + आस	=	मिठास	दीर्घ 'ई' को ह्रस्व इ
भीख + आरी	=	भिखारी	दीर्घ 'ई' को ह्रस्व 'इ'
खेल + आड़ी	=	खिलाड़ी	ए को ह्रस्व 'इ'

(iv) 'ति' या 'नि' प्रत्यय वाले जाति या भाववाचक शब्दों की 'इ' ह्रस्व होगी -
ति - गति, श्रुति, गति, स्तुति, कीर्ति, भक्ति, जाति, पति।
नि - मुनि, हानि, ग्लानि।

(v) पूर्वकालिक प्रत्यय 'कर' हमेशा क्रिया के साथ मिलाकर ही प्रयुक्त करना चाहिए। जैसे - जाकर, पढ़कर, सोकर, नहाकर, देकर, लिखकर।

(3) लिंग – (i) संज्ञा शब्दों के लिंग में परिवर्तन होने से वर्तनी पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में पुल्लिग शब्द का अंतिम दीर्घ स्वर 'ई' मुख्यत: ह्रस्व 'इ' में परिवर्तित हो जाता है। जैसे -

धोबी - धोबिन, माली - मालिन, नाई - नाइन, नाती - नातिन, तेली - तेलिन।

(ii) क्रियावाची स्त्रीलिंग शब्दों में प्राय: दीर्घ 'ई' का प्रयोग होता है। जैसे - पढ़ती, खाती, सोती, पीती, रहती, जाती।

(iii) व्यक्तिवाचक स्त्री संज्ञाओं के 'ई' और विशेषण शब्दों के 'ई' मुख्यत: दीर्घ होंगे। जैसे - श्रीमती, गुणवती, कलावती, ज्ञानवती, बुद्धिमती, बलवती।

(4) वचन – आकारान्त संज्ञा शब्दों के अलावा जिन शब्दों के अंत में दीर्घ स्वर होगा वह दीर्घ स्वर शब्द के बहुवचन बनने पर ह्रस्व स्वर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे -

एकवचन		बहुवचन		विशेष कथन
सरल रूप	विकारी रूप	सरल रूप	विकारी रूप	
कर्मचारी	कर्मचारी	कर्मचारी	कर्मचारियों	'ई'को 'इ'
हाथी	हाथी	हाथी	हाथियों	'ई' को 'इ'
नारी	नारी	नारी	नारियों	'ई' को 'इ'
भालू	भालू	भालू	भालुओं	'ऊ' को 'उ'
हिन्दू	हिन्दू	हिन्दू	हिन्दुओं	'ऊ' को 'उ'
डाकू	डाकू	डाकू	डाकुओं	'ऊ' को 'उ'

(6) संधि – दो वर्णों के मेल से होने वाली संधि के कारण भी वर्तनी प्रभावित होती है। जैसे -

हिम + आलय = हिमालय अ + आ = आ, उत् + चारण = उच्चारण त् + च = च्च
गिरि + ईश = गिरीश इ + ई = ई, उत् + लास = उल्लास त् + ल = ल्ल
सु + उक्ति = सूक्ति उ + उ = ऊ, सत् + मार्ग = सन्मार्ग त् + म = न्म
महा + ईश = महेश आ + ई = ए, सत् + जन = सज्जन त् + ज = ज्ज
देव + ऋषि = देवर्षि अ + ऋ = अर्
मत + ऐक्य = मतैक्य अ + ऐ = ऐ
महा + औषध = महौषध आ + औ = औ
अति + अधिक = अत्यधिक इ + अ = य
अनु + एषण = अन्वेषण उ + ए = वे
ने + अन = नयन ए + अ = अय
पो + अन = पवन ओ + अ = अव

(6) मूल धातु के दीर्घ स्वर का ह्रस्व स्वर में परिवर्तन

मूल धातु में निहित दीर्घ स्वर सकर्मक या प्रेरणार्थक रूप बनाते समय ह्रस्व हो जाता है। जैसे -

धातु	सकर्मक	प्रेरणार्थक
लूट	लुटाना	लुटवाना
भूल	भुलाना	भुलवाना
काट	कटना	कटवाना
डूब	डुबाना	डुबवाना
भीग	भिगाना	भिगवाना

(7) विभक्ति चिह्नों का लेखन – विभक्ति चिह्नों -ने, को, से, के लिए, का, के, की, में पर को निम्नलिखित ढंग से शब्दों के साथ प्रयुक्त किया जाता है।

(i) संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिह्न – जब विभक्ति चिह्न संज्ञा शब्दों के साथ आते हैं तो उन्हें संज्ञा शब्दों से अलग करके लिखना चाहिए। जैसे -

बालक ने, बालक को, बालक से, बालक के लिए।

(ii) सर्वनाम शब्दों के साथ विभक्ति चिह्न – सर्वनाम शब्दों के साथ विभक्ति चिह्नों को जोड़कर लिखना चाहिए। जैसे - उसने, उसको, उससे, उसमें।

विशेष – (क) यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिह्न आ जाएँ तो पहले विभक्ति चिह्न को मिलाकर तथा दूसरे को अलग लिखना चाहिए। जैसे - इसके लिए, उसके लिए, जिसमें से, उसमें से, हममें से।

(ख) कुछ अव्ययों के बाद विभक्ति चिह्नों का प्रयोग होता है। परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विभक्ति चिह्नों को अव्ययों के साथ मिलाकर प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। जैसे -

वहाँ से, कल के लिए, दिन में, रात को।

(8) 'की' और 'कि' का प्रयोग

भेद और अर्थ की दृष्टि से दोनों अलग - अलग हैं। 'की' सम्बन्ध कारक का विभक्ति चिह्न भी है तथा क्रिया का स्त्रीलिंग रूप भी है। जबकि 'कि' दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला योजक है। इनके प्रयोग देखिए -

(i) 'की' कारक का विभक्ति चिह्न में प्रयोग – इसका प्रयोग स्त्रीलिंग संज्ञा से पहले होता है। जैसे -

सुधीर की बहन कक्षा में प्रथम आई है।

(ii) क्रिया के रूप में 'की' का प्रयोग – यदि वाक्य का कर्म स्त्रीलिंग हो तो 'करना' क्रिया का भूतकाल में 'की' रूप बनता है। जैसे – गोपाल ने चोरी की।

(iii) योजक के रूप में 'कि' का प्रयोग – 'कि' का प्रयोग दो उपवाक्यों को जोड़ने में होता है। जैसे – उसने कहा कि शेर बहुत खतरनाक जानवर है।

(9) 'ई', 'यी' तथा 'ए' का प्रयोग – कुछ शब्दों को एक से अधिक तरह से लिखा जाता है। जैसे – खाई – खायी, लिखाई – लिखायी, भाई – भायी, लिए – लिये, आदि। इनमें 'ई' 'यी' 'ये' तथा 'ए' के प्रयोग में कठिनता आती है कि कहाँ शब्द के अंत में 'ई' लगेगी और कहाँ 'यी'। इसी तरह कहाँ 'ये' प्रयोग में आएगा और कहाँ 'ए'। वर्तनी की इस समस्या पर दो तरह से विचार किया जा सकता है – एकरूपता की दृष्टि से तथा शुद्धता की दृष्टि से। यहाँ एकरूपता की दृष्टि से विचार किया जा रहा है –

(क) 'ई' का प्रयोग – हिन्दी में संज्ञा शब्दों के अंत में 'ई' का प्रयोग करना चाहिए, 'यी' का नहीं। जैसे – पढ़ाई, लिखाई, मिठाई, भाई, रजाई, खाई।

(ख) यी, ये का प्रयोग –

(i) विशेषण शब्दों में 'यी' तथा 'ये' का प्रयोग करना उचित है। जैसे – नयी कमीज़, नये कपड़े, स्थायी घर।

विशेष – 'नई दिल्ली' चूंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अतः यहाँ 'नई' में 'ई' का प्रयोग किया गया है।

(ii) क्रिया तथा कृदन्त विशेषणों के अंत में भी 'यी' तथा 'ये' का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके मूल रूप में अंत में 'या' ही प्रयुक्त होता है। जैसे –

गया – गयी, गये
खाया – खायी, खाये
सुनाया – सुनायी, सुनाये
पढ़ाया – पढ़ायी, पढ़ाये

समान उच्चारण वाले कुछ शब्दों में अंतर को निम्नलिखित वाक्यों से स्पष्ट किया जा रहा है –

'ई' का प्रयोग	यी, ये का प्रयोग
पढ़ाई में मन लगाओ।	अध्यापक ने पुस्तक पढ़ायी।
	अध्यापक ने दो पाठ पढ़ाये।

मेरे **भाई** का नाम मोहन है।

बस **खाई** में गिर गयी।

उसे मिठाई न **भायी**।

रमेश को लड्डू बहुत **भाये**।

मैंने चार बजे रोटी **खायी**।

बालक ने दो सेब **खाये**।

(ग) 'ए' का प्रयोग

आज्ञार्थक, संभावनार्थ, बाध्यतासूचक, वृत्तिवाचक सहायक क्रियाओं में कई जगह 'ए' प्रयुक्त होता है। जैसे–

(i) आज्ञार्थक वृत्ति – जिस क्रिया से आज्ञा, अनुरोध आदि भावों का पता चले, उसे आज्ञार्थक वृत्ति कहते हैं। इसमें क्रिया शब्द के अंत में 'ए' का प्रयोग करना चाहिए। जैसे–

आप जाइए।

आप कल ज़रूर आइएगा।

(ii) संभावनार्थ वृत्ति – क्रिया के जिस रूप से संभावना का बोध हो, वहाँ क्रिया शब्द के अंत में 'ए' का प्रयोग करना चाहिए। जैसे–

शायद आज बारिश आए।

शायद गाड़ी देर से आए।

(iii) बाध्यतासूचक वृत्ति – जहाँ क्रिया के घटित होने के विषय में 'बाध्यता' का बोध हो, वहाँ भी क्रिया शब्द के अंत में 'ए' का प्रयोग करना चाहिए। जैसे–

परीक्षा के दिनों में खूब परिश्रम करना चाहिए।

बीमारी में डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए।

विशेष – कुछ अव्यय शब्दों के अंत में भी 'ए' का प्रयोग होता है। जैसे– दाँए–बाँए, इसलिए, के लिए।

(घ) 'ए' और 'ये' के प्रयोग में अंतर

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि क्रिया तथा कृदन्त विशेषणों में 'ये' का प्रयोग किया जाता है। जैसे– लिये। अव्यय शब्दों के अंत में 'ए' का प्रयोग होता है। जैसे– लिए।

'लिए' और 'लिये' के प्रयोग को निम्नलिखित उदाहरणों में स्पष्ट किया जा रहा है।

'ए' का प्रयोग (अव्यय के संदर्भ में)	'ये' का प्रयोग (क्रिया के संदर्भ में)

(1) पिता पुत्र के लिए पुस्तकें लाया। (1) मैंने नये कपड़े खरीद लिये।
(2) हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। (2) उसने छः पाठ याद कर लिये।
(3) वह सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। (3) अनिल ने बाज़ार से फल लिये।

(10) **वर्णों के क्रम का समुचित ज्ञान** – शब्द में वर्णों के क्रम को ध्यान में रखना चाहिए। वर्णों के क्रम को ध्यान में न रखने के कारण कुछ विद्यार्थी कर्म को कर्म, आदर्श को आर्दश, सूर्य को सूंय, आश्चर्य को आश्चर्य अशुद्ध रूप में लिख देते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि वर्तनी को शुद्ध करने के लिए जहाँ वर्णमाला में प्रयुक्त वर्णों की पूरी जानकारी होना आवश्यक है वहीं व्याकरणिक नियमों की जानकारी होना भी नितांत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त हमें शुद्ध उच्चारण पर भी ध्यान देना चाहिए। शुद्ध उच्चारण की शिक्षा शुद्ध वर्तनी के लिए अत्यावश्यक है।

शब्द – विचार –

सुशील लुधियाना गया।

उपर्युक्त वाक्य में तीन शब्द हैं – 'सुशील', 'लुधियाना' और 'गया'। ये शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे –

सुशील – स् + उ + श् + ई + ल् + अ = छह वर्णों का ध्वनि – समूह।
लुधियाना – ल् + उ + ध् + इ + य् + आ + न् + आ = आठ वर्णों का ध्वनि समूह।
गया – ग् + अ + य् + आ = चार वर्णों का ध्वनि – समूह।

उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त पहला शब्द 'सुशील' छह वर्णों का ध्वनि – समूह है जो कि किसी व्यक्ति के नाम का सूचक है। दूसरा शब्द 'लुधियाना' आठ वर्णों का ध्वनि – समूह है जो कि पंजाब के प्रसिद्ध नगर को सूचित करता है और तीसरा शब्द 'गया' चार वर्णों का ध्वनि – समूह है जिससे 'क्रिया' का बोध हो रहा है।

अतः वर्णों के स्वतंत्र सार्थक ध्वनि – समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ दो बातें स्पष्ट होती हैं –

(i) शब्द भाषा की स्वतन्त्र इकाई है।
(ii) शब्द भाषा की सार्थक इकाई है।

जिन वर्णों के मेल से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता, व्याकरणिक दृष्टि से वे शब्द नहीं होते जैसे 'सुशील', 'लुधियाना' और 'गया' शब्दों के वर्णों को यदि हम उलटा करके क्रमशः 'लशीसु', 'नायाधिलु' और 'याग' लिख दें तो इन्हें शब्द नहीं कहा जाएगा क्योंकि

इनसे किसी प्रकार के अर्थ का बोध नहीं होता चाहे इनमें भी वही वर्ण हैं जो कि क्रमशः 'सुशील','लुधियाना' और 'गया' में हैं। ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं।

अतः जिन शब्दों के अर्थ का स्पष्ट रूप से बोध हो जाए, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे- रोटी, पानी, पंखा, चाय आदि इन सब शब्दों के कुछ न कुछ अर्थ हैं। अतः ये 'सार्थक' शब्द कहलाते है।

जबकि ऐसे ही कुछ निरर्थक शब्द होते हैं, जिनका वैसे तो अपना कोई अर्थ नहीं होता किन्तु सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर उनका अर्थ अवश्य बन जाता है। जैसे-

(i) तुम रोटी वोटी खाकर जाना।
(ii) पानी वानी लेकर आओ।
(iii) पंखा वंखा तो चला दो।
(iv) चाय वाय पीकर चले जाना।

उपर्युक्त वाक्यों में 'रोटी', 'पानी', 'पंखा' और 'चाय' सार्थक शब्दों के साथ 'वोटी', 'वानी', 'वंखा' और 'वाय' निरर्थक शब्दों का अर्थ भी बन गया है। इन शब्दों का भी सार्थक शब्दों के समान ही अर्थ हो गया है।

कई बार निरर्थक प्रतीत होने वाले शब्द भी स्वतन्त्र रूप से अर्थात् अकेले भी वाक्य में सार्थक शब्दों की भाँति प्रयुक्त होते हैं। जैसे- 'ढम-ढम', 'चीं-चीं', 'टर-टर' निरर्थक शब्द हैं परन्तु निम्नलिखित वाक्यों में वे स्वतन्त्र रूप से सार्थक शब्दों की तरह प्रयुक्त हुए हैं-

(i) ढोल की ढम-ढम ध्वनि सुनते ही वह नाचने लगा।
(ii) चिड़ियाँ चीं-चीं करती हैं।
(iii) क्या टर-टर लगा रखी है।

कई शब्द केवल एक ही वर्ण के होते हैं। जैसे- 'न' शब्द का अर्थ है- 'नहीं' तथा 'व' का अर्थ है 'तथा'। अतः 'न' और 'व' सार्थक शब्द कहलाते हैं।

शब्दों का वर्गीकरण

प्रत्येक भाषा में शब्दों की असीमित संख्या होती है। इन शब्दों को अलग-अलग आधारों पर विभिन्न वर्गों में बाँटा जा सकता है। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यत: निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है -

(i) उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत के आधार पर
(ii) अर्थ के आधार पर
(iii) रचना के आधार पर
(iv) प्रयोग के आधार पर
(v) अन्य आधार

(i) उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत के आधार पर – शब्द के इस भेद के आधार से यह पता चलता है कि कोई शब्द कहाँ से आया है अर्थात् शब्द की उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत के आधार क्या है। किसी समय भारत में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। यही भाषा सभी कार्यों के लिए प्रयोग में लायी जाती थी। धीरे-2 बाद में संस्कृत का स्थान इसी से उत्पन्न हुई पालि, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं ने ले लिया। अपभ्रंश से ही हिन्दी तथा अन्य कई भाषाएँ विकसित हुईं। जब कभी भी इन भाषाओं को किसी शब्द की आवश्यकता पड़ती रही तब इन्होंने संस्कृत भाषा में से शब्द ले लिए। हिन्दी में कुछ तो संस्कृत के शुद्ध शब्द आ गये और कुछ विकृत होकर आये। कुछ हिन्दी की अपनी प्रकृति के आधार पर विकसित हो गए अर्थात लोगों द्वारा अपने आप कुछ शब्द बना लिये गये जैसे चिड़िया चूँ-चूँ, बिल्ली म्याऊँ-म्याऊँ कहती है। ये शब्द देश में ही उत्पन्न हुए और हिन्दी में प्रयुक्त होने लगे। इसके अतिरिक्त भारत में अनेक विदेशी जातियों के आगमन के कारण उनकी (विदेशी) भाषाओं के शब्द भी हमारी हिन्दी भाषा में आ गए। यही नहीं, कुछ शब्द तो दो भिन्न-भिन्न भाषाओं को जोड़कर बना लिए गए। इस प्रकार हिन्दी के शब्द भण्डार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर शब्दों को पाँच भागों में बाँटा जा सकता है।

(क) तत्सम (ख) तद्भव (ग) देशी या देशज (घ) विदेशी या आगत (ङ) संकर

(क) तत्सम – तत् + सम अर्थात् इसके समान। 'इसके समान' से अभिप्राय है - स्रोत भाषा के समान। जो शब्द संस्कृत से हिन्दी में ज्यों के त्यों अर्थात् बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, उन्हें 'तत्सम' शब्द कहते हैं। जैसे - अग्नि, अद्भुत,

दिवस, रात्रि, प्रथम, राष्ट्र, भूमि, रवि, मस्तक, स्नेह, गुरु, वायु, दर्शन, क्रूर, सर्वदा, धन आदि। ऐसे शब्दों की संख्या हिन्दी में बहुत अधिक है। कुछ तो इतने सरल व आम प्रचलित हैं कि वे संस्कृत के लगते ही नहीं। जैसे- कार्य, पुत्र, पुत्री, माता, पिता, आशा, निराशा, गुरु, नयन।

(ख) तद्भव- तत् + भव अर्थात् 'उससे होने वाले'। 'उससे होने वाले' से अभिप्राय है- संस्कृत भाषा से विकसित होने वाले वे संस्कृत शब्द जो हिन्दी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयुक्त होते हैं, उन्हें 'तद्भव' शब्द कहते हैं। जैसे- आग (संस्कृत-अग्नि), तुम (संस्कृत-त्वम्), माँ(संस्कृत-माता),भगत (संस्कृत-भक्त), साँप (संस्कृत-सर्प), दूध (संस्कृत-दुग्ध) आदि।

कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं-

तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव
अंध	अँधा	अंधकार	अँधेरा
अंगुष्ठ	अँगूठा	अंगुली	उँगली
अर्ध	आधा	अग्नि	आग
अग्र	आगे	अस्थि	हड्डी
अश्रु	आँसू	अक्षि	आँख
आश्रय	आसरा	आश्चर्य	अचरज
आम्र	आम	उष्ट्र	ऊँट
उज्ज्वल	उजाला	जंघा	जाँघ
जिह्वा	जीभ	ज्येष्ठ	जेठ
तृण	तिनका	तैल	तेल
दश	दस	दशम	दसवाँ
दन्त	दाँत	दधि	दही
दण्ड	डण्डा	दुग्ध	दूध
धूम्र	धुआँ	नख	नाखून
नव	नया	नासिका	नाक
निम्ब	नीम	निद्रा	नींद
नृत्य	नाच	रात्रि	रात
लक्ष	लाख	लज्जा	लाज

तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव
वधू	बहू	वाष्प	भाप
वार्ता	बात	वारिद	बादल
विद्युत	बिजली	शरद्	सर्दी
शर्करा	शक्कर	शाक	साग
शिर	सिर	उच्च	ऊँचा
ओष्ठ	होंठ	कच्छप	कछुआ
कर्ण	कान	कर्म	काम
काष्ठ	काठ	कीट	कीड़ा
कुपुत्र	कपूत	कुम्भकार	कुम्हार
कूप	कुआँ	गर्दभ	गधा
ग्राम	गाँव	ग्रन्थि	गाँठ
ग्राहक	गाहक	ग्रीष्म	गर्मी
गौ	गाय	गृह	घर
घृत	घी	चन्द्र	चाँद
चर्म	चाम	चन्द्रिका	चाँदनी
छत्र	छाता	छिद्र	छेद
पंच	पाँच	पत्र	पत्ता
पर्यंक	पलंग	पक्षी	पंछी
पक्व	पक्का	पाद	पाँव
पादप	पौधा	बाहु	बाँह
भक्त	भगत	भ्रमर	भौंरा
भिक्षा	भीख	मयूर	मोर
मस्तक	माथा	महिषी	भैंस
मित्र	मीत	मिष्ठ	मीठा
मृत्यु	मौत	मुख	मुँह
मुष्टि	मुट्ठी	मक्षिका	मक्खी
यमुना	जमना	श्वास	साँस
श्वेत	सफेद	सप्त	सात

तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव
सर्प	साँप	सूत्र	सूत
सूर्य	सूरज	स्वर	सुर
स्वप्न	सपना	हस्त	हाथ
हस्ती	हाथी	हृदय	हिय
क्षेत्र	खेत	क्षीर	खीर

(ग) देशी या देशज – जो शब्द अपने देश की भाषाओं, बोलियों या उपबोलियों से ही बने उन्हें देशी या देशज कहा जाता है। इन शब्दों का मूल रूप संस्कृत में नहीं मिलता और न ही ये संस्कृत के भ्रष्ट या विकृत या विकसित रूप हैं। देशी शब्दों के मुख्य स्रोत का पता नहीं चलता अर्थात् इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई कुछ निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता। जैसे - पेट, रोड़ा, लड़का, खिड़की, झाड़ू, खोट, ढूँढ़ना, पगड़ी, भोंदू, ठोकर, लथपथ, थप्पड, लोटा आदि देशी या देशज शब्द हैं।

देशी या देशज शब्दों के उदाहरण –

(i) ध्वन्यात्मक अनुकरण पर आधारित शब्द – झनझन, खटखट, रिमझिम, ढमढम, टें-टें, टन-टन, आदि

(ii) सहचर शब्द – झट-पट, अगल-बगल, आस-पास, गड़-बड़, चुप-चाप, भीड़-भाड़, पूछ-ताछ, पानी-वानी, खाना-वाना आदि। इनमें कभी-कभी ही दोनों शब्द सार्थक होते हैं। मुख्य संज्ञा शब्द के साथ दूसरा शब्द अनेक बार पहले के साथ संबद्ध पदार्थों आदि का संकेत भी देता है, जैसे भीड़ में लोगों के साथ वाहन आदि भाड़ माने जाएंगे।

(iii)अन्य देशी शब्द – गाड़ी, तेंदुआ, धाँधली, ठोस, थैला, कुर्त्ता, पेड़, झगड़ा, पेठा, घपला, खादी, थप्पड़, अटकल आदि देशी या देशज शब्द हैं।

(घ) विदेशी शब्द – जो शब्द किसी विदेशी भाषा से हिंदी में स्वीकार कर लिये गये हैं, उन्हें 'विदेशी' शब्द कहते हैं। हिन्दी में अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रेंच (फ्रांसीसी), चीनी, जापानी आदि अनेक भाषाओं के शब्द हैं। इन भाषाओं से हिन्दी भाषा में आए कुछ शब्दों को उदाहरण स्वरूप नीचे दिया जा रहा है –

अंग्रेज़ी भाषा के शब्द – टाइम, स्कूल, कॉलेज, पेंसिल, पेन, बटन, मोटर, नोटिस, फीस, कोर्ट, क्रीम, मशीन, स्टेशन, इंजन, क्रिकेट, बोर्ड, कंपनी, गज़ट,

कंट्रोल, स्वेटर, मेंबर, डॉक्टर, बिस्कुट, टेलीफोन, रेल, रेडियो आदि। इन्हें हिन्दी में ज्यों के त्यों स्वीकार किया गया है। किन्तु कुछेक ऐसे भी शब्द हैं जिनको हिन्दी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है। जैसे - कामदी (**Comedy**), अकादमी (**Academy**) त्रासदी (**Tragedy**) आदि।

अरबी भाषा के शब्द - क़तार, क़ब्र, कफ़न, क़बूल, क़रार, क़रीब, क़लम, क़सम, क़ानून, क़ाफ़िला, क़ायदा, ग़रीब, ग़लत, ज़रूरत, ज़ब्त, तक़दीर, फ़ायदा, मुसाफ़िर, मुहब्बत, मौक़ा, मौत, हाशिया आदि।

फारसी भाषा के शब्द - कबूतर, कागज़, क़ाबू, क़ारवाँ, गर्दन, ग़लीचा, ज़मीन, ज़ुबान, दुग, दुकान, निशान, फ़रमाइश, फ़लक, बाज़ार, बारीक़, बीमा, मज़ा, मुहर, सिपाही, सिपहसालार, हवेली आदि।

तुर्की भाषा के शब्द – एलची क़नात, कज़ाक (लुटेरा), कैंची, कोरमा (भुना हुआ माँस), तमंचा, तगमा, तलाश, हरावल (सेना का अगला भाग) आदि।

पुर्तगाली भाषा के शब्द – अचार, अलता (स्त्रियों के पैरों में लगाने का एक प्रकार का लाल रंग, महावर), आँसू, आँगन, आलना, आसरा, उचाट, उलट - पलट, ऊँट, ऊन, कचालू, कमरा, करोड़, खेवट, खोपड़ा, खोमचा, गमला, गोदाम, चाबी, चूहा, ताश, तेल, नाच, पीपा, बंदर, बंब, फ़ीता, मौसा, राय (हिंदुओं को दी जाने वाली उपाधि जैसे राय साहब, राय बहादुर), सीसा, हाथी।

चीनी जापानी भाषा का शब्द – चीनी, चाय, लीची।

(ङ) **संकर शब्द** – संकर का शाब्दिक अर्थ है - मिश्रण या योग (मेल)। अतः जब दो भिन्न भाषाओं के मिश्रण (मेल) से कोई शब्द बनता हैं, उसे संकर शब्द कहते हैं। हिंदी में इस प्रकार के अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे -

दो भिन्न भाषाएँ	भिन्न भाषाओं के शब्द	संकर शब्द	अर्थ
हिन्दी + फारसी	चमक + दार	चमकदार	चमकीला
हिन्दी + फारसी	बाल + कमानी	बाल - कमानी	घड़ी के बैलेंस में लगाई वाली कमानी
फारसी + हिन्दी	ना + समझ	नासमझ	मूर्ख, नादान
फारसी + हिन्दी	गरम + आई	गरमाई	गरमी
फारसी + संस्कृत	हिंदी + इतर	हिंदीतर	हिंदी से भिन्न

फारसी + संस्कृत	हिंदू + त्व	हिन्दुत्व	हिंदू का आचार, विचार और व्यवहार हिन्दू होने की अवस्था
अंग्रेज़ी + फारसी	जेल + खाना	जेलखाना	कैदखाना
अंग्रेज़ी + फारसी	सील + बंद	सीलबंद	मुहरबंद
संस्कृत + हिंदी	चतुर + आई	चतुराई	होशियारी
संस्कृत + हिंदी	रक्षा + टुकड़ी	रक्षा - टुकड़ी	रक्षकदल
अंग्रेज़ी + हिंदी	टिकट + दर	टिकटदर	टिकट का मूल्य
अंग्रेज़ी + हिंदी	रेल + भाड़ा	रेलभाड़ा	रेल किराया
अंग्रेज़ी + संस्कृत	रेडियो + नाटक	रेडियो नाटक	रेडियो पर सुनाया गया नाटक
हिंदी + अंग्रेज़ी	लाठी + चार्ज	लाठीचार्ज	लाठियाँ चलाना

(2) **अर्थ के आधार पर** – अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित चार भेद हैं – जैसे – एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द तथा विपरीतार्थी या विलोम शब्द।

(i) **एकार्थी शब्द** – जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक अर्थ में ही होता हैं, वे एकार्थी शब्द कहलाते है। इसमें मुख्यत: व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आते हैं। जैसे – पुस्तक, लड़का, पेड़, घोड़ा, माँ, घर, जनवरी, बुधवार, हिंदी, संस्कृत, कुर्सी आदि।

(ii) **अनेकार्थी शब्द** – कई बार एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते है। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं। जिनके एक से अधिक अर्थात् अनेक अर्थ होते हैं। जैसे –

शब्द	अनेक अर्थ
अंक	गोद,संख्या,निशान, नाटक का सर्ग, रूपक का एक प्रकार, छाप
अनुराग	प्रेम, भक्ति, लाल रंग
अक्षर	आकाश, वर्ण, ईश्वर, आत्मा, नित्य, अनश्वर
फल	परिणाम, लाभ, प्रयोजन
मूल	जड़, आदि, कारण, आरंभ, नींव, मूलधन, मूल स्वर
राशि	समूह, सूर्य की राशियाँ (मेष, वृष आदि) गणित में भाग, गुणा आदि में संबंधित राशि
हंस	एक सफेद जल पक्षी, आत्मा, सूर्य, घोड़ा, शिव, विष्णु।

(iii) समानार्थी या पर्यायवाची – जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे –

शब्द	समानार्थी या पर्यायवाची शब्द
इच्छा	चाह, चाहत, जी, मन, अभिलाषा, आकांक्षा, लालसा
ईश्वर	परमात्मा, प्रभु, जगदीश, ईश, परमेश्वर, भगवान
कमल	जलज, नीरज, सरोज, राजीव
घर	आलय, निलय, निकेत, निकेतन, धाम, भवन
गंगा	गंगा, सुरसरि, सुरसरिता, सुरनदी, देव नदी

(iv) विपरीतार्थी या विलोम शब्द – शब्द के विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे –

शब्द	विपरीत शब्द	शब्द	विपरीत शब्द
अँधकार	प्रकाश	अगम	सुगम
चतुर	मूर्ख	छल	निश्छल
कायर	साहसी	घटिया	बढ़िया
घृणा	प्रेम	चर	अचर
चल	अचल	छूत	अछूत
तीव्र	मंद	थोक	परचून
दयालु	निर्दय	दाता	याचक

(3) रचना के आधार पर – शब्दों की रचना कैसे होती है? अर्थात् शब्दों के निर्माण का मापदंड क्या है? इस आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं। रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़ ।

(i) रूढ़ – 'रूढ़' शब्द के अर्थ हैं 'प्रचलित', 'यौगिक से भिन्न अन्य अर्थ में प्रयुक्त'। अत: जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से न बने हों और परम्परा से किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यदि रूढ़ शब्दों के खण्ड कर दिए जाएँ, तो उन खण्डों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे – जल= ज+ल, परसों= प+र+सों, छोटी= छो+टी,मोटी= मो+टी आदि इनमें 'ज', 'ल', 'प', 'र', 'सों', 'छो', 'मो' और 'टी' के कोई अर्थ नहीं हैं।

(ii) यौगिक शब्द – यौगिक का शाब्दिक अर्थ है – 'योग (जोड़) से बना हुआ'। वे शब्द जो सार्थक खंडों के योग (जोड़) से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे –

पहला सार्थक खंड	दूसरा सार्थक खंड	यौगिक शब्द	यौगिक शब्द का अर्थ
विद्या (शिक्षा)	आलय (घर)	विद्यालय	विद्या का घर
सदा (हमेशा)	एव (ही)	सदैव	हमेशा ही
सूर्य (सूरज)	उदय (निकलना)	सूर्योदय	सूर्य के निकलने का समय
पर (दूसरा)	उपकार (भला)	परोपकार	दूसरे का उपकार
अति (बहुत)	अधिक (ज्यादा)	अत्यधिक	बहुत अधिक
यदि (फिर)	अपि (भी)	यद्यपि	फिर भी
मत (सम्मति)	अनुसार (अनुकूल)	मतानुसार	सम्मति के अनुकूल
दुर (बुरा)	जन (मनुष्य)	दुर्जन	बुरा मनुष्य

(iii) **योगरूढ़** – जो शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से बने होने पर अर्थात यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हों उन्हें योगरूढ़ कहते हैं। जैसे – 'पंकज' शब्द 'पंक' और 'ज' इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है – 'कीचड़ से पैदा होने वाला। कीचड़ में तो कमल, कीड़े – घास आदि अनेक चीज़ें पैदा होती हैं परन्तु 'पंकज' शब्द केवल 'कमल' के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अत: यौगिक (पंक + ज) होते हुए भी यह विशेष अर्थ (कमल) में रूढ़ हो गया है। अत: यह 'योगरूढ़' है। इसी प्रकार 'जलद' शब्द 'जल' + 'द' इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है – 'जल देने वाला'। हमें जल तो नदी, कुएँ, तालाब और नल से भी मिलता है; परन्तु उन्हें 'जलद' नहीं कह सकते। अत: केवल 'बादल' को ही 'जलद' कहते हैं।

कुछ अन्य योगरूढ़ शब्द

शब्द	अर्थ	रूढ़ अर्थ
दशानन (दश + आनन)	दशमुख, रावण	रावण
जलज (जल + ज)	जल में उत्पन्न होने वाला, कमल	कमल
लंबोदर (लंबा + उदर)	लंबे या मोटे पेट वाला, बहुत अधिक खाने वाला (पेटू), गणेश	गणेश
सरसिज (सरसि + ज)	तालाब में उत्पन्न होने वाला, कमल	कमल

दूरदर्शी (दूर+दर्शी)	दूर तक देखने वाला, विचारक (पंडित, विद्वान) गिद्ध	विचारक (पंडित, विद्वान)

(4) प्रयोग के आधार पर – भाषा में शब्दों के प्रयोग से ही वाक्य रचना होती है। उन वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को व्याकरणिक प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित दो वर्गों में बाँटा जा सकता है – विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द।

(क) विकारी शब्द – जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन अर्थात विकार उत्पन्न होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते है। इनके चार भेद हैं –

(i) संज्ञा (ii) सर्वनाम (iii) विशेषण (iv) क्रिया

(ख) अविकारी शब्द – जिन शब्दों में कभी कोई विकार अर्थात् परिवर्तन नहीं होता अर्थात् लिंग, वचन, कारक और पुरुष आदि के कारण उनमें कोई विकार नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इनके भी निम्नलिखित चार भेद हैं –

(i) क्रिया विशेषण (ii) सम्बन्धबोधक (iii) समुच्चयबोधक या योजक (iv) विस्मयादिबोधक।

विकारी और अविकारी शब्दों का अगले अध्यायों में विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया जाएगा।

अन्य शब्द – जो शब्द उपयुर्क्त शब्द भेदों में नहीं आ पाते, उन्हें 'अन्य शब्द' वर्ग में लिया जा रहा है। 'अन्य शब्द' में मुख्य रूप से शब्दों को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है – **वर्णनात्मक शब्द तथा अवधारणात्मक शब्द**

(क) वर्णनात्मक शब्द – जिन शब्दों के अर्थ वर्णन या व्याख्या से ही स्पष्ट हो पाते हैं, उन्हें वर्णनात्मक शब्द कहते हैं। इन्हें स्पष्ट करने के लिए मुख्यत: एक पूरे उपवाक्य की जरुरत पड़ती है। जैसे –

शब्द	अर्थ
अनादि	जिसका आदि न हो ।
सदाचारी	जिसका आचरण अच्छा हो।
अदम्य	जिसका दमन न हो सके।
अजेय	जिसे जीता न जा सके ।
दीर्घायु	जिसकी आयु बड़ी लम्बी हो।
लोक प्रिय	जो लोगो में प्रिय हो।

उऋण	जिसने ऋण चुका दिया।
अमर	जो कभी न मरे
मितव्ययी	जो कम व्यय करता हो।
कुशाग्रबुद्धि	तेज़ बुद्धि वाला।

व्याकरण में ऐसे शब्दों को **'अनेक शब्दों के लिए एक शब्द'** भी कहा जाता है।

(ख) अवधारणात्मक शब्द – जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर संदर्भ के अनुसार किसी अवधारणा को व्यक्त करते हैं, उन्हें अवधारणात्मक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के विषय में एक बात ध्यान देने योग्य है कि अकेले रहकर इनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता। अवधारणात्मक शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में बाँटा जा सकता है।

(i) ध्वनिबोधक शब्द (ii) पुनरुक्त शब्द

(i) ध्वनिबोधक शब्द – प्रत्येक भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जिन्हें ध्वनि के आधार पर बनाया गया है। पशु-पक्षियों की बोलियाँ तथा जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ या क्रियाएँ व्यक्त करने वाले शब्द इसी वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। जैसे –

(क) पशुओं की बोलियाँ

पशु	बोली	पशु	बोली
ऊँट	बलबलाना	घोड़ा	हिनहिनाना
गाय	रँभाना	बकरी	मिमियाना
गधा	रेंकना	शेर	दहाड़ना

(ख) पक्षियों की बोलियाँ

पक्षी	बोली	पक्षी	बोली
उल्लू	घुघुआना	कबूतर	गुटरगूं करना
कोयल	कूकना	कौवा	काँव-काँव करना
चिड़िया	चहचहाना	हंस	कूजना

(ग) जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ

जड़ पदार्थ	ध्वनियाँ	जड़ पदार्थ	ध्वनियाँ
चूड़ियाँ	खनखनाना	जूता	चरमराना

घड़ी	टिक-टिक करना	ध्वज	फहराना
पंख	फड़फड़ाना	खाँसी	खों-खों

(ii) पुनरुक्त शब्द – 'पुनरुक्त' का अर्थ है- 'फिर से कहा हुआ।' पुनरुक्त शब्दों को द्वित्व शब्द भी कहते हैं। इनका हिन्दी में बहुत प्रयोग होता है। इनके निम्नलिखित वर्ग हो सकते हैं -

(क) पूर्ण द्वित्व या पुनरुक्त – ऐसे शब्द जिनमें वही शब्द दो बार बोला जाता है। जैसे -

(i) गाँव-गाँव, घर-घर, घड़ी-घड़ी, दिन-दिन आदि।(इनका अर्थ है क्रमशः हर गाँव, हर घर, हर घड़ी तथा हर दिन)

(ii) बैठे-बैठे, पीते-पीते, खाते-खाते, चलते-चलते आदि।(इनका अर्थ है कि कार्य लगातार होता रहा है)

(iii) दो-दो, चार-चार, बीस-बीस, पचास-पचास आदि। (इनका अर्थ है कि इतनी संख्या के समूह में)

विशेष – ऐसे कुछ युग्मों (जोड़ों) के बीच में 'न' 'ही' 'से' 'का' आदि लगकर अर्थ में विशेषता उत्पन्न होती है। जैसे -

कुछ न कुछ, 'कहीं न कहीं', 'मित्र ही मित्र', 'लाभ ही लाभ', 'कुछ से कुछ', 'क्या से क्या', 'खराब का खराब' आदि।

(ख) अपूर्ण द्वित्व – अपूर्ण द्वित्व शब्दों में दूसरा शब्द पहले शब्द से ही बना कोई रूप होता है। जैसे- भीड़-भाड़, पूछ-ताछ, ठीक-ठाक, भोला-भाला, सीधा-साधा आदि।

(ग) प्रतिध्वनित शब्द – जिन द्वित्व शब्दों में दूसरा शब्द पहले शब्द की प्रतिध्वनि हो। जैसे -

कागज़-वागज़, चुप-चाप, खाना-वाना, चाय-वाय, बैठ-बूठ, दाल-वाल, घड़ी-वड़ी, फाड़-फूड़, रोटी-वोटी आदि।

(उपर्युक्त शब्द युग्मों में पहला शब्द सार्थक व दूसरा निरर्थक है)

विशेष – कई बार दोनों शब्द ही निरर्थक होते हैं। जैसे - अंट-संट, अनाप-शनाप, अफरा-तफरी आदि।

अध्याय – 2

विकारी शब्द

(i) **लड़का** पढ़ता है।
(ii) **लड़के** पढ़ते हैं।
(iii) **लड़की** पढ़ती है।
(iv) **लड़कियाँ** पढ़ती हैं।

'लड़का' एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा से अभिप्राय किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम से है। यहाँ 'लड़का' शब्द से सम्पूर्ण 'लड़का' जाति का ज्ञान हो रहा है। उपर्युक्त पहले वाक्य में प्रयुक्त 'लड़का' शब्द दूसरे वाक्य में 'लड़के' तीसरे वाक्य में 'लड़की' तथा चौथे वाक्य में 'लड़कियाँ' रूप में परिवर्तित होकर आया है। इसी परिवर्तित रूप को शब्द का विकारी रूप कहते हैं। अतः संज्ञा शब्द विकारी होते हैं।

(i) यह **मेरी** पुस्तक है।
(ii) **इसकी** कीमत बीस रुपये है।
(iii) **इसे** मैं बहुत रुचि से पढ़ता हूँ।
(iv) **इसको** मैं संभाल कर रखूँगा।

'यह' एक सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं। उपर्युक्त पहले वाक्य में प्रयुक्त 'यह' सर्वनाम दूसरे वाक्य में 'इसकी' तीसरे वाक्य में 'इसे' तथा चौथे वाक्य में 'इसको' रूप में परिवर्तित होकर आया है। अतः सर्वनाम शब्द भी विकारी होते हैं।

(i) **काला** घोड़ा चर रहा है।
(ii) **काले** घोड़े चर रहे हैं।
(iii) **काली** घोड़ी चर रही है।

'काला' एक विशेषण शब्द है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को 'विशेषण' कहते हैं। 'काला' शब्द घोड़े की विशेषता बता रहा है। अतः 'काला' विशेषण है। उपर्युक्त पहले वाक्य में प्रयुक्त 'काला' शब्द दूसरे वाक्य में 'काले' तथा तीसरे वाक्य में 'काली' रूप में प्रयुक्त हुआ है। अतः विशेषण शब्द भी विकारी होते है।

(i) बालक **भागता** है।
(ii) बालक **भागते** हैं।

(iii) बालिका **भागती** है।
(iv) बालिकाएँ **भागती** हैं।

'भागना' एक क्रिया है। क्रिया से अभिप्राय किसी कार्य के करने या होने से है। उपर्युक्त 'भागना' क्रिया के रूपों में भी परिवर्तन होता है। जैसे - 'भागता है', 'भागते हैं', 'भागती हैं'। अत: क्रिया भी विकारी है।

उपर्युक्त विवचेन से स्पष्ट हो जाता है कि जिन शब्दों के रूप में विकार (परिवर्तन) होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के हैं।

(1) संज्ञा (2) सर्वनाम (3) विशेषण (4) क्रिया

1. संज्ञा

(i) **आशना** चण्डीगढ़ में रहती है।
(ii) **मेधावी** आम खा रही है।
(iii) **बचपन** सभी को प्रिय होता है।
(iv) **क्रोध** मनुष्य को ले डूबता है।
(v) **ईमानदारी** से काम करो।

उपर्युक्त वाक्यों में 'आशना' तथा 'मेधावी' व्यक्तियों के नाम हैं। 'चण्डीगढ़' शहर का नाम है। 'आम' फल का नाम है। 'बचपन' अवस्था विशेष का, 'क्रोध' भाव विशेष का तथा 'ईमानदारी' गुण विशेष का नाम है। उपर्युक्त सभी काले किए हुए पद किसी न किसी के नाम को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे पद जो किसी के नाम को बताते हैं, संज्ञा कहलाते हैं।

संज्ञा की परिभाषा – किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान,अवस्था, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं।

संज्ञा के प्रमुख तीन भेद हैं:

(क) व्यक्ति वाचक संज्ञा (ख) जातिवाचक संज्ञा (ग) भाववाचक संज्ञा

(क) **व्यक्ति वाचक संज्ञा –** जो संज्ञा शब्द एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे -

(i) **अमिताभ** पढ़ता है।
(ii) यह **ताजमहल** है।
(iii) मैं **मुम्बई** जाऊँगा।

पहले वाक्य में '**अमिताभ**' किसी विशेष व्यक्ति (लड़का) के नाम का बोध कराता

है (जो कि पढ़ता है) अन्य किसी का नहीं। दूसरे वाक्य में **'ताजमहल'** से एक ही वस्तु (ताजमहल, जिसका निर्माण शाहजहाँ ने अपनी पत्नी की याद में किया था) का बोध होता है, अन्य किसी का नहीं। इसी तरह **'मुंबई'** कहने से अन्य सभी शहरों का विचार छोड़कर एक ही विशेष नगर (मुंबई) का विचार मन में आता है। अत: एक ही व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध करवाने वाले शब्द व्यक्तिवाचक होते हैं। जैसे - **अमिताभ, ताजमहल** तथा **मुंबई**। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य शब्द उदाहरण स्वरूप इस तरह हैं -

व्यक्तियों के नाम – रजनीश, मोनिका, रिदम, मयंक आदि।
वस्तुओं के नाम – कुतुबमीनार, लाल किला, गंगा, यमुना, हिमालय आदि।
स्थानों के नाम – चण्डीगढ़, आगरा,अमेरिका, श्रीलंका, रूस आदि।

(ख) जातिवाचक संज्ञा – जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।

(i) **मनुष्य** बहुत स्वार्थी है।
(ii) **नदी** बह रही है।
(iii) **कौए** डाल पर बैठे हैं।

पहले वाक्य में **'मनुष्य'**, दूसरे वाक्य में **'नदी'** व तीसरे वाक्य में **'कौए'** ऐसे शब्द हैं जो कि अपनी सम्पूर्ण जाति का बोध कराते हैं। **'मनुष्य'** कहने से सभी मनुष्यों, **'नदी'** कहने से सभी नदियों तथा **'कौए'** कहने से सभी कौओं का बोध होता है, किसी एक का नहीं अत: **'मनुष्य'**, **'नदी'** **'कौए'** जातिवाचक संज्ञा है।

जातिवाचक संज्ञाओं के कुछ अन्य शब्द उदाहरण स्वरूप इस तरह हैं -

(i) पशु पक्षियों के नाम	–	गाय, घोड़ा, शेर, चिड़िया, तोता, मैना आदि।
(ii) फल-फूल, सब्जी, वृक्ष आदि के नाम	–	जामुन, आम, गेंदा, गुलाब, चमेली, आलू, पीपल आदि।
(iii) वृत्ति(कामकाज) सूचक नाम	–	लुहार, सुनार, बढ़ई, अध्यापक, कलर्क आदि।
(iv) स्थानसूचक	–	ग्राम, नगर, चौराहा, खेत आदि।
(v) द्रव्यसूचक	–	राशि व ढेर के रूप में पाई जाने वाली वस्तुएँ जैसे - बहने वाली वस्तुएँ - तेल, घी, पानी, दूध आदि।
(vi) धातुओं के नाम	–	सोना, चाँदी, हीरा, कोयला आदि।

(vii) **पदार्थों के नाम –** गेहूँ, चावल, दाल, मसाला आदि।

(viii) **समुदायसूचक –** समूह,समुदाय या झुण्ड का बोध कराने वाले शब्द जैसे – कक्षा, सेना, भीड़, गोष्ठी, सभा आदि।

(ग) **भाववाचक संज्ञा –** जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था,भाव आदि का ज्ञान हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे –

(i) आम में **मिठास** है।

(ii) मुझे अपना **बचपन** याद आ गया।

(iii) सभी मनुष्यों से **प्रेम** करो।

पहले वाक्य में '**मिठास**' से किसी वस्तु (आम) के गुण का पता चलता है। दूसरे वाक्य में '**बचपन**' से किसी व्यक्ति की विशेष अवस्था का पता चलता है तथा तीसरे वाक्य में '**प्रेम**' भाववाचक संज्ञा की पहचान से भाव का पता चलता है। अतः '**मिठास**','**बचपन**' '**प्रेम**' भाववचक संज्ञाएं हैं।

भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि उसका चित्र नहीं बन सकता। जैसे – बच्चे का चित्र बन सकता है, बचपन का नहीं। बर्फी का चित्र बन सकता है, मिठास का नहीं। पुस्तक का चित्र बन सकता है, पढ़ाई का नहीं।

भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य शब्द उदाहरण स्वरूप इस प्रकार हैं –

गुण – मित्रता, वीरता, योग्यता, उदारता आदि।
दोष – शत्रुता, कायरता, अयोग्यता आदि।
अवस्था – बचपन, जवानी, लड़कपन आदि।
भाव – दुःख, उदासी, घृणा, प्रेम आदि।

संज्ञा शब्दों के विषय में महत्त्वपूर्ण बातें

कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं तो कई बार जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में होता है। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं तो कभी विशेषण जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं।

(1) व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग

व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एकवचन में होता है, परन्तु कभी कभी किसी विशेष प्रसंग में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है अर्थात् जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष का बोध न करा कर उस

व्यक्ति के गुण या दोष से युक्त अनेक व्यक्तियों का बोध कराए, तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे -

आज भारत को भगत सिंहों की आवश्यकता है।

इस वाक्य में '**भगतसिंह**' व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्योंकि इस शब्द से केवल एक व्यक्ति विशेष स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद 'भगतसिंह' का बोध नहीं हो रहा है अपितु यहाँ 'भगत सिंहों' से उसके जैसे देशभक्तों का बोध हो रहा है। अत: यह व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक है।

अन्य उदाहरण

(i) हमें **विभीषणों** से बचकर रहना चाहिए।
(ii) भारत में **सीताओं** का अभाव नहीं है।
(iii) भारत में सदा **अभिमन्यु** उत्पन्न होते रहे हैं।

पहले वाक्य में '**विभीषण**' गद्दार के लिए, दूसरे वाक्य में '**सीता**' सती - साध्वी स्त्रियों के लिए तथा तीसरे वाक्य में '**अभिमन्यु** वीर बालकों के प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अत: ये व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक संज्ञाएं हैं।

(2) जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग

जब कोई जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध न करवाकर केवल किसी व्यक्ति विशेष का ही बोध करवाए, तब जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे -

गाँधी जी ने देश को आज़ाद करवाया।

इस वाक्य में 'गाँधी' जाति विशेष के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ अपितु '**गाँधी**' शब्द मोहनदास कर्मचन्द गाँधी जी का द्योतक है। अत: यह जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा है।

अन्य उदाहरण

(i) **नेता जी** ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया।
(ii) **पंडित जी** भारत के पहले प्रधानमंत्री थे।
(iii) देश को संगठित करने में **सरदार** की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी।

पहले वाक्य में '**नेता जी**', दूसरे वाक्य में '**पंडित**' तथा तीसरे वाक्य में '**सरदार**' शब्द किसी जाति विशेष के लिए प्रयुक्त नहीं हुए, अपितु 'नेता जी' से 'सुभाषचन्द्र बोस', 'पंडित जी' से 'जवाहर लाल नेहरू' तथा 'सरदार' से 'वल्लभभाई

पटेल' व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है। अत: ये जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं।

(3) भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग

भाववाचक संज्ञा एकवचन के रूप में ही प्रयुक्त होती है परन्तु जब किसी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है क्योंकि बहुवचन बनते ही भाववाचक संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के धर्म (गुण) का बोध न होकर पदार्थ का ही बोध होने लगता है।

जैसे - 'पहरावा' शब्द भाववाचक है। किन्तु इसके बहुवचन में परिवर्तित होते ही यह जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे - सब **पहरावे** अटैची में रख लो।

इस वाक्य में 'पहरावे' शब्द से वस्त्रों के गुण का बोध न होकर पहनने वाले वस्त्रों का बोध हो रहा है। अत: **'पहरावे'** जातिवाचक संज्ञा है।

अन्य उदाहरण

(i) मैं आप की **अच्छाइयों** को याद रखूँगा।

(ii) **दूरियाँ** मिटाओ, नज़दीकियाँ बनाओ।

(4) विशेषण शब्द का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग

विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। किन्तु कभी - कभी विशेषण जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं।

जैसे - **बड़ों** का आदर करो तथा **छोटों** को प्यार करो।

इस वाक्य में **'बड़ों'** और **'छोटों'** शब्द विशेषण होते हुए भी एक विशेष वर्ग का बोध करा रहे हैं। अत: **'बड़ों'** तथा **'छोटों'** शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं।

2. सर्वनाम

"चार्वी ने आशना से कहा कि आज शाम को चार्वी आशना के घर आएगी। चार्वी के साथ आरजू, चेष्टा और लोकेश भी आएंगे। तब चार्वी, आरजू, चेष्टा और लोकेश मेला देखने जाएंगे।"

उपर्युक्त गद्यांश के सभी वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही हैं परन्तु बार - बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग भाषा के प्रवाह में बाधा बन रहा है। लिखने, सुनने तथा पढ़ने में भी अटपटा लगता है। अत: इसे यदि इस प्रकार कहा जाए तो यह सहज ही ग्राह्य होगा जैसे -

"चार्वी ने आशना से कहा कि आज शाम को वह उसके घर आएगी। उसके साथ आरजू, चेष्टा और लोकेश भी आएंगे। तब हम मेला देखने जाएंगे।"

स्पष्ट है कि एक ही संज्ञा का बार-बार प्रयोग वाक्य प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। अत: उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे सर्वनाम कहलाते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में संज्ञा शब्दों की जगह पर लगने वाले 'वह', 'उस' तथा 'हम' सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम' का शाब्दिक अर्थ ही है, 'सब का नाम' अर्थात इनका प्रयोग सब के लिए होता है।

सर्वनाम की परिभाषा – जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे –

(i) जगदीश पढ़ रहा है, **उसकी** कल परीक्षा है।

(ii) प्रदीप ने सुरेश को कहा – '**तुम** कल **मुझे** मिलो।'

(iii) सैनिकों ने कहा – '**हम** देश की खातिर जान दे देंगे।'

(iv) अनीता बोली – 'मैं खाना पका रही हूँ।'

उपर्युक्त पहले वाक्य में 'राकेश' के स्थान पर 'उसकी' दूसरे वाक्य में 'प्रदीप' के स्थान पर 'मुझे' तथा 'सुरेश के स्थान पर 'तुम', तीसरे वाक्य में 'सैनिकों' के स्थान पर 'हम'; तथा चौथे वाक्य में 'अनीता' के स्थान पर 'मैं' सर्वनाम का प्रयोग किया गया है।

सर्वनाम के भेद

सर्वनाम के प्रमुख छ: भेद हैं –

(1)	पुरुषवाचक सर्वनाम	(2)	निश्चयवाचक सर्वनाम
(3)	अनिश्चयवाचक सर्वनाम	(4)	प्रश्नवाचक सर्वनाम
(5)	संबंधवाचक सर्वनाम	(6)	निजवाचक सर्वनाम

(1) पुरुषवाचक सर्वनाम

जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए या श्रोता या पाठक के लिए या किसी अन्य के लिए करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अत: किसी पुरुष अर्थात् व्यक्ति का सूचक सर्वनाम पुरुषवाचक होता है। जैसे –

उसने **मुझे** बताया कि **तुम** कल आओगी।

इस वाक्य में तीन तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं – 'उसने', 'मुझे' तथा 'तुम'। इसमें वक्ता ने अपने लिए 'मुझे' श्रोता के लिए 'तुम' तथा अन्य (जो उस

समय उपस्थित नहीं हैं) के लिए 'उसने' शब्दों का प्रयोग किया है। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं-

(क) **उत्तम पुरुष** – जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करे, उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे-मैं, मुझे, हम, हमारा, हमें आदि।

वाक्यों में प्रयोग

(i) अंकुर ने कहा- **मैं** खेलने जा रहा हूँ।

(ii) आशु ने कहा- **मुझे** सोने दो।

(iii) विद्यार्थियों ने अध्यापक से कहा- **हमें** आज छुट्टी दे दो।

यहाँ प्रथम वाक्य में '**मैं**' दूसरे वाक्य में '**मुझे**' तथा तीसरे वाक्य में '**हमें**' उत्तम पुरुष सर्वनाम हैं, क्योंकि ये क्रमशः वक्ता 'अंकुर', 'आशु' तथा 'विद्यार्थियों' के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं।

(ख) **मध्यम पुरुष**-जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करे, उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे-तू, तुम, तुझे, तेरे लिए, तेरा, तुम्हें आदि।

वाक्यों में प्रयोग-

(i) मैंने संदीप से कहा- **तुम** बहुत अच्छे हो।

(ii) मैंने सुशील से पूछा- **तुझे** क्या चाहिए?

(iii) अमित ने सुमित से कहा-**तुम्हारा** पता मेरे पास नहीं है।

यहाँ प्रथम वाक्य में '**तुम**' दूसरे वाक्य में '**तुझे**' तथा तीसरे वाक्य में '**तुम्हारा**' मध्यम पुरुष सर्वनाम हैं, क्योंकि ये क्रमशः 'संदीप', 'सुशील' तथा 'सुमित' संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं।

(ग) **अन्य पुरुष** – जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अन्य (जो उपस्थित नहीं होता) पुरुष के लिए करे, उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे-वह, वे, उनका, उनके, उन्हें आदि।

वाक्यों में प्रयोग

(i) अंजु ने पूछा – **वे** सब कहाँ हैं?

(ii) रमा ने कहा – **वह** आज नहीं आएगी।

(iii) केतकी ने कहा – **उनका** कुछ पता नहीं चला।

उपर्युक्त पहले वाक्य में '**वे**' दूसरे वाक्य में '**वह**' तथा तीसरे वाक्य में '**उनका**'

अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं क्योंकि ये सर्वनाम उन व्यक्तियों (अन्य व्यक्तियों) के लिए आए हैं, जिनके विषय में कुछ कहा जा रहा है।

(2) निश्चयवाचक सर्वनाम- जिन सर्वनामों से पास या दूर की वस्तु के बारे में निश्चित रूप से बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पास की वस्तु या व्यक्ति के लिए 'यह', 'ये', 'इस', 'इन' आदि सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं तथा दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए 'वह', 'वे', 'उन' आदि सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। जैसे-

पास पड़ी वस्तु के लिए - संदूक बहुत भारी है, **यह** यहाँ किसने रखा है?

पास खड़े व्यक्ति के लिए- रमेश अच्छा खेलता है, **यह** किसका लड़का है?

दूर पड़ी वस्तु के लिए - किताब गिरी पड़ी है, **वह** ले आओ।

दूर खड़े व्यक्ति के लिए- देखो, लड़का गिर गया है, **उसे** जाकर उठाओ।

उपर्युक्त वाक्यों में 'यह', 'वह' 'उसे' सर्वनाम शब्द किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का निश्चयपूर्वक बोध करा रहे हैं। अत : ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं।

अन्य उदाहरण

(i) तुम्हारा घर **यह** नहीं, **वह** है।

(ii) रमेश आ रहा है, **उसे** आने मत देना।

(iii) देखो, भिक्षुक बैठा हुआ है, **उसे** कुछ दे दो।

(3) अनिश्चयवाचक सर्वनाम- जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं कराते, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।

जैसे- (i) **कोई** बाहर खड़ा है।

(ii) **किसी** को भी बुला लाओ।

(iii) बाज़ार से **कुछ** ले आओ।

उपर्युक्त वाक्यों में 'कोई' तथा 'किसी' सर्वनाम शब्द व्यक्ति का तथा 'कुछ' सर्वनाम शब्द किसी वस्तु का अनिश्चित बोध कराने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं।

अन्य उदाहरण

(i) **कोई** बोल रहा है।

(ii) दाल में **कुछ** काला है।

(iii) **किसी** के रोने की आवाज़ आ रही है।

(4) प्रश्नवाचक सर्वनाम- जिन सर्वनामों से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न

का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, किसने, किसे, क्या आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं।

वाक्य में प्रयोग

(i) बाहर **कौन** है?

(ii) शीशा **किसने** तोड़ा है?

(iii) **किसे** मिलने जा रहे हो?

(iv) तुम **क्या** लिख रहे हो?

उपर्युक्त वाक्यों में **'कौन', 'किसने', 'किसे'** तथा **'क्या'** का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है, अत: ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं।

अन्य उदाहरण

(i) वहाँ **कौन** जाएगा?

(ii) **क्या** पढ़ रहे हो?

(iii) दरवाज़ा **किसने** खटखटाया?

(iv) **किसके** पास जा रहे हो?

(5) संबंधवाचक सर्वनाम – किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने वाले सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे –

(i) यह वही लड़का है, **जिसने** चोरी की थी।

(ii) **जो** सत्य बोलता है, वह डरता नहीं।

(iii) यह वही प्रदर्शनी है, **जिसे** तुम देखना चाहते थे।

(iv) वह आदमी आ गया, **जिससे** मैंने रुपये लिए थे।

उपर्युक्त पहले वाक्य में **'जिसने'** सर्वनाम शब्द 'लड़का' संज्ञा से, दूसरे वाक्य में 'जो' सर्वनाम शब्द **'वह'** सर्वनाम से', तीसरे वाक्य में **'जिसे'** सर्वनाम शब्द 'प्रदर्शनी' संज्ञा से तथा चौथे वाक्य में **'जिससे'** सर्वनाम शब्द 'आदमी' संज्ञा से सम्बन्ध प्रकट कर रहा है। अत: **'जिसने', 'जो', 'जिसे'** तथा **'जिससे'** सम्बन्ध वाचक सर्वनाम हैं।

अन्य उदाहरण

(i) जो करेगा, वह भरेगा।

(ii) जिसकी लाठी, **उसकी** भैंस

(iii) जिसने बच्चे को बचाया है, **उसे** सम्मानित किया जाएगा।

(iv) उसे मेरे सामने हाज़िर करो, **जिसने** अपराध किया है।

(6) **निजवाचक सर्वनाम** – निज अर्थात् अपना। जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।

जैसे – **आप, अपने आप, स्वयं, अपना** आदि। इनका प्रयोग तीनों पुरुषों में होता है। जैसे –

(i) **उत्तम पुरुष में प्रयोग**
- हम अपने आप चले जाएंगे।
- मैं आप चला जाऊँगा।

(ii) **मध्यम पुरुष में प्रयोग**
- तू अपना काम कर।
- तू आप चला जा।

(iii) **अन्य पुरुष में प्रयोग**
- वह अपने आप चला जाएगा।
- वह स्वयं चला जाएगा।

इनमें **'अपने आप', 'आप', 'अपना'** तथा **'स्वयं'** शब्द उत्तमपुरुष, मध्यमपुरुष और अन्य पुरुष के 'अपने आप' (स्वयं का) बोध करा रहे हैं। अत: ये निजवाचक सर्वनाम हैं।

सर्वनाम के प्रयोग में कुछ विशेष ज्ञातव्य बातें

(1) पुरुषवाचक 'वह' और निश्चयवाचक 'वह' में अंतर

पुरुषवाचक **'वह'** सर्वनाम का प्रयोग अन्य पुरुष के लिए होता है, जबकि निश्चयवाचक **'वह'** का प्रयोग पास या दूर की वस्तु के बारे में निश्चित बोध कराने के अर्थ में होता है। जैसे –

(i) **वह** आज ज़रूर आएगा। (पुरुषवाचक सर्वनाम)

(ii) तुम्हारी किताब यह नहीं, **वह** है। (निश्चयवाचक सर्वनाम)

उपर्युक्त पहले वाक्य में **'वह'** सर्वनाम शब्द से अन्य पुरुष का बोध हो रहा है अर्थात् जो उपस्थित नहीं है। अत: पहले वाक्य में प्रयुक्त **'वह'** पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरे वाक्य में **'वह'** सर्वनाम शब्द से 'किताब' की निश्चितता का बोध हो रहा है। अत: दूसरे वाक्य में **'वह'** निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है।

अन्य उदाहरण –

(i) **वह** तो चला गया होगा। (पुरुषवाचक सर्वनाम)

(ii) वह शायद कल आए। (पुरुषवाचक सर्वनाम)

(iii) उस दृश्य को देखो, वह कितना सुंदर है (निश्चयवाचक सर्वनाम)

(iv) उस मेज को उठाओ, वह कितना भारी है। (निश्चयवाचक सर्वनाम)

(2) पुरुषवाचक 'आप' तथा 'निजवाचक' आप में अंतर

(क) पुरुषवाचक **'आप'** सदा मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष में ही प्रयुक्त होता है। और यह आदरार्थक रूप में आता है। जबकि निजवाचक **'आप'** का प्रयोग तीनों पुरुषों में होता है। जैसे -

पुरुषवाचक 'आप' का प्रयोग

(i) आप यहाँ बैठिए। **(मध्यम पुरुष)**

(ii) महाराजा रणजीत सिंह बहुत वीर थे। **आप** कुशल प्रशासक थे। **(अन्य पुरुष)**

उपर्युक्त वाक्यों में (i) और (ii) में **'आप'** शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है क्योंकि (i) वाक्य में **'आप'** शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हुआ है तथा (ii) वाक्य में अन्य पुरुष (जो उपस्थित नहीं है) के लिए हुआ है।

निजवाचक 'आप' का प्रयोग

(i) वह **आप** चला जाएगा। **(अन्य पुरुष)**

(i) तुम अपने **आप** चले जाना **(मध्यम पुरुष)**

(iii) मैं अपने आप चला जाऊँगा। **(उत्तम पुरुष)**

उपर्युक्त (i),(ii) और (iii) वाक्यों में **'आप'** शब्द अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष के स्वयं का (अपने आप का) बोध करा रहे हैं। अतः ये निजवाचक सर्वनाम हैं।

(ख) पुरुषवाचक – 'आप' एकवचन है किन्तु सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है जबकि निजवाचक **'आप'** दोनों वचनों में प्रयुक्त होता है।

जैसे -

पुरुषवाचक 'आप' का एकवचन में प्रयोग

(i) आप बैठ जाइए। **(एकवचन)**

(ii) आप कब आओगे? **(एकवचन)**

निजवाचक 'आप' का एकवचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग

(i) मैं यह काम **आप** ही कर लूँगा। **(एकवचन)**

(ii) हम यह काम **आप** ही कर लेंगे (बहुवचन)

(3) आदर के लिए संज्ञाओं की तरह सर्वनाम शब्दों का भी बहुवचन में प्रयोग जैसे -

(i) मेरे पिता जी दिल्ली गए हुए है, **वे** आज आ जाएंगे।

(ii) **ये** बड़े अच्छे वक्ता हैं, आज **इनका** भाषण होगा।

पहले वाक्य में **'वे'**, दूसरे वाक्य में **'ये'** तथा **'इनका'** सर्वनाम यद्यपि एक व्यक्ति क्रमशः **'पिता जी'** तथा **'वक्ता'** के लिए प्रयुक्त हुए हैं, परन्तु आदर के कारण उनमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है।

(4) कभी - कभी अभिमान या अधिकार प्रकट करने के लिए 'मैं' के स्थान पर 'हम' सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। जैसे -

(i) अमन को अभिमान हो गया कि उससे तेज़ कोई नहीं दौड़ सकता।

तो अभिमान प्रकट करने के लिए ऐसे प्रसंगों में **'मैं'** की जगह **'हम'** का प्रयोग होगा। जैसे -

अगन को अभिमान हो गया कि **हम** से तेज़ कोई नहीं दौड़ सकता।

(ii) दीपक का मित्र रोहन बहुत बड़ा अफसर बन गया तो दीपक उसके पास जाकर उसे खाने की दावत देते हुए 'मेरा' शब्द की जगह 'हमारा' शब्द का प्रयोग करता है -

मित्र होने के नाते **हमारा** भी आप पर कुछ अधिकार है।

(5) 'तू' सर्वनाम का प्रयोग एकवचन में कम होता है। उसके स्थान पर 'तुम' का प्रयोग हो गया है किन्तु फिर भी 'तू' का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में होता है।

(i) **ईश्वर के लिए** - हे ईश्वर ! तू बहुत दयालु है।

(ii) **घनिष्ठ मित्र के लिए** - यार, तू ही तो मेरा सब कुछ है।

(iii) **नौकर के लिए** - तू काम कम करता है, बोलता ज्यादा है।

(iv) **उपेक्षा या अनादर करने के लिए** - तू तो बहुत नीच काम करता है।

(6) अनिश्चयवाचक सर्वनाम 'कोई' का प्रयोग - इसका प्रयोग मनुष्यों की ओर संकेत करने के लिए होता है। मुख्यतः मानवेतर (पशु, पक्षी, कीट, मकोड़े आदि) प्राणियों एवं निर्जीव वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग नहीं होता। किन्तु कभी - कभी मानवेतर प्राणियों के लिए **'कोई'** सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे - अँधेरे में किसी

की आहट सुनकर कहा जाता है - 'कोई' आ रहा है।'

यहाँ आने वाला 'कोई' मानव भी हो सकता है और मानवेतर प्राणी भी हो सकता है। निश्चितता नहीं है, इसलिए 'कोई' अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।

(7) अनिश्चयवाचक सर्वनाम 'कुछ' का प्रयोग - इसका निर्जीव वस्तुओं के अतिरिक्त मानवेतर प्राणियों के लिए भी होता है।

जैसे - थैले में **कुछ** है।

यहाँ यह नहीं पता कि थैले में क्या है। थैले में पुस्तक भी हो सकती है, सब्ज़ी भी हो सकती है या फिर कोई कीट - पतंगा भी हो सकता है। अतः निश्चित ज्ञान न होने के कारण 'कुछ' अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किन्तु कभी - कभी अपवादस्वरूप कुछ उदाहरण मिल जाते हैं। जैसे -

मानवों के लिए भी कभी - कभी 'कुछ' सर्वनाम प्रयुक्त होता है। जैसे -

वहाँ कई लोग थे, कुछ बैठे थे और **कुछ** खड़े थे।

'कुछ' (एकवचन) परिमाण तथा संख्या दोनों का बोध कराता है। जैसे -

(i) **परिमाण वाची रूप में** - आपके घर तो बहुत सब्ज़ियाँ लगती हैं। उनमें से कुछ हमें भी भिजवा दिया करो।

(ii) **संख्यावाची रूप में** - आपके घर यदि जगह की तंगी है तो अपने मेहमानों में से कुछ को हमारे घर भेज दो।

(8) 'कौन' और 'क्या' का प्रयोग - कौन सर्वनाम का प्रयोग मानव के लिए तथा 'क्या' सर्वनाम का प्रयोग मानवेतर प्राणियों या जड़ वस्तुओं के लिए होता है। जैसे -

(i) बाहर **कौन** आया है?

(ii) बाहर **क्या** है?

पहला वाक्य 'बाहर कौन आया है?' का उत्तर किसी मानव से सम्बन्धित होगा अर्थात् मोहन, सोहन, शीला, रमेश आदि कोई भी हो सकता है। यहाँ किसी पशु, पक्षी आदि के लिए **'कौन'** नहीं हो सकता।

दूसरा वाक्य 'बाहर क्या है?' का उत्तर कोई जड़ - पदार्थ या पशु, पक्षी आदि मानवेतर प्राणी कोई भी हो सकता है अर्थात् कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, तितली आदि हो सकता है या कोई जड़ - पदार्थ मेज़, कुर्सी, पत्थर आदि कुछ भी हो सकता है।

(9) हिन्दी में बहुत से सर्वनाम ऐसे हैं जिन्हें पुनरुक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तथा कुछ को संयुक्त रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे -

पुनरुक्ति रूप में सर्वनामों का प्रयोग - जहाँ एक ही सर्वनाम की दो बार आवृत्ति

होती है। जैसे -

सर्वनाम	उदाहरण
(i) अपना - अपना	**अपना – अपना** सामान बाँध लो।
(ii) किस - किस	**किस – किस** ने जाना है?
(iii) कोई - कोई	**कोई – कोई** ही ऐसा होता है।
(iv) कौन - कौन	**कौन – कौन** फिल्म देखने जा रहा है?
(v) कुछ - कुछ	मुझे कुछ – कुछ तो याद है।
(vi) क्या - क्या	**क्या – क्या** खरीदने गये थे?
(vii) जो - जो	**जो – जो** जाना चाहता है, अपना नाम लिखवा दे।
(viii) जिस - जिस	**जिस – जिस** ने जाना है, सुबह मेरे घर आ जाए।

(10) संयुक्त रूप में सर्वनाम का प्रयोग - कभी - कभी दो सर्वनाम संयुक्त रूप से प्रयुक्त होते हैं। जैसे -

(i) जो + कुछ = **जो कुछ** - तुम्हारे पास **जो कुछ** भी है, निकाल कर यहाँ रख दो।

(ii) जो + कोई = **जो कोई** – **जो कोई** भी उसके घर जाएगा, उससे मेरा नाता टूटा ही समझिए।

(11) संज्ञा की तरह सर्वनाम लिंग के अनुसार नहीं बदलते। सर्वनाम वाले वाक्यों में क्रिया के रूप से ही लिंग का बोध होता है। जैसे -

(i) लड़का पढ़ रहा था, वह सो गया।

(ii) लड़की पढ़ रही थी, वह सो गयी।

उपर्युक्त दोनों ही वाक्यों में पुल्लिंग कर्त्ता (लड़का) तथा स्त्रीलिंग कर्त्ता (लड़की) के लिए 'वह' सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। क्रिया के रूप 'सो गयी' से ही पता चलता है कि कौन सा 'वह' पुल्लिंग वाची है और कौन - सा स्त्रीलिंग वाची है।

संज्ञा के विकारी तत्त्व

इस अध्याय के शुरू में स्पष्ट कर दिया गया है कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। जैसे - लड़का से लड़की, लड़के, लड़कों, लड़कियाँ आदि अनेक रूप बनते हैं। संज्ञा में विकार लिंग, वचन व कारक के कारण होता है। अत: इन्हें संज्ञा के विकारी तत्त्व कहा जाता है। इनका क्रमश: विवेचन इस प्रकार है -

लिंग

(क)	(ख)
(1) बालक फुटबाल खेलता है।	(1) बालिका फुटबाल खेलती है।
(2) लेखक कहानी लिखता है।	(2) लेखिका कहानी लिखती है।
(3) लड़का पुस्तक पढ़ रहा है।	(3) लड़की पुस्तक पढ़ रही है।
(4) माली पौधों को पानी देता है।	(4) मालिन पौधों को पानी देती है।

उपर्युक्त **'क' वर्ग** के वाक्यों में **'बालक', 'लेखक', 'लड़का'** तथा **'माली'** शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं तथा **'ख' वर्ग** के वाक्यों में **'बालिका', 'लेखिका', 'लड़की'** तथा **'मालिन'** शब्द स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं अत: **'क' वर्ग** के शब्द पुल्लिंग तथा **'ख' वर्ग** के शब्द स्त्रीलिंग हैं। अत: शब्द के जिस रूप द्वारा यह जाना जाए कि जिसके विषय में बात की जा रही है, वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहा जाता है। हिन्दी में दो लिंग हैं -

(1) पुल्लिग (2) स्त्रीलिंग

(1) पुल्लिग – पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द 'पुल्लिंग' कहलाते हैं। जैसे -

(i) धोबी कपड़े धोता है।
(ii) कुत्ता भौंक रहा है।
(iii) कवि कविता सुनाता है।
(iv) घोड़ा घास खा रहा है।

उपर्युक्त वाक्यों में **'धोबी', 'कुत्ता', 'कवि'** तथा **'घोड़ा'** शब्द पुल्लिग हैं क्योंकि ये सभी शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं।

(2) स्त्रीलिंग – स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द 'स्त्रीलिंग' कहलाते हैं। जैसे -

(i) चिड़िया चहचहाती है।
(ii) नानी कहानी सुनाती है।
(iii) लड़की नाच रही है।
(iv) गाय घास खा रही है।

उपर्युक्त वाक्यों में **'चिड़िया', 'नानी', 'लड़की'** तथा **'गाय'** शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं; क्योंकि ये सभी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं।

लिंग पहचान के कुछ नियम

हिन्दी में दो लिंग हैं - पुल्लिग और स्त्रीलिंग। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिग होगा या स्त्रीलिंग। प्राणिवाचक शब्दों में लिंग की पहचान सरलता से हो जाती है। नर - वाचक शब्द पुल्लिग और मादा - वाचक शब्द स्त्रीलिंग के अन्तर्गत आते हैं। जैसे - पिता, लड़का, लुहार, घोड़ा, बकरा, बंदर, गधा, धोबी, अध्यापक आदि शब्द पुल्लिग हैं तथा माता, लड़की, लुहारिन, घोड़ी, बकरी, बंदरिया, गधी, धोबिन, तथा अध्यापिका शब्द स्त्रीलिंग हैं।

निर्जीव वस्तुओं जैसे - मेज़, कुर्सी, किताब, पानी, दूध आदि के लिंग निर्णय के सम्बन्ध में समस्या आती है। क्योंकि इनका भौतिक धरातल पर कोई लिंग नहीं होता। जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है,वे लिंग की पहचान में अनेक बार गलती कर देते हैं। जैसे - यह मेरा किताब है, यह मेरी स्कूटर है आदि। इस विषय में कुछ सामान्य नियम दिए जा रहे हैं -

(क) पुल्लिग की पहचान

(1) **अकारान्त तत्सम शब्द प्रायः पुल्लिग माने जाते हैं।** जैसे - वन, मन, नगर, धर्म, जल, खेल, संसार, उपवन आदि।

(2) **आकारान्त शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं।** जैसे - बुढ़ापा, घोड़ा, राजा, रास्ता, लोटा, हीरा, बेटा, लोहा, पिता, दादा आदि।

अपवाद - लता, चिड़िया, माता, चुड़िया, मैना आदि।

(3) **पर्वतों के नाम पुल्लिग होते हैं।** जैसे - हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, हिंदूकुश आदि।

(4) **धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिग होते हैं।** जैसे - सोना, पीतल, ताँबा, लोहा आदि।

अपवाद - चाँदी।

(5) **महीनों के नाम पुल्लिग होते हैं।** जैसे - जनवरी, फरवरी, मार्च, पूस, चैत्र, आषाढ़, फाल्गुन, बैशाख आदि।

(6) **दिनों के नाम पुल्लिग होते हैं।** जैसे - रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि।

(7) **द्रव पदार्थ प्रायः पुल्लिग होते हैं।** जैसे - तेल, घी, शरबत, पानी, दूध आदि।

अपवाद - लस्सी, शराब, चाय, कॉफी आदि।

(8) ग्रहों और तारों के नाम प्रायः पुल्लिग होते हैं। जैसे - राहु, केतु, मंगल, बुध, सूर्य, शनि आदि।
अपवाद - पृथ्वी

(9) वृक्षों के नाम प्रायः पुल्लिग होते हैं। जैसे - कीकर, अशोक, पीपल, आम, जामुन, वट, चीड़, अनार, देवदार आदि।
अपवाद - नीम, बेरी, इमली।

(10) अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिग होते हैं। जैसे - चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, मक्का, चावल आदि
अपवाद - ज्वार, सरसों, अरहर आदि।

(11) पन, पा,आप, आव, प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिग होते हैं। जैसे - बचपन, बुढ़ापा, मिलाप, बहाव आदि।

(12) जिन शब्दों के अंत में 'त्र' वर्ण आता है, वे प्रायः पुल्लिग होते हैं। जैसे - क्षेत्र, वस्त्र, चित्र, चरित्र, शास्त्र आदि।

(13) देशों के नाम भी पुल्लिग होते हैं। जैसे - भारत, जापान, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, रूस आदि।

(14) सागरों के नाम भी पुल्लिग होते हैं। जैसे - प्रशांत महासागार, अंध महासागर, हिंद महासागर आदि।

(15) महाद्वीपों के नाम भी पुल्लिग होते हैं। जैसे - एशिया, यूरोप, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदि।

(16) वर्णमाला के अक्षर प्रायः पुल्लिग होते हैं। जैसे -
अ, आ, उ, ऊ, क, ख, च, ट, न, म आदि
अपवाद - इ, ई, ऋ।

(17) जिन शब्दों के अंत में 'आर' होता है, वे प्रायः पुल्लिग होते हैं। जैसे - सुनार, कहार, संसार, विस्तार, आदि।

(18) रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिग होते हैं। जैसे - हीरा, पन्ना, लाल, पुखराज, मूंगा।
अपवाद - मणि।

(ख) स्त्रीलिंग की पहचान

(1) इकारान्त तत्सम शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे - जाति, शांति, भक्ति, शक्ति, नीति, हानि, पति, रात्रि,अग्नि, विधि, राशि, छवि, आदि।

(2) **हिन्दी की ईकारान्त संज्ञाएँ प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं।** जैसे- रोटी, चाँदी, बीमारी, सवारी, चीनी, चोटी, नदी, लड़की, रानी, बकरी, टोपी, लेखनी, ताली आदि।
अपवाद - हाथी, धोबी, मोची, मोती, पानी, घी आदि।

(3) **भाषाओं और लिपियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं।** जैसे - रोमन, देवनागरी, अरबी, मराठी, गुजराती, फारसी, खरोष्ठी, सिन्धी, पंजाबी, गुरुमुखी आदि।

(4) **नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं।** जैसे - सतलुज, रावी, गंगा, कृष्णा,यमुना, कावेरी आदि।
अपवाद - -ब्रह्मपुत्र ।

(5) **जिन शब्दों के अंत में ता, ई, आई, इया, आवट, आहट, आस,** आदि प्रत्यय लगते हैं, वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे - वीरता, मित्रता, ठगी, हँसी, पढ़ाई, कमाई, सिलाई, चिड़िया, डिबिया, लिखावट, गिरावट, मुस्कराहट, घबराहट, मिठास, खट्टास आदि।

(6) **'उ' अंत वाली तत्सम संज्ञाएँ प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं।** जैसे - आयु, धातु, वस्तु, मृत्यु, ऋतु आदि।

(7) **तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं।** जैसे - प्रतिपदा, प्रथमा, द्वितीया, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी अमावस्या आदि।

(8) **नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं।** जैसे - अश्विनी, कृतिका, रोहिणी, भरणी।

(9) **जिन संज्ञा शब्दों के अंत में 'ख' वर्ण आता है, वे प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं।** जैसे - ईख, लाख, भूख, कोख, आदि।

(10) **लघु आकार वाचक आकारान्त संज्ञाएँ प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं।** जैसे - डिबिया, खटिया, लुटिया, पुड़िया, चिड़िया आदि।

(11) **कुछ प्राणिवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग रूप में ही होता है।** जैसे - सवारी, नर्स, सुहागिन, सती, आदि।

विशेष - (i) **नित्य पुल्लिग** - जिन शब्दों का प्रयोग नित्य (सदैव) पुल्लिग रूप में ही होता है, वे नित्य पुल्लिग कहलाते हैं। जैसे - खरगोश, भेड़िया, चीता, खटमल, कौआ, गैंडा, कछुआ, तोता, पशु, मच्छर, उल्लू, बाज, गरुड़, बिच्छू आदि।

(ii) **नित्य स्त्रीलिंग** - जिन शब्दों का प्रयोग नित्य स्त्रीलिंग रूप में ही होता है,

वे नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे - कोयल, मैना, मक्खी, जूँ, मछली, तितली, जोंक, चील, गिलहरी, मकड़ी, दीमक, बुलबुल, लोमड़ी आदि।

ऐसे शब्दों में पुरुष जाति को बताने के लिए पहले 'नर' तथा स्त्रीलिंग को बताने के लिए पहले 'मादा' शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे - नर मक्खी, मादा लोमड़ी, मादा कोयल, नर कोयल आदि।

वचन

निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए -

(क)	(ख)
(i) लड़का खेलता है।	(i) लड़के खेलते हैं।
(ii) लड़की खेलती है।	(ii) लड़कियाँ खेलती हैं।
(ii) बच्चा सो रहा है।	(iii) बच्चे सो रहे हैं।
(iv) कुत्ता भौंक रहा है।	(iv) कुत्ते भौंक रहे हैं।
(v) चिड़िया उड़ रही है।	(v) चिड़ियाँ उड़ रही हैं।

उपर्युक्त 'क' वर्ग के वाक्यों में 'लड़का', 'लड़की', 'बच्चा', 'कुत्ता' तथा 'चिड़िया' शब्दों से एक की संख्या का बोध होता है तथा 'ख' वर्ग के वाक्यों में 'लड़के' 'लड़कियाँ', 'बच्चे', कुत्ते' तथा 'चिड़ियाँ' शब्दों से एक से अधिक संख्या का बोध होता है। अत: ऐसे शब्द जिन से संज्ञाओं की संख्या का पता चलता है, वे 'वचन' कहलाते हैं।

वचन के भेद

वचन के दो भेद हैं (1) एकवचन (2) बहुवचन

(1) **एकवचन** – शब्द के जिस रूप से एक का बोध होता है, उसे एकवचन कहते हैं। जैसे -

(i) गाय चर रही है।

(ii) कबूतर उड़ रहा है।

(iii) गाड़ी चल रही है।

(iv) लड़की पढ़ रही है।

उपर्युक्त वाक्यों में 'गाय', 'कबूतर','गाड़ी' तथा 'लड़की' शब्द एकवचन हैं; क्योंकि इनसे एक ही 'गाय', 'कबूतर','गाड़ी' और 'लड़की' का बोध हो रहा है।

(2) **बहुवचन** – शब्द के जिस रूप से अधिक का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे –

(i) स्त्रियाँ पानी भर रही हैं।

(ii) पुस्तकें अलमारी में पड़ी हैं।

(iii) लड़के नाच रहे हैं।

(iv) घोड़े दौड़ रहे हैं।

उपर्युक्त वाक्यों में 'स्त्रियाँ', 'पुस्तकें', 'लड़के', तथा 'घोड़े' शब्द बहुवचन हैं; क्योंकि इनसे एक से अधिक स्त्रियों , पुस्तकों, लड़कों तथा घोड़ों का बोध हो रहा है।

वचन की पहचान

(1) वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से हो जाती है।

संज्ञा शब्दों से –

(क)	(ख)
(i) बकरी चर रही है।	(i) बकरियाँ चर रही हैं।
(ii) कपड़ा उड़ रहा है।	(ii) कपड़े उड़ रहे हैं।
(iii) पंखा चल रहा है।	(iii) पंखे चल रहे हैं।
(iv) नदी बह रही है।	(iv) नदियाँ बह रही हैं।

उपर्युक्त वाक्यों में 'बकरी', 'कपड़ा', 'पंखा', तथा 'नदी' संज्ञा के एकवचन रूप हैं तथा 'बकरियाँ ','कपड़े', 'पंखे' तथा 'नदियाँ' संज्ञा के बहुवचन रूप हैं।

सर्वनाम शब्दों से –

(क)	(ख)
(i) वह जा रहा है।	(i) वे जा रहे हैं।
(ii) यह कौन है?	(ii) ये कौन हैं?
(iii) मैं कल जाऊँगा।	(iii) हम कल जाएंगे।

उपर्युक्त वाक्यों में 'वह', 'यह' और 'मैं' सर्वनाम शब्दों के एकवचन रूप हैं तथा 'वे','ये',तथा 'हम' सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप हैं।

(2) जब संज्ञा अथवा सर्वनाम से वचन का बोध न हो तो क्रिया से वचन का पता लग जाता है। जैसे -

(क)	(ख)
(i) बालक पढ़ रहा है।	(i) बालक पढ़ रहे हैं।
(ii) सिंह दहाड़ता है।	(ii) सिंह दहाड़ते हैं।
(iii) फूल खिलता है।	(iii) फूल खिलते हैं।
(iv) हाथी जा रहा है।	(iv) हाथी जा रहे हैं।

उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया से ही एकवचन तथा बहुवचन का ज्ञान हो रहा है। 'पढ़ रहा है', 'दहाड़ता है', 'खिलता है' तथा 'जा रहा है' क्रियाएँ एकवचन के रूप में प्रयुक्त हुई हैं। अत: 'क' वर्ग में क्रमश: बालक, सिंह, फूल तथा हाथी एकवचन हैं जबकि 'पढ़ रहे हैं', 'दहाड़ते हैं', 'खिलते हैं' तथा 'जा रहे हैं' क्रियाएँ बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुई है। अत: 'ख' वर्ग में प्रयुक्त संज्ञा शब्द क्रमश: 'बालक', सिंह', 'फूल' तथा 'हाथी' बहुवचन हैं।

(3) व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का एकवचन में प्रयोग होता है -

(क) व्यक्तिवाचक संज्ञा का एकवचन में प्रयोग

(i) प्रवीण खेल रहा है।

(ii) प्रदीप कल चला जाएगा।

(iii) सुधा दिल्ली जाएगी।

(ख) भाववचक संज्ञाओं का एकवचन में प्रयोग -

(i) उसका मोटापा बढ़ता जा रहा है।

(ii) आज बहुत थकावट हो रही है।

(iii) ज्यादा चतुराई न दिखाओ।

(iv) उसकी योग्यता की अवहेलना नहीं की जा सकती ।

(4) जातिवाचक संज्ञाएँ दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होती हैं। किन्तु धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएँ एकवचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे -

(i) सोना महँगी वस्तु है।

(ii) पीतल की तुलना में लोहा अधिक उपयोगी है।

एकवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग

(1) आदर, प्रतिष्ठा, योग्यता आदि दर्शाने के लिए एकवचन के स्थान पर बहुवचन

का प्रयोग होता हैं। जैसे -

(i) मेरे बड़े भाई आए हैं।

(ii) मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट हैं।

(iii) आज माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे।

उपर्युक्त वाक्यों में 'बड़े भाई', 'प्रेमचंद' तथा 'प्रधानमंत्री' एक व्यक्ति से संबंधित हैं; किन्तु आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है।

(2) बड़प्पन दिखाने के लिए कुछ लोग मैं (एकवचन) के स्थान पर हम (बहुवचन) का प्रयोग करते हैं। जैसे -

(i) मालिक ने नौकर से कहा, "**हम** घूमने जा रहे हैं।"

(ii) गुरु जी ने कहा, "आज **हम** एक कथा सुनाएंगे।"

उपर्युक्त वाक्यों में 'मालिक' और 'गुरु जी' एकवचन हैं, किन्तु बड़प्पन प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने मैं (एकवचन) के स्थान पर 'हम' (बहुवचन) का प्रयोग किया है।

(3) अभिमान तथा अधिकार को प्रकट के लिए अपने लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है।

(क) अभिमान प्रकट करने के लिए

(i) **हमें** तुम्हारी कोई चिंता नहीं है।

(ii) तुम्हें **हमसे** बेहतर कोई नहीं मिलेगा।

(ख) अधिकार प्रकट करने के लिए

(i) **हमारी** बात भी सुनो।

(ii) **हम** यहाँ कितनी देर से बैठे हैं और तुम सुनते तक नहीं।

उपर्युक्त वाक्यों में 'हमें', 'हमसे','हमारी', 'हम', शब्द अभिमान तथा अधिकार प्रकट करने के लिए बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुए हैं।

(4) प्राण, लोग, दर्शन, होश, हस्ताक्षर, आँसू, केश आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रायः बहुवचन में होता है। जैसे -

(i) **प्राण** -उसके तो प्राण ही निकल चले थे।

(ii) **लोग** -वहाँ बहुत लोग मौजूद थे।

(iii) **दर्शन**- आजकल उसके दर्शन ही नहीं होते।

(iv) **होश**- बेटे के फेल होने की खबर सुनकर पिता के होश उड़ गये।

(v) **हस्ताक्षर** - प्रिंसीपल ने मेरे प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए।
(vi) **आँसू** - तुम्हारे आँसू क्यों बह रहे हैं?
(vii) **केश** - उसके केश बड़े सुंदर हैं।

(5) साधारण भाषा में 'तू' (एकवचन) के स्थान पर 'तुम' (बहुवचन) का प्रयोग होता है। जैसे -
(i) यदि तुम कल आ जाओगे तो अच्छा रहेगा।
(ii) आज तुम शाम को क्या कर रहे हो?

(6) कुछ एकवचन संज्ञा शब्दों के साथ 'लोग' तथा 'जन' शब्द जुड़ने से उसका बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे -
(i) **गरीब लोग** मँहगाई से दबते जा रहे हैं।
(ii) **भक्तजन** विभोर हो उठे।

बहुवचन के स्थान पर एकवचन का प्रयोग

(1) कभी - कभी एकवचन संज्ञा शब्दों में 'जाति', 'वर्ग', 'गण', 'वृन्द', 'दल' आदि जोड़कर बहुवचन रूप बनता है। जैसे -

स्त्री + जाति = **स्त्रीजाति**, अध्यापक + वर्ग = **अध्यापक वर्ग**, पक्षी + वृन्द = **पक्षी वृन्द**, सैनिक + दल = **सैनिक दल**

विशेष - ऐसे शब्दों का प्रयोग एकवचन में ही होता हैं जैसे -
(i) आज **स्त्री - जाति** अपने अधिकारों के प्रति सजग है।
(ii) **अध्यापक - वर्ग** भी अपने कर्त्तव्यों से विमुख होता जा रहा है।
(iii) **पक्षी - वृन्द** वृक्ष पर बैठा है।
(iv) **सैनिक - दल** शत्रु का नाश कर रहा है।

(2) पानी, वर्षा, जनता आदि अधिकता प्रकट करने वाले शब्दों का सदैव एकवचन में ही प्रयोग होता है। जैसे -
(i) वहाँ ढेर पानी जमा हो गया है।
(ii) देखो, वर्षा हो रही है।
(iii) शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जनता उमड़ पड़ी।

उपर्युक्त वाक्यों में **'पानी'**, **'वर्षा'** तथा **'जनता'** अधिकता दर्शाते हुए भी एकवचन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं।

कारक

नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो -

1 राम ने बाण से बाली को मारा।

2 मोहन ने पेन से कागज़ पर चित्र बनाया।

3 बंकिम ने 'वंदे मातरम' की रचना की।

यदि पहले वाक्य को इस ढंग से लिखें 'राम बाण बाली मारा' तो वाक्य में आए (राम - बाण - बाली तथा मारा) शब्दों का एक दूसरे से सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता और न ही अर्थ स्पष्ट होता है। इसलिए इस वाक्य में आए 'ने', 'से' और 'को' चिह्न वाक्य के अन्य शब्दों का परस्पर सम्बन्ध जोड़ते हैं।

इसी प्रकार यदि दूसरे वाक्य को इस प्रकार लिखें -

मोहन - पेन - कागज़ - एक चित्र बनाया।

तो वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता और न ही अर्थ स्पष्ट होता है। इसलिए इस वाक्य में आए 'ने', 'से' और 'पर' चिह्न वाक्य के अन्य शब्दों से परस्पर सम्बन्ध जोड़ते हैं। इसी तरह तीसरे वाक्य में 'ने' और 'की' चिह्न वाक्य के शब्दों को एक दूसरे से जोड़ते हैं।

अत: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका सम्बन्ध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं।

कारक विभक्ति

कारकों का रूप प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिह्न लगाए जाते हैं, उन्हें विभक्ति कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम शब्दों के बाद जुड़ने के कारण इन विभक्तियों को परसर्ग कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में प्रयुक्त हुए 'ने', 'से', 'को', 'की' तथा 'पर' कारक विभक्ति या परसर्ग हैं। विभक्ति युक्त शब्द 'पद' कहलाते हैं। जैसे -

राम ने, बाण से, बाली को, मोहन ने, पेन से, कागज़ पर, बंकिम ने तथा वंदे मातरम की।

कारक के भेद

हिन्दी में आठ कारक होते हैं। इनके नाम व विभक्ति चिह्न इस प्रकार हैं-

क्रमांक	कारक का नाम	विभक्ति चिह्न (परसर्ग)
1	कर्त्ता	ने
2	कर्म	को
3	करण	से
4	सम्प्रदान	के लिए, को
5	अपादान	से जुदाई
6	सम्बन्ध	का, के, की
7	अधिकरण	में, पर
8	सम्बोधन	हे, रे, अरे

(1) कर्त्ता कारक

वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद के द्वारा क्रिया के करने वाले का ज्ञान होता है, उसे कर्त्ता कारक कहते हैं। जैसे-

राम ने पाठ पढ़ा।

इस वाक्य में पढ़ने का कार्य राम ने किया है अर्थात् राम कर्त्ता है। अत: 'राम ने' कर्त्ता कारक है।

कर्त्ता कारक का मुख्य चिह्न 'ने' है। इसका प्रयोग सकर्मक क्रिया के कर्त्ता के साथ भूतकाल के निम्नलिखित रूपों में होता है। जैसे-

(i) सामान्य भूतकाल — मेधावी ने पुस्तक पढ़ी।
(ii) आसन्न भूतकाल — मेधावी ने पुस्तक पढ़ी है।
(iii) पूर्ण भूतकाल — मेधावी ने पुस्तक पढ़ी थी।
(iv) संदिग्ध भूतकाल — मेधावी ने पुस्तक पढ़ी होगी।
(v) संभाव्य भूतकाल — शायद मेधावी ने पुस्तक पढ़ी हो।

कर्त्ता कारक के सम्बन्ध में विशेष टिप्पणियाँ

(i) वर्तमान काल में कर्त्ता के साथ 'ने' परसर्ग प्रयुक्त नहीं होता। जैसे-

गोपाल गीत गाता है।

(ii) भविष्यत् काल में भी कर्त्ता के साथ 'ने' परसर्ग नहीं लगता। जैसे -

वह पत्र लिखेगा।

(iii) जहाँ अनिवार्यता, आवश्यकता, कर्त्तव्य की ओर ध्यान दिलाने की बात हो, वहाँ 'चाहिए', 'पड़ना' आदि क्रियाओं के कर्त्ता के साथ 'को' परसर्ग लगता है। जैसे: -

सुरेश को स्कूल जाना है।
अब **बच्चे को** सो जाना चाहिए।
अमित को अस्पताल जाना पड़ता है।

(iv) पसन्द,अनुभव से सम्बन्धित क्रियाओं के कर्त्ता के साथ 'को' चिह्न लगता है। जैसे -

उसको भूख लगी है।
राम को गुस्सा आया।

(v) असमर्थता का भाव दर्शाने के लिए कर्त्ता के साथ 'से' परसर्ग प्रयुक्त होता है। जैसे -

रवि से पीड़ा सही नहीं जाती।

(vi) कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्त्ता के साथ 'से','द्वारा', 'के द्वारा' परसर्ग लगते हैं। जैसे -

राम से पाठ पढ़ा गया।
विद्यार्थियों द्वारा नाटक खेला गया।
राम के द्वारा घोड़ों को खरीदा जाता है।

(vii) कुछ अकर्मक क्रियाओं जैसे छींकना, खाँसना, ताकना, थूकना आदि के कर्त्ता के साथ 'ने' परसर्ग लगता है। जैसे -

उस ने छींका।
मोहन ने सड़क पर थूका।
रोहित ने ज़ोर से खाँसा।

(2) कर्म कारक

वाक्य की जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं।

जैसे - राम ने **रावण को** मारा।

इस वाक्य में 'मारा' क्रिया है तथा 'राम' कर्त्ता है। क्रिया का फल 'रावण' पर पड़

रहा है अर्थात् 'रावण' कर्म है। अत: वाक्य में **'रावण को'** कर्म कारक है।

कर्म कारक के सम्बन्ध में विशेष टिप्पणियाँ

(i) कई वाक्यों में दो कर्म होते हैं। एक मुख्य कर्म होता है और दूसरा गौण कर्म। गौण कर्म के साथ 'को' परसर्ग का प्रयोग होता है, मुख्य कर्म के साथ नहीं। जैसे –

अध्यापक ने **विद्यार्थियों को** पाठ पढ़ाया।

इस वाक्य में दो कर्म हैं – 1 **विद्यार्थियों को**

2 **पाठ**

इस वाक्य में – पहला कर्म 'विद्यार्थियों को' तथा दूसरा कर्म 'पाठ' है। वाक्य में पहला कर्म गौण है अत: उसके साथ 'को' परसर्ग प्रयुक्त हुआ है दूसरा मुख्य कर्म है इसलिए उसके साथ कोई परसर्ग नहीं लगा।

(ii) अप्राणिवाचक कर्म के साथ 'को' चिह्न' नहीं लगता। जैसे –

विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है।

यहाँ पुस्तक अप्राणिवाचक कर्म के साथ 'को' परसर्ग के अभाव में भी कर्म कारक का सम्बन्ध प्रकट हो रहा है। परन्तु जब कभी कर्म की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक होता है वहाँ अप्राणिवाचक कर्म के साथ 'को' परसर्ग लगता है। जैसे –

इन **कपड़ों को** उठा लीजिए।

यहाँ अप्राणिवाचक 'कपड़ों' की ओर ध्यान दिलाया जा रहा है, इसीलिए कर्म (कपड़ों) के साथ 'को' परसर्ग लगा है।

(iii) प्राणिवाचक कर्म के साथ 'को' चिह्न लगता है। जैसे –

माँ **बच्चे को** दूध पिलाती है।

(iv) गतिवाचक क्रियाओं में स्थानसूचक कर्म के साथ 'को' परसर्ग नहीं लगता। जैसे –

राम स्कूल जा रहा है।

(3) करण कारक

करण का अर्थ है साधन। कर्त्ता जिस साधन की सहायता से क्रिया सम्पन्न करता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे –

रमा ने **पैन से** पत्र लिखा।

इस वाक्य में 'लिखा' क्रिया का साधन 'पैन' है। अत: **'पैन से'** करण कारक है।

यद्यपि करण कारक का प्रमुख चिह्न 'से' है किन्तु कहीं-कहीं करण कारक में 'द्वारा', 'के द्वारा', 'के जरिए' चिह्नों का प्रयोग भी होता है। 'द्वारा', 'के द्वारा' तथा 'के जरिए' चिह्नों का प्रयोग प्रायः मध्यस्थता सूचक शब्दों के साथ होता है। जैसे -

पत्र के द्वारा सूचना मिलते ही मैं आ गया।

मोहन के द्वारा हमें उसकी माता जी के स्वर्गवास होने की सूचना मिली।

डाक के जरिए हम पार्सल भेजते हैं।

उपर्युक्त वाक्यों में पत्र, मोहन, डाक मध्यस्थता सूचक शब्द हैं। इनके माध्यम से क्रिया निष्पन्न हुई है। अतः यहाँ करण कारक है।

करण कारक के सम्बन्ध में विशेष टिप्पणियाँ -

(i) साधन का मूर्त होना ज़रूरी नहीं है। जहाँ साधन अमूर्त रूप में आए, वहाँ भी कारण कारक होता है। जैसे -

विचार से ही चरित्र का निर्माण होता है।

यहाँ चरित्र निर्माण का साधन 'विचार' अमूर्त्त रूप में है। इसलिए 'विचार से' करण कारक है।

(ii) शरीर के किसी अंग में विकार दिखलाने के लिए करण कारक में 'से' परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे -

मोहन **एक पैर से** लंगड़ा है।

(iii) कार्य के कारण सूचक शब्द के साथ भी करण कारक के अर्थ में 'से' परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे -

वह **कैंसर से** पीड़ित है।

इस वाक्य में पीड़ित होने का कारण 'कैंसर' है। अतः 'कैंसर से' करण कारक है।

(iv) दशा या स्थिति सूचक शब्द के साथ करण कारक के अर्थ में 'से' परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे -

कर्ण **स्वभाव से** ही दानवीर था।

इस वाक्य में दशा सूचक शब्द स्वभाव के साथ 'से' परसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अतः 'स्वभाव से' करण कारक है।

(v) परसर्ग के अभाव में भी करण कारक का अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे-

मैं कानों सुनी बात कह रहा हूँ।

इस वाक्य में कानों (साधन) के साथ कोई परसर्ग नहीं लगा ।

(vi) करण कारक का परसर्ग 'से' है। इसके अलावा करण कारक के अर्थ में 'द्वारा' तथा 'के जरिए' परसर्ग का प्रयोग भी होता है। 'के द्वारा' तथा 'के जरिए' मध्यस्थता सूचक शब्द हैं और इनका प्रयोग प्राय: किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच मध्यस्थता दर्शाते समय होता है। जैसे-

पत्र के द्वारा सूचना मिलते ही मैं आ गया।

डॉली के जरिए मुझे पता चला कि तुम्हारा स्थानांतरण हो गया है।

(4) सम्प्रदान कारक

जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए, उसे सम्प्रदान कारक कहते हैं।

विद्यार्थी पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं।

राजा भिखारी को धन देता है।

पहले वाक्य में 'पढ़ने के लिए' तथा दूसरे वाक्य में 'भिखारी को' सम्प्रदान कारक है, क्योंकि 'जाने ' तथा 'देने' की क्रियाओं का कार्य इनके लिए हुआ है।

सम्प्रदान कारक के सम्बन्ध में विशेष टिप्पणियाँ-

'के लिए' प्रयोजन सूचक शब्द है। 'के वास्ते', 'की खातिर', 'के हेतु' तथा 'के निमित्त' भी प्रयोजन सूचक शब्द हैं, जोकि 'के लिए' के ही पर्याय हैं। अत: सम्प्रदान कारक में इनका प्रयोग भी उसी अर्थ में होता है जैसे 'के लिए' का।

जैसे -

हमें गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए।

उपर्युक्त वाक्य को इस तरह भी प्रयुक्त कर सकते हैं-

हमें गरीबों के वास्ते कुछ करना चाहिए।

हमें गरीबों की खातिर कुछ करना चाहिए।

हमें गरीबों के निमित्त कुछ करना चाहिए।

हमें गरीबों के हेतु कुछ करना चाहिए।

(5) अपादान कारक

जिस संज्ञा से पृथक्ता अर्थात् अलग होने का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे-

वृक्ष से पत्ते गिरे।

इस वाक्य में पत्तों का वृक्ष से अलग होने का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अत: 'वृक्ष से' अपादान कारक है।

अपादान कारक के सम्बन्ध में विशेष टिप्पणियाँ

अपादान कारक का प्रयोग किसी से सीखने, लजाने, डरने, बचाने, तुलना करने, माँगने, निकलने, (उद्भव) तथा दूरी आदि का भाव दर्शाने में भी होता है। जैसे-

(i) घृणा करने के अर्थ में	मुझे **झूठ से** घृणा है।
(ii) सीखने के अर्थ में	विद्यार्थी **अध्यापक से** पढ़ते हैं।
(iii) लजाने के अर्थ में	कविता अपने **पति** से लजाती है।
(iv) तुलना के अर्थ में	गीता **सुधा** से अच्छा गाती है।
(v) बचाने के अर्थ में	मैंने मोहन को **शेर** से बचाया।
(vi) माँगने के अर्थ में	भिखारी ने **राजा से** धन माँगा।
(vii) उद्भव के अर्थ में	गंगा **हिमालय** से निकलती है।
(viii) दूरी के अर्थ में	मेरा स्कूल **घर से** बहुत दूर है।
(ix) डरने के अर्थ में	वह **बाघ** से डरता है।

(6) सम्बन्ध कारक

जहाँ दो संज्ञाओं या सर्वनामों का आपस में संबंध प्रकट हो, वहाँ सम्बन्ध कारक होता है। जैसे-

(i) यह **बलदेव की** किताब है।

(ii) **मुकेश के** लड़के ने नया पैन खरीदा है।

(iii) **सीता की** बहन गीता कक्षा में प्रथम आई है।

उपर्युक्त पहले वाक्य में 'बलदेव ' का 'किताब' से स्वामी -वस्तु का सम्बन्ध, दूसरे वाक्य में 'मुकेश' का 'लड़के' से पिता-पुत्र का सम्बन्ध तथा तीसरे वाक्य में 'सीता' का 'बहन' से बहन-बहन का सम्बन्ध प्रकट हो रहा है। अत: 'बलदेव की', 'मुकेश के' तथा 'सीता की' सम्बन्ध कारक है।

सम्बन्ध कारक के सम्बन्ध में विशेष टिप्पणियाँ

सम्बन्ध कारक में 'का के की' के अतिरिक्त 'रा, रे, री' तथा 'ना, ने, नी' परसर्गों का प्रयोग भी होता है। जैसे -

(i) यह **मेरा** घर है। (रा का प्रयोग)

(ii) **मेरी** पुस्तक कहाँ है ? (री का प्रयोग)

(iii) **मेरे** मामा जी आज आएंगे। (रे का प्रयोग)

(iv) **अपना** स्कूल बहुत अच्छा है। (ना का प्रयोग)

(v) सभी **अपने – अपने** घर जाओ (ने का प्रयोग)

(vi) मैं **अपनी** दीदी के घर जा रहा हूँ (नी का प्रयोग)

रा, रे, री तथा ना, ने, नी के व्यावहारिक रूप -

सर्वनाम		संबंध सूचक		प्रयोग में व्यावहारिक रूप
तू	+	का	=	तेरा
तू	+	के	=	तेरे
तू	+	की	=	तेरी
तुम	+	का	=	तुम्हारा
तुम	+	के	=	तुम्हारे
तुग	+	की	=	तुम्हारी
मैं	+	का	=	मेरा
मैं	+	के	=	मेरे
मैं	+	की	=	मेरी
हम	+	का	=	हमारा
हम	+	के	=	हमारे
हम	+	की	=	हमारी
अपन	+	का	=	अपना
अपन	+	के	=	अपने
अपन	+	की	=	अपनी

(7) अधिकरण कारक

अधिकरण का अर्थ है – आधार। अत: जहाँ संज्ञा या सर्वनाम शब्द के आधार का पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे -

पुस्तकें **अलमारी में** रखी हैं।

बच्चे **छत पर** कूद रहे हैं।

पहले वाक्य में 'अलमारी में' से 'रखना' क्रिया के आधार तथा दूसरे वाक्य में 'छत पर' से 'कूदना' क्रिया के आधार का ज्ञान होता है। अत: 'छत पर' तथा 'अलमारी में' अधिकरण कारक हैं।

अधिकरण कारक के सम्बन्ध में विशेष टिप्पणियाँ

(i) जहाँ किसी वस्तु के स्थान, मूल्य, समय, मानसिक भाव आदि की अन्त: स्थिति दर्शायी जाए, वहाँ अधिकरण कारक होता है और 'में' परसर्ग लगता है। जैसे–

(क) स्थान की अत:स्थिति -- रमेश **चण्डीगढ़ में** रहता है।

(ख) मूल्य की अंत:स्थिति -- मैंने यह घड़ी **पाँच सौ रुपये में** खरीदी है।

(ग) समय की अंत:स्थिति -- **एक साल में** बारह महीने होते हैं।

(घ) मानसिक भाव की अंत स्थिति में --वह **होश में** नहीं है।

(ii) तुलना में कभी कभी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है और 'में' परसर्ग लगता है। जैसे– (क) **इन लड़कों में** रोहित सबसे लम्बा है।

(ख) **पर्वतों में** हिमालय सबसे ऊँचा है जबकि नदियों में गंगा सबसे लंबी है।

(iii) जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु के ऊपर की स्थिति की सूचना दी जाती है, वहाँ अधिकरण कारक होता है और 'पर' परसर्ग लगता है। अर्थात् खुली या ऊपरी वस्तु के लिए 'पर' परसर्ग लगता है। जैसे–

पुस्तक **मेज़ पर** पड़ी है।

इस वाक्य में एक वस्तु (पुस्तक) दूसरी वस्तु (मेज़) के ऊपर पड़ी है अत: इसमें 'पर' परसर्ग प्रयुक्त हुआ है।

(iv) जहाँ मिनटों के साथ समय की ठीक सूचना दी जाती है, वहाँ 'पर' परसर्ग लगता है। जैसे – मैं **दस बजकर चालीस मिनट पर** स्कूल पहुँचा।

उपर्युक्त वाक्य में घण्टों के साथ मिनटों की भी सूचना दी गई है। अत: 'पर' परसर्ग लगा है। किन्तु यदि वाक्य में केवल 'दस बजे' लिखा जाए तो 'पर' परसर्ग प्रयुक्त नहीं होगा। जैसे–

मैं दस बजे स्कूल पहुँचा।

(v) अधिकरण कारक में 'के ऊपर', 'के भीतर ' तथा 'के अन्दर' आदि परसर्ग भी प्रयुक्त होते हैं। 'के ऊपर' का प्रयोग 'पर' परसर्ग के पर्याय के रूप में तथा

'के भीतर', 'के अन्दर ' का प्रयोग 'में' परसर्ग के पर्याय के रूप में प्राय: होता है। जैसे

(क) **वृक्ष पर** मत चढ़ो।

इस वाक्य में 'के ऊपर' परसर्ग भी लगाया जा सकता है। जैसे-

वृक्ष के ऊपर मत चढ़ो।

यहाँ 'के ऊपर' का प्रयोग 'पर' के पर्याय के रूप में हुआ है।

(ख) मैं यह काम **दो दिन में** कर लूँगा।

इस वाक्य में 'में' परसर्ग प्रयुक्त हुआ है, परन्तु 'के भीतर' तथा 'के अन्दर' परसर्ग भी इसी अर्थ में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। जैसे-

के भीतर - मैं यह काम **दो दिन के भीतर** कर लूँगा।

के अन्दर - मैं यह काम **दो दिन के अन्दर** कर लूँगा।

इन वाक्यों में 'के भीतर' और 'के अन्दर' का प्रयोग 'में'परसर्ग के पर्याय के रूप में हुआ है।

(8) सम्बोधन कारक

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने, बुलाने, सुनाने या सावधान करने के भाव का ज्ञान हो, उसे सम्बोधन कारक कहते हैं। जैसे-

हे ईश्वर ! मेरी सहायता करो।

अरे बालको ! यहाँ मत खेलो।

यहाँ 'हे ईश्वर' में पुकारने तथा 'अरे बालको' में सावधान करने का भाव प्रकट हो रहा है। अत: 'हे ईश्वर' तथा 'अरे बालको' में सम्बोधन कारक है। ऐसे वाक्य लिखते समय सम्बोधन बोधक शब्दों के पश्चात् सम्बोधन बोधक चिह्न(!) का प्रयोग किया जाता है।

कर्म कारक और सम्प्रदान कारक में अंतर

(1) राम ने **बाली को** मारा (कर्म कारक)

(2) राजा **भिखारी को** धन देता है। (सम्प्रदान कारक)

उपर्युक्त कर्म तथा सम्प्रदान कारक में 'को' परसर्ग प्रयुक्त हुआ है, किन्तु दोनों में अंतर है। पहले वाक्य में 'को' परसर्ग जिसके साथ प्रयुक्त हुआ है, उस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे कर्म कारक के उक्त उदाहरण में राम(कर्त्ता) ने जो 'मारने' का कार्य किया है, उसका फल (मारना) बाली पर पड़ा अर्थात बाली को मारा गया। अत: इस वाक्य में 'बाली' कर्म है और 'बाली को' कर्म कारक है।

सम्प्रदान कारक के उदाहरण में हम देखते हैं कि 'को' परसर्ग जिसके साथ प्रयुक्त हुआ है, उसे कर्त्ता से कुछ प्राप्त होता है। जैसे सम्प्रदान के उक्त उदाहरण में 'भिखारी' को 'कर्ता' (राजा) से धन प्राप्त होता है अत: 'राजा' को में संप्रदान कारक है।

करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर

वह गाड़ी से आया है। **(करण कारक)**

रमेश दिल्ली से आया है। **(अपादान कारक)**

उपर्युक्त करण तथा अपादान कारक के उदाहरणों में 'से' परसर्ग प्रयुक्त होने पर भी दोनों में अंतर है। पहले वाक्य में 'आने' की क्रिया 'गाड़ी की सहायता से सम्पन्न हुई है अर्थात् 'आने' क्रिया का साधन 'गाड़ी' है। अत: 'गाड़ी से' में 'से' परसर्ग करण कारक का सूचक है।

दूसरे वाक्य में 'से' परसर्ग साधन के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ। यहाँ 'रमेश' तथा 'दिल्ली को अपादान का परसर्ग 'से' एक दूसरे से अलग करता है। अर्थात 'दिल्ली से' पृथकता दर्शाता है। अत: 'दिल्ली से' में 'से' परसर्ग में अपादान कारक है।

(1) परसर्गों का प्रयोग

'ने' परसर्ग का प्रयोग

(क) सकर्मक क्रिया के कर्त्ता के साथ भूतकाल के निम्नलिखित रूपों में 'ने' परसर्ग प्रयुक्त होता है। जैसे-

(i) सामान्य भूतकाल - **चार्वी ने** पुस्तक खरीदी।

(ii) आसन्न भूतकाल - **चार्वी ने** पुस्तक खरीदी है।

(iii) पूर्ण भूतकाल - **चार्वी ने** पुस्तक खरीदी थी।

(iv) संदिग्ध भूतकाल - **चार्वी ने** पुस्तक खरीदी होगी।

(v) संभाव्य भूतकाल - शायद **चार्वी ने** पुस्तक खरीदी हो।

(ख) संयुक्त क्रियाओं में जब मुख्य तथा सहायक क्रिया दोनों ही सकर्मक हों, तो भूतकाल में 'ने' परसर्ग प्रयुक्त होता है। जैसे-

गोपाल ने पत्र पढ़ लिया है।

(ग) छींकना, खाँसना, ताकना, थूकना आदि अकर्मक क्रियाओं के साथ 'ने' परसर्ग प्रयुक्त होता है। जैसे-

उसने छींका।

राम ने जोर से खाँसा।

उसने खिड़की से ताका ।

गोपाल ने सड़क पर थूका।

'ने' परसर्ग का प्रयोग कहाँ नहीं होता

अपूर्ण भूतकाल, हेतुहेतुमद् भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत् काल में 'ने' परसर्ग का प्रयोग कर्त्ता के साथ नहीं होता। जैसे-

(i) अपूर्ण भूतकाल - वह पाठ पढ़ रहा था।

(ii) हेतुहेतुमद् भूतकाल - वह पाठ पढ़ता, तो पास हो जाता ।

(iii) वर्तमान काल - वह पाठ पढ़ता है।

(iv) भविष्यत् काल - वह पाठ पढ़ेगा।

(2) 'को' परसर्ग का प्रयोग

(क) कर्त्ता कारक में 'को' परसर्ग का प्रयोग-

(i) 'होना' क्रिया के कर्त्ता के साथ 'को' परसर्ग लगता है। जैसे-

मोहन को बुखार है।

(ii) आवश्यकता, अनिवार्यता तथा कर्त्तव्य आदि बताने के लिए 'चाहिए' तथा 'पड़ना' क्रियाओं के कर्त्ता के साथ 'को' परसर्ग लगता है। जैसे-

उस को अस्पताल जाना पड़ता है।

छात्रों को अनुशासन में रहना चाहिए।

(iii) अनुभव से सम्बन्धित क्रिया के कर्त्ता के साथ 'को' परसर्ग प्रयुक्त होता है। जैसे- रमा को नृत्य आता है।

(iv) पसन्द से सम्बन्धित क्रिया के कर्त्ता के साथ 'को' परसर्ग प्रयुक्त होता है। जैसे-

रमेश को लड्डू अच्छे लगते हैं।

(ख) कर्म कारक में 'को' परसर्ग का प्रयोग

(i) प्राणिवाचक कर्म के साथ प्रायः 'को' परसर्ग प्रयुक्त होता है। जैसे-

राम ने रावण को मारा।

(ii) वाक्य में जब दो कर्म अर्थात मुख्य तथा गौण कर्म आ जाएं, तो 'को' परसर्ग गौण कर्म के साथ प्रयुक्त होगा, मुख्य कर्म के साथ नहीं। जैसे-

माँ बच्चे को कहानी सुनाती है।

गौण कर्म मुख्य कर्म

यहाँ मुख्य कर्म 'कहानी' में 'को' परसर्ग नहीं लगा जबकि गौण कर्म

'बच्चे' के साथ ही 'को' परसर्ग लगा है।

'को' परसर्ग का प्रयोग कहाँ नहीं होता

(i) अप्राणिवाचक कर्म के साथ 'को' नहीं लगता। जैसे-

वह पत्र लिखता है।

किन्तु जब कर्म की ओर ध्यान दिलाना हो, तो अप्राणिवाचक कर्म के साथ 'को' परसर्ग लग जाता है। जैसे-

इस संदूक **को** उठाओ

इस वाक्य में संदूक (कर्म) को उठाने के कार्य के प्रति ध्यान दिलाया जा रहा है। इसलिए संदूक (कर्म) के साथ को परसर्ग प्रयुक्त हुआ है।

(ii) गतिवाचक क्रियाओं में स्थानवाचक कर्म के साथ 'को' परसर्ग नहीं लगता जैसे-

मुकेश अस्पताल जा रहा है।

(iii) यद्यपि प्राणिवाचक कर्म के साथ 'को' परसर्ग प्रयुक्त होता है, किन्तु शिकार करने के अर्थ में 'मारना' क्रिया के साथ 'प्राणिवाचक' कर्म के साथ 'को' परसर्ग नहीं लगता । जैसे-

शिकारी ने चीता मारा।

यहाँ 'चीता' प्राणिवाचक कर्म है, किन्तु शिकार करने के अर्थ में 'मारना' क्रिया के साथ यहाँ 'को' परसर्ग नहीं लगा।

(3) 'से' परसर्ग का प्रयोग

(क) कर्त्ता कारक में 'से' परसर्ग का प्रयोग

(i) कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्त्ता के साथ 'से' परसर्ग प्रयुक्त होता है। जैसे-

बालक **से** पाठ पढ़ा गया।

(ii) भाववाच्य के कर्त्ता के साथ 'से' का प्रयोग-

गीता **से** नाचा नहीं जाता।

(iii) असमर्थता का भाव दर्शाने के लिए कर्त्ता के साथ 'से' परसर्ग प्रयुक्त होता है। जैसे-

गोपाल **से** चला नहीं जाता।

(iv) द्वितीय प्रेरणार्थक वाक्यों में प्रेरित कर्त्ता के साथ 'से' परसर्ग प्रयुक्त होता

है। जैसे -

सीता ने **बिमला से** कपड़े धुलवाए।

इस वाक्य में 'बिमला' प्रेरित कर्त्ता है और उसी से कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है। अत: 'बिमला' के साथ 'से' परसर्ग प्रयुक्त हुआ है।

(ख) कर्म कारक में 'से' परसर्ग का प्रयोग

(i) कई बार प्राणिवाचक कर्म के साथ 'से' परसर्ग प्रयुक्त होता है। जैसे -

मोहन **सोहन से** बोला।

(ग) करण कारक में 'से' परसर्ग का प्रयोग

(ii) किसी कार्य के साधनसूचक , कारण सूचक, समयसूचक, दशा या स्थितिसूचक शब्द के साथ करण कारक के अर्थ में 'से' परसर्ग प्रयुक्त होता है। जैसे -

साधनसूचक शब्द के साथ - वह **पेन से** लिखता है।

कारण सूचक शब्द के साथ - वह **कैंसर से** पीड़ित है।

समय सूचक शब्द के साथ - वह **एक साल से** बीमार है।

दशा सूचक शब्द के साथ - कर्ण **स्वभाव से** ही दानवीर था।

(iii) रीतिवाचक क्रिया विशेषण के साथ करण कारक के अर्थ में 'से' परसर्ग प्रयुक्त होता है। जैसे -

गौरव **तेज़ी से** भागा।

(iv) शरीर के किसी अंग में विकार दिखलाने के लिए करण कारक में 'से' परसर्ग प्रयुक्त होता है। जैसे -

भिखारी **एक पैर से** लंगड़ा है।

(4) अपादान कारक में 'से' परसर्ग का प्रयोग

जिससे अलग होने, घृणा करने, लजाने, सीखने, डरने, तुलना करने, रक्षा करने, माँगने, निकलने (उद्भव) आदि भावों का ज्ञान हो, वहाँ अपादान कारक के अर्थ में 'से' परसर्ग प्रयुक्त होता है। जैसे -

(i) अलग होने के अर्थ में - पेड़ **से** पत्ता गिरा।

(ii) घृणा करने के अर्थ में - मैं **झूठ से** घृणा करता हूँ।

(iii) लजाने के अर्थ में - छात्र **अध्यापक से** शर्माता है।

(iv) डरने के अर्थ में - वह **शेर से** डरता है।

(v) सीखने के अर्थ में - गोपाल **अध्यापक से** पढ़ता है।

(vi) तुलना करने के अर्थ में - **गोपाल से मोहन मोटा है।**

(vii) रक्षा करने के अर्थ में - उसने रमेश को **डूबने से** बचाया।

(viii) माँगने के अर्थ में - भिखारी **राजा से** भिक्षा माँगता है।

(ix) निकलने (उद्भव) के अर्थ में - गंगा **हिमालय से** निकलती है।

'का' परसर्ग का प्रयोग

'का' परसर्ग का प्रयोग केवल पुल्लिग एकवचन संज्ञा शब्दों के पहले होता है। जैसे -

सुरेश **का** स्कूल आठ बजे लगता है।

इस वाक्य मे सुरेश (व्यक्ति) का स्कूल (स्थान) से सम्बन्ध प्रकट हो रहा है और 'का' परसर्ग का प्रयोग पुल्लिग एकवचन संज्ञा (स्कूल) शब्द से पहले हुआ है। अन्य उदाहरण देखिए -

श्याम का लड़का पढ़ रहा है।

रोहित का भाई आ गया है।

'का' एक विकारी परसर्ग है। इसके तीन रूप होते हैं। 'का' 'रा' तथा 'ना'। लिंग, वचन के कारण 'का', 'रा' तथा 'ना' के तीन-तीन रूप बनते हैं। जैसे

'का' के रूप - का , के, की

'रा' के रूप - रा, रे, री

'ना' के रूप - ना, ने, नी

(5) 'रा' तथा 'ना' परसर्ग का प्रयोग

'का' परसर्ग की तरह ही 'रा' तथा 'ना' परसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे

(क) 'रा' का प्रयोग -

मेरा भाई सो रहा है।

यहाँ 'मेरा' (सर्वनाम) का सम्बन्ध भाई (संज्ञा) से प्रकट हो रहा है और 'रा' परसर्ग का प्रयोग पुल्लिग एकवचन संज्ञा (भाई) शब्द से पहले हुआ है।

(ख) 'ना' परसर्ग का प्रयोग -

अपना घर साफ रखो।

यहाँ अपना (सर्वनाम) का सम्बन्ध घर (संज्ञा) से प्रकट हो रहा है और 'ना' परसर्ग का प्रयोग पुल्लिग एकवचन संज्ञा (घर) शब्द से पहले हुआ है।

(6) 'के' 'रे' तथा 'ने' परसर्ग का प्रयोग

'के', 'रे' तथा 'ने' परसर्गों का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में होता है जैसे -

(क) पुंल्लिग बहुवचन संज्ञा शब्द से पहले –

(i) घर के कमरे साफ रखो ।

(ii) मेरे बच्चे आए हैं।

(iii) अपने बच्चे किधर गए?

पहले वाक्य में 'के' का प्रयोग पुल्लिग बहुवचन संज्ञा शब्द (कमरे), दूसरे वाक्य में 'रे' का प्रयोग पुल्लिग बहुवचन संज्ञा शब्द (बच्चे) तथा तीसरे वाक्य में 'ने' का प्रयोग पुल्लिग बहुवचन संज्ञा शब्द (बच्चे) से पहले हुआ है।

(ख) आदरणीय व्यक्ति के सूचक शब्द पुल्लिग एकवचन होने पर –

(i) राम के पिता जी आए हैं ।

(ii) मेरे चाचा जी आए हैं ।

(iii) अपने गुरु जी पधारे हैं।

पहले वाक्य में पिता, दूसरे वाक्य में चाचा और तीसरे वाक्य में गुरु आदरणीय व्यक्ति के सूचक शब्द पुल्लिग एकवचन हैं, इसलिए क्रमशः 'के', 'रे' तथा 'ने' परसर्ग प्रयुक्त हुए हैं।

(ग) परसर्ग युक्त संज्ञा एकवचन पुल्लिग होने पर –

(i) राम के लड़के को इनाम मिला।

(ii) मेरे घर पर आइए।

(iii) अपने बच्चों को संभालो।

पहले वाक्य में 'लड़के को' दूसरे वाक्य में 'घर पर' तथा तीसरे वाक्य में 'बच्चे' को परसर्ग युक्त संज्ञा एकवचन पुल्लिग का बोध करा रही है अतः इनसे पहले क्रमशः 'के', 'रे' तथा 'ने' परसर्ग प्रयुक्त हुए हैं।

(घ) परसर्ग संज्ञा बहुवचन पुल्लिग होने पर –

(i) स्कूल के पौधों को उखाड़ दिया गया।

(ii) मेरे बच्चों को किसने मारा?

(iii) अपने जूतों को संभालो।

पहले वाक्य में 'पौधों को', दूसरे वाक्य में 'बच्चों को' तथा तीसरे वाक्य में 'जूतों को' परसर्ग युक्त संज्ञा बहुवचन पुंल्लिग का बोध करा रहे हैं। अतः

इनमें पहले 'के' 'रे' तथा 'ने' परसर्ग प्रयुक्त हुए हैं।

(ङ) जब किसी व्यक्ति के पास किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को बताना हो -

(i) **कुलविंद सिंह के** पास लाखों रुपये हैं।

(ii) **मेरे** पास दस रुपये हैं।

(iii) **अपने** पास तो बीस रुपये हैं।

(7) की, री, नी, परसर्ग का प्रयोग

(क) जब स्त्रीलिंग, शब्दों का सम्बन्ध दूसरे शब्दों से बताया जाए तब 'की','री' तथा 'नी' परसर्ग प्रयुक्त होता हैं। जैसे -

(i) **सुरेन्द्र की** लड़की पाँचवीं कक्षा में पढ़ती है।

(ii) **मेरी** पत्नी अध्यापिका है।

(iii) **अपनी** दादी की सेवा करो।

पहले वाक्य में 'लड़की', दूसरे वाक्य में 'पत्नी' तथा तीसरे वाक्य में 'दादी' 'स्त्रीलिंग' शब्द हैं। इसलिए क्रमशः 'की', 'री' तथा 'नी' परसर्ग प्रयुक्त हुए हैं।

(ख) 'की', 'री' तथा 'नी' का बहुवचन में भी प्रयोग होता है। जैसे -

(i) **रमा** की सहेलियाँ आई हैं।

(ii) तेरी कॉपियाँ कहाँ हैं?

(iii) **अपनी** चूड़ियाँ उतार दो।

(8) 'में' परसर्ग का प्रयोग

(क) 'में' परसर्ग का प्रयोग आमतौर पर ढकी या घिरी हुई वस्तु के साथ होता है। अर्थात् 'में' परसर्ग किसी वस्तु की अन्तः स्थिति का सूचक है। अतः जहाँ किसी वस्तु के स्थान, मूल्य, समय तथा मानसिक भाव आदि की अन्तः स्थिति दर्शायी जाए, वहाँ अधिकरण कारक के अर्थ में 'में' परसर्ग प्रयुक्त होता है। जैसे -

(i) स्थान की अन्त : स्थिति में - राजकुमारी **चण्डीगढ़ में** रहती है।

(ii) मूल्य की अन्तः स्थिति में - मैंने यह घड़ी **पाँच सौ रुपये में** खरीदी है।

(iii) समय की अन्तः स्थिति में - **एक साल में** बारह महीने होते हैं।

(iv) मानसिक भाव की अन्तः स्थिति में - वह पढ़ाई की **चिंता में** घुल रहा है।

(ख) अनेक में से एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते समय 'में' परसर्ग प्रयुक्त होता है। जैसे -

कक्षा में भार्गव होशियार है।

(9) 'पर' परसर्ग का प्रयोग

(क) 'पर' परसर्ग का प्रयोग प्रायः खुली या ऊपरी वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है।अर्थात जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु के ऊपर की स्थिति की सूचना दी जाती है। जैसे

(i) रोगी पलंग पर लेटा है।
(ii) बच्चे छत पर कूद रहे हैं।
(iii) दूध मेज़ पर पड़ा है।

(ख) जहाँ ठीक समय की सूचना दी जाए अर्थात् जहाँ मिनटों की भी सूचना दी जाए, वहाँ 'पर' परसर्ग प्रयुक्त होता है। जैसे

वह आठ बज कर दस मिनट पर पहुँचा।

(ग) जहाँ वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं, वहाँ दूसरी क्रिया में दी गई सूचना पहली क्रिया पर निर्भर होती है। पहली क्रिया के बाद 'पर' परसर्ग प्रयुक्त होता है। जैसे –

बच्चे के सो जाने पर तुम पढ़ लेना।

इस वाक्य में 'पर' परसर्ग पहली क्रिया (सोना) जो 'जाने' से बनी है, के बाद प्रयुक्त हुआ है।

संज्ञा शब्दों के सब विभक्तियों में रूप

अकारान्त पुल्लिग 'बालक' शब्द के रूप

कारक	एकवचन	बहुवचन
1. कर्त्ता	बालक, बालक ने	बालक, बालकों ने
2. कर्म	बालक को	बालकों को
3. करण	बालक से, के द्वारा	बालकों से, के द्वारा
4. सम्प्रदान	बालक को, के लिए	बालकों को, के लिए
5. अपादान	बालक से	बालकों से
6. सम्बन्ध	बालक का, के, की	बालकों का, के, की
7. अधिकरण	बालक में, पर	बालकों में, पर
8. सम्बोधन	हे बालक !	हे बालको!

आकारान्त पुल्लिग 'लड़का' शब्द के रूप

कारक	एकवचन	बहुवचन
1. कर्त्ता	लड़का, लड़के ने	लड़के, लड़कों ने
2. कर्म	लड़के को	लड़कों को
3. करण	लड़के से, के द्वारा	लड़कों से, के द्वारा
4. सम्प्रदान	लड़के को, के लिए	लड़कों से, के लिए
5. अपादान	लड़के से	लड़कों से
6. सम्बन्ध	लड़के का, के, की	लड़कों का, के, की
7. अधिकरण	लड़के में, पर	लड़कों में, पर
8. सम्बोधन	हे लड़के!	हे लड़को!

लोटा, घोड़ा, बेटा, बच्चा, गधा, आदि आकारान्त पुल्लिग शब्दों के रूप इसी प्रकार होंगे।

आकारान्त स्त्रीलिंग 'माता' शब्द के रूप

कारक	एकवचन	बहुवचन
1. कर्त्ता	माता, माता ने	माताएँ, माताओं ने
2. कर्म	माता को	माताओं को
3. करण	माता से, के द्वारा	माताओं से, के द्वारा
4. सम्प्रदान	माता को, के लिए	माताओं को, के लिए
5. अपादान	माता से	माताओं से
6. सम्बन्ध	माता का, के, की	माताओं का, के, की
7. अधिकरण	माता में, पर	माताओं में, पर
8. सम्बोधन	हे माता!	हे माताओ!

लता, बालिका, विद्या, कन्या आदि आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के रूप इसी तरह होंगे।

इकारान्त पुल्लिग 'कवि' शब्द के रूप

कारक	एकवचन	बहुवचन
1. कर्त्ता	कवि, कवि ने	कवि, कवियों ने
2. कर्म	कवि को	कवियों को
3. करण	कवि से, के द्वारा	कवियों से, के द्वारा
4. सम्प्रदान	कवि को, के लिए	कवियों को, के लिए
5. अपादान	कवि से	कवियों से

6. सम्बन्ध	कवि का, के, की	कवियों का, के, की
7. अधिकरण	कवि में, पर	कवियों में, पर
8. सम्बोधन	हे कवि!	हे कवियो!

ऋषि, मुनि, पति आदि इकारान्त पुल्लिग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होंगे।

ईकारान्त पुल्लिग 'धोबी' शब्द के रूप

कारक	एकवचन	बहुवचन
1. कर्त्ता	धोबी, धोबी ने	धोबी, धोबियों ने
2. कर्म	धोबी को	धोबियों ने
3. करण	धोबी से, के द्वारा	धोबियों से, के द्वारा
4. सम्प्रदान	धोबी को, के लिए	धोबियों को, के लिए
5. अपादान	धोबी से	धोबियों से
6. सम्बन्ध	धोबी का, के, की	धोबियों का, के, की
7. अधिकरण	धोबी में, पर	धोबियों में, पर
8. सम्बोधन	हे धोबी!	हे धोबियो!

माली, गुणी, तपस्वी, तेली, धनी आदि ईकारान्त पुल्लिग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होंगे।

ईकारान्त स्त्रीलिंग 'सखी' शब्द के रूप

कारक	एकवचन	बहुवचन
1. कर्त्ता	सखी, सखी ने	सखियाँ, सखियों ने
2. कर्म	सखी को	सखियों को
3. करण	सखी से, के द्वारा	सखियों से, के द्वारा
4. सम्प्रदान	सखी को, के लिए	सखियों को, के लिए
5. अपादान	सखी से	सखियों से
6. सम्बन्ध	सखी का, के, की	सखियों का, के, की
7. अधिकरण	सखी में, पर	सखियों में, पर
8. सम्बोधन	हे सखी!	हे सखियो!

कली, नदी, परी, रानी, पुत्री, बेटी, आदि ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के रूप इसी तरह होंगे।

उकारान्त पुल्लिग 'साधु' शब्द के रूप

कारक	एकवचन	बहुवचन
1. कर्त्ता	साधु, साधु ने	साधु, साधुओं ने
2. कर्म	साधु को	साधुओं को
3. करण	साधु से, के द्वारा	साधुओं से, के द्वारा
4. सम्प्रदान	साधु को, के लिए	साधुओं को, के लिए
5. अपादान	साधु से	साधुओं से
6. सम्बन्ध	साधु का, के, की	साधुओं का, के, की
7. अधिकरण	साधु में, पर	साधुओं में, पर
8. सम्बोधन	हे साधु!	हे साधुओ!

गुरु, प्रभु, शत्रु आदि उकारान्त पुल्लिग शब्द के रूप भी इसी प्रकार होंगे।

ऊकारान्त पुल्लिग शब्द 'डाकू'

कारक	एकवचन	बहुवचन
1. कर्त्ता	डाकू, डाकू ने	डाकू, डाकुओं ने
2. कर्म	डाकू को	डाकुओं को
3. करण	डाकू से, के द्वारा	डाकुओं से, के द्वारा
4. सम्प्रदान	डाकू को, के लिए	डाकुओं को, के लिए
5. अपादान	डाकू से	डाकुओं से
6. सम्बन्ध	डाकू का, के, की	डाकुओं का, के, की
7. अधिकरण	डाकू में, पर	डाकुओं में, पर
8. सम्बोधन	हे डाकू!	हे डाकुओ!

औकारान्त स्त्रीलिंग 'गौ' शब्द के रूप

कारक	एकवचन	बहुवचन
1. कर्त्ता	गौ, गौ ने	गौएँ, गौओं ने
2. कर्म	गौ को	गौओं को
3. करण	गौ से, के द्वारा	गौओं से, के द्वारा
4. सम्प्रदान	गौ को, के लिए	गौओं को, के लिए
5. अपादान	गौ से	गौओं से
6. सम्बन्ध	गौ का, के, की	गौओं का, के, की
7. अधिकरण	गौ में, पर	गौओं में, पर
8. सम्बोधन	हे गौ!	हे गौओ!

सर्वनाम शब्दों के रूप

सर्वनाम एक विकारी शब्द है। किन्तु इसमें लिंग के आधार पर कोई विकार नहीं होता है। वचन और कारक के कारण ही इसमें विकार होता है। जैसे – पुल्लिग में यह, वह आदि स्त्रीलिंग में भी पुल्लिग ही की तरह प्रयुक्त होंगे। किन्तु एकवचन में 'यह' बहुवचन में 'ये' हो जाता है और 'वह' बहुवचन में 'वे' हो जाता है। कर्त्ता कारक में 'यह' कर्म कारक में 'इसे' हो जाता है तथा ' वह' कर्म कारक में 'उसे' हो जाता है। अत: कारक और वचन के आधार पर सर्वनामों की रूप रचना निम्नलिखित है –

उत्तम पुरुषवाचक 'मैं'

कारक	एकवचन	बहुवचन
1. कर्त्ता	मैं, मैंने	हम, हमने
2. कर्म	मुझे, मुझको	हमें, हमको
3. करण	मुझसे, मेरे द्वारा	हमसे, हमारे द्वारा
4. सम्प्रदान	मुझे, मुझ को,	मेरे लिए, हमें, हमको, हमारे लिए
5. अपादान	मुझसे	हमसे
6. सम्बन्ध	मेरा, मेरे, मेरी	हमारा, हमारे, हमारी
7. अधिकरण	मुझ में, मुझ पर	हममें, हम पर

मध्यम पुरुषवाचक 'तू'

कारक	एकवचन	बहुवचन
1. कर्त्ता	तू, तूने	तुम, तुमने
2. कर्म	तुझे, तुझको	तुम्हें, तुमको
3. करण	तुझसे, तेरे द्वारा	तुम्हारे द्वारा, तुमसे
4. सम्प्रदान	तुझे, तुमको, तेरे लिए	तेरे लिए, तुमको, तुम्हारे लिए
5. अपादान	तुझसे	तुमसे
6. सम्बन्ध	तेरा, तेरे, तेरी	तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी
7. अधिकरण	तुझ में, तुझ पर	तुम में, तुम पर

अन्य पुरुषवाचक 'वह'

कारक	एकवचन	बहुवचन
1. कर्त्ता	वह, उसने	वे, उन्होंने
2. कर्म	उसे, उसको	उन्हें, उनको

3. करण	उससे, उसके द्वारा	उनसे, उनके द्वारा
4. सम्प्रदान	उसे, उसको,	उन्हें, उनको, उनके लिए
5. अपादान	उससे	उनसे
6. सम्बन्ध	उसका, उसके,उसकी	उनका,उनके,उनकी
7. अधिकरण	उसमें, उस पर	उनमें, उन पर

निश्चयवाचक सर्वनाम 'यह'

कारक	एकवचन	बहुवचन
1. कर्त्ता	यह, इसने	ये, इन्होंने
2. कर्म	इसे, इसको	इन्हें, इनको
3. करण	इससे, इसके द्वारा	इनसे, इनके द्वारा
4. सम्प्रदान	इसे, इसको, इसके लिए	इन्हें, इनको, इनके लिए
5. अपादान	इससे	इनसे
6. सम्बन्ध	इसका, इसके, इसकी	इनका, इनके, इनकी
7. अधिकरण	इसमें, पर	इनमें, इन पर

प्रश्नवाचक 'कौन'

कारक	एकवचन	बहुवचन
1. कर्त्ता	कौन, किसने	कौन, किन्होंने
2. कर्म	किसे, किसको	किन्हें, किनको
3. करण	किससे, के द्वारा	किनसे, के द्वारा
4. सम्प्रदान	किसको, के लिए	किनको, के लिए
5. अपादान	किससे	किनसे
6. सम्बन्ध	किसका, के, की	किनका, के, की
7. अधिकरण	किसमें, पर	किनमें, पर

अनिश्चयवाचक सर्वनाम 'कोई'

कारक	एकवचन	बहुवचन
1. कर्त्ता	कोई, किसी ने	कोई, किन्हीं ने
2. कर्म	किसी को	किन्हीं को
3. करण	किसी से, के द्वारा	किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा
4. सम्प्रदान	किसी को, के लिए	किन्हीं को, किन्हीं के लिए
5. अपादान	किसी से	किन्हीं से

6. सम्बन्ध	किसी का, के, की	किन्हीं का, के , की
7. अधिकरण	किसी में, पर	किन्हीं में, पर

अनिश्चयवाचक सर्वनाम 'सब'

'सब' (अनिश्चयवाचक) शब्द का एकवचन में रूप नहीं होता।

कारक	बहुवचन
1. कर्त्ता	सब, सब ने
2. कर्म	सबको
3. करण	सबसे, के द्वारा
4. सम्प्रदान	सब को, के लिए
5. अपादान	सबसे
6. सम्बन्ध	सबका, के, की
7. अधिकरण	सब में, पर

सम्बन्धवाचक सर्वनाम 'जो'

कारक	एकवचन	बहुवचन
1. कर्त्ता	जो, जिसने	जो, जिन्होंने
2. कर्म	जिसको, जिसे	जिनको, जिन्हें
3. करण	जिसको, के द्वारा	जिनको, के द्वारा
4. सम्प्रदान	जिसको, के लिए	जिनको, के लिए
5. अपादान	जिससे	जिनसे
6. सम्बन्ध	जिसका, के, की	जिनका, के, की
7. अधिकरण	जिस में, पर	जिन में, पर

आप (मध्यम पुरुष वाचक)

कारक	बहुवचन
1. कर्त्ता	आप, आपने
2. कर्म	आपको
3. करण	आपसे, के द्वारा
4. सम्प्रदान	आपको, के लिए
5. अपादान	आपसे,
6. सम्बन्ध	आपका, के, की
7. अधिकरण	आप में, पर

(अपने) आप (स्वयं वाचक) तीनों पुरुषों में समान एकवचन– बहुवचन (समान रूप)

1. कर्त्ता	(अपने) आप
2. कर्म	अपने–आप को
3. करण	अपने–आप से
4. सम्प्रदान	(अपने)आप को, के लिए, अपने लिए,
5. अपादान	(अपने) आप से, अपने से
6. सम्बन्ध	अपना, अपने, अपनी
7. अधिकरण	अपने आपमें, अपने में, पर

उपर्युक्त सर्वनाम शब्दों की रूप रचना के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि–

(i) कर्त्ता एकवचन में इनका प्रयोग मूल और विकारी दोनों रूपों में होता है। विकारी रूप के आगे कर्त्ता की विभक्ति भी लगती है। जैसे–

शब्द	कारक	एकवचन (मूल रूप)	एकवचन (विकारी रूप)	विशेष कथन
मैं	कर्त्ता	मैं	मैंने	एकवचन के विकारी रूप में 'कर्त्ता' की 'ने' विभक्ति भी प्रयुक्त हुई है।
तू	कर्त्ता	तू	तूने	एकवचन के विकारी रूप में 'कर्त्ता' की 'ने' विभक्ति भी प्रयुक्त हुई है।

उपर्युक्त अन्य शब्द रूपों (स्वयंवाचक 'आप' के अतिरिक्त) में भी कर्त्ता एकवचन में इनका मूल रूप व विकारी रूप दोनों में प्रयोग होता है।

(ii) इस विकारी रूप का कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान,सम्बन्ध तथा अधिकरण के एकवचन में भी प्रयोग होता है, कारक के अनुसार विभक्तियाँ बदल जाती हैं। जैसे–

शब्द	कारक	विकारी रूप	कारक	विकारी रूप
मैं	कर्म	मुझे, मुझको	अपादान	मुझसे
–	करण	मुझसे, मेरे द्वारा	संबंध	मेरा, मेरे, मेरी
	सम्प्रदान	मुझे, मुझको, मेरे लिए	अधिकरण	मुझमें, मुझ पर

उपर्युक्त अन्य शब्द रूपों के विकारी रूप का भी कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध तथा अधिकरण के एकवचन में प्रयोग होता है, कारक के अनुसार विभक्तियाँ बदलती हैं।

(iii) कर्त्ता और कर्म कारक के बहुवचन में इनके दो विकारी रूप प्रयुक्त होते हैं, एक विभक्ति रहित तो दूसरा विभक्ति सहित प्रयुक्त होता है। जैसे–

शब्द	कारक	बहुवचन में प्रयुक्त विभ० रहित विकारी रूप	बहुवचन में प्रयुक्त विभ०सहित विकारी रूप
मैं	कर्त्ता	हम	हमने
	कर्म	हमें	हमको

उपर्युक्त अन्य शब्द रूपों में भी इसी प्रकार कर्त्ता और कर्म कारक में बहुवचन में दो विकारी रूप प्रयुक्त होते हैं।

(iv) 'मैं' और 'तुम' सर्वनामों के संबंध कारक के रूपों में 'का', 'के', 'की' के स्थान पर शब्दों के विकारी रूप के साथ 'रा', 'रे', 'री' विभक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं, जैसे–

शब्द	कारक	विकारी रूप
मैं	संबंध	मेरा, मेरी, मेरे
हम	संबंध	हमारा, हमारे, हमारी
तू	संबंध	तेरा, तेरे, तेरी

(v) कुछ विकारी रूपों में विभक्ति चिह्न इस तरह समाहित हो जाते हैं कि उनका अलग अस्तित्व नहीं लगता। अत: सर्वनामों में विभक्तियाँ जोड़कर ही लिखते हैं। जैसे– मुझको, मुझसे, उसने, उसको, इसका, इसकी आदि।

विशेषण

(i) **परिश्रमी** विद्यार्थी अध्यापकों को प्रिय लगते हैं।
(ii) **काला** कुत्ता भौंक रहा है।
(iii) **पाँच किलो** चावल खरीदकर लाओ।
(iv) **कुछ** बालक पाठ याद करके आए हैं।
(v) **बेचारा** वह थककर सो गया।
(vi) **सीधे–साधे** उसको चोरी के जुर्म में क्यों फंसा दिया?

उपर्युक्त वाक्यों में **'परिश्रमी'**, **'काला'**, **'पाँच किलो'**, **'कुछ'**, **'बेचारा'** तथा **'सीधे–साधे'** ये शब्द क्रमश: 'विद्यार्थी', 'कुत्ता', 'चावल' व

'बालक' संज्ञाओं तथा 'वह', 'उसको' सर्वनामों की विशेषता बता रहे हैं। अत: ये शब्द **'विशेषण'** हैं।

विशेषण की परिभाषा – संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं।

विशेषण और विशेष्य – विशेषण **शब्द** जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है, उसको विशेष्य कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में **'विद्यार्थी', 'कुत्ता', 'चावल', 'बालक'** 'वह' और **उसको** शब्द 'विशेष्य' हैं।

विशेषण प्राय: विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है, किन्तु कभी-कभी विशेष्य के बाद भी विशेषण का प्रयोग होता है। विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को **'उद्देश्य विशेषण'** या **'विशेष्य विशेषण'** कहते हैं तथा विशेष्य के बाद प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को **'विधेय विशेषण'** कहते हैं। जैसे–

(i) **खट्टे** अंगूर ले जाओ।
(ii) **काली** गाय चारा नहीं खा रही है।
(iii) अंगूर **खट्टे** हैं।
(iv) गाय का रंग **काला** है।

उपर्युक्त पहले तथा दूसरे वाक्यों में 'विशेषण' विशेष्य से पहले प्रयुक्त हुआ है। पहले वाक्य में **'खट्टे'** तथा दूसरे वाक्य में **'काली'** विशेषण क्रमश: 'अंगूर' और 'गाय' विशेष्य से पहले प्रयुक्त हुए हैं। अत ऐसे विशेषणों को **'उद्देश्य विशेषण'** कहते है। तीसरे और चौथे वाक्यों में विशेषण, विशेष्य के बाद प्रयुक्त हुए हैं। तीसरे वाक्य में **'खट्टे'** और चौथे वाक्य में **'काला'** विशेषण क्रमश: 'अंगूर' और 'गाय' विशेष्य के बाद प्रयुक्त हुए हैं। अत: ऐसे विशेषणों को विधेय विशेषण कहते हैं।

प्रविशेषण

(i) देवेन्द्र **अत्यधिक** मेहनती है।
(ii) मेरी सेहत **बिल्कुल** ठीक है।
(iii) **कुछ** शरारती विद्यार्थी भाग गए।
(iv) **लगभग** सभी यात्री बस में सवार हो चुके हैं।
(v) यह लड़का **बहुत होनहार है।**

उपर्युक्त वाक्यों में **'अत्यधिक', 'बिल्कुल', 'कुछ', 'लगभग'** तथा **'बहुत'** शब्द क्रमश: 'मेहनती', 'ठीक', 'शरारती', 'सभी' तथा 'होनहार' विशेषणों की भी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये 'प्रविशेषण हैं।

अत: जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें 'प्रविशेषण' कहते हैं।

विशेषण पदबन्ध या विशेषण वाक्यांश

कभी-कभी कुछ पद-समूह (पदबन्ध) या वाक्यांश भी किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। ऐसे पदबन्धों या वाक्यांशों को **'विशेषण' पदबन्ध** या **'विशेषण वाक्यांश'** कहते हैं। जैसे-

(i) **हमारे साथ के स्कूल में पढ़ने वाला** विद्यार्थी प्रथम आया।

(ii) **पानी की तरह बहने वाला** खून वीरों का था।

(iii) **जो कल स्कूल नहीं आए थे,** वे खड़े हो जाओ।

उपर्युक्त वाक्यों में कोई एक पद किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता नहीं बता रहा, अपितु अनेक पदों का समूह (पदबन्ध) या वाक्यांश संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है।

पहले वाक्य में **'हमारे साथ के स्कूल में पढ़ने वाला'**, दूसरे वाक्य में **'पानी की तरह बहने वाला'** ये पदबंध तथा तीसरे वाक्य में **'जो कल स्कूल नहीं आए थे'**-यह वाक्यांश क्रमश: 'विद्यार्थी', 'खून' संज्ञाओं तथा **'वे'** सर्वनाम की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। अत: ये **विशेषण पदबन्ध** या **'विशेषण वाक्यांश'** कहलाते हैं।

विशेषण के भेद- विशेषण के चार भेद हैं-

(1) गुणवाचक विशेषण (2) परिमाणवाचक विशेषण

(3) संख्यावाचक विशेषण (4) सार्वनामिक विशेषण

(1) **गुणवाचक विशेषण**-जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की गुण सम्बन्धी विशेषता का बोध हो, उसे 'गुणवाचक विशेषण' कहते हैं। जैसे-

(i) **परिश्रमी** लड़का पढ़ रहा है।

(ii) मुझे **मीठे** आम पसंद हैं।

उपर्युक्त वाक्यों में **'परिश्रमी'** तथा **'मीठे'** शब्द क्रमश: 'लड़का' तथा 'आम' संज्ञाओं की गुण सम्बन्धी विशेषता का बोध करा रहे हैं। अत: ये **गुणवाचक विशेषण** हैं।

गुणवाचक विशेषण में **'गुण'** शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थों में हुआ है। इसके अन्तर्गत गुण-दोष, आकार-प्रकार, रंग-रूप, देश-काल, अवस्था-स्थिति, स्वाद, गंध, दिशा आदि सभी प्रकार की विशेषताओं का समावेश होता है। जैसे-

(i) गुण – लायक, उदार, परिश्रमी, सरल, ईमानदार, वीर, बुद्धिमान आदि।
(ii) दोष – बुरा, आलसी, कुटिल, बेईमान, कायर, मूर्ख आदि।
(iii) आकार – प्रकार – मोटा, खुरदरा, सीधा, तिरछा, वक्र, पतला, चौरस, गोल आदि।
(iv) रंग – रूप – सफेद, काला, गुलाबी, गोरा, मटमैला, सुंदर आदि।
(v) देशकाल – भारतीय, विदेशी, ग्रामीण, शहरी, पंजाबी, आगामी, गत, प्राचीन आदि।
(vi) अवस्था – कमज़ोर, स्वस्थ, अमीर, गरीब, रोगी आदि।
(vii) स्थिति – ऊपरी, बाहरी, भीतरी, पिछला, निचला, स्थिर आदि।
(viii) स्वाद – मीठा, खट्टा, कसैला, फीका, कड़वा आदि।
(ix) गंध – सुगंधित, खुशबूदार, गंधहीन, सुवासित आदि।

(2) **परिमाणवाचक विशेषण** – जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की माप – तोल सम्बन्धी विशेषता का बोध हो, उसे 'परिमाणवाचक विशेषण' कहते हैं जैसे –

(i) **दो किलो** चावल तोलो।
(ii) **चार मीटर** कपड़ा लाओ।
(iii) **कुछ** मिठाई दे दो।
(iv) **थोड़ा** भोजन कर लो।

उपर्युक्त वाक्यों में **'दो किलो'**, **'चार मीटर'**, **'कुछ'** तथा **'थोड़ा'** शब्द क्रमशः 'चावल', 'कपड़ा', 'मिठाई' तथा 'भोजन' संज्ञाओं की परिमाण सम्बन्धी विशेषता का बोध करा रहे हैं। अतः ये **परिमाणवाचक विशेषण** हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं –

(क) **निश्चित परिमाणवाचक विशेषण** – जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप – तोल सम्बन्धी विशेषता का बोध हो, उसे **'निश्चित परिमाणवाचक विशेषण'** कहते हैं। जैसे –

(i) **चार लीटर** दूध लाना है।
(ii) **एक क्विंटल** गेहूँ लेकर आओ।

उपर्युक्त वाक्यों में **'चार लीटर'** तथा **'एक क्विंटल'** शब्द क्रमशः 'दूध' तथा 'गेहूँ' संज्ञाओं की निश्चित माप – तोल का बोध कराते हैं। अतः ये **'निश्चित परिमाणवाचक विशेषण'** हैं।

(ख) अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण- जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित माप-तोल सम्बन्धी विशेषता का बोध हो, उसे '**अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण**' कहते हैं। जैसे-

(1) थोड़ा दूध गर्म करके लाओ।

(2) बहुत मिठाई खाना ठीक नहीं।

उपर्युक्त वाक्यों में '**थोड़ा**' और '**बहुत**' शब्दों से क्रमशः 'दूध' तथा 'मिठाई' की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। अतः ये '**अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण**' हैं।

(3) संख्यावाचक विशेषण- जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या सम्बन्धी विशेषता का बोध हो, उसे '**संख्यावाचक विशेषण**' कहते हैं। जैसे-

(i) **पाँच** लड़के खेल रहे हैं।

(ii) **एक दर्जन** संतरे खरीद कर लाओ।

(iii) **कुछ** बच्चे बाहर बैठे हैं।

(iv) **थोड़े** घर ही खाली रह गए हैं।

उपर्युक्त वाक्यों में '**पाँच**', '**एक दर्जन**', '**कुछ**' तथा '**थोड़े**' शब्द क्रमशः 'लड़के', 'संतरे', 'बच्चे' तथा 'घर' संज्ञाओं की संख्या सम्बन्धी विशेषता का बोध करा रहे हैं। अतः ये '**संख्यावाचक विशेषण**' हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं-

(क) निश्चित संख्यावाचक विशेषण- जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो, उसे '**निश्चित संख्यावाचक विशेषण**' कहते हैं। जैसे-

(i) मेरे पास **पाँच सौ** रुपये हैं।

(ii) **दूसरी** मंजिल पर हमारा घर है।

(iii) वह हमसे **दुगुना** खाना खाता है।

(iv) **चार दर्जन** केले टोकरी में रख दो।

उपर्युक्त वाक्यों में '**पाँच सौ**', '**दूसरी**', '**दुगुना**' तथा '**चार दर्जन**' शब्दों से क्रमशः 'रुपये', 'मंजिल', 'खाना' तथा 'केले' संज्ञाओं की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। अतः ये '**निश्चित संख्यावाचक**' विशेषण हैं। निश्चित संख्यावाचक के कुछ भेद इस प्रकार हैं-

(i) **गणनावाचक**- जो शब्द वस्तुओं या प्राणियों के क्रम का बोध कराए। जैसे -**एक** विद्यार्थी, **बीस** आदमी, **दस** अनार आदि।

(ii) **क्रमवाचक** – जो शब्द वस्तुओं या प्राणियों के क्रम का बोध कराए।
जैसे – **दूसरा** बालक, **प्रथम** श्रेणी, **तीसरी** मंजिल, **चौथा** घर आदि।

(iii) **आवृत्तिवाचक** – जो शब्द किसी वस्तु के गुण की आवृत्ति का बोध कराए।
जैसे – **दुगुना** लड्डू, **चौगुना** पत्थर आदि।

(iv) **समुदायवाचक** – जो शब्द वस्तुओं या प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध कराए। जैसे – **पाँचों** वृक्ष, **तीनों** लड़के, **दो दर्जन** नारंगी आदि।

(v) **प्रत्येक वाचक** – जो शब्द समूह में से प्रत्येक का बोध कराएं।
जैसे – प्रत्येक वर्ष, हरेक महीने, **हर** घड़ी आदि।

(vi) **अंशवाचक** – जो शब्द किसी वस्तु के अंश का बोध कराएं।
जैसे – **आधा** सेब, **एक चौथाई** रोटी, **पौना** कप दूध आदि।

(ख) **अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण** – जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो उसे '**अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण**' कहते हैं। जैसे –

(i) **कुछ** लोग सो रहे हैं।

(ii) **सब** विद्यार्थी घर चले गए।

(iii) बाहर **बहुत से** बच्चे खेल रहे हैं।

(iv) **थोड़े** मकान ही खाली हैं।

उपर्युक्त वाक्यों में '**कुछ**', '**सब**', '**बहुत से**' तथा '**थोड़े**', शब्दों से क्रमशः 'लोग', 'विद्यार्थी', 'बच्चे' तथा 'मकान' संज्ञाओं की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है। अतः ये '**अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण**' हैं।

कभी – कभी निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे –

(i) मैंने तुमसे **बीस बार** कहा है।

(ii) मेरे **दो – तीन** मित्र शाम को चाय पर आएंगे।

(iii) वह तो **दो – चार** रोटियाँ ही खाता है।

उपर्युक्त वाक्यों में '**बीस**', '**दो – तीन**' तथा '**दो – चार**' शब्द निश्चित संख्यावाचक होने पर भी अनिश्चित बन गए हैं, क्योंकि यहाँ वाक्य का तात्पर्य अनिश्चित संख्या से ही है। अतः ये '**अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण**' हैं।

(4) **सार्वनामिक विशेषण** – वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा की

विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे -

(i) यह लड़का कौन है?

(ii) वह मकान मेरा है।

(iii) वे लोग जा रहे हैं।

(iv) उस आदमी को बुलाओ।

उपर्युक्त वाक्यों में 'यह', 'वह', 'वे' तथा 'उस' सर्वनाम क्रमशः 'लड़का', 'मकान','लोग' तथा 'आदमी' संज्ञाओं से पूर्व आकर इनकी विशेषता बता रहे हैं। अतः 'यह', 'वह', 'वे' तथा 'उस' 'सार्वनामिक विशेषण' हैं।

विशेषण के बारे में कुछ विशेष बातें

(1) सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर – प्रायः सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण के शब्द रूप एक समान होते हैं। परन्तु वाक्यों में इनका प्रयोग भिन्न होता है। सर्वनाम हमेशा किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा से पूर्व आकर उसकी (संज्ञा की) विशेषता बताते हैं। जैसे -

	(क)	(ख)
शब्द	**सर्वनाम रूप में प्रयोग**	**सार्वनामिक विशेषण रूप में प्रयोग**
वह	वह रोज़ सुबह जल्दी उठता है।	वह लड़का रोज़ सुबह जल्दी उठता है।
कौन	कौन आया है।	कौन आदमी तुम्हारा साथ देगा।
उस	उसे यहाँ बुलाओ।	उस व्यक्ति को यहाँ बुलाओ।
यह	यह मेरे साथ पढ़ता है।	यह विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ता है।

विशेष – कभी-कभी सर्वनाम संज्ञा से पहले तो आ जाते हैं, परन्तु संज्ञा की विशेषता नहीं बताते, इसलिए उन्हें सर्वनाम ही माना जाएगा, सार्वनामिक विशेषण नहीं, जैसे -

(i) **उसने** संतरा खाया।

(ii) **मैंने** चित्र बनाया।

उपर्युक्त वाक्यों में 'उसने', तथा 'मैंने', सर्वनाम हैं तथा क्रमशः 'संतरा', तथा 'चित्र' संज्ञाओं से पूर्व आए हैं। यहाँ 'उसने' सर्वनाम 'संतरा' संज्ञा की तथा 'मैंने' सर्वनाम 'चित्र' संज्ञा की विशषता नहीं बता रहे । ये केवल सर्वनाम के रूप में ही प्रयुक्त हुए हैं, न कि विशेषण के रूप में।

(2) परिमाणवाचक विशेषण तथा संख्यावाचक विशेषण में अंतर – जिन

वस्तुओं को मापा या तोला जा सके, उनके वाचक शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं तथा जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके, उनके वाचक शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे -

	(क)	(ख)
शब्द	**परिमाणवाचक विशेषण**	**संख्यावाचक विशेषता**
कुछ	कुछ फल लेकर आओ।	कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं।
बहुत	बहुत मिठाई खाना ठीक नहीं।	बहुत से लोग वहाँ मौजूद थे।
सब	सब आलू पानी में डालो।	सब खिलाड़ी दौड़े।
थोड़ा	थोड़े - से चावल खा लो।	थोड़े - से विद्यार्थी ही आए हैं।

उपर्युक्त सारणी में 'क' भाग में **'कुछ'**, **'बहुत'**, **'सब'** तथा **'थोड़े'** क्रमशः 'फल', 'मिठाई', 'आलू' तथा 'चावल' संज्ञाओं की माप - तोल सम्बन्धी विशेषता को व्यक्त करते हैं। अतः ये **'परिमाणवाचक विशेषण'** हैं। 'ख' भाग में **'कुछ'**, **'बहुत'**, **'सब'** तथा **'थोड़े'** क्रमशः 'बच्चे', 'लोग', 'खिलाड़ी तथा विद्यार्थी' संज्ञाओं की संख्या को प्रकट करते हैं। अतः ये 'संख्यावाचक विशेषण' हैं।

(3) विशेषणों का तुलना में प्रयोग - विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं/व्यक्तियों में गुण - दोष कम ज्यादा हो सकते हैं। गुण - दोषों के इस कम या ज्यादा होने को तुलनात्मक दृष्टि से ही समझा जा सकता है। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की निम्नलिखित तीन अवस्थाएं होती हैं -

(क) मूलावस्था (ख) उत्तरावस्था (ग) उत्तमावस्था

(क) मूलावस्था - मूल अवस्था में किसी की किसी से तुलना नहीं की जाती, केवल किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता ही प्रकट की जाती है। जैसे -

(i) गुलाब **सुन्दर** फूल है।

(ii) वह **बुद्धिमान** बालक है।

(iii) राजेश **निडर** लड़का है।

उपर्युक्त वाक्यों में **'सुन्दर'**, **'बुद्धिमान'** तथा **'निडर'** विशेषण शब्दों से क्रमशः 'फूल', 'बालक' तथा 'लड़का' संज्ञाओं की गुण - दोष सम्बन्धी सामान्य विशेषता का ही पता चलता है। अतः यह विशेषण की मूलावस्था है।

(ख) उत्तरावस्था - उत्तर अवस्था में वस्तुओं या व्यक्तियों के गुणों की तुलना की जाती है। जैसे -

(i) सुरेश राजेश से छोटा है।

(ii) राम श्याम की अपेक्षा लायक है।

इस अवस्था को प्रकट करने के लिए कुछ चिह्नों का प्रयोग किया जाता है। कुछ मुख्य चिह्नों का यहाँ परिचय दिया जा रहा है। जैसे –

(i) **से** – संदीप तो मनोज **से** बढ़कर निकला।
(ii) **की अपेक्षा** – मीरा सविता **की अपेक्षा** मधुर गाती है।
(iii) **की तुलना में** – विकास **की तुलना में** आकाश वीर है।
(iv) **के मुकाबले** – विनय पंकज **के मुकाबले** में ज्यादा कुटिल है।
(v) **बनिस्पत** – गधों **की बनिस्पत** घोड़े ज्यादा भार ढोते हैं।
(vi) **के आगे** – उस **के आगे** बोलने की मेरी क्या मजाल।
(vii) **के सामने** – नौकर मालिक **के सामने** जाते ही भीगी बिल्ली बन गया।

(viii) **संस्कृत विशेषणों के साथ 'तर' प्रत्यय लगाकर** – जैसे – उन दोनों में **श्रेष्ठतर** बालक कौन है?

(ग) **उत्तमावस्था** – उत्तम अवस्था में दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है।
जैसे – पंजाब में **सबसे ज्यादा** अन्न उत्पन्न होता है।
उत्तमावस्था को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित मुख्य चिह्नों का प्रयोग किया जाता है –

(i) सबसे – शीला अपनी बहनों में से **सबसे** छोटी है।
(ii) में – रवि पाँचों **में** ईमानदार है।
(iii) से – रवि पाँचों **से** ईमानदार है।
(iv) **इन सब में** – मेधावी **इन सब में** चतुर है।
(v) **इन सबसे** – चार्वी **इन सब में** होशियार है।

(vi) विशेषण को दुहराकर तथा उनके बीच **'से'** लगाकर जैसे – चतुर से चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है।

(vii) **संस्कृत से आए विशेषणों में 'तम' प्रत्यय लगाकर** जैसे – उन सब में **श्रेष्ठतम** कौन है।

(4) **तुलनात्मक अवस्थाओं के रूप** – हिन्दी में विशेषण शब्दों के साथ कभी कभी तुलनात्मक प्रत्ययों का प्रयोग होता है। हिन्दी में अपने तुलनात्मक प्रत्यय नहीं हैं। अतः संस्कृत तथा फारसी से आए प्रत्यय ही प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर भी हिन्दी में उत्तरावस्था के लिए 'अधिक' तथा उत्तमावस्था के लिए 'सबसे अधिक' शब्दों

को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे-

मूलावस्था	उत्तरावस्था	उत्तमावस्था
अच्छी	अधिक अच्छी	सबसे अच्छी
चतुर	अधिक चतुर	सबसे चतुर
बुद्धिमान	अधिक बुद्धिमान	सबसे बुद्धिमान
बलवान	अधिक बलवान	सबसे बलवान
मोटा	अधिक मोटा,	सबसे मोटा

संस्कृत में उत्तरावस्था के लिए 'तर' तथा उत्तमावस्था के लिए 'तम' प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे-

मूलावस्था	उत्तरावस्था	उत्तमावस्था
अधिक	अधिकतर	अधिकतम
उच्च	उच्चतर	उच्चतम
उत्कृष्ट	उत्कृष्टतर	उत्कृष्टतम
कटु	कटुतर	कटुतम
कठोर	कठोरतर	कठोरतम
गुरु	गुरुतर	गुरुतम
तीव्र	तीव्रतर	तीव्रतम
दृढ़	दृढ़तर	दृढ़तम
निकट	निकटतर	निकटतम
न्यून	न्यूनतर	न्यूनतम
प्रिय	प्रियतर	प्रियतम
मधुर	मधुरतर	मधुरतम
महान	महानतर	महानतम
मृदु	मृदुतर	मृदुतम
लघु	लघुतर	लघुतम
विशाल	विशालतर	विशालतम

विशेष- संस्कृत के 'इयस्' तथा 'इष्ठ' का प्रयोग भी हिन्दी में कहीं-कहीं है जैसे।

गुरु	गरीयस	गरिष्ठ
बली	बलीयस	बलिष्ठ

कुछ फारसी तुलनात्मक शब्द भी हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे-

मूलावस्था	उत्तरावस्था	उत्तमावस्था
कम	कमतर	कमतरीन
बद	बदतर	बदतरीन

(5) **विशेषण शब्दों के रूपान्तर** – संज्ञा की भाँति विशेषण में लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। परन्तु ये परिवर्तन कुछ परिस्थितियों में ही होते हैं। कुछ आकारान्त विशेषणों मे लिंग, वचन सम्बन्धी परिवर्तन विशेष्य के अनुसार होता है। जैसे –

	(क)	(ख)	(ग)	(घ)
आकारान्त विशेषण शब्द	पुल्लिग मे प्रयोग	स्त्रीलिंग में प्रयोग	एकवचन में प्रयोग	बहुवचन मे प्रयोग
गोरा	गोरा लड़का रोता है।	गोरी लड़की रोती है।	गोरा लड़का रोता है।	गोरे लड़के रोते हैं।
काला	काला कुत्ता भौंकता है।	काली कुतिया भौंकती है।	काला कुत्ता भौंकता है।	काले कुत्ते भौंकते हैं।
मीठा	मीठा रसगुल्ला खाओ।	मीठी बर्फी खाओ।	मीठा रसगुल्ला खाओ।	मीठे रसगुल्ले खाओ।
पिछला	पिछला रास्ता खराब था।	पिछली सड़क खराब थी।	पिछला रास्ता खराब था।	पिछले रास्ते खराब थे।

उपर्युक्त **'क'** तथा **'ग'** भाग में 'लड़का', 'कुत्ता', 'रसगुल्ला' तथा 'रास्ता' पुल्लिग तथा एकवचन विशेष्यों के साथ क्रमशः **'गोरा'**, **'काला'**, **'मीठा'**, तथा **'पिछला'** (पुल्लिग व एकवचन) विशेषणों का प्रयोग हुआ है। **'ख'** भाग में 'लड़की', 'कुतिया', 'बर्फी', 'सड़क', स्त्रीलिंग विशेष्यों के साथ क्रमशः **'गोरी'**, **'कुतिया'**, **'मीठी'** तथा **'पिछली'** (स्त्रीलिंग) विशेषणों का प्रयोग हुआ है। जबकि 'घ' भाग में 'लड़के', 'कुत्ते', 'रसगुल्ले' तथा 'रास्ते' बहुवचन विशेष्यों के साथ क्रमशः **'गोरे'**, **'काले'**, **'मीठे'** तथा **'पिछले'** (बहुवचन) विशेषणों का प्रयोग हुआ है।

यदि विशेष्य के बाद कोई विभक्ति चिह्न लगा हो तो आकारान्त विशेषण के **'आ'** को **'ए'** कर दिया जाता है। जैसे –

(i) **छोटे** लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया है।

(ii) **बुरे** मुनष्यों से दूर रहो।

(iii) **अच्छे** लोगों को सभी चाहते हैं।

उपर्युक्त वाक्यों में **'लड़के ने'**, **'मनुष्यों से'** तथा **'लोगों को'** विभक्ति युक्त विशेष्य हैं, इसीलिए आकारान्त विशेषण क्रमशः छोटा से 'छोटे', 'बुरा' से **'बुरे'**

तथा 'अच्छा' से 'अच्छे' रूप में प्रयुक्त हुए हैं। ऐसा करते हुए आकारान्त विशेषणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे–

विशेषण	पुल्लिग में प्रयोग	स्त्रीलिंग में प्रयोग	बहुवचन में प्रयोग
अमीर	अमीर लड़का पढ़ता है।	अमीर लड़की पढ़ती है।	अमीर लड़के / लड़कियाँ पढ़ते / पढ़ती हैं।
कीमती	कीमती खिलौना लाओ।	कीमती गाड़ी लाओ।	कीमती / खिलौने / साड़ियाँ लाओ।
लाल	लाल पाजामा दो।	लाल धोती दो।	लाल / पाजामे / धोतियाँ / कुरते दो।
शरारती	शरारती लड़का भाग गया।	शरारती लड़की भाग गयी।	शरारती लड़के / लड़कियाँ भाग गये।

उपर्युक्त वाक्यों से स्पष्ट हो रहा है कि विशेष्य के लिंग तथा वचन में परिवर्तन होने पर भी विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा।

(5) विशेषणों का संज्ञा रूप में प्रयोग – कई बार विशेषणों का संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहाँ विशेष्य प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता, किन्तु उसकी संरचना में उपस्थिति होती है। जैसे –

(i) **गरीबों** की बात भी सुनो।
(ii) **वीरों** की पूजा होती है।
(iii) **अमीरों** की नकल मत करो।
(iv) **दुष्टों** को कुचल डालो।

उपर्युक्त वाक्यों में 'गरीबों', 'वीरों', 'अमीरों' तथा 'दुष्टों' से अभिप्राय क्रमशः **'गरीब लोगों'**, **'वीर पुरुषों'**, **'अमीर आदमियों'** तथा **'दुष्ट लोगों'** से है। किन्तु वाक्यों में ये (गरीबों, वीरों, अमीरों तथा दुष्टों) शब्द विशेषण होते हुए भी संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुए हैं। अतः ये संज्ञा शब्द ही माने जाएंगे।

क्रिया

(क)	(ख)
(i) माली पौधों को पानी	(i) माली पौधों को पानी देता है।
(ii) विद्यार्थी पुस्तक	(ii) विद्यार्थी पुस्तक पढ़ते हैं।
(iii) रोहित गेंद से	(iii) रोहित गेंद से खेलता है।

उपर्युक्त 'क' भाग में दिए गए वाक्य अधूरे हैं जबकि 'ख' भाग में **'देता है'**, **'पढ़ते हैं'** तथा **'खेलता है'** शब्दों के द्वारा वाक्यों को पूरा किया गया है। इनके बिना वाक्यों का कोई अर्थ नहीं। ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं।

परिभाषा– जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना प्रकट हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे–

(i) हलवाई लड्डू **बनाता है।**

(ii) प्रदीप दूध **पी रहा है।**

(iii) गीता **नाच रही है।**

(iv) मेरे लिए पानी **लाओ।**

उपर्युक्त वाक्यों में **'बनाता है', 'पी रहा है', 'नाच रही है'** तथा **'लाओ'** शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है। अत: ये क्रियाएँ हैं।

मुख्य क्रिया– क्रिया पदबंध के जिस अंश से उसके मुख्य अर्थ का बोध होता है, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे

(i) भूपेन्द्र पाल **खेल** रहा है।

(ii) सुधा **गा** सकती है।

(iii) चित्रा **पढ़** रही है।

उपर्युक्त वाक्यों में **'खेल रहा है', 'गा सकती है'** तथा **'पढ़ रही है'** क्रिया पदबन्धों में से **क्रमशः 'खेल', 'गा'** तथा **'पढ़'** पदों से क्रिया के मुख्य अर्थ का बोध हो रहा है। अत: ये मुख्य क्रियाएँ हैं।

सहायक क्रिया– हिन्दी में कुछ क्रियाएँ एक शब्द में तथा कुछ दो या दो से अधिक शब्दों में प्रयोग में आती हैं। मुख्य क्रिया के अलावा वाक्य में जितनी भी क्रियाएँ आती हैं, वे सहायक क्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे–

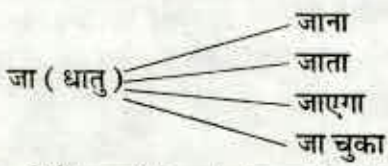
(i) वह लुढ़का।

(ii) वह लुढ़क गया।

(iii) वह लुढ़क गया है।

उपर्युक्त तीनों वाक्यों में 'लुढ़कना' मुख्य क्रिया के रूप में आई है। पहले वाक्य में क्रिया एक शब्द की है–'लुढ़का'। यह मुख्य क्रिया है। दूसरे वाक्य में क्रिया दो शब्दों की है –**'लुढ़क गया'**। 'गया' सहायक क्रिया है। तीसरे वाक्य में क्रिया तीन शब्दों की है **'लुढ़क गया है'**। यहाँ **'गया है'** सहायक क्रिया है।

धातु एवं क्रिया का सामान्य रूप



उपर्युक्त शब्दों में 'जाना', 'जाता', 'जाएगा' तथा 'जा चुका' में जा अंश समान रूप

से विद्यमान है, इसे क्रिया की धातु कहते हैं।

धातु – क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे – पढ़, खा, हँस, गा, सो, देख, चल, आदि। इन्हीं से **'लिखता है'**, **'पढ़ता है'**, **'खाता है'** आदि क्रियाएँ बनती हैं।

क्रिया का सामान्य रूप – धातु के अंत में **'ना'** जाड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे –

धातु	+ ना	=	क्रिया का सामान्य रूप
लिख	+ ना	=	लिखना
पढ़	+ ना	=	पढ़ना
खा	+ ना	=	खाना
गा	+ ना	=	गाना
सो	+ ना	=	सोना
देख	+ ना	=	देखना
हँस	+ ना	=	हँसना
चल	+ ना	=	चलना

प्रत्येक क्रिया में दो बातें होती हैं। कार्य (व्यापार) और फल। जैसे – **'दर्जी** कपड़े सिलता है। इस वाक्य में **'सिलता है'** क्रिया है। इसमें कपड़े को नाप अनुसार काटना, मशीन चलाना, बटन आदि (यदि लगाने हों तो) लगाना, कपड़े को प्रैस करना आदि सभी कार्य (व्यापार) आ जाते हैं। कपड़े का काटना, मशीन का चलना, बटनों का लगना, कपड़ों का प्रैस होना आदि **'सिलना'** क्रिया के फल हैं। सिलने का कार्य **'दर्जी'** करता है और उसका फल **'कपड़े'** पर पड़ता है।

क्रिया के कार्य (व्यापार) को करने वाला उस क्रिया का 'कर्त्ता' होता है और जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, वह 'कर्म' होता है। उक्त उदाहरण में दर्जी 'कर्त्ता है और **'कपड़े'** कर्म। कर्म के बिना **'सिलना'** क्रिया संभव नहीं हो सकती।

क्रिया के भेद – कार्य (व्यापार) और फल के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं –

(1) अकर्मक क्रिया (2) सकर्मक क्रिया

(1) **अकर्मक क्रिया** – जिन क्रियाओं के कार्य (व्यापार) और फल दोनों कर्त्ता में ही रहें, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। इनमें कोई कर्म विद्यमान नहीं होता। अतः ये अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे –

(i) बालक **हँसता है।**

(ii) बच्चा **रोता है।**

(iii) छात्र पढ़ता है।

उपर्युक्त वाक्यों में 'हँसना', 'रोना' और 'पढ़ना' क्रिया का कार्य और फल क्रमशः 'बालक', 'बच्चा' तथा 'छात्र' कर्त्ताओं में ही रहते हैं। ऐसी क्रियाओं को अकर्मक कहते हैं। इनमें कोई भी कर्म नहीं है।

(2) **सकर्मक क्रिया** – जिन क्रियाओं का फल कर्त्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे –

(i) बालक **दूध** पीता है।

(ii) मोहन **फल** खाता है।

(iii) गौरव **पत्र** लिखता है।

उपर्युक्त वाक्यों में **'दूध', 'फल' तथा 'पत्र'** कर्म हैं। 'पीने' 'खाने' और लिखने का कार्य तो कोई और कर रहा है। अतः ये तीनों क्रियाएँ सकर्मक हैं।

अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर – अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया के अंतर को समझने के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पर **'क्या', 'किसे'** या **'किसको'** प्रश्नवाचक शब्द लगा कर देखा जाता है। यदि उत्तर में कोई व्यक्ति या वस्तु आए हों, तो क्रिया सकर्मक होगी और यदि कोई उत्तर नहीं मिलता, तो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे –

(i) बालक **सोता है।**

(ii) दिनेश **हँसता है।**

(iii) लड़का **रोता है।**

उपर्युक्त वाक्यों में प्रश्न करके देखिए –

(i) बालक **क्या** सोता है?

(ii) **दिनेश क्या** हँसता है?

(iii) लड़का **क्या** रोता है?

उपर्युक्त तीनों प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः **'सोता है', 'हँसता है'** तथा **'रोता है'** क्रियाएँ अकर्मक हैं।

सकर्मक क्रिया की पहचान – नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ो –

(i) लेखक **कहानी** लिखता है।

(ii) बिमला **फल** खाती है।

(iii) रानी **गीत** गाती है।

उपर्युक्त वाक्यों में प्रश्न करके देखिए –

(i) लेखक **क्या** लिखता है?

उत्तर मिलता है - **'कहानी'**।

(ii) बिमला **क्या** खाती है?

उत्तर मिलता है - **'फल'**।

(iii) रानी क्या गाती है?

उत्तर मिलता है - **'गीत'**।

अतः **'लिखवता है'**, **'खाती है'** तथा **'गाती है'**, क्रियाएँ सकर्मक हैं।

वाक्य में आई प्रत्येक संज्ञा से यह अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि प्रयुक्त संज्ञा कर्म है और क्रिया सकर्मक होगी। जैसे -

(i) दिनेश स्कूल जा रहा है।

(ii) हम आगरा पहुँच रहे हैं।

(iii) बच्चे शाम को खेलते हैं।

उपर्युक्त वाक्यों में **'स्कूल'**, **'आगरा'** तथा **'शाम को'**, कर्म संज्ञाएँ न होकर क्रिया विशेषण हैं। 'स्कूल' तथा 'आगरा' स्थानवाचक तथा 'शाम' को **'कालवाचक' 'क्रिया विशेषण हैं।'** अतः इन वाक्यों की क्रियाओं 'जा रहा है', 'पहुँच रहे हैं' तथा 'खेलते हैं' के साथ 'क्या' प्रश्नवाचक चिह्न नहीं लगाया जा सकता इनके साथ **'क्या जा रहा है?' 'क्या पहुँच रहे है'** तथा **'क्या खेलते हैं?'** प्रश्न अटपटे लगते हैं। अतः इन वाक्यों में **'जाना'**, **'पहुँचना'** तथा **'खेलना'** अकर्मक क्रियाएँ हैं।

अकर्मक - सकर्मक में परिवर्तन - सजातीय कर्म लगने पर कुछ अकर्मक क्रियाएँ सकर्मक बन जाती हैं। जैसे -

(i)	तुम क्यों लड़ रहे हो?	(अकर्मक क्रिया)
(ii)	टीपू सुल्तान ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ीं।	(सकर्मक क्रिया)
(iii)	बालक दौड़े।	(अकर्मक क्रिया)
(iv)	बालकों ने दौड़ दौड़ी।	(सकर्मक क्रिया)

उपर्युक्त पहले व तीसरे वाक्य की क्रियाएँ अकर्मक हैं; किन्तु दूसरे तथा चौथे वाक्यों में सजातीय कर्म के प्रयुक्त होने के कारण वही सकर्मक क्रियाएँ बन गईं।

सकर्मक से अकर्मक में परिवर्तन - सजातीय कर्म के लोप हो जाने पर सकर्मक क्रियाएँ अकर्मक बन जाती हैं। जैसे -

(i)	बच्चा पुस्तक पढ़ता है।	(सकर्मक क्रिया)
(ii)	बच्चा स्कूल में पढ़ता है।	(अकर्मक क्रिया)
(iii)	खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं।	(सकर्मक क्रिया)

(iv) खिलाड़ी सुबह खेलते हैं। (अकर्मक क्रिया)

उपर्युक्त पहले तथा दूसरे वाक्य में **'पढ़ना'** क्रिया प्रयोग एवं अर्थ की दृष्टि से भिन्नता रखते हैं। पहले वाक्य में **'पढ़ने'** का अर्थ है- **'पठन'**। दूसरे वाक्य में **'पढ़ने'** का अर्थ है- **'अध्ययन करना'**। पहले वाक्य में **'पढ़ता है'** क्रिया सकर्मक है, दूसरे में अकर्मक । इसी प्रकार तीसरे वाक्य में **'खेलना'** क्रिया किसी विशिष्ट **'खेल'** (क्रिकेट) कर्म की ओर संकेत करती है, जबकि चौथे वाक्य में 'खेलना' क्रिया का अर्थ **'कुछ भी खेलना'** हो सकता है। तीसरे वाक्य में **'खेलते हैं'** सकर्मक क्रिया है तथा चौथे वाक्य में **'खेलते हैं'** अकर्मक क्रिया है।

अकर्मक क्रिया के भेद- अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं-

(1) **पूर्ण अकर्मक क्रिया-** अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता। परन्तु जो क्रियाएँ अपने आप में पूर्ण होती हैं, वे पूर्ण अकर्मक क्रियाएँ होती हैं। इनके साथ किसी पूरक लगाने की ज़रूरत नहीं होती । ये अपना अर्थ व्यक्त करने में स्वयं ही सक्षम होती हैं। इसके दो उपभेद हैं-

(क) स्थिति या अवस्था सूचक पूर्ण अकर्मक क्रिया- जिन पूर्ण अकर्मक क्रियाओं से कर्त्ता की स्थिति या अवस्था का बोध होता है। जैसे-

(i) जगदीश हँसता है।

(ii) रमेश सो रहा है।

(iii) परमात्मा है।

उपर्युक्त पहले वाक्य में 'हँसता है' क्रिया से **'हँसने की अवस्था'**, दूसरे वाक्य में 'सो रहा है' क्रिया से **'सोने की अवस्था'** तथा तीसरे वाक्य में 'है' क्रिया से **'होने की अवस्था'** (ईश्वर के अस्तित्व के बारे में) का पूर्ण बोध होता है। अत: ये पूर्ण अकर्मक क्रियाएँ हैं।

(ख) गतिबोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया- जिन क्रियाओं को करते समय कर्त्ता गतिशील स्थिति में होता है। जैसे- आना, जाना, भागना, दौड़ना,चलना, तैरना, फिरना आदि। इन क्रियाओं के साथ प्राय: स्थानवाचक क्रिया विशेषण प्रयोग में आते हैं। जैसे-

(i) बच्चे दौड़ रहे हैं।

(ii) पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं।

(iii) वह विद्यालय जा रहा है।

(iv) तैराक पानी में तैर रहे हैं।

उपर्युक्त वाक्यों में **'दौड़ रहे हैं'**, **'उड़ रहे हैं'**, **'जा रहा है'** तथा **'तैर रहे हैं'** गतिबोधक पूर्ण अकर्मक क्रियाएँ हैं, जो क्रमशः 'बच्चे', 'पक्षी', 'वह' तथा 'तैराक' कर्त्ताओं की गतिशील स्थिति का बोध कराते हैं।

(2) अपूर्ण अकर्मक क्रिया – जिन क्रियाओं को अपना अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए कर्त्ता से संबंध रखने वाले पूरक शब्द की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहा जाता है। होना, निकलना, बनना आदि अपूर्ण अकर्मक क्रियाएँ हैं। जैसे –

(i) वह **रोगी** है।

(ii) मुझे वह आदमी **ईमानदार** लगा ।

(iii) परमात्मा सर्वत्र **विद्यमान** है।

इन वाक्यों में **'रोगी'**, **'ईमानदार'** तथा **'विद्यमान'** पूरक शब्दों के कारण ही वाक्य में पूर्णता आई है अन्यथा वाक्य अधूरा ही रहता।

सकर्मक क्रिया के भेद – सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं –

(1) पूर्ण सकर्मक क्रिया – जो क्रियाएँ अपने अर्थ को व्यक्त करने में स्वयं ही सक्षम होती हैं, उन्हें पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। यह दो प्रकार की होती हैं –

(क) एककर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया – वे सकर्मक क्रियाएँ जो केवल एक कर्म लेती हैं, उन्हें एककर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे –

(i) किसान हल **चलाता** है।

(ii) सविता खाना **खाती** है।

(iii) आरजू चित्र **बनाती** है।

उपर्युक्त वाक्यों में **'चलाता है'**, **'खाती है'** तथा **'बनाती है'**, सकर्मक क्रियाओं के क्रमशः **'हल'**, **'खाना'** और **'चित्र'** एक-एक कर्म हैं। अतः ये एककर्मक क्रियाएँ हैं।

(ख) द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रियाएँ – जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं, उसे द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रियाएँ कहते हैं। जैसे –

(i) अध्यापक **विद्यार्थियों को पाठ** पढ़ाता है।

(ii) कवि **श्रोताओं को कविता** सुनाता है।

(iii) राजा ने **अपराधी को सज़ा** दी।

उपर्युक्त पहले वाक्य में 'पढ़ाता है' क्रिया के दो कर्म हैं – **'विद्यार्थियों**

को' तथा **'पाठ'**, दूसरे वाक्य में 'सुनाता है' क्रिया के दो कर्म हैं - **'श्रोताओं को'** तथा **'कविता'** तथा तीसरे वाक्य में 'दी' क्रिया के दो कर्म हैं - **'अपराधी को'** तथा **'सज़ा'**। अतः **'पढ़ाता है'**, **'सुनाता है'** तथा **'दी'** क्रियाएँ द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रियाएँ हुईं।

अन्य उदाहरण –

(i) राम ने **श्याम को पुस्तक** दी।
(ii) सुधा ने **सुनीता को चित्र** दिखाया।
(iii) हर्षिता ने **निशांत को रुपये** दिए।
(iv) माँ ने **बच्चे को पानी** पिलाया।
(v) माली **ने पौधों को पानी** दिया।

(2) **अपूर्ण सकर्मक क्रिया –** जो क्रियाएँ कर्म के होते हुए भी अर्थ को पूर्ण रूपेण व्यक्त नहीं कर पातीं, उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रियाएँ कहा जाता है। अर्थ की पूर्णता के लिए इन क्रियाओं को कर्म से संबंधित पूरक शब्द लेना ही पड़ता है। जैसे -

(1) विजय ने **अजय को मूर्ख** बनाया।
पूरक कर्म

(2) वह **दीपक को ईमानदार** समझता है।
पूरक कर्म

(3) शशांक ने **मयंक को मित्र** बना लिया।
पूरक कर्म

(4) वह **मुझे अपना शत्रु** मानता है।
पूरक कर्म

उपर्युक्त वाक्यों में यदि पूरक शब्दों (अजय को, दीपक को, मयंक को तथा मुझे) को हटा दिया जाए तो वाक्य अपूर्ण हो जाएगा। ये पूरक ही अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करते हैं। इनके अभाव में ये क्रियाएँ अपूर्ण सकर्मक क्रियाएँ ही कहलाएंगी।

पूरक – अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे पूरक कहलाते हैं।

उपर्युक्त उदाहरणों में **'अजय'**, **'दीपक'**, **'मयंक'** तथा **'मुझे'** शब्द

पूरक का बोध कराते हैं।

संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद

संरचना की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित भेद हैं -

(1) सामान्य क्रिया (2) संयुक्त क्रिया (3) नामधातु क्रिया
(4) प्रेरणार्थक क्रिया (5) पूर्वकालिक क्रिया (6) समस्त क्रिया
(7) मिश्रित क्रिया

(1) सामान्य क्रिया – जहाँ केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे -

(i) वह गया।
(ii) उसने लिखा।
(iii) आप आए।
(iv) वह दौड़ा।

उपर्युक्त वाक्यों में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। पहले वाक्य में 'गया', दूसरे वाक्य में 'लिखा', तीसरे वाक्य में 'आए' तथा चौथे वाक्य में 'दौड़ा' क्रियाएँ हैं।

(2) संयुक्त क्रिया – सहायक क्रियाएँ जब मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होती हैं, तब वे संयुक्त क्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे -

मुख्य क्रिया	सहायक क्रिया	संयुक्त क्रिया	वाक्य में प्रयोग	संयुक्त क्रिया का भेद
चल	सकना	चल सकता है	वह अब चल सकता है।	शक्ति बोधक
खा	चुकना	खा चुका है	रमेश खाना खा चुका है।	समाप्ति बोधक
खेल	चाहना	खेलना चाहता हूँ	मैं आज खेलना चाहता हूँ।	इच्छा बोधक
पढ़	रहना	पढ़ता रहता है।	श्याम सारा दिन पढ़ता रहता है।	निरंतरता बोधक
चल	लगाना	चलने लगा है	बालक चलने लगा है।	आरंभ बोधक
कर	डालना	कर डाला	मैंने तुम्हारा काम कर डाला।	पूर्णता बोधक
पढ़	रहना	पढ़ रहा है	वह पढ़ रहा है।	अपूर्णता बोधक
कर	देना	कर दो	मुझे अपना काम करने दो।	अनुमति बोधक

(3) **नामधातु क्रियाएँ** – संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आदि शब्दों से बने क्रिया पदों को 'नामधातु क्रियाएँ' कहा जाता है। जैसे– वह उसका बटुआ हाथ में लेकर चला गया। इस वाक्य में **'हाथ'** नाम अर्थात संज्ञा है। यदि इस वाक्य को इस तरह प्रयुक्त किया जाए कि **'उसने उसका बटुआ हथिया लिया'** तो इसमें 'हथिया' नामधातु क्रिया है। नाम धातु चार प्रकार के शब्दों से बनते हैं–

(क) **संज्ञा शब्दों से** – जैसे– शर्म से शर्माना, लालच से ललचाना, रंग से रंगना, बात से बतियाना, चक्कर से चकराना, फिल्म से फिल्माना।

(ख) **सर्वनाम शब्दों से** – जैसे– अपना से अपनाना।

(ग) **विशेषण शब्दों से** – जैसे– दोहरा से दुहराना, लँगड़ा से लँगड़ाना, साठ से सठियाना, चिकना से चिकनाना, गर्म से गर्माना, गोटा से मुटाना।

(घ) **अनुकरणवाचक शब्दों से** – हिनहिन से हिनहिनाना, खटखट से खटखटाना, थरथर से थरथराना, मिनमिन से मिनमिनाना।

(4) **प्रेरणार्थक क्रिया** – जिन क्रियाओं से यह जाना जाए कि कर्त्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे– लिखना से लिखवाना, पढ़ना से पढ़वाना, लेटना से लिटवाना आदि। प्रेरणार्थक क्रियाओं में दो कर्त्ता होते हैं–

(1) **प्रेरक कर्त्ता** (2) **प्रेरित कर्त्ता**

जो किसी को काम करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरक कर्त्ता होता है और जिसे काम करने की प्रेरणा दी जाती है, वह प्रेरित कर्त्ता होता है। जैसे–

(i) देवेन्द्र ने नौकर द्वारा पत्र भिजवाया।
प्रेरक कर्त्ता — प्रेरित कर्त्ता

(ii) सुनीता ने आशना से कपड़े धुलवाए।
प्रेरक कर्त्ता — प्रेरित कर्त्ता।

उपर्युक्त वाक्यों में **'देवेन्द्र'** और **'सुनीता'** प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। अत: 'प्रेरक कर्त्ता' हैं। 'नौकर' और **'आशना'** प्रेरित कर्त्ता हैं और उन्हीं से कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है। अत: प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप होते हैं:

(i) **प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया** – जब कर्त्ता स्वयं कार्य में शामिल होकर प्रेरणा

देता है। जैसे – मैं बालक को कविता सुनाता हूँ। यहाँ कविता सुनाने का कार्य कर्त्ता (मैं) स्वयं कर रहा है।

(ii) द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया – जब कर्त्ता स्वय कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे – मैं बालक को कवि से कविता सुनवाता हूँ।

यहाँ कविता सुनाने का कार्य कर्त्ता (मैं) स्वयं न करके कवि से करवाता है। अत: यहाँ 'सुनवाना' द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है।

अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं से व्युत्पन्न प्रेरणार्थक क्रियाएँ

अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं से व्युत्पन्न कुछ प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण निम्नलिखित हैं –

मूल क्रिया		व्युत्पन्न क्रिया	
अकर्मक	सकर्मक	प्रथम प्रेरणार्थक	द्वितीय प्रेरणार्थक
लड़ना	–	लड़ाना	लड़वाना
लेटना	–	लिटाना	लिटवाना
रोना	–	रुलाना	रुलवाना
ठहरना	–	ठहराना	ठहरवाना
हँसना	–	हँसाना	हँसवाना
दौड़ना	–	दौड़ाना	दुड़वाना
चलना	–	चलाना	चलवाना
बोलना	–	बुलाना	बुलवाना
डूबना	–	डुबाना	डुबवाना
जागना	–	जगाना	जगवाना
सोना	–	सुलाना	सुलवाना
उठना	–	उठाना	उठवाना
–	करना	कराना	करवाना
–	देना	दिलाना	दिलवाना
–	पीना	पिलाना	पिलवाना
–	खाना	खिलाना	खिलवाना
–	सीखना	सिखाना	सिखवाना

–	पीसना	पिसाना	पिसवाना
–	काटना	कटाना	कटवाना
–	सुनना	सुनाना	सुनवाना
–	पढ़ना	पढ़ाना	पढ़वाना
–	सीना	सिलाना	सिलवाना
–	रोकना	रुकाना	रुकवाना
–	देखना	दिखाना	दिखवाना
–	धोना	धुलाना	धुलवाना

(5) पूर्वकालिक क्रिया – मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयुक्त होने वाली क्रिया को 'पूर्वकालिक क्रिया' कहते हैं। जैसे – गोपाल खाना **खाकर** विद्यालय गया।

इस वाक्य में मुख्य क्रिया 'गया' है। उससे पूर्व **'खाकर'** क्रिया आयी है, यह पूर्वकालिक क्रिया है।

पूर्वकालिक क्रिया लगाने से वाक्य छोटा व सुंदर बन जाता है। जैसे मनोहर ने भोजन खाया और सो गया। इसकी जगह 'मनोहर भोजन खाकर सो गया।' यह वाक्य छोटा और सुंदर बन गया है। अन्य उदाहरण –

(i) बच्चे **खेलकर** घर चले गये। (ii) बालक अभी **सोकर** उठा है।

(iii) वह पाठ **पढ़कर** बैठ गया।

(6) समस्त क्रिया – ये क्रियाएँ दो धातुओं के मेल से बनती हैं। दोनों क्रियाओं का समास हो जाने से इन्हें समस्त क्रिया कहते हैं। इसमें विशेष बात यह है कि दोनों ही क्रियाओं का अर्थ बना रहता है। जैसे –

(i) वह **पढ़ – लिख** नहीं सकता ।

(ii) अब वह **खा – पी** सकता है।

(iii) उसे **उठने – बैठने** में परेशानी हो रही है।

उपर्युक्त वाक्यों में **'पढ़ना – लिखना', 'खाना – पीना'** तथा **'उठना – बैठना'** दोनों ही अर्थ बने रहते हैं। पहले वाक्य का अर्थ है वह न तो पढ़ सकता है और न ही लिख सकता है। दूसरे वाक्य का अर्थ है कि वह खा भी सकता है और पी भी सकता है। तीसरे वाक्य का अर्थ है कि उसे उठने में भी परेशानी हो रही है तथा बैठने में भी परेशानी हो रही है। अत: दोनों क्रियाओं के अर्थ बने रहते हैं।

(7) मिश्रित क्रिया – मिश्रित क्रिया में दो भाग होते हैं। इसमें पहला भाग संज्ञा,

विशेषण या क्रिया विशेषण का रहता है तथा दूसरा भाग क्रिया का। दूसरे भाग को 'क्रियाकर' कहते हैं। जैसे -

संज्ञा	+	क्रियाकर	=	मिश्रित क्रिया
कष्ट	+	देना	=	कष्ट देना
घृणा	+	करना	=	घृणा करना
धोखा	+	देना	=	धोखा देना
प्यार	+	करना	=	प्यार करना
प्यास	+	लगना	=	प्यास लगना
याद	+	आना	=	याद आना
विशेषण	**+**	**क्रियाकर**	**=**	**मिश्रित क्रिया**
अच्छा	+	लगना	=	अच्छा लगना
काला	+	करना	=	काला करना
गोल	+	करना	=	गोल करना
बुरा	+	लगना	=	बुरा लगना
सुंदर	+	दिखना	=	सुंदर दिखना
क्रिया विशेषण	**+**	**क्रियाकर**	**=**	**मिश्रित क्रिया**
आगे	+	करना	=	आगे करना
पीछे	+	करना	=	पीछे करना
बाहर	+	करना	=	बाहर करना
भीतर	+	करना	=	भीतर करना

समापिका तथा असमापिका क्रिया

(क) समापिका क्रिया - वाक्य के अंत में आई क्रिया को समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे -

(i) गोनिका चाय **बनाती** है। (ii) आदर्श भोजन **पकाती** है।
(iii) रजनीश शिमला **जाएगा**। (iv) सोनिया मंदिर **गयी**।

उपर्युक्त वाक्यों में '**बनाती है**', '**पकाती है**', '**जाएगा**' तथा '**गयी**' पर वाक्य की समाप्ति हो रही है, अत: इन क्रियाओं को समापिका क्रिया कहते हैं।

(ख) असमापिका क्रिया - कुछ क्रियाएँ वाक्य के मध्य आ जाती हैं अर्थात कुछ क्रियाएँ वाक्य को समाप्त नहीं करतीं। अत: उन्हें असमापिका क्रिया कहते हैं। जैसे -

(i) वह **नहाकर** स्कूल चला गया। (ii) वह गाना **सुनते** ही सो गया।

(iii) **बैठकर** जलपान पीजिए। (iv) **पढ़ता हुआ** बच्चा सबको अच्छा लगता है।

उपर्युक्त वाक्यों में **'नहाकर', 'सुनते ही', 'बैठकर'** तथा **'पढ़ता हुआ'** - ये वाक्यांश वाक्य के अंत में प्रयुक्त नहीं हो रहे। अत: इन्हें असमापिका क्रिया कहते हैं। यही क्रिया के 'कृदन्त' या 'कृदन्ती' रूप भी कहलाते हैं।

क्रिया के कृदन्त रूप

रचना तथा प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कृदन्त रूपों का विवेचन इस तरह है -

(क) रचना की दृष्टि से कृदन्त रूप - क्रिया के कृदन्त रूपों की रचना चार प्रकार के प्रत्यय लगने से होती है -

(1) **अपूर्ण कृदन्त** - अपूर्ण कृदन्त 'ता', 'ती', 'ते' लगकर बनते हैं। जैसे - पढ़ता बालक, पढ़ती बालिका, पढ़ते बालक आदि।

(2) **पूर्ण कृदन्त** - पूर्ण कृदन्त 'आ', 'ई', 'ए' लगकर बनते हैं। जैसे - बैठा लड़का, बैठी लड़की, बैठे लड़के आदि।

(3) **क्रियार्थक कृदन्त** - क्रियार्थक कृदन्तों की रचना 'ना', 'नी','ने' लगकर होती है। जैसे - करनी, घूमना,घूमने,घूमने के लिए आदि।

(4) **पूर्वकालिक कृदन्त** - इनकी रचना 'कर' प्रत्यय लगाने से होती है। जैसे - बैठकर, उठकर, सोकर, नहाकर,जागकर, पढ़कर आदि।

(ख) प्रयोग की दृष्टि से कृदन्त रूप -

(1) **वर्तमान कालिक कृदन्त** - वर्तमान काल में हो रही क्रियात्मक कृदन्तों को वर्तमान कालिक कृदन्त कहते हैं। जैसे -

(i) **पढ़ता हुआ** बच्चा अच्छा लग रहा है। (ii) **नाचता हुआ** बच्चा सुंदर लग रहा है।

(2) **भूतकालिक कृदन्त** - भूतकाल में हुई क्रियात्मक विशेषता का बोध कराने वाले कृदन्तों को भूतकालिक कृदन्त कहते हैं। जैसे -

(i) **सोए** हुए बालक को मत जगाओ। (ii) **पका हुआ** आम कितना स्वादिष्ट है।

(3) **क्रियार्थक कृदन्त** - इनका प्रयोग भाववाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे -

(i) उसे **पढ़ना** नहीं आता। (ii) सेहत के लिए **घूमना** ज़रूरी है।

(4) **कर्तृवाचक कृदन्त** - धातु में 'ने' तथा 'वाला','वाली', 'वाले', लगाकर कर्तृवाचक कृदन्त बनते हैं। जैसे -

(i) दौड़ने वालों को अन्दर बुलाओ। (ii) रोने वालों को कुछ खाने को दे दो। (iii) जाने वालों को वहीं रोक लेना।

(5) पूर्वकालिक कृदन्त – पूर्वकालिक कृदन्त मुख्य क्रिया से पूर्व की गई क्रिया का बोध कराते हैं। जैसे –

(i) चार्वी नहाकर स्कूल गयी। (ii) बच्चा दूध पीकर सो गया।

(iii) मैं अभी पढ़कर आया हूँ। (iv) मैं खाना खाकर जाऊँगा।

उपर्युक्त वाक्यों में 'गया', 'सो गया', 'आया हूँ' तथा 'जाऊँगा' मुख्य क्रिया से पूर्व क्रमश: **'नहाकर', 'पढ़कर' 'पीकर'** तथा **'खाकर'** पूर्वकालिक कृदन्त का प्रयोग हुआ है।

(iv) तात्कालिक कृदन्त – धातु में 'ते ही' वाले कृदन्तों से कृदन्ती क्रिया के खत्म होते ही तत्काल मुख्य क्रिया सम्पन्न हो जाती है। जैसे –

(i) बालक गिरते ही रोने लगा।

(ii) अपने पास होने की खबर सुनते ही वह उछलने लगा।

(iii) बच्चा कहानी सुनते ही सो गया।

क्रिया परिवर्तन

क्रिया एक विकारी शब्द है। इसमें विकार निम्नलिखित कारणों से होते हैं –

(1) लिंग (2) वचन (3) पुरुष (4) काल (5) वाच्य (6) प्रयोग

इनका परिचय इस प्रकार है –

(1) लिंग – संज्ञाओं की भाँति क्रिया के भी दो लिंग होते हैं, पुल्लिग और स्त्रीलिंग।

(क) कर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग मुख्यत: 'कर्ता' के अनुसार होता है। जैसे –

(i) लड़का खेलता है। (ii) बालक पढ़ता है।

(iii) लड़की खेलती है। (iv) बालिका पढ़ती है।

उपर्युक्त कर्तृवाच्य के उदाहरणों में पहले दो वाक्यों में क्रिया करने वाला (कर्ता) पुल्लिग (लड़का) है, अत: क्रिया भी पुल्लिग (पढ़ता) है। तीसरे तथा चौथे वाक्य में क्रिया करने वाला (कर्ता) स्त्रीलिंग (बालिका) है, अत: क्रिया भी स्त्रीलिंग (लड़की) है।

(ख) कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग मुख्यत: 'कर्म' के अनुसार होता है। जैसे –

(i) मेधावी से पत्र लिखा जाता है। (ii) सुरेश से पुस्तक पढ़ी जाती है।

उपर्युक्त कर्मवाच्य के उदाहरणों में पहले वाक्य मे क्रिया का कर्म 'पत्र'

पुल्लिग है। अत: क्रिया भी पुल्लिग (**लिखवा जाता है**) है, दूसरे वाक्य में क्रिया का कर्म 'पुस्तक' स्त्रीलिंग है, अत: क्रिया भी स्त्रीलिंग (**पढ़ी जाती है**) है।

(ग) भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग होती है। जैसे -

(i) लड़के से खेला नहीं जाता। (ii) लड़की से खेला नहीं जाता।

उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया का लिंग कर्त्ता के लिंग के अनुसार नही है। कर्त्ता पुल्लिंग (लड़का) होने पर भी क्रिया पुल्लिंग (**खेला नहीं जाता**) में प्रयुक्त हुई तथा कर्म स्त्रीलिंग (लड़की) होने पर भी क्रिया पुल्लिंग (**खेला नहीं जाता**) में प्रयुक्त हुई।

(2) **वचन** – संज्ञा की तरह क्रिया के भी दो वचन होते हैं - एकवचन तथा बहुवचन। एक व्यक्ति के लिए एकवचन की क्रिया प्रयुक्त होती है तथा अनेक के लिए बहुवचन की क्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे -

(i) बच्चा **रोता है**। (ii) बच्चे **रोते हैं**।

(iii) मैं **पढ़ता हूँ**। (iv) हम **पढ़ते हैं**।

उपर्युक्त पहले तथा तीसरे वाक्यों में कर्त्ता -'बच्चा' और 'मैं' एकवचन हैं। अत: क्रिया भी एकवचन क्रमश: '**रोता है**' तथा '**पढ़ता है**' में प्रयुक्त हुई है। दूसरे तथा चौथे वाक्यों में कर्त्ता 'बच्चे' तथा 'हम' बहुवचन हैं। अत: क्रिया भी बहुवचन क्रमश: '**रोते हैं**' तथा '**पढ़ते हैं**' प्रयुक्त हुई है।

(3) **पुरुष** – क्रियाओं के तीन पुरुष होते हैं - अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। क्रिया के तीनों पुरुषों में प्रयोग होते हैं। जैसे -

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
अन्य पुरुष	वह पढ़ता है।	वे पढ़ते हैं।
मध्यम पुरुष	तू पढ़ता है।	तुम पढ़ते हो।
उत्तम पुरुष	मैं पढ़ता हूँ।	हम पढ़ते हैं।

(4) **काल** – यहाँ क्रिया में काल के कारण होने वाले परिवर्तन का परिचय दिया जा रहा है। इन वाक्यों को ध्यान से देखें -

मयंक पढ़ा।

मयंक **पढ़ रहा है**।

मयंक **पढ़ेगा**।

उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के करने का समय प्रकट होता है। पहले वाक्य में बीते हुए समय (**भूतकाल**) का, दूसरे वाक्य में चल रहे समय (**वर्तमान**) का

तथा तीसरे वाक्य में आने वाले समय (भविष्य) का ज्ञान हो रहा है। अतः क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान हो उसे 'काल' कहते हैं। काल के तीन मुख्य भेद होते हैं - (1)भूतकाल (2) वर्तमान काल (3) भविष्यत् काल

(1) भूतकाल – क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में हुई क्रिया की भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ होती हैं। इस आधार पर भूतकाल के सात भेद हैं -

(क) सामान्य भूतकाल – जब भूतकाल में क्रिया के समाप्त होने का बोध तो हो परन्तु उसका ठीक समय न जाना जाए, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे -

(i) अमिताभ ने पुस्तक **पढ़ी।** (ii) मोहन ने पत्र **लिखा।**

(ख) आसन्न भूतकाल – क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी - अभी समाप्त हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे -

(i) अमिताभ ने पुस्तक **पढ़ी है।** (ii) मोहन ने पत्र **लिखा है।**

(ग) पूर्ण भूतकाल – क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य समाप्त हुए काफी समय बीत गया है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे -

(i) अमिताभ ने पुस्तक पढ़ी **थी।** (ii) मोहन ने पत्र **लिखा था।**

(घ) अपूर्ण भूतकाल – क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में आरम्भ हुई थी लेकिन समाप्त होने का ज्ञान न हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे -

(i) अमिताभ पुस्तक **पढ़ता था।** (ii) मोहन पत्र **लिखता था।**

(ङ) संदिग्ध भूतकाल – क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के करने या होने में संदेह पाया जाए, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे -

(i) अमिताभ ने पुस्तक पढ़ी **होगी।** (ii) मोहन ने पत्र **लिखा होगा।**

(च) संभाव्य भूतकाल – क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भूतकाल में होने की सम्भावना पायी जाए, उसे संभाव्य भूतकाल कहते हैं। जैसे -

(i) शायद अमिताभ ने पुस्तक **पढ़ी हो।** (ii) शायद मोहन ने पत्र **लिखा हो।**

(छ) हेतुहेतुमद् भूतकाल – जहाँ भूतकाल में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना या एक क्रिया के न होने से दूसरी क्रिया का न होना पाया जाए, उसे हेतुहेतुमद् भूतकाल कहते हैं। अर्थात् क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि भूतकाल में होने वाली क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित है अथवा नहीं। जैसे -

(i) अभिताभ पुस्तक पढ़ता **तो पास हो जाता।**

(ii) मोहन पत्र लिखता, तो मिलता।

(2)**वर्तमान काल**- क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय (**वर्तमान**) में किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसके तीन भेद हैं -

(क) **सामान्य वर्तमान काल**- क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में सामान्य रूप से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे -

(i) अमिताभ पुस्तक **पढ़ता है।** (ii) मोहन पत्र **लिखता है।**

(ख) **अपूर्ण वर्तमान काल**- क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में कार्य का निरन्तर जारी रहना पाया जाए, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे -

(i) अमिताभ पुस्तक **पढ़ रहा है।** (ii) मोहन पत्र **लिख रहा है।**

(ग) **संदिग्ध वर्तमान काल**- क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में किसी कार्य के होने में संदेह पाया जाए, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे -

(i) अमिताभ पुस्तक **पढ़ रहा होगा।** (ii) मोहन पत्र **लिख रहा होगा ।**

(3) **भविष्यत् काल**- क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे भविष्यत् काल कहते हैं। इसके तीन भेद हैं -

(क) **सामान्य भविष्यत् काल**- क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में सामान्य रूप से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे सामान्य भविष्यत् काल कहते हैं। जैसे -

(i) अमिताभ पुस्तक **पढ़ेगा।** (ii) मोहन पत्र **लिखेगा।**

(ख) **संभाव्य भविष्यत् काल**- क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना पायी जाए, उसे संभाव्य भविष्यत् काल कहते हैं। जैसे -

(i) शायद अमिताभ पुस्तक **पढ़े।** (ii) हो सकता है मोहन पत्र **लिखे।**

(ग) **हेतुहेतुमद् भविष्यत् काल**- जहाँ भविष्य में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना या एक क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया का न होना पाया जाए, उसे हेतुहेतुमद् भविष्यत् काल कहते हैं। अर्थात् भविष्यत् काल का वह रूप जिसमें क्रिया का होना या न होना किसी कारण पर निर्भर हो। जैसे -

(i) यदि अमिताभ पुस्तक **पढ़ेगा**, तो **पास हो जाएगा।**

(ii) यदि मोहन पत्र **लिखेगा**, तो **मिलेगा।**

(5) **वाच्य**

(i) महेश पत्र **लिखता है।**

(ii) महेश से पत्र **लिखवा जाता है।**

(iii) महेश से **लिखवा नहीं जाता।**

उपर्युक्त वाक्यों में **'लिखवता है', 'लिखवा जाता है', 'लिखवा नहीं जाता'** में - क्रिया के विभिन्न रूपों का विधान किया गया है। इस विधान के विषय क्रमशः कर्त्ता, कर्म तथा भाव हैं। अतः क्रिया के जिस रूपान्तर से यह जाना जाए कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय, कर्म या भाव क्या है, उसे वाच्य कहते हैं।

वाच्य के भेद - वाच्य के तीन भेद हैं -

(क) कर्तृवाच्य (ख) कर्मवाच्य (ग) भाववाच्य

(क) कर्तृवाच्य - जिन वाक्यों में कर्त्ता की प्रधानता हो, वे कर्तृवाच्य कहलाते हैं। कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही क्रिया का लिंग और वचन रहता है। **जैसे** - लड़का पुस्तक **पढ़ता है।**

इस वाक्य में कर्त्ता (लड़का) पुल्लिग, एकवचन है। अतः क्रिया (**पढ़ता है**) भी कर्ता के अनुरूप ही पुल्लिग एकवचन है। कर्त्ता के लिंग में परिवर्तन होते ही क्रिया में भी परिवर्तन होगा। जैसे -

(i) कर्त्ता के लिंग में परिवर्तन होने से क्रिया के लिंग में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे -

लड़की पुस्तक **पढ़ती है।**

इस वाक्य में कर्त्ता (लड़की) स्त्रीलिंग, एकवचन है। अतः क्रिया (**पढ़ती है**) भी कर्त्ता के अनुरूप ही स्त्रीलिंग, एकवचन है।

(ii) कर्त्ता के वचन में परिवर्तन होने से क्रिया के वचन में भी परिवर्तन होगा। जैसे -

लड़के पुस्तक **पढ़ते हैं।**

इस वाक्य में कर्त्ता (लड़के) पुल्लिग, बहुवचन है। अतः क्रिया (**पढ़ते हैं**) भी कर्त्ता के अनुरूप ही पुल्लिग, बहुवचन है।

स्पष्ट है कि कर्तृवाच्य में कर्त्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही क्रिया का लिंग और वचन होता है।

विशेष - यदि कर्म (पुस्तक) में परिवर्तन कर दिया जाये तो क्रिया (**पढ़ता है**) पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे - लड़का पुस्तकें पढ़ता है।

यहाँ कर्म 'पुस्तक' से **'पुस्तकें'** करने पर क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ अर्थात क्रिया **'पढ़ता है'** ही रही।

कर्तृवाच्य के सम्बन्ध में एक बात ध्यान रखने योग्य है कि इसमें क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की होती है। जैसे -

कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग

(i) मुकेश हँसता है। (iii) घोड़ा दौड़ता है।

(ii) बालक रोता है। (iv) खिलाड़ी खेल रहे हैं।

कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग

(i) बालक पाठ याद करता है। (iii) संगीता गाना गाएगी।

(ii) मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। (iv) गुरु जी ने बालक को फल दिया।

(ख) कर्मवाच्य – जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो, वे कर्मवाच्य होते हैं। इसमें सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, पर कर्त्ता का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कर्त्ता के साथ 'से' 'के द्वारा' या 'को' विभक्ति चिह्नों का प्रयोग किया जाता है। जैसे -

लड़के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है।

इस वाक्य में **'पढ़ी जाती है'** क्रिया का सम्बन्ध कर्म (पुस्तक) से है, न कि कर्त्ता (लड़के) से।

यदि कर्म में परिवर्तन कर दिया जाए तो क्रिया भी बदल जाएगी। जैसे -

लड़के से पुस्तकें **पढ़ी जाती हैं।**

इस वाक्य में कर्म पुस्तक (एकवचन) से 'पुस्तकें' (बहुवचन) होने पर क्रिया भी 'पढ़ी जाती है' (एकवचन) से 'पढ़ी जाती हैं' (बहुवचन) हो गई है।

अतः यह स्पष्ट है कि कर्मवाच्य में कर्म की ही प्रधानता होती है, अर्थात कर्म के अनुसार ही क्रिया में परिवर्तन होता है।

विशेष – यदि कर्त्ता में परिवर्तन कर दिया जाए तो क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे -

लड़कों से पुस्तक **पढ़ी जाती है।**

इस वाक्य में कर्त्ता 'लड़का' से **'लड़कों'** करने पर भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात् क्रिया **'पढ़ी जाती है'** (एकवचन) ही रही।

कर्मवाच्य के अन्य उदाहरण

(i) बालक के द्वारा फूल तोड़ा जाता है। (iii) बच्चे से दूध पिया गया।

(ii) विद्यार्थियों द्वारा नाटक **खेला गया।** (iv) रोगी को दवाई **दे दी गई** है।

(ग) भाववाच्य – क्रिया के जिस रूप में न तो कर्त्ता की प्रधानता हो और न ही कर्म की अपितु क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है और सदा अन्य पुरुष, पुल्लिग और एकवचन में रहती है। जैसे–

(i) अब मुझसे **खाया नहीं जाता।** (iii) उनसे **रहा नहीं गया।**
(ii) रमा से **नाचा नहीं जाता।** (iv) अब **चला जाए।**

उपर्युक्त वाक्यों में **'खाया नहीं जाता', 'नाचा नहीं जाता','रहा नहीं गया'** और **'चला जाए'** क्रियाओं का भाव ही प्रधान है, अत: ये भाववाच्य हैं।

वाच्य परिवर्तन

(1) कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना – नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए–

(i) लड़का पत्र लिखता है।
(ii) बिमला ने कपड़े धोए।
(iii) तुम आम तोड़ोगे।

वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलने के लिए–

(क) कर्तृवाच्य के कर्त्ता के साथ (यदि कोई विभक्ति चिह्न लगा हो तो उसे हटाकर 'से' 'द्वारा', 'के द्वारा' विभक्ति चिह्न लगा दिया जाता है। फिर इन वाक्यों में परिवर्तन इस तरह होगा–

लड़की	–	लड़की से
बिमला ने	–	बिमला से
तुम	–	तुम से

(ख) तत्पश्चात् वाक्य में आए 'कर्म' को लिख दें–

पत्र	(पहले वाक्य में प्रयुक्त कर्म)
कपड़े	(दूसरे वाक्य में प्रयुक्त कर्म)
आम	(तीसरे वाक्य में प्रयुक्त कर्म)

(ग) कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदल दिया जाता है और 'जाना' क्रिया के रूप कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया के काल और कर्म के लिंग, वचन आदि के अनुसार बनाकर उसके साथ मिलाकर क्रिया को भी संयुक्त क्रिया के रूप में प्रयुक्त कर दिया जाता है। जैसे–

लिखता है – लिखा जाता है।

धोए - धोए गए।
तोड़ेगे - तोड़े जाएँगे।

अत: उपर्युक्त वाक्यों का कर्मवाच्य में निम्नलिखित रूप होगा -

(i) लड़के से पत्र लिखा जाता है।
(ii) बिमला से कपड़े धोए गए।
(iii) तुम से आम तोड़े जाएँगे।

अन्य उदाहरण

(i) माली बीज बोता है।	(i) माली से बीज बोया जाता है।
(ii) धोबी कपड़े धोता है।	(ii) धोबी द्वारा कपड़े धोए जाते हैं।
(iii) अनिल ने कविता लिखी।	(iii) अनिल से कविता लिखी गयी।
(iv) राम पुस्तक पढ़ रहा है।	(iv) राम से पुस्तक पढ़ी जा रही है।
(v) बच्चे फल खाएँगे।	(v) बच्चों के द्वारा फल खाए जाएँगे।

(2) कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना - नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए -

(i) अंकिता नहीं खाती। (ii) बच्चा नहीं सोता।
(iii) रजनीश कमरे में पढ़ रहा था। (iv) विद्यार्थी खेलेंगे।

उपर्युक्त वाक्यों को भाववाच्य में बदलने के लिए -

(क) कर्त्ता के आगे 'से' 'द्वारा' अथवा 'के द्वारा' लगाएं। जैसे -

अंकिता - अंकिता से
बच्चा - बच्चे से
रजनीश - रजनीश के द्वारा।
विद्यार्थी - विद्यार्थियों से

(ख) मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एकवचन में परिवर्तन करके उसके साथ 'जाना' क्रिया के एकवचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष का वही काल प्रयोग में लाएँ, जो कर्तृवाच्य की क्रिया का है। जैसे -

नहीं खाती - नहीं खाया जाता।
नहीं सोता - नहीं सोया जाता।
पढ़ रहा था - पढ़ा जा रहा था।
खेलेंगे - खेला जाएगा।

इस तरह, उपर्युक्त वाक्यों का भाववाच्य में निम्नलिखित रूप होगा -

(i) अंकिता से खाया नहीं जाता।
(ii) बच्चे से सोया नहीं जाता।

(iii) रजनीश के द्वारा कमरे में पढ़ा जा रहा था।

(iv) विद्यार्थियों से खेला जाएगा।

अन्य उदाहरण

	कर्तृवाच्य		भाववाच्य
(i)	राहुल नहीं दौड़ता।	(i)	राहुल से दौड़ा नहीं जाता।
(ii)	नेहा नहीं लिखती।	(ii)	नेहा से लिखा नहीं जाता।
(iii)	पक्षी आकाश में उड़ते हैं।	(iii)	पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है।
(iv)	लोग नाचेंगे।	(iv)	लोगों द्वारा नाचा जाएगा।
(v)	बच्चा नहीं हँसेगा।	(v)	बच्चे से हँसा नहीं जाएगा।
(vi)	बालक नहीं रोया।	(vi)	बालक से रोया नहीं गया।
(vii)	मैं सोऊँ।	(vii)	मुझसे सोया जाए।
(viii)	वह चले ।	(viii)	उसके द्वारा चला जाए।

कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल –

(1) जहाँ कर्त्ता अज्ञात हो अथवा उसे प्रकट करना अभीष्ट न हो। जैसे –

(i) रुपया – पैसा उड़ाया जा रहा है।

(ii) चिट्ठी भेजी गयी।

(2) गर्व, घमण्ड अथवा अधिकार दर्शाने/जताने के लिए जैसे –

(i) अपराधी को जज के सामने उपस्थित किया जाए।

(ii) यह खाना हमसें खाया नहीं जाता।

(3) अशक्तता दर्शाने के लिए। जैसे –

(i) अब तो पत्र भी नहीं पढ़ा जाता।

(ii) अब अधिक मिठाई नहीं खायी जाएगी.

(4) कार्यालयी अथवा कानूनी भाषा में –

(i) बस में बिना टिकट यात्रा करने वाले को सज़ा दी जाएगी।

(ii) इस प्रपत्र के द्वारा सभी को सूचित किया जाता है कि.....

भाववाच्य के प्रयोग स्थल –

(1) प्राय: निषेधार्थ में और असमर्थता या विवशता का भाव दर्शाने के लिए भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे –

(i) उससे तो लिखा भी नहीं जाता।

(ii) विजय से चला नहीं जाता ।

(iii) इतनी देर तक कैसे बैठा जाएगा।

(2) अनुमति प्राप्त करने के लिए। जैसे -

(i) अब चला जाए।

(ii) चलो, जरा घूमा जाए।

(6) प्रयोग – कर्तृवाच्य में कर्त्ता की प्रधानता तथा कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता के कारण आमतौर पर यह धारणा बना ली जाती है कि कर्तृवाच्य में क्रिया कर्त्ता के अनुसार होगी तथा कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होगी। जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्त्ता के अनुसार भी हो सकती है और कर्म के अनुसार भी हो सकती है या फिर दोनों में से किसी के अनुसार भी क्रिया नहीं चलती । जैसे -

कर्त्तृवाच्य	क्रिया का प्रयोग
(i) बच्चा रोटी खाता है।	कर्त्ता के अनुसार
(ii) बच्ची रोटी खाती है।	कर्त्ता के अनुसार
(iii) बच्चे ने रोटी खाई।	कर्म के अनुसार
(iv) बच्ची ने रोटी खाई।	कर्म के अनुसार
(v) बच्चे ने रोटी को खाया।	कर्त्ता और कर्म दोनों के ही अनुसार नहीं
(vi) बच्ची ने रोटी को खाया।	कर्त्ता और कर्म दोनों के ही अनुसार नहीं

कर्मवाच्य	क्रिया का प्रयोग
(i) बच्चे से रोटी खाई गयी।	कर्म के अनुसार
(ii) बच्ची से रोटी खाई गयी।	कर्म के अनुसार
(iii) बच्चे से रोटी को खाया नहीं जाता।	किसी भी संज्ञा के अनुसार नहीं।
(iv) बच्ची से रोटी को खाया नहीं जाता।	किसी भी संज्ञा के अनुसार नहीं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि क्रिया का सम्बन्ध वाच्य से नहीं अपितु प्रयोग से होता है। क्रिया के कर्त्ता, कर्म या भाव के अनुसार रखने को ही क्रिया का प्रयोग कहा जाता है। यह प्रयोग तीन प्रकार का होता है -

(1) कर्तरि (कर्त्ता में) प्रयोग (2) कर्मणि (कर्म में) प्रयोग (3) भावे (भाव में) प्रयोग

(1) कर्तरि प्रयोग – जिसमें क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्त्ता के अनुसार होते हैं, क्रिया के उस प्रयोग को कर्तरि प्रयोग कहा जाता है। इसमें विशेष बात यह होती है कि कर्त्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं लगती।

उदाहरण	विशेष कथन
(i) बालक दूध पीता है। कर्त्ता कर्म क्रिया	इसमें कर्त्ता (बालक) पुल्लिग है, अत: क्रिया (पीता है) भी पुल्लिग है।
(ii) बालिका दूध पीती है। कर्त्ता कर्म क्रिया	इसमें कर्त्ता (बालिका) स्त्रीलिंग है, अत: क्रिया (पीती है) भी स्त्रीलिंग है।
(iii) बालक दूध पीते हैं। कर्त्ता कर्म क्रिया	इसमें कर्त्ता (बालक) पुल्लिग बहुवचन रूप में है। अत: क्रिया (पीते हैं) भी पुल्लिग बहुवचन में प्रयुक्त हुई है।
(iv) बालिकाएँ दूध पीती हैं। कर्त्ता कर्म क्रिया	इसमें कर्त्ता (बालिकाएँ) स्त्रीलिंग बहुवचन रूप में है। अत: क्रिया (पीती हैं) भी स्त्रीलिंग बहुवचन में है।

अन्य उदाहरण

(i) माली फूल चुनता है। (iii) बच्चे पढ़ेंगे।

(ii) छात्रा पुस्तक पढ़ती है। (iv) छात्राएँ पढ़ेंगी।

(2) **कर्मणि प्रयोग** – जिसमें क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुरूप हों, उसे कर्मणि प्रयोग कहा जाता है। इसके दो प्रकार हैं -

(क) कर्तृरि प्रयोग में जब कर्त्ता के साथ 'ने' विभक्ति कारक चिह्न लगा हो तो क्रिया कर्म के अनुरूप होगी। जैसे -

उदाहरण	विशेष कथन
(i) संगीता ने खाना खाया। कर्त्ता विभ॰ कर्म क्रिया	इसमें कर्म (खाना) पुल्लिग है, अत: क्रिया (खाया) भी पुल्लिग रूप में आई है।
(ii) बालक ने रोटी खायी। कर्त्ता विभ॰ कर्म क्रिया	इसमें कर्म (रोटी) स्त्रीलिंग है, अत: (खायी) भी स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त हुई है।
(iii) खिलाड़ियों ने केले खाये। कर्त्ता विभ॰ कर्म क्रिया	इसमें कर्म (केले) बहुवचन रूप में आया है, अत: क्रिया (खाये) भी बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुई है।

(ख) जब कर्मवाच्य में कर्त्ता के साथ 'से' या 'के द्वारा' विभक्ति चिह्न प्रयुक्त

हों और कर्म के साथ कोई भी विभक्ति चिह्न प्रयुक्त न हो। जैसे -

उदाहरण	विशेष कथन
(i) बालक से लेख पढ़ा जाता है। कर्त्ता कर्म क्रिया +विभ० ↑——↑	इसमें कर्म (लेख) पुल्लिग है, अत: क्रिया (पढ़ा जाता है) भी पुल्लिग रूप में प्रयुक्त हुई है।
(ii) बालिका से पुस्तक पढ़ी जाती है। कर्त्ता कर्म क्रिया +विभ० ↑——↑	इसमें कर्म (पुस्तक) स्त्रीलिंग है, अत: क्रिया (पढ़ी जाती है) भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुई है।
(iii) हमसे पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। कर्त्ता कर्म क्रिया +विभ० ↑——↑	इसमें कर्म (पुस्तकें) बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुआ है, अत: क्रिया (पढ़ी जाती हैं) भी बहुवचन में प्रयुक्त हुई है।

अन्य उदाहरण

(i) लड़के ने आम खाया।
(ii) श्याम ने जलेबी खायी।
(iii) मैंने संतरे खाये।
(iv) मुझसे पत्र लिखा जाएगा।
(v) उससे चिट्ठी लिखी जाएगी।
(vi) लड़कों से पुस्तकें पढ़ी जाती हैं।

(3) **भावे प्रयोग** – इसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्त्ता या कर्म के अनुरुप न होकर सदैव अन्य पुरुष पुल्लिग एकवचन में ही रहते हैं। इसमें क्रिया कर्त्ता और कर्म दोनों के अनुसार इसलिए नहीं चलती, क्योंकि कर्त्ता और कर्म दोनों में विभक्ति कारक चिह्न प्रयुक्त होते हैं। इसके भी दो प्रकार हैं -

(क) जब भाववाच्य में कर्त्ता के साथ 'से' विभक्ति हो और क्रिया अकर्मक हो, तो वहाँ क्रिया का **भावे प्रयोग** होता है। जैसे -

उदाहरण	विशेष कथन
(i) मुझसे चला जाता है। कर्त्ता ↑क्रिया↑ अन्य पुरुष + विभ० पु० एकवचन	यहाँ कर्त्ता (मैं) के साथ 'से' विभक्ति लगी है, क्रिया (चला जाता है) अकर्मक है, अत: क्रिया कर्त्ता के अनुसार नहीं है, अपितु क्रिया का प्रयोग भाव में हुआ है।
(ii) शीला से उठा नहीं जाता। कर्त्ता ↑क्रिया↑ अन्य पुरुष + विभ० पु० एकवचन	यहाँ कर्त्ता (शीला) के साथ 'से' विभक्ति लगी है, क्रिया (उठा जाता है) अकर्मक है, अत: क्रिया कर्त्ता के अनुसार नहीं है, अपितु क्रिया का प्रयोग भाव में हुआ है।

(iii) बच्चों से हँसा जाता है।
कर्त्ता ↑क्रिया↑अन्य पुरुष पु०
+ विभ० एकवचन

यहाँ कर्त्ता (बच्चों)के साथ 'से' विभक्ति लगी है, क्रिया (हँसा जाता है) अकर्मक है, अत: क्रिया कर्त्ता के अनुसार नहीं है, अपितु क्रिया का प्रयोग भाव में हुआ है।

(ख) कर्तृवाच्य में जब कर्त्ता के साथ 'ने' चिह्न लगा हो और कर्म के साथ 'को' चिह्न लगा हो तो भी क्रिया का प्रयोग भाव में होता है। चाहे कर्त्ता और कर्म किसी भी लिंग और वचन के हों, क्रिया अन्य पुरुष, पुल्लिग, एकवचन में ही होगी।

उदाहरण	विशेष कथन
(i) छात्र ने पुस्तक को पढ़ा। कर्त्ता कर्म क्रिया अन्य + विभ० पुरुष पु० एकवचन	यहाँ कर्त्ता व कर्म के साथ विभक्ति लगी है, अत: क्रिया कर्त्ता व कर्म दोनों के अनुसार नहीं चलती यहाँ क्रिया का प्रयोग भाव में हुआ है।
(ii) छात्रा ने पुस्तक को पढ़ा। कर्त्ता कर्म क्रिया अन्य + विभ० पुरुष पु० एकवचन	कत्ता यहाँ 'छात्र' पुल्लिंग से 'छात्रा' अर्थात स्त्रीलिंग हो गया, तब भी क्रिया (पढ़ा) अन्य पुरुष, पुल्लिग, एकवचन में ही रही।
(iii) छात्राओं ने पुस्तकों को पढ़ा। कर्त्ता कर्म क्रिया अन्य + विभ० पुरुष पु० एकवचन	यहाँ कर्त्ता 'छात्र' से छात्राओं अर्थात् स्त्रीलिंग और बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, कर्म भी बहुवचन (पुस्तकों) में प्रयुक्त हुआ है, तब भी क्रिया (पढ़ा) अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन में ही रही।

विशेष ध्यान देने योग्य – (1.) कर्तृवाच्य में कर्तरि, कर्मणि और भावे तीनों प्रयोग संभव हैं। जैसे –

(i) बच्चा आम खाता है। (ii) बच्ची आम खाती है।	कर्तरि प्रयोग
(iii) बच्चे ने आम खाया। (vi) बच्ची ने आम खाया।	कर्मणि प्रयोग
(v) बच्चे ने आम को खाया। (vi) बच्ची ने आम को खाया।	भावे प्रयोग

उपर्युक्त पहले वाक्य में कर्त्ता (बच्चा) पुल्लिग के अनुसार क्रिया 'खाता' पुल्लिग में प्रयुक्त हुई है। दूसरे वाक्य में कर्त्ता (बच्ची) स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया 'खाती' स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुई। तीसरे और चौथे वाक्यों में कर्म (आम) पुल्लिग के अनुसार क्रिया (खाया) पुल्लिग में प्रयुक्त हुई है। पाँचवें और छठे वाक्यों में क्रिया कर्त्ता और कर्म दोनों के अनुसार नहीं चलती क्योंकि दोनों के साथ विभक्ति चिह्न लगे हैं, अत: क्रिया का भावे प्रयोग हुआ है और भावे प्रयोग में क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिग एकवचन में प्रयुक्त होती है।

(2) कर्मवाच्य में कर्मणि और भावे प्रयोग होंगे। जैसे –

(i) बच्चे से आम खाया गया।	कर्मणि प्रयोग
(ii) बच्ची से आम खाया गया।	
(iii) बच्चे से आम को खाया गया।	भावे प्रयोग
(iv) बच्ची से आम को खाया गया।	

उपर्युक्त पहले तथा दूसरे वाक्य में कर्मवाच्य में कर्त्ता के साथ 'से' विभक्ति चिह्न लगा है और कर्म के साथ कोई चिह्न नहीं लगा। अत: क्रिया कर्म (आम) पुल्लिग के अनुसार अर्थात खाया (पुल्लिग) में ही प्रयुक्त हुई है। तीसरे तथा चौथे वाक्यों में क्रिया कर्त्ता और कर्म दोनों के अनुरूप नहीं चलती, क्योंकि कर्त्ता और कर्म दोनों में विभक्ति चिह्न लगे हैं। अत: क्रिया का भावे प्रयोग हुआ है।

(3) भाववाच्य में क्रिया का भावे प्रयोग होता है। जैसे –

(i) लड़के से सोया नहीं जाता	भावे प्रयोग
(ii) छात्र ने पाठ को पढ़ा।	

उपर्युक्त पहले तथा दूसरे वाक्य में क्रिया का भावे प्रयोग हुआ है। पहले वाक्य में कर्त्ता (लड़का) के साथ 'से' विभक्ति लगी है और क्रिया अकर्मक है। यहाँ क्रिया कर्त्ता के अनुरूप न होकर भाव के अनुरूप है। दूसरे वाक्य में कर्त्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति कारक चिह्न लगे हैं, इसलिए क्रिया दोनों के अनुसार नहीं चलती। यहाँ भी क्रिया का भावे प्रयोग हुआ है।

क्रियाओं की रूप रचना (क्रिया रूपावली)

जाना – अकर्मक क्रिया

वर्तमान काल

सामान्य वर्तमान

	पुल्लिंग		स्त्रीलिंग	
पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैं जाता हूँ।	हम जाते हैं।	मैं जाती हूँ।	हम जाती हैं।
म०पु०	तू जाता है।	तुम जाते हो।	तू जाती है।	तुम जाती हो।
अ०पु०	वह जाता है।	वे जाते हैं।	वह जाती है।	वे जाती हैं।

अपूर्ण वर्तमान

पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैं जा रहा हूँ।	हम जा रहे हैं।	मैं जा रही हूँ।	हम जा रही हैं।
म०पु०	तू जा रहा है।	तुम जा रहे हो।	तू जा रही है।	तुम जा रही हो।
अ०पु०	वह जा रहा है।	वे जा रहे हैं।	वह जाती है।	वे जा रही हैं।

संदिग्ध वर्तमान

पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैं जाता हूँगा।	हम जाते होंगे।	मैं जाती हूँ।	हम जाती होंगी।
म०पु०	तू जाता होगा।	तुम जाते होंगे।	तू जाती होगी।	तुम जाती होंगी।
अ०पु०	वह जाता होगा।	वे जाते होंगे।	वह जाती होगी।	वे जाती होंगी।

भूतकाल

सामान्य भूत

पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैं गया।	हम गए।	मैं गयी।	हम गयीं।
म०पु०	तू गया।	तुम गए।	तू गयी।	तुम गयीं।
अ०पु०	वह गया।	वे गए।	वह गयी।	वे गयीं।

आसन्न भूत

पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैं गया हूँ।	हम गये हैं।	मैं गयी हूँ।	हम गयीं हैं।
म०पु०	तू गया है।	तुम गये हो।	तू गयी है।	तुम गयी हो।
अ०पु०	वह गया है	वे गये हैं।	वह गयी है।	वे गयीं हैं।

पूर्ण भूत

पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैं गया था।	हम गये थे।	मैं गयी थी।	हम गयीं थीं।
म०पु०	तू गया था।	तुम गये थे।	तू गयी थी।	तुम गयीं थीं।
अ०पु०	वह गया था।	वे गये थे।	वह गयी थी।	वे गयीं थीं।

अपूर्ण भूत (पुल्लिग)

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैं जाता था (जा रहा था)	हम जाते थे (जा रहे थे)
म०पु०	तू जाता था (जा रहा था)	तुम जाते थे (जा रहे थे)
अ०पु०	वह जाता था (जा रहा था)	वे जाते थे (जा रहे थे)

अपूर्ण भूत (स्त्रीलिंग)

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैं जाती थी (जा रही थी)।	हम जाती थीं (जा रही थीं)।
म०पु०	तू जाती थी (जा रही थी)।	तुम जाती थीं (जा रही थी)।
अ०पु०	वह जाती थी (जा रही थी)।	वे जाती थीं (जा रही थी)।

संदिग्ध भूत

पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैं गया हूँगा।	हम गये होंगे।	मैं गयी हूँगी।	हम गयीं होंगी।
म०पु०	तू गया होगा।	तुम गये होंगे।	तू गयी होगी।	तुम गयीं होंगी।
अ०पु०	वह गया होगा।	वे गये होंगे।	वह गयी होगी।	वे गयीं होंगी।

हेतु- हेतुमद् भूत

पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैं जाता।	हम जाते।	मैं जाती।	हम जातीं।
म०पु०	तू जाता।	तुम जाते।	तू जाती।	तुम जातीं।
अ०पु०	वह जाता।	वे जाते।	वह जाती।	वे जातीं।

भविष्यत् काल

सामान्य भविष्यत्

पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैं जाऊँगा।	हम जाएँगे।	मैं जाऊँगी।	हम जाएँगी।
म०पु०	तू जायेगा।	तुम जाओगे।	तू जायेगी।	तुम जाओगी।
अ०पु०	वह जायेगा।	वे जाएँगे।	वह जायेगी।	वे जाएँगी।

सम्भाव्य भविष्यत्
(दोनों लिंगों के रूप समान होते हैं)

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैं जाऊँ।	हम जाएँ।
म०पु०	तू जाए।	तुम जाओ।
अ०पु०	वह जाए।	वे जाएँ।

सकर्मक क्रिया 'लिख'
वर्तमान काल
सामान्य वर्तमान

पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैं लिखता हूँ।	हम लिखते हैं।	मैं लिखती हूँ।	हम लिखती हैं।
म०पु०	तू लिखता है।	तुम लिखते हो।	तू लिखती है।	तुम लिखती हो।
अ०पु०	वह लिखता है।	वे लिखते हैं।	वह लिखती है।	वे लिखती हैं।

अपूर्ण वर्तमान

पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैं लिख रहा हूँ।	हम लिख रहे हैं।	मैं लिख रही हूँ।	हम लिख रही हैं।
म०पु०	तू लिख रहा है।	तुम लिख रहे हो।	तू लिख रही है।	तुम लिख रही हो।
अ०पु०	वह लिख रहा है।	वे लिख रहे हैं।	वह लिख रही है ।	वे लिख रही हैं।

संदिग्ध वर्तमान

पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैं लिखता हूँगा।	हम लिखते होंगे।	मैं लिखती हूँगी।	हम लिखती होंगी।
म०पु०	तू लिखता होगा।	तुम लिखते होंगे।	तू लिखती होगी।	तुम लिखती होंगी।
अ०पु०	वह लिखता होगा।	वे लिखते होंगे।	वह लिखती होगी।	वे लिखती होंगी।

भूतकाल

सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत और संदिग्ध भूत में प्रायः सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है।

सामान्य भूत

पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैंने लिखा।	हमने लिखा।	मैंने लिखी।	हमने लिखी।
म०पु०	तूने लिखा।	तुमने लिखा।	तूने लिखी	तुमने लिखी।
अ०पु०	उसने लिखा।	उन्होंने लिखा।	उसने लिखी।	उन्होंने लिखी।

आसन्न भूत

पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैंने लिखा है।	हमने लिखा है।	मैंने लिखी है।	हमने लिखी है।
म०पु०	तूने लिखा है।	तुमने लिखा है।	तूने लिखी है।	तुमने लिखी है।
अ०पु०	उसने लिखा है।	उन्होंने लिखा है।	उसने लिखी है।	उन्होंने लिखी है।

पूर्ण भूत

पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैंने लिखा था।	हमने लिखा था।	मैंने लिखी थी।	हमने लिखी थीं।
म०पु०	तुने लिखा था।	तुमने लिखा था।	तूने लिखी थी।	तुमने लिखी थीं।
अ०पु०	उसने लिखा था।	उन्होंने लिखा था।	उसने लिखी थी।	उन्होंने लिखी थीं।

संदिग्ध भूत (पुल्लिग)

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैंने लिखा होगा।	हमने लिखा होगा।
म०पु०	तुने लिखा होगा।	तुमने लिखा होगा।
अ०पु०	उसने लिखा होगा।	उन्होंने लिखा होगा।

संदिग्ध भूत (स्त्रीलिंग)

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैंने लिखी होगी।	हमने लिखी होगी।
म०पु०	तूने लिखी होगी।	तुम लिखी होगी।
अ०पु०	उसने लिखी होगी।	उन्होंने लिखी होगी।

अपूर्ण भूत (पुल्लिग)

पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैं लिखता था।	हम लिखते थे।	मैं लिख रहा था।	हम लिख रहे थे।
म०पु०	तू लिखता था।	तुम लिखते थे।	तू लिख रहा था।	तुम लिख रहे थे।
अ०पु०	वह लिखता था।	वे लिखते थे।	वह लिख रहा था।	वे लिख रहे थे।

अपूर्ण भूत (स्त्रीलिंग)

पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैं लिखती थी।	हम लिखती थीं।	मैं लिख रही थी।	हम लिख रही थीं।
म०पु०	तू लिखती थी।	तुम लिखती थीं।	तू लिख रही थी।	तुम लिख रही थीं।
अ०पु०	वह लिखती थी।	वे लिखती थीं।	वह लिख रही थी।	वे लिख रही थीं।

हेतु हेतुमद्

	पुल्लिंग		स्त्रीलिंग	
पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैं लिखता।	हम लिखते।	मैं लिखती।	हम लिखतीं।
म०पु०	तु लिखता।	तुम लिखते।	तू लिखती ।	तुम लिखतीं।
अ०पु०	वह लिखता	वे लिखते।	वह लिखती।	वे लिखतीं।

भविष्यत् काल

सामान्य भविष्यत्

	पुल्लिंग		स्त्रीलिंग	
पुरुष	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैं लिखूँगा।	हम लिखेंगे	मैं लिखूँगी।	हम लिखेंगी।
म०पु०	तू लिखेगा।	तुम लिखोगे।	तू लिखेगी।	तुम लिखोगी।
अ०पु	वह लिखेगा।	वे लिखेंगे।	वह लिखेगी।	वे लिखेंगी।

सम्भाव्य भविष्यत्

(सम्भाव्य भविष्यत् में पुल्लिंग के रूप होते है।)

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उ०पु०	मैं लिखूँ।	हम लिखें।
म०पु०	तू लिखे।	तुम लिखो।
अ०पु	वह लिखे।	वे लिखें।

अध्याय – 3

अविकारी शब्द

पिछले अध्याय में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। इनमें देखा कि लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण इन शब्दों में विकार (परिवर्तन) आता है, अत: इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है।

इनके अतिरिक्त एक वर्ग ऐसे शब्दों का है जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात् उनमें कोई विकार (परिवर्तन) नहीं आता, अत: उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है।

हिन्दी व्याकरण में अविकारी या अव्यय शब्द पाँच प्रकार के हैं –

(1) क्रिया विशेषण (2) समुच्चयबोधक (योजक) (3) संबंधबोधक (4) विस्मयादिबोधक (5) निपात या अवधारक

(1) क्रिया विशेषण – जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रियाविशेषण कहते हैं। जैसे –

(i) रोगी धीरे-धीरे चलता है। (ii) घोड़ा तेज़ दौड़ता है।
(iii) मैं परसों जाऊँगा। (iv) गोपाल यहाँ रहता है।

उपर्युक्त उदाहरणों में 'धीरे-धीरे', 'तेज', 'परसों' तथा 'यहाँ' शब्द क्रमश: 'चलता है', 'दौड़ता है' 'जाऊँगा' तथा 'रहता है' क्रिया शब्दों की विशेषता बतला रहे हैं। अत: ये शब्द क्रियाविशेषण हैं।

क्रियाविशेषण के भेद –

(क) कालवाचक क्रियाविशेषण (ख) स्थानवाचक क्रियाविशेषण
(ग) परिमाणवाचक क्रियाविशेषण (घ) रीतिवाचक क्रियाविशेषण

(क) कालवाचक क्रियाविशेषण – जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराएँ, उन्हें कालवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं। जैसे – आज, कल, परसों, सुबह, शाम को, साँय, प्रात:, अब, जब, तब, आजकल, हर रोज़, प्रतिदिन, रात को, पाँच बजे, हर साल, निरंतर, नित्य, हमेशा, महीनों, वर्षों, बहुधा, अनेकधा आदि।

जो अव्यय या अविकारी शब्द 'कब' प्रश्न का उत्तर दे दे, वह कालवाचक क्रियाविशेषण होगा; यही इसकी पहचान है। जैसे –

(i) मेरे पिता जी **दस बजे** दफ्तर जाते हैं। (कब जाते हैं? दस बजे)

(ii) मैं **हर रोज़** भ्रमण करता हूँ। (कब भ्रमण करता हूँ - हर रोज़)

(iii) रमेश मुझसे **दो वर्ष बाद** मिला। (कब मिला - दो वर्ष बाद)

(ख) स्थानवाचक क्रियाविशेषण – जो शब्द क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराएँ, उन्हें स्थानवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं। जैसे - यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, इधर, उधर, किधर, जिधर, नीचे, ऊपर, सामने, दाहिने, बाएँ, ओर, इस ओर, उस ओर, अन्यत्र, पास, दूर, चारों तरफ, दोनों तरफ, एक तरफ, आगे, पीछे आदि।

जो अव्यय या अविकारी शब्द 'कहाँ' प्रश्न का उत्तर दे दे, वह स्थानवाचक क्रियाविशेषण होगा; यही इसकी पहचान है। जैसे -

(i) तुम **नीचे** बैठो। (कहाँ बैठो नीचे)

(ii) उसका घर **वहाँ** है। (कहाँ है - वहाँ)

(iii) **यहाँ** बहुत अँधेरा है। (कहाँ बहुत अंधेरा है - यहाँ)

(ग) परिमाणवाचक क्रियाविशेषण – जो शब्द क्रिया की परिमाण या मात्रा बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं। जैसे - इतना, उतना, कितना, बहुत, अधिक, बहुत अधिक, कम, बहुत कम, अल्प, थोड़ा, जरा, पर्याप्त, अत्यधिक, बिल्कुल, केवल, बूँद - बूँद, थोड़ा - थोड़ा, स्वल्प आदि।

जो अव्यय या अविकारी शब्द 'कितना', 'कितनी' प्रश्न का उत्तर दे दे, वह परिमाणवाचक क्रियाविशेषण होगा; यही इसकी पहचान है। जैसे -

(i) वह **अधिक** बोलता है। (कितना बोलता है - अधिक)

(ii) बच्चा दूध **कम** पीता है। (कितना पीता है - कम)

(iii) वह **अत्यधिक** खाता है। (कितना खाता है - अत्यधिक)

(घ) **रीतिवाचक क्रियाविशेषण** – जो शब्द क्रिया की रीति का बोध कराएँ अर्थात् क्रिया किस ढंग (तरीके) से सम्पन्न हुई, उन्हें रीतिवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं। (जैसे - धीरे - धीरे, जल्दी - जल्दी, तेज़, शीघ्र, अचानक, ऐसे, वैसे, शाँतिपूर्वक, सुखपूर्वक, झटपट आदि।

जो अव्यय या अविकारी शब्द 'कैसे', 'किस प्रकार' आदि प्रश्न का उत्तर दे दे, वह रीतिवाचक क्रियाविशेषण होगा; यही इसकी पहचान है। जैसे -

(i) वह **धीरे - धीरे** चलता है। (कैसे चलता है - धीरे - धीरे)

(ii) मुनीश **ज़ोर से** चिल्लाया। (किस प्रकार चिल्लाया - ज़ोर से)

(iii) उसने **ध्यानपूर्वक** पढ़ा। (कैसे पढ़ा - ध्यानपूर्वक)

रीतिवाचक क्रियाविशेषण का निम्नलिखित अर्थों में प्रयोग होता है -

(i) **निश्चयबोधक अर्थ में** - अवश्य, निस्संदेह, सचमुच, बेशक, वास्तव

में, वस्तुत: आदि।

(ii) अनिश्चयबोधक अर्थ में – कदाचित्, शायद, प्राय:, अक्सर आदि।

(iii) स्वीकारबोधक अर्थ में – हाँ, ठीक, सच, जी आदि।

(iv) आकस्मिकताबोधक अर्थ में – अचानक, सहसा, एकाएक, अकस्मात् आदि।

(v) निषेधबोधक अर्थ में – न, मत, नहीं, बिल्कुल मत, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं आदि।

(vi) आवृत्ति बोधक अर्थ में – गटागट, खुल्लमखुल्ला, धड़ाधड़ आदि।

(vii) कारणबोधक अर्थ में – अतएव, क्योंकि, किसलिए, के मारे, अत:, इस वास्ते आदि।

विशेषण और क्रियाविशेषण में अंतर

कुछ शब्द ऐसे हैं जो विशेषण तथा क्रियाविशेषण दोनों की तरह प्रयुक्त होते हैं। अत: प्रयोग के आधार पर उनकी पहचान करनी चाहिए। यदि शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो वह विशेषण होगा और यदि वह क्रिया की विशेषता बताता है तो क्रियाविशेषण होगा। जैसे –

(i) मयंक एक **अच्छा** लड़का है। (**विशेषण**)

(ii) भूपेन्द्रपाल **अच्छा** गाता है। (**क्रिया – विशेषण**)

उपर्युक्त पहले वाक्य में 'अच्छा' शब्द 'लड़का' (संज्ञा) की विशेषता बता रहा है, अत: यहाँ 'अच्छा' विशेषण है। जबकि दूसरे वाक्य में 'अच्छा' शब्द 'गाता' है क्रिया की विशेषता बता रहा है। अत: यहाँ 'अच्छा' शब्द क्रियाविशेषण है। अन्य उदाहरण –

(i) मुकेश **बुरा** लड़का है। (**विशेषण**)
अखिल **बुरा** बोलता है। (**क्रिया – विशेषण**)

(ii) मुझे **मीठे** आम दो। (**विशेषण**)
रमा **मीठा** गाती है। (**क्रिया – विशेषण**)

(iii) अभिषेक **सुन्दर** लड़का है। (**विशेषण**)
चार्वी **सुन्दर** लिखती है। (**क्रिया – विशेषण**)

(iv) **थोड़े** घर खाली हैं। (**विशेषण**)
वह **थोड़ा** खाता है। (**क्रिया – विशेषण**)

(v) वह बालक **प्यारा** है। (**विशेषण**)

वह बालक प्यारा लगता है। (क्रिया – विशेषण)

क्रियाविशेषण के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

(क) **क्रियाविशेषणों के साथ प्रविशेषण का प्रयोग** – जिस तरह विशेषणों की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण होते हैं, उसी तरह क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण, क्रिया विशेषण के साथ प्रयोग में आते हैं। जैसे –

(i) वह **बहुत** तेज़ दौड़ता है।

(ii) मैंने आज **थोड़ा** कम खाया है।

उपर्युक्त वाक्यों में **'बहुत'** और **'थोड़ा'** प्रविशेषण शब्द क्रमशः 'तेज़' और 'कम' क्रियाविशेषणों के साथ प्रयुक्त हुए हैं।

(ख) एक ही वाक्य में एक से अधिक क्रियाविशेषणों का प्रयोग भी हो सकता है। जैसे –

(i) वह **परसों** **वहाँ** पहुँचेगा ।
कालवाचक स्थानवाचक

(ii) तुम **यहाँ** **जल्दी** आ जाओ।
स्थानवाचक रीतिवाचक

(iii) वह **वहाँ** **अचानक** आ धमका।
स्थानवाचक रीतिवाचक

(2) **समुच्चयबोधक (योजक)** जो अविकारी शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर जोड़ते या इकट्ठा करते हैं, उन्हें समुच्चयबोधक (योजक) कहते हैं। जैसे –

(i) चार्वी **और** मेधावी दोनों बहनें हैं।

(ii) आप दिल्ली जाएंगे **या** शिमला जाएंगे।

(iii) खूब परिश्रम करो **ताकि** पास हो जाओ।

उपर्युक्त वाक्यों में **'और'**, **'या'** तथा **'ताकि'** दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। अतः ये समुच्चयबोधक हैं।

समुच्चयबोधक अव्यय (योजक) के भेद

समुच्चयबोधक के दो भेद हैं – समानाधिकरण समुच्चयबोधक और व्यधिकरण समुच्चयबोधक

(1) **समानाधिकरण समुच्चयबोधक** – जो अव्यय या अविकारी शब्द समान स्थिति वाले अर्थात् स्वतन्त्र शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर जोड़ते या इकट्ठा करते हैं, वे समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं –

(क) **संयोजक** – जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं,

संयोजक कहलाते हैं। जैसे - राजन ने खाना खाया और सो गया। 'और' के अर्थ में ही 'तथा', 'एवं', 'व', संयोजक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे -

(i) मैं लिख रहा था **तथा** वह पढ़ रहा था।

(ii) राम **एवं** लक्ष्मण वन को गए।

(iii) रजनीश चाय पीता है **व** राजीव कॉफी पीता है।

(ख) विकल्पवाचक – जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हैं, उन्हें विकल्पवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे -

आप घूमने जाएंगे **या** घर रहेंगे।

'या' के अर्थ में ही **'अथवा'**, **'चाहे'** विकल्पवाचक शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे -

(i) आप चाय पीएंगे **अथवा** कॉफी पीएंगे।

(ii) यहाँ बैठिए **चाहे** वहाँ बैठिए।

(ग) विरोधवाचक – जो अव्यय पहले वाक्यों या वाक्यांशों का दूसरे वाक्यों या वाक्यांशों से विरोध प्रकट करें, उन्हें विरोधवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे -

(i) उसने बहुत परिश्रम किया **लेकिन** सफल न हो सका।

लेकिन' के अर्थ में ही **'परन्तु'**, **'किन्तु'**, **'पर'** तथा **'मगर'** आदि विरोधवाचक शब्दों का भी प्रयोग होता है। जैसे -

(i) वह बातें तो बहुत बनाता है **परन्तु** काम कुछ नहीं करता।

(ii) मुकेश पढ़ता तो बहुत था **किन्तु** पास नहीं हुआ।

(iii) मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा की **पर** आप नहीं आये।

(iv) यहाँ काफी रौनक होती है **मगर** इस बार कम लोग ही आये।

(घ) परिणामवाचक - जो शब्द पहले वाक्य का परिणाम या फल दूसरे वाक्य में बताए, वह परिणामवाचक अव्यय होता है। जैसे -

उसने पढ़ाई नहीं की **इसलिए** फेल हो गया।

इसलिए के अर्थ में **'अतः'** का भी प्रयोग होता है। जैसे - उसने चोरी की थी अतः उसे निकाल दिया गया।

(2) व्यधिकरण समुच्चयबोधक (योजक) – जो अविकारी या अव्यय शब्द एक या अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चयबोधक (योजक) कहते हैं। ये भी चार प्रकार के होते हैं -

(क) हेतु या कारणवाचक – जिस अव्यय से पहले वाक्य के कार्य का कारण दूसरे वाक्य में प्रकट हो, उसे हेतु या कारणवाचक समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे -

रोहित को इनाम मिला **क्योंकि** वह श्रेणी में प्रथम आया।

(ख) स्वरूपवाचक – जो अव्यय शब्द दो उपवाक्यों को इस प्रकार मिलाए कि पहले वाक्य का स्वरूप दूसरे वाक्य से ही स्पष्ट हो, उसे स्वरूपवाचक समुच्चयबोधक कहते हैं। जैसे - कि, **जो, यानी, अर्थात्** आदि। वाक्यों में प्रयोग देखिए -

(i) गोपाल ने कहा **कि** मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा।

(ii) उसने ठीक किया **जो** यहाँ से चला गया।

(iii) वह अहिंसावादी **यानी** गाँधी जी के सिद्धांतों का समर्थक है।

(iv) वह कुलनाशक **अर्थात्** कुल को विनष्ट करने वाला है।

उपर्युक्त वाक्यों में 'कि', 'जो', 'यानी', 'अर्थात्' स्वरूपवाचक समुच्चयबोधक हैं।

(ग) उद्देश्यवाचक – जिस अव्यय शब्द से एक वाक्य का उद्देश्य दूसरे वाक्य द्वारा प्रकट हो, उसे उद्देश्यवाचक समुच्चयबोधक कहते हैं। जैसे - कि, ताकि, जिससे कि आदि। वाक्यों में प्रयोग देखिए -

(i) वह इसलिए नहीं गया कि कहीं उसका अपमान न हो जाए।

(ii) खूब मेहनत करो **ताकि** पास हो जाओ।

(iii) वह दिन रात पढ़ता है **जिससे कि** कक्षा में प्रथम आ सके।

(घ) संकेतवाचक – जो अव्यय संकेत बताकर दूसरे वाक्य में उसका फल संकेतित करे, उन्हें संकेतवाचक समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे - यदि ..... तो, यद्यपि ..... तथापि आदि।

वाक्यों में इनका प्रयोग देखिए -

(i) **यदि** तुम पढ़ते **तो** पास तो जाते।

(ii) **यद्यपि** वह गरीब है **तथापि** ईमानदार है।

(3) संबंध बोधक अव्यय

जो अविकारी या अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ मिलकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे

(i) परिश्रम के **बिना** सफलता नहीं मिलती।

(ii) वीर सिपाही अंत **तक** शत्रु से लड़ता रहा।

(iii) वह पुष्प के **समान** कोमल है।

(iv) घर के **भीतर** क्या कर रहे हो!

(v) पुलिस उस के **पीछे** लगी है।

(vi) मेरे **सामने** से दूर हो जा।

उपर्युक्त वाक्यों में **'बिना'**, **'तक'**, **'समान'** **'भीतर'** **'पीछे'** तथा **'सामने'** शब्द क्रमश: 'परिश्रम', 'वीर सिपाही', 'पुष्प' तथा 'घर' संज्ञा शब्दों तथा 'उसके', 'मेरे' सर्वनाम शब्दों के साथ आए हैं तथा इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बता रहे हैं। अत: ये संबंध बोधक अव्यय हैं।

अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद हैं –

कालवाचक	–	पहले, बाद, पूर्व, उपरान्त।
स्थानवाचक	–	ऊपर, नीचे, मध्य, भीतर, बाहर।
दिशावाचक	–	ओर, तरफ, सामने, पास, समीप, निकट।
साधनवाचक	–	द्वारा, जरिए, निमित्त, सहारे।
कारणवाचक	–	कारण, के मारे, हेतु, लिए।
समतावाचक	–	समान, तुल्य, तरह, सदृश, अनुसार।
विरोधवाचक	–	उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत।
सहचरवाचक	–	साथ, संग, समेत।
संग्रहवाचक	–	तक, भर, मात्र, अंतर्गत।
भिन्नतावाचक	–	बिना, अलावा, सिवा, अतिरिक्त।
विनिमयवाचक	–	जगह, बदले।
विषयवाचक	–	के नाम, विषय, बाबत।

संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर

(i) **भीतर** जाओ। (क्रिया विशेषण)

(ii) घर के **भीतर** जाओ। (संबंधबोधक)

(iii) तुषार **यहाँ** आया था। (क्रिया विशेषण)

(iv) मैंने अपने पुत्र को आपके **यहाँ** भेजा था । (संबंध बोधक)

उपर्युक्त पहले वाक्य में 'भीतर' स्थानवाचक शब्द क्रिया 'जाओ' के साथ आकर क्रिया की विशेषता बता रहा है। अत: इसमें **'भीतर'** क्रियाविशेषण है जबकि दूसरे वाक्य में 'भीतर' स्थानवाचक शब्द का प्रयोग संज्ञा 'घर' के साथ हुआ है। अत: इसमें **'भीतर'** शब्द संबंधबोधक है।

इसी तरह तीसरे वाक्य में 'यहाँ' शब्द क्रिया 'आया था' के साथ आकर क्रिया की विशेषता बता रहा है। अत: इसमें **'यहाँ'** शब्द क्रियाविशेषण है। जबकि चौथे वाक्य में 'यहाँ' शब्द का प्रयोग सर्वनाम 'आपके' के साथ हुआ है। अत: इसमें

'**यहाँ**' शब्द संबंधबोधक है।

अत: जब स्थानवाचक आदि शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंधबोधक अव्यय होते हैं और जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब क्रियाविशेषण होते हैं।

(4)**विस्मयादिबोधक अव्यय –** जिन अविकारी या अव्यय शब्दों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, ग्लानि आदि मन के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इनका प्रयोग वाक्य के प्राय: प्रारंभ में होता है तथा इन शब्दों के बाद चिह्न(!) लगता है। जैसे –

वाह! कितना मनोहर दृश्य है।

क्या! इतनी जल्दी काम खत्म हो गया।

हाय! वह तो लुट गया।

उपर्युक्त वाक्यों में '**वाह**', '**क्या**' तथा '**हाय**' शब्द क्रमश: हर्ष, विस्मय तथा शोक मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं। अत: ये विस्मयादिबोधक अव्यय हैं।

प्रकट होने वाले मन के भावों के आधार पर विस्मयादिबोधक के निम्नलिखित भेद हैं –

(i) **हर्ष – बोधक –** अहा! वाह! वाह - वाह! शाबाश!

अहा! क्या नज़ारा है।

वाह! कैसा सुन्दर दृश्य है।

वाह – वाह! चार्वी कक्षा में प्रथम आई है।

शाबाश! तुमने स्कूल का नाम उज्ज्वल कर दिया।

(ii) **शोक – बोधक –** हाय! उफ! बाप रे! राम - राम!

हाय! जालिम ने उसे मार ही दिया।

उफ! बहुत दर्द हो रहा है।

बाप रे! इतना घोर अन्याय।

राम – राम! बेचारा दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया।

(iii) **घृणा बोधक –** छि:! धिक्! धत्! अरे - हट!

छि:! यहाँ कितनी गन्दगी है।

धिक्! महापुरुषों की निन्दा करते हो।

धत्! कितनी गन्दगी फैला रखी है।

अरे! यह कितनी गन्दी जगह है।

हट! कितना गन्द फैला दिया।

(iv) विस्मयबोधक – हैं!अरे! क्या! ओह!
हैं! तुम्हारे साथ अन्याय हो गया।
अरे! तुम कब आए।
क्या! सुभाष कक्षा में प्रथम आया है।
ओह! यह काम तुमने किया है।

(v) स्वीकारबोधक – हाँ! हाँ ! अच्छा! जी हाँ! ठीक!
हाँ – हाँ! मैं तुम्हारा काम कर दूँगा।
अच्छा! मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ।
जी हाँ! मैं कल आ जाऊँगा।
ठीक! तुमने सही किया ।

(vi) चेतावनीबोधक – सावधान! होशियार! खबरदार!
सावधान! आगे खतरा है।
होशियार! दुश्मन सामने है।
खबरदार! कोई आगे कदम न बढ़ाए।

(vii) भयबोधक – बाप रे बाप ! हाय! आह!
बाप रे बाप ! इतना लम्बा साँप।
हाय! आगे कितना घना जंगल है।
आह! मैं वहाँ अंधेरे में नहीं जा सकता।

(viii) आशीर्वादबोधक – दीर्घायु हो! जीते रहो।
दीर्घायु हो! मेरी शुभकामनाएँ तुम्हारे साथ हैं।
जीते रहो! ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे।

(5) **निपात** – जो अव्यय शब्द वाक्य में किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल दे देते हैं वे निपात कहलाते हैं। विशेष प्रकार का बल या अवधारणा देने के कारण इन्हें 'अवधारक' भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण निपात इस प्रकार हैं –

ही – वह पढ़ता ही होगा।
भी – मैं भी मुंबई जाऊँगा।
तो – वह तो काम से जी चुराता है।
तक – उसने मेरी बात तक नहीं सुनी।
मात्र – कह देने मात्र से कुछ नहीं होगा।
भर – वह जीवन भर मुसीबतों से जूझता रहा।

अध्याय – 4

संधि

निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए-

विद्यालय	–	विद्या + आलय
देवेन्द्र	–	देव + इन्द्र
हितोपदेश	–	हित + उपदेश
अत्यंत	–	अति + अंत

उपर्युक्त उदाहरणों में दो सार्थक शब्दों के मेल से एक नवीन शब्द बन रहा है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि का परस्पर मेल हो जाने से ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है, और एक नई ध्व न रही है जैसे- विद्यालय (विद्या+आलय) में आ, आ ध्वनि मिलकर 'आ' र ।, देवेन्द्र (देव+इन्द्र) में अ, ई ध्वनि मिलकर 'ए' ध्वनि, हितोपदेश (हित+उपदेश) में अ, उ ध्वनि मिलकर 'ओ' ध्वनि तथा अत्यंत (अति + अंत) में इ, अ ध्वनि मिलकर 'य' ध्वनि बन रही है। यही संधि कहलाती है।

संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है- जोड़ या मेल। व्याकरण में यह मेल दो वर्णों के समीप आ जाने से होता है। भाषा प्रवाह में बोलते समय कभी-कभी ध्वनियाँ इतनी समीप आ जाती हैं कि वे अलग-अलग सुनाई न देकर एक अन्य ध्वनि में परिणत हो जाती हैं। यह बदलाव या परिणति मूल ध्वनियों की संधि का ही परिणाम होता है। अतः संधि की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है-

परिभाषा – दो शब्दों का एक साथ उच्चारण होने के कारण पहले शब्द के अंतिम अक्षर तथा दूसरे शब्द के पहले अक्षर की ध्वनियों के आपसी मेल से इन ध्वनियों के उच्चारण में बदलाव आ जाता है। इस बदलाव के कारण ध्वनि और उसके चिह्न में होने वाले परिवर्तन को भाषा-विज्ञान में संधि कहते हैं।

संधि और संयोग में अन्तर – संधि और संयोग में अन्तर है। संयोग में वर्णों में केवल मेल होता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि संधि में दो वर्णों के मेल से उनमें परिवर्तन होता है। जैसे- 'कुल' शब्द में चार वर्ण हैं- क्, उ, ल्, अ। इन चारों के संयोग से 'कुल' शब्द का निर्माण हुआ है। यहाँ इन वर्णों के मेल से इनमें कोई अन्तर नहीं आया है। जबकि संधि में वर्णों में परिवर्तन आ जाता है तथा उनका उच्चारण भी बदल जाता है। जैसे- सत्+जन में संधि करने पर 'सज्जन' शब्द बनता है।

संधिच्छेद : संधि द्वारा मिलाए गए दो वर्णों को पुनः पहली अवस्था में लाने को संधिच्छेद करना कहा जाता है। जैसे -

परमार्थ = परम + अर्थ सदैव = सदा + एव

महोत्सव = महा + उत्सव प्रत्येक = प्रति + एक

वर्णों में संधि करने पर स्वर,व्यंजन अथवा विसर्ग में बदलाव आ जाता है। अतः संधि तीन प्रकार की होती है -

संधि के भेद

1. **स्वर संधि** 2. **व्यंजन संधि** 3. **विसर्ग संधि**

स्वर संधि

स्वर के बाद स्वर के मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे -

हिम + आलय = हिमालय

↓ ↓

अ + आ = आ

उपर्युक्त उदाहरण में 'हिम ' के 'म' में 'अ' स्वर निहित है और पर अर्थात बाद में 'आलय' के प्रारम्भ में 'आ' स्वर है। इन दोनों स्वरों अर्थात 'अ' और 'आ' को मिलाने से 'दीर्घ आ' हो गया और 'हिम + आलय' में संधि करने पर उसमें परिवर्तन होकर 'हिमालय' शब्द बना।

स्वर संधि के पाँच भेद हैं -

(1) दीर्घ संधि (2) गुण संधि (3) वृद्धि संधि (4) यण् संधि (5) अयादि संधि।

(1) दीर्घ संधि – दीर्घ का अर्थ है - बड़ा। इस संधि में जब दो एक समान वर्ण पास पास आते हैं, तो दोनों मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ रूप बन जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं।

(क) पूर्व स्वर = अ या आ

पर स्वर = अ या आ

आदेश = आ

उदाहरण -

स्व + अधीन = स्वाधीन
↓ ↓
अ + अ = आ

इसी प्रकार अन्य उदाहरण होंगे –

अ + अ = आ योग + अभ्यास = योगाभ्यास
अ + आ = आ देव + आलय = देवालय
आ + अ = आ विद्या + अर्थी = विद्यार्थी
आ + आ = आ दया + आनन्द = दयानन्द

(ख) पूर्व स्वर = इ या ई
पर स्वर = इ या ई
आदेश = ई

उदाहरण –

सती + ईश = सतीश
↓ ↓
ई + ई = ई

अन्य उदाहरण –

इ + इ = ई	अति	+	इव	=	अतीव
इ + ई = ई	परि	+	ईक्षा	=	परीक्षा
ई + इ = ई	नारी	+	इच्छा	=	नारीच्छा
ई + ई = ई	सती	+	ईश	=	सतीश

(ग) पूर्व स्वर = उ या ऊ
पर स्वर = उ या ऊ
आदेश = ऊ

उदाहरण –

अनु + उदित = अनूदित
↓ ↓
उ + उ = ऊ

अन्य उदाहरण

उ + उ = ऊ गुरु + उपदेश = गुरूपदेश
उ + ऊ = ऊ सिंधु + ऊर्मि = सिंधूर्मि

ऊ + उ = ऊ वधू + उत्सव = वधूत्सव

ऊ + ऊ = ऊ सरयू + ऊर्मि = सरयूर्मि

(2) **गुण संधि** : जब अ या आ के बाद 'इ' या 'ई' आ जाए तो दोनों के स्थान पर 'ए', यदि उ या ऊ आ जाए तो 'ओ' और यदि ऋ आ जाए तो 'अर्' हो जाता है। जैसे –

(क) पूर्व स्वर = अ या आ

पर स्वर = इ या ई

आदेश = ए

उदाहरण –

नर + इन्द्र = नरेन्द्र
↓ ↓
अ + इ = ए

अन्य उदाहरण –

अ + इ = ए		भारत + इन्दु	= भारतेन्दु
अ + ई = ए		परम + ईश्वर	= परमेश्वर
आ + इ = ए		यथा + इष्ट	= यथेष्ट
आ + ई = ए		रमा + ईश	= रमेश

(ख) पूर्व स्वर = अ या आ

पर स्वर = उ या ऊ

आदेश = ओ

उदाहरण –

पर + उपकार = परोपकार
↓ ↓
अ + उ = ओ

अन्य उदाहरण –

अ + उ = ओ		लोक + उक्ति	= लोकोक्ति
अ + ऊ = ओ		जल + ऊर्मि	= जलोर्मि
आ + उ = ओ		महा + उत्सव	= महोत्सव
आ + ऊ = ओ		यमुना + ऊर्मि	= यमुनोर्मि

(ग) पूर्व स्वर = अ या आ
पर स्वर = ऋ
आदेश = अर्

उदाहरण –

देव + ऋषि = देवर्षि
↓ ↓
अ + ऋ = अर्

अन्य उदाहरण –

अ + ऋ = अर् वसन्त + ऋतु = वसन्तर्तु
आ + ऋ = अर् महा + ऋषि = महर्षि

(3) वृद्धि संधि – अ या आ से परे ए या ऐ आ जाएँ तो दोनों को मिला कर 'ऐ' यदि ओ या औ आ जाएँ तो दोनों को मिलाकर 'औ' हो जाता है। जैसे –

(क) पूर्व स्वर = अ या आ
पर स्वर = ए या ऐ
आदेश = ऐ

उदाहरण –

मत + ऐक्य = मतैक्य
↓ ↓
अ + ऐ = ऐ

अन्य उदाहरण –

अ + ए = ऐ लोक + एषणा = लोकैषणा
अ + ऐ = ऐ परम + ऐश्वर्य = परमैश्वर्य
आ + ए = ऐ सदा + एव = सदैव

(ख) पूर्व स्वर = अ या आ
पर स्वर = ओ या औ
आदेश = औ

उदाहरण –

दन्त + ओष्ठ = दन्तौष्ठ
↓ ↓
अ + ओ = औ

अन्य उदाहरण –

अ + ओ = औ	वन + औषधि = वनौषधि
आ + ओ = औ	महा + ओज = महौज
अ + औ = औ	परम + औदार्य = परमौदार्य
आ + औ = औ	महा + औषध = महौषध

(4) **यण् संधि** – इ, ई के बाद कोई भिन्न स्वर होने पर इ, ई को 'य्', 'उ', 'ऊ' के बाद कोई भिन्न स्वर होने पर उ, ऊ को 'व्' तथा ऋ के बाद भिन्न स्वर होने पर 'ऋ' को 'र' हो जाता है। जैसे –

अति + आचार = अत्याचार
↓ ↓
इ + आ = या (इ को य् + आ = या)

नोट (i) स्वर हीन व्यंजन के प्रयोग के समय आधा या हलन्त चिह्न(्)लगा कर लिखा जाता है जैसा कि उपर्युक्त उदाहरण में 'अति' शब्द के अंतिम भाग 'ति' में 'इ' के हटने से 'अति' शब्द का रूप 'अत्' (अत) रह गया।

(ii) 'अति' शब्द के अंतिम भाग 'ति' में 'इ' स्वर के परे भिन्न स्वर (आ) होने से 'इ' को 'य' हो गया और साथ ही भिन्न स्वर 'आ' की मात्रा 'य' में मिलने से अर्थात् य्+ा = या हो गया। इस प्रकार अति + आचार में संधि होकर अत्याचार शब्द बना।

(iii) हलन्त को सामान्य भाषा में आधा व्यंजन कहा जाता है।

(क) पूर्व स्वर = इ या ई
पर स्वर = इ या ई से भिन्न कोई भी स्वर
आदेश = य्+ भिन्न स्वर

उदाहरण

इति + आदि = इत्यादि
↓ ↓
इ + आ = या (इ को य् + आ = या)

अन्य उदाहरण

इ + अ = य	अति + अधिक = अत्यधिक
इ + आ = या	अभि + आगत = अभ्यागत
ई + अ = य	देवी + अर्पण = देव्यर्पण
ई + आ = या	देवी + आगम = देव्यागम

इ + उ = यु उपरि + उक्त = उपर्युक्त
इ + ऊ = यू नि + ऊन = न्यून
ई + उ = यु सखी + उचित = सख्युचित
ई + ऊ = यू नदी + ऊर्मि = नद्यूर्मि
इ + ए = ये प्रति + एक = प्रत्येक

(ख) **पूर्व स्वर = उ या ऊ**
पर स्वर = उ या ऊ से भिन्न स्वर
आदेश = व् + भिन्न स्वर

उदाहरण –

सु + आगत = स्वागत
↓ ↓
उ + आ = वा (उ को व् + आ = वा)

अन्य उदाहरण –

उ + अ = व सु + अल्प = स्वल्प
उ + आ = वा मधु + आलय = मध्वालय
उ + इ = वि अनु + इति = अन्विति
उ + ए = वे अनु + एषण = अन्वेषण

(ग) **पूर्व स्वर = ऋ**
पर स्वर = ऋ से भिन्न स्वर
आदेश = 'र्' + भिन्न स्वर

पितृ + अनुमति = पित्रनुमति
↓ ↓
ऋ + अ = र (ऋ को र् + अ = र)

नोट – 'पितृ' शब्द के अंतिम भाग 'तृ' में ऋ स्वर के हटने से 'त्' रह गया। जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि स्वरहीन व्यंजन को प्रयोग के समय आधा या हलन्त चिह्न लगाकर लिखा जाता है।

ऋ को र् + अ = र हो गया। अब त् + र = त्र हो गया। अतः पितृ + अनुमति = पित्रनुमति संधि हुई।

अन्य उदाहरण –

ऋ + अ = र मातृ + अनुमति = मात्रनुमति
ऋ + आ = रा पितृ + आज्ञा = पित्राज्ञा

ऋ + उ = रु पितृ + उपदेश = पित्रुपदेश
ऋ + ई = री मातृ + ईश = मात्रीश

(5) **अयादि संधि :** – 'ए' के बाद कोई स्वर हो तो 'ए' के स्थान पर 'अय्', 'ऐ' के बाद कोई स्वर हो तो 'ऐ' के स्थान पर 'आय्', ओ के बाद कोई स्वर हो तो 'ओ' के स्थान पर 'अव्' तथा यदि औ के बाद कोई स्वर हो तो 'औ' के स्थान पर 'आव्' हो जाएगा।

(क) **पूर्व स्वर = ए**
पर स्वर = ए से भिन्न स्वर
आदेश = अय्+भिन्न स्वर

उदाहरण –

नै + अन = नयन
↓ ↓
ए + अ = अय (ए को अय्+अ= अय)

अन्य उदाहरण –

ए + अ = अय चे + अन = चयन
शे + अन = शयन

(ख) **पूर्व स्वर = ऐ**
पर स्वर = ऐ से भिन्न स्वर
आदेश = आय् +भिन्न स्वर

उदाहरण –

नै + अक = नायक
↓ ↓
ऐ + अ = आय (ऐ को आय्+अ = आय)

अन्य उदाहरण –

ऐ + अ = आय गै + अक = गायक
गै + अन = गायन

(ग) **पूर्व स्वर =ओ**
पर स्वर=ओ से भिन्न स्वर
आदेश = अव्+ भिन्न स्वर

उदाहरण –

पो + अन = पवन
↓ ↓
ओ + अ = अव (ओ को अव् + अ = अव)

अन्य उदाहरण –

ओ + अ = अव	भो + अन = भवन
ओ + अ = अव	हो + अन = हवन
ओ + इ = अवि	भो + इष्य = भविष्य

(घ) पूर्व स्वर = औ

पर स्वर = औ से भिन्न स्वर

आदेश = आव् + भिन्न स्वर

उदाहरण –

पौ + अन = पावन
↓ ↓
औ + अ = आव (औ को आव् + अ = आव)

अन्य उदाहरण

औ + अ = आव	पौ + अक = पावक
औ + उ = आवु	भौ + उक = भावुक (औ को आव् + उ = आवु)
औ + इ = अवि	नौ + इक = नाविक (औ को आव् + इ = आवि)

(2) व्यंजन संधि

व्यंजन वर्ण के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आ जाने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के मुख्य नियम इस प्रकार हैं –

(1) वर्णमाला के वर्ग के पहले अक्षर को तीसरा अक्षर – क्, च्, ट्, प् से परे यदि किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या य्, र्, ल्, व्, ह या कोई स्वर हो तो उन्हें अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। अर्थात क् को ग्, च् को ज्, ट को ड् और प् को ब् हो जाएगा। जैसे –

क् को ग्	दिक्	+	दर्शन	=	दिग्दर्शन
च् को ज्	अच्	+	अंत	=	अजंत
ट् को ड	षट्	+	आनन	=	षडानन
प् को ब	अप्	+	ज	=	अब्ज

(2) **वर्णमाला के किसी वर्ग के पहले अक्षर को पाँचवाँ** - क्, च्, ट्, त्, प् के बाद म या न हो तो क् को ङ्, च को ञ्, ट् को ण्, त् को न् तथा प् को म् हो जाता है। जैसे -

उदाहरण -

क् को ङ्	वाक्	+	मय	=	वाङ्मय
ट् को ण्	षट्	+	मास	=	षण्मास
त् को न्	जगत्	+	नाथ	=	जगन्नाथ
प् को म्	अप्	+	मय	=	अम्मय

(3) त् के सम्बन्ध में विशेष नियम -

(क) त् के बाद च या छ हो तो त् को च् हो जाता है। जैसे

त् को च्	उत् + चारण	= उच्चारण
	सत् + चरित्र	= सच्चरित्र

(ख) 'त्' के बाद 'ज' या 'झ' हो तो 'त्' को तो 'ज्' हो जाता है। जैसे -

त् को ज्	सत् + जन	= सज्जन
	उत् + ज्वल	= उज्ज्वल

(ग) 'त्' के बाद 'ल' हो तो त् 'को' 'ल्' हो जाता है। जैसे -

त् को ल्	तत् + लीन	= तल्लीन
	उत् + लेख	= उल्लेख

(घ) 'त्' के बाद 'ड' या 'ढ' हो तो 'त्' को 'ड्' हो जाता है। जैसे -

त् को ड्	उत् + डयन	= उड्डयन

(ङ) 'त्' के बाद 'ट' या 'ठ' हो तो 'त्' को 'ट्' हो जाता है। जैसे -

त् को ट्	महत् + टीका	= महट्टीका

(च) 'त्' के बाद 'श' हो तो 'त्' को 'च्' तथा 'श' को 'छ्' हो जाता है। जैसे -

'त्' को 'च्' तथा 'श' को 'छ्'	उत् + श्वास	= उच्छ्वास
	तत् + शिव	= तच्छिव

(छ) 'त्' के बाद 'ह' हो तो त् को 'द्' 'ह' को 'ध' हो जाता है। जैसे -

त् को द् तथा ह को ध	उत् + हार	= उद्धार
	उत् + हरण	= उद्धरण

(ज) 'त्' के बाद कवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के तीसरे, चौथे वर्ण अर्थात ग, घ, द,

ध, ब, भ तथा य, र, व या कोई स्वर आ जाए तो 'त्' को 'द्' हो जाता है। जैसे

त् को द्	सत्+ उपयोग	= सदुपयोग	(त् को द्+उ=दु)
	जगत् +ईश	= जगदीश	(त् को द्+ई= दी)
	भगवत्+भक्ति	=भगवद्भक्ति	(त् को द्)

(4) छ् के संबंध में नियम

स्वर के बाद यदि 'छ' व्यंजन आ जाए तो 'छ' से पूर्व 'च' वर्ण लगा दिया जाता है। जैसे-

छ को च्छ	आ+ छादन	= आच्छादन	संधि+ छेद	=	संधिच्छेद
	स्व+ छंद	= स्वच्छंद	प्र+छन्न	=	प्रच्छन्न

(5) म् के संबंध में नियम

(i) 'म्' के बाद 'क्' से 'भ्' तक कोई व्यंजन आ जाए तो म् उसी वर्ग के अंतिम वर्ण (ङ्, ञ्, ण्, न्, म्) अथवा अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे-

उदाहरण–

सम्+कल्प = संकल्प (म् को अनुस्वार)
या सङ्कल्प (म् को कवर्ग का पाँचवाँ अक्षर ङ्)

अन्य उदाहरण–

सम्+चय = संचय (म् को अनुस्वार)
सञ्चय (म् को कवर्ग का पाँचवाँ अक्षर ञ्)
सम्+तोष = संतोष (म् को अनुस्वार)
सन्तोष (म् को तवर्ग का पाँचवाँ अक्षर न्)
सम्+पूर्ण = संपूर्ण(म् को अनुस्वार)
सम्पूर्ण (म् को पवर्ग का पाँचवाँ अक्षर म्)
दम्+ड = दंड (म् को अनुस्वार)
दण्ड (म् को टवर्ग का पाँचवाँ अक्षर ण्)

विशेष-एकरूपता की दृष्टि से पंचम अक्षर के स्थान पर अनुस्वार को ही मानक माना गया है।

(ii) म् के बाद स्पर्श व्यंजनों के अतिरिक्त य्, र्, ल्, व्, श्, ष्, स्, ह् में से कोई व्यंजन होने पर 'म्' को अनुस्वार ही होता है। जैसे-

सम् + यत = संयत सम् + रक्षण = संरक्षण

सम् + लग्न = संलग्न सम् + वेदना = सवेदना
सम् + शय = संशय सम् + सार = संसार
सम् + हार = संहार

अपवाद – सम् + राट् = सम्राट में यह नियम नहीं लागू होता।

(6) न् को ण्

ऋ, र् या ष् के बाद 'न्' के आने पर उसे 'ण्' हो जाता है तथा 'न' के बीच में कोई स्वर या कवर्ग, पवर्ग या अन्तःस्थ आने पर भी ण हो जाता है। जैसे –

ऋ + न = ऋण तृष् + ना = तृष्णा
भूष् + अन = भूषण परि + नाम = परिणाम
भर् + अन = भरण

(7) स् को ष्

अ,आ को छोड़कर किसी दूसरे स्वर के बाद में 'स' हो तो 'स' के स्थान पर 'ष' हो जाता है।

नि + सेध = निषेध अभि + सेक = अभिषेक
सु + सुप्ति = सुषुप्ति सु + समा = सुषमा
वि + सम = विषम

(3) विसर्ग संधि

विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार सहित मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के मुख्य नियम इस प्रकार हैं –

(क) विसर्ग को ओ

(i) विसर्ग से पूर्व यदि 'अ' हो और विसर्ग के बाद भी 'अ' हो तो पहला 'अ' और विसर्ग मिलकर 'ओ' हो जाता है तथा बाद का 'अ' लुप्त हो जाता है। जैसे –

मनः + अनुकूल = मनोनुकूल

(ii) विसर्ग से पूर्व यदि 'अ' हो और बाद में वर्गों के पहले, तीसरे, चौथे, पाँचवें वर्ण या य्, र्, ल्, व् में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को 'ओ' हो जाता है। जैसे –

सरः + ज = सरोज मनः + रंजन = मनोरंजन
यशः + दा = यशोदा पयः + द = पयोद
मनः + बल = मनोबल मनः + विज्ञान = मनोविज्ञान
अधः + गति = अधोगति पयः + धर = पयोधर

(ख) विसर्ग को श् – विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो और परे च, छ या श आ

जाए तो विसर्ग को 'श्' हो जाता है।

निः + चल = निश्चल निः + चय = निश्चय

निः + छल = निश्छल हरिः + चन्द्र = हरिश्चन्द्र

(ग) विसर्ग को स् – विसर्ग के बाद त, थ हो तो विसर्ग के स्थान पर 'स्' हो जाता है। जैसे –

निः + तेज = निस्तेज निः + संतान = निस्संतान

नमः + ते = नमस्ते दुः + साहस = दुस्साहस

(घ) विसर्ग को ष् – विसर्ग के बाद इ या उ स्वर हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ, में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को 'ष्' हो जाता है। जैसे –

निः + कपट = निष्कपट निः + फल = निष्फल

निः + काम = निष्काम दुः + कर = दुष्कर

धनुः + टंकार = धनुष्टंकार धनुः + खण्ड = धनुष्खण्ड

(ङ) विसर्ग को र् –

(i) विसर्ग से पूर्व अ, आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तथा परे कोई भी स्वर हो तो विसर्ग को 'र्' हो जाता है और बाद वाला स्वर 'र्' में मिल जाता है।

निः + आहार = निराहार निः + आधार = निराधार

उपर्युक्त उदाहरण में स्पष्ट है कि विसर्ग से पूर्व 'इ' स्वर है तथा बाद में 'आ' स्वर है। दोनों मिलकर 'र्' हो गए तथा बाद वाला स्वर 'आ' जब 'र्' में मिला तो 'रा' हो गया।

अन्य उदाहरण

निः + आशा = निराशा

दुः + आचार = दुराचार

पुनः + अभिव्यक्ति = पुनरभिव्यक्ति

(ii) विसर्ग से पूर्व अ,आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और परे वर्ग का तीसरे, चौथे, पाँचवें वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को 'र्' हो जाता है। जैसे –

निः + मल = निर्मल दुः + जन = दुर्जन

निः + धन = निर्धन आशीः + वाद = आशीर्वाद

निः + णय = निर्णय दुः + नीति = दुर्नीति

(च) विसर्ग का लोप –

(i) यदि विसर्ग से परे 'र' आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और

उससे पूर्व स्वर को दीर्घ हो जाता है। जैसे -

नि : + रोग = नीरोग

(विसर्ग के बाद 'र' होने से विसर्ग से पूर्व स्वर 'इ' दीर्घ हो गया है अर्थात 'नि' को 'नी' हो गया।)

अन्य उदाहरण

नि : + रव = नीरव	नि: + रस = नीरस
नि: + रज = नीरज	नि : + रद = नीरद

(ii) यदि 'अ' के बाद विसर्ग हो और उसके बाद 'अ' से भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और फिर पास आए हुए स्वरों में संधि नहीं होती। जैसे

उदाहरण

अत: + एव = अतएव।

हिंदी की संधियाँ

हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें संस्कृत नियम लागू नहीं होते। अत: हिंदी में कुछ संधि - नियम विकसित हुए हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है -

(1) शब्द के अंत में अल्पप्राण ध्वनि के आगे 'ह' ध्वनि आ जाए तो अल्पप्राण ध्वनि महाप्राण हो जाती है। जैसे -

अब + ही = अभी	कब + ही = कभी
तब + ही = तभी	सब + ही = सभी

(2) कुछ शब्द में कभी - कभी संधि होने पर किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे -

(i) 'ह' ध्वनि का लोप -

उस + ही = उसी	किस + ही = किसी
यह + ही = यही	वह + ही = वही

(ii) 'आ' के पश्चात् 'ह' आ जाने पर दोनों ध्वनियों का लोप हो जाता है। जैसे -

कहाँ + ही = कहीं	यहाँ + ही = यहीं
वहाँ + ही = वहीं	

(3) समस्त पदों में भी कई बार स्वरों में परिवर्तन होता है। जैसे -

घोड़ा + दौड़ = घुड़दौड़	लोहा + आर = लुहार
पानी + घट = पनघट	काठ + पुतली = कठपुतली

अध्याय – 5

शब्द रचना एवं शब्द विवेक

'शब्द' भाषा की एक महत्त्वपूर्ण इकाई है। रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं।(1) रूढ़ (2) यौगिक (3) योगरूढ़। रूढ़ शब्द तो अपने मूल रूप में ही भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। रूढ़ शब्दों के खंडों का सार्थक विभाजन नहीं है। दूसरी ओर यौगिक और योगरूढ़ शब्द रचना की दृष्टि से एक समान हैं। दोनों ही दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बनते हैं।

यौगिक शब्दों की रचना चार प्रकार से होती है –

(1) उपसर्गों के मेल से।

(2) प्रत्ययों के मेल से।

(3) उपसर्ग और प्रत्यय – दोनों के मेल से।

(4) दो या अधिक शब्दों के मेल से (शब्दों में समास से)।

अत: उपसर्ग, प्रत्यय और समास ये शब्दों की रचना में कारण हैं। अत: क्रमश: इन पर विचार किया जा रहा है –

उपसर्ग – शब्दों के शुरू में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश 'उपसर्ग' कहलाते हैं। जैसे – 'दान' शब्द का अर्थ है – देना, खैरात में दी गई कोई वस्तु। परन्तु यदि 'दान' शब्द के शुरू में भिन्न – भिन्न उपसर्ग लगाकर देखें, तो नए शब्दों का निर्माण होगा और शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन आएगा। जैसे –

उपसर्ग + शब्द	नवीन शब्द	नवीन शब्द का अर्थ
अति + दान	अतिदान	बहुत अधिक उदारता
अधि + दान	अधिदान	साधारण से अधिक दान
अनु + दान	अनुदान	आर्थिक सहायता
अप + दान	अपदान	शुद्धाचरण, उत्तम कार्य
अव + दान	अवदान	प्रशस्त कर्म, पराक्रम, अंशदान
आ + दान	आदान	ग्रहण , लेना
ना + दान	नादान	नासमझ, अनाड़ी
नि + दान	निदान	कारण, रोग का कारण, अंत
प्र + दान	प्रदान	देना

प्रति + दान	प्रतिदान	विनिमय, बदले में दूसरी वस्तु देना, वापस करना
परि + दान	परिदान	अमानत लौटाना, वापस कर देना

प्रत्यय – शब्दों के अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश 'प्रत्यय' कहलाते हैं। जैसे – जल शब्द का अर्थ है – पानी। परन्तु जब जल शब्द के अंत में भिन्न – भिन्न प्रत्यय लगाये जाते हैं, तो उनके अर्थ में भिन्नता आ जाती है। जैसे –

शब्द + प्रत्यय	नवीन शब्द	नवीन शब्द का अर्थ
जल + क	जलक	शंख
जल + कर	जलकर	पानी का महसूल
जल + धर	जलधर	बादल, समुद्र
जल + ईय	जलीय	जल सम्बन्धी

उपसर्ग – विवेचन

हिन्दी में मुख्यत: चार प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। ये हैं –
(1) संस्कृत के उपसर्ग (2) उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय
(3) हिन्दी के उपसर्ग (4) उर्दू के उपसर्ग

(1) संस्कृत के उपसर्ग

उपसर्ग	अर्थ	शब्द रूप
अति	अधिक, ऊपर	अतिशय, अतिरिक्त, अत्याचार, अत्युत्तम, अत्यन्त, अतिक्रमण, अत्युक्ति
अनु	पीछे, समान	अनुसार, अनुभव, अनुरूप, अनुशीलन, अनुगामी, अनुज, अनुक्रम
अधि	ऊपर,श्रेष्ठ, समीप	अधिकृत, अधिराज, अधिपति, अधिकार, अध्यक्ष, अधिकरण, अधिमान
अप	बुरा, हीन, विपरीत	अपवाद, अपयश, अपकार, अपशब्द, अपव्यय, अपमान
अभि	समीप, निकट, ओर	अभियान, अभिनेता, अभिनव, अभिलाषा, अभ्युदय, अभिमुख, अभिशाप
अव	अनादर, नीचा,हीन, बुरा	अवनति, अवसान, अवगुण, अवज्ञा, अवशेष
आ	तक, लेकर, समेत, पूर्ण	आगमन, आजीवन, आकृति, आजन्म, आमरण

उप	समीप, समान, गौण	उपवन, उपभेद, उपमंत्री, उपदेश, उपनगर, उपकरण, उत्कर्ष, उपकूल, उपसचिव
उत्	श्रेष्ठ, ऊपर, ऊँचा	उत्कठा, उत्थान, उन्नति, उद्गम, उज्ज्वल
दुर्	कठिन, बुरा	दुर्घटना, दुर्गम, दुराचार, दुर्भाग्य, दुर्दशा
दुस्	कठिन, बुरा	दुस्साध्य, दुस्साहस, दुष्कर, दुष्कर्म
नि	अभाव, अधिक, बाहर	नितांत, निषेध, निवारण, निलय
निर्	रहित, बिना, बाहर	निर्वासन, निर्वाह, निराशा, निरपराध, निर्जीव
निस्	रहित, नहीं	निस्तेज, निस्संदेह, निष्काम, निष्कलंक
परा	सीमा से अधिक, उलटा	पराकाष्ठा, परामर्श, परास्त, पराभव, पराजय
परि	चारों ओर, आस-पास	परिकल्पना, परिपूर्ण, परिक्रमा, परिवार, परिभ्रमण
प्र	अधिक, आगे, ऊपर, यश	प्रबल, प्रसार, प्रताप, प्रवाह, प्रगति, प्रलय
प्रति	विरुद्ध, ओर, सामने	प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिनिधि, प्रतिलिपि, प्रत्यक्ष,
वि	विशेष, उलटा, हीनता	विमुख, विभाग, विज्ञ, वियोग, विराम, विशेषता, विकार, विज्ञान
सम्	अच्छा, पूर्णता, सामने	संगम, सम्गति, सम्मान, सम्मुख, संपूर्ण, संबंध, संभव, संतोष
सु	अच्छा, अधिक, श्रेष्ठ सुंदर	सुगम, सुकर्म, सुपुत्र, सुभाषित, सुलभ, सुबोध, सुदूर, सुकुमार।

2. उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय

अव्यय	अर्थ	शब्द रूप
अ	निषेध, बिना	अहिंसा, अज्ञान, अभाव, अधर्म, अनादि, अलौकिक
अधः	नीचे	अधःपतन, अधोमुख, अधोगति
अन	निषेध	अनर्थ, अनागत, अनादि
अन्तर्	भीतर	अन्तरात्मा, अन्तर्जातीय, अन्तर्राष्ट्रीय, अन्तर्देशीय,
कु	बुरा	कुरूप, कुपुत्र, कुकर्म, कुपात्र
चिर्	बहुत देर	चिरायु, चिरस्थायी, चिरंजीव, चिरकाल, चिरपरिचित
इति	ऐसा	इत्यादि, इतिवृत्त, इतिहास
तिरस्	तुच्छ	तिरस्कार, तिरोभाव
पुनः	फिर	पुनर्विवाह, पुनरुक्त, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण

पुरा	प्राचीन,पहले	पुरातन, पुरातत्व, पुराकथा, पुरस्कृत
प्राक्	पहले	प्राक्कथन, प्रागैतिहासिक, प्राक्कर्म
प्रातः	सवेरा	प्रातःकाल, प्रात :स्मरण, प्रातःस्नान
बहिः	बाहर	बहिष्कार, बहिर्द्वार, बहिर्गमन, बहिर्मुखी
स	सहित, तुल्य, सदृश	सहर्ष, सजल, सवर्ण, सभार्य, सपरिवार
सह	सहित	सगोत्र, सजातीय, सरस, सहोदर, सहयोग, सहचर

संस्कृत में कई बार एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग भी होता हैं। जैसे –

निर्	+ अभि	+ मान	=	निरभिमान
निर्	+ अप	+ राध	=	निरपराध
प्रति	+ उप	+ कार	=	प्रत्युपकार
वि	+ आ	+ करण	=	व्याकरण
सम्	+ आ	+ लोचना	=	समालोचना
सु	+ वि	+ ख्यात	=	सुविख्यात
सु	+ सम्	+ मान	=	सुसम्मान
सु	+ सम्	+ गठित	=	सुसंगठित

3. हिन्दी के उपसर्ग

हिन्दी के उपसर्ग तद्भव, देशी तथा विदेशी शब्दों के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ मुख्य हिन्दी उपसर्ग इस प्रकार हैं –

उपसर्ग	अर्थ	शब्द रूप
अ	निषेध या अभाव	अचेत, अथाह, अगम, अमर, अजर, अशांत
अध	आधा	अधखिला, अधपका, अधजला, अधमरा, अधपेट
अन	निषेध या अभाव	अनजान, अनमोल, अनहोनी, अनपढ़, अनदेखा
उन	एक कम	उन्नीस, उनत्तीस, उनतालीस, उनचास, उनसठ
औ	हीनता, निषेध	औगुन, औसर, औघट
कु/क	बुरा, हीनता	कुमार्ग, कुपात्र, कुचैला, कुढ़ंग, कपूत
	(क उपसर्ग संस्कृत के 'कु' उपसर्ग से विकसित हुआ है)	
दु	बुरा, हीन	दुबला, दुःस्वप्न, दुर्दग, दुर्गम
	('दु' उपसर्ग संस्कृत के 'दुर्' उपसर्ग से विकसित हुआ है)	

नि	रहित	निडर, निगोड़ा, निहत्था, निकम्मा, निगम
	('नि' उपसर्ग संस्कृत के 'निर्' उपसर्ग से विकसित हुआ है)	
बिन	अभाव, निषेध	बिनचखा, बिनखाया, बिनदेखा, बिनमाँगे
भर	पूरा	भरपूर, भरपेट, भरपाई, भरमार, भरसक
सु/स	श्रेष्ठ	सुपात्र, सुपुत्र, सुडौल, सजग, सपूत
	('स' उपसर्ग संस्कृत के 'सु' उपसर्ग से विकसित हुआ है)	

4. उर्दू के उपसर्ग

उपसर्ग	अर्थ	शब्द रूप
अल	निश्चित	अलबत्ता
कम	थोड़ा	कमज़ोर, कमसिन, कमबख्त, कमउम्र, कमज़ात
खुश	अच्छा	खुशकिस्मत, खुशदिल, खुशहाली, खुशनसीब, खुशबू
गैर	बिना, भिन्न	गैरज़रूरी, गैरज़िम्मेदार, गैरमुनासिब, गैररस्मी, गैरहाज़िर
ना	अभाव	नालायक, नाकाम, नाकाफी, नाकाबिल, नाचीज़
ब	अनुसार, के साथ	बदौलत, बनाम, बखैरियत, बखूबी, बदस्तूर
बद	बुरा	बदइंतज़ामी, बदकिस्मत, बदचलन, बदतमीज़, बददिमाग़
बा	साथ अनुसार	बाअसर, बाकायदा, बाज़ब्ता, बामुराद, बाअदब
बे	बिना, बगैर	बेअदब, बेआसरा, बेऐब, बेकदर, बेकसूर, बेगरज़
बिला	बिना, बगैर	बिलाकसूर, बिलालिहाज़
ला	बिना, नहीं	लाजवाब, लावारिस, लाइलाज, लापरवाह, लापता
सर	मुख्य	सरदार, सरकार, सरफ़रोश, सरपंच, सरताज
हम	साथ, समान	हमवतन, हमराही, हमजोली, हमसाया, हमशक्ल, हमराज़
हर	प्रत्येक	हरदम, हररोज़, हरवक्त, हरसाल, हरहाल

प्रत्यय विवेचन

प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं-

(क) कृत् प्रत्यय (ख) तद्धित प्रत्यय

(क) कृत् प्रत्यय – जो प्रत्यय धातुओं के अन्त में लग कर संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत् प्रत्यय कहते हैं। कृत् प्रत्ययों के मेल से बने

शब्दों को कृदन्त कहते हैं। जैसे -

लिख + आवट = लिखावट मिल + आवट = मिलावट

कृत् प्रत्यय पाँच प्रकार के होते हैं -

(1) **कर्तृवाचक कृत् प्रत्यय** – जिन कृत् प्रत्ययों से क्रिया के करने वाले अर्थात कर्त्ता का ज्ञान हो, उन्हें कर्तृवाचक कृत् प्रत्यय कहते हैं। जैसे -

प्रत्यय	शब्द रूप	प्रत्यय	शब्द रूप
अक	पालक	आड़ी	खिलाड़ी, अनाड़ी
अक्कड़	घुमक्कड़, भुलक्कड़	आलू	झगड़ालू
आक	तैराक	वैया	गवैया, खवैया
आकू	पढ़ाकू, लड़ाकू	हार	होनहार, पालनहार

(2) **कर्मवाचक कृत् प्रत्यय** – जिन प्रत्ययों से कर्मवाचक शब्दों का निर्माण होता है, उन्हें कर्मवाचक कृत् प्रत्यय कहते हैं। जैसे -

प्रत्यय	शब्द रूप	प्रत्यय	शब्द रूप
औना	बिछौना, खिलौना	नी	कहानी, सूघनी
ना	गाना, ओढ़ना		

(3) **करणवाचक कृत् प्रत्यय** – जिन प्रत्ययों से क्रिया के करण वाचक शब्दों का निर्माण हो, अर्थात् जिनसे क्रिया के साधन का ज्ञान हो उन्हें करणवाचक कृत् प्रत्यय कहते हैं। जैसे -

प्रत्यय	शब्द रूप	प्रत्यय	शब्द रूप
अन	बेलन, झाड़न	ई	बुहारी, रेती
ऊ	झाड़ू	नी	लेखनी, धौंकनी, कतरनी

(4) **भाववाचक कृत् प्रत्यय** – जिन प्रत्ययों से क्रिया के भाववाचक संज्ञाओं का ज्ञान हो, उन्हें भाववाचक कृत् प्रत्यय कहते हैं। जैसे -

प्रत्यय	शब्द रूप	प्रत्यय	शब्द रूप
अन	मिलन, चलन	आन	उड़ान, मिलान
आई	पढ़ाई, लड़ाई	अंत	भिड़ंत, घड़ंत
आव	बचाव, चढ़ाव, लगाव	आहट	घबराहट, चिल्लाहट
आवा	भुलावा, दिखावा	आवट	सजावट, बनावट

(5) **क्रियार्थक कृत् प्रत्यय** – जिन प्रत्ययों से बने शब्द से क्रिया के होने के भाव का ज्ञान हो, उन्हें क्रियार्थक कृत् प्रत्यय कहते हैं। जैसे -

प्रत्यय	शब्द रूप
ता	खाता, चलता, बहता (विशेषण और वर्तमान कालिक क्रिया रूप के संदर्भ में)
ता हुआ	खाता हुआ,चलता हुआ, बहता हुआ (विशेषण रूप में)
ते ही	खाते ही, चलते ही, बहते ही (तात्कालिक क्रिया रूप में)
ता-ते	खाते-खाते, चलते-चलते, बहते-बहते (क्रिया-विशेषण रूप में)
या	खाया, गाया (भूतकालिक क्रिया रूप में)
कर	खाकर, गाकर,चलकर, पढ़कर (पूर्वकालिक क्रिया रूप में)
आ	जागा, भूला, बैठा (विशेषण, भूतकालिक क्रिया और संज्ञा रूप)

(ख) तद्धित प्रत्यय

क्रिया से भिन्न अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश तद्धित कहलाते हैं। इनके मेल से जिन शब्दों की रचना होती है, उन्हें तद्धितांत कहते हैं। जैसे-

नारी + त्व = नारीत्व

यहाँ 'नारी' जातिवाचक संज्ञा में तद्धित 'त्व' प्रत्यय लगने से 'नारीत्व' शब्द की रचना हुई है। मुख्य तद्धित प्रत्ययों का परिचय इस प्रकार है-

(1) **कर्तृवाचक तद्धित** – जिन तद्धित प्रत्ययों से कार्य के करने वाले का ज्ञान हो, उन्हें कर्तृवाचक तद्धित कहते हैं। जैसे-

प्रत्यय	शब्द रूप	प्रत्यय	शब्द रूप
आर	कुम्हार, सुनार	कार	नाटककार, संगीतकार
एरा	सपेरा, लुटेरा	गर	सौदागर, कारीगर
इया	बनिया, रसोइया	दार	दुकानदार
ई	गाली, तेली	वान	धनवान, गाड़ीवान
क	लेखक, पाठक	वाला	गाड़ीवाला, घरवाला, रिक्शावाला

(2) **भाववाचक तद्धित** – जिन तद्धित प्रत्ययों के मेल से शब्द भाववाचक संज्ञा बन जाए , उन्हें भाववाचक तद्धित कहते हैं। जैसे-

प्रत्यय	शब्द रूप	प्रत्यय	शब्द रूप
आई	अच्छाई, बुराई	इमा	लालिमा, महिमा
आहट	चिकनाहट, कड़वाहट	त	रंगत, संगत
आस	मिठास, खटास	ता	मित्रता, वीरता

आपा	मोटापा, बुढ़ापा	त्व	स्वत्व, प्रभुत्व
		पन	अपनापन, लड़कपन

(3) संबंधवाचक तद्धित – जिन प्रत्ययों के मेल से किसी संबंध का ज्ञान हो, उन्हें सबंधवाचक तद्धित कहते हैं। जैसे - औती, मनौती, बपौती

प्रत्यय	शब्द रूप	प्रत्यय	शब्द रूप
आल	ससुराल	ई	बंगाली, जापानी
औटी	चमरौटी	एरा	मौसेरा, ममेरा
औती	मनौती, बपौती	ज	भावज
इक	धार्मिक, आर्थिक	जा	भानजा, भतीजा

(4) लघुता (ऊनता) वाचक तद्धित – जिन तद्धित प्रत्ययों से लघुता (छोटेपन) का ज्ञान हो, उन्हें लघुतावाचक तद्धित कहते हैं। जैसे -

प्रत्यय	शब्द रूप	प्रत्यय	शब्द रूप
इया	डिबिया, लुटिया	ड़ा	बछड़ा, दुखड़ा
ई	टोकरी, कोठरी	ड़ी	टुकड़ी, गठड़ी
की	ढोलकी	री	छतरी, बाँसुरी
टी	लंगोटी	वा	बिटवा

(5) गणवाचक तद्धित – जिन तद्धित प्रत्ययों से संख्या का ज्ञान हो, उन्हें गणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे -

प्रत्यय	शब्द रूप	प्रत्यय	शब्द रूप
था	चौथा	वाँ	पाँचवाँ, आठवाँ
सरा	दूसरा, तीसरा	हरा	दुहरा, तिहरा
ला	पहला, पिछला	गुण	चौगुणा, दोगुणा

(6) गुणनावाचक तद्धित – जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी गुण का ज्ञान हो, उन्हें गुणनावाचक तद्धित कहते हैं। जैसे -

प्रत्यय	शब्द रूप	प्रत्यय	शब्द रूप
आ	गंदा, प्यासा, प्यारा	ऊ	पेटू, बाज़ारू
आऊ	टिकाऊ, उपजाऊ	ऐला	विषैला, कसैला
आवना	लुभावना, सुहावना	मान	अभिमान, बुद्धिमान
इया	घटिया, बढ़िया	ला	लाडला, धुँधला, पिछला
ई	असली, नकली, लोभी	वान	धनवान, भाग्यवान, रूपवान

अंत में लगते हैं। ये हिन्दी के मूल प्रत्यय नहीं हैं। जैसे -

प्रत्यय	शब्द रूप	प्रत्यय	शब्द रूप
आना	दस्ताना, जुर्माना	गी	जिंदगी, आवारगी
आनी	जिस्मानी, कहानी	गीर	राहगीर
इयत	इन्सानियत, असलियत	दान	फूलदान, क्षमादान
ईन	शौकीन, नमकीन	दार	ईमानदार, दुकानदार
ईना	महीना, कमीना	नाक	दर्दनाक, शर्मनाक
कार	काश्तकार, सलाहकार	खोर	हरामखोर, रिश्वतखोर
बान	दरबान, बाग़बान	बारी	बमबारी, गोलाबारी
बाज़	धोखेबाज़, चालबाज़	गाह	ईदगाह, आरामगाह
गर	सौदागर, बाज़ीगर	बीन	दूरबीन, तमाशबीन
गार	मददगार, यादगार	मंद	अक्लमंद, दौलतमंद

उपसर्ग एवं प्रत्यय का एक साथ प्रयोग

कुछ शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का एक साथ योग होता है। जैसे -

उपसर्ग	मूल शब्द	प्रत्यय	नवीन शब्द
अति	आचार	ई	अत्याचारी
अधि	वास	इत	अधिवासित
अन	उदार	ता	अनुदारता
अप	मान	इत	अपमानित
अभि	मान	ई	अभिमानी
उप	कार	क	उपकारक
परि	पूर्ण	ता	परिपूर्णता
बद	नसीब	ई	बदनसीबी
बे	रोज़गार	ई	बेरोज़गारी
ना	खुश	ई	नाखुशी
नि	डर	ता	निडरता
निर्	बल	ता	निर्बलता
सह	योग	ई	सहयोगी
सु	कुमार	ता	सुकुमारता

ईय	दर्शनीय, भारतीय	वी	मेधावी, तपस्वी
ईला	रसीला, चमकीला, सजीला		

(7) **स्तरबोधक तद्धित** – जो तद्धित प्रत्यय विशेषण के साथ मिलकर उनके स्तर को तुलनात्मक दृष्टि से प्रकट करते हैं, स्तरबोधक तद्धित कहलाते हैं। जैसे –

प्रत्यय	शब्द रूप	प्रत्यय	शब्द रूप
तर	श्रेष्ठतर, उच्चतर	तम	श्रेष्ठतम, उच्चतम

(8) **स्त्रीलिंग वाचक प्रत्यय** – जिन तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द स्त्रीलिंग बन जाए, उन्हें स्त्रीलिंग वाचक तद्धित कहा जाता है। जैसे –

प्रत्यय	शब्द रूप	प्रत्यय	शब्द रूप
अती	बुद्धिमती, बलवती	इया	चुहिया, बुढ़िया
आ	छात्रा, बाला	ई	दासी,चाची,नागी
आइन	पंडाइन, ठकुराइन	इका	लेखिका,सेविका

(9) **बहुवचन वाचक प्रत्यय** – जिन प्रत्ययों के मेल से शब्द बहुवचनवाची बन जाए, उन्हें बहुवचन तद्धित कहते हैं। जैसे –

प्रत्यय	शब्द रूप	प्रत्यय	शब्द रूप
ए	लड़के, बेटे	इयाँ	नदियाँ, घोड़ियाँ
एँ	पुस्तकें, सड़कें	याँ	बिटियाँ, गुड़ियाँ

(10) **अपत्यवाचक तद्धित** – वंशज, अनुयायी आदि का ज्ञान कराने वाले तद्धित प्रत्ययों को अपत्यवाचक तद्धित कहते हैं। जैसे –

प्रत्यय	शब्द रूप
अव	राघव (रघु की संतान), पांडव (पांडु की संतान)
इय	राधेय (राधा की संतान या कर्ण का विशेषण)
	गांगेय (गंगा की संतान)
इ	दाशरथि (दशरथ की संतान)
	मारुति (मरुत् से उत्पन्न होने वाला या हनुमान का विशेषण)
ई	आर्यसमाजी (आर्य समाज का अनुयायी)
	कबीर पंथी (कबीर पंथ का अनुयायी)
य	आदित्य (अदिति का पुत्र)

(11) **विदेशी (आगत) तद्धित प्रत्यय** – ये प्रत्यय प्रायः उर्दू – फ़ारसी के शब्दों के

समास

गंगा का जल

महान है आत्मा जिसकी

उपर्युक्त पदों 'गंगा का जल' को 'गंगा जल' तथा 'महान है आत्मा जिसकी' को 'महात्मा' के रूप में संक्षेप में लिख सकते हैं। इसी संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। 'समास' शब्द संस्कृत की अस् धातु में सम उपसर्ग के मेल से बना है। इसका अर्थ है समाहार या मिलाप। अत: समास की परिभाषा इस तरह होगी –

परिभाषा – परस्पर सम्बन्ध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब कोई नया सार्थक शब्द बनता है तो उस मेल को 'समास' कहते हैं। जैसे –

राजा का कुमार = राजकुमार।

समस्त पद तथा विग्रह – समास करने के उपरान्त जो शब्द बनता है उसे 'समस्त पद' कहते हैं। इसे 'सामासिक' या 'समस्त शब्द' भी कहते हैं। समस्त पद को इसके शब्द खण्डों में अलग – अलग करने की विधि को 'विग्रह' कहते हैं। जैसे –

हवन सामग्री	=	हवन के लिए सामग्री
(समस्त पद)		(विग्रह)

समास के पद – समस्त पद के दो पद होते हैं – पूर्व पद और उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद तथा पिछले पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे –

हवन	सामग्री
पूर्व पद	उत्तर पद

समास के भेद

किसी समस्त पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इसके पद महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा करने के लिए समस्त पदों में कभी पूर्व पद तथा कभी उत्तर पद प्रधान होता है। कभी – कभी पूर्वपद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, तो कभी दोनों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है। पदों की प्रधानता के आधार पर ही समास के भेद किए जा सकते हैं –

1.	अव्ययीभाव समास	2.	तत्पुरुष समास
3.	द्वंद्व समास	4.	बहुव्रीहि समास

(1) अव्ययीभाव समास

जिस समास में पूर्वपद अव्यय हो तथा उसके मेल से पूर्ण समस्त पद अव्यय

(क्रिया विशेषण) का काम करे, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे -

शब्द	विग्रह	जिस अर्थ में यहाँ अव्यय प्रयुक्त हुआ है
यथाशक्ति	शक्ति के अनुसार	'यथा' का प्रयोग 'अनुसार' के अर्थ में हुआ है।
यथाविधि	विधि के अनुसार	'यथा' का प्रयोग 'अनुसार' के अर्थ में हुआ है।
यथोचित	जितना उचित हो	'यथा' का प्रयोग 'जितना' के अर्थ में हुआ है।
प्रतिदिन	दिन-दिन	'प्रति' का प्रयोग एक के बाद अगले दिन के लिए हुआ है।
आजीवन	जीवन तक	'आ' का प्रयोग 'तक' के अर्थ में हुआ है।
आजन्म	जन्म से लेकर	'आ' का प्रयोग 'लेकर' के अर्थ में हुआ है।
अध्यात्म	आत्मा में	'अधि' का प्रयोग सप्तमी 'विभक्ति' के अर्थ में हुआ है।
अनुरूप	रूप के योग्य	'अनु' का प्रयोग 'के योग्य' अर्थ में हुआ है।
बेखटक	खटके के बिना	'बे' का प्रयोग 'के बिना' अर्थ में हुआ है।

अन्य उदाहरण

शब्द	विग्रह	शब्द	विग्रह
यथानियम	नियम के अनुसार	प्रत्येक	एक-एक
यथाकाल	काल के अनुसार	प्रतिवर्ष	वर्ष-वर्ष
यथारुचि	रुचि के अनुसार	आमरण	मरण तक
यथाक्रम	क्रम के अनुसार	अधिदेव	देवता में
प्रति सप्ताह	सप्ताह-सप्ताह	बेनाम	नाम के बिना
प्रतिमास	मास-मास	बेरोज़गार	रोज़गार के बिना

अव्ययीभाव समास के रूप- अव्ययीभाव समास निम्नलिखित रूपों में होता है। जैसे -

(i) कई बार शब्दों की आवृत्ति (ध्वन्यात्मकता) के बाद अव्ययीभाव समास का प्रयोग होता है। जैसे -

शब्द	विग्रह
दिनोंदिन	कुछ ही दिन में या दिनों के बीतने के साथ-साथ
बीचों बीच	बीच ही बीच में
हाथों हाथ	हाथ ही हाथ में

(ii) पुनरुक्ति होने पर भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे –

शब्द	विग्रह	शब्द	विग्रह
गली – गली	प्रत्येक गली	दवार – दवार	प्रत्येक दवार
साफ – साफ	बिल्कुल साफ (स्पष्ट)	जल्दी – जल्दी	जल्दी ही

(iii) कभी कभी निरर्थक पदों के प्रयोग में भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे –

शब्द	विग्रह	शब्द	विग्रह
रोटी – वोटी	रोटी आदि	कागज़ – वागज़	कागज़ आदि
पानी – वानी	पानी आदि	चाय – वाय	चाय आदि

(2) तत्पुरुष समास

जिस समास में पूर्वपद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष कहते हैं। ऐसे समास में पूर्वपद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। समास में दोनों पदों के बीच में आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे –

शब्द	विग्रह
क्रीड़ा – क्षेत्र	क्रीड़ के लिए क्षेत्र
विशेषण विशेष्य	

यहाँ 'क्षेत्र' पद प्रधान है तथा 'क्रीड़ा' गौण। दोनों पदों के बीच आने वाला परसर्ग 'के लिए 'का लोप हो गया है।

तत्पुरुष समास के भेद –

(क) परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद – परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष के छः भेद हैं –

(i) **कर्म तत्पुरुष –** इसमें कर्म कारक के परसर्ग 'को' का लोप हो जाता है। जैसे –

शब्द	विग्रह	शब्द	विग्रह
विदेशगत	विदेश को गया हुआ	यश प्राप्त	यश को प्राप्त
परलोक गगन	परलोक को गमन	मोक्ष प्राप्त	मोक्ष को प्राप्त

(ii) करण तत्पुरुष – इसमें करण कारक के परसर्ग 'से' का लोप हो जाता है। जैसे –

शब्द	विग्रह	शब्द	विग्रह
हस्तलिखित	हस्त से लिखित	मोह ग्रस्त	मोह से ग्रस्त
रेखांकित	रेखा से अंकित	भीड़ भरा	भीड़ से भरा

(iii) **सम्प्रदान तत्पुरुष** – इसमें सम्प्रदान कारक के परसर्ग 'के लिए' का लोप हो जाता है। जैसे –

शब्द	विग्रह	शब्द	विग्रह
सत्याग्रह	सत्य के लिए आग्रह	धर्मशाला	धर्म के लिए शाला
हवन सामग्री	हवन के लिए सामग्री	देशभक्ति	देश के लिए भक्ति
रसोई घर	रसोई के लिए घर	राहखर्च	राह के लिए खर्च

(iv) **अपादान तत्पुरुष** – इसमें अपादान कारक के परसर्ग 'से' का लोप हो जाता है। जैसे –

शब्द	विग्रह	शब्द	विग्रह
जन्मांध	जन्म से अंधा	मार्गभ्रष्ट	मार्ग से भ्रष्ट (भटका)
धर्मपतित	धर्म से पतित	ऋणमुक्त	ऋण से मुक्त
धनहीन	धन से हीन	देश निकाला	देश से निकाला
भयभीत	भय से भीत (डरा हुआ)	पदच्युत	पद से च्युत (हटाया गया)

(v) **सम्बन्ध तत्पुरुष** – इसमें सम्बन्ध कारक के परसर्ग 'का, के, की' आदि का लोप होता है। जैसे

शब्द	विग्रह	शब्द	विग्रह
सेनापति	सेना का पति	देशवासी	देश का वासी
राष्ट्रपति	राष्ट्र का पति	राजकुमार	राजा का कुमार
मधुमक्खी	मधु की मक्खी	घुड़दौड़	घोड़ों की दौड़

(vi) **अधिकरण तत्पुरुष** – इसमें अधिकरण कारक के परसर्ग 'में', 'पर' आदि का लोप हो जाता है। जैसे –

शब्द	विग्रह	शब्द	विग्रह
सिरदर्द	सिर में दर्द	नीति निपुण	नीति में निपुण
गृह प्रवेश	गृह में प्रवेश	घुड़सवार	घोड़े पर सवार
ध्यान मग्न	ध्यान में मग्न	आप बीती	आप पर बीती

अन्य उदाहरण – तत्पुरुष समास के कुछ अन्य उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। ये किस प्रकार के तत्पुरुष हैं? कारक चिह्न की पहचान कर स्वयं जानने का प्रयत्न करें।

शब्द	विग्रह	शब्द	विग्रह
गृहागत	गृह को आगत	गौशाला	गौ के लिए शाला

स्वर्गगत	स्वर्ग को गत	पथ भ्रष्ट	पथ से भ्रष्ट
बाढ़ पीड़ित	बाढ़ से पीड़ित	धर्म विमुख	धर्म से विमुख
ज्ञानयुक्त	ज्ञान से युक्त	रामभक्ति	राम की भक्ति
विद्यालय	विद्या के लिए आलय	उद्योगपति	उद्योग का पति
डाकगाड़ी	डाक के लिए गाड़ी	विद्या प्रवीण	विद्या में प्रवीण
गुरुदक्षिणा	गुरु के लिए दक्षिणा	धर्म वीर	धर्म में वीर
मालगोदाम	माल के लिए गोदाम	रणकौशल	रण में कौशल

(ख) पदों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद – पदों की प्रधानता अर्थात उनके आपसी संबंध के आधार पर तत्पुरुष समास के पाँच भेद हैं –

1. कर्मधारय तत्पुरुष
2. द्विगु समास
3. नञ् तत्पुरुष
4. अलुक् तत्पुरुष
5. मध्यम पद लोपी तत्पुरुष

(1) कर्मधारय तत्पुरुष – जिस समास के दोनों पदों में 'विशेषण – विशेष्य' अथवा 'उपमान – उपमेय' का संबंध प्रकट हो, उसे 'कर्मधारय समास' कहते हैं।

(क) विशेषण – विशेष्य संबंध –

विशेषण – जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट हो उसे विशेषण कहते है। जैसे – 'नील कमल' इस शब्द में 'नील' शब्द विशेषण है जो 'कमल' (संज्ञा) की विशेषता बता रहा है।

विशेष्य – जिसकी विशेषता बताई जाए, उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे 'नील कमल' शब्द में 'नील' शब्द द्वारा 'कमल' की विशेषता बताई जा रही है। अत: 'कमल' यहाँ विशेष्य है। विशेषण – विशेष्य संबंध को समझने के लिए इसी तरह के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं –

शब्द	विग्रह	विशेष कथन
पीताम्बर	पीत (पीला) है जो अम्बर (कपड़ा)	पीत (विशेषण) अम्बर (विशेष्य)
महादेव	महान है जो देव	महान (विशेषण) देव (विशेष्य)
नीलगगन	नील (नीला) है जो गगन	नील (विशेषण) गगन (विशेष्य)
परमानंद	परम है जो आनंद	परम (विशेषण) आनंद (विशेष्य)

अन्य उदाहरण

शब्द	विग्रह	शब्द	विग्रह
नीलाम्बर	नीला है जो अम्बर	कृष्णसर्प	कृष्ण (काला) है जो सर्प

लाल मिर्च	लाल है जो मिर्च	लाल रूमाल	लाल है जो रूमाल
भलामानस	भला है जो मानस	महाजन	महान है जो जन (आदमी)

उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता कि समस्त पद में प्राय: विशेषण पहले तथा विशेष्य बाद में लिखा जाता है, किन्तु कई बार विशेष्य पहले तथा विशेषण बाद में भी प्रयुक्त होता है। जैसे-

शब्द	विग्रह	विशेष कथन
सर्वोत्तम	सर्व (सब) में से है जो उत्तम	सर्व (विशेष्य) उत्तम (विशेषण)
पुरुषोत्तम	उत्तम है जो पुरुष	पुरुष (विशेष्य) उत्तम (विशेषण)
गुरुवर	गुरु (श्रेष्ठ) है जो वर	गुरु (विशेष्य) वर (विशेषण)
कविवर	कवि है जो वर (श्रेष्ठ)	कवि (विशेष्य) वर (विशेषण)

(ख) उपमान – उपमेय का सम्बन्ध

वह वस्तु या व्यक्ति जिससे समता की जाती है,उसे **'उपमान'** कहते हैं तथा वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी समता की जाए, उसे **'उपमेय'** कहते हैं।जैसे- कमल मुख। इसमें मुख की समता कमल से की गई है। अत: 'मुख' उपमेय तथा 'कमल' उपमान है। उपमान-उपमेय संबंध को समझने के लिए कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं-

उदाहरण

शब्द	विग्रह	विशेष कथन
घनश्याम	घन के समान श्याम	घन (उपमान) श्याम (उपमेय)
कमलनयन	कमल के समान नयन	कमल(उपमान) नयन(उपमेय)
कनकलता	कनक के समान लता	कनक (उपमान) लता (उपमेय)
चन्द्रमुख	चन्द्र के समान मुख	चन्द्र (उपमान) मुख (उपमेय)

उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि समस्त पद में प्राय: 'उपमान' पहले तथा उपमेय बाद में लिखा जाता है, किन्तु कभी-कभी कर्मधारय समास में पूर्वपद उपमेय तथा उत्तर पद उपमान भी प्रयोग में आता है। जैसे-

शब्द	विग्रह	विशेष कथन
नर सिंह	नर है जो सिंह के समान	नर (उपमेय) सिंह (उपमान)
मुखचन्द्र	मुख है जो चन्द्र के समान	मुख (उपमेय) चन्द्र (उपमान)
चरण कमल	चरण हैं जो कमल के समान	चरण (उपमेय) कमल(उपमान)
ग्रन्थरत्न	ग्रन्थ है जो रत्न के समान	ग्रन्थ (उपमेय) रत्न (उपमान)

अन्य उदाहरण –

शब्द	विग्रह
विद्याधन	विद्या है जो धन के समान
वचनामृत	वचन हैं जो अमृत के समान
कर कमल	कर (हाथ) हैं जो कमल के समान
क्रोधाग्नि	क्रोध है जो अग्नि के समान

(2) **द्विगु समास** – जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे –

शब्द	विग्रह	विशेष कथन
द्विगु	दो गायों का समूह	समस्त पद में 'द्वि' का प्रयोग 'दो' के अर्थ में हुआ है।
त्रिफला	तीन फलों का समूह (हरड़, बेहड़ा, आँवला)	समस्त पद में 'त्रि' का प्रयोग 'तीन' के अर्थ में हुआ है।
चतुर्भुज	चार भुजाओं का समूह	समस्त पद में 'चतुर्' का प्रयोग 'चार' के अर्थ में हुआ है।
पंचवटी	पाँच वटों का समूह	समस्त पद में 'पंच' का प्रयोग 'पाँच' के अर्थ में हुआ है।
सप्ताह	सात दिनों का समूह	समस्त पद में 'सप्त' का प्रयोग 'सात' के अर्थ में हुआ है।
अष्टाध्यायी	आठ अध्यायों का समूह	समस्त पद में 'अष्ट' का प्रयोग 'आठ' के अर्थ में हुआ है।
नवग्रह	नौ ग्रहों का समूह	समस्त पद में 'नव' का प्रयोग 'नौ' के अर्थ में हुआ है।

अन्य उदाहरण –

शब्द	विग्रह	शब्द	विग्रह
तिरंगा	तीन रंगों का समूह	दोपहर	दो पहरों का समूह
पंजाब	पाँच आबों (नदियों) का समूह	चौराहा	चार राहों का समूह
शताब्दी	शत (सौ) अब्दों (वर्षों) का समूह	अठन्नी	आठ आनों का समूह

(3) **नञ् तत्पुरुष** – जिस समास में पूर्व पद निषेधात्मक हो अर्थात् जब 'न' के साथ किसी शब्द का समास होता है, उसे नञ् तत्पुरुष कहते हैं। इस समास में

यदि 'न' के बाद कोई व्यंजन हो तो 'न' का 'अ' तथा यदि कोई स्वर हो तो 'न' का 'अन्' हो जाता है। जैसे –

शब्द	विग्रह	विशेष कथन
अयोग्य	न योग्य	'न' के बाद 'य' व्यंजन होने पर 'न' का 'अ' हो गया है।
अभाव	न भाव	'न' के बाद 'भ' व्यंजन होने पर 'न' का 'अ' हो गया है।
अनश्वर	न नश्वर	'न' के बाद 'न' व्यंजन होने पर 'न' का 'अ' हो गया है।
अनीश्वर	न ईश्वर	'न' के बाद 'ई' स्वर होने पर 'न' का 'अन्' हो गया है।
अनुदार	न उदार	'न' के बाद 'उ' स्वर होने पर 'न' का 'अन्' हो गया है।
अनिष्ट	न इष्ट	'न' के बाद 'इ' स्वर होने पर 'न' का 'अन्' हो गया है।
अनाचार	न आचार	'न' के बाद 'आ' स्वर होने पर 'न' का 'अन्' हो गया है।
अकर्मण्य	न कर्मण्य	'न' के बाद 'क' व्यजंन होने पर 'न' का 'अ' हो गया है।

अपवाद – उपर्युक्त नियम प्रायः संस्कृत के शब्दों में लागू होता है। हिन्दी के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें यह नियम लागू नहीं होता। जैसे –

शब्द	विग्रह	विशेष कथन
अनदेखी	न देखी	यहाँ 'न' के बाद 'द' व्यंजन है पर 'न' को 'अन' हुआ है।
अनहोनी	न होनी	यहाँ 'न' के बाद 'ह' व्यंजन है, पर 'न' का 'अन' हुआ है।
अनबन	न बनना	यहाँ 'न' के बाद 'ब' व्यंजन है, पर न का 'अन' हुआ है।

अन्य उदाहरण

शब्द	विग्रह	शब्द	विग्रह
अधर्म	न धर्म	अनेक	न एक
अस्थिर	न स्थिर	असंभव	न संभव

(4) अलुक तत्पुरुष – जिस समास में बीच के परसर्ग का लोप नहीं होता,उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास के कुछ समस्त पद ऐसे हैं जो मूल रूप से संस्कृत के हैं और उन्हें हिन्दी में उसी रूप में ग्रहण किया गया है। जैसे –

शब्द	विग्रह	विशेष कथन
सरसिज	सरसि(सरोवर में) ज(उत्पन्न)	यहाँ समस्त पद में 'सरसि' में सप्तमी विभक्ति अर्थात् 'में' परसर्ग का लोप नहीं हुआ है।
वाचस्पति	वाचः(वाणी का) पति	यहाँ समस्त पद मे 'वाचस्' में षष्ठी विभक्ति अर्थात् 'का' परसर्ग का लोप नहीं हुआ।
युधिष्ठिर्	युधि (युद्ध में) स्थिर	यहाँ समस्त पद में 'युधि' में सप्तमी विभक्ति अर्थात् 'में' परसर्ग का लोप नहीं हुआ है।
खेचर	खे (आकाश में) चर (चलने वाला)	यहाँ समस्त पद में 'खे' में सप्तमी विभक्ति, अर्थात् 'में' परसर्ग का लोप नहीं हुआ।

(5) मध्यम पद लोपी तत्पुरुष – जब दोनों पदों के मध्य का संबंध बताने वाला पद लुप्त हो जाता है तो उसे मध्यम पद लोपी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे –

शब्द	विग्रह	विशेष कथन
मालगाड़ी	माल ढोने वाली गाड़ी	दोनों पदों के मध्य संबंध बताने वाले शब्द 'ढोने वाली' लुप्त है।
अश्रुगैस	अश्रु लाने वाली गैस	दोनों पदों के मध्य संबंध बताने वाले शब्द 'लाने वाली' लुप्त है।
मधुमक्खी	मधु इकट्ठा करने वाली मक्खी	दोनों पदों के मध्य संबंध बताने वाले शब्द 'इकट्ठा करने वाली' लुप्त हैं।
पनचक्की	पन (पानी) से चलने वाली चक्की	दोनों पदों के मध्य संबंध बताने वाले शब्द 'से चलने वाली' लुप्त है।

अन्य उदाहरण –

शब्द	विग्रह
दहीबड़ा	दही में डूबा हुआ बड़ा
वनमानुष	वन में रहने वाला मानुष (मनुष्य)
पर्णकुटी	पर्ण (पत्ता) से बनी कुटी
बैलगाड़ी	बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी
रेलगाड़ी	रेल (पटरी) पर चलने वाली गाड़ी

(3) द्वंद्व समास

जिस समास में दोनों पद प्रधान हों, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दोनों पदों को मिलाने वाले समुच्चयबोधक अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे –

शब्द	विग्रह	विशेष कथन
माता – पिता	माता और पिता	समस्त पद में 'और' अव्यय का लोप हो गया है, परन्तु संयोजक चिह्न(-) प्रयुक्त हुआ है।
पति – पत्नी	पति और पत्नी	समस्त पद में 'और' अव्यय का लोप हो गया है, परन्तु संयोजक चिह्न(-) प्रयुक्त हुआ है।

अन्य उदाहरण

शब्द	विग्रह	शब्द	विग्रह
सीता – राम	सीता और राम	नर – नारी	नर और नारी
भीम – अर्जुन	भीम और अर्जुन	दाल – भात	दाल और भात
गंगा – यमुना	गंगा और यमुना	अन्न – जल	अन्न और जल
राजा – रानी	राजा और रानी	धूप – दीप	धूप और दीप
जल – थल	जल और थल	सुख – दुःख	सुख और दुःख
पाप – पुण्य	पाप और पुण्य	लोभ – मोह	लोभ और मोह
देश – विदेश	देश और विदेश	आचार – व्यवहार	आचार और व्यवहार
पूर्व पश्चिम	पूर्व और पश्चिम	रात – दिन	रात और दिन

(4) बहुव्रीहि समास

जिस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो और जिससे नवीन अर्थ प्रकट हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि द्वारा निर्मित समस्त

पद विशेषण का कार्य करता है। इस समास में विग्रह करने पर मुख्यत: वाला, वाली, जिसका, जिसके, जिसमें, जिससे आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे–

1. प्रधानमंत्री ने लाल किले पर **तिरंगा** फहराया।
2. **नीलकंठ** बादलों की गर्जन सुनकर नाचता है।

पहले वाक्य में प्रयुक्त 'तिरंगा' शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। यद्यपि 'तिरंगा' का अर्थ होता है 'तीन रंगों वाला' अर्थात् कोई भी वस्तु जिसमें तीन रंग हों, उसे तिरंगा कहेंगे। किन्तु उपर्युक्त वाक्य में 'तिरंगा' शब्द एक विशेष अर्थ अर्थात् भारत के 'राष्ट्रध्वज' का बोध करा रहा है। इस उदाहरण में 'ति' अर्थात् तीन और 'रंगा' दोनों पद गौण हैं तथा प्रधान पद है भारत का 'राष्ट्रध्वज'।

दूसरे वाक्य में 'नील कंठ' शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। यद्यपि 'नील कंठ' का अर्थ होता है–'नीले कंठ वाला' अर्थात् जिसका कंठ नीला हो उसे 'नीलकंठ' कहेंगे। नीलकंठ शब्द भगवान शिव के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। किन्तु इस वाक्य में 'नीलकंठ' शब्द मोर नामक एक पक्षी जो बादलों को देखकर नाचता है, के लिए प्रयुक्त हुआ है। अत: 'नीलकंठ' में 'नील' तथा 'कंठ' दोनों पद गौण हैं और प्रधान पद है 'मोर' अर्थात् नीला है कंठ जिसका।

अत: स्पष्ट हो जाता है कि बहुब्रीहि समास में प्रधान पद का ज्ञान संदर्भ से ही होता है। इसलिए समास का संदर्भ के अनुरूप विग्रह करके अर्थ ग्रहण करना चाहिए। बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं–

उदाहरण

समस्त पद	विग्रह	विशेष अर्थ	विशेष कथन
पीताम्बर	पीत है अम्बर जिसका	श्रीकृष्ण	यहाँ 'पीत' एवं 'अम्बर' दोनों पद गौण हैं तथा प्रधान पद है 'श्रीकृष्ण'।
अष्टाध्यायी	आठ अध्यायों वाला	पाणिनी का व्याकरण	यहाँ 'अष्ट' एवं 'अध्याय' दोनों पद गौण हैं तथा प्रधान पद है 'पाणिनी का व्याकरण।'
गजानन	गज के समान आनन (मुख) वाला	गणेश	यहाँ 'गज' एवं 'आनन' दोनों पद गौण हैं तथा प्रधान पद है 'गणेश'।

बारहसिंगा	बारह हैं सींग जिसके	हिरन विशेष	यहाँ 'बारह' तथा 'सींग' दोनों पद गौण हैं तथा प्रधान पद है 'हिरन विशेष'।
त्रिलोचन	तीन हैं नेत्र जिसके	शिव	यहाँ 'त्रि' एवं 'लोचन' दोनों पद गौण हैं तथा प्रधान पद है 'शिव'।

अन्य उदाहरण –

समस्त पद	विग्रह	नवीन अर्थ
उदाहरण	उदार है हृदय जिसका	व्यक्ति विशेष
दशानन	दश (दस) हैं आनन (मुख) जिसके	रावण
विषधर	विष को धारण करने वाला	सर्प
मेघनाद	मेघ के समान है नाद जिसका	रावण – पुत्र मेघनाद
गिरिधर	गिरि को धारण करने वाला	श्री कृष्ण
मृगनयनी	मृग जैसे नयन हैं जिसके	स्त्री विशेष
मृत्युंजय	मृत्यु को जीतने वाला	शिव
चक्रधर	चक्र को धारण करने वाला	विष्णु
कुसुमाकर	कुसुमों का खजाना है जो	वसंत
लम्बोदर	लम्बा है उदर (पेट) जिसका	गणेश
पंकज	पंक (कीचड़) में पैदा हो जो	कमल
पतझड़	झड़ते हैं पत्ते जिसमें	ऋतु विशेष
चक्रपाणि	चक्र है हाथ में जिसके	विष्णु
महात्मा	महान है आत्मा जिसकी	व्यक्ति विशेष

कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर – कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है व पूर्वपद तथा उत्तर पद में विशेषण – विशेष्य या उपमान – उपमेय संबंध होता है जबकि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है तथा समस्त पद किसी संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करता है। अतः संदर्भ या वाक्य न दिया गया हो तो समस्त पद का जिस तरह से विग्रह किया जाए, उसी के अनुरूप भेद बताना चाहिए। जैसे – कमल के समान नयन= कमलनयन, यह कर्मधारय का उदाहरण है, इसमें उपमान (कमल) उपमेय (नयन) का संबंध है। लेकिन बहुव्रीहि में ऐसा नहीं होता। समास बहुव्रीहि में 'कमल नयन' का विग्रह इस

तरह होगा– कमल के समान नयनों वाला अर्थात् विष्णु। यहाँ 'कमल' और 'नयन' शब्द गौण हैं तथा प्रधान पद है 'विष्णु'। नीचे दिए गए कुछ उदाहरणों से कर्मधारय और बहुब्रीहि समासों में अंतर और भी स्पष्ट हो जाएगा–

अन्य उदाहरण–

शब्द	कर्मधारय का विग्रह	बहुब्रीहि का विग्रह
लम्बोदर	लम्बा है जो उदर	लम्बा है उदर जिसका अर्थात् गणेश
पीताम्बर	पीत है जो अम्बर	पीत है अम्बर जिसके अर्थात् कृष्ण
महादेव	महान देव	महान देवता है जो अर्थात् शिव

द्विगु और बहुब्रीहि समास में अन्तर– कुछ शब्द द्विगु तथा बहुब्रीहि दोनों समासों के हो सकते हैं। दोनों समासों में अंतर केवल इतना होता है कि द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा उत्तर पद उसका विशेष्य। किन्तु बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है तथा समस्त पद किसी संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करता है। जैसे–तीन फलों का समूह–त्रिफला, यह द्विगु समास का उदाहरण है, इसमें फल विशेष्य है तथा त्रि संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन बहुब्रीहि समास का विग्रह इस तरह होगा– (पूर्व पद) तीन हैं फल जिसमें अर्थात् औषधि विशेष। द्विगु और बहुब्रीहि समासों में अंतर स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं–

अन्य उदाहरण

शब्द	द्विगु का विग्रह	बहुब्रीहि का विग्रह
चतुर्भुज	चार भुजाओं का समूह	चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु
चतुर्मुख	चार मुखों का समूह	चार हैं मुख जिसके अर्थात् ब्रह्मा
त्रिनेत्र	तीन नेत्रों का समूह	तीन हैं नेत्र जिसके अर्थात् शिवजी
अष्टाध्यायी	आठ अध्यायों का समूह	आठ हैं अध्याय जिसके अर्थात् पाणिनी का व्याकरण
तिरंगा	तीन रंगों का समूह	तीन रंगों वाला अर्थात् भारत का राष्ट्रध्वज

शब्द विवेक–

भाषा में शब्द का अत्यधिक महत्त्व है। संसार के संपूर्ण व्यवहार शब्द-विवेक और उसके शुद्ध प्रयोग से होते हैं। भाषा-प्रयोग की कुशलता हेतु शब्द

भंडार अति आवश्यक है। शब्द प्रयोग में निपुणता प्राप्त करके उनके विभिन्न रूपों का ज्ञान अपेक्षित है।

यहाँ हम अनेक प्रकार के शब्दों का गहन अध्ययन करेंगे। जैसे–भाववाचक संज्ञा निर्माण, विशेषण निर्माण, क्रिया विशेषण निर्माण, लिंग-परिवर्तन, वचन-परिवर्तन, पर्यायवाची शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, विपरीत शब्द, अवधारणात्मक शब्द।

भाववाचक संज्ञा – निर्माण

हिन्दी में कुछ शब्द तो मूल रूप से भाववाचक संज्ञा ही होते हैं। जैसे – प्रेम, घृणा, सुख, दुःख, क्रोध, जवानी, जन्म, मृत्यु, दया, क्षमा, ईर्ष्या, भय, सत्य, आदि। परन्तु कुछ भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से किया जाता है। भाववाचक संज्ञा निर्माण के कोई विशेष नियम तो नहीं हैं किन्तु संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय शब्दों में ता, त्व, पन, ई, त्व, आहट, आई, आस, पा, आवट, आदि प्रत्यय लगाने से तथा कुछ अन्य परिवर्तनों से भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं।

जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा निर्माण

जातिवाचक संज्ञा शब्दों में इयत, ता, त्व, पन, आपा, ई, आदि प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। इनके कुछ उदाहरण नीचे दिए जो रहे हैं:

प्रत्यय	जातिवाचक	भाववाचक संज्ञा
इयत	आदमी	आदमियत
	इन्सान	इन्सानियत
ता	मानव	मानवता
	मित्र	मित्रता
	दास	दासता
	शिशु	शिशुता
	शत्रु	शत्रुता
	विद्वान	विद्वता
	पशु	पशुता
	प्रभु	प्रभुता
	कृपण	कृपणता
त्व	क्षत्रिय	क्षत्रियत्व
	नारी	नारीत्व

	बंधु	बंधुत्व
	व्यक्ति	व्यक्तित्व
	प्रभु	प्रभुत्व, प्रभुता
	स्त्री	स्त्रीत्व
पन	बच्चा	बचपन
	लड़का	लड़कपन
	बालक	बालकपन
ई	चोर	चोरी
	हिन्दुस्तान	हिन्दुस्तानी
	रेशम	रेशमी
	आसमान	आसमानी
	गुलाब	गुलाबी

विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा निर्माण

पन, कार, स्व तथा त्व प्रत्यय लगाकर भाववाचक शब्दों का निर्माण होता है। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं -

प्रत्यय	विशेषण	भाववाचक संज्ञा
पन	अपना	अपनापन
	पराया	परायापन
कार	अहं	अहंकार
स्व	सर्व	सर्वस्व
त्व	मम	ममत्व, ममता
	एक	एकत्व, एकता
	स्व	स्वत्व
	निज	निजत्व, निजता

विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा निर्माण

विशेषण शब्दों में मुख्य रूप से ता, ई, आई, आहट, इमा, आस आदि प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं। जैसे -

प्रत्यय	विशेषण	भाववाचक संज्ञा
ता	मूर्ख	मूर्खता
	मधुर	मधुरता
	धीर	धीरता, धैर्य
	चतुर	चतुरता, चातुर्य

	शुद्ध	शुद्धता
	न्यून	न्यूनता
	सज्जन	सज्जनता
	मलिन	मलिनता
	गंभीर	गंभीरता
	दीन	दीनता
	क्रूर	क्रूरता
	शूर	शूरता, शौर्य
	उष्ण	उष्णता
	कृतज्ञ	कृतज्ञता
	स्वतंत्र	स्वतंत्रता
ई	तेज़	तेज़ी
	गर्म	गर्मी
	सफ़ेद	सफ़ेदी
आहट	चिकना	चिकनाहट
	कड़वा	कड़वाहट
इमा	लाल	लालिमा
	काला	कालिमा
	महा	महिमा
	अरुण	अरुणिमा
आई	अच्छा	अच्छाई
	गहरा	गहराई
	ऊँचा	ऊँचाई
	भला	भलाई
आस	मीठा	मिठास
	खट्टा	खट्टास

क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा निर्माण

(i) क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाते समय कुछ क्रिया शब्दों के अंत में लगे 'ना' को हटाकर आई, आव, आव, आवट, आहट प्रत्यय लगते हैं। जैसे-

प्रत्यय	क्रिया	भाववाचक
आई	लिखना	लिखाई, लिखावट

	कमाना	कमाई
	पढ़ना	पढ़ाई
	पिटना	पिटाई
	बुनना	बुनाई
	घिसना	घिसाई,
	लड़ना	लड़ाई
	चढ़ना	चढ़ाई
आव	लगना	लगाव
	तनना	तनाव
	बहना	बहाव
	बचना	बचाव
	चुनना	चुनाव
आवा	बुलाना	बुलावा
आवट	कसना	कसावट
	थकना	थकावट
आहट	घबराना	घबराहट
	मुस्कराना	मुस्कराहट
	गिरना	गिरावट
	मिलाना	मिलावट

(ii) कुछ क्रिया शब्दों के अंत में लगे स्वर (आ) को हटा देने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे–

क्रिया	भाववाचक संज्ञा	क्रिया	भाववाचक संज्ञा
जलना	जलन	पालना	पालन
मिलना	मिलन	उलझना	उलझन,

(iii) कुछ क्रिया शब्दों के अंत में लगे 'ना' को हटा देने से ही भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे–

क्रिया	भाववाचक संज्ञा	क्रिया	भाववाचक संज्ञा
खेलना	खेल	काटना	काट
भूलना	भूल	खोजना	खोज
माँगना	माँग	नापना	नाप

ढूँढ़ना	ढूँढ़	दौड़ना	दौड़
चूकना	चूक	मारना	मार

अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा निर्माण

प्रत्यय	अव्यय	भाववाचक संज्ञा
ई	दूर	दूरी
	ऊपर	ऊपरी
ता	निकट	निकटता
कार	धिक्	धिक्कार

विशेषण – निर्माण

हिंदी में कुछ शब्द तो मूल रूप से विशेषण ही होते हैं। जैसे – अच्छा, बुरा, निपुण, लाल, पीला, वीर, विद्वान, मज़बूत, पुराना, नया, कोमल, कठोर आदि। परन्तु कुछ विशेषणों का निर्माण निम्नलिखित शब्दों में अक, इक, ईय, उक, ई आदि प्रत्यय लगाकर और आवश्यक परिवर्तन करके किया जाता हैं।

(क) संज्ञा (ख) सर्वनाम (ग) क्रिया (घ) अव्यय

(क) संज्ञा शब्दों से विशेषण – निर्माण

(1) 'अक' प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण

संज्ञा	विशेषण	संज्ञा	विशेषण
उपकार	उपकारक	उपदेश	उपदेशक
नाम	नामक	पोषण	पोषक
पालन	पालक	लेख	लेखक
शासन	शासक	शोषण	शोषक

विशेष – 1. कुछ शब्दों के अन्त में यदि 'आ' स्वर हो तो 'अक' प्रत्यय लगने पर 'आ' का लोप हो जाता है। जैसे – गणना – गणक, निन्दा – निन्दक 2. कुछ शब्दों में 'अक' प्रत्यय लगने पर पहले स्वर में वृद्धि अर्थात् आदि स्वर वृद्धि हो जाती है। जैसे – अवश्य – आवश्यक, अस्त्र – आस्त्रक।

'इक' प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण

(क)	(ख)
(1) इस कविता में **कल्पना** की प्रधानता है।	यह कविता **काल्पनिक** है।

(2) आज मेरा जन्म **दिन** है। — गुरु जी की शिक्षाओं को **दैनिक** जीवन में धारण करो।

(3) मैंने **भूगोल** विषय पढ़ा है। — इसका **भौगोलिक** दृष्टि से अध्ययन करो।

उपर्युक्त 'क' भाग में रेखांकित शब्द संज्ञा है तथा 'ख' भाग में रेखांकित शब्द विशेषण हैं। कल्पना, दिन और भूगोल संज्ञा शब्दों में 'इक' प्रत्यय लगने पर पहले स्वर की वृद्धि हो जाती है। जैसे–

(1) कल्पना – काल्पनिक (आदि स्वर 'अ' को 'आ' अर्थात् 'क' के स्थान पर 'का' हो गया है)

(2) दिन – दैनिक (आदि स्वर 'इ' को 'ऐ' अर्थात् 'दि' के स्थान पर 'दै' हो गया है)

(3) भूगोल – भौगोलिक (आदि स्वर 'ऊ' को 'औ' अर्थात् 'भू' के स्थान पर 'भौ' हो गया है)

अत: 'इक' प्रत्यय लगने पर शब्द में प्रयुक्त पहले स्वर की वृद्धि अर्थात् 'अ' को 'आ', 'इ','ई', 'ए' को 'ऐ' तथा 'उ', 'ऊ', 'ओ' को 'औ' हो जाता है। मुख्यत: संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही 'इक' प्रत्यय प्रयुक्त होता है। जैसे–

'इक' प्रत्यय लगने पर आदि स्वर 'अ' का 'आ'

संज्ञा	विशेषण	संज्ञा	विशेषण
अंग	आंगिक	अंचल	आंचलिक
अर्थ	आर्थिक	अणु	आणविक
अपेक्षा	आपेक्षिक	अधिकार	आधिकारिक
अनुवंश	आनुवंशिक	कल्पना	काल्पनिक
चरित्र	चारित्रिक	तर्क	तार्किक
धर्म	धार्मिक	नगर	नागरिक
परिवार	पारिवारिक	प्रसंग	प्रासंगिक
यंत्र	यांत्रिक	लक्ष	लाक्षिक
वर्ष	वार्षिक	संकेत	सांकेतिक
समाज	सामाजिक	अंश	आंशिक
अंतर	आंतरिक	अलंकार	आलंकारिक
अस्ति	आस्तिक	अधुना	आधुनिक

अनुपात	आनुपानिक	अनुमान	आनुमानिक
करुण	कारुणिक	तत्त्व	तात्त्विक
दर्शन	दार्शनिक	पक्ष	पाक्षिक
प्रमाण	प्रामाणिक	प्रकृति	प्राकृतिक
मर्म	मार्मिक	यज्ञ	याज्ञिक
लक्षण	लाक्षणिक	संसार	सांसारिक
संस्कृत	सांस्कृतिक	सम्प्रदाय	साम्प्रदायिक

'इक' प्रत्यय लगने पर आदि स्वर 'इ', 'ई', 'ए' को 'ऐ'

संज्ञा	विशेषण	संज्ञा	विशेषण
इच्छा	ऐच्छिक	दिन	दैनिक
निसर्ग	नैसर्गिक	निर्वाह	नैर्वाहिक
नीति	नैतिक	विशेष	वैशेषिक
विज्ञान	वैज्ञानिक	शिक्षण	शैक्षणिक
सिद्धांत	सैद्धांतिक	देव, दैव	दैविक
वेतन	वैतनिक	इतिहास	ऐतिहासिक
निवास	नैवासिक	निदान	नैदानिक
नियम	नैयमिक	विचार	वैचारिक
विधान	वैधानिक	विवाह	वैवाहिक
शिक्षा	शैक्षिक	देह	दैहिक
वेद	वैदिक	सेना	सैनिक

इक प्रत्यय लगने पर आदि स्वर उ, ऊ, ओ को औ

संज्ञा	विशेषण	संज्ञा	विशेषण
उत्पात	औत्पातिक	उदर	औदरिक
उपचार	औपचारिक	उपदेश	औपदेशिक
कुटुम्ब	कौटुम्बिक	बुद्धि	बौद्धिक
उत्सर्ग	औत्सर्गिक	उद्योग	औद्योगिक
पुष्टि	पौष्टिक	लोक	लौकिक
मुख	मौखिक	मूल	मौलिक
योग	यौगिक	भूगोल	भौगोलिक

विशेष (1) कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका पहला अक्षर दीर्घ ही होता है। उनमें भी

इक प्रत्यय लगता है। जैसे- आत्मा- आत्मिक, व्यापार-व्यापारिक, राजनीति-राजनीतिक, साहित्य-साहित्यिक, भाषा- भाषिक, काल-कालिक।

(2) **अपवाद** – कुछ शब्दों में 'इक' प्रत्यय होने पर पहले स्वर को आदि वृद्धि नहीं होती। जैसे-वर्ण-वर्णिक, क्रम-क्रमिक, श्रम-श्रमिक आदि।

'इत' प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण

संज्ञा	विशेषण	संज्ञा	विशेषण
अंक	अंकित	अपमान	अपमानित
आधार	आधारित	खंड	खंडित
तरंग	तरंगित	पल्लव	पल्लवित
पुलक	पुलकित	मुखर	मुखरित
सुरभि	सुरभित	अंकुर	अंकुरित
अवलंब	अवलंबित	कुसुम	कुसुमित
चित्र	चित्रित	ध्वनि	ध्वनित
पुष्प	पुष्पित	प्रस्ताव	प्रस्तावित
मोह	मोहित	सम्मान	सम्मानित

विशेष – (1) कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में 'आ' स्वर लगा होता है, वहाँ 'इत' प्रत्यय लगने पर अंतिम 'आ' स्वर का लोप हो जाता है। जैसे-

संज्ञा	विशेषण	संज्ञा	विशेषण
अपेक्षा	अपेक्षित	क्षुधा	क्षुधित
चिन्ता	चिन्तित	पीड़ा	पीड़ित
घृणा	घृणित	उपेक्षा	उपेक्षित
मूर्च्छा	मूर्च्छित	पिपासा	पिपासित

(2) कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में 'य' वर्ण होता है वहाँ 'इत' प्रत्यय लगने पर 'य' का लोप हो जाता है। जैसे-

संज्ञा	विशेषण	संज्ञा	विशेषण
पराजय	पराजित	संचय	संचित
विजय	विजित		

'ईय' प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण

संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही मुख्यतः 'ईय' प्रत्यय लगता है। जैसे-

संज्ञा	विशेषण	संज्ञा	विशेषण
आकाश	आकाशीय	उत्तर	उत्तरीय

जाति	जातीय	ईश्वर	ईश्वरीय
क्षेत्र	क्षेत्रीय	दर्शन	दर्शनीय
नाटक	नाटकीय	पुस्तक	पुस्तकीय
दानव	दानवीय	भारत	भारतीय
सम्पादक	सम्पादकीय	स्मरण	स्मरणीय
पर्वत	पर्वतीय	प्रान्त	प्रान्तीय
मानव	मानवीय	शास्त्र	शास्त्रीय
स्थान	स्थानीय	स्वर्ग	स्वर्गीय

विशेष – कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में 'आ' स्वर होता है, वहाँ 'ईय' प्रत्यय लगने पर अंतिम 'आ' का लोप हो जाता है। जैसे –

संज्ञा	विशेषण	संज्ञा	विशेषण
आत्मा	आत्मीय	प्रशंसा	प्रशंसनीय
पूजा	पूजनीय	वन्दना	वन्दनीय

'य' प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण

'य' प्रत्यय लगने पर संज्ञा शब्दों के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है तथा शेष बचे अंतिम वर्ण का हलन्त हो जाता है। जैसे –

संज्ञा	विशेषण	संज्ञा	विशेषण
अंत	अंत्य	कथा	कथ्य
कंठ	कंठ्य	क्षमा	क्षम्य
स्तुति	स्तुत्य	पाठ	पाठ्य
प्राची	प्राच्य	वन	वन्य
सखा	सख्य	सेवा	सेव्य
पूजा	पूज्य	मान	मान्य
वश	वश्य	सभा	सभ्य

'ई' प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण

संज्ञा	विशेषण	संज्ञा	विशेषण
अज्ञान	अज्ञानी	अनुभव	अनुभवी
उत्तर	उत्तरी	ऋण	ऋणी
क्रोध	क्रोधी	जंगल	जंगली
नाम	नामी	पराक्रम	पराक्रमी

पूर्व	पूर्वी	बल	बली
विरोध	विरोधी	अधिकार	अधिकारी
अन्याय	अन्यायी	उपयोग	उपयोगी
काम	कामी	ज्ञान	ज्ञानी
दुःख	दुःखी	पंथ	पंथी
पश्चिम	पश्चिमी	प्रेम	प्रेमी
विजय	विजयी	शहर	शहरी

'ईला' प्रत्यय से बनने वाले विशेषण

संज्ञा	विशेषण	संज्ञा	विशेषण
कंकर	कंकरीला	जहर	जहरीला
रंग	रंगीला	बर्फ	बर्फीला
खर्च	खर्चीला	चमक	चमकीला
जोश	जोशीला	पत्थर	पथरीला

'मान' प्रत्यय से बनने वाले विशेषण

संज्ञा	विशेषण	संज्ञा	विशेषण
बुद्धि	बुद्धिमान	श्री	श्रीमान
शक्ति	शक्तिमान	मति	मतिमान

'वान' प्रत्यय से बनने वाले विशेषण

संज्ञा	विशेषण	संज्ञा	विशेषण
गुण	गुणवान	नाश	नाशवान
धन	धनवान	रूप	रूपवान

'वी' प्रत्यय से बनने वाले विशेषण

संज्ञा	विशेषण	संज्ञा	विशेषण
ओजस्	ओजस्वी	तेजस्	तेजस्वी
तपस्	तपस्वी	मनस्	मनस्वी

'शाली' प्रत्यय से बनने वाले विशेषण

संज्ञा	विशेषण	संज्ञा	विशेषण
गौरव	गौरवशाली	बल	बलशाली
प्रतिभा	प्रतिभाशाली	भाग्य	भाग्यशाली

'आलु' प्रत्यय से बनने वाले विशेषण

संज्ञा	विशेषण	संज्ञा	विशेषण
ईर्ष्या	ईर्ष्यालु	दया	दयालु
कृपा	कृपालु	श्रद्धा	श्रद्धालु

'वती' प्रत्यय से बनने वाले विशेषण

संज्ञा	विशेषण	संज्ञा	विशेषण
गुण	गुणवती	रूप	रूपवती
पुत्र	पुत्रवती	श्री	श्रीमती

विशेष – इनका प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों में होता है।

'निष्ठ' प्रत्यय से बनने वाले विशेषण

संज्ञा	विशेषण	संज्ञा	विशेषण
कर्म	कर्मनिष्ठ	धर्म	धर्मनिष्ठ
कर्त्तव्य	कर्त्तव्य निष्ठ	सत्य	सत्यनिष्ठ

विशेष – इन संज्ञा शब्दों के साथ 'परायण' लगाने से भी विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। जैसे - कर्म परायण, कर्त्तव्य परायण, धर्म परायण, सत्यपरायण।

टिप्पणी – संज्ञा शब्दों के साथ 'सा' 'सी' का प्रयोग करने पर भी विशेषण शब्दों का निर्माण होता हैं जैसे - गाय-सा, राम-सा, वीर-सा, पशु-सा, मनुष्य-सा आदि। 'सा' शब्द 'जैसा' का ही संक्षिप्त रूप है।

(ख) सर्वनाम शब्दों से विशेषण निर्माण

सर्वनाम	विशेषण	सर्वनाम	विशेषण
आप	आप जैसा	यह	ऐसा
जो	जैसा	तुम	तुम सा
मैं	मेरा-मुझसा	वह	वैसा
तो	तैसा (उस जैसा)	कौन	कैसा

(ग) क्रिया शब्दों से विशेषण निर्माण

क्रिया	विशेषण	क्रिया	विशेषण
चलना	चलती, चालू	पढ़ना	पढ़ाकू
बढ़ना	बढ़ती	भूलना	भुलक्कड़
बनाना	बनावटी	देखना	दिखावटी
बेचना	बिकाऊ	भागना	भगोड़ा
लड़ना	लड़ाकू	उड़ना	उड़ाऊ

(घ) अव्यय शब्दों से विशेषण निर्माण

अव्यय	विशेषण	अव्यय	विशेषण
आगे	अगला	नीचे	निचला
भीतर	भीतरी	ऊपर	ऊपरी
पीछे	पिछला	बाहर	बाहरी

क्रिया – विशेषण निर्माण

कुछ शब्द तो मूल रूप से क्रिया विशेषण होते हैं। अर्थात् जो किसी अन्य शब्द अथवा प्रत्यय आदि के योग के बिना ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे – ऊपर, नीचे, ठीक, आज, कल, परसों, चाहे, पास, सदा, प्रायः, हमेशा आदि। परन्तु कुछ क्रियाविशेषण अन्य शब्दों, प्रत्ययों, समास आदि के द्वारा भी बनाए जाते हैं। जैसे –

(1) **संज्ञा शब्दों से** – कुछ संज्ञा शब्दों मे 'से', 'को' विभक्ति चिह्न तथा 'पूर्वक' अव्यय शब्द तथा 'तः' प्रत्यय लगाकर क्रिया विशेषण बनते हैं। जैसे – शाँति + से = शाँति से, मन + से = मन से, शाम + को = शाम को, महीनों + तक = महीनों तक, प्रेम + पूर्वक = प्रेम पूर्वक, ध्यान + पूर्वक = ध्यान पूर्वक, वस्तु + तः = वस्तुतः। वाक्यों में प्रयोग देखिए –

(i) वह **शाँति से** बैठा रहा।

(ii) उसने मेरा काम **मन से** किया।

(iii) वह **शाम को** जाएगा।

(iv) वह सबसे **प्रेम पूर्वक** मिला।

(v) यह किताब **वस्तुतः** उसने लिखी है।

उपर्युक्त वाक्यों में **'शाँति' से, 'शाम को', प्रेमपूर्वक', 'वस्तुतः'** क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं जो कि क्रमशः 'बैठा रहा', 'किया', 'जाएगा', 'मिला' तथा 'लिखी है' क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं।

(2) **सर्वनाम शब्दों से** – सर्वनाम शब्दों से 'ब', 'हाँ', 'धर' आदि प्रत्यय क्रियाविशेषण बनते हैं। जैसे – कब, जब, तब, कहाँ, वहाँ, यहाँ, जिधर, इधर, उधर, आदि। कुछ क्रियाविशेषणों के उदाहरण वाक्यों में देखिए –

(i) **जब** तुम पढ़ते हो, **तब** मैं सोता हूँ।

(ii) रमेश **यहाँ** आया था।

(iii) गोपाल उधर बैठा हुआ है।

उपर्युक्त वाक्यों में 'जब', 'तब', 'यहाँ' तथा 'उधर' शब्द क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं।

(3) **विशेषण शब्दों से** – कभी-कभी विशेषण शब्द भी क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे-

(i) वह **सुंदर** लिखती है। (ii) गीता **अच्छा** नाचती है।

उपर्युक्त वाक्यों में 'सुंदर' तथा 'अच्छा' शब्दों से क्रमशः 'लिखती है तथा 'नाचती है' क्रियाओं की विशेषता का पता चलता है, अतः यहाँ 'सुंदर' तथा 'अच्छा' क्रियाविशेषण हैं।

(4) **अव्ययीभाव समास से** – अव्ययीभाव समास से बने हुए शब्द क्रिया-विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। जैसे- प्रतिदिन, आजीवन, भरपेट, धीरे-धीरे, रातों-रात आदि। वाक्यों में प्रयोग देखिए-

(i) वह **प्रतिदिन** खेलता है।

(ii) उसने **आजीवन** परिश्रम किया।

(iii) उसने **भरपेट** खाया।

(iv) बालक **धीरे-धीरे** चलता है।

(v) रमेश **रातों-रात** आ पहुँचा।

उपर्युक्त वाक्यों में **'प्रतिदिन', 'भरपेट', 'धीरे-धीरे'** तथा **'रातों-रात'** शब्दों से क्रमशः 'खेलता है', 'परिश्रम किया', 'खाया', 'चलता है' तथा 'आ पहुँचा' क्रियाओं की विशेषता का पता चलता है। अतः ये क्रियाविशेषण हैं।

(5) **तात्कालिक** तथा **पूर्वकालिक कृदन्त** भी क्रिया विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे –

तात्कालिक कृदन्त – पड़ते ही, खेलते ही, सुनते ही आदि।

पूर्वकालिक कृदन्त – पढ़कर, खेलकर, खाकर आदि। इनका क्रियाविशेषण के रूप में वाक्यों में प्रयोग देखिए-

(i) डाँट **पड़ते ही** बालक रोने लगा।

(ii) कहानी **सुनते ही** बच्चा सो गया।

(iii) वह **पढ़कर** खेलने गया।

(iv) वह **खेलकर** खुश हो गया।

उपर्युक्त वाक्यों में **'पड़ते ही', 'सुनते ही', 'पढ़कर'** तथा **'खेलकर'** क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं।

(6) **शब्दों के दुहराने से** – भी क्रिया विशेषण बनते हैं। जैसे - जल्दी-जल्दी, साफ-साफ, सुबह-सुबह, दवार-दवार आदि। वाक्यों में प्रयोग देखिए।

(i) उसने **जल्दी-जल्दी** पाठ याद कर लिया।

(ii) वह बात **साफ-साफ** बोलता है।

(iii) मैं **सुबह – सुबह** व्यायाम करता हूँ ।

(iv) भिखारी ने **द्वार – द्वार** भीख माँगी।

उपर्युक्त वाक्यों में **'जल्दी – जल्दी'**, **'साफ – साफ'** तथा **'द्वार – द्वार'** क्रियाविशेषण हैं।

(7) **विभिन्न शब्दों के मेल से –** भी क्रिया-विशेषणों की रचना होती है। जैसे – दिन – रात, सुबह – शाम, कल – परसों आदि। वाक्यों में प्रयोग देखिए –

(i) उसने **दिन – रात** मेहनत की।

(ii) वह **सुबह – शाम** सैर करता है।

(iii) मैं **कल – परसों** चला जाऊँगा।

उपर्युक्त वाक्यों में **'दिन – रात'**, **'सुबह – शाम'** तथा **'कल – परसों'** शब्द क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं।

लिंग – परिवर्तन

हिंदी में लिंग के कारण दो स्तरों पर परिवर्तन होते हैं – शब्द के स्तर पर तथा वाक्य के स्तर पर ।

(क) शब्द के स्तर पर लिंग परिवर्तन – हिंदी में अधिकतर पुल्लिग शब्दों से ही स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है। इस दृष्टि से पुल्लिग शब्दों में प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। कई बार पुल्लिग के अंतिम स्वर को हटा कर उसमें प्रत्यय जोड़ दिया जाता है और स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। कई बार पुल्लिग शब्द के मूल रूप में ही कुछ परिवर्तन करके स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। पुल्लिग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के कुछ प्रमुख नियम नीचे दिए जा रहे हैं –

पुल्लिग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के प्रमुख नियम –

(1) कुछ अकारान्त व आकारान्त पुल्लिग शब्दों के अंत में लगे 'अ' या 'आ' को हटाकर 'ई' प्रत्यय लगा दिया जाता है। जैसे –

पुल्लिग	स्त्रीलिंग	पुल्लिग	स्त्रीलिंग
पुत्र	पुत्री	देव	देवी
दास	दासी	हरिण	हरिणी
गोप	गोपी	ब्राह्मण	ब्राह्मणी
कुमार	कुमारी	लड़का	लड़की
बेटा	बेटी	चाचा	चाची
दादा	दादी	नाना	नानी
रस्सा	रस्सी	साला	साली

(2) कुछ आकारान्त पुल्लिग शब्दों के अंतिम 'आ' के स्थान पर स्त्रीलिंग में 'इया' प्रत्यय लगा दिया जाता है। जैसे -

पुल्लिग	स्त्रीलिंग	पुल्लिग	स्त्रीलिंग
चूहा	चुहिया	कुत्ता	कुतिया
डिब्बा	डिबिया	बेटा	बिटिया
बूढ़ा	बुढ़िया	मुन्ना	मुनिया
बच्छा	बछिया	लोटा	लुटिया

विशेष – यहाँ दो बातें ध्यान में रखने योग्य हैं -

(i) यदि मूल शब्द में द्वित्व व्यंजन हो तो एक व्यंजन का लोप हो जाता है। जैसे - 'डिब्बा' में 'ब' को द्वित्व होने पर स्त्रीलिंग में एक 'ब्' का लोप हो गया।

(ii) यदि शब्द का पहला स्वर 'ऊ' हो तो उसे 'उ', यदि 'ए' हो तो उसे 'इ' तथा यदि 'ओ' हो तो उसे 'उ' हो जाता है। जैसे - क्रमशः चूहा - चुहिया, बेटा - बिटिया, लोटा - लुटिया।

(3) पुल्लिग शब्दों के अंतिम 'अ' को 'आ' करके स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है। जैसे -

पुल्लिग	स्त्रीलिंग	पुल्लिग	स्त्रीलिंग
शिष्य	शिष्या	बाल	बाला
सुत	सुता	छात्र	छात्रा
भवदीय	भवदीया	प्रिय	प्रिया
शूद्र	शूद्रा	वृद्ध	वृद्धा
प्रियतम	प्रियतमा	अध्यक्ष	अध्यक्षा

(4) कुछ संज्ञा शब्दों और उपजातिवाचक शब्दों के अंतिम स्वर अर्थात् अ, आ, ई, ऊ, ए के स्थान पर 'आइन' प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनता है। जैसे -

पुल्लिग	स्त्रीलिंग	पुल्लिग	स्त्रीलिंग
पंडित	पंडिताइन	ओझा	ओझाइन
चौधरी	चौधराइन	ठाकुर	ठकुराइन
गुरु	गुरुआइन	लाला	ललाइन
पंडा	पंडाइन	बनिया	बनियाइन
हलवाई	हलवाइन	बाबू	बबुआइन

विशेष – यदि शब्द का पहला स्वर स्वर 'आ' हो तो उसे 'अ', यदि 'ऊ' हो तो उसे 'उ' हो जाता है। जैसे - क्रमशः ठाकुर - ठकुराइन।

अपवाद – नाई - नाइन (यहाँ शब्द के पहले स्वर 'आ' में कोई परिवर्तन नहीं हुआ)।

(5) कुछ संज्ञा शब्दों के अंतिम स्वर के स्थान पर स्त्रीलिंग में 'आनी' लगा दिया जाता है। जैसे -

पुल्लिग	स्त्रीलिंग	पुल्लिग	स्त्रीलिंग
सेठ	सेठानी	नौकर	नौकरानी
भव	भवानी	जेठ	जेठानी
पठान	पठानी	मेहतर	मेहतरानी

(6) कुछ अकारान्त संज्ञा शब्दों के अंत में 'नी' प्रत्यय बिना किसी परिवर्तन के लगाकर स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे -

पुल्लिग	स्त्रीलिंग	पुल्लिग	स्त्रीलिंग
शेर	शेरनी	मोर	मोरनी
चोर	चोरनी	राजपूत	राजपूतनी
जाट	जाटनी	बटेर	बटेरनी
सिंह	सिंहनी	ऊँट	ऊँटनी
भील	भीलनी	रीछ	रीछनी

(7) कुछ ईकारान्त (पुल्लिग) संज्ञा शब्दों के अंतिम स्वर 'ई' के स्थान पर 'इनी' प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे -

पुल्लिग	स्त्रीलिंग	पुल्लिग	स्त्रीलिंग
स्वामी	स्वामिनी	अभिमानी	अभिमानिनी
यशस्वी	यशस्विनी	तपस्वी	तपस्विनी
मनस्वी	मनस्विनी	एकाकी	एकाकिनी

(8) 'अक' अंत वाले पुल्लिंग शब्दों को 'इका' करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे -

पुल्लिग	स्त्रीलिंग	पुल्लिग	स्त्रीलिंग
बालक	बालिका	अध्यापक	अध्यापिका
सेवक	सेविका	गायक	गायिका
दर्शक	दर्शिका	पाठक	पाठिका
लेखक	लेखिका	नायक	नायिका
निर्देशक	निर्देशिका	परिचायक	परिचायिका

(9) व्यवसाय बोधक तथा कुछ अन्य संज्ञा शब्दों के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है तथा उसके स्थान पर 'इन' प्रत्यय लगा दिया जाता है और स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे –

पुल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुल्लिंग	स्त्रीलिंग
लुहार	लुहारिन	कहार	कहारिन
सुनार	सुनारिन	जुलाहा	जुलाहिन
धोबी	धोबिन	नाग	नागिन
नाई	नाइन	माली	मालिन
भंगी	भंगिन	तेली	तेलिन
ग्वाला	ग्वालिन	पापी	पापिन
बाघ	बाघिन	साँप	साँपिन

(10) 'आन' अंत वाले कुछ पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में 'अती' लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे –

पुल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुल्लिंग	स्त्रीलिंग
श्रीमान	श्रीमती	शक्तिमान	शक्तिमती
भगवान	भगवती	ज्ञानवान	ज्ञानवती
महान	महती	आयुष्मान	आयुष्मती
पुत्रवान	पुत्रवती	बलवान	बलवती

(11) कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में 'ता' को 'त्री' करने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे –

पुल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुल्लिंग	स्त्रीलिंग
कर्त्ता	कर्त्री	धाता	धात्री
वक्ता	वक्त्री	दाता	दात्री
नेता	नेत्री	अभिनेता	अभिनेत्री

(12) भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द – कुछ संज्ञा शब्दों के स्त्रीलिंग शब्दों में बिल्कुल भिन्न रूप होते हैं। जैसे –

पुल्लिंग	स्त्रीलिंग	पुल्लिंग	स्त्रीलिंग
भाई	बहन	पुरुष	स्त्री
राजा	रानी	ससुर	सास
नर	नारी	साला	साली
विद्वान	विदुषी	साधु	साध्वी
विधुर	विधवा	माता	पिता

पति	पत्नी	वर	वधु
युवक	युवती	मर्द	औरत
क्षत्रिय	क्षत्राणी	वीर	वीरांगना
सम्राट	साम्राज्ञी	कवि	कवयित्री

(ख) वाक्य के स्तर पर लिंग परिवर्तन – ऊपर शब्द के स्तर पर लिंग परिवर्तन पर विचार किया गया है। अब यहाँ वाक्य के स्तर पर लिंग परिवर्तन पर प्रकाश डाला जा रहा है। वाक्य स्तर के परिवर्तन में लिंग का प्रभाव विशेषण, क्रियाविशेषण, संबंध कारक के प्रयोगों एवं क्रिया पदों पर पड़ता है। जैसे –

(i) मोहन द्वारा ठंडा दूध पिया जाता है।

(ii) मोहन द्वारा ठंडी कॉफी पी जाती है।

(iii) उसका भाई रोता-रोता सो गया।

(iv) उसकी बहन पढ़ती-पढ़ती सो गयी।

उपर्युक्त वाक्यों में संबंधकारकीय प्रयोगों (उसका, उसकी), विशेषणों (ठंडा, ठंडी), क्रियाविशेषणों (रोता-रोती, पढ़ती-पढ़ती) और क्रिया पदों (सो गया, सो गयी, पिया जाता है, पी जाती है) में जो परिवर्तन हुआ है, उसका कारण संज्ञा का लिंग ही है।

वचन परिवर्तन

वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों के साथ कभी-कभी विभक्ति चिह्नों (ने, को, से, के लिए, में, पर आदि) का प्रयोग किया जाता है। किन्तु कई बार इन विभक्ति चिह्नों का प्रयोग नहीं होता। इसी आधार पर एकवचन से बहुवचन बनाने के दो ढंग हैं – विभक्ति चिह्न रहित शब्दों के बहुवचन तथा विभक्ति चिह्न सहित शब्दों के बहुवचन

(1) विभक्ति चिह्न रहित शब्दों के बहुवचन – इसके कुछ नियम इस तरह हैं –

(i) अकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में 'अ' को 'एँ' हो जाता है। जैसे –

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
पुस्तक	पुस्तकें	गाय	गायें
बहन	बहनें	मशीन	मशीनें
आँख	आँखें	लहर	लहरें
चादर	चादरें	रात	रातें

भैंस	भैंसें	बात	बातें
सड़क	सड़कें	चौखट	चौखटें
कमीज़	कमीज़ें	तस्वीर	तस्वीरें

विशेष –

(ii) आकारान्त उकारान्त, ऊकारान्त और औकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के क्रमशः 'आ', 'उ', 'ऊ' तथा 'औ' के अन्त में 'एँ' जुड़ जाता है। जैसे –

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
लता	लताएँ	कन्या	कन्याएँ
अध्यापिका	अध्यापिकाएँ	कला	कलाएँ
वार्त्ता	वार्त्ताएँ	गाथा	गाथाएँ
ऋतु	ऋतुएँ	धातु	धातुएँ
बहू	बहुएँ	लू	लूएँ
माता	माताएँ	महिला	महिलाएँ
पत्रिका	पत्रिकाएँ	शाखा	शाखाएँ
प्रथा	प्रथाएँ	कविता	कविताएँ
धेनु	धेनुएँ	वस्तु	वस्तुएँ
वधु	वधुएँ	गौ	गौएँ

विशेष – यदि एकवचन में किसी शब्द का अंतिम स्वर 'ऊ' होता है तो 'एँ' लगाकर बहुवचन बनाते समय 'दीर्घ' स्वर 'ऊ' को ह्रस्व 'उ' में बदल दिया जाता है। जैसे – बहू – बहुएँ आदि।

(iii) आकारान्त पुल्लिंग शब्दों में अंतिम 'आ' को 'ए' कर दिया जाता है। जैसे –

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
बेटा	बेटे	भाला	भाले
गधा	गधे	रुपया	रुपये
लड़का	लड़के	चीता	चीते
कुत्ता	कुत्ते	छाता	छाते
कपड़ा	कपड़े	पंखा	पंखे
संतरा	संतरे	रास्ता	रास्ते

अपवाद (क) संस्कृत की कुछ आकारान्त संज्ञाएँ एकवचन तथा बहुवचन में एक सी रहती हैं। जैसे – पिता, नेता, भ्राता, योद्धा, कर्त्ता आदि।

(ख) आकारान्त संबंधसूचक शब्द जैसे–चाचा,मामा, नाना, दादा आदि के रूप बहुवचन में परिवर्तित नहीं होते अर्थात् इनके दोनों वचन एक जैसे ही रहते हैं।

(iv) इकारान्त या ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में 'याँ' लगा दिया जाता है। जैसे–

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
गति	गतियाँ	बोली	बोलियाँ
टोपी	टोपियाँ	रश्मि	रश्मियाँ
नदी	नदियाँ	राशि	राशियाँ
नारी	नारियाँ	लड़की	लड़कियाँ
निधि	निधियाँ	समिति	समितियाँ
नीति	नीतियाँ	सखी	सखियाँ

विशेष– ईकारान्त शब्दों में अंतिम दीर्घ 'ई' को बहुवचन बनाते समय ह्रस्व 'इ' में बदल दिया जाता है। जैसे– नदी– नदियाँ, नारी– नारियाँ, आदि।

(v) 'इया' अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम 'या' के स्थान पर 'याँ' कर दिया जाता है। जैसे–

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
गुड़िया	गुड़ियाँ	चिड़िया	चिड़ियाँ
बिटिया	बिटियाँ	लुटिया	लुटियाँ
चुहिया	चुहियाँ	डिबिया	डिबियाँ
बिंदिया	बिंदियाँ		

(2) विभक्ति चिह्नों सहित शब्दों के बहुवचन– विभक्ति चिह्नों के प्रयोग के समय बहुवचन के प्रत्यय ओं, यों, ओ तथा यो जुड़ते हैं। जैसे–

(क) विभक्ति चिह्न रहित रूपों में जिन अकारान्त, आकारान्त, उकारान्त, ऊकारान्त शब्दों में बहुवचन बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता, उनके विभक्ति चिह्न सहित रूप में अंतिम 'अ', 'आ','उ' तथा 'ऊ' के बाद 'ओं' जुड़ जाता है। जैसे–

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
फल	फलों की	बालक	बालकों ने
नेता	नेताओं की	डाकू	डाकुओं ने
घर	घरों से	तलवार	तलवारों से

इनका वाक्यों में प्रयोग देखिए -

(i) मेरे मामा जी **फलों की** टोकरी लाये।
(ii) लोग हर बार **नेताओं की** बातों में आ जाते हैं।
(iii) लोग **घरों से** बाहर निकल आए।
(iv) **साधुओं को** खाना खिलाओ।
(v) **बालकों ने** खाना खा लिया है।
(vi) उस गाँव में **डाकुओं ने** हमला कर दिया।
(vii) सिपाही **तलवारों से** लड़े।
(viii) मैंने रात **उल्लुओं को** देखा।

विशेष – विभक्ति सहित बहुवचन बनाते समय भी अंतिम दीर्घ 'ऊ' को ह्रस्व 'उ' में बदल दिया जाता है। जैसे – डाकु - डाकुओं को, बहू - बहुओं ने आदि।

(ख) इकारान्त शब्दों के विभक्ति सहित बहुवचन बनाते समय 'यों' जोड़ा जाता है। जैसे -

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
व्यक्ति	व्यक्तियों को	कवि	कवियों को
हाथी	हाथियों को	मुनि	मुनियों ने

इनका वाक्यों में प्रयोग देखिए -

(i) सभी **व्यक्तियों को** बुला लो।
(ii) **हाथियों को** पानी पिलाओ।
(iii) **कवियों को** इनाम बाँटे गये।
(iv) **मुनियों ने** पूजा - अर्जना की।

विशेष – विभक्ति सहित बहुवचन बनाते समय भी अंतिम दीर्घ 'ई' को ह्रस्व 'इ' में बदल दिया जाता है। जैसे -

हाथी - हाथियों को, मोती - मोतियों की आदि।

(ग) 'अ' और 'आ' अंत वाले शब्दों के अंतिम स्वर को केवल सबोधन में 'ओ' हो जाता है। जैसे -

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
बालक	बालको	अध्यापक	अध्यापको
लड़का	लड़को	छात्र	छात्रो
माता	माताओ	बच्चा	बच्चो

वाक्यों में प्रयोग देखिए –

(i) हे बालको! मेरी बात ध्यान से सुनो।

(ii) हे छात्रो! मन लगाकर पढ़ो।

(iii) हे अध्यापको। बच्चों के अच्छे भविष्य का निर्माण करो।

(iv) हे माताओ! तुम धन्य हो ।

(v) अरे लड़को! शोर मत करो।

(vi) अरे बच्चो! ज़रा इधर आओ।

(घ) 'इ' और 'ई' अंत वाले शब्दों के अंतिम स्वर को 'यो' हो जाता है। दीर्घ 'ई' ह्रस्व 'इ' में बदल जाती है। जैसे –

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
भाई	भाइयो	सिपाही	सिपाहियो
लड़की	लड़कियो	तपस्वी	तपस्वियो

वाक्यों में प्रयोग देखिए –

(i) अरे भाइयो! मिल जुल कर रहो।

(ii) अरे लड़कियो! यहाँ मत बैठो।

(iii) सिपाहियो! दुश्मन के छक्के छुड़ा दो।

(iv) तपस्वियो! तप करो।

विशेष – अनेक ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका विभक्ति चिह्नों के रहित भी बहुवचन बनता है और विभक्ति चिह्नों के सहित भी। जैसे –

शब्द एकवचन	विभक्ति चिह्न रहित बहुवचन	विभक्ति चिह्न सहित बहुवचन
घोड़ा	घोड़े	घोड़ों को, का, में आदि।
माता	माताएँ	माताओं की, से, का आदि।
बहू	बहुएँ	बहुओं का, की, से आदि।
बच्चा	बच्चे	बच्चों ने, से, के लिए आदि।
चमड़ा	चमड़े	चमड़ों की, से, को आदि।
जाति	जातियाँ	जातियों का, की, में आदि।
मछली	मछलियाँ	मछलियों को, से, का आदि।

पर्यायवाची या समानार्थी शब्द

समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इनके निम्नलिखित उदाहरण हैं –

अग्नि	आग, अनल, पावक, दाहक, ज्वाला, हुताशन
अतिथि	मेहमान, अभ्यागत, पाहुना, आगंतुक
अध्यापक	गुरु, आचार्य, उपाध्याय, शिक्षक
अनार	दाड़िम, शुकप्रिय, बिहीदाना
अनुपम	अतुल, अतुल्य, अतुलनीय, अनोखा, अद्‌भुत, निराला
अभिमान	अहंकार, दर्प, गर्व, घमण्ड, मद, गुमान
अमृत	सुधा, सुधा रस, अमिय, अमी, सोम
असुर	दनुज, दानव, दैत्य, निशाचर, रजनीचर
आँख	लोचन, विलोचन, नेत्र, चक्षु, नयन
आकाश	गगन, आसमान, अंबर, नभ, शून्य, अक्षर, अनंत
आभूषण	अलंकार, आभरण, गहना, भूषण, विभूषण
आनन्द	आमोद, प्रमोद, मौज, रस, हर्ष, प्रसन्नता, सुख
आम	अंब, आँब, आम्र, रसाल
आशा	उम्मीद, आस, आसरा
इच्छा	चाह, चाहत, जी, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, लालसा
ईश्वर	परमात्मा, प्रभु, जगदीश, ईश, परमेश्वर, भगवान
उद्यान	बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका, गुलशन, गुलसिताँ
उत्तम	श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, बढ़िया
उन्नति	विकास, प्रगति, उत्थान, उत्कर्ष, तरक्की
उदार	नेक, भला, रहमदिल, दिलवाला, सरल
उपकार	भला, सहायता, नेकी, एहसान, कल्याण
कन्या	पुत्री, बेटी, सुता, आत्मजा
कपड़ा	अंबर, वस्त्र, वसन, पट, चीर
कमल	जलज, नीरज, वारिज, सरोज, राजीव, पंकज, अंबुज
कान	कर्ण, श्रवण, श्रुति, श्रोत्र
किनारा	सिरा, तट, तीर, नोक, कूल, कगार, मुँह
किरण	कर, रश्मि, अंशु, मरीचि, मयूख

कोयल	पिक, पिकी, कोकिल, श्यामा, वसन्तदूत
कृष्ण	नंदकुमार, नंदलाल, नंदनंदन, गोपीनाथ, गोपाल, गोविंदा, देवकी नंदन, गिरिधारी
गणेश	गजदंत, गजमुख, गजवदन, गजानन, एकदंत, लम्बोदर
गंगा	गंग, सुरसरि, सुरसरिता, सुरनदी, देव, सरिता, जाह्नवी, भागीरथी
गाय	गो, गो माता, गैया, गऊ, धेनु
घर	आलय, निलय, निकेत, निकेतन, धाम, आवास, गेह
घोड़ा	अश्व, तुरग, तुरंग, घोट, घोटक, हय
चंद्रमा	चंद, चंदक, चन्द्र, चाँद, शशि, इंदु, सोम, सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु, राकेश, मयंक
चमक	आभा, विभा, प्रभा, चार्वी, कांति, दीप्ति, इंदिरा
चतुर	होशियार, लायक, सयाना, कुशल, योग्य, निपुण
चाँदनी	चार्वी, चंद्रप्रभा, चंद्रकांति, शशिप्रभा, कौमुदी, चंद्रिमा
छल	धोखा, कपट, दग़ा, फ़रेब, कैतव
जंगल	वन, कानन, विपिन, अरण्य।
जल	पानी, अंबु, नीर, वारि, सलिल, तोय, पय
झण्डा	पताका, ध्वज, ध्वजा, परचम, वैजयंती
तल	तला, पेंदा, सतह, मंज़िल
तलवार	चंद्रभास, चंद्रहास, असि, खड्ग, शमशेर, शमशीर, करवार, करवाल, करवीर
तालाब	सर, सरोवर, तटाक, तड़ाग, ताल, जलाशय, सलिलाशय
थोड़ा	किंचित, ज़रा, तनिक, अल्प, कम
दंत	दाँत, रद, रदन, दंदान, दशन
दर्पण	शीशा, आईना, आरसी, मुकुर
दिन	दिवस, वासर, वार, रोज़
दीपक	दीप, दीया, प्रदीप, चिराग़
दुःख	कष्ट, शोक, व्यथा, वेदना, पीड़ा, विषाद, क्षोभ
दुष्ट	दुर्जन, कुटिल, अधम, नीच, खल, असाधु
दूध	दुग्ध, क्षीर, पय, पेय, अवदोह
देवता	देव, सुर, अमर, अजर, निर्जर, विबुध

धन	दौलत, मुद्रा, द्रव्य, वित्त, विभूति, वसु
धनुष	धनु, धनुआ, धन्व, धन्वा, कमान, शरासन, कमठा
नदी	नद, सरित, सरिता, तटी, तटिनी, तरंगिणी
नरक	यमपुर, यमलोक, दोज़ख़, जहन्नुम
नवीन	नव, नवल, नया, नूतन, अभिनव
निपुण	चतुर, निष्णात, प्रवीण, पारंगत, कुशल, दक्ष
नौका	नाव, नैया, तरी, तरणी, तरित्री
नौकर	सेवक, दास, अनुचर, भृत्य, परिचारक
पक्षी	खग, विहग, विहंगम, पंखी, पंछी, पतंग, परिंदा
पहाड़	पर्वत, नग, भूधर, भूमिधर, धरणीधर
पति	कंत, कांत, भर्ता, प्राणनाथ, सिरताज
पत्नी	कांता, धर्मपत्नी, भार्या, दारा, अर्धांगिनी, वामा, वामांगी
पत्थर	पाहन, प्रस्तर, पाषाण, उपल, अश्म
पवन	मरुत, मारुत, वात, हवा, वायु, समीर, समीरण, अनिल
पवित्र	पावन, पूत, पुनीत, शुद्ध, साफ, शुचि।
पार्वती	शिवा, शिव कांता, शिवानी, शंकरा, शैलजा, अंबा, पर्वतजा, हिमालयजा, उमा, ईशा, दुर्गा
पुत्र	तनय, तनुज, बेटा, सुत, जात, आत्मज
पुत्री	तनया, तनुजा, बेटी, सुता, जाता, आत्मजा
पुरुष	मनुज, मर्द, नर, मनु, मानव, मानुष
पृथ्वी	भू, भूम, भूमि, मही, धरती, वसुधा, वसुंधरा, धरा, अचला, क्षोणी
प्रकाश	आलोक, उजाला, प्रभा, रोशनी, दीप्ति
प्रेम	अनुराग, प्रणय, प्रीति, प्यार
फूल	पुष्प, पुष्पक, कुसुम, सुमन, प्रसून, गुल, पुहुप
बंदर	वानर, कपि, मर्कट, लांगूली, लतामृग, शाखामृग
बादल	जलद, वारिद, नीरद, अंबुद, तोयद, मेघ
बिजली	चंचला, चपला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित
भौंरा	मधुकर, मधुप, भँवरा, भ्रमर, षट्पद
माता	अंबा, अंबिका, मैया, धात्री, जननी, मातृ, मातृका
रात	रजनी, निशा, रात्रि, निशि, रैन, विभावरी, यामिनी

राजा	प्रजापति, महीपति, नरपति, भूपति, भूप, महीप, नरेश
लक्ष्मी	चंचला, चपला, रमा, कमला, इंदिरा, हरिप्रिया, विष्णुशक्ति, विष्णुप्रिया, श्रीप्रदा
शत्रु	अरि, रिपु, वैरी, दुश्मन
शरीर	तन, तनु, देह, बदन, काय, काया
शेर	मृगराज, वनराज, केसरी, सिंह, नाहर
समुद्र	जलधि, वारिधि, नीरधि, पयोधि, अंबुधि, सागर
समूह	झुंड, दल, टोली, समुदाय, गण, वृंद
सुंदर	खूबसूरत, मनोहर, चारु, ललित, रमणीक
सूर्य	दिनकर, दिनरत्न, दिनमणि, दिनचर, सूरज, पतंग, आदित्य, दिवाकर, भास्कर, आफ़ताब
सेना	अनी, अनीक, फौज, ध्वजवाहिनी, पलटन, पताकिनी, दलबल
सोना	सुवर्ण, स्वर्ण, कनक, कंचन, हेम।
स्त्री	मनुजा, मानसी, नारी, औरत, महिला
हाथ	कर, पाणि, हस्त
हाथी	नाग, गज, हस्ती, करी, द्विप, दंती

समरूपी भिन्नार्थक शब्द

जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो परन्तु अर्थ भिन्न-भिन्न हों, उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं जैसे - 'ओर' 'तथा' 'और' का उच्चारण लगभग एक जैसा है किन्तु दोनों के अर्थ अलग अलग हैं जो कि भिन्न-भिन्न प्रसंगों में प्रयोग होने से स्पष्ट होते हैं। जैसे -

(1) ओर (तरफ) आप उस **ओर** मुँह करके क्यों बैठे हो?

(2) **और** (तथा) राम **और** लक्ष्मण वन को गए।

इस प्रकार के अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं -

•	अंक	गोद	•	अंत	समाप्ति
	अंग	शरीर का भाग		अन्य	नीच
•	अंस	कंधा	•	अचल	पर्वत
	अंश	भाग		अचला	पृथ्वी

•	अचार	गिर्च, मसाले में कई दिन तक रखा हुआ चटपटा पदार्थ	•	अजात	न पैदा हुआ
				अज्ञात	न जाना हुआ
	आचार	आचरण			
•	अतल	बहुत गहरा	•	अनल	अग्नि
	अतुल	जिसकी तुलना न हो सके		अनिल	वायु
•	अनु	पीछे	•	अन्न	अनाज
	अणु	कण		अन्य	दूसरा
•	अपर	दूसरा	•	अपमान	निरादर
	अपार	पार रहित		उपमान	जिस वस्तु से उपमा दी जाए
•	अपेक्षा	चाह, आशा, आदर, तुलना में	•	अरथी	जिस फट्टे पर मुर्दे को डालते हैं
	उपेक्षा	लापरवाही		अर्थी	माँगने वाला
•	अरि	शत्रु	•	अलि	भ्रमर या भँवर
	अरी	सम्बोधन (स्त्री के लिए)		अली	सखी
•	अवधि	समय	•	अवश्य	ज़रूरी
	अवधी	अवध प्रान्त की भाषा		अवश	बेबस
•	अवलम्ब	सहारा	•	अभिराम	सुंदर
	अविलम्ब	शीघ्र		अविराम	बिना रुके हुए
•	अश्व	घोड़ा	•	असमान	जो बराबर न हो
	अश्म	पत्थर		आसमान	आकाश
•	आकर	खान	•	आदि	आरंभ,मूल
	अकार	'अ' वर्ण		आदी	अभ्यस्त, आदत वाला
	आकार	आकृति, साइज़, सूरत			
•	आमरण	मृत्यु पर्यन्त	•	आयत	लंबा, समकोण, चतुर्भुज, कुरान का वाक्य, निशान
	आभरण	आभूषण, गहना		आयात	विदेश से आया हुआ माल
•	आसन	बैठने की जगह	•	आहुत	हवन यज्ञ में अर्पित
	आसन्न	निकट		आहूत	निमंत्रित

	इत	इस तरफ	•	इतर	दूसरा
	इति	समाप्ति		इत्र	सुगंधित पदार्थ
	उद्धत	घमण्डी, उत्तेजित	•	उधार	कर्ज़
	उद्यत	तैयार		उद्धार	उबारना
	उपयुक्त	उचित	•	उर	छाती, हृदय
	उपर्युक्त	जिसका वर्णन ऊपर दिया गया हो		उरु	जंघा
	कटि	कमर	•	कटिबद्ध	तैयार
	कटी	जो कट गई हो		कटिबन्ध	कमरबन्ध
•	कपाट	द्वार	•	करण	साधन
	कपट	छल		कर्ण	कान
				करुण	शोकपूर्ण
•	कर्म	काम	•	कल	आने वाला
	क्रम	सिलसिला		काल	समय, मृत्यु
•	कलि	कलियुग	•	कल्पना	भावना
	कली	फूल की डोडी		कलपना	दुःखी होना
•	कुल	वंश	•	कृत	किया हुआ
	कूल	किनारा		क्रीत	खरीदा हुआ, क्रय
				कृत्य	काम
•	कृति	रचना	•	कोड़ी	बीस, बीस का समूह
	कृती	परिश्रमी, पुण्यात्मा		कोढ़ी	कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति, निकम्मा व्यक्ति
•	कोर	किनारा,पलटन	•	क्रोड़	गोद, पेड़ के तने का खोखला भाग
	कौर	ग्रास (निवाला), कार्तिक मास की पूर्णिमा		करोड़	सौ लाख
•	गच	धंसाने से होने वाला शब्द (गच से चाकू धँसाना)	•	गत	बीता हुआ
				गति	दशा
	गज	हाथी			
•	गणना	गिनना	•	गिरि	पर्वत
	गढ़ना	बनाना		गिरी	'गिरना' का भूतकाल

•	गुर	उपाय	•	गृह	घर
	गुरु	शिक्षक, बड़ा, भारी		ग्रह	नक्षत्र
•	चरण	पैर	•	चर्म	चमड़ा
	चारण	भाट		चरम	अन्तिम
•	चालक	चलाने वाला	•	चित	पीठ के बल (चित गिरना)
	चालाक	चतुर		चित्त	हृदय, मन
•	चिता	शव जलाने हेतु लकड़ियों का ढेर	•	चिर	देरी
				चीर	वस्त्र
	चिंता	सोच,ध्यान			
•	छत्र	छतरी	•	जठर	पेट
	छात्र	विद्यार्थी		जरठ	बूढ़ा
	क्षात्र	क्षत्रिय सम्बन्धी			
•	जरा	बुढ़ापा	•	जलद	बादल
	ज़रा	थोड़ा		जल्द	शीघ्र
•	जानु	घुटना	•	जामन	दूध जमाने हेतु दूध में छोड़ी गई खट्टी दही।
	जानू	जाँघ			
				जामुन	एक पेड़ और उसके फल
•	जूठ	अपवित्र, अवशिष्ट, चखकर छोड़ा हुआ	•	तरणि	सूर्य
				तरुणी	युवती
	झूठ	असत्य		तरणी	नौका
•	तुरंग	घोड़ा	•	दशा	हालत
	तरंग	लहर		दिशा	तरफ
•	के द्वारा	से हेतु	•	दिन	दिवस
	दारा	पत्नी		दीन	गरीब
•	द्विप	हाथी	•	दूत	खबर पहुँचाने वाला
	द्वीप	टापू, जल के बीच का स्थल		द्यूत	जुआ
	दीप	दीया			
•	धन	दौलत	•	धरा	पृथ्वी
	धान(धान्य)अनाज			धारा	प्रवाह

- नग पर्वत
  नाग साँप, हाथी
- नम्र विनीत
  नर्म कोमल
- निर्जर देवता, जो बूढ़ा न हो
  निर्झर झरना
- निर्माण बनाना
  निर्वाण मोक्ष
- निश्चल अटल
  निश्छल छलरहित
- नीत ले जाया गया, प्राप्त
  नीति व्यवहार का ढंग
- पता ठिकाना
  पत्ता पेड़ का पत्ता, पत्र
- परुष कठोर
  पुरुष मनुष्य
- पानी जल
  पाणि हाथ
- प्रकार भेद, किस्म
  प्राकार चारदिवारी, किला
- प्रणय प्रेम
  परिणय विवाह
- प्रसाद अनुग्रह, देवता को चढ़ाई गई वस्तु
  प्रासाद महल
- बदन शरीर
  वदन मुख
- बाड़ झाड़बंदी (काँटेदार तारों की बाड़)
  बाढ़ बरसात में या बाँध टूटने से नदी आदि के जल का फैलना, अधिकता
- नगर शहर
  नागर शहर में रहने वाला, चतुर
- नाड़ी नस
  नारी स्त्री
- निर्धन गरीब
  निधन मृत्यु
- निशाकर चन्द्रमा
  निशाचर राक्षस
- नीड़ घोंसला
  नीर पानी
- नीयत इरादा, इच्छा
  नियत निश्चित
- पथ मार्ग
  पथ्य परहेज़
- परिमाण माप, नाप
  परिणाम नतीजा
- पाहन पत्थर
  पाहुन मेहमान
- प्रकृति स्वभाव
  प्रकृत पदार्थ
- प्रणाम नत होना, झुकना
  प्रमाण सबूत
- प्रहार चोट
  परिहार त्याग
- बलि बलिदान
  बली बलवान
- बात कथन, वचन
  वात हवा

•	बालू	रेत	•	भीत	डरा हुआ
	भालू	रीछ		भीति	दीवार
•	भवन	घर	•	भोजन	आहार
	भुवन	संसार		भाजन	पात्र
•	मत	राय, वोट	•	मद	मस्ती
	मति	बुद्धि		मद्य	शराब
•	माँस	जीव के शरीर का माँस	•	मातृ	माता
	मास	महीना		मात्र	केवल
•	यथा	जिस प्रकार, जैसे	•	यम	यमराज (मृत्यु का देवता)
	यदा	जब, जिस समय		याम	पहर
				यामा	रात
•	रंच	थोड़ा, ज़रा	•	रद	दाँत
	रंज	दुःख,शोक		रद्द	खराब, बदला हुआ
	रज	धूल			
•	रवाँ	तेज़ धार वाला, अभ्यस्त	•	रशना	रस्सी, लगाम
				रसना	जीभ
	रवा	कण, दाना			
•	राज	राज्य,	•	राजी	लकीर, पंक्ति
	राज़	रहस्य		राज़ी	सहमत
•	वसन	कपड़ा	•	विभूषण	गहना
	व्यसन	बुरी आदत, लत		विभीषण	रावण का भाई
•	विवरण	वृत्तान्त	•	विषमय	ज़हरीला
	विवर्ण	जिसका रंग उड़ गया हो		विस्मय	अचंभा, हैरानी
•	शर	तीर	•	शशधर	चन्द्रमा
	सर	तालाब		शशिधर	शिव
•	शूर	बहादुर	•	शोक	दुःख
	सूर	सूरदास, सूर्य		शौक़	लालसा, रुचि
				शोख़	नटखट
•	श्लील	श्रेष्ठ, शोभायुक्त, जो अश्लील न हो	•	श्वेत	सफेद
				स्वेद	पसीना
	अश्लील	भद्दा, गंदा			

• संकर	मिश्रित, तंग	• संग	साथ,पत्थर (जैसे संगमरमर)
शंकर	शिव	संघ	समूह
• संबंध	मेल	• सपुत्र	पुत्र सहित
संबद्ध	लगा हुआ, संबंधित	सुपुत्र	अच्छा बेटा
• सम	समान	• समान	बराबर
शम	शान्ति	सम्मान	मान
		सामान	वस्तु
• सर्ग	सृष्टि, ग्रंथ	• सुगंध	खुशबू
स्वर्ग	देवलोक	सौगन्ध	शपथ
• सुत	पुत्र	• सुधि	स्मरण
सूत	सारथि, कता हुआ धागा	सुधी	बुद्धिमान
• सूची	तालिका, सूई	• स्कंद	विनाश, शरीर
शुचि	पवित्र	स्कंध	कंधा, ग्रंथ आदि का अध्याय
• स्तर	नियत काल	• स्थावर	स्थिर
सत्र	परत, तल, सतह	स्थाविर	वृद्धावस्था
• हय	घोड़ा	• हस्ति	हाथी
हिय	हृदय	हस्ती	सामर्थ्य, शक्ति

अनेक शब्दों के लिए एक शब्द

अनेक शब्दों, वाक्यांशों या पदबन्धों के लिए प्रायः एक ही शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। इससे जहाँ लेखन में संक्षिप्तता आती है, वहीं लेख सुसंगठित व प्रभावशाली बन जाता है। जैसे 'सुंदर आकार वाला' के लिए एक ही शब्द पर्याप्त होगा 'सुडौल'। इसी तरह के कुछ अन्य शब्दों की सूची इस तरह है -

	अनेक शब्द / वाक्यांश	एक शब्द
(1)	अपनी प्रशंसा करने वाला	आत्मश्लाघी
(2)	अचानक होने वाली बात या घटना	आकस्मिक
(3)	अपना नाम स्वयं लिखना	हस्ताक्षर
(4)	अपनी बात पर अड़ा रहने वाला	हठधर्मी
(5)	अपना मतलब निकालने वाला	स्वार्थी, मतलबी
(6)	अवसर के अनुसार बदल जाने वाला	अवसरवादी

(7) अन्य जाति के	विजातीय
(8) आँखों के सामने होने वाला	प्रत्यक्ष
(9) आँखों के सामने न होने वाला	परोक्ष
(10) आकाश में घूमने वाला	नभचर, आकाशचारी
(11) आकाश को छूने वाला	गगनचुम्बी
(12) आलोचना करने वाला	आलोचक
(13) आगे या भविष्य की सोचने वाला	दूरदर्शी
(14) इतिहास से पहले का	प्रागैतिहासिक
(15) ईश्वर में विश्वास रखने वाला	आस्तिक
(16) ईश्वर में विश्वास न रखने वाला	नास्तिक
(17) उपकार को मानने वाला	कृतज्ञ
(18) उपकार को न मानने वाला	कृतघ्न
(19) एक ही जाति के	सजातीय
(20) एक ही समय में होने वाला	समकालीन, समसामयिक
(21) एक ही परिवार के	समपरिवार
(22) कम जानने वाला	अल्पज्ञ
(23) कम खाने वाला	मिताहारी, अल्पाहारी
(24) किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला	विशेषज्ञ
(25) किसी चीज़ की खोज करने वाला	अन्वेषक
(26) किसी चीज़ का बढ़ा कर वर्णन करना	अतिशयोक्ति
(27) कुछ जानने की इच्छा रखने वाला	जिज्ञासु
(28) खून से रंगा हुआ	रक्तरंजित
(29) छात्रों के रहने का स्थान	छात्रावास
(30) छूत से फैलने वाला	संक्रामक
(31) जिसका आदि न हो	अनादि
(32) जिसका अंत न हो	अनन्त
(33) जिसका आचारण अच्छा हो	सदाचारी
(34) जिसका आचारण बुरा हो	दुराचारी
(35) जिसका कोई अर्थ हो	सार्थक
(36) जिसका कोई अर्थ न हो	निरर्थक
(37) जिसका आकार न हो	निराकार

(38) जिसका पार न हो	अपार
(39) जिसका कोई दोष न हो	निर्दोष
(40) जिसका इलाज न हो सके	असाध्य
(41) जिसका भाग्य अच्छा न हो	भाग्यहीन, अभागा
(42) जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो	अन्यमनस्क
(43) जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो	परीक्षित
(44) जिसकी परीक्षा ली जा रही हो	परीक्षार्थी
(45) जिसकी आयु बड़ी लम्बी हो	दीर्घायु
(46) जिसकी मछली जैसी आँखें हों	मीनाक्षी
(47) जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो	बहुचर्चित
(48) जिसका मूल्य न आँका जा सके	अमूल्य
(49) जिसका दमन न हो सके	अदम्य
(50) जिसकी कोई इच्छा न हो	निस्पृह
(51) जिसकी पत्नी मर गई हो	विधुर
(52) जिसकी कोई उपमा न हो	अनुपम
(53) जिसे जाना न जा सके	अज्ञेय
(54) जिसे दण्ड का भय न हो	उद्दण्ड
(55) जिसे क्षमा न किया जा सके	अक्षम्य
(56) जिसे टाला न जा सके	अनिवार्य
(57) जिसे जीता न जा सके	अजेय
(58) जिसे गुप्त रखा जाए	गोपनीय
(59) जिसे स्पर्श करना वर्जित हो	अस्पृश्य
(60) जिसके समान काई दूसरा न हो	अद्वितीय
(61) जिसके वास का किसी को पता न हो	अज्ञातवास
(62) जिसके आर-पार न देखा जा सके	अपारदर्शक
(63) जिसने ऋण चुका दिया हो	उऋण
(64) जिसने अपनी इन्द्रियों पर विजय पा ली हो	जितेन्द्रिय
(65) जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो	कुलीन
(66) जो व्यक्ति अपनी बुराई के लिए प्रसिद्ध हो	कुख्यात
(67) जो हाथ से लिखित हो	हस्तलिखित
(68) जो पुत्र गोद लिया हो	दत्तक

(69) जो उत्तर न दे सके	निरुत्तर
(70) जो लोगों में प्रिय हो	लोकप्रिय
(71) जो शरण में आया हो	शरणागत
(71) जो सरलता से प्राप्त हो	सुलभ
(73) जो स्वयं सेवा करता हो	स्वयंसेवक
(74) जो वर्णन न किया जा सके	अवर्णनीय
(75) जो बाद में अधिकारी बने	उत्तराधिकारी
(76) जो वेतन के बिना काम करे	अवैतनिक
(77) जो कभी न मरे	अमर
(78) जो बहुत समय तक रहे	चिरस्थायी
(79) जो देखा न जा सके	अदृश्य
(80) जो साथ-साथ पढ़ते हों	सहपाठी
(81) जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो	नवजात
(82) जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो	स्वयंभू
(83) जो थोड़ा बोलता हो	मितभाषी
(84) जो कम व्यय करता हो	मितव्ययी
(85) जो होकर ही रहे	अवश्यंभावी
(86) जो नियम के अनुसार न हो	अनियमित
(87) जो बात कही न जा सके	अकथनीय
(88) जो पहले न पढ़ा हो	अपठित
(89) जो परिचित न हो	अपरिचित
(90) जो सबसे आगे रहता हो	अग्रगण्य,अग्रणी
(91) जो किसी के पक्ष में न हो	तटस्थ
(92) जो अनुकरण करने योग्य हो	अनुकरणीय
(93) जो केवल कहने और दिखाने के लिए हो	औपचारिक
(94) तीन मास में एक बार होने वाला	त्रैमासिक
(95) तेज़ बुद्धि वाला	कुशाग्रबुद्धि
(96) दर्शन शास्त्र को जानने वाला	दार्शनिक
(97) दिन में होने वाला	दैनिक
(98) दूसरे के काम में हाथ डालना	हस्तक्षेप
(99) दूसरे लोक से सम्बन्धित	पारलौकिक

(100) दूसरे के सहारे पर रहने वाला	परावलम्बी
(101) दूसरे देश से मंगाया जाना	आयात
(102) दूसरे के पीछे चलने वाला	अनुचर, अनुगामी
(103) देश से द्रोह करने वाला	देशद्रोही
(104) नई चीज़ की खोज करने वाला	आविष्कारक
(105) नगर में रहने वाला	नागरिक
(106) नीति जानने वाला	नीतिज्ञ
(107) न्याय शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाला	नैयायिक
(108) पति पत्नी का जोड़ा	दम्पति
(109) परदेश में जाकर बस जाने वाला	प्रवासी
(110) पश्चिम से सम्बन्ध रखने वाला	पाश्चात्य
(111) पंद्रह दिन में एक बार होने वाला	पाक्षिक
(112) पूर्वजों से प्राप्त हुई सम्पत्ति	पैतृक
(113) प्रशंसा करने योग्य	प्रशंसनीय
(114) बच्चों के लिए उपयोगी	बालोपयोगी
(115) बहुत बोलने वाला	वाचाल
(116) बारह वस्तुओं का समूह	दर्जन
(117) बिना विचारे किया हुआ विश्वास	अंधविश्वास
(118 बुद्धि ही जिसकी आँखे हों	प्रज्ञाचक्षु
(119) मास में एक बार होने वाला	मासिक
(120) मन्दिर में पूजा करने वाला	पुजारी
(121) मोक्ष की इच्छा करने वाला	मुमुक्षु
(122) युगों से चला आने वाला	सनातन
(123) राज से द्रोह करने वाला	राजद्रोही
(124) लोहे के समान दृढ़ निश्चय वाला	लौहपुरुष
(125) वह भूमि जो उपजाऊ न हो	ऊसर
(126) वह पहाड़ जिससे आग निकलती हो	ज्वालामुखी
(127) वर्ष में एक बार होने वाला	वार्षिक
(128) विष्णु की पूजा करने वाला	वैष्णव
(129) समाज से संबंधित	सामाजिक
(130) शक्ति का उपासक	शाक्त

(131) शत्रु को मारने में समर्थ	शत्रुघ्न
(132) शिव का उपासक	शैव
(133) सदा रहने वाला	शाश्वत
(134) सप्ताह में एक बार होने वाला	साप्ताहिक
(135) सिर पर धारण करने योग्य	शिरोधार्य
(136) सौ वर्षों का समूह	शताब्दी
(137) हित चाहने वाला	हितैषी, शुभेच्छु
(138) हानि को पूरा करना	क्षतिपूर्ति

अनेकार्थक शब्द

'अनेकार्थक शब्द' का अर्थ है – किसी एक शब्द के अनेक अर्थ होना। ये शब्द विभिन्न प्रसंगों में वाक्यों में प्रयुक्त होकर भिन्न-भिन्न अर्थ देते हैं। जैसे- **'हार'** शब्द के दो अर्थ हैं जो **भिन्न भिन्न** प्रसंगों में प्रयोग करने पर ही स्पष्ट होते हैं। जैसे-

(1) हमें जीवन में **हार** नहीं माननी चाहिए। (पराजय, असफलता)

(2) अंजु ने गले में हीरों का **हार** पहना हुआ है। (माला)

इसी प्रकार के अन्य अनेकार्थक शब्दों के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं।

अंक गोद, संख्या, निशान, नाटक का सर्ग, रूपक का एक प्रकार,छाप

अंकुर धरती से फूटकर निकला बीज, नुकीला भाग, प्रारंभिक स्वरूप, नव रोम, छोटा नरम पौधा

अंग शरीर के विभिन्न अवयव (हाथ, पैर, कान, आदि), भाग (नाटक का एक अंग, देश या प्रान्त का एक अंग), शाखा

अंगुलि उँगली, हाथी की सूँड का अग्रभाग

अंबर वस्त्र, आकाश, परिधि, एक सुगंधित खनिज

अक्ष पासों का खेल, पृथ्वी की धुरी, सर्प, नेत्र, भौगोलिक काल्पनिक रेखा, आत्मा

अक्षर आकाश, वर्ण, ईश्वर, आत्मा, अनादि, नित्य, अनश्वर

अग्र आगे का, नोक, शिखर, मुख्य, श्रेष्ठ, अधिक, आरंभ

अधर नीच, घटिया, ओष्ठ, जिसके नीचे आधार न हो, पराजित, प्रेम, भक्ति, लाल, रंग, अनुराग

अन्वय	अनुगमन, पारस्परिक सम्बन्ध, आशय, वाक्य में शब्दों के मेल हेतु और साध्य का साहचर्य
अब्ज	कमल, चन्द्रमा, शंख,
अमृत	जल, सुधारस, दुग्ध, अन्न, स्वर्ण
अरण्य	जंगल,कायफल, संन्यासियों का एक भेद
अरुण	सूर्य का सारथि, गहरा लाल रंग, कुंकुम, सिंदूर
अर्क	सूर्य, आक का पेड़, रस, ज्योति,दवाई के रूप में पिया जाने वाला औषधियों का सार
अर्थ	कारण, धन, ऐश्वर्य, इच्छा, प्रयोजन, मतलब
आगम	उपस्थित होना, उत्पत्ति, शास्त्र, आने वाला समय
आतप	गरमी, धूप
आदान	लेना, बंधन,कर, शुल्क आदि के रूप में लिया जाने वाला धन
आधि	मानसिक पीड़ा, विपत्ति,अभिशाप
आपत्ति	संकट, कष्ट,कलेश, दुःख व अचानक आ गिरने वाली मुसीबत, एतराज़
कर	हाथ, किरण, सूँड, टैक्स
कर्ण	कान,समकोण के सामने की भुजा,कुंती पुत्र,पतवार
कल	आगामी/बीता हुआ दिन, आराम, मशीन
काल	समय, अंत, क्रियाओं को सूचित करने वाला शब्द (जैसे भूतकाल, वर्तमान काल) मौसम (जैसे शरद्काल)
कुल	वंश, सभी, सारा
केतु	सौरमंडल का नवाँ ग्रह, पताका, चिह्न, पुच्छल तारा
कोश	शब्दकोश, फूल का भीतरी भाग,म्यान,खजाना
गो	गाय, इन्द्रिय, वाणी, जिह्वा, देखने की शक्ति,दिशा
घट	घड़ा, शरीर, अन्तःकरण
घन	बादल, घना, बहुत बड़ा हथौड़ा, किसी अंक को अंक से तीन बार गुणा करने पर प्राप्त होने वाला गुणनफल (जैसे, चार का घन=4×4×4=64 होगा)
घोड़ा	अश्व (पालतु पशु जिस पर सवारी की जाती है), घोड़े के आकार का बंदूक आदि का खटका (जैसे घोड़ा दबाना), शतरंज का मोहरा

चंदा	चाँद,सार्वजानिक कार्य हेतु दी गई आर्थिक सहायता,सदस्यता का शुल्क (जैसे - क्या आपने इस संस्था का वार्षिक चंदा दे दिया है?)
चंद्र	चन्द्रमा,मोर पंख का अर्द्धचंद्राकार चिह्न, अर्द्ध अनुनासिक चिह्न, इड़ा नाड़ी
चक्र	पहिया,कुम्हार का चाक, चक्की, सैनिक व्यूह (जैसे चक्रव्यूह) पानी का भँवर, हवा का बवंडर, चक्कर (फेरा), सुदर्शन चक्र सैन्य पुरस्कार (वीर चक्र आदि)
छंद	मात्राओं का निश्चित मान जिनके अनुसार पद्य रचना की जाती है, छल, इच्छा, अभिप्राय, उपाय
छाप	छापने की क्रिया,छापने का ठप्पा, साँचा, मुहर का निशान, प्रभाव (असर)
तल	पेंदा,हाथ की हथेली,जलाशय आदि के बिल्कुल नीचे की जमीन, पैर का तलवा
तात	पिता, आदरणीय व्यक्ति, पूज्य, तप्त
तान	संगीत में स्वर का विस्तार,तानने की क्रिया,समुद्र की तरंग
दंड	सज़ा, डंडा, तराजू की डंडी, एक प्रकार की कसरत
द्विज	पक्षी, ब्राह्मण, दाँत, चन्द्रमा
धन	पूंजी, द्रव्य,गणित में जोड़ का निशान
नाक	साँस लेना एवं सूँघने की इंद्रिय, नाक से निकलने वाला गंदा तरल पदार्थ (जैसे नाक बहना), मगर,घड़ियाल, गौरव की बात (जैसे नाक रखना)
नाग	साँप, हाथी, दुष्ट एवं क्रूर व्यक्ति, एक पर्वत
नागरी	नगर की स्त्री,चतुर स्त्री,देवनागरी लिपि
नाल	कमल, कुमुद आदि की लम्बी डंडी, पौधों का डंठल, बंदूक की नली, अर्द्धचन्द्राकार लोहे का टुकड़ा, घोड़े के पाँव में लगी लोहे की ताल
निगम	विधान के अनुसार अस्तित्व में आई हुई संस्था (जैसे जल निगम), मार्ग, मेला, कारवाँ, कायस्थ जाति का एक भेद, शास्त्र का भेद
निशान	चिह्न, मोहर आदि की छाप, धब्बा, पता, ठिकाना, यादगार
पट	वस्त्र, परदा, दरवाज़ा, तुरंत (पट से बोल पड़ना), छप्पर
पण	पासों से खेला जाने वाला खेल, जुआ, प्रतिज्ञा, पारिश्रमिक शुल्क, गाल, व्यापार

पतंग	सूर्य, कनकौआ, पक्षी, विशेष प्रकार का कीड़ा
पत्र	चिट्ठी, पत्ता, अखबार, समाचार पत्र, पृष्ठ
पद	पैर, स्थान, ओहदा, उपाधि
पय	दूध, पानी
प्रकृति	स्वभाव, मूल गुण, कुदरत
प्रज्ञा	बुद्धि, समझ, सरस्वती
प्रसाद	अनुग्रह, हर्ष, देवता को चढ़ाई गई वस्तु या देवता की कृपा के रूप में बाँटी गई वस्तु, काव्य का सरल व सुबोध होना, भाषा का एक गुण
फल	परिणाम, लाभ, प्रयोजन,
बल	शक्ति, सेना, भरोसा, बलराम, शिकन
बोझ	भार, भारी, वस्तु, कार्यभार
भक्ति	श्रद्धा, सेवा, अनुराग
भाग	हिस्सा, दौड़, बाँटना, भाग्य
भानु	सूर्य, प्रकाश, राजा
भेंट	उपहार, मुलाकात
भेद	रहस्य, प्रकार, छेदना, अंतर, फूट
मंगल	सौर जगत का एक ग्रह, मंगलवार, शुभ
मकर	मगर नामक जलजन्तु, घड़ियाल, मछली, बारह राशियों में से एक राशि
रूढ़ि	चढ़ाव, उभार, उत्पत्ति, प्रसिद्धि, प्रथा, रूढ़ अर्थ का ज्ञान कराने वाली शब्द शक्ति
रूप	सूरत, स्वभाव, प्रकार, नमूना, सौन्दर्य
वंश	कुल,बाँस
वक्र	टेढ़ा, निर्दय, बेईमान
वर्ण	रंग, अक्षर, भेद, जाति,रूप
वाद	कथन,तर्क - वितर्क, किंवदंती, व्यवस्थित मत या सिद्धान्त
वृत्त	इतिहास, वृत्तान्त, जीविका, गोल, विहित नियम
वेग	प्रबल मनोवेग, प्रवाह, शीघ्रता, प्रचंडता, शक्ति
व्रत	संकल्प, उपवास, नियम
शिक्षा	विद्या, उपदेश, पाठ, दंड

शीर्ष	उन्नत सिरा, सिर, ललाट, दो तरफ से आकर मिलने वाली तिर्यक रेखाओं का मिलन बिंदु (जैसे त्रिभुज का शीर्ष, शीर्ष कोण)
शून्य	खाली, निराकार, आकाश, ईश्वर
श्री	लक्ष्मी, सरस्वती, ऐश्वर्य, चमक, कीर्ति
श्रुति	सुनना, कान, कही या सुनी बात, किंवदंती, उक्ति
सारंग	रंगीन, दीपक, सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, बादल, बिजली, समुद्र, तालाब, पानी, शंख, मोती, कमल, मोर, शेर, हिरन, साँप
सुरभि	गौ, पृथ्वी, सुरा, तुलसी, सुगंधि
हंस	एक सफेद जल पक्षी, आत्मा, सूर्य, घोड़ा, शिव, विष्णु
हर	प्रत्येक, शिव, हरण, भाजक
हल	खेत जोतने का प्रसिद्ध यंत्र,समाधान
हवा	वायु, साँस, अफवाह
हित	उपकार, मंगल, लाभ, प्रेम

विपरीतार्थक शब्द

परस्पर विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहे जाते हैं। विपरीतार्थक शब्द कई प्रकार से बनते हैं। जैसे -

(i) **'अ' उपसर्ग के योग से बने विपरीतार्थक शब्द** - संतोष से असंतोष, शुभ से अशुभ, प्रसन्न से अप्रसन्न, मंगल से अमंगल, योग्य से अयोग्य आदि।

(ii) **अन् उपसर्ग के योग से बने विपरीतार्थक शब्द** - आवृत से अनावृत, आतुर से अनातुर, भिज्ञ से अनभिज्ञ, एक से अनेक, आश्रित से निराश्रित आदि।

(iii) **अप उपसर्ग के योग से बने विपरीतार्थक शब्द** - उपकार से अपकार, शब्द से अपशब्द, शकुन से अपशकुन, यश से अपयश, कीर्ति से अपकीर्ति आदि।

(iv) **नि, निर् उपसर्ग से बने विपरीतार्थक शब्द** - प्रवृत्त से निवृत्त, सबल से निर्बल, भय से निर्भय, सदोष से निर्दोष, आशा से निराशा आदि।

(v) **दुः, दुर्, उपसर्ग के योग से बने विपरीतार्थक शब्द** - महात्मा से दुरात्मा, सदाचार से दुराचार, सुचरित्र से दुश्चरित्र, सुगन्ध से दुर्गन्ध, सुबोध से दुर्बोध आदि।

(vi) **प्रति उपसर्ग के योग से बने विपरीतार्थक शब्द** - वादी से प्रतिवादी आदि।

(vii) **'पर' उपसर्ग के योग से बने विपरीतार्थक शब्द** - स्वाधीन से

पराधीन, स्वतंत्र से परतंत्र, जय से पराजय आदि।

(viii) **'अव' उपसर्ग के योग से बने** विपरीतार्थक शब्द – आरोह से अवरोह, गुण से अवगुण, उन्नत से अवनत आदि।

(ix) **'वि' उपसर्ग के योग से बने विपरीतार्थक शब्द** – क्रय से विक्रय, रत से विरत, संयोग से वियोग, संश्लेषण से विश्लेषण आदि।

(x) **कु उपसर्ग से बने विपरीतार्थक शब्द** – सुबुद्धि से कुबुद्धि, सुपात्र से कुपात्र, सुविख्यात से कुविख्यात, सुकर्म से कुकर्म आदि।

(xi) विपरीतार्थक शब्द बनाने की इन विधियों के अतिरिक्त एक अन्य स्वतन्त्र विधि है अर्थात् विपरीत अर्थ को देने वाला, उस शब्द से असम्बद्ध कोई अन्य शब्द ले लिया जाता है। जैसे – अथ से इति, राग से द्वेष, सच से झूठ, बाहर से भीतर आदि।

नीचे कुछ विपरीतार्थक शब्दों की सूची दी जा रही है।

अंधकार	प्रकाश	आस्तिक	नास्तिक
अगम	सुगम	आस्था	अनास्था
अतिवृष्टि	अनावृष्टि	आहार	निराहार
अत्यधिक	स्वल्प	इच्छा	अनिच्छा
अथ	इति	इष्ट	अनिष्ट
अधिक	कम	इहलोक	परलोक
अनाथ	सनाथ	ईश्वर	अनीश्वर
अनिवार्य	ऐच्छिक	उग्र	शांत
अनुकूल	प्रतिकूल	उचित	अनुचित
अनुज	अग्रज	उत्कृष्ट	निकृष्ट
अपना	पराया	उत्तर	अनुत्तर
अपेक्षा	उपेक्षा	उत्थान	पतन
अमृत	विष	उदय	अस्त
अर्थ	अनर्थ	उदार	अनुदार
अल्पायु	दीर्घायु	उन्नति	अवनति
अवकाश	अनवकाश	उपयोगी	अनुपयोगी
अर्वाचीन	प्राचीन	उपरिलिखित	निम्नलिखित
आकर्षण	विकर्षण	उपाय	निरुपाय
आगामी	गत	ऋण	उऋण
आग्रह	दुराग्रह	एकता	अनेकता

आदर	निरादर	ऐश्वर्य	दारिद्रय
आदर्श	यथार्थ	ऐहिक	पारलौकिक
आदान	प्रदान	कटु	मधुर
आभ्यंतर	बाह्य	कर्म	निष्कर्म
आय	व्यय	कायर	साहसी
		कुटिल	सरल
आयात	निर्यात	कृतज्ञ	कृतघ्न
आरंभ	समाप्ति	कृपण	दानी, उदार
आर्द्र	शुष्क	कृत्रिम	स्वाभाविक
आलस्य	स्फूर्ति	खण्डन	मण्डन
खल	सज्जन	तरुण	वृद्ध
खिलना	मुरझाना	तटस्थ	पक्षपाती
गमन	आगमन	तीव्र	मन्द
गरिमा	लघिमा	त्यागी	स्वार्थी
गहरा	उथला	थोक	परचून
गुण	दोष	दयालु	निर्दय
गुप्त	प्रकट	दाता	याचक
गुरु (दीर्घ)	लघु	दानी	कृपण
गुरु (भारी)	हल्का	दुर्गन्ध	सुगन्ध
गुरु (आचार्य)	चेला	दुर्लभ	सुलभ
ग्रामीण	नागरिक	दोषी	निर्दोष
ग्राह्य	त्याज्य	नख	शिख
गौरव	लाघव	निंदा	स्तुति
घटिया	बढ़िया	निरक्षर	साक्षर
घात	प्रतिघात	निर्गुण	सगुण
घातक	रक्षक	निर्मल	मलिन
घृणा	प्रेम	प्रलय	सृष्टि
चंचल	स्थिर	प्रवृत्ति	निवृत्ति
चतुर	मूर्ख	प्रसाद	विषाद
चर	अचर	भीषण	सौम्य
चल	अचल	भद्र	अभद्र
चेतन	जड़	मुख्य	गौण
छल	निश्छल	मृदु	कठोर

छाया	धूप	राग	द्वेष
छूत	अछूत	रुग्ण	स्वस्थ
जंगली	पालतू	लोभ	संतोष
जटिल	सरल	लौकिक	अलौकिक
जन्म	मृत्यु	विशुद्ध	दूषित
ज्येष्ठ	कनिष्ठ	संकल्प	विकल्प
ठोस	तरल	संक्षिप्त	विस्तृत
डरपोक	निडर	ह्रस्व	दीर्घ

अवधारणात्मक शब्द

जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर संदर्भ के अनुसार किसी अवधारणा को व्यक्त करते हैं, उन्हें अवधारणात्मक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के विषय में एक बात ध्यान देने योग्य है कि अकेले रहकर इनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता। अवधारणात्मक शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में बाँटा जा सकता है -

(i) ध्वनिबोधक शब्द (ii) पुनरुक्त शब्द

(i) ध्वनिबोधक शब्द

प्रत्येक भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जिन्हें ध्वनि के आधार पर बनाया गया है। पशु - पक्षियों की बोलियाँ तथा जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ या क्रियाएँ व्यक्त करने वाले शब्द इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं । जैसे -

(क) पशुओं की बोलियाँ

पशु	बोली	पशु	बोली
ऊँट	बलबलाना	गाय	रँभाना
घोड़ा	हिनहिनाना	गीदड़	हुआँ - हुआँना
हाथी	चिंघाड़ना	चूहा	चूँ चूँ करना
मेंढक	टर्राना	सूअर	हुरड़ हुरड़ करना
कुत्ता	भौंकना	गधा	रेंकना
बकरी, भेड़	मिमियाना	शेर	दहाड़ना
साँप	फुँफकारना	भैंस	डकारना
बिल्ली	म्याऊँ - म्याऊँ करना	चीता	गुर्राना
बन्दर	किलकिलाना	उल्लू	घुघुआना

(ख) पक्षियों की बोलियाँ

पक्षी	बोली	पक्षी	बोली
कोयल	कू-कू, कुहू-कुहू	चिड़िया	चहचहाना
पपीहा	पिउ पिउ करना	मक्खी	भिनभिनाना
भौंरा	गुंजार करना	कबूतर	गुटरगूँ करना
कौआ	काँव-काँव करना	हंस	कूजना
मोर	कुहकना, कूकना, कैं-कैं करना	मुर्गा	कुकड़कूँ
		तोता	टैं-टैं करना

कुछ जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ या क्रियाएँ

जड़ पदार्थ	ध्वनि	जड़ पदार्थ	ध्वनि
दाँत	किटकिटाना	चारपाई	चर्र-चर्र करना
पंख	फड़फड़ाना	पैर	पटकना
मेघ	गर्जना	बिजली	कड़कना
चिता	धूँ-धूँ करके जलना	डमरू	डम-डम बजना
घण्टी	टन-टन	नगाड़ा	ढम-ढम
घड़ी	टिक-टिक करना	अश्रु	छलछलाना
नौका	डगमगाना	तारे	जगमगाना
धनुष	टंकार	हृदय	धड़कना
हाथ	झटकना	खाँसी	खों-खों
वायुयान	धूँ-धूँ	वर्षा	छम-छम
जीभ	लपलपाना	बंदूक	धाँय-धाँय
वायु	साँय-साँय	गोली	सनसनाना
रेल	छक्-छक् करना	रुपया	खनखनाहट
आँधी	सूं-सूं, साँय, साँय	ओले	पड़ापड़
नदी	कल-कल	जूता	चरमराना
टेलीफोन	टन-टन	तोप	दनादन चलना
बूटें	टप-टप करना	मोटर	पों-पों करना
इंजन	भक्-भक् करना (फक्-फक् करना)	ध्वज	फहराना
झरना	झर-झर करना	बैलगाड़ी	चूँ-चूँ
बम	धमाका	पत्ते	खड़खड़ाहट

(ii) **पुनरुक्त शब्द** – 'पुनरुक्त' का अर्थ है - 'फिर से कहा हुआ'। पुनरुक्त

शब्दों को द्वित्व शब्द भी कहते हैं। इनका हिंदी में बहुत प्रयोग होता है। इनके निम्नलिखित वर्ग हो सकते हैं :

(क) पूर्ण द्वित्व या पुनरुक्त – ऐसे शब्द जिनमें वही शब्द दो बार बोला जाता है अर्थात् जिन शब्दों में पहले शब्द को ही दोबारा बोला जाता है। जैसे –

बैठ – बैठ	खा – खा	लाल – लाल	अच्छा – अच्छा
जा – जा	धीरे – धीरे	दो – दो	चार – चार
सोते – सोते	बैठे – बैठे	कभी – कभी	कहाँ – कहाँ
लिख – लिख	चलते – चलते	कौन – कौन	खेल – खेल
पी – पी	सो – सो	बीस – बीस	पचास – पचास
खाते – खाते	पीते – पीते	जो – जो	कोई – कोई
जय – जय	राम – राम	पास – पास	दूर – दूर

विशेष – ऐसे कुछ युग्मों (जोड़ों) के बीच में 'न' 'ही' 'से' 'का' आदि लगाकर भी अर्थ में विशेषता उत्पन्न होती है। जैसे –

कुछ न कुछ, कहीं न कहीं, मित्र ही मित्र, लाभ ही लाभ, हानि ही हानि, क्या से क्या, खराब का खराब, गधे का गधा, आम के आम आदि।

(ख) अपूर्ण द्वित्व – अपूर्ण द्वित्व शब्दों में दूसरा शब्द पहले शब्द से ही बना कोई रूप होता है। जैसे – भीड़ – भाड़, पूछ – ताछ, ठीक – ठाक, भोला – भाला, सीधा – साधा, देख – दूख, मार – मूर, देख – भाल, दे – दिला, मर – मरा, हाँ – हूँ आदि।

(ग) प्रतिध्वनित शब्द – जिन द्वित्व शब्दों में दूसरा शब्द पहले शब्द की प्रतिध्वनि हो जैसे –

कागज़ – वागज़	चाय – वाय	काम – वाम	शहर – वहर
खाना – वाना	दवाई – ववाई	पानी – वानी	टाँग – वाँग
कपड़े – वपड़े	ऐसे – वैसे	घड़ी – वड़ी	चीर – फाड़
रोटी – वोटी	दाल – वाल	दूध – वूध	रात – वात
मकान – वकान	रात – वात	शहर – वहर	कमीज़ – वमीज़

विशेष – कई बार दोनों ही शब्द निरर्थक होते हैं। जैसे – अंट-संट, अनाप-शनाप, अफरा-तफरी आदि।

अध्याय – 6

पद – परिचय एवं वाक्य – विचार

'शब्द' भाषा की स्वतन्त्र इकाई है। शब्दों से ही वाक्य की रचना होती है। किन्तु यदि इन स्वतन्त्र शब्दों को वाक्य में ज्यों के त्यों ही रख दें तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे – सुशील रोहित लाठी मारी।

उपर्युक्त शब्दों को एक साथ बोलने से यह सार्थक वाक्य नहीं कहलाएगा। सार्थक वाक्य बनाने के लिए इन शब्दों में विभिन्न परसर्ग लगाकर इनके रूप बदलने होंगे अर्थात 'सुशील' शब्द को 'सुशील ने', रोहित शब्द को 'रोहित को', लाठी शब्द को 'लाठी से' बनाना होगा। अत: सार्थक वाक्य होगा।

सुशील ने रोहित को लाठी से मारा।

इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त 'सुशील ने', 'रोहित को', 'लाठी से' कोई नए शब्द नहीं हैं बल्कि, 'सुशील', 'रोहित ' तथा 'लाठी' से बने वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द रूप या पद हैं। अत: जब शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो वे पद कहलाते हैं। व्याकरण की दृष्टि उनका पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय है।

पद परिचय में पद के भेद, उपभेद, लिंग वचन, कारक आदि की जानकारी दी जाती है। पद परिचय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

(1) **संज्ञा** – भेद (व्यक्तिवाचक, जातिवाचक,भाववाचक) लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसका सम्बन्ध (यदि हो तो)।

(2) **सर्वनाम** – भेद (पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध वाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक) पुरुष, लिंग, वचन, कारक क्रिया से उसके संबंध।

(3) **विशेषण** – भेद (गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक) लिंग, वचन और विशेष्य।

(4) **क्रिया** – भेद अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, संयुक्त आदि, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य प्रयोग (कर्त्ता व कर्म का संकेत)।

(5) **क्रिया विशेषण** – भेद (कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक) संबंधित क्रिया का निर्देश अर्थात् जिस क्रिया की विशेषता बताई गई हो।

(6) **समुच्चयबोधक** – भेद(समानाधिकरण, व्यधिकरण) जिन शब्दों या वाक्यों को मिला रहा है, उनका उल्लेख।

(7) **संबंधबोधक** – भेद (जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध हो, उनका उल्लेख)

(8) **विस्मयादि बोधक** – भेद अर्थात् कौन सा भाव प्रकट हो रहा है।

पद-परिचय के कुछ उदाहरण देखिए-

1. **चार्वी ने मेहनत की और वह दसवीं कक्षा में प्रथम आयी।**

चार्वी ने - संज्ञा, व्यक्तिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्त्ता कारक, 'की' और 'आयी' क्रियाओं की कर्त्ता।

मेहनत - संज्ञा, भाववाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्म कारक, 'की' क्रिया का कर्म।

की - क्रिया, सकर्मक, अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग, निश्चयवाचक, कर्तृवाच्य, भूतकाल, कर्तरि प्रयोग।

और - समानाधिकरण योजक, संयोजक, उपवाक्यों को जोड़ रहा है।

वह - सर्वनाम, पुरुषवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्त्ता कारक, 'आयी' क्रिया का कर्त्ता।

दसवीं - विशेषण, क्रमवाचक, निश्चित संख्यावाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, 'कक्षा' विशेष्य का विशेषण।

कक्षा में - संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, अधिकरण कारक, 'आयी' क्रिया का अधिकरण।

प्रथम - विशेषण, क्रमवाचक, निश्चित संख्यावाचक, पुल्लिंग, एकवचन, बताए हुए 'स्थान' विशेष्य का विशेषण।

आयी - क्रिया, सकर्मक, अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग, एकवचन, भूतकाल, निश्चयवाचक, कर्तृवाच्य, कर्तरि प्रयोग।

(2) हम पिछले साल तुम्हें चण्डीगढ़ में मिले थे।

हम - सर्वनाम, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्त्ता कारक, 'मिले थे' क्रिया का कर्त्ता।

पिछले - विशेषण, गुणवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, मूलावस्था, विशेष्य 'वर्ष' की विशेषता।

साल - संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, अधिकरण कारक 'मिले थे', क्रिया का समयवाचक।

तुम्हें - सर्वनाम, पुरुषवाचक, मध्यमपुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, कर्म कारक, 'मिले थे', क्रिया का कर्म।

चण्डीगढ़ - संज्ञा, व्यक्तिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, अधिकरण कारक, 'मिले थे', क्रिया का स्थानवाचक।

मिले थे - क्रिया, सकर्मक, भूतकाल, पूर्णभूतकाल, पुल्लिंग, एकवचन, कर्तृवाच्य कर्त्ता (क्रिया का) [illegible]

पद-परिचय में ध्यान देने योग्य बात यह है कि शब्द का पद-भेद क्या है क्योंकि भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो अनेक पदभेदों का काम करते हैं। प्रयोग में वे कभी संज्ञा, सर्वनाम कभी विशेषण तो कभी क्रिया-विशेषण आदि बन कर आते हैं। जैसे-

(1) आप	मध्यमपुरुष वाचक सर्वनाम	आप चलिए।
	निजवाचक सर्वनाम	मैं यह काम आप ही देख लूँगा।
	अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम	प्रसाद जी नाटककार थे। आप उत्कृष्ट कवि भी थे।
(2) एक	सर्वनाम	वहाँ एक आता है,एक जाता है।
	विशेषण	एक दिन वह ज़रूर आएगा।
	क्रियाविशेषण	एक तो पानी गिरा दिया, दूसरे चिल्ला रहे हो।
(3) ऐसा	संज्ञा	ऐसों को मैं ही ठीक कर सकता हूँ।
	सर्वनाम	ऐसा मत बोलो।
	विशेषण	ऐसा आदमी मिलना कठिन है।
	क्रियाविशेषण	वह ऐसा लिखता है कि समझ में नहीं आता।
(4) और	संज्ञा	औरों से मत कहना।
	सर्वनाम	वह और है; तुम और हो।
	विशेषण	और मज़दूर चाहिएं।
	क्रियाविशेषण	गाड़ी और तेज़ चलाओ।
	समुच्चयबोधक	राम और लक्ष्मण वन को गए।
(5) कारण	संज्ञा	जाने का कारण नहीं पता।
	संबंध बोधक	मैं बीमारी के कारण वहाँ नहीं जा सका।
	समुच्चय बोधक	वह गरीब है इस कारण फीस नहीं दे सकता।
(6) कुछ	संज्ञा	कुछ के लिए तो ठीक रहेगा।
	सर्वनाम	बाज़ार से कुछ ले आओ।
	विशेषण (संख्यावाचक)	कुछ लड़के बाहर खड़े हैं।
	विशेषण (परिमाणवाचक)	कुछ चावल दे दो।
	क्रियाविशेषण	वह कुछ बोलता ही नहीं।
	समुच्चयबोधक	कुछ तुम करो, कुछ हम करें।

(7) कोई	सर्वनाम	कोई आ रहा है।
	विशेषण	कोई किताब दे दो।
	क्रियाविशेषण	वहाँ कोई (लगभग) पाँच - छः लोग थे।
(8) कौन	सर्वनाम	कौन गया था?
	विशेषण	कौन व्यक्ति चिल्ला रहा है?
	क्रियाविशेषण	परीक्षा में प्रथम आना कौन कठिन है।
(10) चाहे	क्रिया	तुम्हारा मन चाहे तो आ जाना।
	क्रियाविशेषण	आप चाहे मुझे जितना मारो, मैं गलत काम नही करूँगा।
	समुच्चयबोधक	चाहे चाय पीओ, चाहे कॉफी।
(11) जैसा	सर्वनाम	जैसा करोगो, वैसा भरोगो।
	विशेषण	जैसा देश, वैसा भेष।
	क्रियाविशेषण	मैं जैसा चाहता हूँ,वैसा ही होगा।
	समुच्चयबोधक	ईश्वर तुम्हारे जैसा बेटा सबको दे।
(12) जो	सर्वनाम	जो सोता है वो खोता है।
	विशेषण	जो काम करो,मन लगाकर करो।
	क्रियाविशेषण	जो जेब देखी तो खाली थी।
	समुच्चयबोधक	जो तुम आ जाते तो काम हो जाता।
(13)बहुत	संज्ञा	इस विषय में बहुत चर्चा हो चुकी है।
	सर्वनाम	बहुत हो चुका, अब रहने भी दो।
	विशेषण	वहाँ बहुत लोग इकट्ठा थे।
	क्रियाविशेषण	वह बहुत बोलता है।
(14)भला	संज्ञा	सब का भला हो।
	विशेषण	वह भला इन्सान है।
	क्रियाविशेषण	तुम भले आए।
(15) यह	सर्वनाम	यह मेरा स्कूल है।
	विशेषण	वह स्कूल मेरा है।

वाक्य – विचार

वाक्य

(क)	(ख)
(i) संगीता गाना।	(i) संगीता गाना गाती है।
(ii) वह परीक्षा में प्रथम।	(ii) वह परीक्षा में प्रथम आया।
(iii) हम बाज़ार घूमने।	(iii) हम बाज़ार घूमने जाएंगे।

उपर्युक्त 'क' भाग में जो शब्द – समूह हैं, उनसे कोई पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होता जबकि 'ख' भाग में जो शब्द – समूह हैं, उनसे पूर्ण अर्थ प्रकट होता है अत: वाक्य की परिभाषा इस तरह हो सकती है –

परिभाषा – सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को जिसका अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, उसे 'वाक्य' कहते हैं। सरल रूप में हम कह सकते हैं कि वाक्य वह शब्द – समूह है जिससे पूरी बात समझ में आ जाए।

परन्तु वार्तालाप और कभी – कभी विवशता की स्थिति में एक शब्द का वाक्य भी प्रयोग में आता है। जैसे –

क – आपका नाम क्या है?
ख – अनिल
क – आप कहाँ जा रहे हैं?
ख – चण्डीगढ़

इनमें 'ख' के उत्तर अभिव्यक्ति के स्तर पर तो एक शब्द वाली रचनाएँ हैं पर भाव या विचार को प्रकट करने की दृष्टि से पूर्ण हैं। अत: ये मूलत: वाक्य ही हैं। इन्हें 'लघु वाक्य' या अल्पांग वाक्य कहा जाता है।

वाक्य के तत्व – वाक्य के छ: अनिवार्य तत्व हैं –

(1) **सार्थकता** – वाक्य में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। कभी – कभी वाक्य में निरर्थक शब्द भी आ जाते हैं किन्तु वाक्य में उनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। जैसे – 'टर – टर' निरर्थक शब्द है, परन्तु – "क्या टर – टर लगा रखी है?" इस वाक्य में 'टर – टर' कर्कश ध्वनि के अर्थ को प्रकट कर रहा है और यह वाक्य में सार्थक रूप में प्रयुक्त हुआ है।

(2) योग्यता – वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में अर्थ प्रकट करने की योग्यता या क्षमता होनी चाहिए जैसे –

'राम पानी खाता है' – यह शब्द समूह वाक्य नहीं कहा जा सकता। क्योंकि 'पानी' और 'खाता है' दोनों एक-साथ प्रयुक्त नहीं हो सकते अत: इस वाक्य को इस प्रकार कह सकते हैं–

'राम पानी पीता है' या 'राम खाना खाता है।'

(3) **आकांक्षा** – वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। उसमें कुछ आकांक्षा या जिज्ञासा नहीं प्रकट होनी चाहिए। जैसे – 'रविवार को आएगा।' इस वाक्य में क्रिया के कर्त्ता को जानने की जिज्ञासा बाकी रह जाती है। अत: पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा–

लोकेश रविवार को आएगा।

(4) **आसक्ति या निकटता** – वाक्य के पदों में परस्पर आसक्ति अर्थात निकटता का होना अनिवार्य है। यदि बोलते या लिखते समय वाक्य में प्रवाह नहीं है तो वाक्य बिखरा सा लगेगा और अर्थ देने में असमर्थ होगा जैसे–

वह.....शाम.....को.....आएगा।

इस तरह रुक-रुककर, थोड़ी-थोड़ी देर बाद बोले गए शब्द वाक्य नहीं बनाते। हाँ, स्वाभाविक ठहराव या बलाघात आदि की बात अलग है, जिन्हें दर्शाने के लिए लिखते समय विराम-चिह्न प्रयोग में लाए जाते हैं।

(5) **पदक्रम** – वाक्य का सही अर्थ तभी प्रकट होगा जब उसे एक निश्चित क्रम में लिखा जाए। यदि क्रमानुसार नहीं लिखा जाएगा तो वाक्य का कुछ और ही अर्थ हो जाएगा। जैसे–

'बच्चों को काटकर सेब खिलाओ।' इसको वाक्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें शब्दों का उचित क्रम नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों को काटना है। इस वाक्य को ठीक ढंग से ऐसे लिखा जाएगा– 'सेब काटकर बच्चों को खिलाओ।

(6) **अन्वय** – अन्वय अर्थात मेल। यदि वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ परस्पर मेल नहीं है तो अर्थ ग्रहण करने में भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी।

पदबंध – वाक्य पर विस्तृत विचार करने से पहले 'पदबंध' के बारे ज्ञान होना अत्यावश्यक है, अत: यहाँ 'पदबंध' पर विचार किया जा रहा है।

वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। पदों के व्यवस्थित समूह को ही वाक्य कहते हैं। पद और वाक्य के बीच की स्थिति पदबन्ध की है इसमें एक से अधिक पद होते है। पदबंध वाक्य की तरह स्वयं में पूर्ण नहीं होता अपितु वाक्य में ही कोई व्याकरणिक कार्य करता है। जैसे–

(i) मज़दूर बहुत थक गया।

(ii) सुबह से शाम तक काम करते – करते मज़दूर बहुत थक गया।

उपर्युक्त पहले वाक्य में कर्त्ता एक पद अर्थात 'मज़दूर' है, किन्तु दूसरे वाक्य में एक पदबंध 'सुबह से शाम तक काम करते करते मज़दूर'। अतः पदबंध का लक्षण इस तरह होगा –

'वाक्य में जब एक से अधिक पद जुड़कर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो ऐसे पदसमूह को पदबंध कहा जाता है।'

पदबंध के भेद

मुख्य पद के आधार पर पदबंध पाँच प्रकार के होते हैं –

(1) संज्ञा पदबंध (2) सर्वनाम पदबंध

(3) विशेषण पदबंध (4) क्रिया पदबंध

(5) अव्यय पदबंध

(1) **संज्ञा पदबंध** – वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा पदों का कार्य करे, उसे संज्ञा पदबन्ध कहते हैं। जैसे – **प्रतिदिन अभ्यास करने वाला खिलाड़ी** अवश्य सफल होता है।

इस वाक्य में काला किया गया पदबंध 'संज्ञा पदबंध' है क्योंकि वह संज्ञा शब्द (खिलाड़ी) से सम्बद्ध है।

संज्ञा के समान संज्ञा पदबंध भी वाक्य में अनेक कारक रूपों में प्रयुक्त होता है –

कर्त्ता	**साथ के घर में रहने वाली लड़की** पेड़ से गिर पड़ी।
कर्म	पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर वह बहुत खुश हुआ ।
करण	यह पत्र उसने इनाम में **मिले पेन से** लिखा है।
सम्प्रदान	उसने **स्कूल के गरीब विद्यार्थियों को** किताबें दीं।
अपादान	गोपाल ने **जंगली व पागल हाथी से** मेरी रक्षा की।
संबंध	सुरेश **की बहन की सखी** भी घूमने गई।
अधिकरण	आपकी किताब **लकड़ी की अलमारी** में पड़ी है।
सम्बोधन	**धूम्रपान करने वाले नौजवानो!** नशे से बचो।

इन वाक्यों में काले किए गए पदबंध 'संज्ञा पदबंध हैं', वे क्रमशः लड़की, समाचार, पेन, विद्यार्थियों, हाथी, सखी, अलमारी तथा नौजवानों – इन संज्ञा शब्दों से सम्बद्ध हैं।

टिप्पणी (i) संज्ञा पदबंध में प्राय: विशेषण संज्ञा के पूर्व लगते हैं। जैसे- **सुदर** खिलौना, **मीठा** आम, **छोटा** बच्चा।

(ii) संज्ञा पदबंधों में सभी प्रकार के विशेषण आ जाते हैं। जैसे-

(क) गुणवाचक विशेषण- सफेद चने, **ऊँचा** मकान।

(ख) संख्यावाचक विशेषण- चार घड़ियाँ, **सौ** आदमी।

(ग) परिमाणवाचक विशेषण- चार किलो चावल, **कुछ** दाल।

(घ) सार्वनामिक विशेषण- मेरी बहन, **उसकी** बेटी।

(2) सर्वनाम पदबंध- वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे-

(i) **शोर मचाने वाले विद्यार्थियों में से कुछ** भाग गए ।

(ii) **दूसरों को धोखा देने वाले तुम** सचमुच ठग हो।

(iii) **गरीबों पर दया दिखाने वाले आप** सचमुच महान हो।

इन वाक्यों में काले किए गए पदबंध 'सर्वनाम पदबंध' हैं क्योंकि वे क्रमश: **'कुछ'**,**'तुम'** तथा **'आप'** इन सर्वनाम शब्दों से सम्बद्ध हैं।

अन्य उदाहरण

(i) **चोट खाए हुए भला आप** क्या मुकाबला करोगे।

(ii) **शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम** डर क्यों रहे हो ।

(3) विशेषण पदबंध- वह पदबंध जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हुआ विशेषण का कार्य करे, उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे-

(i) **रोज़ाना अभ्यास करने वाला** खिलाड़ी अवश्य सफल होता है।

(ii) **साथ के कमरे में रहने वाली** लड़की पेड़ से गिर पड़ी।

इन वाक्यों में काले किए गए पदबंध क्रमश: **'खिलाड़ी'**, **लड़की'** तथा 'तुम' (सर्वनाम) की विशेषता बताने का व्याकरणिक कार्य कर रहे हैं। अत: ये विशेषण पदबंध हैं।

अन्य उदाहरण-

(i) घोड़े की तरह तेज़ दौड़ने वाले धावक को पता नहीं क्या हो गया?

(ii) जेल से भागा हुआ कैदी आज पकड़ा गया।

(4) क्रिया पदबंध - वह पदबंध जो अनेक क्रियों पदों के मेल से बना हो,उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे-

(i) बालक किताब पढ़ रहा है।

(ii) रजनीश पढ़ कर सो गया।

(iii) शिशु हँसते-हँसते रो दिया।

इन वाक्यों में काले किए गए शब्द समूह 'क्रिया पदबंध हैं क्योंकि वे अनेक क्रिया पदों से मिलकर बने हैं।

टिप्पणी – (i) क्रिया पदबंध की रचना मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया के संयोग से होती है।

(ii) क्रिया पदबंध वाक्य के अंत में प्रयुक्त होता है।

अन्य उदाहरण –

(i) तुम्हे वहाँ **जाना चाहिए था।**

(ii) भिखारी **गाता हुआ जा रहा था।**

(5) अव्यय पदबन्ध – वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे, उसे 'अव्यय पदबन्ध' कहते हैं। इस पदबंध का अंतिम शब्द अव्यय होता है। जैसे –

(i) **मित्रों के साथ** रजनीश खेलने चला गया।

(ii) मोनिका **पहले से बहुत धीरे** बोली।

इन वाक्यों में काले किए गए शब्द – समूह 'अव्यय पदबंध' हैं क्योंकि वे क्रमशः **'के साथ'**, 'पहले से' तथा 'बहुत धीरे' अव्यय शब्दों से सम्बद्ध हैं।

अन्य उदाहरण

(i) वह **छत के ऊपर** कूद रहा है।

(ii) उसने **कमरे के भीतर** प्रवेश किया।

वाक्य के अंग

(1) अमन ने कसम खायी। (2) अभिषेक पढ़ता है।

उद्देश्य (कर्त्ता)	विधेय (क्रिया)
अमन ने	कसम खायी
अभिषेक	पढ़ता है।

उपर्युक्त उदाहरणों से पता चलता है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे 'उद्देश्य' (कर्त्ता) कहते हैं। पहले वाक्य में 'अमन' तथा दूसरे वाक्य में 'अभिषेक' के बारे में कहा जा रहा है अतः 'अमन ने' तथा 'अभिषेक' उद्देश्य हैं।

वाक्यों में उद्देश्य (कर्त्ता) के विषय में जो कुछ बताया जाता है। उसे विधेय (क्रिया) कहते हैं। पहले वाक्य में उद्देश्य (अमन ने) के बारे में बताया गया है कि उसने 'कसम खायी' तथा दूसरे वाक्य में उद्देश्य (अभिषेक) के बारे में बताया गया है कि वह 'पढ़ता है।' अतः 'कसम खायी' तथा 'पढ़ता है' विधेय हैं।

इस प्रकार वाक्य के दो अंग होते हैं

(1) उद्देश्य (2) विधेय

उद्देश्य और विधेय का विस्तार

उद्देश्य का विस्तार

(i) **शर्मिन्दा हुए** अमन ने कसम खायी।

(ii) **बराबर के कमरे में रहने वाला** अभिषेक पढ़ता है।

उपर्युक्त वाक्यों में उद्देश्य (कर्त्ता) के साथ विशेषण, विशेषण पदबंध प्रयुक्त होकर 'उद्देश्य का विस्तार' करते हैं। पहले वाक्य में 'शर्मिन्दा हुए' तथा दूसरे वाक्य में 'बराबर के कमरे में रहने वाला' विशेषण पदबंधों से क्रमशः 'अमन' और 'अभिषेक' उद्देश्य का विस्तार हुआ है।

विधेय का विस्तार

(i) शर्मिन्दा हुए अमन ने **आजीवन चोरी न करने की** कसम खायी।

(ii) बराबर के कमरे में रहने वाला अभिषेक **हिन्दी की पुस्तक धीरे-धीरे** पढ़ता है।

उपर्युक्त वाक्यों में विधेय (क्रिया) के साथ कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया विशेषण प्रयुक्त होकर 'विधेय का विस्तार' करते हैं। पहले वाक्य में 'आजीवन' क्रियाविशेषण, 'कसम' कर्म तथा 'चोरी न करने की' कर्म का विस्तार तथा दूसरे वाक्य में 'पुस्तक' कर्म, 'हिन्दी की' कर्म-विस्तार तथा 'धीरे-धीरे' क्रियाविशेषण- ये सब विधेय का विस्तार करते हैं।

वाक्य के भेद

वाक्य के भेद मुख्यतः दो आधारों पर किए जाते हैं- अर्थ के आधार पर तथा रचना के आधार पर

(क) अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद

अर्थ के आधार पद वाक्य के आठ भेद हैं-

(1) **विधानवाचक** – जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो। ऐसे वाक्यों में निश्चयार्थक वृत्ति होती है इसलिए इन्हें निश्चयवाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे-

(i) मैं आज शिमला जा रहा हूँ। (ii) चण्डीगढ़ पंजाब की राजधानी है।

(2) **निषेधवाचक** – जिन वाक्यों में किसी बात के न करने या न होने का कथन हो। ऐसे वाक्यों में 'न' 'नहीं' तथा 'मत' का प्रयोग होता है। जैसे-

(i) मैं आज शिमला नहीं जाऊँगा। (ii) उसने खाना नहीं खाया।

(3) **प्रश्नवाचक** – जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए। प्रश्नवाचक रूप

विधानवाचक तथा निषेधवाचक दोनों ही प्रकार के वाक्यों से बनाए जा सकते हैं। ऐसे वाक्यों में 'कौन','क्या',कैसे, 'कहाँ' आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे-

(i) आप कहाँ घूमने जा रहे हो? (ii) क्या वह सो रहा है?

ऐसे प्रश्नवाचक जिनका उत्तर केवल 'हाँ' या 'न' में प्राप्त होता है, वहाँ प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है। जैसे-

(i) क्या आप चाय पीएँगे? (ii) क्या सुरेश दिल्ली चला गया?
हाँ (संभावित उत्तर) नहीं(संभावित उत्तर)

अन्य प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे-

(i) तुम कहाँ रहते हो? (ii) सोहन क्या कर रहा है?

(4) **आज्ञावाचक** – जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति दी जाए। जैसे-

(i) आप तुरन्त कमरे से बाहर चले जाइए **(आज्ञा)**

(ii) आप यहाँ बैठ सकते हैं। **(अनुमति)**

(5) **इच्छावाचक** – जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा या आशा को प्रकट किया गया हो। जैसे-

(i) ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। (आशा)

(ii) मैं चाहता हूँ कि वह घर आए।**(इच्छा)**

(6) **संदेहवाचक** – जिन वाक्यों में संदेह भावना प्रकट हो। जैसे-

(i) शायद वह आज शाम तक आ जाए।

(ii) अब तक वह दिल्ली पहुँच गया होगा।

(7) **विस्मयादिबोधक** – जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों का बोध हो। जैसे-

(i) **विस्मय** – अरे! वह पास हो गया।

(ii) **हर्ष** – अहा! आनन्द आ गया।

(iii) **शोक** – हाय राम! बेचारे की टाँग टूट गयी।

(iv) **घृणा** – धिक्! गुरुओं की निन्दा करते हो।

(8) **संकेतवाचक** – जिन वाक्यों में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना तथा एक क्रिया के न होने से दूसरे क्रिया का न होना पाए जाए। जैसे-

(i) यदि वे आ जाते तो मेरा काम हो जाता ।

(ii) यदि तुम न पढ़ते तो पास भी न होते।

रचना के आधार पर वाक्य के भेद

रचना के आधार पद वाक्य के तीन भेद हैं–

(1) साधारण वाक्य (2) संयुक्त वाक्य (3) मिश्रित वाक्य

(1) साधारण वाक्य – जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है अर्थात जिसमें एक ही कर्त्ता तथा एक ही मुख्य क्रिया हो, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे– (i) लड़का खेलता है। (ii) मोहन पढ़ता है।

उपर्युक्त पहले वाक्य में 'लड़का' उद्देश्य है तथा 'खेलता है' विधेय है तथा दूसरे वाक्य में 'मोहन' उद्देश्य है तथा 'पढ़ता है' विधेय है।

किन्तु साधारण वाक्य में कर्त्ता के साथ उसके विस्तारक जैसे– विशेषण या पदबन्ध तथा क्रिया के साथ उसके विस्तारक जैसे कर्म, कर्म का विस्तार, क्रियाविशेषण पद या पदबन्ध, पूरक पद या पदबन्ध आ सकते हैं। जैसे–

(i) मेरे मित्र का लड़का फुटबाल खेलता है।

(ii) उसका पुत्र मोहन पुस्तक पढ़ता है।

उपर्युक्त पहले वाक्य में 'मेरे मित्र का' उद्देश्य का विस्तार तथा 'फुटबाल' (कर्म) विधेय का विस्तार है तथा दूसरे वाक्य में 'उसका पुत्र' उद्देश्य का विस्तार तथा 'पुस्तक' (कर्म) विधेय का विस्तार है। इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा विधेय प्रयुक्त हुए हैं जैसे–

उद्देश्य	विधेय
(i) मेरे मित्र का लड़का	(i) फुटबाल खेलता है।
(ii) उसका पुत्र मोहन	(ii) पुस्तक पढ़ता है।

(2) संयुक्त वाक्य – जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतन्त्र उपवाक्य होते हैं और समानाधिकरण समुच्चयबोधक (योजक) से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे – अमिताभ गाना गाता है और सुनील सुनता है।

स्वतन्त्र उपवाक्य योजक स्वतन्त्र उपवाक्य

उपर्युक्त उदाहरण में 'अभिताभ गाना गाता है' एक स्वतंत्र उपवाक्य है तथा 'सुनील सुनता है' एक स्वतन्त्र उपवाक्य है। इन दोनों उपवाक्यों को 'और' योजक जोड़ता है और एक संयुक्त वाक्य बनता है।

समानधिकरण समुच्चयबोधक (योजक) उन्हें कहते हैं जिनके द्वारा समान वाक्य या एक ही स्थिति के शब्दों को जोड़ने का कार्य होता है। ये चार प्रकार के होते हैं।

(क) संयोजक (ख) विकल्पसूचक (ग) विरोधसूचक (घ) परिणामसूचक।

अत: संयुक्त वाक्य भी चार प्रकार के होते हैं।

(क) संयोजक – जब संयुक्त वाक्य संयोजक (और, तथा, एवं आदि) अव्यय से जुड़ा हो जैसे –

राजन ने खाना खाया **और** सो गया।

'और' के अर्थ में ही 'तथा', 'एवं' 'व' का प्रयोग होता है। जैसे –

(i) राजीव लिख रहा था **तथा** नेहा पढ़ रही थी।

(ii) राम **एवं** लक्ष्मण वन को गए।

(iii) दीपक चाय पीता है **व** राजीव कॉफी पीता है।

(ख) विकल्पसूचक – जब संयुक्त वाक्य विकल्पसूचक (या, अथवा, चाहे) अव्यय से जुड़ा हो। जैसे –

आप घूमने जाएंगे **या** घर रहेंगे

'या' के अर्थ में ही 'अथवा','चाहे' शब्द भी प्रयुक्त होते हैं जैसे –

(i) आप चाय पीएंगे **अथवा** कॉफी पीएंगे।

(ii) यहाँ बैठ जाइए **चाहे** वहाँ बैठ जाइए।

(ग) विरोधसूचक – जब संयुक्त वाक्य विरोधसूचक (लेकिन, परन्तु, किन्तु, पर, मगर आदि) अव्यय से जुड़ा हो।

उसने बहुत परिश्रम किया लेकिन सफल न हो सका।

'लेकिन'के अर्थ में ही **'परन्तु', किन्तु' 'पर' तथा 'मगर'** आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे –

(i) वह बातें तो बहुत बनाता है **परन्तु** काम कुछ नहीं करता।

(ii) मुकेश पढ़ता तो बहुत था **किन्तु** पास नहीं हुआ।

(iii) मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा की **पर** आप नहीं आए।

(iv) यहाँ काफी रौनक होती है **मगर** इस बार कम लोग ही आए हैं।

(घ) परिणामसूचक – जब संयुक्त वाक्य परिणामसूचक (इसलिए, नहीं तो, अन्यथा, अत: आदि) अव्यय से जुड़ा हो। जैसे –

उसके पास किताब नहीं थी इसलिए उसे पाठ याद नहीं हुआ।

'इसलिए'के अर्थ में ही'अन्यथा','नहीं तो' तथा 'अत:' शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे –

(i) वह पढ़ा नहीं **अन्यथा** पास हो जाता ।

(ii) मैं ठीक समय पर नहीं पहुँचा **नहीं तो** काम हो जाता।

(iii) उसने चोरी की थी **अतः** उसे नौकरी से निकाल दिया गया।

(3) मिश्रित वाक्य – जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हों, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य के उपवाक्य 'व्यधिकरण योजकों जैसे- क्योंकि, इस कारण, कि, ताकि, जो, अर्थात, मानो, यहाँ तक, जिससे, यद्यपि.....तथापि....., यदि.....तो, जब.....तब आदि से जुड़े होते हैं। जैसे-

(i) खूब परिश्रम करो ताकि पास हो जाओ।

प्रधान उपवाक्य *आश्रित उपवाक्य*

(ii) वह गरीब है इस कारण फीस नहीं दे सकता ।

प्रधान उपवाक्य *आश्रित उपवाक्य*

(iii) उसने ठीक किया जो यहाँ चला आया।

प्रधान उपवाक्य *आश्रित उपवाक्य*

पहले वाक्य में 'ताकि', दूसरे वाक्य में 'इस कारण' तथा तीसरे वाक्य में 'जो' व्यधिकरण योजक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ते हैं।

प्रधान उपवाक्य की पुष्टि, समर्थन, स्पष्टता अथवा विस्तार के लिए ही आश्रित उपवाक्यों का प्रयोग होता है।

अन्य उदाहरण

(i) राजन ने कहा कि वह दिल्ली जा रहा है।

प्रधान उपवाक्य *आश्रित उपवाक्य*

(ii) जब वह मेरे पास आया तब मैं पढ़ रहा था।

प्रधान उपवाक्य *आश्रित उपवाक्य*

(iii) वह नाच नहीं पाएगी क्योंकि उसके पाँव में चोट लगी है।

प्रधान उपवाक्य *आश्रित उपवाक्य*

आश्रित उपवाक्य के भेद

मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य के तीन भेद हैं-

(क) संज्ञा उपवाक्य (ख) विशेषण उपवाक्य (ग) क्रिया विशेषण उपवाक्य

(क) संज्ञा उपवाक्य – जो आश्रित उपवाक्य वाक्य में संज्ञा की तरह कार्य करे, वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। मुख्यत: संज्ञा उपवाक्य 'कि' योजक से जुड़ता है। जैसे-

उसने कहा कि मैं घूमने नहीं जाऊँगा।
प्रधान उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य

वाक्य में संज्ञा उपवाक्य कर्त्ता, कर्म, पूरक की भाँति प्रयोग में आता है। जैसे-

(i) **कर्त्ता की भाँति प्रयोग –** इसमें संज्ञा उपवाक्य (आश्रित उपवाक्य) प्रधान उपवाक्य की क्रिया का कर्त्ता (उद्देश्य) होता है। जैसे-

ऐसा लगता है कि वह बहुत सुखी है।

प्रधान उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य ऐसा लगता है क्रिया का कर्त्ता (उद्देश्य) है।

(ii) **कर्म की भाँति प्रयोग –** इसमें संज्ञा उपवाक्य (आश्रित उपवाक्य) प्रधान उपवाक्य की क्रिया का कर्म होता है। जैसे-

मैं जानता हूँ कि वह आपका मित्र है।

प्रधान उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य-'जानता' क्रिया का कर्म

(iii) **पूरक की भाँति प्रयोग –** इसमें संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की अपूर्ण क्रिया के अर्थ की पूर्ति करता है। जैसे-

मेरी इच्छा है कि तुम डॉक्टर बनो।

प्रधान उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य-'है' क्रिया की पूर्ति करता है।

(ख) विशेषण उपवाक्य – जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह 'विशेषण उपवाक्य' कहलाता है। जैसे-

(i) वही व्यक्ति सफल होता है जो मेहनत करता है।
प्रधान उपवाक्य विशेषण उपवाक्य

(ii) यह वही लड़का है जिसने कल शतक बनाया था।
प्रधान उपवाक्य विशेषण उपवाक्य

(iii) मैंने आपको ऐसी घड़ी दी है जो सुन्दर व टिकाऊ है।
प्रधान उपवाक्य विशेषण उपवाक्य

उपर्युक्त पहले वाक्य में 'जो मेहनत करता है', दूसरे वाक्य में 'जिसने कल शतक बनाया था' तथा तीसरे वाक्य में 'जो सुन्दर व टिकाऊ है' ये विशेषण उपवाक्य हैं क्योंकि ये प्रधान उपवाक्य में आए क्रमशः 'व्यक्ति', 'लड़का' तथा 'घड़ी' संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं।

विशेषण उपवाक्यों के शुरू में प्राय: संबंधवाचक सर्वनाम या उसके विभिन्न रूप - जो, जिसे, जिसको, जिसने, जिससे, जिसमें, जिसके लिए आदि का प्रयोग अवश्य होता है।

अन्य उदाहरण

(i) मेरे कमरे में एक ऐसी घड़ी है जो विदेशी है।
प्रधान उपवाक्य *विशेषण उपवाक्य*

(ii) मेरा एक ऐसा मित्र है जो बहुत समझदार व होशियार है।
प्रधान उपवाक्य *विशेषण उपवाक्य*

(iii) यह वही भारतवर्ष है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था।
प्रधान उपवाक्य *विशेषण उपवाक्य*

(3) क्रिया विशेषण उपवाक्य – जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे -

(i) जब वह आया तब मैं पढ़ रहा था।
क्रिया वि० उपवा० प्रधान उपवाक्य

(ii) जब मैं वहाँ गया उसने मुझे रोक लिया।
क्रिया वि० उपवा० प्रधान उपवाक्य

(iii) जैसा वह समझाता है वैसा कोई नहीं समझा सकता।
क्रिया वि० उपवा० प्रधान उपवाक्य

उपर्युक्त पहले क्रिया विशेषण वाक्य प्रधान उपवाक्य में 'जब वह आया', दूसरे वाक्य में 'जब वह गया', तथा तीसरे वाक्य में 'जैसा वह समझाता है' ये क्रियाविशेषण उपवाक्य हैं जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया क्रमश: 'पढ़ रहा था' 'रोक लिया', तथा 'समझा सकता' की विशेषता बता रहे हैं।

(i) ज्यों - ज्यों वह बड़ा हो रहा है, मूर्ख बनता जा रहा है।
क्रिया वि०उपवा० *प्रधान उपवाक्य*

(ii) जब आपका फोन आया तब मैं सो रहा था।
क्रिया वि० उपवा० *प्रधान उपवाक्य*

(iii) जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक सुन्दर बगीचा है।
क्रिया वि०उपवाक्य *प्रधान उपवाक्य*

वाक्य – विश्लेषण

वाक्य	विश्लेषण
(1) बच्चा सो गया।	बच्चा (**कर्त्ता**) सो गया (**क्रिया**)
(2) छात्र पुस्तक पढ़ता है।	छात्र (**कर्त्ता**) पुस्तक (कर्म) पढ़ता है (**क्रिया**)
(3) सुरेश बीमार है।	सुरेश (**कर्त्ता**) बीमार (पूरक) है (**क्रिया**)

अतः वाक्य में आए अनेक पदों को अलग – अलग करके उनके परस्पर सम्बन्ध को दर्शाना ही 'वाक्य विश्लेषण' है। पहले बताया जा चुका है कि वाक्य के तीन प्रकार हैं (1) साधारण वाक्य (2) संयुक्त वाक्य (3) मिश्रित वाक्य।

इन तीनों का क्रम से विश्लेषण करना सीखेंगे –

(1) साधारण वाक्य का विश्लेषण

साधारण वाक्य का विश्लेषण करते समय निम्नलिखित बातें बतानी चाहिएं।

(1) उद्देश्य
- (क) कर्त्ता
- (ख) कर्त्ता का विस्तार
- (जो विशेषण पद या पदबन्ध कर्त्ता के साथ आएँ)

(2) विधेय
- (क) कर्म
- (ख) कर्म का विस्तार
- (जो विशेषण पद या पदबन्ध कर्म के साथ आएँ)
- (ग) क्रिया पद या पदबन्ध
- (घ) क्रिया विशेषण पद या पदबन्ध
- (ङ) पूरक पद या पदबन्ध

उदाहरण (i) वीर सिपाही ने देखते ही देखते शत्रुओं को मार दिया ।

(ii) धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने दानवीर कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया।

(iii) प्रतिभावान किशोर ने यहाँ एक सुन्दर चित्र बनाया।

(iv) वह लड़का बीमार हो गया।

(v) झूठे वायदे करने वाले नेता लोगों का दुःख दर्द क्या जानें।

साधारण वाक्यों के इन उदाहरणों का विश्लेषण इस तरह से होगा

साधारण वाक्य का विश्लेषण

उद्देश्य		विधेय				
कर्त्ता	कर्त्ता का विस्तार	कर्म	कर्म का विस्तार	क्रिया पद	क्रियाविशेषण	पूरक
सिपाही ने	वीर	शत्रुओं को	–	मार दिया	देखते ही देखते	–
दुर्योधन ने	धृतराष्ट्र पुत्र	कर्ण को	दानवीर	बना दिया	–	अंगदेश का राजा
किशोर ने	प्रतिभावान	चित्र	एक सुन्दर	बनाया	यहाँ	–
लड़का	वह	–	–	हो गया	–	बीमार
नेता	झूठे वायदे करने वाले	दुःख दर्द	लोगों का	जानें	क्या	–

संयुक्त वाक्य का विश्लेषण

संयुक्त वाक्य का विश्लेषण करते समय निम्नलिखित बातों का उल्लेख करना चाहिए –

(1) सर्वप्रथम सभी उपवाक्यों को अलग – अलग लिख लें।

(2) फिर प्रधान उपवाक्य तथा समानाधिकरण उपवाक्यों को सुनिश्चित करें।

(3) फिर उपवाक्यों के बीच के आपसी संबंध लिखिए।

(4) उपवाक्यों को जोड़ने वाले योजक लिखिए।

(5) अंत में साधारण वाक्य के विश्लेषण की विधि की तरह ही उद्देश्य तथा विधेय के सभी अंगों को अलग – अलग लिखिए।

उदाहरण –

(i) मेरे सभी रिश्तेदार आज यहाँ से जाएंगे और दिल्ली में लाल किला देखेंगे।

(ii) हमारे अध्यापकों ने सभी विद्यार्थियों को अच्छे ढंग से पढ़ाया था किन्तु हमने ध्यान नहीं दिया।

(iii) गाँव वालों ने बाढ़ के पानी को रोकने की अत्यंत कोशिश की पर वह रुक न सका।

(iv) सुरेन्द्र विद्यालय में गया किन्तु वहाँ अवकाश था इसलिए वह पढ़ न सका।

संयुक्त वाक्य का विश्लेषण

				उद्देश्य		विधेय			
उपवाक्य	उपवाक्य – भेद	संबंध	योजक	कर्त्ता	कर्त्ता – विस्तार	कर्म	कर्म – विस्तार	क्रिया	क्रि०वि० व अन्य क्रि०विस्तारक
1. (क) मेरे सभी रिश्तेदार यहाँ से जाएँगे।	प्रधान उपवाक्य	-	-	रिश्तेदार	मेरे सभी	-	-	जाएँगे	आज यहाँ से
(ख) ये दिल्ली में लाल किला देखेंगे।	समानाधिकरण उपवाक्य	प्रधान उपवाक्य के साथ संयोजक संबंध	और	ये	-	लाल किला	-	देखेंगे	दिल्ली में
2.(क) हमारे अध्यापकों ने सभी विद्यार्थियों को अच्छे ढंग से पढ़ाया था।	प्रधान उपवाक्य	-	-	अध्यापकों ने	हमारे	विद्यार्थियों को	सभी	पढ़ाया था	अच्छे ढंग से
(ख)हमने ध्यान नहीं दिया।	समानाधिकरण उपवाक्य	प्रधान उपवाक्य के साथ विरोध-सूचक संबंध	किन्तु	हमने	-	-	-	ध्यान दिया	नहीं
3.(क) गाँव वालों ने बाढ़ के पानी को रोकने की अत्यंत कोशिश की।	प्रधानउपवाक्य	-	-	गाँव वालों ने	-	पानी को	बाढ़ के	कोशिश की	रोकने की अत्यंत
(ख) वह रुक न सका।	समानाधिकरण उपवाक्य	प्रधान उपवाक्य के साथ विरोध सूचक संबंध	पर	वह	-	-	-	रुक सका	न
4.(क) सुरेन्द्र विद्यालय में गया।	प्रधान उपवाक्य	-	-	सुरेन्द्र	-	-	-	गया	विद्यालय में
(ख) वहाँ अवकाश था।	पहला समानाधि-करण उपवाक्य	प्रधान उपवाक्य से विरोध सूचक संबंध	किन्तु	अवकाश	-	-	-	था	वहाँ
(ग) वह पढ़ न सका।	दूसरा समानाधि-करण उपवाक्य	प्रधान उपवाक्य से परिणाम सूचक संबंध	इसलिए	वह	-	-	-	पढ़ सका	नहीं

मिश्रित वाक्य का विश्लेषण

मिश्रित वाक्य का विश्लेषण करते समय निम्नलिखित बातों का उल्लेख करना चाहिए -

(1) प्रधान उपवाक्य कौन है।

(2) आश्रित उपवाक्य - संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य में से कौन सा है।

(3) आश्रित उपवाक्यों का प्रधान उपवाक्यों से संबंध।

(4) आश्रित उपवाक्यों व प्रधान उपवाक्यों को जोड़ने वाले योजक।

(5) अन्त में साधारण वाक्य के विश्लेषण की तरह उद्देश्य तथा विधेय के सभी अंगों को अलग - अलग लिखें।

विशेष कथन - मिश्रित वाक्य तथा संयुक्त वाक्य के विश्लेषण में अन्तर सिर्फ इतना है कि मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्य होते हैं जबकि संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण उपवाक्य होते हैं। शेष विश्लेषण की प्रक्रिया दोनों में एक जैसी ही है।

उदाहरण

(i) घबराया हुआ वह नहीं जानता कि उसकी विदेशी कार किसने चुरायी?

(ii) मैं आज नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ।

(iii) मुझे ऐसा लगता है कि आज आँधी चलेगी।

(iv) जो कठिन परिश्रम करते हैं वे हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं।

(v) जब वह आया तब मैं खाना खा रहा था।

मिश्रित वाक्य का विश्लेषण

उपवाक्य	उपवाक्य – भेद	संबंध	योजक	कर्त्ता	कर्त्ता – विस्तार	कर्म	कर्म – विस्तार	क्रिया	पूरक	क्रियाविशेषण
1. (क) घबराया हुआ वह नहीं जानता।	प्रधान उपवाक्य	-	-	वह	घबराया हुआ	-	-	जानता	-	नहीं
(ख) उसकी विदेशी कार किसने चुरायी?	आश्रित संज्ञा उपवाक्य	'जानता' क्रिया का कर्म	कि	किसने	-	कार	उसकी विदेशी	चुरायी	-	-
2.(क) मैं आज नहीं आ सकता।	प्रधान उपवाक्य	-	-	मैं	-	-	-	नहीं आ सकता	-	आज
(ख) मैं बीमार हूँ।	आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य	प्रधानवाक्य 'आ सका' क्रिया की विशेषता बताता है	क्योंकि	मैं	-	-	-	हूँ	बीमार	-
3.(क) मुझे ऐसा लगता है।	प्रधानउपवाक्य	-	-	मुझे	-	-	-	लगता है	ऐसा	-
(ख) आज आँधी चलेगी।	आश्रित संज्ञा उपवाक्य	'लगता है' क्रिया का कर्त्ता	कि	आँधी	-	-	-	चलेगी	-	आज
4.(क) वे हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं।	प्रधान उपवाक्य	-	-	वे	-	-	-	प्राप्त करते हैं	सफलता	-
(ख) जो कठिन परिश्रम करते हैं।	आश्रित विशेषण उपवाक्य	प्रधान उपवाक्य के कर्त्ता 'वे' की विशेषता बता रहा है।	-	जो	-	परिश्रम	कठिन	करते हैं	-	-
5.(क) मैं खाना खा रहा था।	प्रधान उपवाक्य	-	-	मैं	-	खाना	-	खा रहा था	-	तब
(ख) जब वह आया।	आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य	प्रधान उपवाक्य के कालवाचक क्रिया-विशेषण 'तब' की विशेषता बता रहा है।	-	वह	-	-	-	आया	-	जब

वाक्य – संश्लेषण

वाक्य	वाक्य – संश्लेषण
(क)	(ख)
(1) खिलाड़ियों ने सामान बैग में डाला।	सामान बैग में डालकर और उसे उठाकर
(2) खिलाड़ियों ने बैग उठाया।	खिलाड़ी खेलने चले गये।
(3) खिलाड़ी खेलने चले गये।	

उपर्युक्त 'क' भाग के विभिन्न वाक्यों को 'ख' भाग में एक वाक्य के रूप में लिखा गया है। यही वाक्य संश्लेषण है। वाक्य विश्लेषण में जहाँ वाक्यों को अलग – अलग किया जाता है वहीं वाक्य – संश्लेषण में अलग – अलग वाक्यों को एक किया जाता है।

अतः एक से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना ही 'वाक्य संश्लेषण' कहलाता है।

वाक्य संश्लेषण अभ्यास की वस्तु है। इसकी कोई निश्चित विधि नहीं है किन्तु फिर भी कुछ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर वाक्यों को सरलता से संश्लिष्ट किया जा सकता है –

(1) सभी वाक्यों में महत्वपूर्ण क्रिया चुनकर उसे मुख्य क्रिया बनाओ। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में 'चले गये' को मुख्य क्रिया बनाया गया।

(2) फिर अन्य वाक्यों की समापिका क्रियाओं को पहले असमापिका क्रिया (कृदन्त रूपों) में बदला जाता है। तत्पश्चात् इनको विशेषण, संज्ञा या क्रियाविशेषण बनाकर प्रयोग किया जाता है, जैसे उपर्युक्त वाक्यों में 'डाला' तथा 'उठाया', समापिका क्रियाओं को असमापिका क्रिया अर्थात् 'डालकर' तथा 'उठाकर' में क्रमशः परिवर्तित किया तथा फिर वाक्य में प्रयुक्त किया।

इसमें मुख्यतः निम्नलिखित कृदन्तों का प्रयोग किया जाता है –

(i) **विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले कृदन्त** – विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले कृदन्त इस प्रकार हैं –

(क) अपूर्ण कृदन्तः – ये 'ता', 'ती', 'ते' लगकर बनते हैं जैसे –

पढ़ता बच्चा, पढ़ती बच्ची, पढ़ते बच्चे।

i वाक्य	संश्लेषण
(i) बच्चे दौड़ रहे थे।	दौड़ते (हुए) बच्चे सुन्दर लग रहे थे।
(ii) बच्चे सुन्दर लग रहे थे।	
(i) चिड़िया उड़ रही थी।	उड़ती चिड़िया को पकड़ना आसान काम नहीं।
(ii) चिड़िया को पकड़ना आसान काम नहीं।	

(ख) **पूर्ण कृदन्त** – ये 'आ', 'इ', 'ए' लगकर बनते हैं जैसे– बैठा बच्चा, बैठी बच्ची, बैठे बच्चे।

वाक्य	संश्लेषण
(i) बच्चा रास्ते में बैठा है।	रास्ते में बैठा बच्चा रो रहा है।
(ii) बच्चा रो रहा है।	
(i) लोग प्रतीक्षा कक्ष में बैठे थे।	प्रतीक्षा कक्ष में बैठे लोग थके हुए थे।
(ii) लोग थके हुए थे।	

(ग) **कर्तृवाचक कृदन्त** – ये 'ने वाला', 'ने वाले' ने वाली' लगने से बनते है। जैसे– पढ़ने वाला, पढ़ने वाले, पढ़ने वाली।

वाक्य	संश्लेषण
(i) बच्चा हँस रहा है।	हँसने वाले बच्चे को बुलाओ।
(ii) बच्चे को बुलाओ।	
(i) लड़कियाँ रो रही हैं।	रोने वाली लड़कियों को चुप कराओ।
(ii) लड़कियों को चुप कराओ।	

(2) **संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने कृदन्त** – वाक्य संश्लेषण में अलग-अलग वाक्यों के घटकों को भाववाचक संज्ञा बनाकर भी एक वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है। संज्ञा के रूप में (क्रियार्थक) प्रयुक्त होने वाले कृदन्त 'ना', 'ने', 'नी', लगकर बनते हैं जैसे-पढ़ना, सोना, लिखनी, करने आदि।

वाक्य	संश्लेषण
(i) बच्चों को दूध पीना चाहिए।	बच्चों की सेहत के लिए दूध पीना हितकर
(ii) दूध सेहत के लिए हितकर है।	है।

(3) **क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले कृन्दत**–साधारण वाक्यों के

विभिन्न घटकों में प्रयुक्त होने वाले कृदन्त को को क्रिया विशेषण बनाकर भी संश्लिष्ट किया जाता है। निम्नलिखित कृदन्तों से क्रिया विशेषण बनते हैं। जैसे -

(क) पूर्वकालिक कृदन्त – धातु में 'कर' लगाकर। जैसे – पढ़कर, सोकर, हँस कर आदि।

वाक्य	संश्लेषण
(i) उसने स्नान किया (ii) वह स्कूल गया।	वह स्नान करके स्कूल गया।
(i) अंकुर पढ़ा। (ii) अंकुर खेलने गया।	अंकुर पढ़कर खेलने गया।

(ख) तात्कालिक कृदन्त – ये धातु में 'ते ही' लगाने से बनते हैं या द्विरुक्त रूप में 'ते ही' 'ते-ते' 'ए-ए' से बनते हैं जैसे -

पढ़ते ही, सोते ही।
पढ़ते-पढ़ते, सोते-सोते।
बैठे-बैठे, खड़े-खड़े।

वाक्य	संश्लेषण
(i) मैं बैठ गया था। (ii) वह आ गया।	मेरे बैठते ही वह आ गया।
(i) वह नाच रही थी। (ii) वह गिर गयी।	वह नाचते-नाचते गिर गयी।
(i) मैं बहुत देर से खड़ा हूँ। (ii) मैं थक चुका हूँ।	मैं खड़े-खड़े थक चुका हूँ।

अतः वाक्य-संश्लेषण में अलग-अलग साधारण वाक्यों को एक वाक्य में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन परिवर्तित वाक्य सर्वदा साधारण वाक्य ही होगा, यह आवश्यक नहीं है। वह संयुक्त या मिश्रित वाक्य भी हो सकता है। जैसे -

साधारण वाक्यों का संयुक्त वाक्य में संश्लेषण

साधारण वाक्य	संयुक्त वाक्य में संश्लेषण
(i) अनिल पास हो गया। (ii) देवेन्द्र भी पास हो गया। (iii) नरेन्द्र फेल हो गया।	अनिल और देवेन्द्र पास हो गए, परन्तु नरेन्द्र फेल हो गया।

(i) अवतार की गाड़ी खराब हो गयी। अवतार की गाड़ी खराब हो गयी अतः
(ii) अवतार को वहीं रुकना पड़ा। उसे वहीं रुकना पड़ा।

(i) सुशील मुम्बई जाएगा। सुशील मुंबई जाएगा, लोकेश बंगलौर
(ii) लोकेश बंगलौर जाएगा। और मैं चण्डीगढ़ जाऊँगा।
(iii) मैं चण्डीगढ़ जाऊँगा।

(i) राम वन को गए। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए।
(ii) लक्ष्मण वन को गए।
(iii) सीता वन को गयी।

(i) मैं घर गया मैं घर गया, खाना खाया और सो गया।
(ii) मैंने खाना खाया।
(iii) मैं सो गया।

साधारण वाक्यों का मिश्रित वाक्यों में संश्लेषण

वाक्य	संश्लेषण
(i) मैं दफ्तर गया।	जब मैं दफ्तर गया तब वह आ गया।
(ii) वह आ गया।	
(i) चण्डीगढ़ एक सुन्दर शहर है।	चण्डीगढ़, जो पंजाब व हरियाणा की
(ii) वह पंजाब व हरियाणा की राजधानी है।	राजधानी है, एक सुन्दर शहर है।
(i) आपका नौकर आया था।	जब आपका नौकर आया तब मैं घर
(ii) मैं घर पर नहीं था।	पर नहीं था।
(i) बच्चे शोर मचा रहे थे।	जो बच्चे शोर मचा रहे थे, वे भाग गए।
(ii) बच्चे भाग गए।	
(i) पंकज ने मुझे बताया।	पंकज ने मुझे बताया कि उसने वह किताब
(ii) उसने वह किताब बेच दी है।	बेच दी है जो कि उसके भाई ने खरीदी
(iii) उसके भाई ने खरीदी थी।	थी।
(i) यह कामायनी पुस्तक है।	यह जो कामायनी पुस्तक है, इसे जयशंकर
(ii) इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा था।	प्रसाद ने लिखा था।

(i)	मैंने घोड़ा खरीदा है।	मैंने जो घोड़ा खरीदा है वह बहुत तेज़
(ii)	वह बहुत तेज दौड़ता है।	दौड़ता है।

वाक्य – परिवर्तन

(क)	(ख)
वाक्य	**वाक्य परिवर्तन**
(i) सुमन ने पत्र लिखा	(i) सुमन द्वारा पत्र लिखा गया।
(ii) मैं नहाकर स्कूल चला गया।	(ii) मैं नहाया और स्कूल चला गया।
(iii) भूपेन्द्र पुस्तक पढ़ेगा।	(iii) भूपेन्द्र पुस्तक नहीं पढ़ेगा।

वाक्य जब अपना एक रूप से दूसरा रूप परिवर्तित करता है तो उसे वाक्य परिवर्तन कहते हैं। उपर्युक्त 'ख' भाग में 'क' भाग के वाक्यों को परिवर्तित करके लिखा गया है। पहले वाक्य में 'वाच्य की दृष्टि से' दूसरे वाक्य में 'रचना की दृष्टि से' तथा तीसरे वाक्य में अर्थ की दृष्टि से परिवर्तन हुआ है। अत: वाक्य परिवर्तन तीन दृष्टियों से हो सकता है –

(1) वाच्य की दृष्टि से (2) रचना की दृष्टि से (3) अर्थ की दृष्टि से

इनमें से 'वाच्य की दृष्टि से ' वाक्य में परिवर्तन के बारे में 'विकारी' शब्द अध्याय – 2 में 'क्रिया' प्रसंग में विचार हो चुका है। अत: यहाँ 'रचना की दृष्टि से तथा अर्थ की दृष्टि से' वाक्य में परिवर्तन पर विचार किया जा रहा है –

रचना की दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन

(1)	मैं कपड़े खरीदने के लिए बाज़ार गया	(साधारण वाक्य)
(2)	मैं बाज़ार गया और वहाँ मैंने कपड़े खरीदे।	(संयुक्त वाक्य)
(3)	मुझे कपड़े खरीदने थे इसलिए मैं बाज़ार गया।	(मिश्रित वाक्य)

अत: रचना की दृष्टि से वाक्य के तीनों भेदों – साधारण, संयुक्त व मिश्रित वाक्यों में परिवर्तन होता है। साधारण वाक्यों को संयुक्त तथा मिश्रित वाक्यों में बदलते समय जहाँ कुछ शब्द या संबंधबोधक या योजक आदि को अपनी तरफ से लगाना पड़ता है वही संयुक्त तथा मिश्र वाक्यों से सरल वाक्यों में बदलते समय संबंध बोधक या योजक आदि का लोप करना पड़ता है। अत: इन वाक्यों में परिवर्तन निम्नलिखित रूपों में किया जा रहा है –

(1) साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन

(2) साधारण वाक्य से मिश्रित वाक्य में परिवर्तन

(3) संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में परिवर्तन

1. साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन

साधारण वाक्य	संयुक्त वाक्य
(i) आप चाय या कॉफी में से क्या पीना चाहेंगे?	आप चाय पीना चाहेंगे या कॉफी पीना चाहेंगे।
(ii) राजेश पुस्तकें खरीदने के लिए पुस्तक मेले में गया।	राजेश को पुस्तकें खरीदनी थीं इसलिए वह पुस्तक मेले में गया।
(iii) वह कामचोर के अलावा बेईमान भी है।	वह केवल कामचोर ही नहीं बल्कि बेईमान भी है।
(iv) आशना के परीक्षा में प्रथम आने पर सब प्रसन्न हो गए।	आशना परीक्षा में प्रथम आई अत: सब प्रसन्न हो गए।
(v) रविवार को अवकाश होने के कारण स्कूल बंद रहेगा।	रविवार को अवकाश है इसलिए स्कूल बंद रहेगा।

2. साधारण वाक्य से मिश्रित वाक्य में परिवर्तन

साधारण वाक्य	मिश्रित वाक्य
(i) ईमानदार व होनहार को सभी चाहते हैं।	जो ईमानदार व होनहार होता है, उसे सभी चाहते हैं।
(ii) असफल होने पर शोक करना बेकार है।	जब असफल हो गए तो शोक करना बेकार है।
(iii) चोरी करने वाला पकड़ा जाएगा	जो चोरी करेगा, वह पकड़ा जाएगा।
(iv) बीमार होने के कारण वह कहीं आ-जा नहीं सकता।	वह इतना बीमार है कि कहीं आ जा नहीं सकता

संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में परिवर्तन

संयुक्त वाक्य	मिश्रित वाक्य
(1) छुट्टी की घंटी बजी और सभी विद्यार्थी घर चले गए।	जब छुट्टी की घंटी बजी तब सभी विद्यार्थी घर चले गए।

(2) पिता जी विवाह के लिए ज़ोर दे रहे थे अत: उसे हाँ करनी पड़ी	जब पिता जी ने विवाह के लिए ज़ोर दिया तब उसे हाँ करनी पड़ी।
(3) धर्म की हानि होती है और ईश्वर अवतार लेता है।	जब-जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर अवतार लेता है।
(4) अमित आया और गोपाल चल दिया।	ज्यों ही अमित आया त्यों ही गोपाल चल दिया ।

अर्थ की दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन

हम पढ़ चुके हैं कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के आठ भेद होते हैं। उनका भी परिवर्तन हो सकता है। यहाँ एक वाक्य का उदाहरण लेकर अर्थ की दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन को स्पष्ट किया जा रहा है-

(1) विधानवाचक	–	रमा पुस्तक पढ़ेगी।
(2) निषेधवाचक	–	रमा पुस्तक नहीं पढ़ेगी।
(3) प्रश्नवाचक	–	क्या रमा पुस्तक पढ़ेगी?
(4) आज्ञावाचक	–	रमा, पुस्तक पढ़ो।
(5) इच्छावाचक	–	रमा पुस्तक पढ़े।
(6) संदेहवाचक	–	रमा पुस्तक पढ़ती होगी।
(7) विस्मयादिबोधक	–	अरे! रमा पुस्तक पढ़ेगी।
(8) संकेतवाचक	–	रमा पुस्तक पढ़े तो.....

अध्याय – 7

विराम चिह्न

1 पढ़ो, न खेलो। 2 पढ़ो न, खेलो।

3 कौन? विवेक! 4 कौन विवेक?

उपर्युक्त पहले वाक्य में 'पढ़ो' शब्द के बाद ',' चिह्न प्रयुक्त हुआ है जिसके कारण वाक्य का अर्थ है - पढ़ो, न कि खेलो। दूसरे वाक्य में 'पढ़ो न' के बाद ',' चिह्न प्रयुक्त हुआ है जिसके कारण वाक्य का अर्थ है - 'पढ़ो मत, बल्कि खेलो।' तीसरे वाक्य में 'कौन' शब्द के बाद? चिह्न लगाकर फिर 'विवेक' शब्द के बाद '!' चिह्न प्रयुक्त हुआ है अर्थात् कहने वाले ने पहले पूछा कि (वहाँ) कौन है, फिर पहचान लिया कि विवेक है या संभावना प्रकट की कि विवेक है। चौथे वाक्य में 'विवेक' शब्द के बाद '?' चिह्न से प्रकट होता है कि वह विवेक को जानता ही नहीं है अथवा वह समझ ही नहीं पाया कि किस विवेक के बारे में बात हो रही है।

स्पष्ट है कि इन वाक्यों के अर्थ में परिवर्तन इन्हीं चिह्नों के कारण ही हुआ है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हमें बोलने की गति में परिवर्तन करना पड़ता है। इसी गति के कारण हम बोलते समय आवश्यकता के अनुसार रुकते हैं। वाक्य में भावों की स्पष्टता के लिए रुकना ही 'विराम' कहलाता है और विराम को प्रकट करने के लिए जो चिह्न प्रयोग में आते हैं, वे विराम - चिह्न कहलाते हैं।

अतः बोलते या पढ़ते समय भावों की स्पष्टता के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में जो विराम आते हैं, उन्हें लिखते समय जिन चिह्नों को प्रयुक्त किया जाता है, वे विराम चिह्न कहलाते हैं।

विराम चिह्नों का महत्व

विराम चिह्नों का प्रयोग भाषा को स्पष्ट और सुंदर बनाने के लिए बहुत महत्व रखता है। कोई भी मनुष्य निरन्तर नहीं बोल सकता, क्योंकि उसे बोलते समय बीच - बीच में साँस तो लेना पड़ता है। यदि वह बोलते समय ऐसे स्थान पर रुकता है, जहाँ कि शब्दों का सम्बन्ध नहीं टूटता, तब तो ठीक है अन्यथा वह जहाँ चाहे वहीं पढ़ते समय रुक जाए, तो न भाव स्पष्ट होता है, न कविता में ताल और लय का पता चलता है। अतः विराम चिह्नों का प्रयोग अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विराम चिह्नों के प्रयोग से वाक्य बोलने व सुनने में भी सुंदर लगता है।

विराम चिह्नों के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक स्थान पर ठीक विराम चिह्न का प्रयोग किया जाए अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे - रोको मत जाने दो। यदि इस वाक्य में विराम चिह्न न लगाया जाए जो सुनने या पढ़ने वाला इसका निम्नलिखित में से कोई भी अर्थ लगा सकता है। जैसे -

(i) जाने वाले को रोक लो, उसे जाने मत दो या

(ii) जाने वाले को मत रोको, बल्कि उसे जाने दो।

किन्तु यदि उचित स्थान पर विराम चिह्न लगाया जाता है तो उसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे -

	वाक्य	अर्थ
(i)	रोको, मत जाने दो।	जाने वाले को रोक लो, उसे जाने मत दो।
(ii)	रोको मत, जाने दो।	जाने वाले को मत रोको, बल्कि उसे जाने दो।

अत: विराम चिह्नों का समुचित रूप से प्रयोग वाक्य के आशय को सुस्पष्ट कर भाषा को सौष्ठव प्रदान करता है।

प्रमुख विराम चिह्न

हिन्दी में प्राय: सभी विराम - चिह्न अंग्रेज़ी से आए हैं और अब स्थिति यह है कि वे अब हिन्दी के अभिन्न अंग बन गये हैं। प्रमुख विराम चिह्न इस प्रकार हैं -

नाम	चिह्न	नाम	चिह्न
1. पूर्ण विराम या पाई	।	2 अल्पविराम	,
3 अर्द्ध विराम	;	4 प्रश्न वाचक	?
5 विस्मयादिबोधक चिह्न	!	6 अपूर्ण विराम	:
7 योजक	-	8 निर्देशक	—
9 उद्धरण चिह्न	" "	10 विवरण चिह्न	:-
11 कोष्ठक	()	12 लाघव चिह्न	०
13 त्रुटिबोधक	^	14 तुल्यतासूचक चिह्न	=
15 पुनरुक्तिबोधक	〃〃	16 समाप्ति बोधक चिह्न	-×-,-0-

(1) पूर्ण विराम या पाई (।) (क) प्रश्नवाचक और विस्मयादिवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों में समाप्त होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे -

(i) गगनदीप कक्षा में प्रथम आयी। (ii) सीमा खाना पकाती है।

(iii) करमजीत पुस्तकालय गयी। (iv) जितेन्द्र चित्र बनाता है।

(ख) अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में भी पूर्ण विराम प्रयुक्त होता है - जैसे -

(i) अध्यापक ने छात्र से पूछा कि कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए।

(ii) मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं।

(2) अल्पविराम (,) - अल्प का अर्थ है - थोड़ा। पढ़ते हुए जहाँ थोड़े समय के लिए रुकना हो, लिखते समय वहाँ अल्पविराम चिह्न का प्रयोग होता है। अल्पविराम चिह्न का निम्नलिखित स्थानों पर प्रयोग होता है -

(क) एक स्थान पर प्रयुक्त हुए समान महत्व वाले पदों, क्रियाओं अथवा वाक्यांशों के मध्य -

(i) समान महत्व वाले पद - दीपिका, सोनिया, रेखा और गीतिका पढ़ रही हैं।

(ii) समान महत्व वाली क्रियाएँ - हँसो, नाचो और खुश रहो।
पढ़ो, खेलो और कूदो।

(iii) समान महत्व वाले वाक्यांश - मैं सवेरे उठता हूँ, स्नान करता हूँ, तैयार होता हूँ और स्कूल चला जाता हूँ।

(ख) जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो या उन पर ज़ोर दिया जाए, वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे -

(i) हाँ, हाँ, चार्वी पढ़ने - लिखने में सबसे आगे है।

(ii) नहीं, नहीं, उसने देश को दग़ा नहीं दिया।

(ग) पर, परन्तु, किन्तु, अतः, इसीलिए आदि से शुरू होने वाले उपवाक्यों से पहले अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे -

(i) सुधीर तो अच्छा लड़का है, पर बुरी संगत में पड़ गया है।

(ii) उसने बहुत मेहनत की, परन्तु सफल न हो सका।

(iii) वह निर्धन है, किन्तु बेईमान नहीं है।

(घ) हाँ, नहीं, तो, बस, सचमुच, अच्छा आदि से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे -

(i) हाँ, मैं आज शाम को पहुँच जाऊँगा।

(ii) नहीं, यह मेरी पुस्तक नहीं है।

(iii) तो, अब मैं चलता हूँ।

(iv) बस, थोड़ी देर रुक जाइए।

(ङ) कभी-कभी वाक्यों में वह, तब तो, वहाँ आदि के स्थान पर अल्पविराम प्रयुक्त होता है-

(i) जो लड़का कक्षा में प्रथम आया है, कहाँ है।

(ii) जब हम स्टेशन पहुँचे, गाड़ी निकल चुकी थी।

(iii) जब हमने देखा कि बाहर तेज़ वर्षा हो रही है, हम रुक गये।

(iv) जहाँ-जहाँ नेता जी गये, उनका भव्य स्वागत हुआ।

उपर्युक्त पहले वाक्य में 'वह कहाँ है', दूसरे वाक्य में 'तब गाड़ी निकल चुकी थी', तीसरे वाक्य में 'तो हम रुक गये' तथा चौथे वाक्य में 'वहाँ- वहाँ' उनका भव्य स्वागत हुआ' - इस प्रकार भी लिखा जा सकता है किन्तु जब क्रमशः **'वह'**, **'तब'**, **'तो'** और **'वहाँ'** शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता तो उनके स्थान पर अल्पविराम (,) का ही प्रयोग कर दिया जाता है।

(च) जब विशेषण उपवाक्य का प्रयोग वाक्य के बीच हो तब अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे-

(i) वह लड़का, जो यहाँ खड़ा था, कहाँ गया?

(ii) वह स्कूटर, जिसे मैंने कल ही खरीदा था, चोरी हो गया।

उपर्युक्त पहले वाक्य में 'जो यहाँ खड़ा था' और दूसरे वाक्य में 'जिसे मैंने कल ही खरीदा था' - इन विशेषण उपवाक्यों का वाक्य के बीच में प्रयोग होने से इनके शुरू तथा अंत में अल्पविराम का प्रयोग हुआ है।

(छ) वाक्य में आए शब्द युग्मों को विलगाने के लिए अल्पविराम का प्रयोग होता है-

सच और झूठ, पाप और पुण्य, अच्छे और बुरे का फैसला आज होकर ही रहेगा।

(ज) महीने की तारीख और सन् को अलग-अलग दिखाने के लिए अल्पविराम का प्रयोग होता है-

15 अगस्त, सन् 1947

26 जनवरी, सन् 1950

(झ) संख्या के अंकों के बाद भी अल्पविराम का प्रयोग होता है-

1, 2, 3, 5, 9, 15, 25, 28, 35, 100 आदि।

(ञ) पत्र एवं प्रार्थना पत्र में अभिवादन, समापन व पता लिखते समय में भी अल्पविराम का प्रयोग होता है -

(i) अभिवादन में - प्रिय मित्र, पूज्य पिता जी, सेवा में,

(ii) समापन में - आपका आज्ञाकारी, भवदीय, आपका,

(iii) पता लिखते समय - अमिताभ बच्चन,
10 वाँ रास्ता,
प्रतीक्षा भवन,
मुंबई।

(ट) जो संज्ञा संबोधन कारक में आती है, उसके बाद अल्पविराम प्रयुक्त होता है -

(i) भाइयो, मेरी बात ध्यान से सुनो। (ii) लोकेश, ज़रा इधर आओ।

(ठ) उद्धरण चिह्न के पूर्व भी अल्पविराम का प्रयोग होता है -

(i) लोकमान्य तिलक ने कहा, "स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।"

(ii) महात्मा बुद्ध ने कहा, "शराब से सदा भयभीत रहना, क्योंकि यह पाप तथा अनाचार की जननी है।"

विशेष (i) एक ही स्थान पर प्रयुक्त हुए समान महत्व वाले पदों में जहाँ 'और' शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ 'और' से पहले अल्पविराम का प्रयोग अनुचित है। जैसे -

राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न दशरथ के पुत्र थे।

उपर्युक्त वाक्य में 'और' से पहले अर्थात् 'भरत' के बाद अल्पविराम का प्रयोग अनुचित है।

(ii) संयुक्त वाक्य में दो या अधिक समानस्तरीय साधारण वाक्य समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय 'और' द्वारा मिले होते हैं। जैसे -

चार्वी पढ़ती है और आरजू पेंटिंग करती है।

किन्तु कई बार दो या अधिक समानस्तरीय साधारण वाक्यों के बीच 'और' समानाधिकरण समुच्चयबोधक का प्रयोग न करना हो, वहाँ 'और' के स्थान पर अल्प विराम का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे -

चार्वी पढ़ती है, आरजू पेंटिंग करती है।

(iii) 'कि' के बाद भी अल्पविराम का प्रयोग अनुचित है। जैसे –

अध्यापक ने पूछा कि, तुमने पाठ याद क्यों नहीं किया।

मैंने उससे कहा कि, वह कल आएगा

उपर्युक्त वाक्यों में 'कि' के बाद अल्पविराम का किया गया प्रयोग अनुचित है।

(3) अर्द्धविराम (;) – जहाँ अल्पविराम से अधिक किन्तु पूर्णविराम से कम रुकना हो, तब अर्द्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है –

(क) संयुक्त वाक्यों के उपवाक्यों में जहाँ परस्पर सम्बन्ध न हो, वहाँ अर्द्धविराम चिह्न प्रयुक्त होता है। जैसे –

(i) बाल कटवाने हैं; कपड़े प्रैस करने हैं; रोटी खानी है; आधे घंटे में यह सब कुछ नहीं हो सकता।

(ii) मैंने कमलेश्वर की कहानियाँ पढ़ी हैं; जयशंकर प्रसाद की कहानियों का अध्ययन किया है; मन्नू भंडारी की कहानियों में भी रुचि रही है; परन्तु प्रेमचंद की कहानियों जैसा आनन्द मुझे कहीं नहीं मिला।

(ख) विरोधपूर्ण कथनों को अलग करने के लिए अर्द्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे –

(i) लाला लाजपतराय नहीं रहे; वे अमर हो गये।

(ii) राजेश बहुत बहादुर है; मगर वह डरता भी है।

(iii) सुरेशचन्द्र वात्स्यायन मंत्र कविता के प्रवर्त्तक हैं; मगर शोध में भी उन्होंने भारतीयता के अनछुए पहलुओं को प्रकाश में लाने का काम किया है।

(4) प्रश्नवाचक (?) – जिस विराम चिह्न का प्रयोग प्रश्नबोधक वाक्यों के अंत में होता है, वह 'प्रश्नवाचक' कहलाता है। जैसे –

(i) तुम क्या कर रहे हो? (ii) तुम कहाँ जा रहे हो?

(iii) वह किस कक्षा में पढ़ता है? (iv) तुम्हारा क्या नाम है?

विशेष – (क) जब एक ही प्रकार के प्रश्नबोधक वाक्य साथ-साथ प्रयुक्त हों तो बीच में अल्पविराम तथा अंत में प्रश्न चिह्न का प्रयोग होता है जैसे – उसने क्या सोचा, क्या दिखाया और क्या किया?

(ख) पहले बताया जा चुका है कि अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में प्रश्नवाचक चिह्न की बजाए पूर्ण विराम प्रयोग किया जाता है। जैसे –

मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है।

किन्तु यदि प्रधान वाक्य से भी प्रश्न का बोध हो तो अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में प्रश्नवाचक चिह्न का प्रयोग होगा। जैसे-

(i) क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ रहता है?

(ii) क्या आपको पता है कि वह आज आएगा?

उपर्युक्त दोनों वाक्यों में 'क्या आप जानते हैं' तथा 'क्या आपको पता है'- प्रधान वाक्य हैं तथा इनसे भी प्रश्न का बोध हो रहा है अतएव अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में प्रश्न चिह्न '?' प्रयुक्त हुआ है।

(5) विस्मयादिबोधक (!)- जिस विराम चिह्न का प्रयोग विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द के बाद किया जाता है, वह विस्मयादिबोधक चिह्न कहलाता है। जैसे-

विस्मय	-	हैं ! सुधा कक्षा में प्रथम आ गयी।
हर्ष	-	वाह ! तुमने तो कमाल कर दिया।
शोक	-	हाय ! उसके पिता जी चल बसे।
भय	-	बाप रे ! इतना लम्बा साँप।
घृणा	-	छि: ! गालियाँ बकते हो।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित स्थानों पर भी विस्मयादिबोधक चिह्न का प्रयोग होता है-

(i) आशीष, कामना आदि मनोभावों को व्यक्त करने में-

आशीष- दीर्घायु हो!
खुश रहो!

कामना- हे ईश्वर! सबका कल्याण हो।
हे प्रभु ! मुझ पर कृपा करो।

(ii) आदरपूर्वक सम्बोधित करने में विस्मयादिबोधक चिह्न का प्रयोग होता है-
हे साधु ! हमारा मार्गदर्शन करो।
हे माता ! मुझे शरण दो।

विशेष- सामान्य रूप से सम्बोधित करने में अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे-
ऐ लड़के, यहाँ से चले जाओ।

(6) अपूर्ण विराम (:)- अर्द्ध विराम से अधिक किन्तु पूर्ण विराम से कम समय के विराम के लिए अपूर्ण विराम चिह्न प्रयुक्त होता है। किसी कथन को अलग बताते

समय इसका प्रयोग होता है। जैसे -

(i) नीचे लिखे शब्दों के वाक्य बनाइए :

वृक्ष, जगत, पूर्ण, प्रकाश

(ii) एक प्रसिद्ध कहावत है: एक अनार सौ बीमार

(7) **योजक (-)** - जिस चिह्न का प्रयोग समस्त हुए शब्दों में किया जाता है, वह योजक चिह्न कहलाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है -

(क) जहाँ दोनों खण्ड समान रूप से प्रधान हों परन्तु 'और' शब्द लुप्त रहे, वहाँ योजक चिह्न प्रयुक्त होता है। जैसे - माता - पिता, राम - श्याम, नर - नारी आदि।

(ख) शब्दों की पुनरुक्ति में - घर - घर, शहर - शहर, ठंडा - ठंडा आदि।

(ग) अपूर्ण पुनरुक्ति में भी योजक चिह्न प्रयुक्त होता है। जैसे -

खाना - वाना, खेल - खाल, मार - मूर, खा - खू आदि।

(घ) विपरीतार्थक (विलोम) शब्दों के बीच -

सुख - दुःख, लाभ - हानि, ठंडा - गर्म, कम - अधिक, जीवन - मरण आदि।

(ङ) जहाँ एक अर्थ वाले दो शब्दों का इकट्ठा प्रयोग होता है -

देख - भाल, छान - बीन, चलना - फिरना, खेल - कूद आमोद - प्रमोद आदि।

(च) यदि शब्दों के बीच 'का', 'के', 'की' लुप्त रहे, तो उनके बीच योजक चिह्न प्रयुक्त होता है। जैसे -

(i) मानव - जीवन सभी जीवों से श्रेष्ठ है।

(ii) आज का नेता राष्ट्र - नेता नहीं अपितु पार्टी नेता बन कर रह गया है।

(iii) मैं राम - लीला देखने गया।

उपर्युक्त वाक्यों में 'मानव - जीवन', 'राष्ट्र - नेता' तथा 'राम - लीला' का अर्थ क्रमशः 'मानव का जीवन', 'राष्ट्र का नेता' तथा 'राम की लीला' है। जैसे वाक्यों में आए शब्दों में क्रमशः 'का' 'के' तथा 'की' लुप्त है और उनकी जगह योजक (-) प्रयुक्त हुआ है।

(छ) संज्ञा, विशेषण तथा 'सा', 'सी', 'से' के बीच योजक चिह्न लगता है। जैसे -

(i) सुधीर कमज़ोर - सा लड़का है।

(ii) वह गरीब - सी लड़की लग रही थी।

(iii) वहाँ बहुत - से लोग मौजूद थे।

(8) **निर्देशक (–)** – योजक चिह्न (–) से इसका आकार थोड़ा बड़ा होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है–

(क) संवादों (वार्तालापों) में वक्तासूचक शब्दों के बाद जैसे–

अमीना – यह चिमटा कहाँ से लाया है?

हामिद – मैंने मोल लिया है।

अमीना – कै पैसे में?

हामिद – तीन पैसे दिये।

अमीना – सारे मेले में तुझे और क्या कोई चीज़ न मिली, जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया।

हामिद – (अपराधी भाव से) तुम्हारी उंगलियाँ तवे से जल जाती थीं। इसलिए मैंने इसे लिया।

(ख) उद्धरण के अंत में लेखक के नाम के पूर्व इस चिह्न का प्रयोग होता है। जैसे–

न पुरुषार्थ बिना स्वर्ग है।
न पुरुषार्थ बिना अपवर्ग है। – मैथिलीशरण गुप्त

(ग) निक्षेपित वाक्यों के आगे और पीछे निर्देशक चिह्न लगता है।

(i) मेरा मित्र दीपक – **जब भी यहाँ आता है** – मुझे मिलकर जाता है।

(ii) शांति का पुत्र संजीव– **जो अमेरिका गया हुआ था** – आज वापिस चंडीगढ़ आ रहा है।

विशेष – निक्षेपित का अर्थ है– जमा किया हुआ, जोड़ा हुआ। अत: वाक्य के बीच में कहीं जोड़े गए स्वतन्त्र वाक्य को निक्षेपित वाक्य कहते हैं। जैसे उपर्युक्त पहले वाक्य में **'जब भी यहाँ आता है'** तथा दूसरे वाक्य में, **'जो अमेरिका गया हुआ था'** स्वतंत्र वाक्य हैं और उनके पहले और बाद में निर्देशक चिह्न (–) लगाया गया है।

कई बार वाक्य के बीच में निक्षेपित पदों के आगे और पीछे भी निर्देशक चिह्न प्रयुक्त हो जाता है। जैसे–

(i) मर्दों की तरह अंग्रेजों से लड़ने वाली–**रानी लक्ष्मीबाई**– को कौन नहीं जानता।

(ii) निर्गुण संत कवियों में अग्रगण्य–**कबीर**– सभी धर्मों में आदरणीय हैं।

उपर्युक्त वाक्यों में **'रानी लक्ष्मीबाई'** तथा **'कबीर'** निक्षेपित पद हैं, इसलिए इनके पूर्व व बाद में निर्देशक चिह्न प्रयुक्त हुआ है।

(घ) किसी वाक्य, वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए–

(i) राजा दशरथ के चार पुत्र थे– राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न।

(ii) अर्थ के आधार पर क्रियाविशेषण के चार भेद हैं - कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक।

(ङ) जैसे, उदाहरण आदि शब्दों के बाद -

(i) शब्द के जिस रूप से वस्तु, व्यक्ति आदि की 'एक संख्या' का ज्ञान हो, उसे एकवचन कहते हैं। जैसे - बालक, किताब, कुर्सी, ताजमहल आदि।

(ii) संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे - मैं, हम, तू, वे आदि।

(iii) जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण - चौराहा, पंचवटी, त्रिलोक आदि।

(च) 'निम्नलिखित हैं', 'नीचे देखिए' आदि के बाद निर्देशक चिह्न लगता है। जैसे - एकवचन के अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं -

(i) मैं पढ़ रहा हूँ। (ii) बालक सोता है।

(छ) विषय - विभाग सम्बन्धी हरेक शीर्षक के आगे -

(i) संज्ञा - (ii) सर्वनाम - (iii) विशेषण - (iv) क्रिया - आदि।

(9) उद्धरण चिह्न (" "तथा ' ') - इसके दो रूप हैं - इकहरा - (' ') और दुहरा (" ")

(क) इकहरा उद्धरण चिह्न (' ')

(i) किसी व्यक्ति का नाम या उपनाम या किसी पुस्तक का नाम इकहरे उद्धरण चिह्न (' ') द्वारा लिखा जाता है। जैसे -

रहीम की प्रमुख रचनाएं हैं - 'रहीम सतसई', 'रहीम रत्नावली', 'शृंगार सतसई', 'बरवै - नायिका भेद' और 'मदनाष्टक'।

(ii) किसी वर्ण, शब्द, वाक्य या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए इकहरा उद्धरण चिह्न लगता है। जैसे -

विसर्ग का उच्चारण 'ह' व्यंजन के समान है।

'हिमालय' शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है।

(ख) दुहरा उद्धरण चिह्न (" ")

किसी के द्वारा कहे गए कथन या किसी पुस्तक की पंक्ति या अनुच्छेद को ज्यों के त्यों उद्धृत करने में दुहरे उद्धरण चिह्न का प्रयोग होता है। जैसे -

टैगोर ने कहा है, "पुष्प चुनने के लिए ठहरो मत, आगे बढ़े चलो, तुम्हारी

राह पर फूल खिलते रहेंगे।

प्रेमचंद ने ठीक ही कहा है, "खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है। जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने की लगन का।"

(10) **विवरण चिह्न** (:-) – जब वाक्यांशों के विषय में कुछ सूचना या निर्देश आदि देना हो तो विवरण चिह्न प्रयोग में लाया जाता है। अपूर्ण विराम के साथ निर्देशक का चिह्न लगाकर 'विवरण चिह्न' (:-) बनता है। जैसे-

(i) कविता का सार इस प्रकार है :-

(ii) उपर्युक्त कथन को नीचे दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट किया जाएगा:-

(iii) बीस सूत्रीय कार्यक्रम इस तरह है :-

(11) **कोष्ठक** ( ) – कोष्ठक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है-

(i) किसी पद या पदबंध का अर्थ देना हो या कोई सूचना देनी हो तो उसे कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। जैसे-

- मैं अविलम्ब (शीघ्र) वहाँ पहुँच गया।
- 'मधुशाला' हरिवंशराय बच्चन जी की अमर कृति (रचना) है।

(ii) क्रमवाचक अंकों या अक्षरों के साथ-

(1) (2) (3) (4) (आ) (क) (ख) आदि।

(12) **लाघव चिह्न** (०)- किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिह्न का प्रयोग किया जाता है। इसे संक्षेपसूचक चिह्न भी कहते हैं । जैसे-

पं० (पंडित), क० प० उ० (कृपया पृष्ठ उलटिये), डॉ० (डाक्टर), बी० ए० (बैचलर ऑफ आर्टस) ई० (ईस्वी)

(13) **त्रुटिबोधक** (^) – जब लिखते समय कोई शब्द या अंश त्रुटि से लिखना रह जाता है तो इस चिह्न का प्रयोग कर उस शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे-

(i) मैं समझता हूँ कि तुमने शादी ^ करने का इरादा बना लिया होगा।

(ii) राष्ट्र के उत्थान के लिए युवा पीढ़ी ^ को जागरूक करना होगा।

(14) **तुल्यतासूचक चिह्न** (=) – इस चिह्न का प्रयोग समानता अथवा अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे-

5 × 5 = 25

गंगा + उदक = गंगोदक

(15) **पुनरुक्तिबोधक चिह्न** – (" " ") – जब ऊपर लिखी हुई बात को या वाक्यांश को फिर से नीचे लिखना होता है तो नीचे ठीक उन्हीं शब्दों के नीचे पुनरुक्तिबोधक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे –

(i) संज्ञा की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए।

सर्वनाम " " " " " ।

(ii) गणित के प्रश्न हल करते समय इसका काफी प्रयोग होता है। जैसे –

(क) गोपाल एक काम को 10 दिन में करता है।

(ख) सोहन " " " 20 " " " " आदि।

(16) **समाप्तिबोधक चिह्न** (–×–, –0–)– समाप्तिबोधक चिह्न का प्रयोग किसी निबंध, लेख अथवा ग्रंथ आदि की समाप्ति पर किया जाता है। जैसे – अंत में कहा जा सकता है कि समय का जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। कबीर ने ठीक ही कहा है –

काल्ह करै सो आज कर, आज करै सौ अब।
पल में परलै होयगी, बहुरि करेगा कब।

–०–

अध्याय – 8

रस, छंद एवं अलंकार – एक परिचय

(क) रस

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में 'रस' शब्द सर्वोत्तम तत्व के लिए प्रयुक्त होता है। खाने-पीने में 'रस' मधुरतम तरल वस्तु का द्योतक है। संगीत के क्षेत्र में कर्ण इन्द्रियों द्वारा प्राप्त आनन्द को 'रस' की संज्ञा से अभिहित किया गया है। अध्यात्म के क्षेत्र में स्वयं परमात्मा को ही 'रस' या 'रस' को ही परमात्मा कहा गया है। इसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी काव्य या नाटक के पठन, श्रवण या देखने से जिस आनन्द की अनुभूति होती है, उसे 'रस' कहते हैं। रस को लौकिक मापदण्डों से मापा नहीं जा सकता इसीलिए इसे अलौकिक कहते हैं।

रस सिद्धांत के प्रवर्त्तक आचार्य भरतमुनि ने 'नाट्यशास्त्र' में रस के विषय में इस प्रकार कहा है – "विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद् रस निष्पत्ति"। अर्थात् विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरतमुनि ने यह भी कहा है कि स्थायी भाव ही रसत्व को प्राप्त होते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार सहृदयों का हृदय स्थित रति आदि स्थायी भाव, विभावानुभाव तथा संचारी भावों का संयोग प्राप्त कर रस रूप में प्रकट होता है।

विभावानुभावेन व्यक्तः सञ्चारिणा तथा।
रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावः सचेतसाम्।

इस प्रकार रस अभिव्यक्ति के चार साधन हैं –

(1) स्थायी भाव (2) विभाव (3) अनुभाव (4) संचारी भाव

(1) **स्थायी भाव** – हमारे मन में कुछ भाव सदैव विद्यमान रहते हैं, जिन्हें 'स्थायी भाव' कहते हैं। यह भाव अन्य भावों को अपने में इस तरह समाहित कर लेता है जैसे समुद्र अपने में गिरने वाली नदियों को आत्मसात् कर लेता है। जिस प्रकार खट्टे पदार्थ के संयोग से दूध दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार स्थायीभाव भी विभावानुभाव आदि भावों के योग से रस रूप ग्रहण कर लेता है।

स्थायी भाव तथा उनके आधार पर कल्पित रसों के नाम इस प्रकार हैं –

स्थायी भाव	रस	स्थायी भाव	रस
रति	शृंगार	शोक	करुण
हास	हास्य	निर्वेद	शान्त
क्रोध	रौद्र	उत्साह	वीर

विस्मय (आश्चर्य)	अद्भुत	जुगुप्सा	वीभत्स
भय	भयानक		

इसके अतिरिक्त अनेक विद्वानों ने 'वात्सल्य रस' को भी अलग से रस की संज्ञा दी है।

(2) विभाव – विभाव का अर्थ है – कारण। नाटक अथवा काव्य में वाणी, अभिनय, वर्णन आदि के द्वारा व्यक्त होने वाले जिन भावों के कारण सहृदयों को अनुभूति होती है, वे विभाव कहलाते हैं अर्थात जिनके कारण स्थायी भाव प्रकट होकर उद्दीप्त होते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के हैं –

(i) आलम्बन विभाव (ii) उद्दीपन विभाव

(i) आलम्बन विभाव – जिस व्यक्ति या वस्तु के आलम्बन से प्रेम, शोक, क्रोध, उत्साह आदि भाव प्रकट होते हैं, उसे 'आलम्बन विभाव' कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं –

(क) विषय (ख) आश्रय

जिसके प्रति किसी के भाव मन में जागृत होते हैं, वह विषय कहलाता है। विषय को आलम्बन भी कहते हैं। जिस पात्र या व्यक्ति में किसी के प्रति भाव जागृत होते हैं, वह आश्रय कहलाता है। जैसे –

शकुन्तला को देखकर दुष्यन्त के हृदय में उसके प्रति रतिभाव जागृत होने पर शकुन्तला को 'विषय' (आलम्बन) तथा दुष्यन्त को 'आश्रय' कहा जाएगा।

(ii) उद्दीपन विभाव – जिस वातावरण, ऋतु, संवाद आदि से स्थायी भाव तीव्र होता है, उसे 'उद्दीपन विभाव' कहते हैं। ये भी दो प्रकार के हैं –

(क) आलम्बनगत चेष्टाएँ (ख) बाह्य वातावरण

(क) आलम्बन गत चेष्टाएँ – शृंगार रस में दुष्यंत के रतिभाव को अधिक तीव्रता प्रदान करने वाली शकुंतला की कटाक्ष, भुजा विक्षेप आदि चेष्टाएँ उद्दीपन विभाव हैं।

(ख) बाह्य वातावरण – जैसे चाँदनी रात, नदी तट, पुष्प वाटिका, एकांत स्थल आदि बाह्य रमणीय वातावरण उद्दीपन विभाव हैं जो कि आश्रय (दुष्यंत) के स्थायी भावों को उद्दीप्त करते हैं।

(3) अनुभाव – स्थायी भाव के जागृत होने पर जो बाह्य चेष्टाएँ आश्रय में उत्पन्न होती हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव चार प्रकार के हैं –

(i) आंगिक अनुभाव (ii) वाचिक अनुभाव (iii) आहार्य अनुभाव (iv) सात्विक अनुभाव

(i) **आंगिक अनुभाव** – शरीर संबंधी स्थूल चेष्टाएँ जैसे – क्रोध में हाथ पटकना, आँखें फाड़ना, कान पकड़ना, भौंहें टेढ़ी करना, भय में भागना आदि आंगिक अनुभाव हैं।

(ii) **वाचिक अनुभाव** – वाणी का व्यापार जैसे – ऊँचा बोलना, हँसना, गाली देना आदि वाचिक अनुभाव हैं।

(iii) **आहार्य अनुभाव** – अभिनय में वेश बदलना, बाल सजाना, बिंदी लगाना तथा अन्य अनेक प्रकार के प्रसाधन आहार्य अनुभाव हैं।

(iv) **सात्विक अनुभाव** – शरीर के स्वाभाविक अंग विकार को सात्विक अनुभाव कहते हैं। इसके अश्रु, स्तम्भ, कम्पन, स्वरभंग, प्रस्वेद, रोमांच तथा प्रलय भेद हैं।

(4) **संचारी भाव** – इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। अस्थिर मनोविकार 'संचारी भाव' कहलाते हैं। संचारी भाव स्थायीभावों के सहकारी कारण हैं। ये उन्हें रस की अवस्था तक पहुँचाते हैं, पर स्वयं बीच में ही जलतरंग की भाँति अदृश्य होते रहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है – निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मोह, हर्ष, गर्व, मद, जड़ता, उग्रता, शंका, चिन्ता, ग्लानि, विषाद, व्याधि, मति, आलस्य, अमर्ष, ईर्ष्या, धृति, चपलता, निद्रा, स्वप्न, लज्जा, अवहित्था (छिराव, दुराव) विबोध, उन्माद, अपस्मार, स्मृति, उत्सुकता, त्रास, वितर्क तथा मरण। संचारी भावों की यह 33 संख्या कम से कम संख्या की द्योतक है, अन्यथा इनके अनंत रूप हैं। इनके पारस्परिक मिश्रण से ही यह संख्या सहस्र तक पहुँच सकती है।

साहित्यशास्त्रियों के अनुसार प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है और स्थायी भाव के साथ आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव तथा कुछ संचारी भावों का संयोग रहता है। रसों का परिचय इस प्रकार है –

शृंगार रस – शृंगार रस को रसराज की पदवी से विभूषित किया गया है। शृंगार के दो भेद हैं – (1) संयोग (2) वियोग ।

जहाँ नायक – नायिका के मिलन का वर्णन रहता है, वहाँ संयोग शृंगार होता है और जहाँ प्रबल प्रेम के होते हुए भी मिलन के अभाव का वर्णन रहता है, वहाँ वियोग शृंगार होता है।

संयोग तथा वियोग की अवस्था में बहुत भारी अंतर है। दोनों अवस्थाओं की पारस्परिक चेष्टाएँ भिन्न – भिन्न होती हैं। इनके विभाव, अनुभाव और संचारी भाव भिन्न होते हैं। शृंगार की दोनों अवस्थाओं के विभिन्न उपादान इस तरह हैं –

(1) **स्थायी भाव** – रति

(2) **विभाव** – इसके दो भेद हैं –

(i) **आलम्बन विभाव** – नायक और नायिका।

(ii) **उद्दीपन विभाव** – शारीरिक सुन्दरता, चाँदनी रात, एकांत स्थल, नदी तट, वाटिका, कुंज, सुगंधित वायु, वसन्त ऋतु आदि। संयोग शृंगार में ये विभाव सुखकर और वियोग में दुःखप्रद प्रतीत होते हैं।

(3) **अनुभाव** – संयोग में प्रेम पूर्वक बातचीत, मुस्कराना, स्पर्श, आलिंगन करना आदि तथा वियोग में अश्रु, विलाप, स्तम्भ आदि अनुभाव हैं।

(4) **संचारी भाव** – हर्ष, उत्सुकता, लज्जा आदि संयोग में तथा चिन्ता, ग्लानि, त्रास, जड़ता, विषाद निर्वेद, उन्माद, वितर्क आदि वियोग में संचारी भाव हैं।

अतः रति स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट होता है, तो शृंगार रस का रूप ग्रहण कर लेता है।

संयोग शृंगार का उदाहरण

एक पल मेरे प्रिया के दृग पलक
थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे
चपलता ने इस विकपित पुलक से
दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था।

यहाँ नायिका आलंबन विभाव है, नायिका की सुंदरता उद्दीपन विभाव, नायिका का निरीक्षण अनुभाव तथा लज्जा आदि संचारी भाव हैं। इनसे परिपुष्ट होकर रति स्थायी भाव संयोग शृंगार रस के रूप में प्रकट हुआ है।

वियोग शृंगार का उदाहरण

मैं निज अलिन्द में खड़ी थी सखि एक रात,
रिमझिम बूँदें पड़ती थीं घटा छाई थी।
गमक रही थी केतकी की गंध चारों ओर
झिल्ली झनकार यही मेरे मनभाई थी।
करने लगी मैं अनुकरण स्व नूपुरों से,
चंचला थी चमकी घनाली घहराई थी।
चौंक देखा मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय,
माई मुखलज्जा उसी छाती में छिपाई थी।

यहाँ ऊर्मिला आलंबन विभाव है। बूँदों का पड़ना, घटा का छाना, फूलों की सुगंध आदि उद्दीपन भाव हैं। छाती में मुँह छिपाना अनुभाव है। लज्जा, स्मृति, विबोध आदि संचारी भाव हैं। इनसें परिपुष्ट होकर रति स्थायी भाव वियोग शृंगार रस में प्रकट हुआ है।

करुण रस – जिस रस के आस्वादन से मन में शोक प्रकट हो, उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस के स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव इस तरह हैं–

(1) **स्थायी भाव** – शोक

(2) **विभाव** – (i) **आलम्बन विभाव** – प्रिय जन या वस्तु की अनिष्ट हानि अथवा संपूर्ण नाश।

(ii) **उद्दीपन विभाव** – शव – दर्शन, दाह, दुःखपूर्ण दशा, प्रिय बंधुओं का विलाप आदि।

(3) **अनुभाव** – रोना, छाती पीटना, सिसकियाँ भरना, निश्वास छोड़ना, ज़मीन पर गिरना, बेहोश होना आदि।

(4) **संचारी भाव** – मोह, निर्वेद, ग्लानि, विषाद आदि।

अत: शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से अभिव्यक्त होकर करुण रस बन जाता है। जैसे –

अर्ध राति गइ कपि नहिं आयउ। राम उठाइ अनुज उर लायउ।
मम हित लागि तजेहु पितु माता। सहेहु बिपिन हिम आतप बाता।
सो अनुराग कहाँ अब भाई। उठहु न सुनि मम बच बिकलाई।
जैहउँ अवध कवन मुहु लाई। नारि हेतु प्रिय भाई गँवाई।
उतरु काह दैहउँ तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावहु भाई।

इस पद्य में लक्ष्मण के मूर्च्छित होने पर श्रीराम का विलाप दिखाया गया है। यहाँ शोक का आलंबन लक्ष्मण का मूर्च्छित शरीर है। आधी रात का समय उद्दीपन विभाव है। श्रीराम का विलाप (रोना) अनुभाव है। चिन्ता और ग्लानि संचारी भाव हैं। इनसे परिपुष्ट शोक स्थायी भाव करुण रस में प्रकट होता है।

हास्य रस – जिस रस के आस्वादन से हँसी के भाव उत्पन्न हों, उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस के स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा स्थायी भाव इस प्रकार हैं।

(1) **स्थायी भाव** – हास

(2) **विभाव** – (i) **आलम्बन विभाव** – विकृत आकार या वेशभूषा वाला अथवा विकृत वाणी बोलने वाला व्यक्ति और विकृत रूप वाली वस्तु।

(ii) **उद्दीपन विभाव** – विचित्र वेशभूषा, विचित्र उक्तियाँ तथा चेष्टाएँ।

(3) **अनुभाव** – अट्टहास करना, आँखों का खिलना, शरीर का हिलना, दाँतों का दिखाना, व्यंग्य वचन बोलना।

(3) **संचारी भाव** – हास्यजनित अश्रु, स्वेद, रोमांच आदि।

अत: इनसे परिपुष्ट होकर हास स्थायी भाव हास्य रस का रूप ग्रहण कर लेता है। जैसे –

नहिं विद्या नहिं बाहुबल, बिन धन करत कमाल
केवल मूँछ मुँडाए कै, बनत जवाहरलाल।

यहाँ विद्या, बाहुबल और धन से हीन जवाहरलाल बनने की कामना रखने वाला व्यक्ति आलंबन है, उसका मूँछ मुँडाना उद्दीपन विभाव है। उसकी इस मूर्खता से देखने वालों के मुख से हँसी छूटना अनुभाव है तथा श्रम, चपलता आदि इसके संचारी भाव हैं। इन भावों से परिपुष्ट होकर हास स्थायी भाव हास्य रस के रूप में प्रकट हुआ है।

शान्त रस – जहाँ सब जीवों में समान भाव वर्णित हो, वहाँ शांत रस होता है। शांत रस के स्थायी भाव, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव इस तरह हैं –

(1) **स्थायी भाव** - निर्वेद

(2) **विभाव – (i) आलम्बन विभाव –** संसार की निस्सारता, अथवा परमात्म -चिंतन ।

(ii) उद्दीपन विभाव – शांत स्थान, तपोवन,आश्रम, तीर्थ, शास्त्र, उपदेश, सत्संग।

(3) **अनुभाव –** स्वाध्याय, गृह-त्याग, विरक्ति, समाधि लगाना, विषयों के प्रति अरुचि प्रदर्शित करना।

(4) **संचारी भाव –** ' हर्ष, स्मरण, धैर्य, विबोध। जैसे –

हाथी न साथी न घोरे न चेरे गाँव न ठाँव को नाँव बिलैहै।
तात न मात न पुत्र वित्त न अंग के संग रहै है।
'केसव' काम को राम विसारत और निकाम ते काम न ऐहैं।
चेत रे चेत अजौं चित अन्तर अन्तक लोक अकेलोइ जैहै।।

उपर्युक्त उदाहरण में अनित्य सांसारिक वैभव आलंबन विभाव हैं। हाथी, घोड़े, मित्र, नौकरधन तथा अन्य रिश्तों का शरीर के संग ही छूट जाना उद्दीपन भाव है। यह कथन अनुभाव है तथा शंका, तर्क आदि संचारी भाव हैं।

रौद्र रस – जिस रस के आस्वादन से क्रोध प्रकट हो, उसे रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस के स्थायी भाव, आलम्बन तथा उद्दीपन विभाव, अनुभाव व संचारी भाव इस तरह हैं –

(1) **स्थायी भाव** - क्रोध

(2) **विभाव – (i) आलम्बन विभाव** – अनिष्ट करने वाला व्यक्ति, दुराचारी, प्रतिपक्षी, शत्रु, अपराधी, दुष्ट व्यक्ति।

(ii) उद्दीपन विभाव- आलंबन की चेष्टाएँ, कटु वचन, अपमानजनक व्यवहार, अकड़ना तथा क्रोध को भड़काने वाली अन्य चेष्टाएँ।

(3) अनुभाव- ललकारना, दाँत पीसना, भौंहें तानना, मुख लाल हो जाना, आँखों का लाल हो जाना, गरजना, हथियार चलाना आदि।

(4) संचारी भाव - उग्रता, गर्व, अमर्ष, मद, आवेग, चपलता, मोह आदि।

उपर्युक्त विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से परिपुष्ट होकर क्रोध स्थायी भाव रौद्र रस रूप से परिणत हो जाता है। जैसे-

बहुरि बिलोकि बिदेहसन कहहु काह अति भीर।
पूछत जानि अजान जिमि ब्यापेउ कोपु सरीर।
समाचार कहि जनक सुनाए। जेहि कारन महीप सब आए।
सुनत बचन फिरि अनत निहारे। देखि चाप खंड महि डारे।
अति रिस बोले बचन कठोर। कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा।
बेगि देखाउ मूढ न त आजू। उलटउँ महि जहँ लहित तव राजू।
अति डरु उतर देत नृप नाहीं । कुटिल भूप हरषे मन माहीं।

यहाँ चाप- खंड आलंबन है। परशुराम आश्रय है। जनक का कथन उद्दीपन विभाव है। परशुराम का कथन व चेष्टाएँ कायिक अनुभाव हैं। कोप की व्यंजना सात्विक अनुभाव है। भय, त्रास एवं चिंता संचारी भाव हैं। इनसे परिपुष्ट होकर क्रोध स्थायी भाव रौद्र रस को प्रकट करता है।

वीर रस – जिन भावों से वीरता प्रकट हो, वहाँ वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है।

विशेष – उत्साह के विषय भिन्न-भिन्न हैं। शत्रु से युद्ध करने में, धर्म की रक्षा के लिए, दीन-हीन की दशा से द्रवित होकर दान देने में , कर्तव्य- पालन इत्यादि में उत्साह का प्रदर्शन हो सकता है। अत: वीर रस के चार भेद हो सकते हैं-

(1) युद्ध (2) दया (3) धर्म (4) दान

इन चारों के आलंबन इत्यादि भिन्न-भिन्न होते हैं। 'युद्ध वीर' इनमें प्रमुख है। अत: यहाँ केवल उसी का वर्णन किया जा रहा है। इसके स्थायी भाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव व संचारी भाव इस प्रकार हैं-

(1) स्थायी भाव - उत्साह

(2) विभाव – (i) आलम्बन विभाव- युद्ध स्थल, हथियार, शत्रु आदि।

(ii) उद्दीपन विभाव - शत्रु की चेष्टाएँ; जैसे सेना, ललकारना, नगाड़ों की आवाज़, हथियारों का चलाना।

(3) अनुभाव - भुजाओं का संचालन, आँखों की लाली आदि।

(4) **संचारी भाव** - गर्व, उग्रता, धैर्य, आदि।

उपर्युक्त विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से परिपुष्ट उत्साह स्थायी भाव 'वीर रस' का रूप ग्रहण कर लेता है। जैसे -

रघुबंसिन्ह महुँ जहँ कोउ होई। तेहिं समाज अस कहइ न कोई।
कहीं जनक जसि अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मनि जानी।
सुनहु मानकुल पंकज भानू। कहऊँ सुभाउ न कछु अभिमानू।
जौं तुम्हारि अनुसासन पावौं। कदुक इव ब्रह्मांड उठावौं।
काचे घट जिमि डारौं फोरी। सकऊँ मेरु मूलक जिमि तोरी
तव प्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो पिनाक पुराना।
नाथ जानि अस आयसु होऊ। कौतुक करौं बिलोकिऊ सोऊ।
कमल नाल जिमि चाप चढ़ावौं। गोजन सत प्रमान लै धावौं।
तोरौं छचक दण्ड जिमि तव प्रताप बल नाथ।
जौं न करौं प्रभुपद सपथ कर न धरौं धनु माथ।

यहाँ जनक का कथन आलम्बन है, राज-समाज उद्दीपन विभाव है। लक्ष्मण की गर्वोक्ति अनुभाव है। आवेग, उग्रता संचारी भाव हैं। इनसे परिपुष्ट उत्साह स्थायी भाव वीर रस को प्रकट करता है।

अद्भुत रस - जिस रस के आस्वादन से आश्चर्य प्रकट हो, उसे अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत रस के स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव इस प्रकार हैं -

(1) **स्थायी भाव** - विस्मय (आश्चर्य)

(2) **विभाव** - (i) **आलम्बन विभाव** - अलौकिक दृश्य, विचित्र वस्तु, अलौकिक व्यक्ति।

(ii) **उद्दीपन** - अलौकिक या अद्भुत चरित्र या वस्तु के सम्बन्ध में बार बार श्रवण एवं विचार उत्पन्न होना।

(3) **अनुभाव** - अवाक् रह जाना, भौंहें ऊपर उठ जाना, विस्फारित नेत्रों से देखना, स्तब्धता, दाँतों तले अँगुलि दबाना, मुख खुला रह जाना आदि।

(4) **संचारी भाव** - मोह, आवेग, हर्ष, वितर्क, त्रास, प्रलाप, चपलता आदि।

उपर्युक्त विभाव तथा अनुभाव संचारी भावों से परिपुष्ट विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। जैसे -

उस एक ही अभिमन्यु से यों युद्ध जिस जिसने किया,
मारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही जिया।

जिस भाँति विद्युद्दाम से होती सुशोभित घनघटा,
सर्वत्र छिटकाने लगा वह समर में शस्त्रच्छटा।
तब कर्ण द्रोणाचार्य से साश्चर्य यों कहने लगा।
आश्चर्य देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा।

इसमें अभिमन्यु आलंबन विभाव, अनेक योद्धाओं से युद्ध में लड़ना उद्दीपन विभाव, कर्ण का आश्चर्य के साथ देखना अनुभाव तथा शंका, चिंता, वितर्क संचारी भाव हैं। इनसे परिपुष्ट होकर विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस को प्रकट करता है।

वीभत्स रस – जिस रस के आस्वादन से घृणा का भाव प्रकट हो उसे वीभत्स रस कहते हैं।

वीभत्स रस के स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव इस प्रकार हैं–

(1) **स्थायी भाव** - जुगुप्सा या घृणा

(2) **विभाव** – (i) **आलम्बन विभाव** - खून, शव, दुर्गन्धमय वस्तुएं, घृणा योग्य व्यक्ति।

(ii) **उद्दीपन** - अरुचिकर वस्तुओं की चर्चा या दर्शन जैसे कृमि, मक्खियाँ आदि।

(3) **अनुभाव** - थूकना, मुँह फेरना, छि: छि: कहना, नाक पर हाथ या कपड़ा रखना, नाक सिकोड़ना, मुख बंद करना इत्यादि।

(4) **संचारी भाव** - ग्लानि, आवेग, मूर्च्छा इत्यादि।

उपर्युक्त विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से परिपुष्ट होकर जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव वीभत्स रस में परिणत हो जाता है। जैसे–

सिर पै बैठ्यो काग, आँख दोउ खात निकारत।
खेंचत जीनहिं स्यार, अतिहि आनन्द उर–धारत।
गिद्ध जाँघ कहें खोदि–खोदि के माँस उपारत।
स्वान आँगुरिन काटि–काटि के खाँन बिदारत।
बहु चील नोचि लै जात नुच मोद भरयो सबको हियो।
मनु ब्रह्म–भोज जिजमान कोउ, आजु भिखारिन कँह दियो।

यहाँ शवों की हड्डी, माँस तथा श्मशान दृश्य आलंबन हैं। शव के अंगों का काक, सियार, स्वान आदि पशु–पक्षियों के द्वारा नोचना तथा खाना आदि उद्दीपन हैं। श्मशान का दृश्य देखकर राजा का इनके बारे में सोचना अनुभाव तथा ग्लानि, आवेग, उग्रता, स्मृति आदि संचारी भाव हैं। इनसे परिपुष्ट होकर राजा के मन में उठने वाला घृणा स्थायी भाव वीभत्स रस में परिणत हुआ है।

भयानक रस - जिस रस के आस्वादन में इंद्रिय क्षोभ या भयजनक प्रसंगों का वर्णन हो, उसे भयानक रस कहते हैं। इसके स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव इस प्रकार हैं -

(1) **स्थायी भाव** - भय।

(2) **विभाव** - (i) **आलम्बन विभाव** - भयानक व्यक्ति, जानवर या वस्तु आदि।

(ii) **उद्दीपन** - भयानक आलंबन की चेष्टाएं, निर्जनता, विकृत और उग्र ध्वनि।

(3) **अनुभाव** - काँपना, प्रलय, स्वेद, विकलता आदि।

(4) **संचारी भाव** - आवेग, त्रास, शंका, दीनता, वितर्क आदि।

उपर्युक्त विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से परिपुष्ट होकर भय स्थायी भाव भयानक रस रूप को ग्रहण कर लेता है। जैसे -

एक ओर अजगरहिं लखि एक ओर मृगराय।
विकल बटोही बीच ही पर्‌यो मूरछा खाय।

यहाँ विकल बटोही आश्रय है। अजगर और सिंह आलंबन विभाव हैं। अजगर और सिंह की चेष्टाएं उद्दीपन विभाव हैं। बटोही का मूर्च्छित होना अनुभाव है। त्रास, शंका, आवेग आदि संचारी भाव हैं। इनसे परिपुष्ट होकर स्थायी भाव भयानक रस को प्रकट हुआ है।

(ख) छंद

छंद शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ है - 'छन्दासि छादनात्' अर्थात कविता का छादन है। 'छंद' धातु के अर्थ हैं - प्रसन्न करना, आच्छादन करना, आह्लादित करना, बाँधना। इन अर्थों के आधार पर 'छंद' शब्द का अर्थ 'प्रसन्न करने वाली वस्तु, आच्छादन, बंधन' आदि किया जाता है।

जब किसी रचना में वर्णों या मात्राओं की संख्या गति (प्रवाह), यति (विराम), तुक आदि का नियम माना जाता है, तो वह रचना 'छंद' कहलाती है। छंदमय कविता में संगीत का समावेश स्वत: ही हो जाता है और वह सरलता से हृदय-ग्राही बन जाती है। अत: छंदोबद्ध रचना का नाम ही कविता है।

जिस शास्त्र में छंदों के स्वरूप पर विचार किया जाता है, वह 'छंद - शास्त्र' कहलाता है। छंद शास्त्र के निर्माता आचार्य पिंगल हैं। इसलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं।

कुछ समय पूर्व तक छंद को कविता का अनिवार्य अंग माना जाता था किन्तु आजकल छंदों के बिना भी कविता की रचना होती है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज़ कवि

कॉलरिज के अनुसार, "अत्युत्तम कविता भी छंदों के बिना हो सकती है।" आज कविता छंदों के बंधन से चाहे मुक्त हो गयी है परन्तु उसमें तुक लय, गति की व्यवस्था तो बनी ही रहती है। पाठ्य पुस्तक 'हिन्दी पुस्तक - 11 तथा - 12 में दोनों तरह की अर्थात् छंदोबद्ध और छंद मुक्त कविताएँ हैं।

छंद परिचय के लिए आवश्यक ज्ञान

(1) **चरण** – प्रत्येक छंद के कई भाग होते हैं। उनमें से प्रत्येक भाग को 'चरण' कहते हैं। अधिकांश छंदों के चार - चरण होते हैं। किंतु कुछ छंदों के छः चरण भी होते हैं।

(2) **गति** – किसी भी छंद का पाठ करने में जो एक प्रकार का विशेष प्रवाह होता है, वह 'गति' अथवा 'लय' कहलाता है। यदि छंदों में वर्णों अथवा मात्राओं की संख्या ठीक नहीं होगी तो गति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है।

(3) **यति** – किसी छंद को पढ़ते वक्त जहाँ रुकते हैं, उस विराम को 'यति' कहते हैं।

(4) **तुक** – छंद के चरणों के अंत में समान अक्षरों का प्रयोग 'तुक' कहलाता है।

(5) **मात्रा** – वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय 'मात्रा' कहलाता है। मात्रा केवल स्वरों की ही गिनी जाती है, व्यंजनों की नहीं।

(6) **लघु तथा गुरु** – ह्रस्व स्वर (अ, इ, उ, ऋ) तथा उससे युक्त व्यंजन लघु कहलाते हैं। इनकी एक मात्रा होती है। दीर्घ स्वर (आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ) तथा उससे युक्त व्यंजन गुरु कहलाते हैं। इनकी दो मात्राएँ होती हैं।
इस आधार पर 'मन' में दो मात्राएँ, 'मान' में तीन मात्राएँ तथा 'माना' में चार मात्राएँ हैं। लघु मात्रा का चिह्न '।' है तथा गुरु मात्रा का चिह्न (ऽ)

(7) **संयुक्त अक्षर** – जब दो व्यंजन संयुक्त होते हैं, तो संयुक्त अक्षर से पूर्व लघु मात्रा भी गुरु मानी जाती है। जैसे - मस्त, गण्य, कल्प में क्रमशः 'म' 'ग' और 'क' वर्ण गुरु माने जाएँगे और इनकी मात्राएँ दो गिनी जाएंगी। संयुक्त अक्षर के शुरू में यदि कोई आधा वर्ण है तो उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती। जैसे - 'व्यवहार' शब्द में 'व्य' की एक ही मात्रा गिनी जाएगी। यदि संयुक्त वर्ण से पहले ह्रस्व स्वर पर जोर न पड़े तो वह भी लघु माना जाता है।

(8) **अनुस्वार** – जिन वर्णों पर अनुस्वार (.) का चिह्न होता है, वे भी गुरु माने जाएँगे। जैसे - दंड, रंग, भंग, जंग, गंगा आदि शब्दों में क्रमशः 'द', 'र', 'भ', 'ज' और 'ग' वर्ण गुरु माने जाएँगे।

(9) हलन्त – प्राचीन विद्वानों द्वारा हलंत के पूर्व प्रयुक्त हुआ लघु वर्ण भी गुरु माना जाता था। किंतु हिंदी में अब हलंतयुक्त वर्ण को लघु ही माना जाता है जैसे – 'राजन्' शब्द में तीन मात्राएँ ही गिनी जाएँगी क्योंकि स्पष्ट है कि 'न्' में स्वर ही नहीं है अत: 'न्' की मात्रा नहीं गिनी जाएगी।

(10) विसर्ग – जिन वर्णों के बाद विसर्ग (:) प्रयुक्त होता है, वे गुरु माने जाते हैं। जैसे – प्रात:, दु:ख आदि शब्दों में क्रमश: 'त' और 'दु' वर्ण गुरु माने जाएँगे और इनकी दो मात्राएँ गिनी जाएँगी।

(11) अनुनासिक – जिन लघु वर्णों पर चन्द्रबिंदु (ँ) होता है, वे लघु ही माने जाते हैं। जैसे – 'हँस' शब्द में 'ह' वर्ण लघु माना जाएगा और उसकी एक मात्रा गिनी जाएगी। किंतु यदि दीर्घ वर्णों पर चन्द्रबिंदु (ँ) होगा तो वे गुरु ही माने जाएँगे।

(12) कई बार प्रयोजन वश लघु को गुरु तथा गुरु को लघु मान लिया जाता है। जैसे – 'ओ' गुरु माना जाता है। इस आधार पर – 'को' 'जो' आदि को गुरु माना जाएगा किन्तु कई बार 'ओ' का उच्चारण 'उ' रूप में किया जाता है, जैसे 'जो' का उच्चारण 'जु' तथा 'को' का उच्चारण 'कु' किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में 'को' की गणना लघु के अन्तर्गत की जाएगी। इसी प्रकार 'ए' गुरु स्वर है किन्तु छंद पूर्ति के लिए आवश्यकतानुसार कभी – कभी इसे लघु भी मान लिया जाता है।

छंदों के भेद

मात्रा और वर्णक्रम के आधार पर छंदों के दो मुख्य भेद हैं – (1) मात्रिक छंद (2) वर्णिक छंद।

(1) मात्रिक छंद – जिन छंदों की रचना मात्राओं की संख्या के अनुसार होती है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। इस छंद में मात्राओं को गिन कर रखा जाता है।

(2) वर्णिक छंद – जिन छंदों की रचना वर्णों की संख्या के अनुसार होती है, उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। इसमें मात्राओं की गिनती न करके वर्णों के लघु – गुरु क्रम को देखा जाता है।

छंदों के उपभेद – उपर्युक्त छंदों के तीन उपभेद हैं –

(i) समछंद – जिन छंदों के चारों चरणों की मात्रा या वर्ण समान होते हैं, उन्हें समछंद कहते हैं।

(ii) अर्धसम छंद – जिन छंदों में पहले – तीसरे तथा दूसरे – चौथे चरणों में मात्रा या वर्ण संख्या समान हो, उन्हें 'अर्धसम छंद' कहते हैं।

(iii) विषम छंद – जिन छंदों के चरणों में मात्राओं और वर्णों की संख्या विषम हो

अर्थात् छंदों का प्रत्येक चरण भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है, उन्हें विषम छंद कहते हैं।

गण – तीन लघु या गुरु वर्णों के समूह को गण कहते हैं। वर्णिक गण संख्या में आठ हैं। इन वर्णों को समझने के लिए एक सूत्र है- **यमाताराजभानसलगम्।** इस सूत्र को कंठस्थ कर लेने से गणों के नाम तथा उनमें लघु व गुरु वर्ण के क्रम को आसानी से समझा जा सकता है। उनके नाम, लक्षण, स्वरूप व उदाहरण इस तरह हैं-

	गण	लक्षण	स्वरूप	उदाहरण
1.	यगण	आदि लघु	।ऽऽ	कमाना
2.	मगण	सर्व गुरु	ऽऽऽ	मामाजी
3.	तगण	अंत लघु	ऽऽ।	सामान
4.	रगण	मध्य लघु	ऽ।ऽ	शारदा
5.	जगण	मध्य गुरु	।ऽ।	सुजान
6.	भगण	आदि गुरु	ऽ।।	गायन
7.	नगण	सर्व लघु	।।।	नरम
8.	सगण	अंत गुरु	।।ऽ	रसना

विशेष – वर्णिक गणों के समान मात्रिक गण भी होते हैं किन्तु वे प्रयोग में नहीं आते।

कुछ छंदों का परिचय – नीचे कुछ मुख्य मात्रिक व वर्णिक छंदों का परिचय दिया जा रहा है-

(क) मुख्य मात्रिक छंद

(1) दोहा

लक्षण – इस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13, 13 मात्राएँ तथा दूसरे और चौथे चरण में 11, 11 मात्राएँ होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु आने ज़रूरी हैं। जैसे-

ऽऽ ।। ऽऽ ।ऽ(13) ऽऽ ऽ।। ऽ।(11)
मेरी भव बाधा हरौ, राधा नागरि सोइ।

ऽ ।। ऽ ऽऽ ।ऽ(13) ऽ। ।।। ।। ऽ।(11)
जा तन की झाई परैं, स्याम हरित- दुति होइ।

स्पष्टीकरण : यहाँ पहले-तीसरे चरणों में 13,13 मात्राएँ हैं, दूसरे-चौथे चरणों में 11,11 मात्राएँ हैं। कुल दोनों चरणों में 24, 24 मात्राएँ हैं। प्रत्येक सम चरण के अंत में गुरु और लघु हैं। अतः यहाँ पर दोहा छंद है।

अन्य उदाहरण

(i) कीजै चित सोई तरौं, जिहि पतितनु के साथ।
मेरे गुन-औगुन-गननु गनौ न गोपीनाथ।

(ii) बड़े न हूजै गुनन बिन बिरद बड़ाई पाय।
कहत धतूरे सौ कनक, गहनो गढ़यो न जाय।

(iii) स्वारथ सुकृत न श्रमु वृथा, देखि विहंग विचारि।
बाज पराए पानि पर, तूँ पच्छीन न मारि।

(2) चौपाई

यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। हरेक चरण के अन्तर्गत 16-16 मात्राएँ होती हैं। पहले-दूसरे तथा तीसरे-चौथे चरणों के अंतिम शब्दों की तुक मिलती होती है। अंत में दो गुरु होने से लय और भी सुंदर हो जाती है। अंत में जगण तथा तगण नहीं होते। जैसे-

ऽ। ऽ। ऽऽ ऽऽऽ(16) ।।।। ।ऽ।ऽ ।। ऽ ऽ(16)
राम राज्य बैठें त्रैलोका। हरषित भए गए सब सोका।

।।। । ।।ऽऽ ।। ऽऽ(16) ऽ। ।ऽ। ।। ।ऽ ऽऽ(16)
बयरु न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई।

16×4 = 64 मात्राएँ

स्पष्टीकरण : यहाँ चारों चरणों में 16-16 मात्राएँ हैं, तुक भी मिलती है, अंत में दो गुरु भी हैं, अत: यहाँ चौपाई छंद है।

अन्य उदाहरण-

औ मन जानि कबित अस कीन्हा। मकु यह रहै जगत महँ चीन्हा।।
कहँ सो रतनसेनि अस राजा। कहाँ सुवा असि बुधि उपराजा।

(ख) मुख्य वर्णिक छंद

(1) सवैया

यह वर्णिक छंद है। 22 से लेकर 26 वर्णों के समवर्णिक छंदों को सवैया कहते हैं। इसके छ: भेद हैं।

(1) मदिरा (2) मत्तगयन्द (3) किरीट (4) दुर्मिल (5) सुन्दरी (6) कुन्दलता।

इनमें मत्तगयन्द प्रसिद्ध सवैया है। इसका लक्षण तथा उदाहरण इस प्रकार है-

मत्तगयन्द- इस सवैया छंद के प्रत्येक चरण में सात भगण(ऽ।।) और दो गुरु (ऽऽ) के क्रम से 23 वर्ण होते हैं।

उदाहरण –

ऽ। । ऽ। । ऽ। । ऽ।। ऽ। । ऽ। । ऽ। । ऽऽ
काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न सोग न भोग न भै है।

ऽ। ।ऽ। ।ऽ। । ऽ । । ऽ। ।ऽ। ।ऽ। ।ऽऽ
देह बिहीन सनेह सभो तन नेह बिरक्त अगेह अछै है।

ऽ । । ऽ। । ऽ। । ऽ। ।ऽ। । ऽ। ।ऽ। । ऽऽ
जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दैहै।

ऽ । । ऽ। ।ऽ । ।ऽ । । ऽ ।। ऽ ।।ऽ ।। ऽऽ
काहे को डोलत है तुमरी सुधि सुन्दर श्री पदमा पति लैहै।

स्पष्टीकरण : यहाँ प्रत्येक चरण में सात भगण (ऽ।।) और दो गुरु (ऽऽ) हैं, अत: यहाँ सवैया (मत्तगयंद) छंद है।

(2) कवित्त (धनाक्षरी)

इस मुक्तक वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में किसी भी प्रकार के 31 वर्ण होते हैं। 16 तथा 15 वर्णों पर यति होती है। अंत में गुरु वर्ण रहता है। जैसे –

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६
जोगी जती बह्मचारी बडे बडे छत्रधारी,

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५
छत्र ही की छाया कई कोस लौ चलत हैं।

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६
बडे – बडे राजन के दाबत फिरत देस,

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५
बडे – बडे राजनि के दर्प को दलत हैं।

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६
मान से महीप औ दिलीप के से छत्रधारी,

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५
बडो अभिमान भुज दंड को करत हैं।

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६
दारा से दिलीसर, दर्जोधन से मानधारी,

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५
भोग – भोग भूम अन्त भूम मै मिलत हैं।

स्पष्टीकरण : यहाँ प्रत्येक चरण में 31 वर्ण हैं। 16 तथा 15 वर्णों पर यति है और अंत में गुरु वर्ण है, अत: यह कवित्त छंद है।

(3) सोरठा

यह एक अर्द्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरणों में ग्यारह-ग्यारह तथा दूसरे तथा चौथे चरणों में तेरह-तेरह मात्राएँ होती हैं। यह दोहे का बिल्कुल उलट होता है।

उदाहरण :

अंक दस गुनो होत, कहत सबै बेंदी दिए।
अगनित बठतु उदोत, तिय ललार बेंदी दिए॥

स्पष्टीकरण : यहाँ पहले और तीसरे चरण में 11, 11 मात्राएँ हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13, 13, मात्राएँ हैं। कुल दोनों चरणों में 24, 24 मात्राएँ हैं।

अत: यहाँ सोरठा छंद है।

(ग) अलंकार

अलंकार शब्द 'अलम' और 'कार' दो शब्दों के मेल से बना है। 'अलम'का अर्थ है- भूषण और 'कार' का अर्थ है- करने वाला। अत: 'अलंकार शब्द का अर्थ हुआ जो भूषित या अलंकृत करे वह 'अलंकार' है।

मनोविज्ञान की दृष्टि से मानव सौन्दर्य-प्रेमी है। सौन्दर्य के प्रति उसका आकर्षण और प्रवृत्ति सहज एवं उत्कट है। वह अपने रूप, वेश-भूषा और आस-पास के वातावरण को सुंदर रूप में देखना चाहता है। सौन्दर्य प्रियता की प्रवृत्ति साहित्य में भी दृष्टिगोचर होती है। जिस प्रकार स्त्रियाँ अपने साज-शृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं अतएव आभूषण अलंकार कहलाते हैं, उसी प्रकार कविता भी अपने शृंगार के लिए जिन साधनों का प्रयोग करती हैं, वे अलंकार कहे जाते हैं। संस्कृत आचार्य दण्डी के अनुसार- "काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलंकारान् प्रचक्षते" अर्थात् काव्य के शोभा कारक सभी प्रकार के धर्म अलंकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार- "भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र कराने में कभी-कभी सहायक होने वाली युक्ति को अलंकार कहते हैं। अलंकार युक्त कविता की सुंदरता उसी प्रकार बढ़ जाती है जिस प्रकार किसी रमणी की कोमल देह की शोभा आभूषणों को धारण करने से दुगुनी हो जाती है। डॉ० श्यामसुंदरदास के अनुसार- "जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं उसी प्रकार अलंकार भी भाषा की सौन्दर्य वृद्धि करते, उसके उत्कर्ष को बढ़ाते, रस, भाव और आनन्द को उत्तेजित करते हैं।

काव्य में अलंकारों की क्या स्थिति हो, इस विषय में भी विद्वानों के विभिन्न मत रहे हैं। कुछ विद्वानों ने अलंकारों को इतना महत्त्व दिया कि उन्हें काव्य की

आत्मा ही स्वीकार कर लिया तो कुछ विद्वान अलंकारों की आवश्यकता ही स्वीकार नहीं करते। उनकी नज़र में, अलंकार भावों की अभिव्यक्ति के साधक नहीं अपितु बाधक हैं। किन्तु तात्विक दृष्टि से देखें तो ये दोनों ही बातें निराधार हैं। अलंकारों को न तो काव्य की आत्मा माना जा सकता है और न ही इनकी पूर्णत: उपेक्षा ही की जा सकती है। जिस प्रकार आभूषण नारी की सुंदरता को बढ़ाते हैं उसी प्रकार काव्य के अलंकार भी कविता की शोभा बढ़ाते हैं। परन्तु जैसे बिना आभूषणों के नारी तो नारी ही है, इसी प्रकार अलंकारों के बिना भी कविता की रचना हो सकती है; हाँ, संभवत: उसकी सुंदरता कम हो सकती है। इसके विपरीत बहुत आभूषणों से युक्त नारी लद्दड़ सी लगती है, इसी प्रकार आवश्यकता से अधिक अलंकारों से युक्त कविता भी अपना सौन्दर्य खो देती है। अत: काव्य में अलंकारों का प्रयोग सीमित व स्वाभाविक होना चाहिए क्योंकि अलंकार काव्य के लिए हैं, काव्य अलंकारों के लिए नहीं हैं।

अलंकारों के भेद – अलंकारों के मुख्य रूप से दो भेद हैं –

(1) शब्दालंकार (2) अर्थालंकार

(1) **शब्दालंकार** – काव्य में जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे – संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो।

उपर्युक्त पंक्ति में 'संसार' तथा 'समरस्थली' में 'स' वर्ण तथा 'धीरता' और 'धारण' शब्दों में 'ध' वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है किन्तु यदि इन शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त कर दिए जाएं तो यह चमत्कार नष्ट हो जाएगा। जैसे –

विश्व की समरस्थली में हौंसला धारण करो।

(2) **अर्थालंकार** – जो अलंकार अर्थ-सौन्दर्य को बढ़ाते हैं, वे अर्थालंकार कहलाते हैं। ये अलंकार शब्द विशेष पर निर्भर न होकर अर्थ पर आश्रित रहते हैं। जैसे – मोम -सा तन घुल चुका अब। यहाँ तन की मोम से तथा मन की दीप से समानता दर्शाते हुए चमत्कार उत्पन्न किया गया है अर्थात् अर्थ के कारण काव्य को चमत्कृत किया गया है।

मुख्य शब्दालंकार – अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति प्रकाश।

मुख्य अर्थालंकार – उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, अन्योक्ति, अर्थान्तरन्यास, विशेषोक्ति, विरोधाभास।

अब उपर्युक्त मुख्य शब्दालंकारों तथा अर्थालंकारों का वर्णन किया जा रहा है –

अनुप्रास

जिस रचना में वर्णों की बार-बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न

हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे–

मेरा मन्दिर, मेरी मस्जिद
काबा–काशी यह मेरी।

स्पष्टीकरण : उपर्युक्त उदाहरण की पहली पंक्ति में 'मेरा' 'मन्दिर', 'मेरी' तथा 'मस्जिद' शब्दों में 'म' व्यंजन और दूसरी पंक्ति में 'काबा','काशी' में 'क' व्यंजन की आवृत्ति हुई है। अत: यहाँ अनुप्रास अलंकार है।

अन्य उदाहरण

(i) बार बार बन्दौ तिहिं पाई	'ब' वर्ण की आवृत्ति
(ii) निरमल नीर बहत जमना में	'न' वर्ण की आवृत्ति
(iii) सबद सुनत मुरली को	'स' वर्ण की आवृत्ति
(iv) करि किरपा अपणायौ	'क' वर्ण की आवृत्ति
(v) का जानूँ कुछ पुण्य प्रगटे	'प' वर्ण की आवृत्ति

यमक

जिस रचना में किसी शब्द या शब्दांश का एक से अधिक बार भिन्न–भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे–

कहत सबै बेंदी दिए अंक दस गुनौ होत।
तिय लिलार बेंदी दिए अगनित बढतु उदोत।

स्पष्टीकरण : प्रस्तुत उदाहरण में 'बेंदी' शब्द दो बार प्रयोग में आया है और इसके दो भिन्न–भिन्न अर्थ हैं। प्रथम पंक्ति में बेंदी का अर्थ बिन्दु (शून्य) है और द्वितीय पंक्ति में बेंदी का अर्थ 'नायिका के माथे पर लगी बिन्दी' है, अत: यमक अलंकार है।

इसी तरह 'काली घटा का घमण्ड घटा' में भी यमक अलंकार प्रयुक्त है। 'काली' शब्द के तुरन्त बाद प्रयुक्त हुए 'घटा' शब्द का अर्थ है– 'पावस ऋतु में आकाश में उमड़ने वाली मेघ माला' तथा 'घमण्ड' शब्द के बाद अंत में प्रयुक्त हुए 'घटा' शब्द का अर्थ है 'कम'। यहाँ 'घटा' शब्द के भिन्न–भिन्न अर्थ हैं, अत: यमक अलंकार है।

उपमा

जहाँ एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके चार अंग है :–

(i) **उपमेय–** जिसकी उपमा दी जाए।

(ii) **उपमान–** जिससे उपमा दी जाए।

(iii) साधारण धर्म – उपमेय या उपमान में जो गुण, दोष समान होता है।

(iv) वाचक शब्द – जिन शब्दों के द्वारा समता प्रकट की जाए।

जहाँ ये, चारों अंग विद्यमान हों, वहाँ 'पूर्णोपमा' अलंकार होता है। जैसे – **चाँद जैसा सुंदर मुख।**

स्पष्टीकरण : उक्त उदाहरण में 'मुख' उपमेय, 'चाँद' उपमान, 'सुंदर' साधारण धर्म तथा 'जैसा' वाचक शब्द है। अत: यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है।

विशेष – 'उपमा' अलंकार के उपर्युक्त चारों अंगों में से जब कोई अंग नहीं दिखाया जाता तो उसे 'लुप्तोपमा' अलंकार कहते हैं। जो अंग नहीं दिखाया जाता, उसे स्वयं ढूँढ लिया जाता है। जैसे – 'मुख चाँद के समान है'

इस उदाहरण में साधारण धर्म 'सुंदर' लुप्त है; जिसका अनुमान से अर्थ निकाल लिया जाता है। अत: यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है।

विशेष – उपमा अलंकार में सा, सी, से, सम, जैसी, जैसा, ज्यों, के समान तथा सरिस आदि वाचक शब्द प्रयोग में आते हैं।

अन्य उदाहरण

मान से महीप औ दिलीप जैसे छत्रधारी,
बडो अभिमान भुज दंड को करत हैं।
दारा से दिलीसर, दर्जोधन से मानधारी,
भोग-भोग भूम अन्त भूम मै मिलत हैं।

उपर्युक्त उदाहरण में **'मान से महीप', 'दिलीप जैसे छत्रधारी', 'दारा से दिलीसर'** तथा **'दर्जोधन से मानधारी'** में उपमा अलंकार है।

रूपक

जहाँ रूप, गुण, आकृति – प्रकृति, वेशभूषा आदि के कारण उपमान का उपमेय में आरोप करके दोनों में अभेद दिखाया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है।

जैसे – **चरण – कमल बन्दौ हरिराई।**

स्पष्टीकरण : उक्त पद में सादृश्य के कारण 'चरण' (उपमेय) में 'कमल' (उपमान) का आरोप किया गया है। अत: यहाँ रूपक अलंकार है।

इसी तरह 'पायौ जी मैंने राम – रतन धन पायो' में भी 'राम' (उपमेय) में 'रतन धन' (उपमान) का आरोप होने से रूपक अलंकार है।

अन्य उदाहरण-

(i) काल-व्याल सूँ बाँची।

(ii) सत की नाव, खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरि आयौ।

श्लेष अलंकार

जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो या दो से अधिक अर्थों का बोध कराता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है।

उदाहरण

रहिमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून।
पानी गए न ऊबरे, मोती, मानुष चून॥

स्पष्टीकरण

उपर्युक्त उदाहरण की अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि मोती, मनुष्य और चूना —— इन तीनों का पानी के बिना उद्धार नहीं हो सकता।

यहाँ **पानी** शब्द का 'मोती' के लिए अर्थ है - **चमक।**

मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है — **आत्म सम्मान**

चूने के लिए पानी का अर्थ है — **जल ।**

अत: यहाँ दूसरी पंक्ति में एक बार प्रयुक्त 'पानी' शब्द तीन विभिन्न अर्थ दे रहा है। अत: यहाँ श्लेष अलंकार है।

खण्ड-2 रचनात्मक लेखन

1 पत्र-लेखन

मनुष्य के अस्तित्व और उसकी सामाजिकता की एक अनिवार्य शर्त है - आत्माभिव्यक्ति। दूसरों तक प्रेषित होने के लिए यह भावात्मक रूप से आवश्यक भी है और व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी भी। सभ्यता के आदिकाल से ही उसने इस आवश्यकता और उपयोगिता को समझ लिया था। परन्तु यदि प्रियजन - परिजन दूर हों, तो उस तक अपनी बात कैसे पहुँचाई जाए? बस, ऐसे ही कुछ पलों में पत्रों का जन्म हुआ होगा और तभी से, पत्र मानवीय सुख - दुख के पलों का साथी बन गया। यह अलग बात है कि ये पत्र भिन्न - भिन्न माध्यम अपना कर अपनी भावना प्रकट करते हैं। कभी कबूतर माध्यम बने और कभी दूत या दूती। युग बदला, परिस्थितियाँ बदलीं और माध्यम के रूप में 'डाकिए' का हमारे जीवन में पदार्पण हो गया। बरसों तक वह हमारे जीवन का अभिन्न अंग बना रहा। अब फिर माध्यम में कुछ बदलाव आ रहा है; अब हमारे माध्यम 'दूर संचार' से जुड़ चुके हैं। बटन दबाते ही अब हमारा पत्र गंतव्य तक जा पहुँचता है। तो माध्यम बदलता रहा है - बदलता रहेगा; नहीं बदलेगा तो वह है पत्रों का महत्त्व, हमारे जीवन में उनकी उपयोगिता। वह कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। उनकी प्रासंगिकता पर प्रश्न - चिह्न नहीं लगाया जा सकता। हमारा सामान्य जीवन तो पत्रों के बिना गतिहीन ही हो जाएगा। व्यावसायिक जीवन भी पत्रों के बिना अस्त - व्यस्त हो जाएगा। शादी - ब्याह के मौके पर भेजे जाने वाले निमंत्रण पत्र आज भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं, जन्मदिवस या नववर्ष के अवसरों पर भेजे जाने वाले शुभकामना - पत्रों में व्यक्त मंगल कामनाएँ आज भी मन - प्राणों को आलोकित कर जाती हैं - तो फिर पत्रों के अस्तित्व पर संकट कैसा?

ई. मेल. या एस०एम०एस० भी तो एक प्रकार का पत्र ही है - नए माध्यम और कुछ नए स्वरूप के साथ। मूल भावना वही है, स्वयं को अभिव्यक्त करना,दूसरों तक अपनी बात पहुँचाना। पहले यह बात पहुँचाने में दिन या सप्ताह लग जाते थे - अब नवीनतम तकनीकों के ज़रिए हम कुछ पलों में ही अपने गंतव्य तक अपनी बात पहुँचा देते हैं। अतः पत्रों का महत्त्व कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा।

पत्रों के रूप में हम अभिव्यक्ति को लिखित स्वरूप प्रदान करते हैं। यह लिखित अभिव्यक्ति जितनी सहज, सरल, जितनी स्पष्ट होगी - पत्र उतना ही प्रभाववशाली होगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि पत्र - लेखन एक कला है। इस कला की जितनी साधना की जाएगी, उतना ही सुंदर परिणाम सामने आएगा।

पत्र - लेखन के समय स्वयं को पूरी तरह पत्र की विषय - वस्तु में डुबो देने से ही हमारी अभिव्यक्ति समर्थ और सशक्त बन पाती है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि पत्र मूल विषय के तटबंधों में ही सीमित रहे। अत: इस संदर्भ में पूर्ण सजगता भी अनिवार्य है।

स्पष्ट किया जा चुका है कि पत्र हमारे वैयक्तिक और सामाजिक जीवन का अनिवार्य अंग हैं। अत: पत्रों का व्याप्ति क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। परिवार, समाज, कार्यालय, व्यावसायिक क्षेत्र,सरकारी - गैर सरकारी क्षेत्र - पत्रों का प्रयोग इन सभी क्षेत्रों में किया जाता है। इसी आधार पर पत्रों को निम्नांकित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है -

(क) पारिवारिक पत्र (ख) सामाजिक पत्र
(ग) व्यापारिक पत्र (घ) कार्यालयी (आवेदन) पत्र

(क) पारिवारिक पत्र

परिवार के विभिन्न सदस्यों, सगे - संबंधियों तथा मित्रों द्वारा एक दूसरे को लिखे गए पत्र पारिवारिक पत्र कहलाते हैं। नौकरी,व्यापार, ज्ञानार्जन,तीर्थाटन आदि के कारण एक ही परिवार के सदस्य जब एक दूसरे से दूर रहने के लिए विवश हो जाते हैं तो एक दूसरे की कुशल - क्षेम जानने, आवश्यक सूचनाएँ देने तथा अपना सुख - दुख दूसरों तक पहुँचाने के लिए पत्र ही एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बनते हैं। इन पत्रों का व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में विशिष्ट स्थान है - इसीलिए इन्हें व्यक्तिगत पत्र कह दिया जाता है।

अनौपचारिकता इन पत्रों की आत्मा है, इसीलिए इनमें अत्यन्त आत्मीयता और निजीपन का समावेश रहता है। यद्यपि संबंधों की गरिमा का निर्वाह यहाँ भी करना पड़ता है, फिर भी ये पत्र एक गहरे अपनेपन की सुगंध से सुवासित रहते हैं। इन पत्रों को लिखने की एक निश्चित या विशिष्ट शैली है, जिसके महत्त्वपूर्ण बिन्दु निम्नांकित हैं -

(1) **भेजने वाले का पता तथा तिथि** - पोस्टकार्ड, अन्तर्देशीय या सादे कागज़ के दाईं ओर शीर्ष पर लिखने वाले का पता और पत्र भेजने की तिथि लिखी जाती है। यथा -

118, मॉडल टाऊन,
लुधियाना - 141008
26 जनवरी, 2009.

नोट: परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में पता इस रूप में लिख सकता है -

परीक्षा भवन,
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड।
26 जनवरी, 2009.

(2) **संबोधन तथा अभिवादन** – बायीं ओर कुछ हाशिया छोड़कर संबोधन शब्द लिखा जाता है और उसके बाद अल्प-विराम लगाया जाता है। अगली पंक्ति में (अल्पविराम के ठीक नीचे) अभिवादन सूचक शब्द लिखा जाता है और उसके बाद पूर्ण विराम लगाया जाता है। यथा-

पूज्य पिताजी,

सादर प्रणाम!

विशेष – परिवार के विभिन्न सदस्य आपस में भिन्न-भिन्न संबंधों की डोर से बंधे होते हैं। अत: सबके लिए संबोधन या अभिवादन समान नहीं हो सकता। भिन्न-भिन्न सदस्यों के लिए उपयुक्त संबोधन या अभिवादन सूचक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए।

संबंध	संबोधन शब्द	अभिवादन शब्द	समापन शब्द
1. पिता जी	पूज्य/पूजनीय पिताजी	सादर प्रणाम/ चरण स्पर्श	आपका आज्ञाकारी पुत्र/ आपकी आज्ञाकारिणी पुत्री
2. माताजी	पूज्या/पूजनीया माताजी	सादर प्रणाम/ चरण स्पर्श	आपका आज्ञाकारी पुत्र/ आपकी आज्ञाकारिणी पुत्री
3. पुत्र/पुत्री	प्रिय मयंक/प्रिय शुभ्रा	सुभाशीष	शुभेच्छु/तुम्हारा पिता/माता
4. गुरु	श्रद्धेय गुरुवर	सादर नमन	आपका शिष्य/ आपकी शिष्या
5. शिष्य	प्रिय प्रांजल	स्नेहाशीष	शुभाकांक्षी
6. पति	प्रिय प्रत्यूष	मधुर स्मृति	तुम्हारी
7. पत्नी	प्रिय राधिका/प्रिये	मधुर स्मृति	तुम्हारा

8. मित्र	प्रिय जतिन	नमस्कार	तुम्हारा मित्र
9. सखी	प्रिय सुमन	नमस्कार	तुम्हारी सखी
10. बड़ी बहिन	स्नेहमयी दीदी	सादर नमन	आपका अनुज/ आपकी अनुजा
11. अपरिचित	प्रिय महोदय/मान्यवर	नमस्कार	विनीत/भवदीय

(3) पत्र का मुख्य कलेवर – अभिवादन के ठीक नीचे, अगली पंक्ति से पत्र का मुख्य विषय प्रारंभ हो जाता है। विषय की आवश्यकता के अनुसार इसे एक या एकाधिक अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(4) समाप्ति – मुख्य विषय की समाप्ति पर अगली पंक्ति में 'पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में', 'यथायोग्य अभिवादन सहित' आदि समापन सूचक वाक्यों का प्रयोग होता है और उससे नीचे की पंक्ति में बिल्कुल दायीं ओर समापन सूचक शब्दों का प्रयोग होता है जिनके बाद अल्प विराम लगाकर उसके नीचे पत्र लिखने वाले का हस्ताक्षर या नाम रहता है। जैसे –

आपका आज्ञाकारी पुत्र,
विजय।

(5) **पत्र पाने वाले का पता** – पत्र लिखने के बाद पोस्टकार्ड, अन्तर्देशीय या लिफाफे पर यथास्थान पत्र पाने वाले का पूरा पता (पिन कोड सहित) लिखना चाहिए। यथा –

श्री गगनदीप कौड़ा,
2058, सेक्टर – 14
चंण्डीगढ़ – 160014.

उदाहरण

(1) **परीक्षा में विशेष सफलता पाने पर माता की ओर से पुत्री को पत्र।**

बी – 11 – 2, विवेक विहार,
लुधियाना।
8 जून, 2009.

प्रिय पुत्री आरती,

शुभाशीष!

आज सुबह जैसे ही अखबार खोला विदित हुआ कि आई. ए. एस. परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। धड़कते दिल से रोल नम्बरों पर नज़र दौड़ाने लगी और उसमें तुम्हारा रोल नम्बर देखकर मेरा हृदय हर्ष और गर्व से भर गया। प्यारी बिटिया,वैसे तो तुम सदा ही हर परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती रही हो परन्तु आई. ए. एस. जैसी चुनौतीपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर तुमने अपनी अनूठी प्रतिभा का परिचय दिया है। तुम जैसी मेधावी पुत्री पाकर कौन स्वयं को धन्य नहीं समझेगा। ईश्वर हर घर में ऐसी बेटी दे । तुम्हारे पिताजी तो खुशी से झूम रहे हैं और तुम्हारी छोटी बहन प्रज्ञा वह तो आस-पड़ोस में सबको बता रही है कि उसकी दीदी ने कितनी बड़ी सफलता हासिल की है।

प्यारी बिटिया, अपनी इस विशिष्ट उपलब्धि पर हम सबकी ओर से ढेरों बधाइयाँ स्वीकार करो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हें इसी तरह सफलता प्रदान करता रहे। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल हो; तुम देश और समाज में अपने सद्गुणों की सुगंध फैला सको-यही मेरा आशीर्वाद है।

तुम्हारे पिताजी की ओर से तुम्हें ढेर-सा प्यार और प्रज्ञा की ओर से सादर नमस्कार।

पत्रोत्तर शीघ्र देना। प्रतीक्षा में,

तुम्हारी माता,
प्रोमिला।

(2) **बुरी आदतों का शिकार हुए छोटे भाई को बड़े भाई की ओर से पत्र।**

379, आदर्श नगर,
जालन्धर शहर।
3 फरवरी, 2010.

प्रिय मनस्वी,

स्नेहाशीष!

कई दिनों से तुम्हारी ओर से कोई पत्र न मिलने के कारण मन परेशान था। सोच रहा था कि मनस्वी इतना लापरवाह कैसे हो गया कि उसे पत्र लिखने की भी सुध नहीं रही। मन उधेड़बुन में था कि तभी डाकिया तुम्हारे छात्रावास

के वार्डन की ओर से लिखा गया पत्र मेरे हाथों में थमा कर चला गया। पत्र पढ़कर मेरे पैरों तले की ज़मीन ही सरक गई । मैं यह क्या पढ़ रहा हूँ मेरे भाई! तुम्हारे वार्डन ने लिखा है कि तुम न केवल अनुशासनहीन और उद्दंड हो गए हो बल्कि कई तरह की बुरी आदतों के शिकार भी हो गए हो। मित्रों ने तुम्हें कई बार सिगरेट पीते देखा है और कुछ ने तो वार्डन से यह शिकायत भी की है कि तुम कभी कभी मदिरा का सेवन भी कर लेते हो। यह सब क्या है मनस्वी? तुम क्या थे और क्या हो गए हो! कक्षा में सदा प्रथम आने वाला वह धीर-गंभीर-शांत मनस्वी आज इतना उद्दंड कैसे हो गया? कहाँ से सीख लीं तुमने ये बुरी आदतें? मुझे लगता है, अवश्य ही तुम कुसंगति के शिकार हो गए हो। यदि ऐसा है तो अभी से सँभल जाओ प्यारे भाई। अपने भटकते कदमों को रोक लो! अपने मन को लगाम दो। माताजी-पिताजी ने कितने अरमान से तुम्हारा नाम 'मनस्वी' रखा था। अपने नाम को सार्थक करो मेरे भाई! अपनी दिनचर्या को नियमित करो। व्यायाम और योग से तन-मन को स्वस्थ रखो। अच्छा साहित्य पढ़ो। अच्छे विद्यार्थियों की संगति करो।

मैं अभी माताजी और पिताजी को कुछ नहीं बता रहा। उन्हें गहरा आघात लगेगा। मुझे विश्वास है कि तुम शीघ्र ही सही मार्ग पर लौट आओगे। कुछ ही दिनों में मैं स्वयं वहाँ आ रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि तुम्हारे वार्डन से तुम्हारी प्रशंसा ही सुनने को मिलेगी।

अनेक शुभकामनाओं के साथ,

तुम्हारा बड़ा भाई,
पार्थ।

(ख) सामाजिक पत्र

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके संबंधों का दायरा घर-परिवार की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। इस दायरे के बाहर भी वह विभिन्न व्यक्तियों से विभिन्न रूपों में जुड़ा होता है। इसी जुड़ाव के कारण वह अपने हर्ष और शोक को समाज के विभिन्न लोगों से बाँटना चाहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो पत्र लिखे जाते हैं, वे सामाजिक पत्र कहलाते हैं। विवाह, जन्म-दिवस, नामकरण- संस्कार, मुंडन-संस्कार आदि अवसरों पर भेजे जाने वाले निमंत्रण पत्र, मृत्यु के अवसर पर भेजे जाने वाले शोक पत्र, किसी परिचित की विशिष्ट उपलब्धि पर भेजे जाने वाले बधाई पत्र आदि सामाजिक पत्रों की श्रेणी में रखे जाते हैं।

सामाजिक पत्रों को लिखने की भी एक विशिष्ट शैली होती है। ये पत्र न

तो पारिवारिक पत्रों की तरह गहन आत्मीयता की ऊष्मा से भरे होते हैं और न ही अधिक विस्तार में। इस दृष्टि से इनमें मध्यम मार्ग का अनुसरण किया जाता है। इन पत्रों में प्राय: 'मान्यवर, महोदय, प्रियबन्धु, श्रीमान जी' आदि संबोधनसूचक शब्द प्रयुक्त होते हैं। अंत में 'विनम्र, भवदीय, दर्शनाभिलाषी, उत्तरापेक्षी' आदि शब्दों का प्रयोग पत्र के विषय के अनुसार किया जाता है। आवश्यकतानुसार कार्यक्रम की सूचना तथा अंत में प्रेषक का नाम रहता है।

उदाहरण

(1) पुत्री के विवाह के लिए निमंत्रण-पत्र

73, राजा पार्क,
कपूरथला।
10 फरवरी, 2010.

प्रिय बन्धु,

आपको यह जानकर हार्दिक आनंद का अनुभव होगा कि मेरी प्रिय पुत्री अनन्या का शुभ विवाह जालंधर निवासी श्रीमती व श्री रमेश शर्मा के आत्मज प्रणव के साथ 23 मार्च, 2010 को होना निश्चित हुआ है। आपसे निवेदन है कि आप निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार सपरिवार पधार कर अपने आशीर्वाद से वर-वधू को अनुगृहीत करें।

कार्यक्रम

स्वागत बारात	- 9.00 बजे रात्रि
जयमाला	- 10.00 बजे रात्रि
सप्तपदी (फेरे)	- 2.00 बजे रात्रि
विदा	- 5.00 बजे प्रात:

उत्तरापेक्षी,
समस्त शर्मा व भारद्वाज परिवार।

(2) पिता जी की मृत्यु पर शोक पत्र

112, प्रेम नगर,
तरनतारन।
9 फरवरी, 2010.

मान्यवर,

अत्यन्त दु:खी हृदय के साथ आपको सूचित किया जाता है कि मेरे पूज्य

पिताजी 8 फरवरी, 2010 को अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर ब्रह्म-तत्त्व में लीन हो गए हैं। उनकी आत्मा की शांति के निमित्त 'रस्म किरया' 21 फरवरी, 2010 को बाद दोपहर 2.00 बजे लक्ष्मीनारायण मंदिर, तरनतारन में संपन्न होगी।

शोकाकुल,

खन्ना परिवार।

(ग) व्यापारिक पत्र

व्यापार या व्यवसाय से जुड़े हुए विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु किया जाने वाला पत्र-व्यवहार व्यापारिक या व्यावसायिक पत्राचार कहलाता है। यह पत्र-व्यवहार दो व्यापारिक संस्थाओं के मध्य भी हो सकता है और किसी विक्रेता और क्रेता के मध्य भी। यह पत्र-व्यवहार व्यापार संबंधी पूछताछ के लिए, माल का आदेश देने के लिए, आदेश की स्वीकृति के लिए, माल-प्राप्ति की सूचना देने के लिए, शिकायत करने के लिए किया जा सकता है। साख पत्र, बैंक या बीमा संबंधी पत्र भी इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं।

इस प्रकार के पत्रों में सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक के रूप में फर्म (व्यक्ति) का नाम और पता लिखा जाता है उसके बाद पत्र का क्रमांक लिखा जाता है, जिसमें तिथि और स्थान का संकेत भी होता है। तत्पश्चात विषय लिखा जाता है। फिर पत्र प्राप्त कर्त्ता का नाम व पता लिखा जाता है। तदनंतर संबोधन सूचक शब्दों जैसे-मान्यवर, महोदय, श्रीमान जी आदि का व्यवहार होता है और फिर अगली पंक्ति से मुख्य विषय का प्रारंभ किया जाता है। विषय की समाप्ति पर अगली पंक्ति में दाएँ कोने में 'भवदीय' या 'आपका विश्वासपात्र' आदि समापन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनके नीचे हस्ताक्षर किए जाते हैं और हस्ताक्षर के नीचे हस्ताक्षरकर्ता का नाम लेखा जाता है। इन पत्रों में यथास्थान 'संलग्नक' या 'पुनश्च' का प्रयोग भी किया जा सकता है।

उदाहरण

(1) (पुस्तकें मंगवाने संबंधी पत्र)

प्रेषक,

सूरज बुक डिपो,
नई आबादी,
अबोहर (पंजाब)।

सेवा में,

व्यवस्थापक,
ज्ञान गंगा प्रकाशन,
जालन्धर शहर।

पत्रांक: 304 / विशेष / दिनांक 26 - 4 - 10 / अबोहर

विषय – पुस्तकें मँगवाने संबंधी आदेश पत्र।

प्रिय महोदय,

आपका नवीनतम सूची पत्र प्राप्त हुआ। धन्यवाद! नियमानुसार उचित कमीशन काटकर निम्नलिखित पुस्तकों की बीस - बीस प्रतियाँ शीघ्र प्रेषित करने की कृपा करें।

क्रम सं.	पुस्तक का नाम	लेखक / लेखिका
1.	अच्छे नागरिक कैसे बनें?	डॉ. सतीश कपूर
2.	पंजाबी लोकगीतों का स्वरूप	डॉ. आरती शर्मा
3.	हिंदी कविता का नवाँ दशक	डॉ. सौरभ कपूर
4.	जीवन में लक्ष्य - निर्धारण कैसे हो?	डॉ. गनदीप भवदीया, सुनन्दा घोष।

(2) खराब सामग्री प्राप्त होने पर शिकायती पत्र

प्रेषक,

दिशा पुस्तक भंडार,
हैबोवाल कलाँ, लुधियाना।
दूरभाष - 2801173

पत्र क्रमांक: संख्या - 39 - 72 - 11, दिनांक 11. 02. 2010, लुधियाना।

विषय – कम माल व कमज़ोर पैकिंग संबंधी शिकायत।

प्रिय महोदय,

आपका 28 जनवरी, 2010 का सूचना पत्र प्राप्त हुआ। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 20000 रुपये भुगतान कर बिल्टी प्राप्त कर ली और माल प्राप्त कर लिया। परन्तु जब पैकेट खोलकर बीजक से मिलान किया गया तो माल

में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई -

क्रम संख्या	पुस्तक का नाम	प्राप्त	बीजक में लिखित
1.	रंग - दर्शन	10	15
2.	काव्य - यात्रा	9	10
3.	समीक्षा - सिद्धान्त	8	10

आपने पुस्तकों का जो पैकेट भेजा,उसकी पैकिंग इतनी कमज़ोर थी कि कई पुस्तकों के मुख - पृष्ठ फट गए हैं, जिससे हमें भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है।

विश्वास है कि इस पत्र पर समुचित विचार करते हुए आप यथोचित कार्यवाही करेंगे। आशा है, आप अन्यथा न लेंगे।

धन्यवाद सहित,

भवदीया,
प्रेरणा गल्होत्रा।

(3) माल प्राप्ति संबंधी सूचना पत्र

प्रेषक,

ज्ञान - गंगा पुस्तक भंडार
अड्डा होशियरपुर,
जालन्धर शहर।

सेवा में,

तक्षशिला प्रकाशन,
ई - 301, आदर्श नगर,
नई दिल्ली।

पत्र क्रमांक: 24 - 4 - 72, दिनांक 14 फरवरी, 2010, जालंधर शहर।
विषय: माल प्राप्ति संबंधी सूचना।

प्रिय महोदय,

आपका पत्र क्रमांक 392 - 04, दिनांक 14फरवरी, 2010 प्राप्त हुआ। आपके द्वारा भेजी गई बिल्टी सी०. सी० एफ० 1122 और बीजक सी० एम० - 4444 दिनांक 12 फरवरी, 2010 भी प्राप्त हो गए हैं। हमारे आदेशानुसार माल हमें सुरक्षित प्राप्त हो गया है। मूल्य का भुगतान आपको दस दिन के भीतर कर दिया जाएगा।

सधन्यवाद,

भवदीया,
सुनन्दा घोष।

(घ) कार्यालयी पत्र

किसी भी संस्था या विभाग के दैनांदिन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रशासनिक केन्द्र होता है, जिसे कार्यालय कहा जाता है। एक कार्यालय द्वारा किसी दूसरे कार्यालय को अथवा अपने कर्मचारियों, अधिकारियों आदि को भेजे जाने वाले पत्र कार्यालयी पत्र कहलाते हैं।

कार्यालयी पत्रों का प्रयोग क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। परन्तु यहाँ पर कार्यालयी पत्रों के अन्तर्गत आवेदन पत्रों को सम्मिलित किया गया है।

(1) **आवेदन पत्र** – शिकायत स्वरूप उच्च अधिकारियों को लिखा गया पत्र आवेदन पत्र कहलाता है।

नीचे कुछ कार्यालयी पत्रों को उदाहरण सहित स्पष्ट किया गया है।

1. सफाई व्यवस्था के संबंध में स्वास्थ्य अधिकारी के नाम आवेदन पत्र।

सेवा में,

स्वास्थ्य अधिकारी,
लुधियाना नगर निगम,
लुधियाना।

मान्यवर,

निवेदन है कि मैं लुधियाना शहर के हैबोवाल क्षेत्र की निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान इस क्षेत्र की ख़राब सफाई व्यवस्था की ओर दिलाना चाहती हूँ।पास ही बहते नाले के प्रदूषित पानी के कारण यहाँ दुर्गन्धि का साम्राज्य तो रहता ही है, मक्खी – मच्छर आदि के प्रकोप को भी यहाँ के निवासियों को झेलना पड़ता है। टूटी सड़कों में जगह – जगह गड्ढे बने हैं, जिनमें जमा पानी अच्छे स्वास्थ्य को लगातार चुनौती देता रहता है। गलियों में या तो नियमित सफाई होती नहीं और यदि होती है तो सफाई कर्मचारी जगह जगह कूड़े के ढेर बनाकर चला जाता है। मुझे डर है कि इन सबके कारण कहीं संक्रामक रोग न फैल जाए। अतः आपसे निवेदन है कि अपेक्षित कार्यवाही कर इस क्षेत्र को गंदगी मुक्त किया जाए। आशा है, आप इस आवेदन पर सहृदयता पूर्वक विचार कर तुरन्त कार्यवाही करेंगे।

सधन्यवाद,
दिनांक: 15 - 02 - 10

भवदीया,
करिश्मा।
111, दुर्गापुरी, हैबोवाल कलां,
लुधियाना।

2. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, पठानकोट को चैक बुक गुम हो जाने हेतु आवेदन पत्र।

सेवा में

महेन्द्र सिंह
मकान नं. 25
सेक्टर 20 चंडीगढ़

शाखा प्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक
पठानकोट।

विषय - चैक बुक खो जाने के संबंध में।

प्रिय महोदय,

निवेदन है कि आपके बैंक में मेरा खाता क्रमांक 6945 है इसके अंतर्गत रुपया निकालने के लिए मुझे 20 चैक वाली एक चैक बुक (संख्या सी.ए. 15,001 से 15,020) प्रदान की गई थी, जिसमें केवल चार चैक (संख्या 15,001 से 15,004) ही उपयोग किए गए थे।

दिनांक..... को जालंधर में बस में सफर करते समय मेरा बैग गुम हो गया, जिसमें यह चैक बुक थी। चैक बुक का अनुचित प्रयोग न हो इस हेतु आपको सूचनार्थ लिख रहा हूँ। अत: आपसे निवेदन है कि शेष बचे चैकों को अनुचित प्रयोग रोकने की व्यवस्था करते हुए उन्हें रद्द करने की चेष्टा करें।

सधन्यवाद

भवदीय
क॰ख॰ग॰

3. पुलिस अधीक्षक शिमला को यात्रा में सामान खो जाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस की अकर्मण्यता के संबंध में आवेदन पत्र लिखें।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
शिमला।

विषय : यात्रा में सामान खो जाने पर रिपोर्ट के बाद भी पुलिस की अकर्मण्यता।

महोदय,

निवेदन है कि मैं दिनांक..... को चंडीगढ़ से शिमला अपनी बहन की लड़की की शादी में सपरिवार जा रहा था। कुछ बड़ा सामान तो मैंने बस के ऊपर रख दिया किंतु एक मध्यम साइज़ की अटैची जिसमें जेवरात व बीस हज़ार की नकदी थी, मैंने अपनी सीट के पास ही रख ली थी। लेकिन परिचालक की जिद्द पर मुझे उसे 'बस' के पीछे बने बॉक्स में रखना पड़ा।

धर्मपुर में बस जलपान के लिए दस मिनट के लिए रुकी थी। मैंने वहाँ उतरकर देखा तो सामान सुरक्षित था। धर्मपुर से शिमला तक की यात्रा के मध्य रात हो गई थी और हम लोग कुछ समय के लिए सो गए थे। इस बीच शायद बस एक बार कहीं रुकी थी। शिमला पहुँचकर मैंने देखा कि मेरा और सामान तो ठीक था किंतु वही अटैची गायब थी, जिसमें हमारा कीमती सामान व नगद रुपये थे।

मैंने इस चोरी की रिपोर्ट तुरंत ही रात को पुलिस थाना, शिमला में की। किंतु आज दस दिन हो गए हैं फिर भी कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। आज मैं सुबह जब थानेदार महोदय से मिला और कुछ करने के लिए कहा तो उन्होंने बड़ी अभद्रता से कहा कि हमारे पास आपकी चोरी का पता लगाने के अलावा भी बहुत काम हैं।

मेरी इस चोरी से भयंकर क्षति हुई है। लगभग 80 हज़ार के तो ज़ेवरात ही थे और बीस हज़ार नकद। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर इसकी जाँच पड़ताल किसी योग्य पुलिस अधिकारी से करवाएँ।

कष्ट के लिए धन्यवाद

दिनांक

स्थायी पता : मकान नं. 455 सेक्टर 47, चंडीगढ़ भवदीय

संलग्न : चोरी हुए माल की सूची। क.ख.ग.

4. 'दोहरे मोर्चों पर जूझती नारी' विषय पर अपने विचार प्रकाशित करने के लिए संपादक के नाम पत्र।

राशि सक्सेना,
मकान नः 313,
सेक्टर 24 - ए, चण्डीगढ़।

सेवा में,

संपादक,
दैनिक भास्कर (हिन्दी दैनिक)
सेक्टर - 25, चण्डीगढ़।

महोदय,

मैं आपके लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के अति लोकप्रिय स्तंभ 'पहली चिट्ठी' में प्रकाशनार्थ 'दोहरे मोर्चों पर जूझती नारी' विषय पर अपने विचार भेज रही हूँ। आशा है, अपने पत्र में इन्हें प्रकाशित कर अनुगृहीत करेंगे।

दोहरे मोर्चों पर जूझती नारी आज घर - घर में मिल जाएगी। दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना जहाँ उसकी आकांक्षा है, वहीं उसकी विवशता भी है। वह एक भी क्षेत्र को दृष्टिविगत नहीं कर सकती । उसकी विडंबना यह भी है कि परिवार या समाज - दोनों से ही उसे अपेक्षित सहयोग भी नहीं मिलता। ज़रा - सी चूक होने पर कटूक्तियों की बौछार उस पर होने लगती है। कैसा सामाजिक न्याय है? क्या सभ्य - सुंसस्कृत समाज के सदस्य इस पर विचार करेंगे?

भवदीय,
रश्मि सक्सेना

दिनांक: 15 - 02 - 10
संलग्न - दोहरे मोर्चों पर जूझती नारी विषयक लेख।

अभ्यास

1. जिलाधीश, ज़िला मोहाली को परीक्षा के दिनों में लाऊडस्पीकरों के अनुचित प्रयोग पर पाबंदी लगाए जाने के बारे में आवेदन पत्र लिखिए।
2. क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक पठानकोट को चैक बुक गुम हो जाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए।

3. बड़ी बहन की ओर से छोटे भाई को खर्चीले फैशन की आदत की होड़ को छोड़कर जीवन में परिश्रम करने की सलाह देते हुए पत्र लिखें।
4. अपने क्षेत्र में बिजली के संकट से उत्पन्न समस्याओं का वर्णन करते हुए दैनिक ट्रिब्यून, चंडीगढ़ अखबार के सम्पादक के नाम पत्र लिखें।
5. आपने अपने पिता जी से झूठ बोलकर 500 रुपये ले लिए और उन पैसों को व्यर्थ खर्च कर दिया। अपनी इस भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए पिता को पत्र लिखिए।
6. निदेशक, शिक्षा निदेशालय को दसवीं बोर्ड की परीक्षा के दौरान परीक्षा भवन में हो रही नकल की शिकायत करते हुए पत्र लिखें।
7. दैनिक भास्कर चंडीगढ़ अखबार के सम्पादक को केबल नेटवर्क एवं वीडियो खेलों के बुरे परिणामों के बारे में लिखिए।
8. अपने प्रिय मित्र को गर्मियों की छुट्टियाँ एक साथ व्यतीत करने के लिए पत्र लिखें।
9. अपने छोटे भाई को पत्र लिखें जिसमें उसे सदाचार का महत्व बताया गया हो।
10. हिन्दी की कुछ पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तक प्रकाशक को पत्र लिखिए।

अध्याय – 2

अनुच्छेद लेखन

अनुच्छेद लेखन भी एक विधा है। अनुच्छेद लेखन से अभिप्राय: है – किसी भी विषय से सम्बन्धित अपने विचारों को प्रकट करना । किसी एक सूक्ति, लोकोक्ति या शीर्षक के विषय में कुछ पंक्तियों को लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यह प्राय: 200 शब्दों में लिखा जाता है। इसे अंग्रेज़ी में पैराग्राफ (Paragaph) कहते हैं।

अत: यह वाक्यों का समूह होता है। समूह अनुच्छेद परिच्छेद या संदर्भ कहलाता है, जिसमें एक विषय और एक विचार पल्लवित होता है। जिसमें परस्पर सम्बद्ध एक ही विषय का विवेचन होता है। दूसरे शब्दो में एक निश्चित शब्द सीमा में दिए गए शीर्षक या विषय पर अथवा सूक्ति, पदबंध या उपवाक्य आदि पर विस्तृत विचार लेखन ही अनुच्छेद – लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए :-

(1) मुख्य विषय – सर्वप्रथम विषय को भली – भांति समझना चाहिए अर्थात् मुख्य विषय पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि कभी – कभी सूक्ति, लोकोक्ति या कहावत पर भी अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है। अत: हमें विषय में निहित भावों और विचारों को समझने का प्रयास करना चाहिए।

(2) भाषा की शुद्धता – भाषा सरल, स्पष्ट, शुद्ध एवं मौलिक होनी चाहिए तथा शब्दों का उचित चयन करना चाहिए, जिससे अनुच्छेद प्रभावशाली बन सके।

(3) सारगर्भित – अनुच्छेद सारगर्भित होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव और विचार प्रस्तुत करने चाहिएं।

(4) अप्रासंगिकता से बचना – अनुच्छेद लिखते समय केवल प्रतिपाद्य विषय पर ही ध्यान देना चाहिए। इधर – उधर की बातें लिखना उचित नहीं। व्यर्थ की बातें उसके प्रभाव को शिथिल बना देती हैं। बेतुकी या अप्रासंगिक बातें उसके सौंदर्य को नष्ट कर देती हैं।

(5) वाक्यों की शुद्धता – अनुच्छेद लेखन में एक वाक्य का सम्बन्ध दूसरे वाक्य से होना चाहिए अर्थात सभी वाक्यों का आपस में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। यदि वाक्यों का संबंध ठीक होगा तो विषय भी स्पष्ट होगा। विषय स्पष्ट करना ही अनुच्छेद लेखन का प्रमुख लक्ष्य होता है।

(6) तर्क और अनुभूति की प्रधानता – अनुच्छेद लेखन में भाषा विषय के अनुरूप ही होनी चाहिए। यदि विषय विचार प्रधान हो तो उसमें तर्क अधिक होना चाहिए। यदि अनुच्छेद भावात्मक है तो उसमें अनुभूति की प्रधानता होनी चाहिए।

(7) मूलभाव की स्पष्टता – अनुच्छेद लिखते समय भावों की स्पष्टता अनिवार्य है। लेखक को मूलभाव से नहीं हटना चाहिए। सिर्फ संदेश विस्तार ही उसका लक्ष्य होना चाहिए।

(8) अनुच्छेद लेखन में किसी प्रकार की भूमिका या उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सीधे विषय का प्रारंभ करना चाहिए।

(9) पाठकों की रुचि – अनुच्छेद लेखन में अत्यधिक फैलाव की आवश्यकता नहीं होती। इसमें विभिन्न दृष्टिकोणों का जाल नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद स्वयं में पूर्ण हो, जिसे पढ़ते समय पाठक को यह बोझिल न लगे और अनुच्छेद पढ़ने में उसका मन रमें। लंबे अनुच्छेद नीरसता को ही जन्म देते हैं।

अत: स्पष्ट हैं कि अनुच्छेद लेखन को श्रेष्ठ, प्रभावी, मोहक तथा आकर्षक बनाने के लिए उसमें मौलिकता, विश्वसनीयता तथा रोचकता की आवश्यकता होती है। अभ्यास करने से ही इसमें काफी कुशलता प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण स्वरूप कुछ अनुच्छेद नीचे दिये जा रहे हैं –

(1) सब दिन न होत एक समान

समय परिवर्तनशील है। यह कभी भी स्थिर नहीं रहता। इसका पहिया सदैव घूमता रहता है। समय के अनुसार ही मनुष्य के सुख – दुख का क्रम चलता है। कल तक यदि कोई राजा था, तो आज वह दाने – दाने को मोहताज हो सकता है। यदि कोई कल तक रंक था, आज वह सेठ साहूकार है, धनवान है। जो कभी रोता रहता था, समय के फेर से आज वह मुस्करा रहा है। जो कभी हँसता रहता था, आज

आँसू बहा रहा है। जो कल तक आराम से ऐश्वर्य का जीवन जी रहा था, आज वह कड़ा संघर्ष कर रहा है। उधर संघर्ष करने वाला चैन की नींद सो रहा है। कब कोई उँचाइयों को छू जाता है, कब कोई पतन के गर्त में गिर जाता हैं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता । दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह अवश्य आती है। इसी प्रकार दिनों के बदलते भी देर नहीं लगती। हम कल तक क्या थे, कैसा हमारा समाज था, न यातायात के साधन थे, न ही बढ़ती हुई जनसंख्या की चिंता या इससे उत्पन्न न कोई अन्य समस्या। न विज्ञान की अंधी दौड़ थी, न आपसी रिश्तों में दरार थी। किंतु आज सब विपरीत है। सुख के साथ दुख, दुख के साथ सुख बंधा ही है। मनुष्य को जब यह समझ आ जाती है, तब वह सच्चा सुख प्राप्त कर लेता है।

अत: सब दिन न होत एक समान।

(2) तेते पाँव पसारिए, जेती लंबी सौर

मानव-शरीर इच्छाओं का घर है। इच्छाएँ हरपल जन्म लेती रहती हैं। अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य कई बार अपनी आय के साधनों को भी नहीं देख पाता। उसकी आय कम होती है और व्यय अधिक। कहने का अभिप्राय है कि उसका व्यय (खर्च) आय से अधिक हो जाता है। अपनी झूठी शान दिखाने के लिए अपनी मान-मर्यादा की खातिर वह कई बार ऋण लेने से भी नहीं चूकता। ऋणी हो जाने पर वह कई मुसीबतों को भी गले लगा लेता है। उसका शरीर रोगों का घर बन जाता है। वह अपना भावी जीवन अंधकार में डुबो लेता है। उसे सुख कम दुख अधिक मिलने लग जाते हैं, अर्थात सुख के स्थान पर उसे दुख घेर लेते हैं। यदि वह अपने व्यय को कम करके अपनी आय को देखे, उसी के अनुरूप खर्च करे, अपनी चादर की लंबाई देखकर पैर पसारे तो शायद उसके दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाएँगे। तब उसे न तो अपमानित जीवन जीना पड़ता है और न ही दूसरों के व्यंग्य-बाण सहने पड़ते हैं। जीवन में सच्चा सुख भी ऐसा व्यक्ति ही प्राप्त करता है, जो अपने साधनों की सीमा देखता हो। जो दूसरों को देखकर अपना महल गिराते हैं, अपना घर फूँकते हैं, वे समाज में तमाशबीन कहलाते हैं। जो व्यक्ति अपने घर में रूखी सूखी खाता है, बाह्य आडम्बरों से बचता है, वही वास्तविक रूप से आनंद को प्राप्त करता है। अत: मनुष्य को अपनी आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए।

(3) मन के हारे-हार है, मन के जीते जग जीत

हार-जीत, आशा-निराशा, सुख-दुख सब मन पर आधारित हैं। यह व्यक्ति की इच्छा पर ही निर्भर करता है कि वह हार को गले लगाए या फिर जीत को। यदि मन की इच्छा शक्ति दृढ़ है तो बड़े-बड़े पहाड़ भी उसके आगे संकट उपस्थित नहीं कर सकते। यदि मन की इच्छा-शक्ति दृढ़ नहीं है तो छोटे से छोटा सांसारिक आकर्षण या बाधा उसे विचलित कर सकते हैं। मन तरकश के समान है, जो सभी बाणों को एक जुट रखता है। मन चंचल है तो व्यक्ति अवनति की ओर जाता है और यदि मन स्थिर है तो व्यक्ति उन्नति की ओर अग्रसर होता है।

मन ही मनुष्य का मित्र है, यही मनुष्य का शत्रु है। मन ही कुमार्ग या सत्मार्ग पर ले जाता है। अत: मन को विजयी करना ही हमारी उन्नति का मूलाधार है। गुरु नानक देव जी ने ठीक ही कहा है कि मन जीते जगजीत अर्थात् मन को जीतने वाला संसार पर जीत हासिल कर लेता है। भगवान राम भी मन की दृढ़ इच्छा-शक्ति से ही रावण जैसे अजेय शत्रु को जीत पाए थे। मन एक दर्पण है, जो कि मनुष्य के भले-बुरे सारे कर्म को दर्शाता है। स्वच्छ मन हमारे विचारों को भी स्वच्छ और पवित्र बनाता है, जब कि मन की इच्छा-शक्ति कमज़ोर होने पर मनुष्य दुर्बलताओं के गड्ढे में गिर जाता है। अत: यह ठीक ही कहा गया है कि मन की हार से ही मनुष्य की हार है और उसके मन की जीत से जीत।

(4) सच्चा मित्र

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रह कर उसे अन्य लोगों से मेल या संपर्क करना होता है। घर से बाहर निकलते ही उसे किसी मित्र या साथी की आवश्यकता पड़ती है। मित्र ही व्यक्ति के सुख-दुख में सहायक होता है। जिससे वह अपने सुख-दुख की बात कर सके। पर किसी को मित्र बनाने से पहले मित्रता की परख कर लेनी चाहिए। जिस प्रकार व्यक्ति घोड़े को खरीदते समय उसकी अच्छी प्रकार जाँच पड़ताल करता है, उसी प्रकार मित्र को भी जाँच परख लेना चाहिए। सच्चा मित्र वही होता है, जो किसी भी प्रकार की विपत्ति में हमारे काम आता है

या हमारी सहायता करता है। सच्चा मित्र हमें बुराई के रास्ते पर जाने से रोकता है। तथा सन्मार्ग की ओर ले जाता है। वह हमारी अमीरी गरीबी को नहीं देखता, जात पात को महत्ता नहीं देता, मात्र मनुष्य की मित्रता देखता है, लोलुप नहीं होता। वह निःस्वार्थ भाव से मित्र की सहायता करता है। सच्चे मित्र को औषधि, वैद्य या खजाना कहा गया है। क्योंकि वह औषधि की तरह हमारे विचारों को शुद्ध बनाता है, वैद्य की तरह हमारा इलाज करता है, खजाने की तरह हमारी मुसीबत में सहायता करता है। सच्चा मित्र शुद्ध हृदय से सम्पन्न, मृदुल स्वभाव वाला, शिष्ट, दृढ़ संकल्पी तथा विश्वास के योग्य होता है। जिस व्यक्ति को सच्चा मित्र मिल जाता है, वह साक्षात ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। आज के जीवन में सच्चा मित्र प्राप्त करना बहुत कठिन है। स्वार्थी मित्र ही अधिक मिलते हैं। ऐसे स्वार्थी मित्रों से मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। सच्चा मित्र जीवन-भर मित्रता के पवित्र संबंध को निभाता है-कृष्ण और सुदामा की तरह ।

(5) अनुशासन

नियमों में बंधकर कार्य करना ही अनुशासन है। प्रकृति अनुशासन-बद्ध रहती है, फिर मनुष्य अनुशासन में क्यों नहीं रह सकता। अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति कहीं भी जाकर, किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करता। अनुशासन-प्रिय व्यक्ति एकाग्र मन से कार्य करता है, वह शोर- गुल, तोड़- फोड़ जैसी अहिंसक घटनाओं से दूर रहता है। आज्ञा-पालन, शिष्टाचार, समय का सही उपयोग करना आदि अनुशासित व्यक्ति के गुण होते हैं। बच्चा सर्वप्रथम अनुशासन का पाठ अपने घर से सीखता है। इसके बाद वह विद्यालय के अनुशासन में रह कर सीखता है। बच्चे को कार्यकुशल, परिश्रमी, ईमानदार, आलसहीन तथा कर्मठ बनाने के लिए अनुशासन सिखाना अनिवार्य है। अनुशासित बच्चे देश की रीढ़ होते हैं और देश के सच्चे नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं। बिना अनुशासन के न तो व्यक्ति की उन्नति संभव है और न ही समाज और राष्ट्र की प्रगति संभव है। देखा भी गया है कि यदि किसी

राष्ट्र के व्यक्ति अनुशासित होंगे तो वह राष्ट्र प्रगति के पथ पर बढ़ता है। यदि वे अनुशासनहीन हों तो उस राष्ट्र का विकास रुक जाता है। इसीलिए अनुशासनहीनता दुराचार की सीढ़ी मानी गई है। अनुशासनहीन व्यक्ति घर, विद्यालय तथा देश के विकास मार्ग में बाधा उत्पन्न कर अवनति के पथ पर बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता - न घर में, न परिवार में और न ही समाज में। दूसरी तरफ अनुशासन - प्रिय व्यक्ति उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर होता है।

(6) जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन (सत्संगति)

मानव के जीवन में संगति का बहुत महत्त्व होता है। मनुष्य का परिचय उसकी संगति से ही मिल जाता है। संगति भी दो प्रकार की होती है: सत्संगति और कुसंगति। सत्संग से अभिप्राय: उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों से होता है, जो व्यक्ति को बुरे कर्मों से बचाता है। सत्संगति अर्थात् श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति से मनुष्य के ज्ञान में सहज वृद्धि हो जाती है, मूर्खता या अज्ञानता दूर हो जाती है। वह मान - सम्मान से परिपूर्ण हो कर उन्नति की ओर बढ़ता है। उसका यश चारों दिशाओं में फैलता है। अच्छी संगति या सत्संगति पहाड़ की ढाल के समान है,जिस पर पहुँचना अति कठिन व दुष्कर है, जो पहुँच जाते हैं, वे निरंतर उन्नति के पथ पर बढ़ते चले जाते हैं। इसके विपरीत कुसंगति पतन के गर्त में धकेल देती है। कुसंगति तो काजल की कोठरी के समान है, जहाँ मनुष्य काले दाग से बच ही नहीं सकता। मनुष्य का चंचल मन कुसंगति की ओर तेजी से दौड़ता है। किसी महल को बनाने की अपेक्षा उसे नष्ट करना कहीं अधिक सरल है। मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करता है कि वह कौन सी संगति अपनाता है? व्यक्ति दुराचारी कितना भी क्यों न हो, सत्संग के प्रभाव से निश्चय ही उसके चरित्र एवं जीवन में परिवर्तन होता है। महर्षि वाल्मीकि नारदमुनि की संगत से तथा डाकू अंगुलिमाल महात्मा बुद्ध की संगत से प्रभावित होकर ही सदाचारी बन गए थे। जैसी संगति में मनुष्य बैठता है, उसका वैसा ही आचरण हो जाता है और उसे वैसा ही फल मिल जाता है।

अभ्यास

निम्नलिखित पर अनुच्छेद लिखें :-

1. समय का सदुपयोग
2. जीवन में परिश्रम का महत्त्व
3. मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है
4. मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना
5. रेल यात्रा का अनुभव
6. मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना
7. अहिंसा परम धर्म है
8. व्यायाम के लाभ
9. महँगाई
10. करत-करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान
11. किसी पर्वतीय प्रदेश की याद
12. जिंदगी जिंदादिली का नाम है
13. परीक्षा से कुछ घंटे पहले
14. संगठन में शक्ति है।
15. मीठी वाणी का महत्त्व

****

अध्याय-3

निबंध लेखन

गद्य की अनेक विधाओं में से निबंध एक है। संस्कृत की एक उक्ति है - 'गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति।' अर्थात् गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कविता लिखने की अपेक्षा गद्य लिखना अधिक कठिन है। जो अच्छा गद्य लिख लेता है, वही अच्छा लेखक है। संस्कृत की इस उक्ति का विस्तार करते हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा - 'गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबन्ध गद्य की कसौटी है।' स्पष्ट है कि गद्य की अनेक विधाओं (कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, जीवनी आदि) में से 'निबन्ध' लिखना सबसे चुनौतीपूर्ण है। जो इस चुनौती में सफल हो जाता है, वही अच्छा गद्यकार कहला सकता है।

प्रश्न उठता है कि निबंध क्या है? अत्यन्त सरल शब्दों में कहें तो निबंध एक ऐसी रचना है जिसमें किसी विशिष्ट विषय से सम्बन्धित तर्क-संगत विचार अत्यन्त सुसंगत ढंग से व्यक्त किए जाते हैं। जैसे सिल्क के कीड़े के चारों ओर कोकून घिर जाता है, वैसे ही एक विषय के आस-पास तर्कपूर्ण विचारों को गुंफित किया जाता है तो निबंध की रचना होती है। विचार सबके अपने-अपने होते हैं इसीलिए निबंध में निबंधकार के व्यक्तित्व की मौलिक अभिव्यक्ति भी हो जाती है।

एक अच्छा निबन्ध किसे कहा जाए? विद्वानों ने इस विषय पर काफी चिन्तन-मनन किया है। इस चिन्तन के बाद जो निष्कर्ष निकले हैं, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि एक अच्छे निबन्ध में ये गुण होने चाहिएं - (1) उपयुक्त विषय का चयन (2) मौलिक विवेचन (3) मर्यादित आकार (4) स्वत: संपूर्णता (5) व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति तथा (6) रोचकता। शैली की दृष्टि से निबंधकार अपनी 'रुचि' व 'विषय की माँग' के अनुसार किसी भी शैली का चयन कर सकता है, जैसे - व्यास शैली, समास शैली, चित्र शैली, सूक्ति शैली, व्यंग्य शैली, धारा प्रवाह शैली, अलंकरण शैली आदि।

निबंध वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, संस्मरणात्मक - कई तरह के हो सकते हैं। ये विभिन्न भेद भी प्राय: एक दूसरे में घुले-मिले होते हैं। जैसे किसी यात्रा से जुड़े हुए संस्मरण का वर्णन संस्मरणात्मक व वर्णनात्मक दोनों भेदों के अंतर्गत रखा जा सकता है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि निबंध लिखना एक श्रमसाध्य कार्य है। विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि एक अच्छा निबन्ध लिखने के लिए वह निम्नलिखित बातों का ध्यान रखे -

1. दिए गए विषय को भली-भाँति समझ लेना चाहिए। कई बार विषय एक सूक्ति के रूप में होता है जैसे - 'परहित सरिस धर्म नहिं भाई।' जब तक इस सूक्ति का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, तब तक एक अच्छा निबंध नहीं लिखा जा सकता। इसलिए विषय को बार-बार पढ़ें ताकि उसका अर्थ ठीक प्रकार से समझा जा सके।
2. निर्दिष्ट विषय से जुड़े सभी पहलुओं पर चिन्तन करना चाहिए। मन में (या कागज़ पर) उन बिन्दुओं को अंकित कर लेना चाहिए जिनकी चर्चा आप निबन्ध में करना चाहते हैं। ध्यान देना चाहिए कि विषय से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण पक्ष या बिन्दु छूट न जाए।
3. निबन्ध की भाषा-शैली विषय के अनुरूप ही होनी चाहिए। किसी यात्रा-वृत्तान्त का वर्णन और किसी सामाजिक समस्या का वर्णन एक ही शैली में नहीं किया जा सकता। शैली विषय के अनुरूप ही वर्णनात्मक या विवेचनात्मक या कुछ और होनी चाहिए।
4. निबंध का रोचक होना भी अनिवार्य है। इसके लिए प्रस्तुति का सहज व सरस होना उपयोगी रहता है। रोचक दृष्टान्तों से भी पाठक की रुचि व जिज्ञासा को जाग्रत किया जा सकता है।
5. निबन्ध में व्यक्त किए गए विचारों में तारतम्य व क्रमबद्धता का होना भी अत्यावश्यक है। बिखरे-बिखरे विचार अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ पाते।

6. निबंध के प्रारंभ में 'भूमिका' व अंत में 'उपसंहार' को रखा जाना चाहिए। 'भूमिका' संक्षिप्त होते हुए भी अत्यन्त आकर्षक होनी चाहिए जिससे निबंध के पाठक का मन निबंध को पूरा पढ़ने के लिए उत्सुक हो उठे। 'उपसंहार' में निबन्ध में कही गई महत्वपूर्ण बातों का सार अत्यन्त संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहिए।
7. निबन्ध लिखते समय भाषा शुद्ध होनी चाहिए। वाक्य-रचना व्याकरण-सम्मत होनी चाहिए। वर्तनी भी शुद्ध होनी चाहिए। भाषा के मानक रूप का प्रयोग करना चाहिए। विराम-चिह्नों का यथास्थान प्रयोग किया जाना चाहिए।
8. यदि प्रश्न-पत्र में निबंध की शब्द-सीमा निर्धारित की गई है तो उसका पालन करना चाहिए।

अच्छा निबन्ध लिखना एक कला है। बार-बार अभ्यास करने से विद्यार्थी इस कला में पारंगत हो सकते हैं। अतः उन्हें चाहिए कि लगन व धैर्य के साथ निबन्ध लिखने का अभ्यास करते रहें। अच्छा साहित्य पढ़ना इस दिशा में विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। अतः अपने पुस्तकालय से या अन्यत्र कहीं से भी अच्छी साहित्यिक पुस्तकें लेकर उनका अध्ययन करते रहना चाहिए ताकि निबंध-लेखन में निपुणता हासिल की जा सके।

आगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर निबन्ध दिये जा रहे हैं :-

सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा

भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ?
फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल कहाँ?
संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है?
उसका कि जो ऋषि भूमि है, वह कौन? भारतवर्ष है।

पर्वतराज हिमालय और परमपावनी गंगा की धरती है - भारतवर्ष। राम और कृष्ण की लीलास्थली है - भारतवर्ष। गौतम, गाँधी और नानक की

पुण्यभूमि है - भारतवर्ष। गुरुओं-पीरों और फकीरों की जन्मभूमि है - भारतवर्ष। छः ऋतुओं की रंगभूमि है - भारतवर्ष। विविधता की खान है भारतभूमि। तो फिर भला हम कवि इकबाल के स्वर में स्वर मिलाकर क्यों न कहें - 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा।'

हमारे देश की भौगोलिक स्थिति देखते ही बनती है। तीन तरफ विशाल समुद्र तथा चौथी ओर सुदृढ़ हिमालय इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं -

उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है।

दक्षिण में चरणों को धोता सागर-सा सम्राट है।

यही नहीं, गंगा-यमुना-कृष्णा-कावेरी, सतलुज-रावी-व्यास-ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के जाल ने इस धरा को शस्यश्यामला बनाने में योगदान दिया है। चीड़-चिनार-देवदारु के वृक्ष इस धरा को आकाश से जोड़ते हैं तो कोयले की उर्वर खानों के रूप में इस धरा का अंतःकरण भी मानो समृद्धि का शंखनाद करता है। ग्रीष्म, शरद, शिशिर, पतझड़, बसंत और वर्षा - छः ऋतुओं का क्रम से आना-जाना इस धरा को वनस्पतियों का वैविध्यपूर्ण खज़ाना सौंपता है। विश्व के अनेक देश ऐसे हैं जहाँ या तो वर्ष भर कंपा देने वाली सर्दी का कहर बना रहता है या फिर झुलसा देने वाली गर्मी का, परन्तु भारतवर्ष का मौसम वैविध्यपूर्ण है। इसी कारण यहाँ की फसलों में विविधता है। गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास, मक्का, चाय आदि से यहाँ के भंडार भरे रहते हैं।

भारत भूमि अनेक महान योद्धाओं, नेताओं, लेखकों व धर्मगुरुओं की भूमि है। युगों पहले जब विश्व के अन्य देश अज्ञान के अंधकार में डूबे थे, भारतवर्ष में वेदों का दिव्य प्रकाश जगमगा रहा था। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, पाणिनि, पतंजलि आदि विभूतियों ने विज्ञान, गणित, व्याकरण, योग आदि के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल कीं तथा विश्व-मानवता को एक नई दिशा दी। राम, कृष्ण, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक, शिवाजी जैसे सम्राटों ने लोकप्रियता के नए इतिहास रचकर राजा-प्रजा के स्वस्थ संबंधों का पाठ दुनिया को पढ़ाया। चाणक्य जैसे अर्थनीति व राजनीति के धुरंधर इसी धरा पर पैदा हुए। जनक जैसे विदेही, रंतिदेव जैसे दानी, दधीचि जैसे आत्मत्यागी,

गुरु नानक जैसे दिव्य संत, कर्ण व अर्जुन जैसे धनुर्धर, सीता-सावित्री जैसे नारी-रत्न, रानी लक्ष्मीबाई जैसे संत-सिपाही इसी भारत-भू पर अवतरित हुए। जगदीश चन्द्र बसु, सी. वी. रमन, सतीश धवन, कल्पना चावला, डॉ. अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों ने आधुनिक युग में विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया। वाल्मीकि-व्यास-कालिदास-भवभूति-तुलसीदास-सूरदास-कबीर-रहीम-बिहारी-भारतेन्दु-प्रसाद-पंत-निराला-महादेवी-प्रेमचंद जैसे साहित्य प्रणेताओं के मधुर-उदात्त स्वर इसी धरा पर गूँजे। संगीतादि कलाओं में इस धरा ने उत्कर्ष का स्पर्श किया। यहाँ की स्थापत्य कला के नमूने दक्षिण के मंदिरों तथा ताजमहल-लालकिला-कुतुबमीनार आदि के रूप में विश्व को दाँतों तले अंगुलि दबाने को विवश कर देते हैं।

भारत की धरती नाना धर्मा तथा बहुधा विवाचस कही जाती है। इसका अर्थ है कि यहाँ अनेक धर्मों को मानने वाले तथा अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। हिन्दू-मुस्लिम-सिक्ख-ईसाई सब यहाँ भाई-भाई की तरह रहते हैं। हिन्दी, पंजाबी, बंगला, गुजराती, मराठी, उड़िया, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम - भाषाओं का एक विपुल संसार बसा है यहाँ। वस्तुत: भारत का वैविध्य ही यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। सौ करोड़ से भी अधिक जनसंख्या वाला यह देश मानव-संसाधन की दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध है।

परतंत्रता के कारण इस धरती ने सदियों तक बहुत कुछ खोया मगर आज़ादी के बाद एक बार पुन: हमने नवनिर्माण का स्वप्न देखा और उसे साकार करने में जुट गए। यह सपना कुछ हद तक साकार हुआ भी है - औद्योगिक क्राँति, तकनीकी विकास, सूचना-क्राँति, हरित-क्राँति आदि के रूप में। मगर अशिक्षा, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, गरीबी, बेरोज़गारी आदि के कारण हमारी गति बाधित भी होती रही है। फिर भी हमारा प्रयास जारी है। अपने लोकतंत्र में हमें आस्था है, अपनी क्षमता पर हमें विश्वास है, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक-विरासत में हमारी पूर्ण निष्ठा है। हम कभी 'जगद्गुरु' थे मगर आज भी हम कम नहीं हैं। योग-संस्कृति-धर्म आदि के क्षेत्र में आज भी दुनिया हमसे मार्गदर्शन की आस लगाए बैठी है, हमारा आध्यात्मिक प्रकाश बारूद के ढेर पर बैठी इस दुनिया के लिए आज भी आशा की एकमात्र किरण है -

अरुण यह मधुमय देश हमारा।

जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।

आइए, अपनी शक्ति को पहचानें, अपनी विविधता को अपनी ताकत बनाएँ तथा सिद्ध कर दें कि 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा।'

महात्मा गाँधी

बदन पर एकमात्र लंगोटी धारण किए, पैरों में साधारण सी चप्पल पहने, हाथों में लाठी थामे जिस मनुष्य की तस्वीर साकार होती है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वह है- साबरमती का संत, महामानव गाँधी -जिसे सुभाषचन्द्र बोस ने 'बापू' तथा रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 'महात्मा' कह कर संबोधित किया तथा जिसके अद्‌भुत कर्मों को देख आइन्स्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों को यह कहने के लिए विवश होना पड़ा - 'आने वाली पीढ़ी शायद ही विश्वास करे कि इस धरती पर हाड़-माँस वाला ऐसा व्यक्ति अवतरित हुआ था।'

सचमुच यह विश्वास करना असंभव ही लगता है कि अहिंसा, सत्य व शाँति के हथियारों का प्रयोग कर इस महामानव ने उस अंग्रेज़ी साम्राज्य को भारत-भूमि से भगा दिया जिसके विषय में कहा जाता था कि यहाँ सूर्य कभी नहीं डूबता। गाँधी जी की इस सफलता ने उदात्त जीवन-मूल्यों में मनुष्य की आस्था पुनः दृढ़ कर दी।

महात्मा गाँधी का पूरा नाम था - मोहनदास करमचंद गाँधी। इनका जन्म गुजरात राज्य के एक छोटे से शहर पोरबंदर में 2 अक्तूबर, 1869 ई. को हुआ। इनके पिता का नाम था - करमचंद तथा माँ का नाम था - पुतलीबाई। दया, परोपकार, त्याग, सत्यवादिता, क्षमायाचना आदि के संस्कार उन्हें बचपन से ही घर में मिलने लगे थे। प्राथमिक शिक्षा राजकोट में पूरी करने के बाद इन्होंने 1888 ई. में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस बीच 1881 ई. में बारह वर्ष की अवस्था में इनका विवाह 'कस्तूर' (जो बाद में 'कस्तूरबा' के नाम से विख्यात हुई) से कर दिया गया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये

1888 ई. में इंग्लैंड चले गए - बैरिस्टरी पढ़ने। वहाँ के भोग-विलास के जीवन से आकृष्ट हुआ इनका युवा मन शुरू-शुरू में अपने कर्त्तव्य-पथ से विमुख हो गया। ऐसे में माँ को दिए तीन वचनों ने उन्हें राह दिखाई - शराब, स्त्री व माँसाहार से दूर रहने का संकल्प उन्हें स्मरण हो आया। उनकी आत्मा ने उन्हें झकझोर दिया। आत्म-निरीक्षण ने उन्हें आत्म-शोधन की प्रेरणा दी। अब वे पुन: अध्ययन में डूब गए। गीता, बाईबिल, भारतीय दर्शन आदि के अध्ययन से उन्हें नई जीवन-दृष्टि मिली। उन्होंने सादा जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया। शाकाहार को उन्होंने अपना लिया। अपना काम स्वयं करने का संकल्प उन्होंने ले लिया। इस प्रकार न केवल पढ़ाई पूरी कर बल्कि अपने व्यक्तित्व में अद्‌भुत परिवर्तन कर वे 1891 ई. में स्वदेश लौट आए।

भारत आने के बाद उन्होंने अदालत में प्रैक्टिस प्रारंभ की परन्तु भविष्य ने तो उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। पोरबंदर के एक व्यापारी के एक मुकद्दमे के संबंध में उन्हें शीघ्र ही दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। 24 वर्ष की आयु का युवक गाँधी वहाँ भारतीयों की दुर्दशा देख विचलित हो गया। अंग्रेज़ों द्वारा उनको दी जाने वाली अमानवीय यातनाएँ युवा गाँधी को भीतर तक हिला गईं। उन्होंने इस अमानवीयता का विरोध किया और भारतीयों के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। यह आंदोलन सरल न था परन्तु गाँधी जी की दृढ़ता ने अंत में उन्हें विजय दिलाई।

1915 ई. में भारत लौटने पर गाँधी जी ने यहाँ के लोगों की आर्थिक-सामाजिक दशा का गहन अध्ययन करने के साथ-साथ भारतीय राजनीति को भी बखूबी समझा। भारतीय जनता के दु:ख-दारिद्रय को देख वे द्रवित हो गए। भारतीय संस्कृति के नाश ने उन्हें विचलित कर दिया। इस दयनीय दशा से मुक्ति कैसे संभव है? यही उनके जीवन का ध्येय बन गया। अंग्रेज़ों की चालों को वे भली-भाँति समझते थे। अत: अपने जीवन-ध्येय की पूर्ति के लिए उन्होंने साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम की स्थापना की। जन शक्ति को अपने साथ जोड़ उन्होंने ऐसा जबरदस्त आंदोलन शुरू किया कि अंग्रेज़ भौचक्के रह गए। गाँधी जी की अपनी शक्ति थी - उनकी आत्मिक शक्ति। इसी के बल पर तथा जनता के सहयोग से उन्होंने अनेक सफल आंदोलनों का संचालन किया,

जैसे चंपारण आंदोलन, नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि। 'करो या मरो' का नारा देते हुए गाँधी जी ने घोषणा की, 'या तो हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इसी प्रयास में मर जाएंगे, हमेशा की गुलामी देखने के लिए हम ज़िन्दा नहीं रहेंगे।'

गाँधी जी की प्रेरणा से पूरे देश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक लहर सी चल पड़ी। गाँधी जी ने देश के विभाजन का भी कड़ा विरोध किया किन्तु स्वार्थपरता की राजनीति के कारण देश विभाजित हो गया तथा भारत व पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ।

देश के विभाजन से हताश व दु:खी गाँधी जी देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना चाहते थे। स्वतंत्र भारत के विषय में उन्होंने अनेक स्वप्न देखे थे। 'राम-राज्य' एक ऐसा ही स्वप्न था। परंतु इससे पहले कि वे अपने इस स्वप्न को साकार कर पाते, 30 जनवरी, 1948 ई. को उनकी हत्या कर दी गई। 'हे राम' का उच्चारण करते हुए यह महामानव धरती पर गिर पड़ा और चिरनिद्रा में लीन हो गया।

आज गाँधी जी हमारे बीच नहीं हैं परन्तु उनके विचार आज भी हमें रास्ता दिखा रहे हैं। परमाणु हथियारों के ज्वालामुखी पर बैठी यह दुनिया किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है - ऐसे में गाँधी जी के अहिंसा, सत्य व प्रेम के मूल्य ही उसे बचा सकते हैं। अपने इन विचारों के माध्यम से गाँधी जी सदा जीवित रहेंगे - प्रासंगिक भी। सच तो यह है कि गाँधी जी की प्रासंगिकता उनके जीवन-काल से भी अधिक आज के युग में है। ऐसे युगपुरुष गाँधी को शत-शत नमन।

भगत सिंह

जिस युवा क्रांतिकारी का नाम सुनते ही शरीर में साहस व उत्साह का संचार हो जाता है, जिसके दिव्य बलिदान का स्मरण कर मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है, अल्पायु में ही जिसके क्रांतिकारी विचारों की परिपक्वता बड़े-बड़े चिन्तकों को आश्चर्यचकित कर देती है - उस तेजस्वी-ओजस्वी हुतात्मा

का नाम था - भगत सिंह। 'इंकलाब ज़िंदाबाद' का नारा देने वाला यह बहादुर युवक भारतीय क्राँतिकारी आंदोलन का सर्वाधिक चर्चित व्यक्तित्व कहा जा सकता है। एक स्वस्थ, सुसंगठित, समतामूलक विचारधारा पर आधारित भारत का निर्माण करना उसका स्वप्न था। भगत सिंह केवल जोश से उफनता युवा नहीं था, उसका प्रत्येक कर्म सुचिन्तित था, सुविचारित था। इसीलिए भगत सिंह आज भी 'महानायक' है, 'पूर्ण प्रासंगिक' है।

शहीदे आज़म भगत सिंह का जन्म पंजाब के लायलपुर ज़िले के गाँव बंगा में 1907 ई. में हुआ। परिवार में चाचा, दादा आदि सभी क्राँतिकारी विचारों के थे अतः क्राँति के विचार भगत सिंह को विरासत में मिले थे। बचपन से ही ये अत्यन्त निर्भीक और साहसी थे। भारत उस समय परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़ा था। देश में अंग्रेज़ी साम्राज्य के विरुद्ध विरोध धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था। इन सब परिस्थितियों का प्रभाव भगत सिंह पर पड़ना स्वाभाविक ही था। 1925 ई. में भगत सिंह 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' में शामिल हुए। युवाओं में क्राँतिकारी भावना भरने के लिए लाहौर में 'नौजवान भारत सभा' की स्थापना की गई। इसी दौरान साइमन कमीशन के भारत आने पर उसका विरोध किया गया। इस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे - लाला लाजपतराय। अंग्रेज़ों ने पूरी निर्दयता से इस विरोध का दमन किया। लाला लाजपतराय पर लाठियाँ बरसाईं गईं। इन लाठियों से घायल लाला जी चल बसे।

लाला लाजपतराय की मृत्यु से पूरे भारत में क्रोध की लहर दौड़ गई। क्राँतिकारियों का गुस्सा आग की तरह दहक रहा था। वे इस अन्याय का बदला लेने के लिए कसमसा रहे थे। अंततः 18 दिसंबर, 1928 ई. को भगत सिंह ने साण्डर्स की हत्या कर लाला जी की मृत्यु का बदला ले लिया। पुलिस उनकी तलाश में थी। बड़ी चतुराई से एक अंग्रेज़ अधिकारी का वेष धारण कर वे बच निकले। किन्तु बहुत सोच-विचार करने के बाद भारत की सोई जनता को जगाने के लिए तथा अपनी क्राँति का उद्देश्य जनता को बताने के लिए उन्होंने 8 अप्रैल 1929 ई. को दिल्ली विधान सभा में बम फेंका और स्वयं अपनी गिरफ्तारी दी। वे चाहते तो भाग सकते थे। परन्तु नहीं, वे तो अपनी गिरफ्तारी के माध्यम

से अपने विचार जनता तक पहुँचाना चाहते थे। किसी की हत्या करना उनका उद्देश्य नहीं था। केन्द्रीय विधान सभा में बम फेंकने के अपराध में भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकद्दमा चला और 23 मार्च, 1931 ई. को उन्हें राजगुरु व सुखदेव के साथ फाँसी दे दी गई। मातृभूमि की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व समर्पित कर भगत सिंह सदा के लिए अमर हो गए।

भगत सिंह एक देश प्रेमी क्राँतिकारी तो थे ही, एक मौलिक चिन्तक तथा ओजस्वी लेखक भी थे। क्राँति का उनका फलसफा भी नितान्त मौलिक था। उनका विचार था कि पिस्तौल और बम कभी इन्कलाब नहीं लाते बल्कि इन्कलाब की तलवार विचारों की सान पर तेज़ होती है। विचारों की क्राँति के लिए वे अध्ययन को ज़रूरी समझते थे। उन्होंने विश्व इतिहास के न जाने कितने पृष्ठों को पढ़ा और गुना था। विक्टर ह्यूगो, तोलस्तोय, दोस्तोएवस्की, गोर्की, बर्नार्ड शॉ, डिकेन्स आदि उनके प्रिय लेखक थे। उन्होंने कूका विद्रोह, गदर पार्टी का इतिहास, करतार सिंह, बब्बर अकालियों की क्राँति की कहानियाँ बड़े चाव से पढ़ी थीं। कई पत्रिकाओं में छद्म नाम से लेख लिखते थे जो उनके अध्ययन व चिन्तन-मनन के प्रमाण हैं।

भगत सिंह देश की दुर्दशा के कारणों पर गहन विचार करते थे। शोषण, दरिद्रता, असमानता, छुआछूत, सांप्रदायिकता आदि समस्याओं पर उन्होंने गंभीर मनन किया। इसीलिए उनका विचार था कि राजनीतिक आज़ादी पर्याप्त नहीं है। आर्थिक स्वाधीनता की आवश्यकता को वे समझ चुके थे। वे एक समतामूलक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे जो भयमुक्त हो। इस राष्ट्र के निर्माण के लिए वे वैचारिक क्राँति चाहते थे। वस्तुतः क्राँति का उनका स्वप्न अत्यन्त व्यापक था। वे मुक्ति चाहते थे - अंग्रेज़ों की दासता से, आर्थिक पराधीनता से, व्यर्थ की रूढ़ियों से, धार्मिक आडंबरों से। वे तर्क पर आधारित वैज्ञानिकता के समर्थक थे। आज ज़रूरत इस बात की है कि भगत सिंह को इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा व समझा जाए। अपने इसी रूप में वे आज भी पूर्ण प्रासंगिक हैं और सदा रहेंगे।

राजभाषा हिन्दी

भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों को दूसरों पर भली-भाँति प्रकट कर सकता है तथा दूसरे के विचारों को स्वयं स्पष्टतया समझ सकता है। भाषा मुख से उच्चरित परंपरागत, सार्थक तथा व्यक्त ध्वनि-संकेतों की एक निश्चित व्यवस्था है जो संप्रेषण का मुख्य आधार बनती है। प्रयोग के आधार पर प्रत्येक भाषा की कई प्रयुक्तियाँ उपलब्ध होती हैं, जैसे - संपर्क भाषा, साहित्यिक भाषा, राष्ट्र भाषा, राजभाषा, अन्तर-राष्ट्रीय भाषा आदि।

जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है, उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा जनता और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करती है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की उसकी अपनी स्थानीय राजभाषा उसके लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान व गौरव का प्रतीक होती है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की अपनी स्थानीय राजभाषा है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है।

आज हिन्दी हमारी राजभाषा है। परतंत्रता के समय यह स्थान क्रमशः फारसी तथा अंग्रेज़ी को प्राप्त था। फिर भी, अंग्रेज़ी शासन-काल में विभिन्न सरकारी कार्यों के लिए हिन्दी का भी प्रयोग होता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान की धारा 343 में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। कारण स्पष्ट था, हिन्दी भारत के बहुत बड़े भू-भाग की संपर्क भाषा थी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की भी यह मुख्य भाषा थी। महात्मा गाँधी ने भारत-राष्ट्र की भाषा के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा था -

.....अगर स्वराज लाखों-करोड़ों भूखे लोगों के लिए, लाखों-करोड़ों निरक्षरों के लिए, अशिक्षित महिलाओं के लिए और पीड़ित अछूतों के लिए है, तब हिन्दी को सामान्य भाषा मानने के सिवाय कोई चारा नहीं है।

महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था - 'हिन्दी के द्वारा सारा भारतवर्ष एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।' हिन्दी के राष्ट्रीय महत्व को अहिन्दी भाषी प्रान्तों के नेताओं ने भी मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया था। इस प्रकार सभी के समवेत प्रयासों का परिणाम था कि हिन्दी को संघ सरकार की राजभाषा स्वीकार कर लिया गया। इस भाषा की लिपि देवनागरी स्वीकार की गई।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी संघ सरकार की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा तथा अनुच्छेद 210 में राज्यों के विधानमंडलों की भाषा का उल्लेख है। संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत की प्रमुख 22 भाषाओं का उल्लेख है। इन भाषाओं से शब्द-भंडार लेकर हिन्दी को समृद्ध करने तथा इन भाषाओं को विकसित करने की बात अनुच्छेद 344 एवं संसद द्वारा पारित 1968 के राजभाषा संकल्प में कही गई है। संविधान में व्यवस्था की गई थी कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेज़ी का प्रयोग पहले की तरह होता रहेगा। बाद में एक घोषणा द्वारा इसे अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया गया।

राजभाषा हिन्दी के विकास के लिए सरकार ने वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय हिन्दी समिति, राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ आदि का गठन किया गया। इन सबके प्रयासों से राजभाषा के रूप में हिन्दी की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ। 1976 ई. में बने राजभाषा नियम (ये तमिलनाडु पर लागू नहीं है) के अनुसार हिन्दी के प्रयोग की दृष्टि से पूरे देश को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया - 'क' क्षेत्र में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली को रखा गया। 'ख' क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा चंडीगढ़ को सम्मिलित किया गया तथा 'ग' क्षेत्र में अन्य सभी राज्यों व संघशासित प्रदेशों को रखा गया। राजभाषा के प्रयोग के लिए राज्य सरकारों के बीच आपसी पत्र-व्यवहार, राज्यों और केन्द्र सरकार के बीच पत्र-व्यवहार की भाषा के बारे में राजभाषा नियम (1976) में स्पष्ट उल्लेख है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में देना अनिवार्य बनाया गया है। सरकार ने आदेश दिया है कि सभी फॉर्म द्विभाषी होने चाहिएं। कोड मैन्युल द्विभाषी होने चाहिए, रबड़ की मोहरें, नामपट्टी एवं पत्रशीर्ष इत्यादि भी द्विभाषी होने चाहिएं। प्रशिक्षण संस्थाओं में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए। भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम के ऐच्छिक प्रयोग की अनुमति दी जाए तथा भर्ती के लिए साक्षात्कार हिन्दी में

देने का विकल्प हो। कर्मचारियों को हिन्दी प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पुरस्कारों की भी व्यवस्था है। ढांचागत व यांत्रिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं तथा वर्तनी के मानकीकरण का कार्य किया गया है।

क्या इन सब प्रयासों से राजभाषा के रूप में हिन्दी स्थापित हो पाई है? बड़े खेद का विषय है कि नहीं। क्यों? सबसे बड़ा कारण है कि हम अभी भी गुलाम मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाए। हमारे प्रशासन तंत्र में अभी भी धारा-प्रवाह अंग्रेज़ी बोलने वाले को समझदार माना जाता है। अधिकारी-वर्ग अंग्रेज़ी में बातकर गर्व से फूला नहीं समाता। वह अंग्रेज़ी बोलकर ही स्वयं को सामान्य कर्मचारियों से विशिष्ट तथा उच्च सिद्ध करता है। निस्संदेह आज हिन्दी के माध्यम से पूरे देश में कहीं भी संपर्क किया जा सकता है परन्तु प्रशासन में बैठे लोग इस तथ्य के प्रति उदासीन हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि अधिकारी वर्ग से हिन्दी में कार्य करवाने के लिए उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। कर्मचारी-वर्ग तो फिर भी पुरस्कार आदि के आकर्षण में बंधा हिन्दी में काम कर ही लेता है। हिन्दी को अनुवाद की भाषा बनाने की अपेक्षा मूल भाषा बनाया जाए तथा हिन्दी से अंग्रेज़ी में अनुवाद किया जाए। न्यायालयों की भाषा भी हिन्दी होनी चाहिए। कम्प्यूटरीकरण या भूमंडलीकरण के कारण भी हिन्दी को कोई खतरा नहीं। यदि निजी संस्थान हिन्दी का धड़ल्ले से प्रयोग कर उसे बाज़ार, व्यापार या विज्ञापन की भाषा बना सकते हैं तो सरकारी स्तर पर यह संभव क्यों नहीं है? सच तो यह है कि हिन्दी का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा यह उतनी ही सक्षम बनेगी। डॉ. हरिवंशराय बच्चन ने ठीक ही कहा था कि हम गलत हिन्दी से चलकर सही हिन्दी तक तो पहुँच सकते हैं परन्तु अहिन्दी से हिन्दी की ओर जाने का कोई मार्ग नहीं। इसलिए आइए, अपने-अपने स्तर पर आज से, अभी से हिन्दी का प्रयोग शुरू करें क्योंकि -

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटै न मन को सूल।

भारतीय समाज में नारी

विधाता द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में नारी ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे सिद्धान्त में जितनी अधिक श्रद्धा अर्पित की गई, व्यवहार में उतने ही शोषण व अत्याचार का शिकार होना पड़ा। सिद्धांत में उसे 'गृहलक्ष्मी' कहा गया परन्तु व्यवहार में 'पैर की जूती' समझा गया। सिद्धान्त में उसे 'सृजन की अधिष्ठात्री देवी' कहकर श्रद्धा-सुमन सौंपे गए किन्तु व्यवहार में उसे 'नरक का द्वार' समझा गया। एक ओर कहा गया कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं, किन्तु दूसरी ओर घर-घर में उसे प्रताड़ित किया गया, उसे अग्नि में जलाया गया, उसे जुए में दाँव पर लगाया गया, उसे बेचा गया, उसे पीटा गया, उसकी अस्मिता को रौंदा गया। विश्व के किसी भी देश का इतिहास उठा लीजिए, नारी के प्रति यही दोहरी दृष्टि हर जगह मिल जाएगी।

भारतीय समाज में नारी की स्थिति भी लगभग ऐसी ही रही है। माना जाता है कि वैदिक काल में नारी की स्थिति गरिमामयी थी। उसे शिक्षा-प्राप्ति का अधिकार था। वह विदुषी थी, साहित्य-रचना करती थी, कलाओं में पारंगत थी, धार्मिक अनुष्ठानों में पुरुष के समान स्थान की अधिकारिणी थी। मैत्रेयी, गार्गी आदि नाम इन तथ्यों की पुष्टि भी करते हैं। किन्तु रामायण-काल या महाभारत-काल तक आते-आते यह स्थिति बदल चुकी थी। सीता जी द्वारा अग्नि-परीक्षा देना, राज्याभिषेक के कुछ समय बाद जनता के संतोष के लिए श्री राम द्वारा गर्भवती सीता जी को वनों में भेज देना, द्रौपदी का पाँच-पाँच पतियों की पत्नी बनना, उसके पतियों द्वारा उसे जुए में हार जाना आदि प्रसंग नारी-गरिमा पर प्रश्न-चिह्न लगाते हैं। स्थिति उत्तरोत्तर विषम होती चली जाती है। नगरवधू, देवदासी आदि के रूप में उसके व्यक्तिगत सम्मान का हनन किया जाने लगा। मुगलों के आगमन के बाद उसे सौ-सौ पर्दों की ओट में छिपाया जाने लगा। कई जगह लड़की के पैदा होते ही उसे मारा जाने लगा। उसे भोग-विलास की वस्तु समझकर उसका क्रय-विक्रय होने लगा। साहित्य में भी उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व तिरोहित हो गया। पूरा रीतिकालीन साहित्य नारी के प्रति लोलुप-कामुक दृष्टि से रचा गया है।

नवजागरण काल में स्थिति कुछ बदलती है। शिक्षा के प्रचार-प्रसार से सामाजिक समस्याओं के प्रति समाज-सुधारकों का दृष्टिकोण बदलता है और नारी की स्थिति में भी परिवर्तन आता है। राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द आदि के प्रयासों से समाज की जड़ता टूटती है तथा सती-प्रथा, बाल-विवाह, अनमेल-विवाह, विधवा-विवाह-निषेध जैसी कुप्रथाओं के जाल में फँसी नारी की मुक्ति का भी शुभारंभ होता है। साहित्य में भी कभी उसकी दयनीय स्थिति पर आँसू बहाए जाते हैं -

अबला जीवन हाय। तुम्हारी यही कहानी।
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।।

तो कभी उसके गुणों का मुक्त कण्ठ से बखान किया जाता है:-

नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग-तल में।
पीयूष-स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।।

कभी नारी के बंदिनी रूप को देख व्यथित होकर कवि पुकार उठता है - 'मुक्त करो नारी को।' और नारी मुक्त होती भी है। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि के रूप में वह साहित्य की दुनिया में पाँव धरती है, सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित के रूप में वह राजनीति में अपनी पहचान बनाती है, कस्तूरबा के रूप में वह पति की प्रेरणा भी बनती है। दुर्गा भाभी के रूप में वह स्वतंत्रता-संग्राम में अपना नाम दर्ज कराती है, रानी लक्ष्मीबाई के रूप में वह साहस और पराक्रम का पर्याय बनती है। वस्तुत: आज़ादी से पहले का इतिहास नारी के उठ जागने का, खड़े होने का इतिहास है। यही वह समय था जब उसने अपनी अस्मिता को पहचाना था, जब उसने मुक्ति का सही अर्थ जाना था और इस मुक्ति के लिए संघर्ष का शंखनाद किया था।

स्वतंत्रता के बाद स्थिति तेज़ी से बदली। नारी-शिक्षा का प्रचार-प्रसार खूब हुआ। नारी घर से बाहर निकल नौकरी भी करने लगी। शुरू-शुरू में शिक्षिका या नर्स या डॉक्टर के रूप में। मगर धीरे-धीरे उसकी उड़ान और ऊँची होती गई। अब शिक्षा या व्यवसाय का कोई क्षेत्र उसकी पहुँच से बाहर नहीं। वह

डॉक्टर-इंजीनियर भी है, बड़ी-बड़ी कंपनियों की सर्वेसर्वा भी है, व्यावसायिक महिला भी है, अंतरिक्ष-यात्री भी है, देश की प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति भी है, जज भी है, पुलिस भी है, डाकिया भी है, बस-ड्राइवर भी है। उसके पंखों की शक्ति बढ़ती जा रही है। पंचायती राज में 30 प्रतिशत स्थान उसने अपने लिए आरक्षित करा लिए हैं और संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए उसका संघर्ष जारी है। इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, पी. टी. उषा, किरण बेदी, सानिया मिर्ज़ा जैसे अनेक नाम नारी-शक्ति की स्वर्णिम मशाल को थामे हैं।

मगर रास्ता अभी भी काँटों से भरा है। इस पितृ सत्तात्मक व्यवस्था में अभी भी उसके लिए ढेरों चुनौतियाँ हैं। कन्या-भ्रूण के रूप में अभी भी उसे कोख में ही मारा जा रहा है, अभी भी दहेज के नाम पर उसकी बलि चढ़ाई जा रही है, उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के पंख काटने के लिए उसे कभी तंदूर में जलाया जा रहा है, कभी गोली का निशाना बनाया जा रहा है, आधुनिकता तथा सौन्दर्य प्रतियोगिताओं के नाम पर उसकी देह को बेचा जा रहा है, अभी भी वह कहीं भी सुरक्षित नहीं - न घर में, न घर के बाहर। उसके बढ़ते कदम रूढ़िवादी सोच के मालिकों के लिए परेशानी का सबब बने हैं। कैसे रोका जाए इन कदमों को? मगर नहीं, अब ये कदम रुकेंगे नहीं। हाँ, ज़रूरत इस बात की है कि ये कदम मानवता की जय-गाथा का इतिहास रचने के लिए उठें, न कि उसके विनाश का काला अध्याय लिखने के लिए।

समाचार-पत्रों का महत्त्व

कल्पना कीजिए कि एक सुबह आँख मलते हुए आप उठे। चाय की प्याली तो आपको मिल गई लेकिन सुबह का अखबार नदारद। कितनी कठिन, कितनी नीरस होगी वह सुबह। क्यों? इसलिए कि समाचार-पत्र हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। और बनें भी क्यों न? महत्त्वपूर्ण जानकारी समेटे वे रंग-बिरंगे 12-15 पृष्ठ हमारा मनोरंजन भी करते हैं और ज्ञानवर्द्धन भी। दिन की इससे बढ़िया शुरूआत और क्या हो सकती है?

समाचार-पत्र सदियों से मनुष्य के जीवन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। माना जाता है कि दुनिया का पहला समाचार-पत्र सातवीं शताब्दी में चीन के पेइचिंग नगर में प्रकाशित हुआ। इसका नाम था - पेइचिंग गजट। भारत का पहला समाचार-पत्र 1783 ई. में 'बंगाल गजट' नाम से छपा। वास्तव में भारत में समाचार-पत्र की आवश्यकता स्वतंत्रता-संग्राम के समय अनुभव की गई। देश को स्वतंत्र कराने के लिए विभिन्न प्राँतों में क्राँति की ज्वाला तो पैदा हो गई थी किन्तु उसे हर जगह पहुँचाना समस्या बन रही थी। उसी समय समाचार-पत्र की महत्ता को समझा गया तथा स्वतंत्रता सेनानियों ने कई जगह से अखबार निकालने शुरू किए। उन्होंने तोप व बंदूक का मुकाबला आग उगलने वाली कलम से किया। स्वतंत्रता-पूर्व का इतिहास स्वतंत्रता सेनानियों व साहित्यकारों द्वारा निकाले गए समाचार-पत्रों या पत्रिकाओं के उल्लेख के बिना अधूरा है। देश की ज्वलन्त समस्याओं के विश्लेषण तथा सोई जनता को उद्‌बोधन देने की दृष्टि से इन पत्र-पत्रिकाओं तथा इनके संपादकों का अविस्मरणीय योगदान रहा। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखन लाल चतुर्वेदी, प्रेमचन्द, प्रसाद, निराला आदि का नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। इस प्रकार स्पष्ट है कि देश को आज़ादी दिलाने में तथा विभिन्न सामाजिक समस्याओं के उन्मूलन में अखबारों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भी इन समाचार-पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ। विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के साथ ही खबरपालिका (मीडिया) को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यूँ ही नहीं कहा जाता। यह लोकतंत्र का सबसे सशक्त प्रहरी है। जहाँ कहीं कुछ गलत हो रहा है, व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, भ्रष्टाचार पनप रहा है, गलत ढंग से नियुक्तियाँ हो रही हैं, पुलिस का अत्याचार फैल रहा है, कानून-व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं - वहीं समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि जनता की आवाज़ बनकर उनके पक्ष में जा खड़े होते हैं। जनमत को एक विशेष दिशा की ओर मोड़कर वे अपराधियों का पर्दाफाश करते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान करने में समाचार-पत्रों का योगदान निर्विवाद है।

समाचार-पत्रों में विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर विशेषज्ञों के लेख

प्रकाशित होते रहते हैं। दहेज-प्रथा, कन्या-भ्रूण-हत्या, आतंकवाद, बेरोज़गारी, बाल-मज़दूरी आदि अनेक ऐसे ज्वलन्त मुद्दे हैं जिन पर सामग्री आए दिन अखबारों में प्रकाशित होती रहती है। इससे सामान्य पाठक भी इन समस्याओं से परिचित होता है तथा अपने स्तर पर इनसे निपटने का प्रयास करता है।

समाचार-पत्र साहित्य के विकास में भी योगदान देते हैं। प्राय: सभी अखबारों में एक निश्चित दिन पर एक पृष्ठ साहित्य को समर्पित रहता है जिस पर कविता, कहानी, व्यंग्य लेख या साहित्यकारों के परिचय से सम्बन्धित लेख प्रकाशित होते रहते हैं। उभरते हुए साहित्यकारों के लिए ये पृष्ठ अपनी पहचान बनाने का माध्यम सिद्ध होते हैं।

समाचार-पत्रों में प्रकाशित सामयिक व ज्ञानवर्द्धक जानकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए बहुत उपयोगी रहती है। इस नवीनतम जानकारी के आँकड़ों को इकट्ठा कर प्रशासनिक सेवाओं आदि से जुड़ी परीक्षाओं में लाभान्वित हुआ जाता है।

समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले खेल-संस्करण, महिला-संस्करण, बाल-संस्करण या व्यापार-संस्करण समाज के विभिन्न वर्गों के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। कोई खेल-पृष्ठ को रुचि से पढ़ता है तो कोई मनोरंजन के लिए फिल्मी-पृष्ठ को। कोई व्यापारी शेयर मार्किट आदि से जुड़ी खबरें पढ़ता है तो कभी गंभीर अध्येता संपादकीय में रुचि लेता है। विवाह, नौकरी, सम्पत्ति के क्रय-विक्रय आदि से जुड़े विज्ञापन भी समाचार-पत्रों में छपते हैं जिनसे सामान्य जनता लाभान्वित होती है।

समाचार-पत्रों में पाठकीय पत्रों के लिए विशेष स्थान होता है। ये पत्र समाज के लिए ही नहीं, समाचार-पत्रों के लिए भी दिशा-निर्देश का कार्य करते हैं। इसलिए इनका महत्त्व भी निर्विवाद है।

आज के केबल नेटवर्क या इलैक्ट्रानिक मीडिया के युग में कई बार समाचार-पत्रों के भविष्य को लेकर आशंका जताई जाती है परन्तु यह आशंका निराधार है क्योंकि समाचार-पत्र जानकारी के स्थायी भण्डार हैं। आप एक समाचार या लेख को एक बार नहीं, अनेक बार पढ़ सकते हैं, सरलता से, बिना कोई

अतिरिक्त व्यय किए। परन्तु टी.वी. पर एक समाचार एक बार निकल गया तो निकल गया। उसकी रिकार्डिंग हो सकती है परन्तु उसके लिए अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा जो गरीब जनता के लिए संभव नहीं। इसीलिए समाचार-पत्रों का महत्त्व अमीर-गरीब सबके लिए सदा बना रहेगा।

खेलों का महत्त्व

कहा जाता है कि यूरोप में 'वॉटरलू' की लड़ाई में जब नेलसन विजयी हुए थे तो कहा गया था कि 'दि बैटल ऑफ़ वॉटरलू वॉज़ वन ऑन द प्लेग्राउंड्स ऑफ़ ईटन', अर्थात् 'वॉटरलू की जंग तो पहले ही ईटन के खेल के मैदानों में जीती जा चुकी थी।' ईटन वह स्कूल था जहाँ नेलसन बचपन में पढ़े थे। उपर्युक्त कथन यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि खेल के मैदान से प्राप्त शिक्षा ही व्यक्ति को भावी जीवन-संग्राम में विजयश्री दिलाती है। खेल के मैदान से प्राप्त होने वाली इन शिक्षाओं में ही खेलों का महत्त्व छिपा है। ये शिक्षाएँ यदि बचपन में ही प्राप्त कर ली जाएँ तो आगामी जीवन सफल व सार्थक हो सकता है क्योंकि बाल्यकाल में ही भावी जीवन की नींव रखी जाती है। दूसरा, बच्चों को खेलना अत्यन्त प्रिय भी रहता है अत: खेल-खेल में ही वे उन महत्त्वपूर्ण शिक्षाओं को हासिल कर सकते हैं जो प्राय: कक्षा में भी प्राप्त नहीं हो पातीं।

खेलों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है - शरीर का विकास, स्वस्थ शरीर का निर्माण, शक्तिशाली देह का गठन आदि। खेलते समय शरीर बलिष्ठ तभी बन पाएगा जब उसे सुदृढ़ बनाने के लिए खेल के दौरान यथेष्ट परिश्रम किया जाए। कई बार देखा जाता है कि कुछ बच्चे खेलते समय ऐसे स्थानों पर खड़े रहने की ताक में रहते हैं जहाँ अधिक परिश्रम न करना पड़े या अधिक भागना-दौड़ना न पड़े, जैसे - गोलकीपरी आदि। परन्तु सच तो यह है कि ऐसी आदत यदि एक बार विकसित हो गई तो फिर वह व्यक्ति जीवन भर कठिन परिश्रम से जी चुराता रहेगा। वस्तुत: खेल ही हमें सिखाते हैं कि कठिन परिश्रम में ही आनन्द व गर्व की अनुभूति की जाए।

खेल के मैदान में बच्चा एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात सीखता है - नियमों के अन्तर्गत बने रहने की प्रवृत्ति। खेल के किसी भी नियम का तनिक-सा उल्लंघन होते ही रैफरी सीटी बजा देता है और खिलाड़ी को सावधान कर देता है कि नियमों के अन्तर्गत रहकर ही विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। इस प्रकार बार-बार सचेत किए जाने से हर बच्चा यह शिक्षा लेता है कि नियमों के अधीन रहकर ही सफलता प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा बच्चा भावी जीवन में भी सफलता या विजय के मोह में नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, वह सफलता के 'शॉर्टकट' रास्तों को नहीं अपनाएगा तथा जीवन में अक्षय कीर्ति का स्वामी बनेगा।

खेल के मैदान में खिलाड़ी अपनी संपूर्ण शक्ति व कौशल के साथ खेलता है। इन्हीं पलों में बच्चा यह सीख ग्रहण करता है कि जिस भी काम को करो, उस काम में अपनी संपूर्ण शक्ति व कुशलता लगा दो। तन्मयता का गुण यहीं से विकसित होता है और पूर्ण तन्मयता के बिना जीवन के छोटे-बड़े कर्मों में दक्षता व सफलता संभव नहीं है। यही तन्मयता हमारे आलस्य को दूर कर हमें परिश्रमी भी बनाती है। खेल का मैदान ही विद्यार्थी को सिखाता है कि जीतने के लिए जरूरी है कि स्वयं को श्रेष्ठ बनाया जाए। हो सकता है कि दौड़ में जीतने के लिए कोई बच्चा अपने प्रतिस्पर्धी की टाँग में टाँग अड़ा कर उसे गिरा दे और स्वयं जीत जाए परन्तु यह सच्ची विजय नहीं। जीतने के लिए ऐसे गिरे हुए प्रयास जो बचपन से ही सीख लेता है, वह जीवन में भी ऐसे ही कर्म करके लोगों के उपहास व भर्त्सना का पात्र बनता है। अत: खेल ही मनुष्य को सिखाते हैं कि वही विजय प्रशंसनीय है जो अपनी श्रेष्ठता के आधार पर प्राप्त की गई हो। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रतिद्वन्द्वी अत्यन्त निर्बल या अकुशल होता है। ऐसे में हम जीत तो जाते हैं परन्तु खेल का मैदान ही हमें यह भी सिखाता है कि इससे हम श्रेष्ठ खिलाड़ी नहीं बन जाते। अर्थात् दूसरे की निर्बलता हमारा बल नहीं बन सकती। हम अपनी श्रेष्ठता के बल पर ही श्रेष्ठ खिलाड़ी बन सकते हैं। यही शिक्षा हमें तटस्थ दृष्टि से अपना आकलन करने का बल देती है जो भावी जीवन में भी अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होती है।

खेल हमें सिखाते हैं कि अपने प्रतिद्वन्द्वी के प्रति द्वेष भाव न रखा जाए, उसके गुणों के प्रति सम्मान का भाव रखा जाए। यही सीख बड़े होने पर भी हमें व्यर्थ की कटुता व वैमनस्य से बचाती है। खेल के मैदान में यदि रैफरी किसी खिलाड़ी को उसकी किसी त्रुटि पर टोकता है तो वह हँसते हुए उसे स्वीकार कर उस गलती को सुधारता है। इस प्रकार वह विद्यार्थी अपनी आलोचना को स्वस्थ तरीके से ग्रहण करने की प्रवृत्ति विकसित करता है। खेलते समय टीम-भावना से खेल रहा प्रत्येक विद्यार्थी 'व्यष्टि' की अपेक्षा 'समष्टि' को महत्त्व देना सीख जाता है, वह 'निज-केन्द्रित' संकुचित दृष्टि से मुक्त हो जाता है। वह सहयोग करने व सहयोग पाने की प्रवृत्ति सहज ही विकसित कर लेता है। वह हार व जीत - दोनों को सहज रूप में ग्रहण करना सीख जाता है। हारने पर वह धैर्य बनाए रखता है, विजेता की श्रेष्ठता को स्वीकार करता है, अपनी हार के कारणों का विश्लेषण करता है तथा विचार करता है कि अपनी 'आज' की 'हार' को 'कल' की 'जीत' में कैसे बदला जाए। यदि वह आज जीत गया है तो इस जीत को वह विनम्रता से, निरहंकारी रहकर स्वीकार करता है। इस प्रकार इस सीख को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी भावी जीवन में भी हारने पर हतोत्साहित नहीं होता तथा विजय पाने पर अभिमान के नशे में चूर नहीं होता।

वस्तुतः खेलों का असली महत्त्व उपर्युक्त शिक्षाओं में ही छिपा है। इसी महत्त्व को समझते हुए हर राष्ट्र व हर समाज ने खेलों को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। बच्चे व बड़े, महिला व पुरुष - सभी के लिए खेल इसीलिए तो महत्त्वपूर्ण हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, काम करने की ऊर्जा, उत्साह - सब कुछ तो मिलता है खेलों से। यही नहीं, आज के इस राजनीतिक तनाव से भरे युग में दो राष्ट्रों के बीच सौहार्द भी इन्हीं से पनपता है। इसीलिए तो छोटे स्तर से लेकर विश्व-स्तर तक खेल-प्रतियोगिताएँ आयोजित होती हैं। एशियाई खेल, ओलंपिक खेल, कॉमनवेल्थ खेल आदि कई प्रतियोगिताएँ खेलों के महत्त्व तथा लोकप्रियता का ही शंखनाद करती हैं।

पुस्तकालय और उसके लाभ

कहा जाता है कि पुस्तकों से अच्छा मित्र कोई नहीं। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ ऐसे असंख्य मित्र सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं - नए पुराने, देशी-विदेशी, गंभीर-सरस... सब तरह के मित्र। अत: पुस्तकालय मनुष्य के जीवन में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है। इसी जिज्ञासा के वशीभूत हो नन्हा बच्चा भी अपनी तोतली बोली में माता-पिता से ढेरों प्रश्न करता है। आयु के साथ-साथ उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है, जिसका समाधान छिपा होता है - पुस्तकों में। पुस्तकों के इसी महत्त्व को स्वीकार करके मनुष्य ने प्राचीन काल से ही उनका संग्रह करना शुरू किया। वह स्थान जहाँ पुस्तकों का भंडारण किया जाता है - पुस्तकालय कहलाता है। 'पुस्तकालय' अर्थात् पुस्तकों का घर।

ये पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। कभी कोई अत्यन्त संपन्न साहित्य-प्रेमी व्यक्ति अपने निजी शौक के लिए ढेरों पुस्तकें खरीद कर घर में ही उनका संग्रह करता है, ऐसे पुस्तकालय 'निजी' या 'व्यक्तिगत' पुस्तकालय कहलाते हैं। प्राचीन काल में अनेक राजाओं या धनाढ्य सामन्तों आदि के अपने निजी पुस्तकालय होते थे। आज पुस्तकों की सहज उपलब्धता के कारण ऐसे निजी पुस्तकालय की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। दूसरे प्रकार के पुस्तकालय शिक्षण-संस्थाओं में स्थित होते हैं - विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि में। इनमें पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों के अतिरिक्त पत्र-पत्रिकाओं, शोध-पत्रिकाओं आदि को रखा जाता है। आजकल कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि की सुविधा भी प्राय: यहाँ उपलब्ध होती है। विद्यार्थियों के लिए इन पुस्तकालयों की उपयोगिता निर्विवाद है। शब्द-कोश, परिभाषा-कोश, पर्याय-कोश या विभिन्न विषयों या लेखकों संबंधी कोश विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होते हैं। रोचक साहित्यिक पुस्तकें उसमें सरसता, संवेदनशीलता व उदात्त जीवन मूल्यों का संचार करती हैं। नवीनतम शोध पर आधारित पुस्तकें उसके ज्ञान को अधुनातन बनाती हैं। इस प्रकार शिक्षण-संस्थानों में स्थित पुस्तकालय विद्यार्थी-वर्ग के लिए ज्ञान का अक्षय-स्रोत सिद्ध होते हैं।

कुछ पुस्तकालय सार्वजनिक या राष्ट्रीय होते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों की सदस्यता कोई भी ले सकता है। इनमें ज्ञान-विज्ञान की राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकें, नाना प्रकार की पत्रिकाएँ आदि रखी जाती हैं। प्राय: बालोपयोगी पुस्तकों का अलग विभाग रहता है। वस्तुत: ये पुस्तकालय जनता के विविध वर्गों की रुचियों व आवश्यकताओं को देखते हुए बनाए जाते हैं। पुस्तकें खरीदना सभी के लिए संभव नहीं होता, कुछ पुस्तकें बहुत महँगी भी होती हैं, अत: सार्वजनिक पुस्तकालयों के माध्यम से सामान्य जनता भी इन पुस्तकों का लाभ उठा सकती है। राष्ट्रीय पुस्तकालयों में विश्व की दुर्लभ व श्रेष्ठ पुस्तकों का संग्रह किया जाता है। अत: विद्वानों के लिए इनकी महत्ता निर्विवाद है।

पुस्तकालयों के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक पुस्तकालय में कुछ अधिकारी व कर्मचारी होते हैं जैसे - पुस्तकालयाध्यक्ष, डिप्टी लाइब्रेरियन आदि। कुछ कर्मचारी किताबों को अलमारियों में ठीक से रखने का कार्य करते हैं। इन सबके सामूहिक प्रयास से ही पुस्तकालय का कार्य ठीक से चलता है।

पुस्तकालयों का पूर्ण लाभ तभी लिया जा सकता है, जब कुछ नियमों का पालन किया जाए। पुस्तकालय या उसमें स्थित वाचनालय (रीडिंग रूम) में शांति बनाए रखनी चाहिए। किताबों को न तो गंदा करना चाहिए, न उनके पृष्ठों को फाड़ना चाहिए और न ही उन पृष्ठों पर कुछ लिखना चाहिए। पुस्तकें यदि घर ले जाने के लिए इश्यू करवाई गई हैं तो निश्चित तिथि पर उन्हें वापस भी कर देना चाहिए। पुस्तकों को अलमारी में एक निश्चित क्रम से रखा जाता है, उस क्रम को भंग नहीं करना चाहिए। पुस्तकों की चोरी करना कानूनी व नैतिक - दोनों दृष्टियों से अनुचित है, अत: ऐसा अपराध कदापि नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों का पालन करने से पुस्तकालयों का अधिकतम लाभ सभी को मिल सकता है।

देश-विदेश के अनेक पुस्तकालय अपनी विशालता व समृद्ध पुस्तक-संपदा के कारण विश्व-विख्यात हैं। प्राचीन भारत के नालन्दा व तक्षशिला विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय विश्व प्रसिद्ध थे। आज भारत में कलकत्ता का राष्ट्रीय संग्रहालय तथा बड़ौदा का केन्द्रीय पुस्तकालय अत्यन्त

प्रसिद्ध है। वाशिंगटन का कांग्रेस पुस्तकालय, मॉस्को का लेनिन पुस्तकालय, इंग्लैंड का ब्रिटिश म्यूज़ियम भी विश्व-विख्यात पुस्तकालय हैं।

पुस्तकालय की उपयोगिता व महत्ता सभी के लिए है - स्त्री-पुरुष, बाल-युवा-वृद्ध, विद्यार्थी-अध्यापक, विद्वान-जिज्ञासु, कलाकार-खिलाड़ी सभी पुस्तकालय से लाभान्वित हो सकते हैं। पुस्तकालयों में विविध विषयों की पुस्तकें रखी रहती हैं, ये पाठकों को भिन्न-भिन्न विषय पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं जिनसे पाठकों की जानकारी का चहुँमुखी विकास होता है। ये पुस्तकें पाठकों का बौद्धिक, आत्मिक, चारित्रिक व भावात्मक विकास करती हैं, उन्हें अज्ञान के अंधकार से निकालती हैं। निराशा के गर्त में गिरे मनुष्य को एक अच्छी पुस्तक आशावान बना देती है, मूढ़ को सद्बुद्धि दे देती है, कठोर को कोमल बना देती है - तभी तो कहा जाता है कि पुस्तकें ही मनुष्य का सच्चा साथी हैं और पुस्तकालय उसके लिए प्रेरणा-स्थल हैं।

भारतीय संविधान : एक परिचय

किसी भी देश की शासन-व्यवस्था को चलाने के लिए जिन नियमों-उपनियमों की आवश्यकता होती है, उनका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व मूल स्रोत है - संविधान। जिस देश का संविधान जितना सशक्त व लोक कल्याणकारी होगा, वह देश उतनी ही प्रगति कर सकेगा। संविधान सिद्धान्त रूप में मान्य ग्रंथमात्र नहीं है, इसकी वास्तविक उपयोगिता तो तभी सामने आती है जब इसका न्यायसंगत प्रयोग किया जाता है। इसीलिए प्रत्येक स्वाधीन देश का गौरव व उसकी पहचान है - संविधान।

स्वतंत्र भारत का भी अपना एक संविधान है। इस संविधान का निर्माण भिन्न-भिन्न देशों के संविधानों की भिन्न-भिन्न विशेषताओं से प्रेरणा लेकर किया गया। हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन व शक्तियाँ तथा उपराष्ट्रपति पद, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, आयरलैंड से राज्य के नीति-निदेशक तत्व, पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्त्तव्य, फ्राँस से गणतन्त्र तथा आस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की प्रेरणा ली।

भारतीय संविधान के निर्माण में देश के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवियों, कानून-विशेषज्ञों तथा भारतीय वैविध्य को समझने वाले नेताओं के उर्वर मस्तिष्क का योगदान रहा। यह दूरद्रष्टा थे – बी. आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य जे. बी. कृपलानी, टी. टी. कृष्णमाचारी आदि। भारत में भिन्न-भिन्न जातियों-धर्मों व भाषाओं के अनुगामी रहते हैं – भारतीय संविधान का निर्माण इस विविधता व बहुरंगी संस्कृति को देखते हुए किया गया।

भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन में हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, 1946 ई. को हुई तथा इसकी अध्यक्षता डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा ने की। 11 दिसंबर, 1946 को डॉ. राजेन्द्र को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। श्री बी. एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, 1946 को प्रस्तुत किया तथा इसका रचनात्मक रूप संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया, जैसे – प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, संविधान समिति आदि। इन्हीं समितियों के अन्तर्गत एक प्रमुख समिति प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त, 1947 ई. को किया गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉ. भीमराव अम्बेडकर। इन विभिन्न समितियों के विद्वान सदस्यों द्वारा किए गए अनथक श्रम से संविधान को अपना अंतिम रूप प्राप्त हुआ। इस लम्बी प्रक्रिया से गुजरने के बाद 26 नवंबर, 1949 ई. को उपस्थित 289 सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए और इस दिन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार कर लिया गया। 26 जनवरी, 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया। यह दिन प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है – 'हम भारत के लोग... इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।' इन शब्दों से स्पष्ट है कि

भारतीय संविधान लोगों की संप्रभुता की घोषणा करता है। भारतीय संविधान में संघ व राज्यों के कर्त्तव्यों व शक्तियों, मौलिक अधिकारों व कर्त्तव्यों, नीति-निर्देशक तत्त्वों, संविधान-संशोधन की प्रक्रिया, कार्यपालिका, विधानपालिका व न्यायपालिका के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन है। भारतीय चुनाव-व्यवस्था की विस्तृत जानकारी के साथ-साथ संसद के गठन की प्रक्रिया का भी निदर्शन है।

भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र 'भारत' की प्रजातांत्रिक व्यवस्था का प्रहरी है। यह घोषणा करता है कि यहाँ आनुवंशिक आधार पर प्रतिनिधि घोषित नहीं होंगे वरन् निर्वाचन द्वारा जन-प्रतिनिधि ही सत्तासीन होंगे। वस्तुत: भारत की सम्प्रभुता, भारत की लोक कल्याणकारी छवि, भारत के प्रजातंत्र - सबकी सुरक्षा के लिए अनिवार्य है कि हम भारतीय संविधान के प्रति सच्ची भावना रखते हुए इसे पूरी निष्ठा से लागू करें।

विद्यार्थी और अनुशासन

नियमबद्धता का दूसरा नाम अनुशासन है। यह संपूर्ण चराचर सृष्टि विभिन्न नियमों के बंधनों में बंधी होती है। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय होता है तो शाम को अस्त होता है, ऋतुएँ एक नियम से परिचालित हो क्रम से आती-जाती रहती हैं, बीज क्रमश: विकसित हो पेड़ बन जाता है, नदियाँ वेग से समुद्र की ओर गतिशील रहती हैं, समुद्र से पानी वाष्प बन उड़ता रहता है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है - सब जगह, सब समय नियमबद्धता का साम्राज्य देखा जा सकता है। जहाँ यह नियमबद्धता टूटती है, वहीं विनाश का कहर टूट पड़ता है। समय पर वर्षा न हो तो? अकाल की विभीषिका जकड़ लेती है। ऋतुएँ समय पर न आएँ-जाएँ तो? वनस्पतियों की विविधता समाप्त हो जाएगी। वस्तुत: नियमबद्धता से ही जगत की गति संभव है, इसीलिए तो सभी प्राकृतिक उपादान अनुशासन में बंधे अपने-अपने कर्म का संपादन करते रहते हैं। तो क्या मानव के लिए इस अनुशासन की आवश्यकता नहीं? है, अवश्य है। अनुशासन तो जीवन का आधार है... और जीवन की आधारशिला रखी जाती है - विद्यार्थी काल में इसीलिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन अत्यन्त आवश्यक है।

विद्यार्थी जीवन बच्चे के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास का काल है। यह विकास अनुशासन के बिना संभव नहीं। शारीरिक विकास की बात करें तो यह निश्चित है कि जो विद्यार्थी खान-पान, उठने-बैठने, सोने-जागने, खाने-खेलने में अनुशासित होता है उसी का शारीरिक विकास होता है और वही स्वस्थ भी रहता है। देरी से उठने से कई आवश्यक कार्य छूट जाते हैं। व्यायाम, योग व प्राणायाम प्राय: नहीं हो पाता। जल्दबाजी में न दाँत ठीक से साफ़ होते हैं, न ही ठीक से स्नान हो पाता है। इसी प्रकार सुबह जल्दी उठने से स्वाध्याय के लिए भी समय निकाला जा सकता है। देर तक जाग कर टी. वी. देखना या कम्प्यूटर-इंटरनेट का प्रयोग करना भी ठीक नहीं। इसी प्रकार खान-पान के जो नियम घर के बड़े-बुजुर्गों ने तय किए हों, उनका पालन भी ज़रूरी है। घर का पका खाना पौष्टिक भी होता है, सुपाच्य भी। दिन भर चिप्स, नूडल्स या बर्गर आदि खाते रहना बीमारियों को न्यौता देना है। अमेरिका के बहुसंख्यक बच्चे इन्हें ही खाने से मोटापे का शिकार हो चुके हैं। अत: इन्हें त्याग देना ही उचित है। खेलने के समय भी अनुशासित रहना ज़रूरी है ताकि बिना लड़ाई-झगड़े के खेला जा सके और शरीर को उस खेल का पूरा लाभ मिल सके। वस्तुत: अपनी एक दिनचर्या बना लेनी चाहिए और उसका पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए - तभी विद्यार्थी स्वस्थ रह सकता है, उसका मुख-मण्डल स्वास्थ्य की लालिमा से जगमगाता रह सकता है। एक स्वस्थ विद्यार्थी ही अपना मानसिक व बौद्धिक विकास कर सकता है।

अनुशासन के द्वारा ही विद्यार्थी शिक्षा का अधिकतम लाभ लेकर अपना बौद्धिक विकास कर सकता है। पाठशाला में कक्षा के कमरे से लेकर खेल के मैदान तक, पुस्तकालय से लेकर प्रयोगशाला तक तथा संगीत-कक्ष से लेकर व्यायामशाला तक - सभी जगह अनुशासन बनाए रखना चाहिए। कक्षा में अध्यापक द्वारा कही हुई प्रत्येक बात को ध्यान से सुनना चाहिए, कक्षा-कार्य व गृह-कार्य पूरी लगन से समय पर पूरा करना चाहिए। पाठशाला की सभी गतिविधियों में अनुशासित ढंग से भाग लेना चाहिए, जैसे - प्रार्थना-सभा, बाल-सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-प्रतियोगिताएँ, पिकनिक आदि। जो विद्यार्थी अनुशासन में रहकर इन सब में भाग लेता है, उसका बौद्धिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है।

अनुशासन में रहकर आचरण करने वाले विद्यार्थी का मानसिक व नैतिक विकास भी सुचारू रूप से होता है। गुरुजनों को आदर देना, सहपाठियों से प्रेमपूर्वक व्यवहार करना, सहयोग की भावना रखना, खेल के मैदान में उद्दण्डता न करना, पाठशाला की सम्पत्ति को नुकसान न पहुँचाना आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पालन करने से दूसरों को भी सुख मिलता है और विद्यार्थी का अपना लाभ भी होता है। ऐसा विद्यार्थी सबका प्रिय बन जाता है। साथ ही, उच्च कोटि का यह व्यवहार बचपन में ही सीख लेने से वह जीवन भर इसे निभाता है तथा प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहता है।

बचपन से सीखी हुई बातें ही भावी जीवन की नींव बनती हैं। जिस विद्यार्थी ने बचपन में ही श्रम करना, सच बोलना, सद्व्यवहार करना, स्वस्थ रहना तथा संवेदनशील बनना सीख लिया, वह बड़ा होकर एक सभ्य व शिष्ट नागरिक बनेगा ही। ऐसे उच्च चरित्र वाले नागरिकों का राष्ट्र भला तरक्की क्यों न करेगा? अत: विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का पाठ सीखने से अपना व अपने राष्ट्र का – दोनों का हित होता है।

अनुशासित विद्यार्थी किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनता। आज स्कूलों-कॉलेजों में राजनीति के प्रवेश से जो विषाक्त माहौल बन रहा है – अनुशासित विद्यार्थी ही उसे समाप्त कर सकते हैं। वे किसी अन्य के इशारे पर हड़ताल नहीं करेंगे, बसों को आग नहीं लगाएंगे, कॉलेजों में तोड़-फोड़ नहीं करेंगे, गुरुजनों का अपमान नहीं करेंगे। वे अपने विवेक को सदा जाग्रत रखेंगे तथा राष्ट्र व समाज के प्रति अपने दायित्वों को बखूबी निभाएँगे।

विद्यार्थियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाना किसका दायित्व है? माता-पिता, बड़े-बुजुर्ग, अध्यापक-गण – सभी का। हमारे परिवार व समाज के ये सभी आदरणीय व्यक्ति अपने श्रेष्ठ आचरण द्वारा बच्चे को अनुशासन का पाठ सरलता से पढ़ा सकते हैं। सत्साहित्य के पढ़ने-पढ़ाने से भी इस दिशा में मदद मिल सकती है। भय व पुरस्कार की नीति भी अपनाई जा सकती है। शिक्षा-नीति में भी कुछ परिवर्तन होने चाहिएँ। उसे एक साथ ही मूल्यपरक व रोज़गारोन्मुख होना पड़ेगा। असामाजिक-अवांछित तत्वों को विद्या-मंदिरों से दूर

रखना पड़ेगा। विद्यार्थी ही देश का भविष्य है, अत: अपने भविष्य को संभालना व संवारना सबका साँझा दायित्व होना चाहिए।

भ्रष्टाचार की समस्या

'दीमक की तरह चाटना' मुहावरे का सही अर्थ वही जान सकता है जिसने कभी दीमक द्वारा मचाई गई भयंकर तबाही को देखा हो। भ्रष्टाचार भी एक दीमक की तरह है जो जहाँ लग जाती है, वहीं तबाही मचा देती है। किसी छोटी-सी संस्था से लेकर पूरा का पूरा राष्ट्र तबाह करने की सामर्थ्य है इसमें। लज्जा का विषय है कि भारत में भ्रष्टाचार रूपी यह दीमक खूब फल-फूल रहा है और देश की जड़ों को खोखला कर रही है। ....और इस देश के नागरिक यह समझ ही नहीं पा रहे कि देश के नुकसान का अर्थ है - उनका अपना नुकसान।

क्या है भ्रष्टाचार? भ्रष्ट आचरण ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्ट का अर्थ है - बिगड़ा हुआ, विकृत। वास्तव में आचरण की श्रेष्ठता की जो कसौटियाँ बनाई गई हैं, उनके विपरीत व्यवहार करना ही भ्रष्ट आचरण है। प्रत्येक समाज द्वारा कुछ मूल्यों या मानकों को मान्य व स्थापित किया जाता है, उनका उल्लंघन ही भ्रष्टाचार है। रिश्वत, कालाबाज़ारी, मिलावट, सिफारिश, बेईमानी, शोषण, अन्याय, व्यभिचार - ये सब भ्रष्टाचार के ही विविध रूप हैं।

आखिर मनुष्य भ्रष्ट आचरण करता ही क्यों है? क्यों वह सीधा-सच्चा रास्ता नहीं अपनाता? इसका कोई एक उत्तर नहीं दिया जा सकता। कोई व्यक्ति अपनी असीमित लालसाओं के वशीभूत हो भ्रष्टाचार फैलाता है तो कोई शीघ्र तरक्की करने के लिए। कोई किसी से बदला लेने के लिए भ्रष्ट आचरण करता है तो कोई किसी को अनुचित लाभ देने के लिए। स्वार्थ, लाभ (अपना व अपनों का), प्रलोभन, भय आदि कारणों से ही तो भ्रष्टाचार फैलता है। वस्तुत: जब 'अर्थ' (धन) व 'काम' (वासना) जैसे तत्व 'धर्म' व 'मोक्ष' पर हावी हो जाते हैं तो भ्रष्टाचार ही फैलता है।

भ्रष्टाचार की यह भयावह समस्या जीवन व जगत के हर क्षेत्र में देखी जा सकती है। संस्थानों में देखिए, लोग काम नहीं करना चाहते परन्तु वेतन पूरा चाहते हैं। कार्यालय के समय में गप्पें मारेंगे परन्तु ओवर-टाइम करके अतिरिक्त पैसे कमाएँगे। रिश्वत लिए बिना काम नहीं करेंगे। नियुक्तियों में धाँधली, परीक्षा-परिणामों में धाँधली, अनुदान के वितरण में धाँधली, पुरस्कारों हेतु चयन में धाँधली - कई बार लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं। हर रोज़ मीडिया द्वारा किसी न किसी घोटाले का पर्दाफाश किया जाता है मगर भ्रष्ट व्यक्ति पूरी निर्लज्जता से अपनी सफाई देते हैं... और बहुत बार तो वे बेदाग छूट भी जाते हैं। शायद हमारी न्याय-व्यवस्था भी भ्रष्टाचार की चपेट में आ चुकी है। विद्या के मंदिर- हमारी शिक्षण संस्थाएँ भी इस दानव के पंजे से मुक्त नहीं। धर्म के केन्द्र, हमारे धार्मिक स्थल भी इस दलदल में धंस चुके हैं। क्या नेता और क्या अभिनेता - सब पर अंगुलियाँ उठ चुकी हैं।

जब राष्ट्र का हर छोटा-बड़ा क्षेत्र भ्रष्टाचार की समस्या से जूझ रहा हो तब विकास की आशा करना व्यर्थ है। शायद यही कारण है कि असीमित प्राकृतिक संसाधन होते हुए, सौ करोड़ की जनसंख्या के रूप में अपार मानव संसाधन होते हुए भी भारत प्रगति का वह इतिहास नहीं रच पाया, जिसकी उम्मीद की गई थी। जो विकास हुआ भी है, उसका लाभ भी इसीलिए सबको नहीं मिल सका। खेल आदि कई क्षेत्रों में तो हमारी उपलब्धियाँ न के बराबर हैं। यह भी भ्रष्टाचार की ही देन है। विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र होते हुए भी यहाँ की 'प्रजा' और यहाँ के 'तंत्र' की स्थिति कुछ विशेष उल्लेखनीय नहीं हैं। यहाँ भी भ्रष्टाचार ही उत्तरदायी है।

भ्रष्टाचार को रोका कैसे जाए? बढ़ती हुई महँगाई या बढ़ती हुई आवश्यकताओं की दुहाई देने से कुछ नहीं होगा। श्रम की महत्ता को समाज में स्थापित करना होगा और ऐसी व्यवस्था भी बनानी होगी कि श्रम की उचित कीमत मिल सके। महँगाई रोकने के प्रयास करना सरकार का दायित्व है - उसे इसे गंभीरता से लेना होगा। सबके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी हों - यह सरकार व समाज का प्राथमिक कर्त्तव्य होना चाहिए। सुख-सुविधा की चीज़ें तो उसके बाद उपलब्ध होनी चाहिएँ। देश में करोड़पतियों की संख्या

बढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि देश का विकास हो रहा है, देश के आम आदमी की स्थिति में सुधार होना चाहिए। भूखा, गरीब, विपन्न मनुष्य पेट भरने के लिए कोई भी गलत काम कर सकता है। अत: रोटी, कपड़ा व मकान सबको उपलब्ध हो - यह सुनिश्चित करना होगा। और सबसे महत्त्वपूर्ण बात - जीवन मूल्यों में आस्था पुन: स्थापित करनी होगी। संतोष, ईमानदारी, कर्त्तव्यनिष्ठा, परोपकार जैसे उदात्त मूल्यों को अपनाए बिना भ्रष्टाचार का उन्मूलन संभव नहीं। सख्त कानूनों को बनाना और उनका कड़ाई से पालन करना भी सहायक सिद्ध हो सकता है। वस्तुत: भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए एक संकल्प की आवश्यकता है। सीधे-सच्चे मार्ग पर चलने का संकल्प। जीवन का सच्चा आनंद इसी में छिपा है।

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली

जिस संजीवनी के स्पर्श से मनुष्य की पाशविक वृत्तियों का निराकरण होता है तथा उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, वह है - शिक्षा। शिक्षा अर्थात् सिखाना। यूँ तो सीखने-सिखाने का क्रम मनुष्य के जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है, इसे अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। घर-परिवार में माता-पिता, दादा-दादी आदि शिशु के प्राथमिक शिक्षक ही तो होते हैं। माँ को इसीलिए बच्चे का पहला गुरु कहा जाता है। संस्कारों की शिक्षा बच्चे को परिवार से ही मिलती है। परन्तु बच्चे की अनौपचारिक शिक्षा का प्रारंभ तब से माना जाता है जब वह विद्यालय में प्रविष्ट होता है। शिक्षा-प्रणाली का प्रश्न इसी औपचारिक शिक्षा से जुड़ा है।

प्राचीन काल में शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली ही अस्तित्व में थी। विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में ही रहना होता था जहाँ उन्हें विभिन्न विषयों की सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक शिक्षा दी जाती थी। समय के साथ-साथ ये गुरुकुल लुप्त होते चले गए। विशेषत: अंग्रेज़ों के आने के बाद भारत में शिक्षा-व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन आते चले गए। वस्तुत: अंग्रेज़ों का उद्देश्य भारतीयों में गुलामी की मनोवृत्ति को ज़िन्दा रखना था। वे भारतीय साहित्य व संस्कृति को

समाप्त कर देना चाहते थे। वे एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना चाहते थे जो रंग-रूप में भारतीय होते हुए भी मन से व संस्कारों से अंग्रेज़ हो। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने भारतीय शिक्षा-प्रणाली को हथियार बनाया। लॉर्ड मैकाले ने एक ऐसी शिक्षा-प्रणाली का प्रारंभ किया जिसके अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य मात्र परीक्षा-उत्तीर्ण करना था ताकि अंग्रेज़ों की नौकरी मिल सके। जीवन का व्यावहारिक ज्ञान, जीवन-मूल्यों की समझ तथा रोज़ी-रोटी की ज़रूरतों से कोसों दूर थी यह शिक्षा -प्रणाली। इसने केवल क्लर्कों की एक फौज तैयार की जो जीवन-संग्राम के हारे हुए सिपाही सिद्ध हो रहे थे। बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ हासिल करके भी जीवन की सही समझ से अनजान ये लक्ष्यहीन युवा बेरोज़गारी की एक भीड़ में तब्दील होते रहे।

स्वतन्त्रता के बाद भी शिक्षा की यही प्रणाली चलती रही। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना ही रह गया है। शिक्षा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का साधन है। परन्तु यह उद्देश्य कहाँ पूरा हो पाता है? न तो विद्यार्थी में जीवन-मूल्यों का विकास हो पाता है, न राष्ट्रीयता की भावना पनपती है, न आत्म-गौरव का भाव जागता है। ऐसा भी नहीं है कि पाठ्यक्रम में इन मूल्यों के समावेश का प्रयास नहीं किया जाता परन्तु यह सब इतने यांत्रिक ढंग से किया जाता है कि उसका लाभ विद्यार्थियों को मिल ही नहीं पाता। साथ ही, शिक्षा का संबंध नौकरी से और नौकरी का संबंध डिग्रियों से इस तरह जोड़ दिया गया है कि विद्यार्थी येन केन प्रकारेण डिग्री लेना ही शिक्षा का उद्देश्य मान बैठे हैं। वर्ष भर अनुशासनहीनता फैलाने वाले विद्यार्थी भी चन्द प्रश्नों के उत्तर रट कर परीक्षा पास कर लेते हैं और डिग्री हासिल कर लेते हैं। विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के समय जो धाँधलियाँ मचती हैं, उसके कारण अयोग्य उम्मीदवार भी नौकरी पा जाते हैं तथा काबिल उम्मीदवार मुँह ताकते रह जाते हैं। इन कारणों से भी शिक्षा-नीति की व्यर्थता का अहसास गहराता चला जाता है।

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली शारीरिक श्रम के प्रति भी घोर उपेक्षा का भाव विद्यार्थियों में पैदा करती है। कृषि या कुटीर उद्योग-धन्धों के प्रति कोई रुचि यह नहीं जगाती। इस शिक्षा-प्रणाली में शिक्षित युवा महानगरों या विदेशों में

चमकते स्वप्न ही देखता है, अपने गाँवों से उसका सम्पर्क टूटता चला जा रहा है। यह अत्यन्त खेद का विषय है।

भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप ही सर्वशिक्षा-अभियान जैसे कार्यक्रम सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं किन्तु दूसरी ओर शिक्षा के निजीकरण के कारण भी परिदृश्य बदला है। निजी शिक्षा-संस्थान भौतिकवादी उद्देश्यों से परिचालित शिक्षा-व्यवस्था में गुणवत्ता तो लेकर आते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं किन्तु इस निजीकरण की दो हानियाँ अत्यन्त स्पष्ट हैं (1) यह शिक्षा व्यवस्था अत्यन्त महँगी होने के कारण आम भारतीय की पहुँच से दूर है। (2) इसमें राष्ट्रीय मूल्यों के विकास हेतु कोई प्रयास नहीं किया जाता। वस्तुतः निजीकरण के कारण शिक्षा भी एक व्यापार-मात्र बन कर रह गई है, यह भारतीय संविधान की मूल भावना के साथ भी खिलवाड़ है।

शिक्षा देश के वर्तमान व भविष्य की सुरक्षा की गारंटी है। कोठारी आयोग की सिफारिशों से स्वीकृत 10+2+3 की शिक्षा-प्रणाली आज भी देश में सर्वस्वीकृत प्रणाली है। देश की मौजूदा ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही इस प्रणाली का निर्देश किया गया था। फिर भी, आज ज़रूरत इस बात की है कि शिक्षा को जीवन से जोड़ा जाए, उसे रोज़गारोन्मुख भी बनाया जाए, उसके द्वारा शारीरिक श्रम के प्रति आदर-भाव फैलाया जाए, उसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव पैदा किया जाए तथा उसके द्वारा उदात्त जीवन-मूल्यों का प्रचार-प्रसार किया जाए।

बाल-मज़दूरी

सर्दी की ठिठुरती रातों में किसी ढाबे के अंधेरे कोने में बड़े-छोटे बर्तनों को अपने नन्हे-नन्हे हाथों से माँजते, फैक्ट्रियों में जोखिम भरे कामों को अंजाम देते, पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियों में विस्फोटक सामग्री से घिरे विषाक्त वातावरण में काम करते, सड़क किनारे जूते पॉलिश करते, संपन्न घरों के सुविधाभोगी सदस्यों की सेवा करते तथा उनकी डाँट-मार खाते, खेतों में गर्मी-सर्दी-बरसात का कहर सहते छोटे बालक-बालिकाएँ- ये सभी दृश्य बाल मज़दूरी की विश्वव्यापी

समस्या की भयावहता को उजागर करने के लिए काफी हैं। इन बच्चों के लिए बचपन एक सुनहरा ख्वाब नहीं वरन एक कड़वी हकीकत है। खेलना-कूदना इनके नसीब में नहीं, गुड्डे-गुड़ियों का ब्याह रचाना इनके भाग्य में नहीं। जन्म लेते ही इन्हें भूख व गरीबी का दानव जकड़ लेता है जिससे मुक्ति पाने के लिए इनके नन्हे-नन्हे हाथ शीघ्र ही थाम लेते हैं - हथौड़ा, कुदाली, छैनी, हल या फिर... कुछ और।

बाल मज़दूरी एक विश्वव्यापी समस्या है। प्रश्न है कि आयु की वह न्यूनतम सीमा क्या है जिससे कम उम्र के बच्चों को बाल मज़दूर कहा जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल-श्रमिक माना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, अमेरिकी कानून ने 12 वर्ष तथा भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल मज़दूर माना जाता है। यूँ तो ये बाल श्रमिक पूरे विश्व में देखे जा सकते हैं परन्तु विश्व के कुल बाल-श्रमिकों में से 50 प्रतिशत से अधिक भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल आदि देशों में हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की संख्या 5 से 10 करोड़ के बीच है। कई अन्य संस्थाओं द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार यह संख्या इससे कहीं अधिक है। भारत के लिए यह गहरी चिन्ता का विषय है।

आखिर नन्हे-नन्हे ये बच्चे मज़दूरी के लिए विवश क्यों होते हैं? भारत के संदर्भ में बात करें तो कह सकते हैं कि सौ करोड़ से भी अधिक आबादी वाले इस देश में लगभग आधी जनसंख्या गरीबी-रेखा के नीचे निवास कर रही है और इस आधी जनसंख्या में से भी आधी ऐसी है जिसके पास रहने के लिए मकान, दो वक्त का खाना तथा तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं है, अन्य सुविधाएँ तो दूर की बात है। ऐसे परिवारों के बच्चे यदि छोटी उम्र से ही पेट की आग बुझाने के लिए काम न करें तो क्या करें? अत: गरीबी-घोर गरीबी - एक बहुत बड़ा कारण है जो बाल मज़दूरों को जन्म देता है। अशिक्षा को भी सहायक कारण माना जा सकता है। अनपढ़ माता-पिता यह सोच ही नहीं पाते कि अशिक्षा और गरीबी का क्या सम्बन्ध है। फलत: उनके बच्चे रोज़ी-रोटी के चक्कर में पड़कर शिक्षा-प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं।

ये बाल श्रमिक ने केवल शिक्षा का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं बल्कि खतरनाक कामों में लगे होने से तथा अस्वास्थ्यकर वातावरण में काम करने से अनेक बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। किसी को साँस की बीमारी लग जाती है, कोई भरपूर भोजन न मिलने से कुपोषण का शिकार हो जाता है। किसी की आँखों की रोशनी जाती रहती है, कोई बहरा हो जाता है, किसी को नशे की लत तबाह कर देती है। इन बाल श्रमिकों के श्रम का शोषण भी खूब होता है। कभी तो इन्हें वेतन मिलता ही नहीं, कभी कम मिलता है और कभी इनका वेतन इनके माँ-बाप द्वारा हड़प लिया जाता है जो प्राय: पिता की शराबखोरी की आदत के हवाले हो जाता है। इन्हें न तो पौष्टिक भोजन मिलता है, न पढ़ने का अवसर। न प्यार मिलता है, न सम्मान। परिस्थितियों का अभिशाप इनकी मासूमियत को निगल लेता है। इनमें से कई आपराधिक कामों में संलिप्त होकर अपना समूचा जीवन तबाह कर लेते हैं।

बच्चे ही किसी देश व समाज का भविष्य होते हैं। जिस देश का बचपन मज़दूरी करने के लिए विवश हो, उस देश का भविष्य कैसा होगा? इसीलिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो बाल मज़दूरी को रोक सकें। परन्तु इन कानूनों का पालन तब तक नहीं हो सकेगा जब तक मनुष्य के हृदय की करुणा और संवेदनशीलता जाग्रत नहीं होगी, जब तक वह स्वार्थ के कटघरे से बाहर नहीं निकलेगा और जब तक समाज में समता और सहिष्णुता का अमृत रस नहीं बरसेगा। हम में से प्रत्येक को संकल्प लेना होगा कि इस भयावह समस्या से अपने-अपने स्तर पर हम सब जूझेंगे तथा इन मासूमों के बचपन को बचा कर मानव-जाति के भविष्य को सुरक्षित करेंगे।

बेरोज़गारी

संस्कृत में एक उक्ति है - 'बुभुक्षित: किं न करोति पापम्' अर्थात् भूखा व्यक्ति कौन-सा पाप नहीं करता। सच ही है, पेट भूखा हो तो पाप-पुण्य, नैतिक-अनैतिक कुछ भी नहीं दिखता। दिखती है तो सिर्फ रोटी.... और

इस रोटी को पाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है - अनुचित और अनैतिक भी, पाप भी, अपराध भी। इसलिए वही राष्ट्र प्रगति की आशा कर सकता है जो अपने प्रत्येक सदस्य को पेट भरने के लिए रोटी उपलब्ध कराता हो। सबके लिए रोटी अर्थात् सबके लिए रोज़गार के समान अवसरों की उपलब्धता। रोज़गार का न मिलना ही बेरोज़गारी है। इसे समाज की अत्यन्त भयावह समस्या कहा जाता है क्योंकि रोज़गार के अभाव में 'जीना' ही संभव नहीं है। जीवन की मूलभूत ज़रूरतों की पूर्ति धन के बिना संभव नहीं और धन रोज़गार के बिना संभव नहीं। अत: बेरोज़गारी जीवन की समस्या मात्र नहीं है, यह तो जीवन की समाप्ति है। यही कारण है कि प्रत्येक देश की सरकार इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करती है। विश्व के विकसित देशों की तुलना में विकासशील तथा अविकसित देश इस समस्या से अधिक ग्रस्त हैं और यही समस्या उनके विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। भारत के लिए भी यह समस्या सिरदर्द बनी हुई है।

जनसंख्या-वृद्धि, रोज़गारोन्मुख शिक्षा-नीति का अभाव, शारीरिक श्रम के प्रति उपेक्षा-भाव, प्रभावशाली सरकारी योजनाओं का अभाव आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो बेरोज़गारी को जन्म देते हैं। भारत की जनसंख्या सौ करोड़ का आँकड़ा पार कर चुकी है। इतने विशाल जन-समुद्र को रोज़गार देना केवल सरकार के बस की बात नहीं। कुछ दशक पूर्व तक रोज़गार के क्षेत्र में नौकरी का अर्थ प्राय: सरकारी नौकरी से ही लिया जाता था। आज यद्यपि स्थिति काफी बदली है और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध रोज़गार व्यक्ति की प्राथमिक पसंद बनते जा रहे हैं तथापि बेरोज़गारी की समस्या हल नहीं हुई। निजी क्षेत्र में वेतन के स्तर पर पाई जाने वाली असंगतियाँ भी कम भयावह नहीं। एक ओर कुछ व्यक्तियों की मासिक आय लाखों में है और दूसरी ओर अच्छे-खासे शिक्षित व्यक्ति को भी चार-पाँच हज़ार से अधिक वेतन नहीं दिया जाता। गलाकाट प्रतियोगिता के इस दौर में नौकरी में स्थायित्व की भी कोई गारंटी नहीं। कानून बने हैं मगर उनसे बच निकलने के भी बीसियों रास्ते हैं। यह भी अत्यन्त खेद का विषय है कि अभी भी हमारे शिक्षित वर्ग के लिए रोज़गार का अर्थ 'नौकरी' ही है, हाँ, अब सरकारी नौकरी का स्थान बहुराष्ट्रीय कंपनियों

की नौकरी ने ले लिया है। शारीरिक श्रम के प्रति घोर उपेक्षा भाव हमारी पढ़ी-लिखी पीढ़ी में पनप चुका है। कृषि आदि कार्यों में उसकी कोई रुचि नहीं। घरेलू उद्योग-धन्धों से उसे लगाव नहीं। यद्यपि सरकार ने इन छोटे-छोटे उद्योगों के संचालन के लिए ऋण की व्यवस्था भी की है परन्तु जन-रुचि के अभाव में ये छोटे कुटीर उद्योग समाप्त होते जा रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगे ये छोटी इकाइयाँ पनप ही नहीं पातीं। इन बड़ी कंपनियों की नज़र छोटी-छोटी वस्तुओं से होने वाले बड़े लाभ को भी ताड़ जाती है, इसीलिए इनका जाल फैलता जा रहा है। आलू-प्याज तक इन्होंने बेचना शुरू कर दिया है। परिणामस्वरूप छोटे व्यापारियों के समक्ष भी रोज़गार और अस्तित्व का संकट आ खड़ा हुआ है। यह बड़ी भयावह स्थिति है, सरकार को शीघ्र ही इसका कोई समाधान ढूँढना चाहिए।

प्रौद्योगिकी के विकास से एक ओर जहाँ रोज़गार के कुछ नए अवसर मिले हैं, वहीं बेरोज़गारों की एक लम्बी फौज भी खड़ी हो गई है। नवीनतम तकनीक द्वारा बनाई गई मशीनों या कम्प्यूटर आदि के द्वारा सैकड़ों मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला कार्य अधिक कुशलता से अत्यल्प समय से कर दिया जाता है, बस इन्हें चलाने के लिए एक प्रशिक्षित दिमाग की ज़रूरत है। फलस्वरूप अनेक लोगों को रोज़गार से वंचित रह जाना पड़ता है। शीघ्र तरक्की की दुराशा में हमने औद्योगिक व तकनीकी विकास का मार्ग तो चुन लिया मगर विशाल जनसंख्या के रूप में हमें जो 'मानव-संसाधन' उपलब्ध था, उसका लाभ लेने से हम चूक गए। इसी वास्तविकता से परिचित होने के कारण गाँधी जी ने 'ग्रामोत्थान' तथा कुटीर उद्योग-धन्धों के विकास का लक्ष्य सामने रखा था मगर वह स्वप्न स्वप्न ही रह गया और बेरोज़गारों की एक भीड़ बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ थामे भारत भर में घूमने लगी।

बेरोज़गारी 'पलायन' और 'आक्रामकता' की प्रतिक्रिया के रूप में समय के विकास व सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कुछ बेरोज़गार हताशा की स्थिति में जीवन से पलायन कर जाते हैं तथा नशे के शिकार होकर अपना जीवन ही तबाह कर बैठते हैं। अत्यधिक निराशा व कुंठा की अवस्था में कई बार वे आत्महत्या भी कर लेते हैं। दूसरी ओर कुछ बेरोज़गार 'हिंसा'

का रास्ता अपना कर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। संप्रदायवाद, आतंकवाद, अपराध आदि फैलाने में इन्हें आसानी से मुहरा बना लिया जाता है। अतः बेरोज़गारी न केवल उस व्यक्ति-विशेष के लिए वरन् समूचे समाज, राष्ट्र व विश्व के लिए भी घातक है।

भारत में इस समस्या के समाधान के लिए सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर प्रयास किए गए हैं। पंचवर्षीय योजना, जवाहर रोजगार योजना जैसे प्रयासों के साथ-साथ शिक्षा को रोजगारोन्मुख भी बनाया जा रहा है। फिर भी इस समस्या की भयावहता और व्यापकता को देखते हुए अभी और प्रयासों की आवश्यकता है। साथ ही, एक ऐसी आर्थिक नीति तुरंत अमल में लानी चाहिए जो न केवल सबको आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए वरन् जो अमीर-ग़रीब के मध्य चौड़ी होती जा रही खाई को पाटने में भी प्रभावी हो।

मानवाधिकार

मानवाधिकार से तात्पर्य है, वे अधिकार, जिन पर मानव होने के कारण प्रत्येक मनुष्य का हक है। इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता या किसी भी कीमत पर मनुष्य को इनसे वंचित नहीं किया जा सकता। लिंग, रंग, नस्ल, धर्म, भाषा आदि के नाम पर मनुष्य को इन अधिकारों से वियुक्त नहीं किया जा सकता। किन्तु दुःख का विषय है कि आज के इस अति विकसित मानव-समाज में ही मानवाधिकारों का हनन हो रहा है।

दो-दो विश्व युद्धों की विभीषिका को झेलने के बाद मनुष्य होश में आया तथा सोचने लगा कि भावी युद्ध के संकट को कैसे टाला जाए? तब स्थापना हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की - 24 अगस्त, 1945 ई. को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1946 ई. में एलोनोर रुज़वेल्ट की अध्यक्षता में एक मानवाधिकार आयोग का गठन किया जिसने जून, 1946 ई. में विश्वव्यापी मानवाधिकारों की घोषणा का एक प्रारूप तैयार किया जिसे उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 10 दिसंबर को स्वीकार कर लिया गया। इसीलिए हर वर्ष 10 दिसंबर को 'मानवाधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस घोषणा-पत्र के कुछ मुख्य

बिन्दु हैं -

- सभी मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेते हैं तथा प्रतिष्ठा एवं अधिकारों की दृष्टि से समान हैं।
- प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का अधिकार है।
- किसी भी व्यक्ति को दास अथवा गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता।
- विधि के समक्ष सब व्यक्ति समान हैं।
- सभी व्यक्तियों को शान्तिपूर्वक सम्मेलन करने, भ्रमण करने तथा व्यापार-व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होगी।
- सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- सभी व्यक्तियों को शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास के समान अवसर उपलब्ध होंगे।
- अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक उसके विरुद्ध दोष-सिद्धि का आदेश पारित न हो जाए।
- प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति रखने तथा उसके व्यय का अधिकार होगा। किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से मनमाने तरीके से वंचित नहीं किया जाएगा।
- प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार होगा।
- सभी वयस्क स्त्री-पुरुषों को विवाह करने एवं घर बसाने का अधिकार होगा।
- सभी स्त्री-पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा।
- किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार दिया है। साथ ही, मौलिक अधिकारों के रूप में उसके इन्हीं मानवाधिकारों का संरक्षण प्रदान किया गया है।

फिर भी, समूचे विश्व में ही मानवाधिकारों का व्यापक तौर पर हनन

भी देखा जा सकता है। कभी राष्ट्रीय विकास के नाम पर स्थापित बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के कारण मानवाधिकारों का हनन होता है तो कभी प्राकृतिक आपदा (भूकम्प, सूखा, बाढ़, चक्रवात आदि) से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की उपेक्षा के कारण। कभी बाल-मज़दूरी के रूप में मानवाधिकार छीने जाते हैं तो कभी वेश्यावृत्ति या बंधुआ मज़दूरी के रूप में। कभी लिंग-भेद के कारण तो कभी नस्लीय टिप्पणियों के रूप में। कभी आतंकवाद की भेंट चढ़ जाते हैं मानवाधिकार तो कभी धार्मिक उन्माद के। क्या विकसित, क्या विकासशील और क्या अविकसित - सभी देशों में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अपीलों के बावजूद बहरे कानों पर जूँ नहीं रेंगती।

व्यापक जनसंहार 'मानवाधिकारों सम्बन्धी घोषणा' का मज़ाक उड़ाते प्रतीत होते हैं। शरणार्थियों की दयनीय दशा भी इस घोषणा की सच्चाई को प्रश्नांकित करती है।

विश्व में नस्लभेद या रंगभेद समाप्त करने के लिए 1966 ई., शरणार्थियों की स्थिति के विषय में 1951 ई., महिलाओं से होने वाले भेदभाव समाप्त करने के लिए 1979 ई., उत्पीड़न और अन्य अमानवीय व्यवहार या दण्ड रोकने के लिए 1948 ई., बाल-अधिकारों के लिए 1989, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए 1990 ई. में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किए गए। विश्व के शताधिक देशों ने इन पर हस्ताक्षर कर अपनी स्वीकृति की मुहर भी लगा दी।

फिर भी क्या कारण है कि अभी भी स्थान-स्थान पर मानवीय गरिमा का हनन हो रहा है। वस्तुत: स्वार्थपूर्ण भोगवादी दृष्टि के व्यापक प्रसार ने जीवन-मूल्यों को अपदस्थ कर दिया है। जब तक मानव-मानव के बीच प्रेम, उदारता, सहयोग, त्याग, समर्पण व मैत्री का रिश्ता नहीं बनेगा तब तक व्यक्ति ही व्यक्ति का कातिल बना रहेगा। आवश्यकता है पुन: उस सोच को जगाने की जिसमें 'सरबत दा भला' की अरदास की जाती थी। जिसमें ईश्वर से माँगा जाता था -

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया:
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्दुःखभाग्भवेत।

रेल-दुर्घटना

कभी पढ़ा था कि मानव-जीवन पानी के बुलबुले-सा है, क्षणजीवी, अनिश्चित। इस तथ्य पर विश्वास तब हुआ जब एक भीषण रेल दुर्घटना में मैंने अपनी आँखों के सामने हँसते-खेलते मनुष्यों को पलक झपकते ही मौत की नींद सोते देखा। एक क्षण पहले खिलखिलाता जीवन अगले ही पल मौत की भयावह विश्रांति में परिवर्तित हो चुका था। आज भी उस हृदय-विदारक दृश्य का स्मरण करती हूँ तो काँप जाती हूँ।

बात आज से दस वर्ष पहले की है। मैं अपने मौसेरे भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली जा रही थी। माँ मेरे साथ थीं। पिताजी और भैया हमें रेलगाड़ी में बैठाकर गए थे। हम शादी से कुछ दिन पूर्व जा रहे थे। तय हुआ था कि पिताजी व भैया शादी वाले दिन ही दिल्ली आएँगे। मैंने बड़े चाव से शादी में पहनने के लिए सुंदर-सा लहँगा सिलवाया था। और भी अनेक तैयारियाँ की थीं। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि कुछ ही घंटों बाद मैं दिल्ली पहुँचकर शादी की खुशियों में सम्मिलित होने वाली थी। गाड़ी चलते ही मैंने अपना सिर माँ की गोद में रखा तथा उनसे बातें करने लगी। माँ मुझे अपने उन संबंधियों के बारे में बताने लगी जिनसे मैं विवाह-समारोह में मिलने वाली थी। मैं और माँ बातों में इतना व्यस्त थे कि हमें आस-पास की कोई सुध नहीं थी। लुधियाना से चली गाड़ी खन्ना स्टेशन पहुँचने ही वाली थी।

हम गपशप में मशगूल थे तभी ज़ोर का धमाका हुआ और गाड़ी लड़खड़ाने लगी। मेरी ऊपर की साँस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। कोई समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। डिब्बे में बैठी अधिकाँश सवारियाँ एक झटके से सीट से नीचे गिर गईं - एक-दूसरे के ऊपर। मैं भी माँ के साथ ही नीचे लुढ़क गई। नीचे एक देहाती की पोटली पड़ी थी, बड़ी-सी। उसने उसमें ढेरों कपड़े बाँध रखे थे। सौभाग्य से मेरा सिर उस गठरी से टकराया। मुझे कोई विशेष चोट नहीं आई। माँ का सिर नीचे रखे एक संदूक-से जोर से टकराया और वे बेहोश हो गईं। और भी बहुत से यात्री बेहोश हो चुके थे। कोई खून से लथपथ पड़ा था, कोई दर्द-से चिल्ला रहा था। चारों ओर चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। पता चला कि सिग्नल ठीक से न मिलने के कारण

हमारी रेलगाड़ी से कोई अन्य गाड़ी टकरा गई है। आमने-सामने की टक्कर में शुरू के अनेक डिब्बे व इंजन तो बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हमारा डिब्बा काफी पीछे की ओर था। फिर भी इसमें कोहराम मचा हुआ था। मैं कैसे बच गई थी, यह मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बार-बार माँ को हिला रही थी, चिल्ला रही थी कि कोई मेरी माँ को देखे, उन्हें क्या हो गया है। परंतु वहाँ कोई किसी की नहीं सुन रहा था। मैं लड़खड़ाते कदमों से डिब्बे से नीचे उतरी। बाहर का दृश्य और भी भयानक था। कुछ डिब्बे पटरी से उतर चुके थे। यात्रियों के शव इधर-उधर बिखरे पड़े थे। कटे हुए मानव-अंग वीभत्स दृश्य की सृष्टि कर रहे थे। घायलों की चीख-पुकार सुन कलेजा मुँह को आ रहा था। जिनके अपने मर चुके थे उनका रुदन पत्थरों को भी रुला रहा था। कुछ साहसी लोग घायलों के बचाव में लगे थे या मृतकों के शवों को बाहर निकाल रहे थे।

बचाव दल पहुँच चुका था। आस-पास के गाँव वाले भी घटनास्थल पर आ पहुँचे थे। सामने ही एक गुरुद्वारे से सहायता की अपील की जा रही थी। मेरे हाथ अनायास ही गुरु-घर की ओर याचना की मुद्रा में उठ गए। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, 'वाहेगुरु । रक्षा करना।' तभी सामने से गुजर रहे एक डॉक्टर पर मेरी नज़र पड़ी। मैं उसे लगभग खींचते हुए माँ के पास ले गई। उसने माँ के घावों पर मरहम-पट्टी की, मुझे दिलासा दिया तथा शेष घायलों को संभालने चल पड़ा। पुलिस की टीम मृतकों को डिब्बों से निकाल कर शिनाख्त के लिए भेज रही थी। गंभीर रूप में घायल यात्रियों को अस्पताल भेजा जा रहा था। पत्रकारों व फोटोग्राफरों की भीड़ देखते ही देखते हादसे की जगह पर इकट्ठा हो गई थी। चारों ओर आपाधापी मची थी। हादसे ने किसी की माता तो किसी के पिता को छीन लिया था। मैं बेसुध-सी हो चुकी थी। इतने में माँ के कराहने की आवाज़ आई। मैं उनकी ओर लपकी। कराहते हुए उन्होंने आँखें खोलीं। मैं उनसे लिपट गई और बिलख-बिलख कर रोने लगी। ये आँसू खुशी के भी थे - मेरी माँ कुशल जो थीं। मगर ये आँसू गम के भी थे, उन अपरिचितों के लिए जो पलक झपकते ही मौत की नींद सो चुके थे।

दूसरी गाड़ी द्वारा हमें वापिस लुधियाना भेज दिया गया, रेल-अधिकारियों

ने त्वरित कार्यवाही की थी। अगले दिन समाचार-पत्रों में पढ़ा कि मृतक संख्या 150 से भी अधिक थी और घायल तो 300 से भी अधिक थे। आज दस वर्ष बाद भी उस मर्मान्तिक दृश्य को याद करती हूँ तो सिहर उठती हूँ। रेल में मैं दुबारा कभी नहीं बैठ पाई।

चाँदनी रात में मरुस्थल की सैर

जीवन में कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जो सदा-सदा के लिए मानस-पटल पर अंकित हो जाती हैं। यदि ये घटनाएँ सुखद रही हों तो कहना ही क्या? इन घटनाओं की स्मृति हर बार हमें पुलक से भर देती है, हमारे भीतर नए उत्साह का संचार कर देती है तथा जीवन के घात-प्रतिघातों से जूझने की दुगनी हिम्मत हमारे भीतर पैदा कर देती है। वस्तुतः सुखद स्मृतियों को ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत कहा जा सकता है। जीवन को गतिशील बनाने में इनकी भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

मेरे जीवन में भी ऐसी अनेक सुखद स्मृतियाँ बिखरी पड़ी हैं। इनमें से एक स्मृति मेरी एक अविस्मरणीय सैर से जुड़ी है, वह है – चाँदनी रात में मरुस्थल की सैर।

गर्मी की छुट्टियाँ हो चुकी थीं। मैं और मेरा छोटा भाई प्रांजल पिताजी से कई बार पूछ चुके थे कि छुट्टियों में हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। अपनी व्यस्तता के कारण वे हर बार हमें टाल देते थे। अचानक एक दिन ऑफिस से आकर उन्होंने बताया कि वे अपने ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में जैसलमेर जा रहे हैं, यदि हम लोग उनके साथ जाना चाहें तो चल सकते हैं क्योंकि जैसलमेर के एक गाँव में मेरी मौसी रहती है। पहले तो मैंने व मेरे भाई ने नाक-भौं सिकोड़ी - 'गर्मियों में राजस्थान!!!' - परन्तु फिर सोचा कि कहीं न जाने से तो अच्छा है कि जैसलमेर ही चला जाए। सो निर्णय ले लिया और पहुँच गया माँ-पिताजी के साथ जैसलमेर।

सारा दिन आग बरसाती गर्मी में काटना पड़ा तो अपने निर्णय पर खुद ही क्रोध आने लगा। क्यों यहाँ आने का निर्णय लिया था? हमारी बदहवासी देख मौसी भी परेशान थी। जैसे-तैसे दिन कटा, शाम आई। तभी हमारे मौसेरे

भाई मयंक ने घोषणा की कि रात को भोजन के बाद हम दूर तक सैर करके आएँगे, बड़ा मज़ा आएगा। मैंने मुँह बिदकाया, 'इस उजाड़ रेगिस्तान में सैर! उँह!!'

रात का खाना निपटाते-निपटाते काफी देर हो गई थी, फिर भी हम सब चल पड़े एक लंबी सैर के लिए। गाँव की सीमा से बाहर निकले तो दूर-दूर तक फैले रेगिस्तान के सिवाय कुछ नज़र नहीं आ रहा था। रेत का समुद्र - मैंने सोचा। जहाँ तक नज़र दौड़ाओ - रेत ही रेत। अचानक मेरी नज़र ऊपर आकाश की ओर उठ गई। पूर्णिमा का चाँद ऊपर हँस रहा था। उसकी उजली चाँदनी पूरे आकाश को दूधिया प्रकाश से भर रही थी। नीचे धरती पर बिखरी रेत उस चाँदनी के स्पर्श से चाँदी की तरह चमक रही थी। अद्‌भुत दृश्य था। लग रहा था मानो धरती व आकाश दोनों चाँदनी के आवरण में लिपटे पड़े हों। अब तक हवा की तपन भी जा चुकी थी और धीमी-शीतल हवा बहनी शुरू हो चुकी थी। ठंडी-ठंडी हवा का स्पर्श अत्यन्त सुखदायी लग रहा था। पैरों के नीचे रेत भी ठंडी हो चुकी थी। हमने अपनी चप्पलें उतारीं और उस ठंडी रेत का शीतल स्पर्श अनुभव करने लगे। पैर रेत में धँसते जा रहे थे फिर भी मन का उत्साह हमें आगे की ओर धकेल रहा था। हम दिन की उस झुलसाने वाली गर्मी को भूल चुके थे। इस समय चारों ओर शीतलता का साम्राज्य था। ठंडी रेत, ठंडी हवा, ठंडी चाँदनी। हम इस अद्‌भुत दृश्य की मादकता में डूब चुके थे। मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा था।... और तभी मेरे कानों में मानो किसी ने अमृत-रस घोल दिया। दूर कहीं से बाँसुरी की मीठी तान पूरे वातावरण को सरस बना रही थी। शायद कोई गड़रिया था जो अपनी मस्ती में डूबा बाँसुरी बजा रहा था। संगीत का जादू क्या होता है - यह मैंने आज जान लिया था।

थोड़ा आगे बढ़े तो एक और सुंदर दृश्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा था - ऊँटों का एक कारवाँ रेत के उस समुद्र पर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। उजले आकाश तथा चमकती रेत की पृष्ठभूमि में वह कारवाँ ऐसा नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर रहा था कि मेरी दृष्टि वहाँ से हट ही नहीं रही थी। एक पंक्ति में

बढ़ रहे थे वे मूक प्राणी। उनका एक ही गति से आगे बढ़ना!! सब कुछ जैसे एक लय में बँधा हुआ। बाँसुरी की तान भी लयबद्ध थी और ऊँटों की गति भी। चराचर सृष्टि मानो लयबद्ध थी। मैं भी इस लयबद्धता के माधुर्य में लीन हो चुकी थी। इस अद्‌भुत दृश्य के मादक प्रभाव से हम सब विमुग्ध हो चुके थे। जी चाह रहा था कि यह दृश्य सदा यूँ ही बना रहे और हमारी आँखें इस सौन्दर्य का यूँ ही पान करती रहें। मगर नहीं। ...वापस तो लौटना ही था। मैंने एक बार भरपूर नज़र उस दृश्य पर डाली। आँखों के माध्यम से उस दृश्य को मन में उतारा और लौट पड़ी।

आज भी जब उस दृश्य को याद करती हूँ तो मन मचल जाता है और ज़िद कर बैठता है कि चलो, एक बार फिर चाँदनी रात में मरुस्थल की सैर करने चलें।

अभ्यास

1. महँगाई
2. स्वास्थ्य एवं व्यायाम
3. पर्यावरण प्रदूषण
4. यदि मैं शिक्षा मंत्री होता
5. समय का सदुपयोग
6. मेरे जीवन का लक्ष्य
7. सद्‌चरित्रता
8. जल संकट
9. हिन्दी साहित्य का स्वर्णयुग : भक्तिकाल
10. सूचना का अधिकार

****

खण्ड 3 सम्प्रेषण कौशल

अनुवाद

'अनुवाद' शब्द संस्कृत के 'अनु' उपसर्ग व वद् धातु के मेल से बना है। अनु का अर्थ है पीछे तथा वद् का अर्थ है कहना अथवा बोलना। अतएव अनुवाद का अर्थ है पुनः कहना। **एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में फिर से कहना अनुवाद कहलाता है।** लिखना लिखित अनुवाद तथा बोलना मौखिक अनुवाद कहलाता है।

अनुवाद में दो भाषाओं का होना ज़रूरी है। जिस भाषा की सामग्री का अनुवाद किया जाता है, वह **स्रोत भाषा** तथा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह **लक्ष्य भाषा** कहलाती है। यदि पंजाबी से हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाए तो पंजाबी स्रोत भाषा तथा हिंदी लक्ष्य भाषा होगी। अनुवाद के लिए अंग्रेज़ी शब्द ट्रांसलेशन (Translation) प्रयुक्त होता है। कई बार स्रोत भाषा के शब्दों को लक्ष्य भाषा में जैसे का तैसा लिखा जाता है, केवल लिपि परिवर्तन किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया को **लिप्यांतरण** अर्थात ट्रांसलिट्रेशन (Translitration) कहा जाता है। पंजाबी में 'प्रिंसीपल' तथा 'कंप्यूटर' ही लिखा जाता है।

अनुवाद का क्षेत्र– अनुवाद का क्षेत्र अति विस्तृत एवं विशाल है। दो भिन्न भाषाओं के जानकार तब तक एक दूसरे के विचारों तथा संस्कृति को नहीं समझ सकते जब तक उनके पास कोई माध्यम न हो। लोगों को अपने प्रदेश में रहने के साथ-साथ आजीविका कमाने के लिए दूसरी जगह या प्रदेश में जाना पड़ता है। अतएव अनुवाद का क्षेत्र वैसे-वैसे बढ़ता रहता है जैसे जैसे व्यक्ति की सीमाएँ बढ़ती रहती हैं।

वार्तालाप करते समय मातृभाषा से भिन्न भाषा में बोलते समय भी व्यक्ति जाने अनजाने में अनुवाद करते रहते हैं। हम प्रायः देखते हैं कि जब हम मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में वार्तालाप करते हैं तो बोलने से पहले शब्द का अर्थ सोचते हैं। मातृभाषा में सोचना और मन में अन्य भाषा में अनूदित करना बातचीत के क्षेत्र में अनुवाद माना जाता है। इसके बाद पत्रकारिता का क्षेत्र आता है। पत्राचार, व्यापार, दफ्तरों, संस्थानों तथा न्यायालयों में अनुवाद बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता

है। पत्राचार यदि अपने क्षेत्र में हो तो अनुवाद की ज़रूरत नहीं पड़ती किन्तु यदि पत्राचार अन्य प्रदेशों में हो तो अनुवाद अनिवार्य हो जाता है। जैसे यदि हिंदी भाषी क्षेत्र से दक्षिण भाषी क्षेत्र में पत्राचार होगा तो हिंदी के पत्र को समझने के लिए दक्षिण भारतीय भाषा में अनुवाद करना पड़ेगा। अनुवाद का क्षेत्र केवल बातचीत एवं पत्राचार तक ही सीमित नहीं है अपितु इसका विस्तार धर्म के क्षेत्र में भी फैला हुआ है। भारत में वैदिक संस्कृत, पालि, प्राकृत आदि भाषाओं में लिखे ग्रन्थों का हिंदी में अनुवाद इस बात का ज्वलंत उदाहरण है।

न्यायालयों में अनुवाद अत्यावश्यक हो जाता है। न्यायालयों की भाषा न्यायाधीश, वकील अथवा इस क्षेत्र से जुड़े लोग ही समझ सकते हैं। अतएव आम लोगों को न्यायालय की भाषा एवं शब्दावली को समझने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी । अनुवाद से उसका काम आसान हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुवाद कार्य प्रारंभ से फैला हुआ है। किन्तु आजकल वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के युग में इसकी उपादेयता और भी बढ़ गई है। इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरणों से सहज ही जाना जा सकता है कि विश्व में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र शेष बचा हो जहाँ अनुवाद ने अपने पैर न पसारे हों।

आदर्श अनुवादक द्वारा अपनाई जाने वाली कुछ बातें– एक आदर्श अनुवादक उसे ही कहा जा सकता है जिसका स्रोत भाषा के साथ साथ लक्ष्य भाषा पर भी पूरा अधिकार हो। विशेषतया लक्ष्य भाषा पर अधिकार होना मूल भाषा से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। जब वह स्रोत भाषा में लिखी सामग्री को पढ़ता है तो वह उसे समझ तो लेता है किन्तु उसे उसी भाव में अर्थ भिन्न न करते हुए लिखना काफी ज़िम्मेदारी का काम होता है। अनुवादक खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, न्याय, प्रशासन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में यह ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अनुवाद करते समय यह भी देखना ज़रूरी रहता है कि अनुवाद किसके लिए किया जा रहा है। उसी के मानसिक स्तर एवं आवश्यकता को देखकर भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। अर्थात उसे सोचना पड़ता है कि वह सरल भाषा का प्रयोग करे या क्लिष्ट भाषा का।

हम यह भी जानते हैं कि शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। अतएव अनुवाद करते समय उनके सही संदर्भ में अर्थ ढूंढना अनिवार्य होता है।

अनुवाद करते समय मूल भाषा में शब्दों एवं वाक्यांशों को जिस क्रम में

लिखा गया हो उसी क्रम में लापरवाही से अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती। वाक्यों के भाव समझ कर उन्हें एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना चाहिए। अतः अनुवाद करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए –

(i) शब्दशः अनुवाद न करें और न ही उसका अर्थ परिवर्तन करें।

(ii) जटिल एवं दुरूह शब्दों का प्रयोग न कर, सरल एवं छोटे वाक्यों का प्रयोग करें।

(iii) अस्पष्ट अथवा द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग त्याज्य है।

(iv) आम प्रयोग में आने वाले शब्दों का ही प्रयोग करें।

(v) वाक्यों में काल और समय का सही प्रयोग करें । काल क्रम का विशेष ध्यान रखें।

(vi) अनेक शब्दों के बदले एक अर्थ बताने वाले शब्दों का प्रयोग करें तथा जहाँ तक संभव हो उपयुक्त एवं संगत शब्दों का चयन करें। निरस्त, विदेशी एवं अपरिचित शब्दों का प्रयोग न करें।

(vii) अनुवाद कर देने के बाद अनुवादित सामग्री को ध्यान पूर्वक पढ़ें कि अनूदित कार्य एक प्रवाह में है। लक्ष्य भाषा में किए अनुवाद का भाव तथा अर्थ स्रोत भाषा के समान ही लगना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कोई विशेष बात न छूट जाए।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते समय व्याकरण, शब्दार्थ, वाक्य रचना, मुहावरों आदि का सही प्रयोग होना चाहिए। सबसे महत्त्वपूर्ण बात है शब्दों के सांस्कृतिक परिवेश को जानना जैसे – पंजाबी में एक शब्द है 'ड्रिंनठ'। यदि इसे हिंदी में अनुवाद किया जाना हो तो इस शब्द की संस्कृति को जानना होगा, तभी हम सटीक तथा सही अर्थ में अनुवाद कर सकते हैं।

अनुवाद एक कला है – यह बात सब जानते हैं कि अनुवाद एक कठिन कला है। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना इतना आसान नहीं जितना प्रायः सोचा जाता है। किन्तु यह भी सत्य है कि कुछ भी असाध्य नहीं है। अभ्यास से हर चीज संभव हो सकती है। अनुवाद करने के लिए अनुवादक का स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का ज्ञाता होना अनिवार्य है। एक भाषा के शब्दों का अर्थ दूसरी भाषा में लिखने

मात्र से अनुवादक का कार्य पूरा नहीं हो सकता। अनुवाद में एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा के माध्यम से परिवर्तित करना होता है। यदि अनुवादक स्रोत भाषा को समझ पाने में असमर्थ या कमज़ोर है तो वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। अनुवाद करते समय संदर्भ जानना अथवा ग्रहण करना अत्यावश्यक हो जाता है। अनुवादक को अनुवाद करते समय न केवल दोनों भाषाओं का ज्ञाता बनना पड़ता है, अपितु शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग कर्त्ता भी बनना पड़ता है। ऐसा ही विचार मुहावरों एवं लोकोक्तियों का अनुवाद करते समय किया जाना चाहिए। पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिंग के अनुसार क्रिया रूप में परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं।

पंजाबी - ਮੋਹਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਖੇਡਦੀ ਹੈ।

हिंदी - मोहन पढ़ता है और राधा खेलती है।

यहाँ 'मोहन' लड़का है और क्रिया का रूप भी पुल्लिग है। 'राधा' लड़की है और क्रिया भी स्त्रीलिंग है। अत: दोनों भाषाओं में कर्त्ता के अनुसार ही क्रिया बदलती है। यदि कर्त्ता पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग में होगी। इसी तरह दोनों भाषाओं में वचन के अनुसार ही क्रिया के रूप बदल जाते हैं। जैसे -

पंजाबी	ਲੜਕਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।
हिंदी	लड़का पढ़ता है।
पंजाबी	ਲੜਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
हिंदी	लड़के पढ़ते हैं।

आइए पहले कुछ वाक्यों का तथा फिर अनुच्छेदों का अनुवाद करें।

वाक्यों का अनुवाद

पंजाबी वाक्य	हिन्दी वाक्य
1. ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।	1. मेरा भाई दिल्ली जा रहा है।
2. ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।	2. माता-पिता को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिये।
3. ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੋ।	3. परिश्रम करो, कहीं ऐसा न हो कि आप फेल हो जाओ।

4. ਸੱਚੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ।
5. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 'ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ' ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
6. ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਅਤੇ ਅਭੇਦ ਦੋਵੇਂ ਹਨ।
7. 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ' ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ।
8. ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ।
9. ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ।
10. ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਹੈ।
11. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ।
12. ਸੁਖਦੇਵ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ।
13. ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
14. ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
15. ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਰੀ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ।

4. सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती।
5. गुरु गोबिन्द सिंह जी ने 'खालसा पंथ' का निर्माण किया था।
6. हमारे समाज में भेद और अभेद दोनों हैं।
7. 'गुरु ग्रंथ साहिब' में कई गुरुओं की वाणी सुरक्षित है।
8. वही व्यक्ति सबकी सेवा कर सकता है जो पूर्णत: नि:स्वार्थी हो।
9. ईश्वर में विश्वास रखो।
10. कैंसर एक भयानक रोग है।
11. चण्डीगढ़ तीन राज्यों की राजधानी है।
12. सुखदेव बचपन से ही दृढ़ स्वभाव के थे।
13. विज्ञापन कला तेजी से उन्नति कर रही है।
14. बिना कुछ किये सरकार किसी के पीछे नहीं पड़ती।
15. बूढ़ी माँ ऊँचे स्वर में लोरी गा रही थी।

गद्यांश का अनुवाद

1. ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕ ਕੇਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਾਰਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਬਿੱਸਕੁਟ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ 11 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬੁੱਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, "ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ"। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮਿਤਰ ਰਾਜੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

हिंदी में अनुवाद

कल रविवार था। यह अवकाश का दिन था। मेरे घर में एक पार्टी थी। यह मेरे जन्मदिन की पार्टी थी। वहाँ केक था, जिस पर 12 मोमबत्तियाँ थीं। वहाँ मिठाइयाँ और बिस्कुट थे। मेरी माँ ने मोमबत्तियाँ जलाईं। मैंने ग्यारह मोमबत्तियाँ बुझा दीं। मैंने केक काटा। मेरे मित्र गा रहे थे, "जन्मदिन मुबारक हो"। हम सब बड़े प्रसन्न थे। परंतु मुझे अपने पिता और अपने सबसे अच्छे मित्र राजू की बड़ी याद आई। मेरी माँ ने अंत में सबका धन्यवाद किया।

2. ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਖ਼ਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਪੁੱਜਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਝੰਡਾ ਉਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਗ-ਡੋਰ ਹੇਠ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।

हिंदी में अनुवाद

आज 26 जनवरी का दिन है। हमारा शहर बड़ा साफ-सुथरा दिखाई देता है। पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों ने नई पोशाकें पहन रखी हैं। वे सब परेड ग्राउंड की ओर जा रहे हैं। वहाँ शिक्षामंत्री जी आ रहे हैं। वे राष्ट्रीय-ध्वज लहराएँगे। जब मैं ग्राउंड में पहुँचा, मंत्री जी मंच पर थे। वे झंडे की रस्सी खींच रहे हैं। झंडा ऊपर जा रहा है।यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। मंत्री जी, झंडे को सलामी दे रहे हैं। सभी लोग राष्ट्रीय गान गा रहे हैं। इसके बाद मंत्री जी ने लोगों को संबोधित किया। भारत दो सौ वर्षों तक अंग्रेज़ी शासन के अधीन रहा। महात्मा गांधी हमारी आज़ादी के लिए

ਲੜੇ। ਹਮੇਂ ਉਨਕੇ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਵ ਮੇਂ ਸ੍ਵਤੰਤ੍ਰਤਾ ਮਿਲੀ। ਵੇ ਹਮਾਰੇ ਰਾਸ਼੍ਟ੍ਰਪਿਤਾ ਹੈਂ। ਹਮੇਂ ਅਪਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾਓਂ ਪਰ ਗਰ੍ਵ ਹੈ।

3. ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੰਡਿਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਕ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਵਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਨ 1921 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਟ ਸਹੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਸਚਮੁਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਤਨ ਹਨ।

हिंदी में अनुवाद

पंडित जवाहर लाल नेहरू केवल भारतवर्ष में ही नहीं, अपितु पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। उनके पिता पंडित मोती लाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे और राजसी जीवन व्यतीत करते थे। सन् 1921 में गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू किया। पिता की तरह पुत्र ने भी इसमें भाग लिया और अपनी वीरता का परिचय दिया। सभी ने अनेक कष्ट सहे, परंतु भारत माता की सेवा से मुख न मोड़ा। नेहरू जी सचमुच हमारे देश के रत्न हैं।

4. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ। ਉਹ ਏਕਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਦ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇਕ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੋਵੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

हिंदी में अनुवाद

गुरु नानक देव जी एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे एक अवतार पुरुष

और समाज सुधारक थे। वे एकता, समानता, प्रेम, सत्य और शांति के प्रतीक थे। वे उस समय पैदा हुए, जब ऊँची जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को हेय दृष्टि से देखते थे। लोग भ्रमों और झूठे रीति रिवाज़ों में आस्था रखते थे। वे भगवान को भूल चुके थे। उन्होंने उन्हें सच्चा मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म और पूजा मानवता से प्रेम करना है। यह हमें आपस में मिलाता है, न कि अलग करता है। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि हिंदू बड़े हैं या मुसलमान। तब गुरु जी ने जवाब दिया कि बिना नेक काम के दोनों ही अच्छे नहीं हैं।

अभ्यास

1. **निम्नलिखित पंजाबी वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद करें :-**

1. ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ।
2. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
3. ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹਨ।
4. ਪੰਜਾਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਨਸਲਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਮੇਲ ਭੂਮੀ ਹੈ।
5. ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
6. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏ ਹਨ।
7. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹਨ – ਜੋਗੀ, ਯੋਧਾ ਤੇ ਆਸ਼ਕ।
8. ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਪਰੇ ਹਨ।
9. ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਸਾਂਤ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।
10. ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੋ ਧਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਂਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਤਰੰਜ 'ਤੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
11. ਸਭਿਆਚਾਰ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ।
12. ਤੀਜੇ ਉਹ ਅਣਪੜੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਿਆ।
13. ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

14. ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
15. ਕਿੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
16. ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ।
17. ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
18. ਕਲਾ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਰਹੀ ਹੈ।
19. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ-ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ।
20. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ-ਚਿੱਤਰ-ਕਲਾ ਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
21. ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੰਗ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
22. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਨਾਂ ਰੱਖਣ' ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
23. ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
24. ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ।
25. ਜੀਵਨ ਨਾਟਕ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
26. ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਨੁਹਾਰ ਮੇਲਿਆ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
27. ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।
28. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
29. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੇਲੇ ਮੌਸਮਾਂ, ਰੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
30. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮੇਲੇ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਰਪ-ਪੂਜਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ।

2. **निम्नलिखित गद्यांशों का हिन्दी में अनुवाद करें :-**

1. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜ - ਆਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਪੰਚਨਦ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਮ ਵਿਕਸਿਤ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਹਰ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ, ਬਿੰਬਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਪ੍ਰਤੀਕ, ਬਿੰਬ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।

3. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਜਿਊਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ, ਹਰ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ।

4. ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਿਖਰੱਦੀ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ-ਪਰਚਾਵੇ ਤੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਕਲਾਤਮਿਕ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਨ ਤਾਲ ਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਤੇ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ।

5. ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।

6. ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਅੰਗ ਹਨ। ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹਨ।

7. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਮਨ ਬੌਧਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿਮ ਕਾਲੀਨ ਸਮਾਜਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ।

8. ਲੋਕ-ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਮਈ ਬੋਲ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੀ, ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ਼ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

9. ਲੋਕ-ਗੀਤ, ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁੱਚੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਰ ਕੇ ਲੋਕ-ਚੇਤਿਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਗੇਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਅਣਵੰਡਿਆ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਬੋਲੀਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪਲੇਠੀ ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

10. ਨਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਜਦ ਜੀਅ ਚਾਹਵੇ ਨਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਕਲੀਏ ਪਿੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

अध्याय-2

पारिभाषिक शब्दावली

सामान्य जन जीवन तथा उससे संबंधित क्रिया कलापों जैसे - खान-पान, रहन-सहन, घर, परिवार, समाज आदि से संबंधित शब्द सामान्य भाषा के अन्तर्गत आते हैं। जैसे - सोना, जागना, रोना, घड़ी, पंखा, रोटी, चावल, दाल, पानी, चाय, कल, यहाँ, वहाँ आदि। इन सामान्य शब्दों का प्रयोग अमीर-गरीब, शिक्षित-अशिक्षित प्रत्येक व्यक्ति दिन-प्रतिदिन करता है किन्तु पारिभाषिक शब्द सामान्य शब्दों से सर्वथा भिन्नता रखते हैं। इनका प्रयोग सामान्य शब्दों की भाँति किसी भी संदर्भ में नहीं हो सकता है। ये किसी विषय-विशेष से संबंध रखते हैं तथा इनका प्रयोग विशिष्ट प्रसंगों तथा प्रयोजनों में ही होता है।

पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग हेतु निम्नलिखित बातें ज्ञातव्य हैं -

(1) पारिभाषिक शब्दों को प्रयोग में लाते समय उनका सामान्य भाषा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे -

'रिक्त' शब्द का सामान्य व प्रशासनिक दोनों रूपों में प्रयोग हो सकता है। जैसे -

सामान्य रूप में प्रयोग - उसकी जेब तो हमेशा **रिक्त** ही रहती है।

प्रशासनिक रूप में प्रयोग - इस कार्यालय में लिपिक के कई पद **रिक्त** पड़े हैं, इन्हें जल्दी ही भर लिया जाएगा।

इस तरह **बिदाई** का दोनों रूपों में प्रयोग देखिए -

सामान्य रूप में प्रयोग - लड़की की **बिदाई** पर सब रोते हैं।

प्रशासनिक रूप में प्रयोग - मुख्याध्यापक जी का तबादला होने पर उनके सहयोगी कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी बिदाई दी।

(2) जिस संदर्भ में पूछा जाए उसी संदर्भ में ही पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे - 'Act' शब्द प्रशासनिक व साहित्यिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है। प्रशासनिक दृष्टि से 'Act' का हिन्दी पर्याय है 'अधिनियम' तथा साहित्यिक दृष्टि से 'Act' का हिन्दी पर्याय है - 'अंक'।

दोनों का वाक्यों में प्रयोग देखिए -

प्रशासनिक रूप में प्रयोग - Act(**अधिनियम**) - राजभाषा **अधिनियम**

(संशोधित) 1967 के अनुसार जब तक सभी अहिंदी-भाषी राज्य हिन्दी को एकमात्र राजभाषा बनाने के लिए सहमत न हो जाएँ तब तक अंग्रेज़ी सरकारी कामकाज की सह-राजभाषा के रूप में चलती रहेगी।

साहित्यिक रूप में प्रयोग – Act (अंक) - एकांकी नाम अंग्रेज़ी के One Act Play का पर्याय है जिसका अभिप्राय नाटक के कथानक का केवल एक ही अंक में वर्णित होना है।

आगे कुछ मुख्य पारिभाषिक शब्द दिये जा रहे हैं जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं।

A से I तक (ग्यारहवीं कक्षा के लिए)
J से Z तक (बारहवीं कक्षा के लिए)

A

1.	Accept	स्वीकार करना
2.	Acceptance	स्वीकृति
3.	Accord	समझौता
4.	Accused	अभियुक्त
5.	Act	अधिनियम
6.	Adhoc committee	तदर्थ समिति
7.	Adjourn	स्थगित करना, काम रोकना
8.	Adjustment	समायोजन
9.	Advance copy	अग्रिम प्रति
10.	Adverse	प्रतिकूल
11.	Aid	सहायता, मदद
12.	Aided	सहायता प्राप्त
13.	Amendment	संशोधन
14.	Anticipation	प्रत्याशा
15.	Argument	तर्क, बहस
16.	Autonomous	स्वायत्त

B

17.	Background	पृष्ठभूमि
18.	Bail	जमानत

19.	Banquet	भोज
20.	Bias	अभिनति, झुकाव
21.	Bonafide	वास्तविक
22.	Booklet	पुस्तिका
23.	Boycott	बहिष्कार, बॉयकाट
24.	Bribe	घूस, रिश्वत
25.	Bulletin	बुलेटिन
26.	Bureaucrat	अधिकारी, दफ्तरशाह
27.	Bureaucracy	अधिकारी तंत्र, दफ्तरशाही
28.	By force	बलपूर्वक
29.	By law	उपविधि
30.	By hand	दस्ती
31.	By post	डाक द्वारा

C

32.	Cabinet	मंत्रिमंडल
33.	Campaign	अभियान
34.	Candidate	उम्मीदवार, अभ्यर्थी
35.	Candidature	उम्मीदवारी, अभ्यर्थिता
36.	Career	करियर, जीविका
37.	Cash Book	रोकड़ बही
38.	Catalogue	सूची, सूचीपत्र
39.	Caution	सावधान, सावधानी, खबरदार
40.	Census	जनगणना
41.	Competent	सक्षम
42.	Conference	सम्मेलन
43.	Confidential	गोपनीय
44.	Convenor	संयोजक
45.	Corrigendum	शुद्धि पत्र, भूल सुधार
46.	Courtesy	सौजन्य
47.	Creche	शिशु सदन, बालवाड़ी

48.	Custody	अभिरक्षा, हिरासत
49.	Custom duty	सीमा शुल्क

D

50.	Debar	रोकना, विवर्जित करना
51.	Declaration	घोषणा
52.	Default	चूक, व्यतिक्रम
53.	Defaulter	1.चूक करने वाला, व्यतिक्रमी, 2. बक़ायादार
54.	Delay	विलंब
55.	Delegation	प्रतिनिधि-मंडल
56.	Democratic	लोकतांत्रिक
57.	Demonstration	प्रदर्शन
58.	Demotion	पदवनति
59.	Depreciation	मूल्यह्रास
60.	Disobedience	अवज्ञा
61.	Dissolve	भंग करना
62.	Distinguished	विशिष्ट
63.	Ditto	यथोपरि, जैसे ऊपर
64.	Duly	विधिवत्, यथाविधि
65.	Employee	कर्मचारी

E

66.	Employer	नियोक्ता
67.	Encroachment	अधिक्रमण
68.	Enquiry	पूछताछ
69.	Enrolment	भर्ती, नामांकन
70.	Estimate	अनुमान
71.	Exemption	छूट, माफी
72.	Expel	निकाल देना, निष्कासित करना
73.	Extension	विस्तार
74.	Eye witness	चश्मदीद गवाह, प्रत्यक्ष साक्षी

F

75.	Fact	तथ्य
76.	Faculty	संकाय
77.	Farewell	विदाई
78.	Federation	परिसंघ
79.	First Aid	प्रथमोचार, प्रथम उपचार
80.	Fitness certificate	स्वस्थता प्रमाण पत्र
81.	Forenoon	पूर्वाह्न, दोपहर से पहले
82.	Forwarding letter	अग्रेषण पत्र
83.	Franchise	नामाधिकार
84.	Frame work	ढाँचा

G

85.	Gist	सार
86.	Gratuity	उपदान
87.	Grievance	शिकायत
88.	Gross	सकल, कुल
89.	Gross income	सकल आय, कुल आय
90.	Grant	अनुदान
91.	Guidlines	मार्गदर्शी सिद्धांत

H

92.	Hearing	सुनवाई
93.	Honorarium	मानदेय
94.	House Rent Allowance	मकान किराया भत्ता
95.	Homage	श्रद्धांजलि

I

96.	Immigrant	आप्रवासी
97.	Implement	कार्यान्वित करना, लागू करना
98.	Imprisonment	कारावास
99.	Inspection	निरीक्षण
100.	Instruction	अनुदेश, हिदायत

101.	Interference	हस्तक्षेप
102.	Interim relief	अंतरिम सहायता
	J	
103.	Journalist	पत्रकार
104.	Judicial	न्यायिक
105.	Judiciary	न्यायपालिका
106.	Jurisdiction	अधिकार क्षेत्र
	K	
107.	Kindergarten	बालवाड़ी
108.	Keynote address	आधार व्याख्यान
	L	
109.	Labour	श्रम
110.	Law and order	कानून और व्यवस्था
111.	Layout	नक्शा
112.	Ledger	खाता, खाता बही
113.	Leader Folio	खाता पन्ना
114.	Legislative	वैधानिक
115.	Liability	दायित्व
116.	Lump sum	एक राशि, इकमुश्त
	M	
117.	Maintenance	अनुरक्षण, रख-रखाव
118.	Majority	बहुमत
119.	Mandate	अधिदेश, आज्ञा
120.	Manifesto	घोषणा पत्र
121.	Medical Reimbursement	चिकित्साव्यय प्रतिपूर्ति
122.	Minority	अल्पसंख्यक
123.	Minutes	कार्यवृत्त, टिप्पण
124.	Misuse	दुरुपयोग
125.	Mortgage	बंधकदार
126.	Mourning	शोक, मातम

N

127.	Nationalism	राष्ट्रीयता
128.	Negligence	उपेक्षा
129.	Negotiation	बातचीत (समझौते की)
130.	Nomination	नामांकन
131.	Nominee	नामिती, नामित व्यक्ति
132.	Net Amount	शुद्ध आय
133.	Notified Area	अधिसूचित क्षेत्र
134.	Noting & Drafting	टिप्पण और मसौदा लेखन

O

135.	Objection	आपत्ति
136.	Occupation	व्यवसाय
137.	Offence	अपराध
138.	Office bearer	पदाधिकारी
139.	Office copy	कार्यालय प्रति
140.	Officiating	स्थानापन्न
141.	Opinion	राय, मत
142.	Organisation	संगठन
143.	Out of stock	स्टॉक में नहीं, अनुपलब्ध
144.	Overhauling	पूरी जाँच
145.	Overtime	अतिरिक्त समय, समयोपरि
146.	Over-writing	अधिलेखन

P

147.	Panel	नामिका
148.	Part-time	अंशकालिक
149.	Pending	अनिर्णीत, रुका हुआ, लंबित
150.	Pen Down Strike	कलमबंद हड़ताल
151.	Per annum	प्रतिवर्ष
152.	Petition	याचिका
153.	Petitioner	याचिकादाता, प्रार्थी

154.	Postage	डाक-व्यय
155.	Post-dated	उत्तर-दिनांकित
156.	Postpone	स्थगित करना
157.	Post mortem examination	शव परीक्षा
158.	Pre-mature Retirement	समयपूर्व सेवा निवृत्ति
159.	Proposal	प्रस्ताव, प्रस्थापना
160.	Prospectus	विवरण-पत्रिका
161.	Put up	प्रस्तुत करना

Q

162.	Quality	गुणता
163.	Quantity	मात्रा
164.	Quarterly	त्रैमासिक, तिमाही
165.	Quotation	भाव दर, दर सूची, कोटेशन

R

166.	Ratio	अनुपात
167.	Receipt	रसीद, आवती
168.	Receipt book	रसीद बही
169.	Recruitment	भर्ती
170.	Rectification	परिशोधन, सुधारना
171.	Rehabilitation	पुनर्वास
172.	Reimbursement	प्रतिपूर्ति
173.	Reinstate	पुनः स्थापित करना, बहाल करना
174.	Requisite	आवश्यक, अपेक्षित
175.	Resolution	संकल्प
176.	Rumour	अफवाह

S

177.	Salient	प्रमुख
178.	Screening	छानबीन
179.	Secrecy	गोपनीयता
180.	Selection Board	चयन मंडल

181.	Self addressed envelope	अपना पता लिखा लिफ़ाफ़ा
182.	Senior	वरिष्ठ
183.	Sequence	अनुक्रम
184.	Session	सत्र, अधिवेशन
185.	Solemnly	सत्यनिष्ठापूर्वक
186.	Souvenir	स्मारिका
187.	Specimen	नमूना
188.	Specimen signature	नमूना हस्ताक्षर
189.	Status quo	यथापूर्व स्थिति
190.	Subordinate	अधीनस्थ
191.	Substandard	अवमानक
192.	surcharge	अधिभार

T

193.	Taxable income	कर योग्य आय, कर योग्य आमदनी
194.	Tenure	अवधि
195.	Terms	निबंधन
196.	Terms & Conditions	निबंधन और शर्तें
197.	Testimonial	शंसापत्र
198.	Transaction	लेन-देन

U

199.	Unanimous	एकमत, सर्वसम्मत
200.	Unauthorized	अप्राधिकृत
201.	Unavailable	अपरिहार्य
202.	Undue	अनुचित
203.	Unemployment	बेरोज़गारी
204.	Unofficial	गैर-सरकारी
205.	Venue	स्थान
206.	Verification	सत्यापन
207.	Vice versa	विपरीत क्रम से
208.	Vigilance	सर्तकता

209.	Visitor	आगंतुक
210.	Volunteer	स्वयंसेवक
211.	Vote of thanks	धन्यवाद प्रस्ताव

W

212.	Waiting list	प्रतीक्षा सूची
213.	Welcome Address	स्वागत भाषण
214.	Where about	ठौर-ठिकाना, अता-पता
215.	Whole time	पूर्णकालिक
216.	Withdrawal	वापसी
217.	Withdrawal slip	रुपया निकालने की पर्ची
218.	Without delay	अविलम्ब
219.	Working hours	कार्य समय, काम के घंटे
220.	Working committee	कार्यसमिति
221.	Work load	कार्यभार
222.	Workshop	वर्कशॉप, कार्यशाला
223.	Writ	रिट
224.	Writ Petition	रिट याचिका
225.	Written Warning	लिखित चेतावनी

Y

226.	Yearly	वार्षिक
227.	Year to year	वर्षानुवर्ष
228.	Yes-man	हाँ में हाँ मिलाने वाला

Z

229.	Zonal	आंचलिक, ज़ोनल
230.	Zonal Office	आंचलिक कार्यालय

अध्याय-3

संक्षेपीकरण

एक समय था जब पुरुष चौपाल पर बैठकर खेत-खलिहान से लेकर देश, समाज और धर्म तक के विषय में घंटों बहस किया करते थे, महिलाएँ घर के आँगन में बैठकर घंटों घर-परिवार और रिश्तों की कहानियाँ कहती-सुनती रहती थीं, बच्चे अपनी उम्र के पहले पाँच-छः वर्ष खेलने-खाने में ही बिता देते थे- उन्हें जल्दी से जल्दी पाठशाला भेजने का कोई दबाव-तनाव माता-पिता पर नहीं रहता था, कविगण धैर्य और श्रमपूर्वक विशालकाय महाकाव्य रचते थे और पाठक या श्रोता भी पूरे मनोयोग से रसमग्न होकर उन्हें पढ़ते सुनते थे- घंटों, दिनों-----महीनों तक।

मगर-----यह पुराने जमाने की बात है। तब लोगों के पास समय ही समय था-उम्र के हर पड़ाव का आनंद लेने के लिए, रिश्तों को संभालने के लिए, साहित्य-संस्कृति को ज़िन्दा रखने के लिए।

मगर----आज?

आज मनुष्य के पास सब कुछ है, मगर समय ही नहीं है। आज की ज़िन्दगी तेज़ गति से सरपट भागती चली जा रही है। गलाकाट प्रतियोगिता के इस दौर में हर कोई जल्द से जल्द सब कुछ पा लेना चाहता है। कम से कम समय में अधिक से अधिक प्राप्ति की इच्छा बढ़ती जा रही है।

इसीलिए, विस्तार का स्थान अब संक्षेप ने ले लिया है। अब सचमुच गागर में सागर भरने का युग आ चुका है। थोड़े में बहुत कुछ कहना आज के युग की मज़बूरी है, माँग है।

संक्षेपीकरण इसी माँग का परिणाम है। आज के जीवन में इसकी उपयोगिता निर्विवाद है। आप एक कर्मचारी हैं, संवाददाता हैं, संपादक हैं, फिल्मकार हैं, शिक्षक हैं, साहित्यकार हैं, विद्यार्थी हैं, नेता हैं- कुछ भी हैं, संक्षेपीकरण की विधा में पारंगत होना आपके लिए अनिवार्य है। इसके बिना आपका कैरियर प्रगति नहीं कर सकता। क्यों, आइए, विचार करें।

कल्पना कीजिए, एक संवाददाता ने दिन भर में तीस समाचार एकत्र किए

और अपनी सारी लेखन प्रतिभा का उपयोग कर प्रत्येक समाचार के हर पहलू का विश्लेषण करते हुए एक-एक समाचार को एक-एक पृष्ठ का विस्तार देकर अपने संपादकीय विभाग को भेज दिया। तीस समाचार यानि तीस पृष्ठ। अब क्या होगा? तीस पृष्ठों के उस पुलिंदे को देखकर उपसंपादक तो सिर पीट लेगा न। यकीन मानिए, ऐसे संवाददाता को उसी दिन अलविदा कह दिया जाएगा। इसीलिए पत्रकारिता के क्षेत्र में संक्षेपीकरण का महत्व असीम है। नेताओं के बड़े-बड़े भाषणों में से महत्वपूर्ण बातों को छाँटकर उन्हें सीमित कलेवर में समेटना, बड़ी-बड़ी घटनाओं को सीमित, मार्मिक शब्दों में प्रस्तुत करना, साहित्यिक-सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का ब्यौरा प्रभावशाली, मगर कम शब्दों में देना- यह सब संक्षेपीकरण की कला में निष्णात होने पर ही संभव है। यदि संवाददाता विस्तार से अपनी बात लिखकर भेज देता है तो संक्षेपीकरण का दायित्व उपसंपादक पर आ जाता है। वह काट-छाँट कर उस समाचार को छोटा मगर सारगर्भित बनाता है। तभी तो समाचार-पत्र के सीमित पृष्ठों में पाठकों को अधिकाधिक पाठ्य-सामग्री मिल पाती है।

कार्यालयों में भी इस विधा में निपुण लोगों की माँग रहती है। कार्यालयी पत्र-व्यवहार करते समय जो कर्मचारी अत्यन्त कुशलतापूर्वक अपनी बात संक्षेप में मगर अत्यन्त सटीक रूप में प्रस्तुत कर देता है, वह जल्दी ही अपने उच्चस्थ अधिकारियों का प्रिय पात्र हो जाता है। टिप्पणी आदि लिखते समय भी संक्षेपीकरण की यह योग्यता बहुत काम आती है। आजकल वक्त किसी के पास नहीं है-न अधिकारी के पास, न कर्मचारी के पास। इसलिए पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक, प्रतिवेदन, टिप्पणी-कार्यालयी पत्राचार के ये विविध रूप जितने संक्षिप्त (मगर स्पष्ट) होंगे, उनका प्रभाव उतना ही अधिक तीव्र होगा।

साहित्य के क्षेत्र में भी आज संक्षेप का ही बोलबाला है। लघु कथा, लघु उपन्यास, अणुबंध काव्य, एकांकी, गीत गज़ल, हाइकू (तीन चरणों की कविता) षटपदी (छः चरणों की कविता), चतुर्दशी (चौदह पंक्तियों की कविता) आदि इसी संक्षेप की विविध परिणतियाँ है। समीक्षक से तो सबसे बड़ी अपेक्षा ही यह रहती है कि वह कम से कम शब्दों में मूल रचना की केन्द्रीय संवेदना को पाठकों तक पहुँचा सके। अतः सृजनात्मक साहित्य और आलोचनात्मक साहित्य-दोनों ही आज संक्षेप- अभिमुखी हो गए हैं।

इस सारे विश्लेषण का केन्द्र बिंदु यही है कि आज विस्तार नहीं, संक्षेप

की माँग है। संक्षेप की महिमा को हमारे प्राचीन ऋषि-मुनि भी जानते थे, तभी तो मंत्रों, सूत्रों, ऋचाओं आदि के अत्यंत लघु कलेवर में उन्होंने अद्‌भुत, व्यापक-शक्तिशाली ज्ञान-राशि को समेट दिया था। ज्ञान- राशि को 'कैप्सूल फार्म' में प्रस्तुत करना आज के युग की भी विशेषता है (संक्षेपीकरण इस दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी प्रविधि है। आइए, संक्षेपीकरण की इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें।

संक्षेप किसी लिखित सामग्री का भी हो सकता है और किसी श्रुत वक्तव्य का भी। यदि सामग्री का स्रोत कोई बोला गया अंश यानी भाषण, वक्तव्य, साक्षात्कार आदि है तो संक्षेपीकरण से पूर्व उस वाचित सामग्री को ठीक-ठीक ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। वक्ता जो कह रहा है। जिस भाव से कह रहा है, जिस उद्देश्य से कह रहा है- उस सबको समझना जरूरी है। यदि संक्षेपकर्ता ने वक्ता के मूल भाव को ही ठीक से नहीं समझा, तो उसकी स्रोत-सामग्री ही संदिग्ध हो उठेगी, ऐसे में उसके द्वारा किया गया संक्षेपीकरण भी उपयुक्त नहीं होगा। वक्ता जिस भाषा में बोल रहा है, यदि संक्षेपकर्ता उस भाषा से और उसकी विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित नहीं है तो हो सकता है कि वह वक्ता की बात को पूरी तरह न समझ पाए, या उसे सही संदर्भ में न समझ पाए। इसलिए वक्ता और संक्षेपकर्ता- दोनों की मानसिक तरंगें जब तक एकमेक न होंगी, तब तक स्रोत-सामग्री का प्रामाणिक संकलन ही नहीं हो सकेगा और प्रामाणिक सामग्री के अभाव में उसका संक्षेपीकृत रूप भी अप्रामाणिक ही रहेगा।

जब स्रोत सामग्री लिखित रूप में संक्षेपकर्ता के पास आ जाती है, तब संक्षेपीकरण की वास्तविक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कुल मिलाकर इस प्रक्रिया के विविध चरण इस प्रकार हो सकते हैं :-

1. स्रोत-सामग्री का प्रामाणिक संकलन करना।
2. मनोयोग पूर्वक उसका एकाधिक बार पढ़ना।
3. महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित करना।
4. गौण अंशों को चिह्नित करना।
5. दोहराए गए अंशों को छाँटना।
6. एकाधिक शीर्षकों पर विचार करना।
7. प्रथम प्रारूप तैयार करना।

8. मूल सामग्री के परिप्रेक्ष्य में प्रथम प्रारूप को पुनः परखना।

9. भाषा पर विचार करना।

10. अंतिम रूप देना।

11. उपयुक्त शीर्षक देना।

इन विभिन्न चरणों के आधार पर एक सुंदर, सटीक, व्यवस्थित, उपयुक्त, वास्तविक, तथ्यपरक, रोचक तथा स्पष्ट 'संक्षेप' या 'सार' प्रस्तुत किया जा सकता है। स्रोत सामग्री के प्रामाणिक संकलन का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है- विशेष रूप से श्रुत सामग्री के संदर्भ में। संक्षेपकर्ता को स्रोत- सामग्री के केन्द्रीय भाव को समझते हुए उसके महत्वपूर्ण अंश चुन लेने चाहिए। कई बार स्रोत-सामग्री में एक ही बात को बार-बार दोहराया गया होता है, जैसे-कोई नेता भाषण देते समय अपनी पार्टी द्वारा किए गए जनहित के छोटे से कार्य को बार-बार प्रशंसात्मक वाक्यों में दोहराया जाता है या उन्हें अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से कहा जाता है या अति उत्साह में भरकर अपने विरोधियों की अभद्र शब्दों में निन्दा की जाती है। ऐसे में संवाददाता का कर्तव्य है कि वह उसके भाषण का संक्षेप करते समय केवल केन्द्रीय मुद्दे को ध्यान में रखे, दोहराई गई या बढ़ा-चढ़ा कर कही गई बातों को छोड़ दे। उसे समाचार बनाते समय छः ककारों, (कब, क्या, कहाँ, कौन, क्यों, कैसे) को आधार बनाना चाहिए। इसी प्रकार किसी निबंधात्मक गद्य में कई बार इतिहास पुराण के एकाधिक प्रसंगों से मूल विचार की पुष्टि की गई होती है। संक्षेपकर्ता को या तो उन्हें पूर्णतः छोड़ देना चाहिए या एक ही वाक्य में उसके केन्द्रीय भाव को समेटने का प्रयास करना चाहिए। प्रथम प्रारूप अवश्य बनाना चाहिए और उसे मूल के संदर्भ में परखना भी चाहिए। शुद्ध परिमार्जित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। एकाधिक शीर्षकों पर विचार करते हुए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक को चुनना चाहिए। इस प्रकार 'सार' या 'संक्षेप' को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

निश्चय ही संक्षेपीकरण एक कला है। निरंतर अभ्यास से ही इस कला में निखार आ सकता है। आइए, कुछ अभ्यासों की सहायता से इस प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप में समझने का प्रयास करें-

1. 'मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रह कर उसे अन्य लोगों से मेल या संपर्क करना होता है। घर से बाहर निकलते ही उसे किसी मित्र या साथी की

आवश्यकता पड़ती है। मित्र ही व्यक्ति के सुख-दुख में सहायक होता है पर किसी को मित्र बनाने से पहले मित्रता की परख कर लेनी चाहिए। जिस प्रकार व्यक्ति घोड़े को खरीदते समय उसकी अच्छी प्रकार जाँच-पड़ताल करता है, उसी प्रकार मित्र को भी जाँच-परख लेना चाहिए। सच्चा मित्र वही होता है, जो किसी भी प्रकार की विपत्ति में हमारे काम आता है या हमारी सहायता करता है। सच्चा मित्र हमें बुराई के रास्ते पर जाने से रोकता है तथा सन्मार्ग की ओर ले जाता है। वह हमारी अमीरी-गरीबी को नहीं देखता, जात-पात को महत्ता नहीं देता। वह नि:स्वार्थ भाव से मित्र की सहायता करता है। सच्चे मित्र को औषधि, वैद्य और खज़ाना कहा गया है क्योंकि वह औषधि की तरह हमारे विचारों को शुद्ध बनाता है, वैद्य की तरह हमारा इलाज करता है, खज़ाने की तरह मुसीबत में हमारी सहायता करता है। आज के जीवन में सच्चा मित्र प्राप्त करना बहुत कठिन है। स्वार्थी मित्रों की आज भरमार है। ऐसे स्वार्थी मित्रों से मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। सच्चा मित्र जीवन-भर मित्रता के पवित्र संबंध को निभाता है- कृष्ण और सुदामा की तरह।

उपर्युक्त गद्यांश का संक्षेप करते समय सबसे पहले इसे ध्यानपूर्वक एकाधिक बार पढ़ना चाहिए। तब इसके महत्वपूर्ण अंशों (या बिंदुओं) तथा गौण और दोहराए गए अंशों को छाँट लेना चाहिए।

1. महत्वपूर्ण अंश या बिंदु

1. सामाजिक प्राणी होने के नाते मित्र का होना मनुष्य की ज़रूरत।
2. मित्र के लाभ।
3. मित्र के लक्षण।
4. मित्र बनाते समय सावधानियाँ।
5. आज के जीवन में सच्चे मित्र की दुर्लभता।

2. गौण या दुहराए गए अंश या बिन्दु

1. मित्र की जाँच-परख को स्पष्ट करने के लिए घोड़े का उदाहरण।
2. सच्चे मित्र के लक्षणों का अत्यधिक विस्तार।
3. औषधि, वैद्य और खज़ाने वाले उदाहरणों का स्पष्टीकरण।
4. अंत में पुन: सुदामा कृष्ण के उदाहरण द्वारा सच्चे मित्र के लक्षणों की पुनरावृत्ति।

उपर्युक्त बिन्दुओं की सहायता से महत्वपूर्ण अंशों को समाहित करते हुए तथा गौण या दुहराए गए अंशों को छोड़ते हुए 'सार' का प्रथम प्रारूप तैयार किया जा सकता है। फिर, भाषा तथा व्याकरण आदि की दृष्टि से उस पर विचार करते हुए उसकी शब्द-सीमा की परख भी कर लेनी चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि 'सार' मूल का लगभग एक तिहाई हो। अंत में कुछ शीर्षकों पर भी विचार किया जा सकता है, जैसे-मित्रता के लाभ, मित्र के लक्षण, मानव-जीवन की दुर्लभ संपत्तिः मित्रता, सच्ची मित्रता, सच्चा मित्र आदि। यदि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त गद्यांश का 'संक्षेप' किया जाए, तो वह कुछ इस प्रकार हो सकता है-

सार - सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को मित्र की आवश्यकता पड़ती ही है। यदि भली-भाँति जाँच-परख कर मित्र बनाया जाए तो ऐसा मित्र सुख-दुख में हमारा सहायक तो होता ही है, वह हमारा मार्गदर्शक तथा हितैषी भी होता है। आज के स्वार्थ-लोलुप युग में सच्चा मित्र मिलना दुर्लभ है। जिसे वह मिल जाए, उसे उस मित्र की मैत्री को जीवन भर संभालने और निभाने का पूरा प्रयास करना चाहिए।

शीर्षक - सच्ची मित्रता

2. 'मध्यकालीन ब्रज संस्कृति के दो पक्ष हो सकते हैं। पहला, नगर-सभ्यता, दूसरा, कृषक-समाज। पहले का प्रतिनिधित्व मथुरा करती है और गोपियाँ उसे अपनी पीड़ा का कारण मानते हुए कोसती हैं। उनके लिए तो मथुरा काजल की कोठरी है इसीलिए वे मथुरा की नागरिकाओं को कोसती हैं, कुब्जा पर व्यंग्य करती हैं। सूरदास की रचनाओं में जो ब्रज मंडल उपस्थित है, वह ग्राम-जन, कृषक-समाज और चरवाहों की ज़िन्दगी का समाज है- सीधा-सादा, सरल, निश्छल। सूरदास की सृजनशीलता यह है कि ब्रजमंडल का लगभग समूचा सांस्कृतिक जगत अपने संस्कारों, त्यौहारों, जीवन-चर्या की कुछ झांकियों और शब्दावली के साथ यहाँ प्रवेश कर जाता है।

सार- सूर के काव्य में ब्रजमंडल की कृषक संस्कृति अपनी संपूर्ण उत्सवशीलता के साथ झूम रही है। वहाँ मथुरा के रूप में नागर संस्कृति भी है तो सही, परंतु गोपियों के माध्यम से उसे निंदा और उपहास का पात्र ही बनाया गया है। वस्तुतः सूरदास ग्राम्य-संस्कृति के चितेरे कवि हैं।

शीर्षक : मध्यकालीन ब्रज संस्कृति

3. किसी नेता द्वारा रामपुर में 14 अक्तूबर को दिए गए भाषण का अंश–

हमने अपने पाँच वर्ष के कार्यकाल में इस इलाके के विकास के लिए जो कुछ किया है, उसे यदि अपने मुँह से कहूँ तो कोई कह सकता है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। लेकिन भाइयो, यदि मैं वह सब आपको नहीं बताऊँगा तो आप ही कहिए, किस हक से मैं आपसे फिर से वोट माँगूँगा। मैंने पाँच सालों से इस इलाके के लिए अपना खून–पसीना बहाया है। कोई भी अपनी समस्या लेकर आया, मैंने उसका समाधान करने की भरसक कोशिश की। आज जब मेरी जीप इस रैली–स्थल की ओर आ रही थी तो सड़क की बढ़िया हालत देख मुझे विश्वास हो गया जो पैसा मैंने इस इलाके के विकास के लिए आबंटित किया था, उसका सही उपयोग हुआ है। भाइयो, मैं गलत तो नहीं कह रहा न? आपने भी तो आज उस सड़क को देखा ही होगा! याद करो पाँच साल पहले उस सड़क की हालत कैसी थी? जगह–जगह गड्ढे, उनमें भरा हुआ पानी और वो गड्ढे तो होने ही थे। किया क्या था हमारे प्रतिपक्षियों ने? भाइयो, अब मैं उनके बारे में क्या बोलूँ? और अपने बारे में ही क्या बोलूँ? हमारा तो काम बोलता है। हमारा तो धर्म ही आपकी सेवा करना है। यदि मेरी जान भी चली जाए तो भी परवाह नहीं। भाइयो, देश–सेवा का, आप सबकी सेवा का व्रत मैंने तो तब ही ले लिया था जब मैं राजनीति में आया था।.....'

(संवाददाता द्वारा उपर्युक्त भाषण के आधार पर बनाया गया संक्षिप्त समाचार)

सार

रामपुर, 14 अक्तूबर

एक स्थानीय चुनाव–सभा को संबोधित करते हुए---- पार्टी के नेता श्री----ने आज अपनी पार्टी के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सड़क–निर्माण के क्षेत्र में उनकी पार्टी द्वारा किए गए कार्य का बार–बार उल्लेख किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने विरोधी दलों पर कई बार चुटीला व्यंग्य भी कसा।

शीर्षक - 'देश के लिए कुर्बान मेरी जान'–(नाम)

उपर्युक्त उदाहरणों की सहायता से संक्षेप या सार–लेखन की प्रक्रिया को

व्यावहारिक रूप से समझा जा सकता है। सार-लेखन का निरंतर अभ्यास करने से इस कला में निपुणता हासिल की जा सकती है। विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए नीचे कुछ गद्यांश दिए जा रहे हैं जिनका सार लिखकर विद्यार्थी इस प्रक्रिया से परिचित हो सकते हैं :-

1. सोमा बुआ बोलीं, "अरे मैं कहीं चली जाऊँ सो इन्हें नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्यौता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का गरूर है कि मुंडन पर भी सारी बिरादरी का न्यौता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही," और सरककर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। "एक काम गत से नहीं हो रहा था। भट्टी पर देखो तो अजब तमाशा -समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि दो बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे न पड़ें। उसी समय मैदा सानकर नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुएँ और किशोरीलाल तो बिचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊँ?"

2. सुख की तरह सफलता भी ऐसी चीज़ है जिसकी चाह प्रत्येक मनुष्य के दिल में बसी मिलती है। इन्सान की तो बात ही क्या है, हर जीव अपने अस्तित्व के उद्देश्य को निरंतर पूरा करने में लगा ही रहता है और अपने जीवन को सफल बना जाता है। यही हाल पदार्थों तक का है। उनकी भी कीमत तभी तक है, जब तक वे अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। एक छोटी-सी माचिस भी जब कभी बहुत सील जाती है और जलने में असफल हो जाती है, तो उसे कूड़े की टोकरी में फेंक दिया जाता है। टॉर्च के सेल बल्ब जलाने में असमर्थ हो जाते हैं तो बिना किसी मोह के उन्हें निकाल कर फेंक दिया जाता है। जाहिर है, किसी वस्तु की कीमत तभी तक है, जब तक वह सफल है। इसी तरह हर इन्सान की कीमत भी तभी तक है, जब तक वह सफल है। शायद इसीलिए इन्सान सफलता का उतना ही प्यासा रहता है, जितना सुख का, या जितना ज़िन्दा रहने का। सफलता ही किसी के जीवन को मूल्यवान बनाती है। मगर सफलता है क्या?

3. अनुशासनहीनता एक प्रचंडतम संक्रामक बीमारी है। आग की तरह यह फैलती है और आग की ही तरह, जो कुछ इसके अधीन आता जाता है, उसे ध्वस्त करती जाती है। अत: हर स्तर पर जो भी संचालक अथवा प्रभारी हैं, उनका यह प्रमुख कर्त्तव्य हो जाता है कि अनुशासनहीनता के पहले लक्षणों को देखते ही उसका

प्रभावी उपचार कर दें अन्यथा यह बीमारी संपूर्ण राष्ट्र का ही पतन कर सकती है। वस्तुतः अनुशासन शिथिल होने का अर्थ है, मूल्यों और मान्यताओं का अवमूल्यन होना और जब ऐसा होता है तो कोई भी राष्ट्र अथवा सभ्यता कितनी ही दिव्य क्यों न हो, नष्ट हो जाएगी। अनुशासित हुए बिना कोई समाज, कोई विभाग या कोई राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता दूसरों के आदर और सम्मान का पात्र भी नहीं बन सकता। इतना ही नहीं, अनुशासन के बिना किसी देश से दरिद्रता, अन्याय, आपसी फूट और वैमनस्य भी कभी दूर नहीं हो सकते।

4. गुरु गोबिंद सिंह का व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति के जीवन-दर्शन के ताने-बाने से बुना गया था। यही व्यक्तित्व उनकी रचनाओं में अभिव्यक्त हुआ है। उनका 'दशम ग्रंथ' अन्याय के प्रतिकार के लिए, सत्य के लिए, आत्मबलिदान के हेतु और अन्तरतम को परिष्कृत और सरस बनाने के लिए नियोजित काव्य और देश और काल की सीमाओं के माध्यम से सीमातीत को हृदयंगम कराने का आध्यात्मिक प्रतीक है। वह महान् भारतीय संस्कृति का कवच है और शुष्क वैयक्तिक साधना के स्थान पर सरस धार्मिक जीवन का संदेशवाहक है। वह कायरता, भीरुता और निष्कर्म पर कस के कुशाघात है। वह छुपी हुई जाति का प्राणप्रद संजीवन-रस है और मोहग्रस्त समाज का मूर्च्छा-मोचन रसायन है।

5. संपूर्ण सृष्टि में, सूक्ष्मतम जीवाणु से लेकर समस्त जीव-जन्तु ही नहीं, अपितु संपूर्ण वनस्पति तथा सृष्टि के समस्त तत्व, बिना किसी आलस्य के, प्रकृति द्वारा निर्धारित, अपने-अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर लगे हुए देखे जाते हैं। कहीं भी, किसी भी स्तर पर इस नियम का अपवाद देखने को नहीं मिलता। यदि लघुतम एनज़ाइम भी अपने कर्त्तव्य में किंचित् भी शिथिलता ले आए, तो मानव खाए हुए भोजन को पचा भी न सकेगा। कैसी विडंबना है कि अपने को प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट रचना कहने वाला मनुष्य ही इस संपूर्ण विधान में अपवाद बनते देखा जाता है। कितने ही मनुष्य नितांत निरुद्देश्य जीवन जीते रहते हैं। जो प्रकृति उनका पोषण करती है, जिन असंख्य मानव-रत्नों के श्रम से प्राप्त सुख-सामग्री की असंख्य वस्तुओं का वे नित्य उपभोग करते हैं, जिस समाज में वे रहते हैं, जिन माता-पिता से उन्होंने जन्म पाया, उन सभी के प्रति मानो उनका कोई दायित्व ही न हो।

अध्याय-4

विज्ञापन एवं सूचना

विज्ञापन शब्द 'वि' उपसर्ग और 'ज्ञापन' शब्द से मिलकर बना है। 'वि' उपसर्ग का अर्थ है विशेष और 'ज्ञापन' का अर्थ है ज्ञान कराना या जानकारी देना। अतएव विज्ञापन का व्युत्पति अर्थ हुआ — विशेष रूप से जानकारी देना। पहले विज्ञापन का अर्थ सीमित हुआ करता था। विज्ञापन को लोग सूचना देने तक ही सीमित रखते थे। किन्तु आज के युग में विज्ञापन का अर्थ व्यापक हो गया है। आज विज्ञापन मात्र सूचना देना न होकर एक कला बन गया है। आज विज्ञापन उस कला का नाम है जिसमें उत्पादक अपने उत्पादन के गुण, मूल्य और अन्य आवश्यक जानकारी को लोगों तक बढ़िया ढंग से प्रस्तुत कर सके, लोगों में उस उत्पादन को खरीदने के लिए उत्सुकता व लालसा बढ़ सके, भविष्य में भी उस उत्पादन के प्रति लोगों का विश्वास बन सके तथा बाज़ार में लगातार माँग बने, माँग बढ़े और बढ़ती ही रहे।

यहाँ यह बात भी बता देना नितांत आवश्यक है कि विज्ञापन केवल उत्पादित वस्तुओं के ही नहीं होते बल्कि व्यक्ति के गुणों, अनुभवों आदि के भी विज्ञापन होते हैं। उदाहरणतया एक डॉक्टर अपने चिकित्सीय योग्यता, अनुभव और कला का इस तरह विज्ञापन देता है कि मरीज़ विज्ञापन पढ़ते ही डॉक्टर के पास दौड़ा जाता है। इसी तरह विभिन्न कक्षाओं और कोर्सों के लिए कोचिंग देने वाले अपनी पढ़ाने सम्बन्धी योग्यताओं, गुणों और अनुभवों को इस प्रकार विज्ञापित करते हैं कि विद्यार्थी वहाँ एडमिशन/कोचिंग लेने के लिए चक्कर काटते हैं। आज विज्ञापन इस कद्र हरेक की ज़िंदगी में प्रभावी बन गया है कि संगीत, नृत्य, व्यायाम, योग, कुकिंग, सिलाई-कढ़ाई, पेंटिंग, ड्राइविंग आदि सिखाने वाले विज्ञापनों की समाचार पत्रों में भरमार होती है। लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताने का दावा करने वाले लोग जो अपने आपको ज्योतिषी, तांत्रिक आदि कहते हैं, लोगों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं और उनकी समस्याओं का हल करने का झूठा वायदा करके उनसे अच्छी खासी मोटी रकम ऐंठते हैं। उनके विज्ञापन इतने प्रभावशाली होते हैं लोग बिना विवेक से काम लिए इन ढोंगी लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं।

विज्ञापन व्यक्ति के वैवाहिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अखबारों, मैगज़ीनों, इंटरनैट आदि के माध्यम से लोग अपनी योग्यता, कद, आकार, आयु, जाति के साथ अपनी सुंदरता का भी विज्ञापन देते हैं और मनचाहा रिश्ता प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त लोग अपनी चीज़ों जैसे ज़मीन जायदाद, स्कूटर, कार, घर में इस्तेमाल करने वाले विभिन्न तरह के सामान को खरीदने व बेचने के लिए विज्ञापन का ही सहारा लेते हैं। अधिक क्या कहें, आज के युग को यदि विज्ञापन का युग कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी।

विज्ञापन के माध्यम या साधन

विज्ञापन करने के अनेक ढंग हैं, जैसे :-

1. **ढिंढोरा पीटकर :** पुराने समय में कोई व्यक्ति अपने गले में बड़ा-सा ढोल बजाता हुआ गलियों और बाज़ारों में या फिर किसी चौराहे पर खड़ा होकर व्यापारिक कंपनी के माल के गुणों का बखान बढ़ा-चढ़ाकर करता था। धीरे-धीरे यह काम रिक्शे या ऑटो रिक्शे या खुली जीप आदि में माइक लगाकर किया जाने लगा। आज भी इस तरह से अनेक स्थानों पर लोग अपने उत्पादन का विज्ञापन करते हैं।
2. **स्टाल लगाकर :** आज घरों के बाहर, बाज़ारों में या फिर मेलों, प्रदर्शनियों में, संस्थाओं में अपने सामान की बिक्री हेतु या नुमाइश हेतु स्टाल लगाकर कम्पनियों के कर्मचारी खड़े होते हैं और अपने माल की खूबियाँ लोगों को बताते हैं।
3. **एजेण्टों द्वारा :** आज अधिकतर कम्पनियाँ अथवा व्यापारी कमीशन नियत कर कुछ कर्मचारी काम पर लगा देते हैं। ये घर-घर जाकर व्यापारी के माल की खूबियों से लोगों को अवगत कराते हैं, माल की बुकिंग करते हैं या मौके पर ही माल बेचते हैं।
4. **इश्तहारी पर्चे :** कुछ व्यापारी अपने माल अथवा काम की जानकारी लोगों तक इश्तहारों द्वारा पहुँचाते हैं। इसके लिए वे घरों में अखबार डालने वाले लोगों को पैसे देकर अपने इश्तहारी पर्चे अखबारों में रखवाकर अपने माल का विज्ञापन आसानी से कर लेते हैं।

5. **मोबाइल और इंटरनेट द्वारा :** मोबाइल और इंटरनैट विज्ञापन के सशक्त साधन हैं। इनसे विज्ञापन तत्काल ही हो जाता है। इनके माध्यम से जहाँ एक ओर क्रय-विक्रय करने में समय की बचत होती है वहीं दूसरी ओर यह साधन सुगम भी है।

6. **डाक द्वारा :** कुछ संस्थाएँ अथवा कम्पनियाँ अपने उत्पादों की सूची अथवा विवरणिका, फोल्डर, डायरी, पम्फलैट्स आदि लोगों के घरों अथवा संस्थाओं में भेजती हैं।

7. **रेडियो, टेलिविज़न तथा सिनेमा :** रेडियो, टेलिविज़न तथा सिनेमा हाल के माध्यम से भी व्यापारी अपने उत्पाद का विज्ञापन देते हैं। ये विज्ञापन कुछ सेकेण्डों अथवा मिनटों के होते हैं। आकर्षकता व सुबोधता इनकी विशेषता है।

8. **मैगज़ीनों के द्वारा :** मैगज़ीनों के माध्यम से भी व्यापारिक कम्पनियाँ अपने सामान का विज्ञापन करती हैं। ये मैगज़ीनें साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और त्रैमासिक होती हैं। ये मैगज़ीनें प्राइवेट और सरकारी संस्थाओं की ओर से छपवायी जाती हैं।

9. **समाचार-पत्रों द्वारा :** समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन दूर-दूर तक करोड़ों पाठकों तक पहुँचते हैं। इसलिए सरकारी एवं ग़ैर सरकारी कार्यालय और व्यापारिक कंपनियाँ विज्ञापन को समाचार-पत्रों के माध्यम से जनता तक पहुँचाती हैं।

विज्ञापन तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें

1. विज्ञापन संक्षिप्त होना चाहिए।
2. उसकी भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए।
3. विज्ञापन में विज्ञापित वस्तु के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने का भी गुण होना चाहिए।
4. विज्ञापन में छल कपट नहीं होना चाहिए क्योंकि काठ की हंडी एक बार ही चढ़ती है, बार-बार नहीं।
5. विज्ञापन ब्लैक एंड वाइट की जगह यदि रंगदार हो तो अधिक आकर्षक व प्रभावशाली लगता है।

6. विज्ञापन जिस भी माध्यम द्वारा दिया जा रहा हो वह माध्यम उस बात या चीज़ को प्रकट करने में सक्षम हो।

7. विज्ञापन में विज्ञापन देने वाला का पूरा पता स्पष्ट होना चाहिए।

नीचे कुछ विज्ञापनों के विभिन्न रूप दिये जा रहे हैं :-

वैवाहिक विज्ञापन

ब्राह्मण जाति का लड़का, आयु 25 वर्ष, कद 5 फुट 8 इंच, योग्यता एम.ए. (अंग्रेज़ी) एम.बी.ए., कम्पनी में मैनेजर, रंग गोरा के लिए योग्य वधु चाहिए। सम्पर्क करें - 0172-2696453

खत्री जाति की लड़की, आयु 22 वर्ष, कद 5 फुट 5 इंच, योग्यता बी.कॉम, सी.ए., कम्पनी में सचिव, रंग साफ़, के लिए योग्य वर चाहिए। चंडीगढ़ के आस-पास को प्राथमिकता दी जाएगी। सम्पर्क करें - 0181-2554926

चिकित्सा सम्बन्धी विज्ञापन

डायबिटिज, मोटापे और जोड़ों के दर्द के मरीज़ निराश न हों। तुरन्त छुटकारा पाएं। हमारे यहाँ इनका पक्का व विश्वसनीय इलाज है। सम्पर्क करें - डॉ॰ भूपेन्द्रपाल सिह, मेन बाज़ार, अबोहर। फोन 9463456300

शिक्षा सम्बन्धी विज्ञापन

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली से आठवीं, दसवीं और बारहवीं घर बैठे पास करने हेतु कोचिंग के लिए सम्पर्क करें। मिश्रा कॉलेज, नज़दीक सरकारी अस्पताल, फगवाड़ा।

ज्योतिष

आपकी हर समस्या का समाधान हमारे पास है। सम्पर्क करें - हस्तरेखा, मस्तक रेखा, जन्मपत्री और फोटो विशेषज्ञ अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य पंडित राधेश्याम शास्त्री। पता है — राधेश्याम ज्योतिषी, मेन बाज़ार सूरजपुर। दूरभाष : 9692654691

किराये के लिए खाली

तीन बैडरूम, ड्राइंग, डाइनिंग रूम, तीन बाथरूम ग्राऊँड फ्लोर। सम्पर्क करें : मकान नम्बर 356, सेक्टर 14, करनाल। फोन नम्बर 6924569200

आवश्यकता है

एक कुशल माली की आवश्यकता है जो बाग बगीचे का काम अच्छी तरह से जानता हो। दो दिन के अन्दर-अन्दर सम्पर्क करें। कोठी नम्बर 1356, सेक्टर 20, नंगल। मोबाइल नम्बर 9699999220

मकान बिकाऊ है

चंडीगढ़ के सेक्टर 47 में एक 6 मरले का बिल्कुल नया बना हुआ मकान बिकाऊ है। सम्पर्क करें- विनोद गुप्ता, मकान नम्बर 3154, सेक्टर 47 डी, चंडीगढ़। मोबाइल नम्बर- 9555542446

व्यापार

बॉलपेन का उद्योग स्वयं लगाकार महीने के 15000 रुपये से लेकर 25000 रुपये तक कमाएं। कच्चा माल हम देंगे। सामान बेचने की भी ज़िम्मेदारी हमारी होगी। सम्पर्क करें - गोयल ब्रदर्स, महाजन मार्किट, लुधियाना। मोबाइल नम्बर 9355546900

विज्ञापन लिखने का उदाहरण नीचे दिया जा रहा है :

आपका नाम सुरेश है। आपका सेक्टर-14 पंचकुला में एक आठ मरले का मकान है। आप इसे बेचना चाहते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन के अन्तर्गत 'मकान बिकाऊ है' का प्रारूप तैयार करके लिखिए। आपका मोबाइल नम्बर 9417794262 है, जिस पर मकान खरीदने के इच्छुक आपसे सम्पर्क कर सकते हैं।

मकान बिकाऊ है

सेक्टर-14 पंचकुला में एक आठ मरले का मकान बिकाऊ है। सम्पर्क करें : सुरेश, मोबाइल नम्बर 9417794262

अभ्यास

1. संत कबीर पब्लिक स्कूल, चंडीगढ़ के प्रिंसीपल की ओर से वर्गीकृत विज्ञापन के अन्तर्गत स्कूल बस के लिए 'एक कुशल ड्राइवर चाहिए' का एक प्रारूप तैयार करके लिखिए।

2. आपका नाम विजय दीनानाथ चौहान है। आप मकान नम्बर 540, सेक्टर 80, मोहाली में रहते हैं। आपका मोबाइल नम्बर 9417741121 है। आपका सेक्टर-76 मोहाली में 8 मरले का एक प्लाट है। आप इसे बेचना चाहते हैं। 'प्लाट बिकाऊ है' शीर्षक के अन्तर्गत विज्ञापन का प्रारूप तैयार करके लिखिए।

3. आपका नाम रजनीश गुप्ता है। आप मकान नम्बर 151, सेक्टर-19, करनाल में रहते हैं। आपका मोबाइल नम्बर 9456000094 है। आप अपनी 2008 मॉडल की टाटा सफारी कार बेचना चाहते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन के अन्तर्गत 'कार बिकाऊ है' का प्रारूप तैयार करके लिखिए।

4. आपका नाम मनीषा है। आप मकान नम्बर 315, सेक्टर 20, नोएडा में रहती हैं। घर के काम काज हेतु आपको एक नौकरानी की आवश्यकता है। वर्गीकृत विज्ञापन के अन्तर्गत 'नौकरानी की आवश्यकता है' का प्रारूप तैयार करके लिखिए।

5. आपका नाम विजय शर्मा है। आप डी.ए.वी. स्कूल मलोट के प्रिंसीपल हैं। आपको अपने स्कूल के लिए एम.ए., बी.एड. गणित अध्यापक की आवश्यकता है। वर्गीकृत विज्ञापन के अन्तर्गत 'गणित अध्यापक की आवश्यकता है' का प्रारूप तैयार करके लिखिए।

6. आपका नाम अमिताभ है। आपका सेक्टर-17 चंडीगढ़ में बहुत बड़ा पाँच सितारा होटल है। आपका मोबाइल नम्बर 9354056695 है। आपको अपने होटल के लिए एक मैनेजर की आवश्यकता है। वर्गीकृत विज्ञापन के अन्तर्गत 'मैनेजर की आवश्यकता है' का प्रारूप तैयार करके लिखिए।

7. आपका नाम पंडित योगेश्वर नाथ है। आपने सेक्टर-22, चंडीगढ़ में एक योगेश्वर योग साधना केन्द्र खोला है जहाँ आप लोगों को योग सिखाते हैं

जिसकी प्रति व्यक्ति, प्रति मास 1,000 रु. फीस है। वर्गीकृत विज्ञापन के अन्तर्गत 'योग सीखिए' का प्रारूप तैयार करके लिखिए।

सूचना

सूचना का अर्थ है — जानकारी या इत्तिला। अंग्रेज़ी में इसके लिए नोटिस शब्द का प्रयोग होता है। हिन्दी में अंग्रेज़ी के इस 'नोटिस' शब्द का भी बोलचाल और लिखित रूप अधिकाधिक प्रयोग देखने में मिलता है। जिस पर सूचना लिखी जाती है उसे सूचना पट या पटल कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे नोटिस बोर्ड कहते हैं।

सूचना या नोटिस दो प्रकार के हो सकते हैं —

1. प्रथम श्रेणी में ऐसी सूचनाएँ आती हैं जो कि स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों, बैंकों, क्लबों, सरकारी, गैर-सरकारी कार्यालयों आदि में सूचना पट पर लिखी होती हैं।
2. दूसरी श्रेणी की सूचनाएँ सार्वजनिक होती हैं जिन्हें समाचार-पत्रों में छपवाया जाता है।

सूचना लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए।

1. सबसे पहले सूचना जारी करने की तारीख लिखी जानी चाहिए।
2. सूचना का शीर्षक ज़रूर लिखा जाये।
3. सूचना संक्षिप्त रूप में लिखी जानी चाहिए।
4. सूचना की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए।
5. सूचना लिखते समय छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए।
6. सूचना लिखते समय अनावश्यक बातों के प्रयोग से बचना चाहिए।
7. सूचना देने वाले अधिकारी के नाम और पद का उल्लेख भी किया जाना चाहिए।
8. सूचना लिखते समय तिथि, समय और स्थान सम्बन्धी पूरी जानकारी दी जाए।

9. सूचना पट भी साफ-सुथरा होना चाहिए अर्थात् उस पर लिखा हुआ पढ़ा जा सके।

10. सूचना में महत्त्वपूर्ण बातों को रेखांकित कर देना चाहिए।

सूचना लिखने के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं —

1. आपका नाम मुकेश वर्मा है। आपके 'माँ सरस्वती विद्यालय' जगाधरी के बारहवीं कक्षा के विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण हेतु दिनांक 14 सितम्बर, 2010 को रॉक गार्डन देखने चंडीगढ़ जा रहे हैं। आप स्कूल के छात्रसंघ के सचिव हैं। आप अपनी ओर से इस सम्बन्ध में एक सूचना तैयार कीजिए।

1 सितम्बर 2010

रॉक गार्डन देखने जाने सम्बन्धी सूचना

बारहवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि इस बार बारहवीं कक्षा के विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण हेतु दिनांक 14 सितम्बर, 2010 को रॉक गार्डन देखने चंडीगढ़ जा रहे हैं। जो विद्यार्थी इस भ्रमण दल के साथ जाने के इच्छुक हैं, वे अपने नाम व 500 रुपये अपने कक्षा अध्यापक के पास 10 सितम्बर 2010 तक जमा करवा दें।

मुकेश वर्मा,
सचिव, छात्र संघ,
माँ सरस्वती विद्यालय, जगाधरी

2. आपका नाम विशाल कुमार है। आप सरकारी हाई स्कूल लुधियाना में पढ़ते हैं। आप एन.एस.एस. यूनिट के मुख्य सचिव हैं। आपके स्कूल में दिनांक 25 अप्रैल, 2010 को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप अपनी तरफ से एक नोटिस तैयार करें जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों से रक्तदान के लिए अनुग्रह किया जाये।

रक्तदान शिविर सम्बन्धी सूचना

स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि स्कूल के हॉल में स्थानीय सिविल अस्पताल की ओर से 25 अप्रैल, 2010 को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी रक्तदान करना चाहें, वे अपने नाम अधोलिखित प्रमुख सचिव को 22 अप्रैल, 2010 तक लिखवा दें। इस शिविर का उद्घाटन शिक्षा मंत्री जी करेंगे।

विशाल कुमार
प्रमुख सचिव, एन.एस.एस. यूनिट
सरकारी हाई स्कूल, लुधियाना

3. आपका नाम चार्वी है। आप रियान इंटरनेशनल स्कूल चंडीगढ़ में पढ़ती हैं। आप अपने स्कूल की वार्षिक पत्रिका की छात्र-सम्पादिका हैं। आप अपनी ओर से वर्ष 2010 के लिए पत्रिका के लिए विद्यार्थियों से कहानियाँ, कविताएँ, लघु कथाएँ, लेख छापने हेतु उनसे प्राप्त करने के लिए सूचना तैयार कीजिए।

स्कूल मैगज़ीन में रचनाएँ छपवाने सम्बन्धी सूचना

स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2010 की वार्षिक पत्रिका में जो विद्यार्थी अपनी रचनाएँ जैसे कहानियाँ, कविताएँ, लघु कथाएँ व लेख छपवाना चाहते हैं, वे अपनी रचनाएँ 10 दिसम्बर 2010 तक अधोलिखित को जमा करवा दें। रचना जमा करवाते समय इस बात का प्रमाणपत्र लिखकर दें कि रचना मौलिक व अप्रकाशित है।

चार्वी,
(छात्र-सम्पादिका)
स्कूल पत्रिका
रियान इण्टरनेशनल स्कूल
चंडीगढ़।

4. सरकारी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, किशनपुरा के प्रिंसीपल की ओर से सूचनापट्ट के लिए एक सूचना तैयार करें जिसमें प्रिंसीपल की ओर से सभी अध्यापकों व छात्रों को 26 जनवरी, 2011 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सुबह 8.00 बजे स्कूल आना अनिवार्य रूप से कहा गया हो।

गणतंत्र दिवस मनाने सम्बन्धी सूचना

स्कूल के सभी अध्यापकों व छात्रों को सूचित किया जाता है कि हर साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी, 2011 को सुबह 8.00 बजे गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन किया जा रहा है। सभी अध्यापकों व छात्रों का समय पर आना अनिवार्य है। अनुपस्थित अध्यापकों व छात्रों पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

प्रिंसीपल
सरकारी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल
किशनपुरा

5. सरकारी मॉडल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, 3-बी-I, मोहाली के प्रिंसीपल की ओर से सूचनापट्ट के लिए एक सूचना तैयार करें जिसमें वर्दी न पहनकर आने वाले विद्यार्थियों को अनुशासनिक कार्यवाही के लिए कहा गया हो।

वर्दी न पहनकर आने वाले विद्यार्थियों के लिए सूचना

स्कूल के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे प्रतिदिन स्कूल की वर्दी पहनकर ही स्कूल आया करें। जो विद्यार्थी बिना वर्दी के स्कूल आएंगे, उन पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। जिन विद्यार्थियों के पास अभी भी वर्दी नहीं है, उन्हें 10 दिन का समय वर्दी सिलवाने के लिए दिया जाता है।

प्रिंसीपल
सरकारी मॉडल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल,3-बी-I,
मोहाली

अभ्यास

1. आपके सरकारी मॉडल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल मोहाली में वार्षिक उत्सव पर गिद्दा व भाँगड़ा का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल के साँस्कृतिक कार्यक्रमों के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्रपाल सिंह द्वारा एक सूचना तैयार कीजिए, जिसमें इच्छुक विद्यार्थियों को इनमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया हो।

2. सरकारी हाई स्कूल सेक्टर-14 चंडीगढ़ के मुख्याध्यापक की ओर से स्कूल के सूचनापट्ट (नोटिस बोर्ड) के लिए एक सूचना तैयार कीजिए, जिसमें स्कूल के सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सेक्शन बदलने की अंतिम तिथि 30.04.2010 दी गयी हो।

3. आपका नाम प्रदीप कुमार है। आप सरकारी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल खिजरांबाद में पंजाबी के अध्यापक हैं। आप स्कूल की पंजाबी साहित्य समिति के सचिव हैं। समिति द्वारा आपके ही स्कूल में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आप अपनी ओर से एक सूचना तैयार कीजिए जिसमें विद्यार्थियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया हो।

4. आपका नाम कुलविन्द्र सिंह है। आप सरस्वती पब्लिक स्कूल समराला के डायरेक्टर हैं। आपके स्कूल में दिनांक 7 जुलाई, 2010 को विज्ञान प्रदर्शनी लग रही है। आप अपनी ओर से एक सूचना तैयार कीजिए जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए कहा गया हो।

5. आपका नाम जगदीश सिंह है। आप सरकारी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल रोपड़ के ड्रामा क्लब के डायरेक्टर हैं। आपके स्कूल में 25 दिसम्बर को एक ऐतिहासिक नाटक का मंचन किया जाना है जिसका नाम है 'रानी लक्ष्मीबाई'। आप इस सम्बन्ध में एक सूचना तैयार करें जिसमें विद्यार्थियों को उपर्युक्त नाटक में भाग लेने के लिए नाम लिखवाने के लिए कहा गया हो।

--oo--